किताबुल बरिय्य:

(ख़ुदाई निशानों के द्वारा बरीयत का फ़ैसला)

KITABUL BARIYYAH

लेखक

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

किताबुल बरिय्य:

(ख़ुदाई निशानों के द्वारा बरीयत का फ़ैसला)

लेखक
हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम

नाम पुस्तक	:	किताबुल बरिय्य: (ख़ुदाई निशानों के द्वारा बरीयत का फ़ैसला)
लेखक	:	हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम
अनुवादक	:	डॉ अन्सार अहमद, एम.ए., एम.फिल,
टाईप सैटिंग	:	नदिया परवेज़ा
संस्करण	:	प्रथम (हिन्दी) दिसम्बर 2022 ई०
संख्या	:	500
प्रकाशक	:	नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
मुद्रक	:	फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
Name of book	:	Kitabul Bariyyah
Author	:	Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Mau'ud & Mahdi Mahood Alaihissalam
Translator	:	Dr. Ansar Ahmad, M.A., M.Phil,
Type, Setting	:	Nadiya Parveza
Edition	:	1st (Hindi) December 2022
Publisher	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at	:	Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक 'किताबुल बरिय्य:' का यह हिन्दी अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है। अरबी पत्रों का उर्दू अनुवाद श्री मुहम्मद हमीद कौसर ने और फ़ारसी पत्रों का उर्दू अनुवाद श्री बिलाल अहंगर ने किया है। तत्पश्चात इन दोनों का हिन्दी अनुवाद श्री फरहत अहमद आचार्य ने किया है।

इसके बाद श्री शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), श्री फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), श्री अली हसन एम. ए. हिन्दी, श्री नसीरुल हक़ आचार्य, श्री इब्नुल मेहदी एम् ए हिन्दी, और श्री मुहियुद्दीन फ़रीद एम् ए हिन्दी ने इसका रीव्यू किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत
हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़
नाज़िर नश्र व इशाअत क़ादियान

नोट
पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्दावाली दी गई है पाठकगण उसकी सहायता से पुस्तक में प्रयोग किए गए इस्लामिक शब्दों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं।

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम
(1835 ई० - 1908 ई०)
संस्थापक अहमदिया मुस्लिम जमाअत

लेखक परिचय

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी माहूद अलैहिस्सलाम का जन्म 1835 ई० में हिन्दुस्तान के एक कस्बे क़ादियान में हुआ। आप अपनी प्रारंभिक आयु से ही ख़ुदा की उपासना, दुआओं, पवित्र क़ुरआन और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में व्यस्त रहते थे। इस्लाम जो कि उस समय चारों ओर से धार्मिक आक्रमणों का शिकार हो रहा था, उसकी दयनीय अवस्था को देख कर आप अलैहिस्सलाम को अत्यंत दुख होता था। इस्लाम की प्रतिरक्षा और फिर उसकी शिक्षाओं को अपने वास्तविक स्वरूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए आपने 90 से अधिक पुस्तकें लिखीं और हज़ारों पत्र लिखे और बहुत से धार्मिक शास्त्रार्थ और मुनाज़रात किए। आपने बताया कि इस्लाम ही वह ज़िन्दा धर्म है जो मानवजाति का संबंध अपने वास्तविक स्रष्टा से स्थापित कर सकता है और उसी के अनुसरण से मनुष्य व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है।

छोटी आयु से ही आप सच्चे स्वप्न, कश्फ़ और इल्हाम से सुशोभित हुए। 1889 ई० में आपने ख़ुदा तआला के आदेशानुसार बैअत* लेने का सिलसिला प्रारंभ किया और एक पवित्र जमाअत की नींव रखी। इल्हाम व कलाम का सिलसिला दिन प्रति दिन बढ़ता गया और आपने ख़ुदा के आदेशानुसार यह घोषणा की कि आप अंतिम युग के वही सुधारक हैं जिस की भविष्यवाणियाँ संसार के समस्त धर्मों में भिन्न-भिन्न नामों से पाई जाती हैं।

आपने यह भी दावा किया कि आप वही मसीह मौऊद व महदी माहूद हैं जिसके आने की भविष्यवाणी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

---

* **बैअत**- किसी नबी, रसूल, अवतार या पीर के हाथ पर उसका मुरीद होना- अनुवादक

ने की थी। जमाअत अहमदिया अब तक संसार के 200 से अधिक देशों में स्थापित हो चुकी है।

1908 ई० में जब आप का स्वर्गवास हुआ तो उसके पश्चात पवित्र क़ुरआन तथा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों के अनुसार आपके आध्यात्मिक मिशन की पूर्णता हेतु ख़िलाफ़त का सिलसिला स्थापित हुआ। अतः इस समय हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद (अल्लाह उनकी सहायता करे) आप के पंचम ख़लीफ़ा और विश्वस्तरीय जमाअत अहमदिया के वर्तमान इमाम हैं।

पुस्तक परिचय

किताबुल बरिय्य:

यह पुस्तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुकद्दमा इक़्दाम-ए-क़त्ल (क़त्ल की कोशिश) के फैसले के पश्चात् जो डॉक्टर पादरी हेनरी मार्टिन क्लार्क ने अन्य पादरियों के षड्यन्त्र से आप के विरुद्ध दायर किया था, लिखी और 24 जनवरी 1898 ई. को प्रकाशित हुई।

यह पुस्तक एक अत्यन्त महान ख़ुदाई निशान को लिए हुए है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ुदा की ओर से होने का ज़बरदस्त सबूत है। इसमें आपने कथित मुकद्दमे के वृत्तान्त के अतिरिक्त ईसाई आस्थाओं का अत्यन्त उत्तम शैली में ऐसा खण्डन किया है जिसका उत्तर संभव नहीं और इस आरोप का भी विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है जो पादरियों की ओर से मुक़द्दमे के दौरान आप पर लगाया गया था। परन्तु आपको उस आरोप के उत्तर देने का कोई अवसर न था। वह आरोप यह था कि आप ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी पुस्तकों में कठोर शब्दों का प्रयोग किया है और ईसाइयों के विरुद्ध भड़काने वाले तथा घृणा पैदा करने वाले कठोर शब्दों पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। इस आरोप का खण्डन करते हुए आप ने बतौर नमूना पादरियों की उन अपमानजनक, गालियों एवं अनादरपूर्ण वाक्यों का भी वर्णन किया है जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में सरदार-ए-कायनात हज़रत ख़ातमुन्नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में प्रयोग किए है और सिद्ध किया है कि इन पादरियों की गालियां चरम सीमा को पहुंच चुकी हैं और इन से सीख कर आर्यों ने भी गालियों का मार्ग अपना लिया है और वे हमारे लेख को चाहे वह कैसा ही नर्म क्यों न हो, कठोरता पर चरितार्थ करके शिकायत के तौर पर अधिकारियों तक पहुंचाते हैं हालांकि हज़ारों गुना अधिक कठोरता उनकी ओर से होती है।

फिर आप ने इस पुस्तक में अपने ख़ानदानी एवं व्यक्तिगत जीवन चरित्र वर्णन करने के अतिरिक्त विभिन्न धर्मों में मैत्री पूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए सरकार की सेवा में कुछ प्रस्ताव लिखे हैं जो इस जिल्द (Volume) के पृष्ठ 346 (उर्दू एडीशन) पर दर्ज हैं।

एक महान निशान

ग्यारहवीं जिल्द (रूहानी ख़ज़ाइन उर्दू एडीशन) की भूमिका में हम उन इल्हामों की चर्चा कर चुके हैं जिन में अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आथम से संबंधित यह सूचना दी थी कि उसने भविष्यवाणी की शर्त ''बशर्ते कि वह सच की ओर न लौटे'' से लाभ उठाया है। इसीलिए वह पूर्ण हाविय: अर्थात् मृत्यु से बच गया और फिर सच को छुपाने के दण्ड में बहुत शीघ्र पकड़ा गया और 27 जुलाई 1896 ई. को फ़िरोज़पुर में मर गया। इस प्रकार से आथम के सच की ओर लौटने तथा ख़ुदा के नियम के अनुसार पूर्ण अज़ाब के स्थगन से संबंधित अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो सूचना वह्यी के माध्यम से दी थी उसकी सच्चाई सूर्य समान प्रकट हो गई और उस ख़ुदा की वह्यी का यह भाग -

''وبعزّتی و جلالی انك انت الاعلیٰ و نمزّق الاعداء کلّ ممزّق و مکر اولٰئك هو یبور- انا نکشف السرّ عن ساقه یومئذ یفرح المؤمنون''

जिसका अनुवाद यह है –

मुझे मेरे सम्मान एवं प्रताप की क़सम है कि तू ही विजयी है यह (इस विनीत को सम्बोधन है) और फिर फ़रमाया कि हम शत्रुओं को टुकड़े-टुकड़े कर देंगे अर्थात् उनका अपमान होगा और उन का छल तबाह हो जाएगा। इस में यह बात ज्ञात हुई कि तुम ही विजयी हो न कि दुश्मन, और ख़ुदा तआला बस नहीं करेगा और नहीं रुकेगा जब तक शत्रुओं के सम्पूर्ण छलों को प्रकट न कर दे तथा उन के छल को तबाह न कर दे अर्थात् जो छल बनाया गया और पूर्ण किया गया उसको तोड़ डालेगा और उसको मुर्दा करके फेंक देगा और उसकी लाश लोगों को दिखा

देगा और फिर फ़रमाया कि हम असल भेद को उसकी पिंडलियों से नंगा करके दिखा देंगे अर्थात् वास्तविकता को प्रकट कर देंगे और विजय के स्पष्ट तर्क प्रकट करेंगे और उस दिन मोमिन प्रसन्न होंगे।

(अन्वारुल इस्लाम, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द,9 पृष्ठ-2,3)

वह्यी के इस भाग के बारे में हमने लिखा था कि यह भाग अद्भुत ढंग तथा ईमान में वृद्धि करने वाले रंग में पूरा हुआ। उस का विवरण हम रूहानी ख़ज़ायन जिल्द-13 में वर्णन करेंगे इन्शाअल्लाह। अत: हम वादे के अनुसार उसका विवरण लिखते हैं –

ईसाइयों की स्पष्ट पराजय

वह पवित्र जंग जो मई 1893 ई. में मुबाहसे के रंग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के प्रतिनिधि, और डिप्टी पादरी अब्दुल्लाह आथम ईसाइयों के प्रतिनिधि के मध्य हुई थी। इसमें ईसाई गिरोह को जो पराजय हुई वह अब्दुल्लाह आथम के 27 जुलाई 1896 ई. को मर जाने से चमकते सूर्य के समान प्रकट हो गई थी और अब किसी न्याय प्रिय व्यक्ति के लिए इस्लाम की विजय तथा ईसाइयत की पराजय में सन्देह की गुंजाइश नहीं रही थी और न ही पादरियों के पास अपनी पराजय छुपाने के लिए कोई बहाना शेष रहा था। परन्तु यह दज्जाली गिरोह अपनी शर्म और लज्जा को मिटाने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था और सरकार के पास गुप्त तौर पर आपके विरुद्ध शिकायतें पहुंचा रहा था। इन्हीं हालात में पंडित लेखराम 6 मार्च 1897 ई. को आप की भविष्यवाणी के अनुसार क़त्ल हो गया, जिस पर आर्य समाज ने आप अलैहिस्सलाम के विरुद्ध लेखों एवं भाषणों के द्वारा एक असभ्यतापूर्ण तूफ़ान मचा दिया और पंडित लेखराम के क़त्ल को आप का षडयंत्र और योजना बता कर सरकार को आप के विरुद्ध उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी लेखराम के क़त्ल का फ़ित्न: ठंडा नहीं हुआ था कि एक नौजवान अब्दुलहमीद जेहलमी जो एक ग़ैर अहमदी मौलवी सुल्तान महमूद

का बेटा और हज़रत मौलवी बुरहानुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अहमदी जेहलमी का भतीजा था। आवारा स्वभाव और पादरी एच.जी.ग्रे के कथनानुसार निकम्मा और झूठ बनाने वाला था और अपनी जीविका के लिए भटकता फिरता था और क़ादियान में भी कुछ दिन रह चुका था। हज़रत मौलवी बुरहानुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु ने जो एक निष्कपट अहमदी थे हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु को उसकी आवारगी बद चलनी (दुराचार) और उसकी अशिष्ट हरकतों की सूचना दे दी थी और उसके निकम्मेपन के कारण उसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आदेश से क़ादियान से निकाल दिया गया था। वह 6 जुलाई 1897 ई. को अमृतसर पहुंच गया। पहले वह पादरी नूरदीन से मिला जिसने उसे चिट्ठी देकर अमरीकन मिशन के एक पादरी एच.जी. ग्रे के पास भेज दिया। वर्णित (व्यक्ति) ने उसे निकम्मा और सत्याभिलाषी न पाकर पादरी नूरदीन के मशवरे से पादरी डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के पास भेज दिया। डॉक्टर क्लार्क और उसके प्रभावाधीन पादरियों ने यह देख कर कि वह क़ादियान से आया है पूर्ण होशियारी से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विरुद्ध एक अत्यन्त भयानक षड्यन्त्र किया। पादरियों ने उसे इस प्रकार बहकाया तथा डराया और उस से यह लिखित झूठा बयान लिया कि वह मिर्ज़ा साहिब की ओर से डॉक्टर क्लार्क को क़त्ल करने के लिए आया है। इसके लिए देखो इसी जिल्द के पृष्ठ 259 और 260 उर्दू एडिशन।

पादरी वारिस दीन, पादरी अब्दुर्रहीम और भगत प्रेमदास इत्यादि पादरियों के षड्यंत्र से यह भयानक योजना तैयार हुई और 1, अगस्त 1897 ई. को डॉक्टर क्लार्क ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विरुद्ध इसी विषय की एक दरख्वास्त ए.ई.मार्टिनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर की सेवा में प्रस्तुत की और अब्दुल हमीद का लिखित बयान भी प्रस्तुत किया और अब्दुल हमीद और डॉक्टर क्लार्क के बयानों पर मिस्टर ए.ई.मार्टिनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर ने फौजदारी धारा 114 के अन्तर्गत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया और लिखा कि धारा 107 के अन्तर्गत आप से अमन की

सुरक्षा के लिए एक वर्ष के लिए बीस हज़ार का मुचलका★ और बीस हज़ार रुपए की दो अलग-अलग ज़मानतें क्यों न ली जाएं?

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 165 उर्दू एडीशन)

परन्तु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के समर्थन में यह ग़ैबी काम प्रकट हुआ कि यह जारी किया हुआ वारंट 7 अगस्त तक गुरदासपुर न पहुंच सका और कुछ पता न चला कि कहां चला गया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ज़िला अमृतसर को जब यह ज्ञात हुआ कि वह ग़ैर ज़िले के अपराधी पर कानूनी तौर पर वारंट जारी करने का अधिकार नहीं रखते तो उन्होंने गुरदासपुर के मजिस्ट्रेट को तार द्वारा वारंट रोकने के लिए आदेश भेजा और वह वारंट न मिलने के कारण हैरान हुए और जब मिस्ल स्थानान्तरित होकर गुरदासपुर आई तो डिप्टी कमिश्नर साहिब गुरदासपुर ने डाक्टर क्लार्क और उसके वकील के सख्त आग्रह के बावजूद "वारंट जारी करने के समन जारी कर दिया और 10 अगस्त को बटाला में स्वयं या मुख़्तार द्वारा उपस्थित होने का आदेश दिया।"

(किताबुल बरिय्य:, रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 168)

इस मुक़द्दमे को सफल बनाने के लिए आर्यों ने भी ईसाइयों की पूरी-पूरी सहायता की ताकि लेखराम के क़त्ल का बदला लें। अत: पंडित राम भजदत्त आर्य वकील बिना फीस लिए मुकद्दमे की पैरवी करता रहा और डॉक्टर क्लार्क ने अपने बयान में स्वीकार किया कि हम लोग एक व्यक्ति के बारे में जो सब का दुश्मन है, मिलकर कार्यवाही करते हैं।

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 272)

और मुसलमानों में से मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने ईसाइयों के समर्थन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विरुद्ध गवाही दी और बहुत अपमान झेला। विवरण के लिए देखें इसी जिल्द के पृष्ठ 33, 37

साहिब डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर कैप्टन एम. डब्लयू. डगलस साहिब ने

★ वह प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध करेगा तो इतने रुपए देगा (अनुवादक)

10, अगस्त 1897 ई. को छानबीन आरंभ की जो 13 अगस्त तक जारी रही। अब्दुल हमीद उस समय तक पूर्णतः ईसाइयों की निगरानी में रहा। उसकी गवाही ने सामान्यतया डॉक्टर क्लार्क के बयान का समर्थन किया, परन्तु उसके बयान को कुछ कारणों के आधार पर जिनकी चर्चा पृष्ठ 290 पर मौजूद है, कैप्टन डगलस ने मिस्टर लीमार चन्द डी. एस, पी. से कहा कि वह इसको अपनी ज़िम्मेदारी में लेकर आज़ादाना तौर पर इस से पूछें। अतः 14, अगस्त को डी. एस. पी. ने मुहम्मद बख़्श डिप्टी इन्सपेक्टर बटाला और इन्सपेक्टर जलालुद्दीन साहिब के सुपुर्द किया जो अहमदी नहीं थे। इन्होंने कुछ देर के बाद डी. एस. पी. को सूचना दी कि वह लड़का अपने पहले बयान पर क़ायम है और मुक़द्दमे के बारे में कुछ सच्चाई नहीं बताता। यदि फ़ुर्सत नहीं है तो उसको वापस अनारकली भेज दिया जाए। तब लीमार चन्द ने कहा कि उसे मेरे सामने उपस्थित करो। जब वह आया तो उसने पहली कहानी वर्णन की जो डॉक्टर क्लार्क के क़त्ल के लिए अमृतसर भेजने के बारे में पहले उसने मिर्ज़ा साहिब के बारे में वर्णन की थी। लीमार चन्द अपने बयान में कहते हैं –

"हमने दो पृष्ठ लिखे और उस को कहा कि हम केवल वास्तविकता मालूम करना चाहते हैं। अकारण समय क्यों बरबाद करते हो। इस बात के कहने पर अब्दुल हमीद हमारे पांव पर गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा, बड़ा लज्जित ज्ञात होता था और कहा कि मैं अब सच-सच बयान करता हूँ जो असल घटना है। और तब उसने वह बयान हमारे समक्ष कहा जो हमने शब्दशः उसके कहे अनुसार लिखा और अदालत में प्रस्तुत है।" देखो किताबुल बरिय्यः, रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ – 273, 274 एवं 290, 291

अब्दुल हमीद ने अपने बयान में यह भी कहा –

"कि पहला बयान डर कर तथा उसकाने पर लिखाया था।"

(किताबुल बरिय्यः रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 265)

और उसने इक़रार किया कि –

"शेख़ वारिस दीन, भगत प्रेमदास तथा एक अन्य ईसाई बूढ़ा अब्दुर्रहीम

मुझे सिखाते रहे।''

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 270)

अत: हाकिम ने भी अपने फ़ैसले में लिखा है कि-

''अब्दुर्रहीम, प्रेमदास और वारिसदीन निरन्तर झूठी गवाही तैयार करते रहे जो विवश होकर उन के कहने से उसे अदालत में देनी पड़ी।''

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 293)

डॉक्टर क्लार्क के प्रभाव में आकर पादरियों ने उसे ऐसे बहकाया और डराया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह उनका सिखाया हुआ, लिखित एवं मौखिक बयान बदल देगा। उसके फोटो लिए गए थे और फिर उसे यह कहा गया कि -

''डॉक्टर साहिब तुमको बचा लेंगे।'' और यह धमकी भी दी गई थी –

''कि तुम्हारी तस्वीर हमारे पास है जहां जाओगे पकड़े जाओगे।''

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 268)

और पादरी अब्दुल ग़नी ने जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेण्ट पुलिस ने अपने बयान में व्यक्त किया है उस से यह कहा था कि –

''पहले बयान के अनुसार बयान लिखवाना अन्यथा क़ैद हो जाओगे।''

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 274)

परन्तु इस बहकाने और डराने तथा समस्त सावधानियों के बावजूद जो पादरी साहिबों ने अब्दुल हमीद को अपने पहले झूठे बयान पर क़ायम रखने के लिए अपनाईं, उसका मूल सच्चाई पर क़ायम रहना और बयान बदलने के परिणामस्वरूप क़ैद इत्यादि के दण्ड से न डरना यह केवल ख़ुदाई हस्तक्षेप के अधीन था। इस प्रकार पादरियों के छल का ऐसा भेद खुला मानो उस की वास्तविकता को अल्लाह तआला ने नग्न करके दिखा दिया।

और पादरी ग्रे ने पत्र द्वारा यह बयान दिया कि अब्दुल हमीद पहले मेरे पास ईसाई होने के लिए आया था। परन्तु चूंकि वह निकम्मा और झूठा है और सच्चा अभिलाषी प्रतीत न हुआ इसलिए मैंने उसे पादरी नूरदीन के पास वापस

भेज दिया। जिस से स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में डॉक्टर क्लार्क के क़त्ल के लिए नहीं भेजा गया था अन्यथा वह सीधा उस के पास जाता।

याचिका कर्ता डॉक्टर क्लार्क ने अपने उस बयान को कि अब्दुल हमीद उसके क़त्ल के लिए भेजा गया था सच्चा सिद्ध करने के लिए लेखराम के क़त्ल की घटना को बतौर समर्थन प्रस्तुत किया था कि –

"उसके बाद इस (मिर्ज़ा साहिब) ने उन सब की मौत की भविष्यवाणी की जिन्होंने इस मुबाहसे में भाग लिया था। और मेरा हिस्सा बहुत ही भारी था उस समय से उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही शत्रुतापूर्ण रहा है। इस मुबाहसे के बाद विशेष रुचि का केन्द्र मिस्टर अब्दुल्लाह आथम रहा। उसके प्राण लेने के लिए चार पृथक कोशिशें की गईं........ और ये कोशिशें आमतौर पर मिर्ज़ा साहिब की ओर संबद्ध की गई हैं। उसकी मौत के बाद मैं ही उसके निशाने पर रहा हूं तथा कई एक अस्पष्ट ढंगों से यह भविष्यवाणी मिर्ज़ा साहिब की पुस्तकों में मुझे स्मरण कराई गई है, जिसके लिए सब से बड़ी वह कोशिश थी जिसको अब्दुलहमीद ने वर्णन किया। लाहौर में लेखराम की मौत के बाद जिसको सारे लोग मिर्ज़ा साहिब की ओर संबद्ध करते हैं, मेरे पास इस बात पर विश्वास करने के लिए विशेष कारण था कि मेरे प्राण लेने के लिए कोई न कई कोशिश की जाएगी।"

(किताबुल बरिय्यः रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 163, 164 उर्दू एडीशन)

अल्लाह तआला ने उनके छल एवं धोखे का भांडा ऐसे रंग में फोड़ा और उसकी वास्तविकता ऐसे ढंग से प्रकट की कि किसी को इस झूठ के समर्थन में खड़े रहने की शक्ति न रह सकी बल्कि छल करने वालों को स्वयं शर्मिन्दा होना पड़ा और याचिका कर्ता डॉक्टर क्लार्क को भी अपनी भलाई इसी में दिखाई दी कि वह याचिका को वापस ले ले। अतः उसकी याचिका पर हाकिम को यह लिखना पड़ा –

Dr. Clark states he wishes to resign the post of prosecutor.

अर्थात् डॉक्टर क्लार्क कहता है कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहता है। (किताबुल बरिय्यः रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 282 उर्दू एडीशन)

और अन्ततः हाकिम ने 23 अगस्त को यह फैसला सुनाया कि–

"हम कोई कारण नहीं पाते कि ग़ुलाम अहमद से अमन की सुरक्षा के लिए ज़मानत ली जाए या यह कि मुक़द्दमा पुलिस के सुपुर्द किया जाए। इसलिए **वह बरी किए जाते हैं।**"

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 301 उर्दू एडीशन)

इस प्रकार वह भविष्यवाणी जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, बड़ी शान से पूरी हुई कि ईसाई समूह का छल खुल जाएगा और ख़ुदा तआला नहीं रुकेगा जब तक दुश्मन के सम्पूर्ण छलों को प्रकट न कर दे और उनके छल को तबाह न कर दे और हम वास्तविकता को खोल कर रख देंगे, उस दिन मोमिन प्रसन्न होंगे।

इस भविष्यवाणी के अतिरिक्त अल्लाह तआला ने मुक़द्दमे से तीन दिन पूर्व अर्थात् 29 जुलाई 1897 ई. को जब कि पादरी अपनी भयानक योजना तैयार करने में व्यस्त थे, अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस विपत्ति के संबंध में सूचना दी। हज़रत अक़्दस अलैहिस्सलाम अपनी पुस्तक तिरयाक़ुल क़ुलूब के पृष्ठ-91 में इस निशान का वर्णन करते हुए लिखते हैं –

"29 जुलाई 1897 ई. को मैंने स्वप्न में देखा कि एक बिजली पश्चिम की ओर से मेरे मकान की ओर चली आती है, न उसके साथ कोई आवाज़ है और न उसने कोई हानि की है बल्कि एक चमकदार सितारे की तरह हल्की गति से मेरे मकान की ओर ध्यान दिया है और मैं उसको दूर से देख रहा हूं और जब वह निकट पहुंची तो मेरे दिल में तो यही है कि यह बिजली है परन्तु मेरी आंखों ने केवल एक छोटा सा सितारा देखा जिसको मेरा दिल बिजली समझता है फिर इसके पश्चात् मेरा दिल इस कश्फ़ से इल्हाम की ओर स्थानान्तरित किया गया तथा मुझे इल्हाम हुआ कि ما هذا إلّا تهديد الحكام अर्थात् यह जो देखा, इसका इसके अतिरिक्त कुछ प्रभाव नहीं कि अधिकारियों की ओर से कुछ डराने की कार्यवाही होगी इस से अधिक कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद इल्हाम हुआ– قَدابْتُلِى الْمُؤمنون अनुवाद – मोमिनों पर एक विपत्ति आई अर्थात् इस

मुक़द्दमे के कारण तुम्हारी जमाअत परीक्षा में पड़ेगी।"

इस से संबंधित दूसरे इल्हामों का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं –

"फिर इसके बाद यह इल्हाम हुआ कि विरोधियों में फूट और एक षड्यन्त्रकर्ता व्यक्ति का अपमान और लोगों की ओर से रुसवाई और निन्दा (और फिर अन्तिम आदेश बरीयत) अर्थात् निर्दोष ठहराना। तत्पश्चात् इल्हाम हुआ وفيه شيئ अर्थात् बरीयत तो होगी परन्तु उसमें कुछ चीज़ होगी (यह उस नोटिस की ओर संकेत था जो बरी करने के बाद लिखा गया था कि मुबाहसे का ढंग नर्म होना चाहिए) फिर इसके साथ यह भी इल्हाम हुआ –بلجت اٰياتى कि मेरे निशान प्रकाशमान होंगे। और उनके प्रमाण अधिक से अधिक प्रकट हो जाएंगे।"

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13 पृष्ठ 341-342)

XVII

राजा ग़ुलाम हैदर रीडर डी.सी. का बयान

इस स्थान पर (स्वर्गीय) राजा ग़ुलाम हैदर साहिब रिटायर्ड तहसीलदार निवासी रावलपिण्डी का वह बयान दर्ज कर देना आवश्यक मालूम होता है जो उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर सय्यिद बशारत अहमद साहिब को अपनी मृत्यु के निकट स्वयं लिखवाकर भिजवाया था और स्वर्गीय डॉक्टर साहिब ने अपनी पुस्तक 'मुजद्दिद-ए-आज़म' के हाशिए के पृष्ठ – 541, 544 में दर्ज किया है। राजा साहिब का यह बयान इस लिए भी ध्यान योग्य है कि वह अहमदी न थे। आप कहते हैं –

"मैं डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क वाले मुक़द्दमे के समय में डिप्टी कमिश्नर साहिब गुरदासपुर का रीडर (मिस्ल पढ़ने वाला) था। मैं पांच छ: दिन के अवकाश पर अपने घर रावलपिण्डी गया हुआ था। अवकाश से वापसी पर जब मैं अमृतसर पहुंचा और सेकन्ड क्लास के डिब्बे में रवानगी की आशा से बैठा हुआ था जो दो यूरोपियन लोग जिन में से एक तो डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क स्वयं था और दूसरा क्लार्क जो वकील था उस डिब्बे में पधारे। इतने में मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी साहिब भी आ गए और वह उसी सीट पर जहां मैं बैठा था, बैठ गए। डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क मेरी सियालकोट की नौकरी के दिनों के परिचित थे और मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब से भी अच्छा परिचय था। इसलिए परस्पर बातचीत आरंभ हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी भी डॉक्टर साहिब के सहयात्री हैं बल्कि उनका टिकट भी डॉक्टर साहिब ने खरीदा है। फिर डॉक्टर साहिब ने पुरानी मुलाक़ात के कारण मुझ से पूछा कि आप तो ज़िला सियालकोट में विभाग अधिकारी थे। अब कहां हैं? मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं ज़िला गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर का रीडर हूँ। तब उन्होंने कहा कि –

"तब तो शैतान का सर कुचलने के लिए आप बहुत उपयुक्त होंगे।" चूंकि

मैं तीनों लोगों से परिचित था इसलिए तुरन्त समझ गया कि डॉक्टर साहिब का संकेत किस ओर है। मैंने सरसरी तौर पर उत्तर दिया कि "निश्चित तौर पर प्रत्येक इन्सान का काम है कि वह शैतान का सर कुचले परन्तु मुझे मालूम नहीं कि आप के यह कहने का तात्पर्य क्या है?" तब डॉक्टर महोदय ने मिर्ज़ा साहिब का नाम लेकर कहा कि वह "बड़ा भारी शैतान है जिसका सर कुचलने के लिए हम और यह मौलवी साहिब घात में हैं। आप इक़रार करें कि आप हमें सहायता देंगे।"

चूंकि मैं इस बातचीत को लम्बा करना पसन्द नहीं करता था मैंने केवल इतना कह दिया कि "मुझे मालूम है कि आप का और मिर्ज़ा साहब क़ादियानी का मुकाबला है और मुक़द्दमा अदालत में दायर है। इसलिए मैं इस बात से क्षमा चाहता हूं कि इस मामले में अधिक बातचीत करूं जो शैतान है उसका सर स्वयं कुचला जाएगा।"

याद नहीं पड़ता कि इसके बाद और कोई बातचीत हुई या नहीं। मैं बटाला अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो गया क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहिब वहीं ठहरे हुए थे। दूसरे दिन जब प्रात: सैर के लिए निकले मिर्ज़ा साहिब के बहुत से संबंधियों से अनारकली (जो बटाला में ईसाइयों के गिर्जे और मिशन के मकान का नाम है लेखक) की सड़क पर मुझ से मुलाक़ात हुई। डॉक्टर क्लार्क साहिब जिस कोठी में ठहरे हुए थे वह सामने थी। हमने देखा कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब डॉक्टर क्लार्क के पास दरवाज़े के सामने एक मेज़ पर बैठे हुए थे। मौलवी फ़ज़्लदीन साहिब वकील मिर्ज़ा साहिब ने आश्चर्य के स्वर में कहा कि –

"देखो आज मुक़द्दमे में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब की गवाही है और आज भी यह व्यक्ति डॉक्टर क्लार्क का पीछा नहीं छोड़ता।"

इसके अतिरिक्त बंगले में अब्दुलहमीद जिसके बारे में बयान किया गया था कि मार्टिन क्लार्क के क़त्ल करने के लिए मिर्ज़ा साहिब ने उसे नियुक्त किया था, एक चारपाई पर बैठा हुआ था। राम भजदत्त वकील आर्य और पुलिस के कुछ आदमी उसके पास बैठे थे और यह भी देखा गया कि अब्दुल हमीद के हाथों पर कुछ निशान किए जा रहे हैं। अत: मिर्ज़ा साहिब के वकील ने इन दोनों

घटनाओं को नोट कर लिया और जब मुक़द्दमा प्रस्तुत हुआ तो प्रथम अब्दुल हमीद से मिर्ज़ा साहिब के वकील ने प्रश्न किया कि क्या वह मार्टिन क्लार्क की कोठी के इहाते में बैठा हुआ था और राम भजदत्त वकील और पुलिस वाले उस के पास थे? और क्या उसको मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध जो बयान देना था उस के लिए कुछ बातें समझा रहे थे और कुछ निशान उसके हाथों पर कर रहे थे। उस समय अब्दुल हमीद से कोई उत्तर न बन पड़ा। उसने रामभजदत्त इत्यादि की मौजूदगी को स्वीकार किया और जब उसके हाथ देखे गए तो बहुत से नीले और लाल पेन्सिल के निशान पाए गए जो ख़ुदा जाने किन-किन बातों के लिए उसके हाथ पर बतौर याददाश्त बनाए गए थे।

मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी की गवाही से पूर्व मौलाना नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो की गवाही हुई। उनकी सादा आकृति अर्थात् ढीली-ढाली सी बंधी हुई पगड़ी और कुर्ते का गिरेबान खुला हुआ और गवाही देने का ढंग बहुत साफ और सीधा-सादा ऐसा प्रभावी था कि स्वयं डिप्टी कमिश्नर साहिब प्रभावित हुए और कहा कि-

"ख़ुदा की क़सम यदि यह व्यक्ति कहे कि मैं मसीह मौऊद हूं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो उस पर पूरा-पूरा विचार करने के लिए तैयार हूँगा।"

मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो ने अदालत से पूछा कि "मुझे बाहर जाने की अनुमति है या इसी स्थान पर कमरे के अन्दर रहूं।" डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि -"मौलवी साहिब आप को अनुमति है जहां आप का जी चाहे जाएं।"

उनके बाद शैख रहमतुल्लाह साहिब की गवाही हुई......... और उनके बाद मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी गवाही के लिए अदालत के कमरे में दाखिल हुए और दाएं-बाएं देखा तो कोई अतिरिक्त कुर्सी पड़ी हुई दिखाई न दी। मौलवी साहिब के मुंह से पहला शब्द जो निकला वह यह था कि- "हुज़ूर कुर्सी।" डिप्टी कमिश्नर साहिब ने मुझ से पूछा कि- "क्या मौलवी साहिब को अधिकारियों के सामने कुर्सी मिलती है?" मैंने कुर्सी पर बैठने वालों की सूची

साहिब के सामने प्रस्तुत कर दी और कहा कि इसमें मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब या उनके पिता श्री का नाम तो दर्ज नहीं परन्तु जब कभी अधिकारियों से मिलने का संयोग होता है तो धर्म का विद्वान या एक जमाअत का लीडर होने के कारण वह उन्हें कुर्सी दे दिया करते हैं। इस पर डिप्टी कमिश्नर साहिब ने मौलवी साहिब को कहा कि -

"आप कोई सरकारी तौर पर कुर्सी नशीन नहीं हैं, आप सीधे खड़े हो जाएं और गवाही दें।"

तब मौलवी साहिब ने कहा कि - "मैं जब कभी लाट साहिब के पास जाता हूं तो मुझे कुर्सी पर बैठाया जाता है। मैं अहले हदीस का लीडर हूं। "तब डिप्टी कमिश्नर साहिब ने गर्म शब्दों में डांटा और कहा –

"व्यक्तिगत तौर पर यदि लाट साहिब ने तुम्हें कुर्सी पर बैठाया तो इस का यह मतलब नहीं है कि अदालत में भी तुम्हें कुर्सी दी जाए।"

खैर, गवाही आरंभ हुई तो मौलवी साहिब ने जितने आरोप किसी व्यक्ति के बारे में लगाए जा सकते हैं मिर्ज़ा साहिब पर लगाए परन्तु जब हज़रत मिर्ज़ा साहिब के वकील मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब ने जिरह में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी से क्षमा मांग कर इस प्रकार का प्रश्न किया जिस से उनकी सुशीलता (शराफ़त) या चरित्र पर धब्बा लगता था तो सब दर्शकों ने आश्चर्य पूर्वक देखा कि मिर्ज़ा साहिब अपनी कुर्सी से उठे और मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब के मुंह पर हाथ रख दिया और फ़रमाया कि -

"मेरी ओर से इस प्रकार का प्रश्न करने का न तो निर्देश है और न ही अनुमति है। आप अपनी ज़िम्मेदारी पर अदालत की आज्ञा से यदि पूछना चाहें तो आपको अधिकार है।"

स्वाभाविक तौर पर साहिब डिप्टी कमिश्नर बहादुर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या इस प्रश्न के बारे में तुम्हें कुछ हाल मालूम है। मैंने 'नहीं' में उत्तर दिया, परन्तु कहा कि यदि आप मालूम करना चाहते हैं तो आप जब लंच (दोपहर का भोजन) के लिए उठेंगे तो मैं मालूम करने का प्रयास

करूंगा। अत: जब ज़ुहर की नमाज़ का समय हुआ तो डिप्टी कमिश्नर साहिब लंच के लिए उठ गए तो मैंने शेख रहमतुल्लाह साहिब के माध्यम से हज़रत मिर्ज़ा साहिब से मालूम कराया कि माजरा क्या है? हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने अत्यन्त अफसोस के साथ शेख़ रहमतुल्लाह साहिब को बताया कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के पिता का एक पत्र हमारे पास है, जिसमें कुछ निकाह के हालात और मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के दुर्व्यवहार के किस्से हैं जो अत्यन्त आपत्तिजनक हैं, परन्तु साथ ही हज़रत मिर्ज़ा साहिब ने फ़रमाया कि हम कदापि नहीं चाहते कि उस क़िस्से का वर्णन मिस्ल पर लाया जाए या डिप्टी कमिश्नर साहिब उस से प्रभावित होकर कोई राय क़ायम करें। मैंने शेख रहमतुल्लाह साहिब से सुन कर लंच वाले कमरे में जाकर डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के सामने जो डिप्टी कमिश्नर के साथ लंच में शामिल थे, डिप्टी कमिश्नर साहिब को यह वृत्तान्त सुना दिया। इस पर डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क स्वयं बहुत हंसे। डिप्टी कमिश्नर साहिब ने कहा कि यह बात तो हमारे अधिकार में है कि हम इस वृत्तात्त को न लिखें परन्तु यह बात हमारे अधिकार से बाहर है कि हमारे दिल पर प्रभाव (असर) न हो। लंच के बाद जब मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी साहिब दोबारा जिरह के लिए अदालत में उपस्थित हुए तो मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब वकील ने उन से प्रश्न किया कि आप आज डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब की कोठी पर उनके पास बैठे हुए थे? तो उन्होंने साफ़ इन्कार कर दिया, जिस पर मैं सहसा चौंक पड़ा। डिप्टी कमिश्नर साहिब ने मुझ से इस चौंकने का कारण पूछा तो मैंने डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क की ओर संकेत किया। साहिब बहादुर ने डॉक्टर क्लार्क से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट इक़रार किया कि -"हां मेरे पास बैठे हुए इस मुक़द्दमे के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब वकील ने पूछा कि –"आप इन दिनों अमृतसर से बटाला तक डॉक्टर क्लार्क के सहयात्री (हमसफ़र) थे? और आप का टिकट भी डॉक्टर साहिब ने खरीदा था? तो मौलवी साहिब साफ़ इन्कारी हो गए। कभी-कभी मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति ऊंचे स्वर में कर गुज़रता है। यही हाल उस समय मेरा भी हुआ। मेरे मुंह से

सहसा निकला कि "यह तो बिल्कुल झूठ है।" तब डॉक्टर मार्टिन क्लार्क साहिब से डिप्टी कमिश्नर साहिब ने पुन: पूछा तो उन्होंने इक़रार किया कि "मौलवी साहिब मेरे सहयात्री थे और उन का टिकट भी मैंने ही खरीदा था।"★इस पर

★ मौलवी मुहम्मद हुसैन के स्पष्ट झूठे बयानों के मुकाबले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सत्याचरण देखिए। आप के वकील मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब ने जो ग़ैर अहमदी थे, वर्णन किया कि बड़े-बड़े सदाचारी पुरुष जिनके बारे में कभी भ्रम भी नहीं आ सकता था कि वे किसी प्रकार के प्रदर्शन एवं दिखावे से काम लेंगे। उन्होंने मुक़द्दमों के सिलसिले में यदि कानूनी मशवरे के अन्तर्गत अपने बयान को बदलने की आवश्यकता समझी तो नि:संकोच बदल दिया। परन्तु मैंने अपनी आयु में मिर्ज़ा साहिब को ही देखा है जिन्होंने सच के स्थान से क़दम नहीं हटाया। मैं उनके एक मुक़द्दमे में वकील था। उस मुकद्दमे में मैंने उनके लिए एक कानूनी बयान तैयार किया और उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा कि इसमें तो झूठ है। मैंने कहा कि अपराधी का बयान हलफ़ी नहीं होता और कानूनी तौर पर उसे अनुमति है जो चाहे बयान करे। इस पर आपने फ़रमाया – "कानून ने तो उसे अनुमति दे ही है कि जो चाहे बयान करे, परन्तु ख़ुदा तआला ने तो अनुमति नहीं दी कि वह झूठ भी बोले और न कानून ही का यह आशय है। अत: मैं ऐसे बयान के लिए कभी तैयार नहीं हूं जो घटनाओं के विरुद्ध हो मैं सही-सही बात प्रस्तुत करूंगा।" मौलवी साहिब कहते थे कि मैंने कहा - "आप जानबूझ कर स्वयं को विपत्ति में डालते हैं उन्होंने फ़रमाया जान-बूझ कर विपत्ति में डालना यह है कि मैं क़ानूनी बयान देकर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए अपने ख़ुदा को नाराज़ कर लूं। यह मुझ से नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो।" मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब कहते थे कि ये बातें मिर्ज़ा साहिब ने ऐसे जोश से वर्णन कीं कि उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का प्रताप और तेज था। मैंने यह सुनकर कहा कि फिर मेरी वकालत से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने कहा – मैंने कभी भ्रम भी नहीं किया कि आपकी वकालत से लाभ होगा या किसी अन्य व्यक्ति की कोशिश से लाभ होगा और न मैं समझता हूं कि किसी का विरोध मुझे तबाह कर सकता है। मेरा भरोसा तो ख़ुदा पर है जो मेरे दिल को देखता है। आप को वकील इसलिए किया है कि साधनों का प्रयोग सम्मान का मार्ग है और मैं चूंकि जानता हूं कि आप अपने काम में ईमानदार हैं इसलिए आप को नियुक्त किया है। "मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब कहते थे कि मैंने पुन: कहा कि मैं तो यही बयान प्रस्तावित करता हूं। मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि" नहीं, जो बयान मैं स्वयं लिखता हूं परिणाम और अंजाम से बेपरवाह होकर वही दाखिल करो। उसमें एक शब्द भी परिवर्तित न

डिप्टी कमिश्नर हैरान हो गए। अन्ततः उन्होंने यह नोट मौलवी मुहम्मद हुसैन की गवाही के अन्त में लिखा कि "गवाह को मिर्ज़ा साहिब से दुश्मनी है जिस के कारण उसने मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध बयान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए और अधिक गवाही लेने की आवश्यकता नहीं।"

मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब गवाही के बाद अदालत के कमरे से बाहर निकले तो बरामदे में एक आराम कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गए। कान्सटेबल ने वहां से उन्हें उठा दिया कि "पुलिस कप्तान साहिब का आदेश नहीं है।" फिर मौलवी साहिब एक बिछे हुए कपड़े पर जा बैठे, जिनका कपड़ा था उन्होंने यह कह कर कपड़ा खींच लिया कि मुसलमान होकर, लीडर कहला कर और फिर इस प्रकार स्पष्ट झूठ बोलना। बस हमारे कपड़े को अपवित्र (नापाक) न कीजिए। "तब मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ियल्लाहु अन्हो ने उठकर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप यहां हमारे पास बैठ जाएं। हर एक चीज़ की सीमा होनी चाहिए।"

निष्कर्ष यह कि इस मुक़द्दमे से अल्लाह तआला के निशान दोपहर के सूर्य के समान चमके। इस से एक तो भविष्यवाणी के अनुसार पादरियों के छल तथा षड्यंत्र को अल्लाह तआला ने बेनक़ाब कर दिया।

दूसरे आथम के क़सम खाने पर चार हज़ार रुपए बतौर ईनाम देने के वादे के उत्तर में पादरियों तथा आथम की ओर से जो यह बहाना प्रस्तुत किया गया था कि उन के धर्म में क़सम खाना अवैध है और डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क के कथनानुसार ऐसा ही अवैध (हराम) है जैसा कि मुसलमानों के नज़दीक सुअर का

शेष हाशिया - किया जाए और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आपको कानूनी बयान से वह अधिक प्रभावी होगा और जिस परिणाम का आप को भय है, वह प्रकट नहीं होगा बल्कि अंजाम इन्शाअल्लाह अच्छा होगा। और यदि मान लिया जाए कि दुनिया की नज़र में अंजाम अच्छा न हो अर्थात् मुझे दण्ड मिल जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं क्योंकि मैं उस समय इसलिए प्रसन्न हूंगा कि मैंने अपने रब्ब की अवज्ञा (नाफ़रमानी) नहीं की।

(अलहकम 14 नवम्बर 1934 ई.)

मांस खाना हराम है, असत्य सिद्ध हो गया। और इन पादरियों ने स्वयं अपनी ओर से अदालत में मुक़द्दमा ले जाकर क़समें खाकर बयानात दिए जिस से स्पष्ट हो गया कि हलफ़ की मांग के उत्तर में आथम का इस कारण क़सम खाने से इन्कार करना कि उन के धर्म में क़सम खाना वैध नहीं, सच को छुपाने के लिए केवल एक बहाना था।

तीसरे पादरियों ने जानबूझ कर क़दम-क़दम पर इस मुक़द्दमे में झूठ बोला और अब्दुल हमीद को बहला-फुसला कर तथा डरा-धमका कर उस से झूठे बयान दिलवाए। जिस से सिद्ध हो गया कि निस्सन्देह पादरियों का गिरोह ही वह दज्जाली गिरोह है जिसके बारे में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी की थी।

चौथे इस मुक़द्दमे से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कई तरह से समरूपता सिद्ध होकर आपकी सच्चाई प्रकट हुई। इन समरूपताओं में से सात का वर्णन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी पुस्तक के पृष्ठ 45, 46 में किया है और कुछ का वर्णन आप ने अपनी पुस्तक "कश्ती नूह" में किया है।

पांचवे इस मुक़द्दमे में मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के अपमानित होने से संबंधित अल्लाह तआला का इल्हाम – اِنِّیْ مُھِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِھَانَتَکَ

कि मैं उसे अपमानित कर दूंगा जो तेरे अपमान का इच्छुक है, अत्यन्त सफ़ाई से पूरा हुआ। (किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13, पृष्ठ 36, 37)

पिलातूस द्वितीय

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कैप्टन डगलस (जो बाद में कर्नल हो गए थे) के न्याय और इन्साफ़ का अपनी बहुत सी पुस्तकों में प्रशंसा के रंग में वर्णन किया है और उन्हें पिलातूस की उपाधि देकर हज़रत मसीह नासिरी अलैहिस्सलाम के युग के पिलातूस से अधिक बहादुर और निडर तथा न्याय और इन्साफ़ को अधिक क़ायम करने वाला ठहराया है।

1939 ई. में मैंने तब्लीग़ दिवस के आयोजन पर कर्नल डगलस को दारुत्तब्लीग़ लन्दन में जल्से की अध्यक्षता के लिए बुलाया था और मैंने अपने भाषण में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वे लेख सुनाए थे और उन्होंने मुक़द्दमे की घटनाएं सुनाई थीं। चालीस वर्ष से अधिक समय गुज़रने के बावजूद उनको मुक़द्दमे की घटनाएं याद थीं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की शक्ल की याद उन के मस्तिष्क में ताज़ा रहती थी। आपने बताया कि मैंने एक बार मिर्ज़ा साहिब की तस्वीर क़ाग़ज़ पर खींची और फिर उसके बाद मुझे आप की फोटो देखने का संयोग हुआ तो बिल्कुल अपनी खींची हुई तस्वीर के अनुसार पायी। आगे उन्होंने बताया कि डॉक्टर क्लार्क की शक्ल मेरे मस्तिष्क से बिल्कुल उतर गई है और उस मीटिंग के सभापति के भाषण में उन्होंने जमाअत अहमदिया के बारे में फ़रमाया–

"मुझ से बार-बार प्रश्न किया गया है कि अहमदियत का सब से बड़ा उद्देश्य क्या? मैं इस प्रश्न का यही उत्तर देता हूं कि इस्लाम में रूहानियत (आध्यात्मिकता) की रूह फूंकना और इस्लाम को वर्तमान युग के जीवन के अनुसार प्रस्तुत करना है। मैंने जब 1897 ई. संस्थापक अहमदिया जमाअत के विरुद्ध मुक़द्दमे की सुनवाई की थी उस समय जमाअत की संख्या कुछ सौ से अधिक न थी, परन्तु आज दस लाख से भी अधिक है। पचास वर्ष के समय में यह बहुत शानदार सफलता है और मुझे विश्वास है कि वर्तमान नस्ल के नौजवान इसकी ओर अधिक ध्यान देंगे और भावी पचास वर्ष के समय में जमाअत की संख्या बहुत बढ़ जाएगी।"

(रीव्यू आफ़ रिलीजन्स उर्दू संस्करण सितम्बर 1939 ई.)

"कर्नल डगलस का वर्णन हमारी जमाअत में क़यामत तक बाक़ी रहेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनकी न्याय प्रियता और दूरदर्शिता और सत्य प्रियता का वर्णन करके फ़रमाते हैं "जब तक दुनिया क़ायम है और जैसे-जैसे यह जमाअत लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, वैसे-वैसे प्रशंसा के साथ इस नेक नीयत हाकिम का वर्णन रहेगा और यह उसका सौभाग्य है कि ख़ुदा तआला ने इस काम के लिए उसी को चुना।"

(कश्ती नूह, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 पृष्ठ-56)

कर्नल डगलस (विलियम मॉन्टेगो) मस्जिद फज़ल लन्दन में
मौलाना जलालुद्दीन शम्स इमाम मस्जिद लन्दन के साथ

फ़ोटो 1939 ई०

मौलाना जलालुद्दीन शम्स इमाम मस्जिद फज़ल लन्दन और कर्नल डगलस (विलियम मॉन्टेगो) मस्जिद के प्रांगण में वार्तालाप करते हुए

कर्नल डगलस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक महान रिफ़ार्मर अर्थात् सुधारक समझते थे।

बीस हज़ार रुपए का इनाम

किताबुल बरिय्य: में आप अलैहिस्सलाम ने तमाम उलेमा हज़रात को सम्बोधित करते हुए लिखा -

"कि किसी मर्फ़ूअ मुत्तसिल हदीस में आसमान का शब्द नहीं पाया जाता और नुज़ूल का शब्द अरब के मुहावरे में मुसाफ़िर के लिए बोल जाता है और नज़ील मुसाफ़िर को कहते हैं ...... अगर इस्लाम के सब फ़िर्कों की हदीस की पस्तकें तलाश करो तो सही हदीस तो क्या वज़ई हदीस (मंगढ़त, झूठी) भी ऐसी नहीं पाओगे जिसमें यह लिखा हो कि हज़रत ईसा पार्थिव शरीर के साथ आसमान पर चले गए हैं और फिर किसी युग में पृथ्वी की ओर वापस आएंगे। यदि कोई ऐसी हदीस प्रस्तुत करे तो हम ऐसे व्यक्ति को **बीस हज़ार रुपए** तक जुर्माना दे सकते हैं और तौबा करना तथा अपनी सम्पूर्ण पुस्तकों को जला देना इस के अतिरिक्त होगा।"

(किताबुल बरिय्य: रूहानी ख़ज़ायन जिल्द 13, हाशिया पृष्ठ- 225, 226)

आज तक किसी आलिम को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस चैलेन्ज को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ और ऐसी कोई मर्फ़ूअ मुत्तसिल हदीस प्रस्तुत नहीं कर सका जिस में मसीह अलैहिस्सलाम के पार्थिव शरीर के साथ आसमान पर जाने और फिर आसमान से उतरने का वर्णन हो।

टाइटल प्रथम संस्करण

الہام - الیس اللہ بکاف عبدہ - فبراہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا - واللہ موھن کید الکافرین - ولنجعلہ
ابتلی المومنون - ماھذا الا تھدید الحکام - انّ الذی فرض علیك القرآن لرادّك الی معاد - انی مع الافواج
رحمان ہوں - میں مخالفوں میں پھوٹ ڈالوں گا - (اسمیں یہ اشارہ ہے کہ آخر عبد الحمید اور پادری گرے اور نوردین
کا وعدہ اس مقدمہ سے اٹھارہ برس پہلے دیا گیا تھا وہی وعدہ دوبارہ اس الہام میں لفظ ابراء کیساتھ
قبول کرسکتا ہے کہ ایک جماعت بڑے بڑے معززوں کی جن میں تعلیم یافتہ ایم اے

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن

بماہ
جنوری سنہ ۱۸۹۸

کتاب البریۃ
مع
آیات رب البریۃ

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں چھپی

تعداد جلد ۷۰۰

اصل لفظ الہام کے بٹالوی کی نسبت بہت سخت تھے ہمنے نرم الفاظ میں اُن کا ترجمہ کردیا ہے پس کوئی شخص ہماری جماعت میں سے یہ خیال نہ کرے کہ

अनुवाद- टाइटल पेज प्रथम संस्करण

شـهرُ رمضان الذی انزل فیه القران
महीना जनवरी 1898 ई.

इल्हाम:-

الیس اللّٰہ بکافٍ عبدہ۔ فبرّاہ اللّٰہ ممّا قالوا و کان عنداللّٰہ وجیھا۔ واللّٰہ موھن کید الکافرین۔ و لنجعلہ اٰیۃ للناس ورحمۃ منّا و کان امرًا مقضیا

(बराहीन-ए-अहमदिया पृष्ठ - 516)

क्या यह सिद्ध नहीं हुआ कि अपने बन्दे के लिए ख़ुदा पर्याप्त है? ख़ुदा ने उसको उस इल्ज़ाम से बरी किया जो उस पर लगाया गया था और ख़ुदा ने यही करना था कि वह काफ़िरों के षड्यन्त्र को सुस्त और प्रभावहीन कर देता। और हम इस कार्यवाही को कुछ लोगों के लिए दया का निशान बना देंगे कि इस से उन का ईमान मज़बूत होगा और यह बात प्रारंभ से मुक़द्दर थी। (देखो बराहीन अहमदिया पृष्ट-516) यह भविष्यवाणी बराहीन अहमदिया में इस मुक़द्दमे से अठारह वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी और फिर मुक़द्दमे से तीन महीने पहले निम्नलिखित इल्हाम इस आज़माइश के बारे में हुए-

قد ابتلی المؤمنون۔ ماھذا إلّا تھدید الحکّام۔ انّ الذی فرض علیک القرآن لرادّک الیٰ معاد۔ انی مع الافواج آتیک★ بغتۃً۔ یاتیک نصرتی انی انا الرحمن ذو المجد و العلیٰ۔

विरोधियों में फूट..... और एक षड्यन्त्रकारी मनुष्य का अपमान और

★ डॉक्टर क्लार्क के मुक़द्दमे से लगभग दो माह पूर्व मुझे एक स्वप्न में दिखाई दिया कि एक बिजली मेरे मकान की ओर आई है परन्तु पूर्व इसके कि गिरे, वापस चली गई। और फिर इल्हाम हुआ कि कुछ नहीं केवल अधिकारियों की ओर से एक धमकी है और फिर इल्हाम हुआ कि صادق آں باشد کہ ایام بلا مے گزارد با محبت باوفا इस से मैंने समझा कि अधिकारियों की ओर से कुछ मुसीबत आएगी और इस समयानुकूल इल्हाम के विचार से तुरन्त मेरे दिल और रूह से यह शेर निकला मानो उस का दूसरा चरण है-

گر قضا را عاشقے گردد اسیر بوسد آں زنجیر را کز آشنا इसी से

निन्दा और लोगों की लानतान* (और अन्तिम आदेश) बरीयत का निर्दोष ठहराना بلجت ایاتی अर्थात् तुझ पर और तेरे साथ के मोमिनों पर अधिकारियों की गिरफ़्त की आज़माइश आएगी और आज़माइश केवल धमकी होगी, इससे अधिक कुछ नहीं। वह ख़ुदा जिस ने क़ुर्आन की सेवा तेरे सुपुर्द की है फिर तुझे क़ादियान में वापस लाएगा। मैं अपने फ़रिश्तों के साथ अचानक तेरी सहायता करूंगा। मेरी सहायता तुझे पहुंचेगी। मैं प्रतापवान, बुलन्द शान वाला रहमान (बिना मांगे देने वाला) हूँ। मैं विरोधियों में फूट डालूंगा। (इसमें यह संकेत है कि अन्त में अब्दुल हमीद और पादरी ग्रे और नूरदीन ईसाई विरोधपूर्ण बयान देंगे) और यह वाक्य कि '(उस) षड्यन्त्रकारी मनुष्य का अपमान तथा लोगों की (ओर से) निन्दा' यह मुहम्मद हुसैन की ओर संकेत है कि कुर्सी के मामले में और फिर पादरियों के विरुद्ध गवाही की घटना पर भिन्न-भिन्न प्रकार का अपमान तथा उसको लोगों की मलामत का सामना करना पड़ा और अन्ततः यह होगा कि तुम्हें बरी और निर्दोष ठहराया जाएगा और मेरा निशान प्रकट होगा।'' यह ख़ुदा तआला की ओर से भविष्यवाणी है जिस के बारे में समय से पूर्व लगभग दो सौ प्रतिष्ठित दोस्तों को सूचना दी गई थी। और जैसा कि बराहीन अहमदिया पृष्ठ 516 में बरी करने का वादा इस मुक़द्दमे से अठारह वर्ष पूर्व दिया गया था, वही वादा दोबारा इस इस्लाम में शब्द इब्रा (बरी होना) के साथ दिया गया, जिसकी आंखें देखने की हों देखे कि यह कैसा निशान है, और पड़ताल करे कि क्या यह सच है कि नहीं कि कई महीने पहले बहुत से लोगों को इस की ख़बर दी गई थी और उपरोक्त इल्हाम सुनाए गए थे। और अठारह वर्ष पूर्व बराहीन अहमदिया में इस का वर्णन हो चुका था कि समय से पूर्व यह ख़बर इस जमाअत के लिए बतौर निशान ठहरेगी। फिर ऐसा ही हुआ और हमारी जमाअत ने ये सब इल्हाम समय से पूर्व सुने तो उनके ईमान

---

* बटालवी के बारे में इल्हाम के असल शब्द बहुत कठोर थे, हम ने नर्म शब्दों में उनका अनुवाद कर दिया है। इसलिए हमारी जमाअत में से कोई व्यक्ति यह न सोचे कि वे असल इल्हामी शब्द क्यों नहीं लिखे गए। इसी से

में मज़बूती और वृद्धि का कारण हुए। क्या कोई नेक दिल स्वीकार कर सकता है कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोगों की एक जमाअत जिनमें शिक्षा प्राप्त एम.ए., बी.ए., एल.एल.बी., तहसीलदार, एक्सट्रा असिस्टेण्ट, रईस, व्यापारी, उलेमा और वकील सम्मिलित हैं, वे मेरे लिए झूठ बोलें? अत: चूंकि ख़ुदा तआला ने इस मुक़द्दमे में समूहों को पराजय दी और उनमें फूट डाली और मेरे अपमान की इच्छा रखने वाले बटालवी को अपमानित किया और समय से पूर्व सब हाल बता दिया। इसलिए इस महान निशान की दृष्टि से इस मुबारक पुस्तक का नाम यह रखा गया-

किताबुल बरिय्य:
मअ आयात-ए-रब्बिल बरिय्य:

(अर्थात ख़ुदाई निशानों द्वारा बरीयत का फैसला)

ज़ियाउल इस्लाम प्रेस क़ादियान से प्रकाशित

चूंकि पंजाब और हिन्दुस्तान के अधिकांश ज़िलों में मेरे अनुयायी हैं और हो रहे हैं इसलिए अधिकारियों की जानकारी के लिए यह विज्ञापन प्रत्येक ज़िले में भेजा जाएगा। आशा है कि हमारे आदरणीय अधिकारीगण इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।

अभिव्यक्त करने योग्य विज्ञापन

जो विशेष रूप से इसलिए प्रकाशित किया जा रहा है ताकि माननीय सरकार क़ैसरा-ए-हिन्द ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करे। और इसी प्रकार अपने अनुयायियों की जानकारी तथा मार्गदर्शन हेतु प्रकाशित किया गया है।

मैं अपने मित्रों और जनसाधारण को सूचित करता हूं कि मुझ पर जो यह आरोप लगाया गया था कि मानो मैंने एक व्यक्ति अब्दुलहमीद नामक को डाक्टर क्लार्क का क़त्ल करने के लिए भेजा था, वह मुक़द्दमा अल्लाह तआला के फ़ज़्ल (कृपा) से निराधार सिद्ध होकर 23 अगस्त 1897 ई को कप्तान एम. डब्ल्यू डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर बहादुर ज़िला गुरदासपुर की अदालत से खारिज किया गया। चूंकि अल्लाह तआला को इस मुक़द्दमे की वास्तविकता प्रकट करना अभीष्ट था इसलिए उसने एक ऐसे दूरदर्शी, पराक्रमी, न्यायवान, सत्यप्रिय, ख़ुदा से डरने वाले अधिकारी अर्थात् जनाब कप्तान **एम. डब्ल्यू. डगलस साहिब** डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर के हाथ में यह मुक़द्दमा दिया, जिसकी पवित्र अन्तर्आत्मा इस बात पर सन्तुष्ट न हो सकी कि जो इज़हार अर्थात् पहला बयान अब्दुल हमीद ने अमृतसर के मजिस्ट्रेट के सामने तथा इस अदालत में दिया था, वह सही है। अत: कप्तान साहिब ने अधिक छानबीन के लिए **कप्तान लीमार चन्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस** को आदेश दिया कि स्वयं अब्दुल हमीद से मुक़द्दमे की वास्तविकता मालूम करें। इसके पश्चात् जनाब कप्तान लीमार चन्ड साहिब ने जिस सावधानी, नेकनीयती, विवेक, ध्यान, न्याय और इन्साफ़ से इस मुक़द्दमे की जांच-पड़ताल में काम लिया, वह भी विशेष न्यायप्रिय, नेक नीयत और दूरदर्शी अधिकारी के

अतिरिक्त प्रत्येक का काम नहीं। अत: इन अधिकारियों का नेक स्वभाव, नेक नीयत तथा न्यायप्रिय होना और सदैव से न्याय और इन्साफ पसन्दी का अभ्यस्त होना और पूर्ण जांच-पड़ताल से काम लेना, यही वे कारण थे जो ख़ुदा ने मेरी रिहाई (बरीयत) के लिए पैदा किए तथा डिप्टी कमिश्नर साहिब और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेन्डेण्ट पुलिस की नेक नीयती तथा न्यायप्रियता और भी अधिक स्पष्ट होती है जबकि इस बात पर विचार किया जाए कि यह मुक़द्दमा वास्तव में एक ईसाई समुदाय की ओर से था और यद्यपि उन में प्रत्यक्ष तौर पर पैरवी करने वाला एक ही व्यक्ति था, किन्तु परामर्श देने और सहायता करने में देश के कई ईसाइयों का हाथ था। वास्तव में इस न्याय और इन्साफ़ ने पब्लिक के दिलों में दोनों महानुभावों के अत्यंत प्रशंसनीय गुणों तथा विशेषताओं का सिक्का जमा दिया है कि ऐसा मुक़द्दमा जो धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया था उसमें अपनी क़ौम और धर्म की कुछ भी रियायत नहीं की गई और अत्यन्त न्यायपूर्ण ढंग से वह मार्ग अपनाया गया जिसको न्याय चाहता था। मेरे विचार में यह एक ऐसा उत्तम नमूना है जो इतिहास के पन्ने में सदैव के लिए यादगार रहेगा।

जनाब डिप्टी कमिश्नर बहादुर की नेक नीयती और सत्यनिष्ठा का एक और भी बड़ा भारी सबूत है और वह यह है कि बावजूद इसके कि उन्होंने अब्दुल हमीद मुख़बिर का पहला बयान सर्वांगपूर्ण तौर पर लिख लिया था और उसके समर्थन में पांच गवाह भी गुज़र चुके थे तथा साहब बहादुर हर प्रकार से अधिकार रखते थे कि उन बयानों पर विश्वास कर लेते, किन्तु मात्र इन्साफ़ और न्याय के आकर्षण ने उनके हृदय को पूर्ण सन्तुष्टि से रोक दिया और उनकी सत्यनिष्ठ अन्तर्आत्मा बोल उठी कि इन बयानों में सच्चाई का प्रकाश नहीं है। इसलिए उन्होंने कप्तान साहिब पुलिस को और छान-बीन के लिए इशारा किया। इसी प्रकार जब डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेण्ट को पुलिस के अफ़सरों ने सूचना दी कि मुख़बिर अब्दुल हमीद अपने पहले बयान पर ही क़ायम है उसको जाने की आज्ञा दी जाए तो साहिब बहादुर की अन्तर्आत्मा ने यही चाहा कि वह स्वयं भी उस से मालूम करें। यदि अधिकारियों की इस स्तर तक नेकनीयत, ध्यान और परिश्रम न होता तो कदापि संभव न था कि इस मुक़द्दमे की

वास्तविकता खुलती। हम दिल से **दुआ** करते हैं कि ख़ुदा तआला ऐसे अधिकारियों को जो हर जगह न्याय को दृष्टिगत रखते हैं और पूरी छानबीन से काम लेते हैं और आदेशों को जारी करने में जल्दी नहीं करते, हमेशा प्रसन्न रखे तथा प्रत्येक विपत्ति से सुरक्षित रख कर अपने उद्देश्यों में सफल करे।

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि डाक्टर क्लार्क साहिब ने केवल अन्याय और झूठे तौर पर अपने बयान में कई जगह मेरे चाल-चलन पर अत्यंत लज्जाजनक प्रहार किया था। यदि ऐसे न्यायप्रिय मजिस्ट्रेट की अदालत में उन समस्त प्रहारों के बारे में मेरा उत्तर लिया जाता तो डाक्टर साहिब के षड्यंत्रों की वास्तविकता खुल जाती। परन्तु चूंकि न्यायप्रिय अधिकारी के हृदय पर उस मुक़द्दमे की झूठी बुनियाद की पूरी वास्तविकता खुल गई थी जिसके समर्थन में ये समस्त आरोप प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए अदालत ने मुक़द्दमे को लम्बा करने की आवश्यकता नहीं समझी। यद्यपि डाक्टर क्लार्क साहिब के अधिकांश वाक्य जो अत्यन्त दिल दुखाने वाले, सर्वथा झूठ, लांछन और कम से कम मानहानि की सीमा तक पहुंच गए थे, मुझे यह अधिकार देते थे कि उन अनुचित और झूठे आरोपों का अदालत के द्वारा निवारण करूं। परन्तु मैं पीड़ित होने के बावजूद किसी को कष्ट देना नहीं चाहता और उन सम्पूर्ण बातों को ख़ुदा के सुपुर्द करता हूं।

यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टर क्लार्क साहिब ने अपने बयान में कहीं सांकेतिक तौर पर और कहीं विस्तृत तौर पर मेरे बारे में वर्णन किया है कि मानो मेरा अस्तित्व सरकार के लिए ख़तरनाक है, परन्तु मैं इस विज्ञापन के माध्यम से हाकिम लोगों को **सूचना** देता हूं कि मेरे बारे में ऐसा विचार एक **बहुत बड़ा अन्याय है।** मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूं जो इस सरकार का पक्का शुभचिन्तक है। मेरा पिता मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा सरकार की नज़र में एक वफादार और शुभ चिन्तक व्यक्ति था जिसे गवर्नर के दरबार में कुर्सी मिलती थी और जिनकी चर्चा मिस्टर ग्रीफन साहिब के "पंजाब के रईसों का इतिहास" में है तथा 1857 ई. में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर अंग्रेज़ी सरकार को सहायता दी थी अर्थात् पचास सवार और घोड़े उपलब्ध कराके ठीक ग़दर के समय अंग्रेज़ी सरकार की सहायता के लिए दिए थे। उन

सेवाओं के कारण हाकिमों की ओर से जो प्रशंसापत्र उनको मिले थे, मुझे खेद है कि उन पत्रों में से बहुत से पत्र खो गए परन्तु तीन पत्र जो काफी समय पूर्व छप चुके हैं उनकी नक़्लें हाशिए में दर्ज की गई हैं☆ फिर मेरे पिता श्री के स्वर्गवास के पश्चात् मेरा बड़ा भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर सरकारी सेवाओं में व्यस्त रहा और

☆**हाशिया:**

نقل مراسلہ
(ولسن صاحب)
نمبر ۳۵۳

تہور پناہ شجاعت دستگاہ مرزا غلام مرتضٰی رئیس قادیاں حفظہ

عریضہ شما مشعر بریاد دہانی خدمات و حقوق خود و خاندان خود بملا حظہ حجور اینجانب در آمد ماخوب میدانیم کہ بلاشک شما و خاندان شما از ابتدائے دخل و حکومت سرکار انگریزی جان نثار و فا کیش ثابت قدم ماندہ اید۔ وحقوق شما در اصل قابل قدر راند۔ بہر نہج تسلی و تشفی دارید۔ سرکار انگریزی حقوق وخدمات خاندان شمارا ہرگز فراموش نہ خواہد کرو بموقعہ مناسب بر حقوق و خدامت شما غور و توجہ کردہ خواہد شد۔ باید کہ ہمیشہ ہوا خواہ و جان نثار سرکار انگریزی بمانند کہ دریں امر خوشنودی سرکار و بہبودی شما متصوراست۔ فقط

المرقوم ۱۱ جون ۱۸۴۹ مقام لاہور انار کلی

Translation of Certificate of J.M. Wilson

To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan chief of Qadian,

I have persued your application reminding me of your and your family's past services and rights I am well aware that since the introduction of the British Govt. you and your family have certainly remained devoted faithful and steady subjects and that your rights are really worthy of regard. In every respect you may rest assured and satisfied that the British Govt. willl never forgey your family's rights and services which will receive due consideration when a favourable opportunity offers itself.

you must continue to be faithfully and devoted objects as in it lies the satisfaction of the Govt. and your welfare.

11.6.1849 Lahore.

जब तिम्मू के मार्ग पर उपद्रवियों का अंग्रेज़ी सरकार की फौज से मुकाबला हुआ तो वह अंग्रेज़ी सरकार की ओर से लड़ाई में सम्मिलित था। फिर मैं अपने पिता और भाई के स्वर्गवास के पश्चात् एक एकान्तवासी व्यक्ति था तथापि सत्रह वर्ष से अंग्रेज़ी सरकार की सहायता एवं समर्थन में अपनी क़लम से काम लेता हूं। इस सत्रह वर्ष की अवधि में जितनी पुस्तकें मैंने लिखीं उन सब में अंग्रेज़ी सरकार की आज्ञा पालन और हमदर्दी के लिए लोगों को प्रेरणा दी और जिहाद के निषेध के बारे में अत्यन्त प्रभावी लेख लिखे और फिर मैंने समय के अनुकूल समझते हुए जिहाद

نقل مراسلہ

(رابرٹ کسٹ صاحب بپادر کمشنر لاہور)

تہور و شجاعت دستگاہ مرزا غلام مرتضٰی
رئیس قادیاں بعافیت باشند۔

از آنجا کہ ہنگام مفسدہ ہندوستان موقعہ ۱۸۵۷ء از جانب آپ کے رفاقت و خیر خواہی و مدد دہی سرکار دولتمندار انگلشیہ در باب نگاہداشت سواران و بہم رسانی اسپان بخوبی بمنصہ ظہور پہنچی اور سروع مفسدہ سے آج تک آپ بدل ہوا خواہ سرکار رہے اور باعث خوشنودی سرکار ہوا لہٰذا بجلدوی اس خیر خواہی اور خیر سگالی کے خلعت مبلغ دو صد روپیہ کا سرکار سے آ کو عطا ہوتا ہے اور حسب منشاء چٹھی صاحب چیف کمشنر بہادر نمبری ۵۷۶ مورخہ ۱۰/اگست ۱۸۵۸ء پروانہ ہذا باظہار خوشنودی سرکار و نیکنامی و وفاداری بنام آپ کے لکھا جاتا ہے۔

مرقومہ تاریخ ۲۰/ ستمبر ۱۸۵۸ء

Translation of Mr. Robert cast's Certificate

To,

Mirza Ghulam Murtaza Khan, Chief of Qadian,

As you rendered great help in enlistin sowars and supplying horses to Govt. in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning upto date and thereby gained the favour of Govt. a Khlat worth Rs. 200/- is presented to you in recognition of good services and as a reward for your loyalty.

Moreover in accordance with the wishes of chief commissioner as conveyed in his no. 576 dt. 10th August 58. This parwana is addressed to you s a token of satisfaction of Govt. for your fidelity and repute.

के निषेध के मामले को सभी देशों में फैलाने के लिए अरबी और फ़ारसी में पुस्तकें लिखीं जिनके प्रकाशन पर हज़ारों रुपए खर्च हुए और वे समस्त पुस्तकें अरब, शाम, रोम, मिस्र, बग़दाद तथा अफ़ग़ानिस्तान में प्रकाशित की गईं। मैं विश्वास रखता हूं कि किसी न किसी समय उनका प्रभाव होगा। क्या इतनी बड़ी कार्रवाई और इतनी लम्बी अवधि तक ऐसे मनुष्य से संभव है जो हृदय में विद्रोह का इरादा रखता हो? फिर मैं पूछता हूं कि जो कुछ मैंने अंग्रेज़ी सरकार की सहायता, शान्ति की रक्षा तथा जिहाद के विचारों को रोकने के लिए निरन्तर सत्रह वर्ष तक पूरे जोश तथा पूरी दृढ़ता से काम लिया। क्या इस काम का और इस विशेष सेवा का और इस लम्बी अवधि का दूसरे मुसलमानों में जो मेरे विरोधी हैं, कोई उदाहरण है? यदि मैंने

नक़ल पत्र

फिनान्शल कमिश्नर पंजाब

हमदर्द, दयालु मित्र मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर रईस क़ादियान (ख़ुदा) आपको सुरक्षा में रखे।

आप का पत्र 2 वर्तमान माह का लिखा हुआ सामने आया। आपके पिता मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब के निधन से हमें बहुत अफ़सोस हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा अंग्रेज़ी सरकार का अच्छा शुभ चिन्तक और वफादार रईस था। हम आपका खानदानी दृष्टि से उसी प्रकार से सम्मान करेंगे जिस प्रकार तुम्हारे वफ़ादार पिता का किया जाता था। हमें किसी अच्छे अवसर के निकलने पर तुम्हारे खानदान के कल्याण एवं नौकरी का ध्यान रहेगा।

29, जून 1876

लेखक-सर राबर्ट साहिब बहादुर फ़िनान्शल कमिश्नर पंजाब।

Translation of Sir Robert Egerton

Financial Commr'x

Murasla dt. 29 June 1876

My dear friend Ghulam Qadir,

I have persued your letter of the 2nd instant and deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a great well wisher and faithful Chief of govt.

In consideration of your family services I will estemm you with the samne respect as that bestowed on your loyal father. I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favourable opportunity occurs.

यह प्रकाशन अंग्रेज़ी सरकार की सच्ची शुभेच्छा से नहीं किया तो मुझे ऐसी पुस्तकें अरब, शाम तथा रोम इत्यादि इस्लामी देशों में प्रकाशित करने से किस ईनाम की आशा थी? यह सिलसिला एक दो दिन का नहीं बल्कि निरन्तर सत्रह वर्ष का है और अपनी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के जिन स्थानों पर मैंने ये लेख लिखे हैं उन पुस्तकों के नाम, पृष्ठ संख्या सहित ये हैं जिन में अंग्रेज़ी सरकार की भलाई और आज्ञापालन की चर्चा है:

क्र. स.	नाम पुस्तक	प्रकाशन की तिथि	पृष्ठ संख्या
1.	बराहीन अहमदिया भाग-3	1882 ई.	अलिफ़ से बे तक शुरू किताब
2.	बराहीन अहमदिया भाग-4	1884 ई.	अलिफ़ से द तक शुरू किताब
3.	आर्य धर्म (नोटिस) दफ़ा 298 के विस्तार के बारे में	22 सितम्बर 1895 ई.	57 से 64 तक आख़िर किताब
4.	इल्तिमास शामिल आर्य धर्म 298 के विस्तार में दफ़ा	22 सितम्बर 1895 ई.	1 से 4 तक आखिर किताब
5.	दरख़्वास्त शामिल आर्य धर्म 298 के विस्तार में दफ़ा	22 सितम्बर 1895 ई.	69 से 72 तक आखिर किताब
6.	पत्र दफ़ा 298 के विस्तार के बारे में	21 अक्टूबर 1895 ई.	1 से 8 तक आखिर किताब
7.	आईना कमालाते इस्लाम	फरवरी 1893 ई.	17 से 20 तक और 511 से 528 तक
8.	नूरुल हक़ भाग-1 (घोषणा)	1311 हिज्री	23 से 54 तक
9.	शहादतुल क़ुर्आन (सरकार के ध्यान योग्य)	22 सितम्बर 1893 ई.	अलिफ (अ) ऐन तक किताब के अन्त पर
10.	नूरुलहक़ भाग-2	1311 हिज्री	49 से 50 तक
11.	सिर्रुल ख़िलाफ:	1312 हिज्री	71 से 73 तक

क्र. स.	नाम पुस्तक	प्रकाशन की तिथि	पृष्ठ संख्या
12.	इत्मामुल हुज्जत	1311 हिज्री	25 से 27 तक
13.	हमामतुल बुश्रा	1311 हिज्री	39 से 42 तक
14.	तुहफ: क़ैसरिय:	25 मई 1897 ई.	पूर्ण पुस्तक
15.	सत वचन	नवम्बर 1895 ई.	153 से 154 तक तथा टाइटल पेज
16.	अंजाम-ए-आथम	जनवरी 1897 ई.	283 से 284 तक आख़िर किताब
17.	सिराजे मुनीर	मई 1897 ई.	पृष्ठ-74
18.	तक्मील तब्लीग़, बैअत की शर्तों सहित	12 जनवरी 1889 ई.	पृष्ठ- 4 का हाशिया और पृष्ठ-6 चौथी शर्त
19.	सरकार के ध्यान योग्य तथा सार्वजनिक सूचना हेतु विज्ञापन	27 फरवरी 1895 ई.	पूरा विज्ञापन (एक पृष्ठ का)
20.	रोम के बादशाह के प्रतिनिधि के बारे में विज्ञापन	24 मई 1897 ई.	1 से 3 तक
21.	जलसा अहबाब कादियान में जुब्ली जश्न के अवसर पर विज्ञापन	23 जून 1897 ई.	1 से 4 तक
22.	विज्ञापन जल्सा शुक्रिया जश्न जुब्ली हज़रत क़ैसरा (दाम-ज़िल्लहा)	7 जून 1897 ई.	पूरा विज्ञापन, एक पृष्ठ का
23.	बुज़ुर्ग से संबंधित विज्ञापन	25 जून 1897 ई.	पृष्ठ-10
24.	सरकार के ध्यान योग्य विज्ञापन अंग्रेज़ी अनुवाद सहित	10 दिसम्बर 1894 ई.	पूरा विज्ञापन 1 से 7 तक

और वर्तमान में जब रोम का राजदूत हुसैन कामी क़ादियान में मुझ से भेंट करने के लिए आया और उसने मुझे अपनी सरकार के उद्देश्यों का विरोधी देख कर बहुत कड़ा विरोध प्रकट किया, वह सम्पूर्ण वृतान्त भी मैंने अपने 24 मई 1897 ई. के विज्ञापन में प्रकाशित कर दिया है। वही विज्ञापन था, जिसके कारण

कुछ मुसलमान एडीटरों ने कड़ा विरोध प्रकट किया और बड़े जोश में आकर मुझे गालियां दीं कि यह व्यक्ति अंग्रेज़ी सरकार को रोम के बादशाह पर प्राथमिकता देता है और रोमी सरकार को दोषी ठहराता है। अब स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति के बारे में स्वयं उसकी क़ौम इस प्रकार के विचार रखती है और न केवल आस्थागत मतभेदों के कारण बल्कि अंग्रेज़ी सरकार की शुभचिंता के कारण भी निन्दाओं का पात्र बन रहा है, क्या उसके बारे में यह गुमान हो सकता है कि वह अंग्रेज़ी सरकार का दुश्मन है? यह एक इतनी स्पष्ट बात थी कि एक बड़े से बड़े शत्रु को भी जो मुहम्मद हुसैन बटालवी है डिप्टी कमिश्नर साहिब के समक्ष डाक्टर हेनरी क्लार्क के इसी मुक़द्दमे में अपनी गवाही के समय मेरे बारे में कहना पड़ा कि यह व्यक्ति अंग्रेज़ी सरकार का शुभ चिन्तक और रोमी सरकार का विरोधी है। अब इस समस्त लेख से जो मैंने अपनी सत्रह वर्ष के निरन्तर भाषणों से सबूत प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं अंग्रेज़ी सरकार का हार्दिक तौर पर शुभ चिन्तक हूं और मैं एक शान्ति प्रिय व्यक्ति हूं तथा सरकार की आज्ञा का पालन करना और ख़ुदा की सृष्टि से हमदर्दी करना मेरा सिद्धान्त है। और यह वही सिद्धान्त है जो मेरे अनुयायियों की बैअत की शर्तों में सम्मिलित है। अत: बैअत की शर्तों का पर्चा जो हमेशा अनुयायियों (मुरीदों) में बांटा जाता उसकी चौथी शर्त में इन्हीं बातों का खुला-खुला विवरण है। हाँ यह सच है कि मैंने कुछ लोगों की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की है किन्तु अपनी ओर से नहीं बल्कि उस समय और उस स्थिति में कि जब उन लोगों ने अपनी इच्छा और प्रेरणा से मुझे ऐसी भविष्यवाणी के लिए लिखित अनुमति दी। अत: उन के हाथ के लिखे हुए पत्र मेरे पास अब तक मौजूद हैं, जिनमें से कुछ डाक्टर क्लार्क के मुक़द्दमे में मिस्ल के साथ संलग्न किए गए हैं। परन्तु चूंकि अनुमति देने के बावजूद फिर भी डाक्टर क्लार्क साहिब ने उन भविष्यवाणियों की चर्चा की और मूल घटनाओं को छिपाया। इसलिए भविष्य में★

★ कुछ हमारे विपक्षी जिन को पाखंड और झूठ बोलने की आदत है लोगों के पास कहते हैं कि साहिब डिप्टी कमिश्नर ने आइन्दा भविष्यवाणियाँ करने से मना कर दिया है, विशेष

मैं पसन्द नहीं करता कि ऐसे निवेदनों पर कोई सतर्क करने वाली भविष्यवाणी की जाए बल्कि भविष्य में हमारी ओर से यह सिद्धान्त रहेगा कि यदि कोई सतर्क करने वाली भविष्यवाणियों के लिए दरख़्वास्त करे तो इसकी ओर कदापि ध्यान न दिया जाए जब तक कि वह एक लिखित आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्तुत न करे। यह एक ऐसा उपाय है जिसमें किसी छल की गुंजायश नहीं रहेगी।

मैं यह बात भी स्वीकार करता हूं कि विरोधियों के मुक़ाबले पर लिखित मुबाहसों में मेरे शब्दों में कुछ कठोरता का प्रयोग हुआ था किन्तु वह प्रारंभिक तौर पर कठोरता नहीं है बल्कि वे सम्पूर्ण लेख अत्यन्त कठोर प्रहारों के उत्तर में लिखे गए हैं। विरोधियों के शब्द इतने कठोर तथा गालियों के रंग में थे, जिन की तुलना में कुछ कठोरता समय के अनुकूल थी। इसका प्रमाण उस तुलना से होता है जो मैंने अपनी पुस्तकों तथा विरोधियों की पुस्तकों के कठोर शब्द एकत्र करके मुक़द्दमे की मिस्ल की प्रकाशित पुस्तक के साथ संलग्न किए हैं जिसका नाम मैंने 'किताबुल बरीयत' (ख़ुदाई निशानों सहित बरीयत का फैसला) रखा है इसके बावजूद मैंने अभी वर्णन किया है कि मेरे कठोर शब्द प्रत्युत्तर के तौर पर हैं, कठोर शब्दों का प्रारंभ विरोधियों की ओर से हुआ है। मैं विरोधियों के कठोर शब्दों पर भी धैर्य रख सकता था परन्तु दो हितों के कारण मैंने उत्तर देना उचित समझा था:-

प्रथम यह ताकि विरोधी लोग अपने कठोर शब्दों का कठोरता पूर्वक उत्तर पाकर अपना आचरण परिवर्तित कर लें और भविष्य में सभ्यता पूर्वक वार्तालाप करें।

द्वितीय- यह ताकि विरोधियों के अत्यन्त अपमान जनक तथा क्रोध दिलाने वाले लेखों से सामान्य मुसलमान जोश में न आएं और कठोर शब्दों का उत्तर कुछ कठोरता से देखकर अपने आवेगपूर्ण स्वभावों को इस प्रकार ठंडा कर लें कि यदि उस ओर से कठोर शब्द प्रयोग हुए तो हमारी ओर से भी किसी सीमा तक

शेष हाशिया: तौर पर सचेत करने वाली तथा अज़ाब की भविष्यवाणियों की सख़्ती से मनाही की है। अत: याद रहे यह बातें बिल्कुल झूठी हैं हम को कोई रोक नहीं हुई। और अज़ाबी भविष्यवाणियों में जिस तरीके को हम ने अपनाया है अर्थात् सहमति लेने के बाद भविष्य करना इस तरीके पर अदालत और क़ानून को कोई आपत्ति नहीं है। इसी से।

कठोरता के साथ उनको उत्तर मिल गया और इस प्रकार वे असभ्यतापूर्ण प्रतिशोधों से पृथक रहें। मैं भली-भांति जानता हूं कि ऐसे धार्मिक लेखों से जैसा कि लेखराम और इंद्रमन, दयानन्द और पादरी इमादुद्दीन की पुस्तकें हैं और अख़बार नूर अफ़्शां, लुधियाना के अधिकांश लेख हैं, उपद्रव तथा आक्रोश भड़कने की बड़ी संभावना थी। परन्तु चूंकि उन पुस्तकों की तुलना में किताबें लिखी गईं और कठोर बातों का उत्तर कुछ कठोर बातों के साथ दिया गया। इसलिए मुसलमान लोगों का जोश अन्दर ही अन्दर दब गया।

यह बात बिलकुल सच है कि यदि कठोर शब्दों की तुलना में दूसरी क़ौम की ओर से कुछ कठोर शब्द इस्तेमाल न हों तो संभव है कि उस क़ौम के अनपढ़ लोगों का क्रोध एवं आक्रोश कोई और रूप धारण कर ले। पीड़ित लोगों के क्रोध बाहर निकलने के लिए यह एक कूटनीति है कि वे भी मुबाहसों में कठोर प्रहारों का उत्तर कठोरता के साथ दें। किन्तु यह शैली फिर भी कोई प्रशंसनीय नहीं बल्कि इससे लेखों का रूहानी (आध्यात्मिक) प्रभाव कम हो जाता है तथा कम से कम हानि यह है कि इससे देश में अशिष्टता फ़ैलती है। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि सामान्यता एक कठोर कानून जारी करके प्रत्येक धार्मिक समुदाय को कठोर शब्दों के प्रयोग से रोक दे ताकि किसी क़ौम के पेशवा और पुस्तक का अपमान न हो और जब तक किसी क़ौम की विश्वसनीय एवं मान्य पुस्तकों से सही घटनाएं ज्ञात न हों जिनसे आरोप पैदा हो सकता हो, कोई आरोप न लगाया जाए। ऐसे कानून से देश में बहुत शान्ति फैल जाएगी और उपद्रवी स्वभाव रखने वालों के मुंह बन्द हो जाएंगे और समस्त धार्मिक बहसें ज्ञान रूपी (तथा सभ्यता पूर्ण बहसों) का रूप धारण कर लेंगी। इसी कारण मैंने सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार किया है जिसके साथ कई हज़ार मुसलमानों के हस्ताक्षर भी हैं। परन्तु चूंकि अभी तक काफी हस्ताक्षर रहते हैं, इसलिए अब तक प्रस्तुत नहीं कर सका। किन्तु वास्तव में यह ऐसा कार्य है कि इस ओर सरकार का ध्यान अवश्य होना चाहिए। शान्ति की सुरक्षा के लिए इस से उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं कि अपमान जनक तथा क्रोध को भड़का कर दंगा करने वाले शब्दों से प्रत्येक क़ौम

बचे और किसी धर्म पर वह आरोप न लगाए जिसे उस धर्म के अनुयायी स्वीकार नहीं करते और न उनकी विश्वसनीय एवं मान्य पुस्तकों में उसका कोई प्रामाणिक मूल पाया जाता है और न कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो उसकी अपनी मान्य पुस्तकों या नबियों (अवतारों) पर भी पड़ता हो। और जो व्यक्ति इस निर्देश की अवज्ञा करे उसके लिए कोई दण्ड निर्धारित हो। निस्सन्देह इस उपाय के बिना धार्मिक उपद्रवों का विषैला बीज पूर्ण रूप से दूर नहीं हो सकता।

मैं खेदपूर्वक लिखता हूं कि डाक्टर क्लार्क ने मेरे कुछ धार्मिक लेख प्रस्तुत करके अदालत में यह वस्तुस्थिति के विरुद्ध वर्णन किया है कि ये कठोर शब्द स्वयं उनके बारे में कहे गए हैं। मैं हाकिमों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे स्वभाव में यह कदापि नहीं कि स्वयं किसी को कष्ट पहुंचाऊं और न मैं ऐसी आदत को पसन्द करता हूं, बल्कि जो कुछ कठोर शब्दों में लिखा गया वह कठोर शब्दों का उत्तर था, परन्तु विरोधियों की कठोरता से बहुत ही कम। तथापि यह उपाय भी मेरे स्वभाव और आदत से विपरीत है और जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहिब ने मुक़द्दमे के फ़ैसले पर मुझे यह निर्देश दिया है कि भविष्य में उत्तेजना को रोकने के लिए मुबाहसों में नर्म एवं उचित शब्दों का प्रयोग किया जाए मैं इसी का पाबंद रहना चाहता हूं और इस विज्ञापन के माध्यम से अपने समस्त मुरीदों को जो पंजाब और हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं **अत्यन्त ज़ोर देकर समझाता हूं** कि वे भी अपनी बहसों में इस शैली के पाबंद रहें और प्रत्येक कठोर एवं उपद्रव जनक शब्द के प्रयोग से बचें और जैसा कि मैंने इससे पूर्व बैअत की शर्तों की चौथी शर्त में समझाया है कि अंग्रेज़ी सरकार की भलाई तथा मानवजाति की सच्ची हमदर्दी करें और भड़काने वाले उपायों से दूर रहें तथा संयमी, नेक तथा कलह रहित इन्सान बन कर पवित्र जीवन का आदर्श प्रदर्शित करें और यदि इनमें से कोई इन वसीयतों का पाबन्द न हो या अनुचित जोश और असभ्य गतिविधि तथा अपशब्दों का प्रयोग करे तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि वह इन परिस्थितियों में हमारी **जमाअत से बाहर समझा जाएगा और मुझ से उसका कोई संबंध न होगा**। देखो! आज मैं खुले-खुले शब्दों में आप लोगों को नसीहत करता हूं कि आप लोग

प्रत्येक उपद्रव और फ़साद के मार्ग से पृथक रहें तथा धैर्य और सहनशीलता की आदत को और भी उन्नत करें और बुराई के समस्त मार्गों से स्वयं को दूर रखें और ऐसा नमूना दिखाएं जिस से आप लोगों के प्रत्येक शुभ आचरण में वृद्धि सिद्ध हो और मैं आशा रखता हूं कि लोग जो ज्ञानवान, विद्वान, प्रशिक्षण प्राप्त तथा नेक स्वभाव रखते हैं, ऐसा ही करेंगे। परन्तु स्मरण रहे कि जो व्यक्ति इन वसीयतों का पालन न करे वह हम में से नहीं है।★

हमारी सम्पूर्ण नसीहतों का सारांश तीन बातें हैं: **प्रथम-** यह कि ख़ुदा तआला के अधिकारों को याद करके उसकी इबादत (उपासना) तथा आज्ञापालन में व्यस्त रहना, उसकी महानता को हृदय में बिठाना तथा उससे सर्वाधिक प्रेम रखना और उससे डर कर तामसिक इच्छाओं का त्याग करना, उसे भागीदार रहित एक मानना, उसके लिए जीवन को पवित्र रखना, किसी मनुष्य या अन्य किसी सृष्टि को उस (ख़ुदा) का दर्जा न देना और वास्तव में सम्पूर्ण रूहों एवं शरीरों का पूर्णत: स्रष्टा और मालिक समझना।

द्वितीय- यह कि सम्पूर्ण मानवजाति के साथ हमदर्दी का व्यवहार करना और यथासामर्थ्य प्रत्येक से भलाई करना और कम से कम यह कि भलाई की इच्छा रखना।

तृतीय- यह कि जिस सरकार की छत्र-छाया में ख़ुदा ने हमें कर दिया है अर्थात् बर्तानिया की सरकार जो हमारी इज़्ज़त, जान तथा माल की रक्षक है उसकी सच्ची भलाई चाहना तथा ऐसी शान्ति-विरोधी बातों से दूर रहना जो उसको आशंकाओं में डालें। ये तीन सिद्धान्त हैं जिनकी रक्षा हमारी जमाअत को करनी चाहिए तथा जिनमें उच्च से उच्च आदर्श दिखाने चाहिएं।

स्मरण रहे कि यह विज्ञापन विरोधियों के लिए भी बतौर **नोटिस** है। चूंकि हम ने साहिब डिप्टी कमिश्नर बहादुर के सामने यह प्रण कर लिया है कि भविष्य में

★मेरी जमाअत में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित मुसलमान सम्मिलित हैं। जिनमें कुछ तहसीलदार और कुछ एक्स्ट्रा असिसटेण्ट, डिप्टी कलक्टर, कुछ वकील, कुछ व्यापारी, कुछ रईस, जागीदार, नवाब, कुछ बड़े-बड़े विद्वान, डाक्टर, बी.ए., एम.ए., तथा कुछ गद्दी नशीन हैं। इसी से।

हम कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अत: शान्ति की रक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे समस्त विरोधी भी इस प्रण का पालन करें। और यही कारण था कि हमने अदालत के सामने इस बहस को लम्बा करना नहीं चाहा, हालांकि हमारे सारे कठोर शब्द प्रत्युत्तर में थे और उनकी तुलना में बहुत कम। अत: हमने **प्रत्युत्तर में कठोर शब्दों को भी छोड़ना चाहा**। क्योंकि हमारी लम्बे समय से यह इच्छा थी कि सभी क़ौमें मुबाहसों में कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। इसी इच्छा के कारण हमने इस प्रार्थना पत्र पर मुसलमानों के हस्ताक्षर कराए हैं जिसको शीघ्र ही जनाब नवाब गवर्नर जनरल के पास भेजने का इरादा है। अत: धर्म विरोधियों को इस नोटिस द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि इस फैसले के पश्चात् वे भी मुबाहसों में अपने आचरणों को बदल लें और भविष्य में कठोर एवं उत्तेजित करने वाले शब्दों तथा अपमान जनक शब्दों को अपने अख़बारों और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में कदापि प्रयोग न करें। **और यदि अब भी** इस नोटिस के प्रकाशित होने के पश्चात् उन्होंने अपने पिछले आचरण को न छोड़ा तो उन्हें **स्मरण रहे** कि हमें या हम में से किसी को अधिकार प्राप्त होगा कि **अदालत द्वारा** इन्साफ़ चाहें। शान्ति की रक्षा के लिए प्रत्येक क़ौम का कर्त्तव्य है कि उपद्रव फैलाने वाले लेखों से स्वयं को बचाए। अत: जो व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशित होने के पश्चात् भी स्वयं को कठोर शब्दों के प्रयोग, गालियों और अपमान करने से रोक न सके तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में सरकार के उद्देश्यों का शत्रु उपद्रवप्रिय मनुष्य है। अदालत का कर्त्तव्य होगा कि शान्ति को स्थापित रखने के लिए उसके कान खींचे।

बहस करने वालों के लिए यह उत्तम पद्धति होगी कि किसी धर्म पर बेहूदा तौर पर ऐतराज़ न करें बल्कि उनकी मान्य पुस्तकों के अनुसार सभ्यतापूर्वक अपने सन्देह प्रस्तुत करें तथा स्वयं को हंसी-ठट्ठे और अपमान से बचाएं तथा मुबाहसों में बुद्धिमानों जैसा ढंग अपनाएं और ऐसे ऐतराज़ भी न करें जो उनकी पुस्तकों में पाए जाते हैं। उदाहरणतया यदि मुसलमान ईसाई आस्था पर ऐतराज़ करे तो उसे चाहिए कि ऐतराज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान एवं प्रतिष्ठा का

ध्यान रखे तथा उनकी प्रतिष्ठा एवं पद को न भुला दे। हां वह अत्यन्त नम्रता और सम्मानपूर्वक इस प्रकार ऐतराज़ कर सकता है कि ख़ुदा ने जो बेटे को दुनिया में भेजा तो क्या यह कार्य उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार किया या आदत के ख़िलाफ़? अगर आदत के अनुसार किया तो पहले भी उसके कई बेटे दुनिया में आए होंगे और सलीब पर भी मारे गए होंगे या एक ही बेटा बार-बार आया होगा, और यदि यह काम आदत के विरुद्ध है तो ख़ुदा की ओर सम्बद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि ख़ुदा अपनी शाश्वत आदतों को कभी नहीं छोड़ता या उदाहरणतया यह ऐतराज़ कर सकता है कि आस्था (अक़ीदा) सही नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के पापों के कारण ख़ुदा की नज़र में लानती ठहर गए थे, क्योंकि लानत के अर्थ शब्दकोश के अनुसार ये हैं कि ख़ुदा उस व्यक्ति से जिस पर लानत की गयी है, विमुख हो जाए और वह व्यक्ति ख़ुदा से विमुख हो जाए और दोनों में परस्पर शत्रुता हो जाए तथा लानती व्यक्ति ख़ुदा के सानिध्य (क़ुर्ब) से दूर जा पड़े। और यह अधम स्थिति ऐसे व्यक्ति की कभी नहीं हो सकती जो वास्तव में ख़ुदा का प्रिय है और जब लानत वैध (जायज़) न हुई तो कफ़्फ़ार: ग़लत हो गया। अत: ऐसे ऐतराज़ जिनमें उचित वर्णन के साथ किसी समुदाय की आस्थाओं की ग़लती की अभिव्यक्ति हो, प्रत्येक अन्वेषक का अधिकार है कि नम्रता और सम्मान के साथ प्रस्तुत करे और यथासंभव यह कोशिश हो कि वे सम्पूर्ण ऐतराज़ ज्ञान के रंग में हों ताकि लोगों को उनसे लाभ पहुंच सके और कोई उत्पात एवं उत्तेजना पैदा न हो।

यह ख़ुदा तआला का धन्यवाद करने का स्थान है कि हम लोग जो मुसलमान हैं हमारे सिद्धान्त में यह सम्मिलित है कि पहले नबियों में से जिन के फ़िर्क़े, क़ौमें और उम्मतें प्रचुरता के साथ दुनिया में फैल गई हैं किसी नबी को न झुठलाएं, क्योंकि हमारे इस्लामी सिद्धान्तों के अनुसार ख़ुदा तआला अपनी ओर से झूठ गढ़ने वाले को कभी यह सम्मान प्रदान नहीं करता कि वह एक सच्चे नबी की भांति लोगों में मान्य होकर हज़ारों फ़िर्क़े (समुदाय) और क़ौमें उसको मान लें और उसका धर्म पृथ्वी पर जम जाए और आयु पाए। इसलिए हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि

हम सभी क़ौमों के नबियों को जिन्होंने ख़ुदा के इल्हाम का दावा किया और लोगों में मान्य हो गए और उनका धर्म पृथ्वी पर जम गया चाहे वे हिन्दी थे या फ़ारसी, चीनी थे या इब्रानी चाहे किसी अन्य क़ौम में से थे वास्तव में सच्चे रसूल स्वीकार कर लें और यदि उनकी उम्मतों (समुदायों) में कोई सत्य के विपरीत बातें फैल गई हों तो उन बातों को ऐसी गलतियां समझें जो बाद में सम्मिलित हो गईं। यह सिद्धान्त ऐसा चित्ताकर्षक और प्यारा है कि जिसकी बरकत से मनुष्य हर प्रकार के अपशब्दों एवं असभ्यता से बच जाता है और वास्तव में सच्ची बात यही है कि ख़ुदा तआला झूठे नबी को अपने करोड़ों लोगों में मान्यता कदापि प्रदान नहीं करता **और उसे वह सम्मान नहीं देता जो सच्चों को दिया जाता है।** और सदियों और ज़मानों तक उस की क़बूलियत बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकती बल्कि बहुत जल्द उस की जमआत बिखर कर अलग हो जाती और उसका सिलसिला दरहम बरहम हो जाता है।

अत: हे मित्रो! इस सिद्धान्त को दृढ़ता पूर्वक पकड़ो, प्रत्येक क़ौम के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करो, नम्रता से बुद्धि का विकास होता है और सहनशीलता से गहरे विचार जन्म लेते हैं और जो व्यक्ति यह मार्ग धारण करे वह हम में से नहीं है। यदि कोई हमारी जमाअत में से विरोधियों की गालियों तथा अपशब्दों पर धैर्य न रख सके तो उसे अधिकार है कि न्यायालय द्वारा इन्साफ़ के लिए प्रयत्न करे परन्तु यह उचित नहीं है कि कठोरता के मुक़ाबले पर कठोरता करके किसी उत्पात को जन्म दें। यह तो वह वसीयत है जो हमने अपनी जमाअत को कर दी और हम ऐसे व्यक्ति से विमुख हैं और उसे अपनी जमाअत से बाहर करते हैं जो इसका पालन न करे।

किन्तु हम अपनी न्याय करने वाली सरकार से यह भी आशा रखते हैं कि जो लोग भविष्य में विरोधात्मक प्रहार अपमान और गालियों के साथ हम पर करें या हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम या पवित्र क़ुर्आन पर या इस्लाम पर तो उन की गालियों का निवारण भी उचित तौर पर किया जाए। हम लिख चुके हैं और पुन: लिखते हैं कि हमारी यह जमाअत अंग्रेज़ी सरकार की

सच्ची शुभ चिन्तक और हमेशा रहेगी और मेरी सम्पूर्ण जमाअत के लोग वास्तव में विनम्र स्वभाव, शान्ति प्रिय तथा अंग्रेज़ी सरकार के प्रथम श्रेणी के शुभचिन्तक हैं और इसी तरह प्रतिष्ठित तथा सभ्य हैं।

कुछ नादान लोगों का विचार है ग़लत है कि मानो मैंने झूठे तौर पर इल्हाम का दावा किया है, बल्कि वास्तव में यह कार्य उस सर्वशक्तिमान ख़ुदा का है जिसने पृथ्वी तथा आकाश को पैदा किया और इस संसार को बनाया है। जिस युग में ख़ुदा पर लोगों का ईमान कम हो जाता है उस समय **मुझ जैसा** एक इन्सान पैदा किया जाता है और ख़ुदा उससे बातें करता है और उसके द्वारा अपने अद्‌भुत कार्य दिखाता है, यहां तक कि लोग समझ जाते हैं कि **ख़ुदा है। मैं सार्वजनिक सूचना देता हूं** कि कोई मनुष्य चाहे एशिया का रहने वाला हो चाहे युरोप का यदि मेरी संगत में रहे तो वह कुछ समय के पश्चात् मेरी इन बातों की सच्चाई अवश्य मालूम कर लेगा।

स्मरण रहे कि यह बातें शान्ति-रक्षा के विपरीत नहीं। हम दुनिया में विनयपूर्वक जीवन व्यतीत करने आए हैं और मानवजाति की सहानुभूति और इस सरकार की भलाई हमारा सिद्धान्त है जिसके अधीन हम हैं अर्थात् बर्तानवी सरकार। हम किसी उत्पात या शान्ति भंग करने को पसन्द नहीं करते और **अपनी अंग्रेज़ी सरकार की हर समय सहायता करने के लिए तैयार हैं तथा ख़ुदा तआला का धन्यवाद करते हैं जिसने ऐसी सरकार की छत्र-छाया में हमें रखा है।**

20 सितम्बर 1897 ई.

विज्ञापन दाता - मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

क़ादियान

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अलहम्दोलिल्लाहे व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा

भूमिका

यह पुस्तक जिस का नाम 'किताबुल बरिय्य:' है, इस उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है ताकि इस भूमिका पर विचार करके प्रत्येक व्यक्ति सोचे और समझे कि ख़ुदा तआला क्योंकर उन लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं, शत्रुओं के आरोपों तथा झूठी मनगढ़त बातों से बचा लेता है और कैसे वह अपने निष्ठावान बन्दों के लिए ऐसे माध्यम पैदा कर देता है जिन से उन समस्त आरोपों और बनाई हुई बातों की वास्तविकता खुल जाती है जो उनको तबाह करने के लिए बनाई जाती हैं।

वास्तव में वह ख़ुदा बड़ा ज़बरदस्त और शक्तिशाली है जिसकी ओर प्रेम और वफ़ादारी के साथ झुकने वाले कदापि नष्ट नहीं किए जाते। शत्रु कहता है कि मैं अपनी योजनाओं से उनको तबाह कर दूं (मार दूं) और अशुभचिन्तक चाहता है कि मैं उनको कुचल डालूं, परन्तु ख़ुदा कहता है कि हे मूर्ख! क्या तू मेरे साथ लड़ेगा? और मेरे प्रिय को अपमानित कर सकेगा? वास्तव में पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता परन्तु वही जो आकाश पर पहले हो चुका और पृथ्वी का कोई हाथ इससे अधिक लम्बा नहीं हो सकता जितना वह आकाश पर लम्बा किया गया है। अत: अत्याचार की योजनाएं बनाने वाले अत्यन्त मूर्ख हैं जो अपनी घृणित एवं लज्जनीय योजनाओं के समय उस श्रेष्ठतम अस्तित्व को याद नहीं रखते जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। इसलिए वह अपने इरादों में सदैव असफल और शर्मिन्दा रहते हैं और उनकी बुराई से सत्यनिष्ठों को कोई हानि नहीं पहुंचती बल्कि ख़ुदा के निशान प्रकट होते हैं और अल्लाह की सृष्टि की मारिफ़त (अध्यात्म ज्ञान) बढ़ती है। वह शक्तिमान और सामर्थ्यवान ख़ुदा यद्यपि इन आंखों से दिखाई नहीं देता परन्तु अपने अद्भुत निशानों से स्वयं को प्रकट कर देता है। अशुभचिन्तकों के प्रहार सत्यनिष्ठों पर सदैव से होते चले आए हैं। मुझसे पूर्व यहूदियों ने हज़रत

ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही इरादा किया कि अकारण अपराधी ठहरा कर फांसी दिलादें, परन्तु ख़ुदा की क़ुदरत देखो कि उसने किस प्रकार अपने उस मान्य (मक़्बूल) को बचा लिया। उसने पैलातूस के हृदय में डाल दिया कि यह व्यक्ति निर्दोष है। फ़रिश्ते ने स्वप्न में उसकी पत्नी को एक डरावने दृश्य से भयभीत किया कि इस व्यक्ति के सलीब पर मारे जाने में तुम्हारा विनाश है। अत: वे डर गए और उसने अपने पति को इस बात पर तैयार किया कि किसी युक्ति से मसीह को यहूदियों के बुरे इरादे से बचा लें। अत: यद्यपि कि वह प्रत्यक्ष तौर पर यहूदियों के आंसू पोछने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया परन्तु वह प्राचीन कर्म के अनुसार न तीन दिन सलीब पर रखा गया जो किसी के मारने के लिए आवश्यक था और न हड्डियां तोड़ी गईं बल्कि यह कहकर बचा लिया गया कि "उसकी तो जान निकल गई" और ज़रूरी था कि ऐसा ही होता ताकि ख़ुदा का मान्य एवं सत्यनिष्ठ नबी अपराधी पेशा की मृत्यु से मर कर अर्थात् सलीब द्वारा प्राण देकर उस लानत का भाग न बने जो अनादि से उन उपद्रवियों के लिए निर्धारित है जिनके सभी संबंध ख़ुदा से टूट जाते हैं और वास्तव में जैसा कि लानत का अर्थ है वह ख़ुदा के शत्रु और ख़ुदा उन का शत्रु हो जाता है। अत: वह लानत जिसका यह अपवित्र अर्थ है एक चुने हुए पर आ सकता है? अत: इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब की मृत्यु से बचाए गए और जैसा कि अनुसंधान से प्रकट होता है कि वह कश्मीर में आकर मृत्यु को प्राप्त हुए, और अब तक शहज़ादा नबी के नाम पर कश्मीर में उन की क़ब्र मौजूद है और लोग बड़े सम्मानपूर्वक उनका दर्शन करते हैं और सामान्य विचार है कि वह एक शहज़ादा नबी था जो इस्लामी देशों की ओर से होता हुआ, इस्लाम से पूर्व कश्मीर में आया था और उस शहज़ादे का नाम ग़लती से यसूअ की बजाए युज़ू आसिफ़ करके प्रसिद्ध है जिसके अर्थ हैं कि यसू ग़मगीन (शोक ग्रस्त)। और जब पैलातूस की पत्नी को फ़रिश्ता दिखाई दिया तथा उसने उसे धमकाया कि यदि यसू मारा गया तो तुम्हारा विनाश होगा। यही संकेत ख़ुदा की ओर से बचाने के लिए था। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि इस प्रकार से किसी सत्यनिष्ठ की सहायता के लिए फ़रिश्ता प्रकट हुआ हो और फिर स्वप्न में

फ़रिश्ते का प्रकट होना व्यर्थ और बेफ़ायदा गया हो और जिसकी सिफ़ारिश के लिए आया हो वह तबाह हो गया हो। अत: यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस समय के यहूदी अपने इरादे में असफ़ल रहे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस कोठे में रखे गए थो जो क़ब्र के नाम से प्रसिद्ध था और वास्तव में वह एक बहुत विशाल कोठा था वह उससे तीसरे दिन कुशलता पूर्वक बाहर आ गए और शिष्यों को मिले और उनके मुबारकबाद दी कि मैं ख़ुदा की कृपा से सांसारिक जीवन के साथ अब तक यथावत् जीवित हूं। फिर उनके हाथ से लेकर रोटी और कबाब खाए तथा उनको अपने घाव दिखाए और चालीस दिन तक उन के उन घावों का उस मरहम के साथ उपचार होता रहा जिसको औषधियों के शब्दकोशों में **मरहम-ए-ईसा या मरहम-ए-रसूल या मरहम-ए-हवारिय्यीन** का नाम दिया जाता है। यह मरहम चोट इत्यादि के घावों के लिए बहुत लाभप्रद है और चिकित्सा की लगभग हज़ार पुस्तकों में इसका वर्णन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चोटों के लिए इसको बनाया गया था। वह ईसाइयों की प्राचीन तिब्ब (चिकित्सा) की पुस्तकें जो आज से चौदह सौ वर्ष पूर्व रोम की भाषा में लिखी जा चुकी थीं उनमें इस मरहम का वर्णन है। तथा यहूदियों और मजूसियों की चिकित्सा की पुस्तकों में भी मरहम-ए-ईसा का यह नुस्ख़ा लिखा गया है। मालूम होता है कि यह मरहम इल्हामी है और उस समय जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर कुछ घाव लगे थे उन्हीं दिनों में ख़ुदा तआला ने बतौर इल्हाम ये दवाएं उनको बताई थीं।

यह मरहम, गुप्त रहस्य का बहुत ही विश्वसनीय रूप से पता लगता है और निश्चित तौर पर बताता है कि वास्तव में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब की मृत्यु से बचाए गए थे, क्योंकि इस मरहम का वर्णन केवल इस्लाम की ही पुस्तकों में नहीं किया गया अपितु पुराने ज़माने से ईसाई, यहूदी, मजूसी और मुसलमान चिकित्सक अपनी अपनी पुस्तकों में वर्णन करते आए हैं और इसके अतिरिक्त यह भी लिखते आए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की घावों के लिए यह मरहम तैयार किया गया था। शुभ संयोग से ये सब पुस्तकें मौजूद हैं और अधिकतर छप चुकी हैं। यदि किसी को सच्चाई का पता लगाना और उसको खोजना अभीष्ट हो

तो इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करे। कदाचित् आकाशीय प्रकाश उसके हृदय पर पड़ने से वह एक भारी विपत्ति से मुक्ति पा जाए और वास्तविकता प्रकट हो जाए। इस मरहम को तिब्ब का कम से कम शौक़ रखने वाले भी जानते हैं यहां तक कि 'क़राबादीन कादिरी' में भी जो एक फ़ारसी की पुस्तक है, समस्त मरहमों के वर्णन के अध्याय में इस मरहम का नुस्ख़ा भी लिखा है और यह भी लिखा है कि यही मरहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बनाया गया था। अतः इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि दुनिया के समस्त तबीबों (वैद्यों) की सहमति से जो विशेष लोगों का एक गिरोह है जिनको सबसे अधिक अनुसंधान करने की आदत होती है तथा धार्मिक पक्षपात से पवित्र होते हैं, यह सिद्ध हो गया है कि यह मरहम हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घावों के लिए तैयार किया था।

इस मरहम की घटना का एक अद्भुत लाभ यह है कि इस से हज़रत ईसा के आकाश पर चढ़ने की भी पूर्ण वास्तविकता खुल गई और सिद्ध हो गया कि ये समस्त बातें निर्मूल तथा व्यर्थ कल्पनाएं हैं और इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध हुआ कि वह रफ़ा (आध्यात्मिक उन्नति) जिसका पवित्र क़ुर्आन में वर्णन है वास्तव में मृत्यु के बाद★ था और मसीह के उसी रफ़ा से ख़ुदा तआला ने यहूदियों और

★**नोट-** हम पहली पुस्तकों में वर्णन कर चुके हैं कि इमाम बुख़ारी तथा इमाम इब्ने हजम, और इमाम मालिक रज़ि. तथा दूसरे महान इमामों का यही मत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वास्तव में स्वर्गवास हो चुका है। अतः स्पष्ट रहे कि **शैख़ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी** का भी यही मत है। अतः वह नुज़ूल की वास्तविकता अपनी तफ़्सीर के पृष्ठ 262 में यह लिखते हैं: وَجَبَ نُزُولُهٗ فِی اٰخِرِ الزَّمَانِ بِتَعَلُّقِهٖ بِبَدَنٍ اٰخر अर्थात् ईसा नाज़िल तो होगा परन्तु इन अर्थों में कि दूसरे शरीर के साथ उस का संबंध होगा अर्थात् बुरूज़ (प्रतिरूप) के तौर पर उसका नुज़ूल होगा जैसा कि आदरणीय सूफ़ियों का मत है फिर उसी पृष्ठ में लिखते हैं:

رفع عیسی علیہ السَّلام باتصال روحہ عند المفارقۃ عن العالم السفلی بالعالم العلوی۔ अर्थात् ईसा के रफ़ा के ये अर्थ हैं कि जब इस तुच्छ संसार से उसकी रूह पृथक हुई तो ऊपरी लोक (परलोक) से उसकी संलग्नता हो गई। फिर पृष्ठ 168 में लिखते हैं कि रफ़ा के अर्थ ये हैं कि ईसा की आत्मा निकलने के पश्चात् रूहों के आकाश में पहुंचाई गई। इसलिए विचार कर। इसी से

ईसाइयों के उस विवाद का फैसला किया जो सैंकड़ों वर्ष से उनके मध्य चला आता था अर्थात् यह कि हज़रत ईसा धिक्कारे हुए तथा लानती लोगों में से नहीं हैं और न काफ़िरों में से जिन का रफ़ा नहीं होता बल्कि वह सच्चे नबी हैं और वास्तव में उनका रूहानी (अध्यात्मिक) रफ़ा हुआ है, जैसा कि अन्य नबियों का हुआ। यही विवाद था, शारीरिक रफ़ा के बारे में कोई विवाद न था बल्कि वह असंबंधित बात थी जिस पर झूठ और सच का आधार न था। बात यह है कि यहूदी यह चाहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब का आरोप देकर लानती ठहरा दें अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसका मरने के बाद ख़ुदा की ओर रूहानी रफ़ा नहीं होता और मुक्ति से जो ख़ुदा के सानिध्य (क़ुर्ब) पर आधारित है, वंचित रहता है। अत: ख़ुदा ने इस झगड़े का यों फैसला किया कि यह गवाही दी कि वह सलीबी मौत जो रूहानी रफा में बाधक है हज़रत मसीह पर कदापि नहीं आई और उन का मृत्यु के पश्चात् ख़ुदा की ओर रफ़ा हो गया है तथा वह ख़ुदा का क़ुर्ब (सानिध्य) पाकर पूर्ण मुक्ति को पहुंच गया, क्योंकि जिस अवस्था का नाम मुक्ति है उसी का दूसरे शब्दों में नाम रफ़ा है। इसी की ओर इन आयतों में संकेत है कि

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ (अन्निसा-158)

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (अन्निसा-159)

खेद कि हमारे उल्टी समझ रखने वाले उलेमा पर कहां तक कमअक़्ली तथा विवेक हीनता आ गई है कि वे यह भी नहीं सोचते कि क़ुर्आन ने अगर इस आयत में कि

إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (आले इमरान-56)

शारीरिक रफ़ा का जो वर्णन किया है तो इसके वर्णन की क्या आवश्यकता पड़ी थी तथा इस बारे में यहूदियों और ईसाइयों का कौन सा झगड़ा था? सारा झगड़ा तो यही था कि सूली (सलीब) पर चढ़ाने के कारण यहूदियों के हाथ में बहाना आ गया था कि नऊज़ुबिल्लाह यह व्यक्ति अर्थात् हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लानती है अर्थात् उसका ख़ुदा की ओर रफ़ा नहीं हुआ और जब रफ़ा नहीं हुआ तो लानती होना अनिवार्य ठहरा क्योंकि ख़ुदा की ओर रफ़ा का विपरीत लानत है, और यह

एक ऐसा इन्कार था जिस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबुव्वत के दावे में झूठे ठहरते थे, क्योंकि तौरात ने फैसला कर दिया है कि जो व्यक्ति सलीब पर मारा जाए उस का ख़ुदा की ओर रफ़ा नहीं होता अर्थात् मृत्यु के पश्चात् सत्यनिष्ठों के समान उसकी रूह ख़ुदा तआला की ओर नहीं उठाई जाती अर्थात् ऐसा व्यक्ति कदापि मुक्ति नहीं पाता। अत: ख़ुदा तआला ने चाहा कि अपने सच्चे नबी को इस आरोप से पवित्र करे। इसलिए उसने क़ुर्आन में यह वर्णन किया-

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ (अन्निसा-158)

और फ़रमाया:

يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ (आले इमरान 56)

ताकि मालूम हो कि यहूदी झूठे हैं और यह कि ईसा अलैहिस्सलाम का तमाम सच्चे नबियों की तरह ख़ुदा की ओर रफ़ा हो गया तथा यही कारण है कि इस आयत में ये शब्द नहीं कहे गए कि رافعك الى السّماء (कि मैं तुझे आकाश की ओर उठाऊँगा) बल्कि यह कहा गया कि رَافِعُكَ اِلَيَّ (कि मैं तुझे अपनी ओर उठाऊँगा) ताकि स्पष्ट तौर पर हर एक को मालूम हो कि यह रफ़ा रूहानी है न कि शारीरिक। क्योंकि ख़ुदा की ओर जिन सत्यनिष्ठों का रफ़ा होता है रूहानी होता है न कि शारीरिक और ख़ुदा की तरफ़ रूहें जाती हैं न कि शरीर।

ख़ुदा तआला ने इस आयत में जो तवफ़्फ़ा को पहले रखा और रफ़ा को बाद में, तो यह क्रम इसलिए अपनाया ताकि प्रत्येक को मालूम हो कि यह वह रफ़ा है जो सत्यनिष्ठों के लिए मृत्यु के बाद हुआ करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहूदियों की तरह शब्दों को बदल कर यह कहें कि वास्तव में तवफ़्फ़ा का शब्द बाद में है और रफ़ा का शब्द पहले। क्योंकि किसी ठोस और शक्तिशाली सबूत के बिना मात्र भ्रम और कल्पनाओं के आधार पर क़ुर्आन को परिवर्तित करना उन लोगों का काम है जिन की रूहें यहूदियों की रूहों से समानता रखती हैं। फिर जिस स्थिति में आयत :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ (अलमाइद: 118)

में स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि ईसाइयों की सारी ख़राबी और

गुमराही हज़रत ईसा[अ.] की मृत्यु के बाद हुई है। अत: अब सोचना चाहिए कि हज़रत ईसा को अब तक जीवित मानने में यह इक़रार भी करना पड़ता है कि अब तक ईसाई भी गुमराह नहीं हुए। यह एक ऐसा विचार है जिस से ईमान जाने का बहुत बड़ा ख़तरा है।

मैं इस समय केवल क़ौम की हमदर्दी से असल बात से दूर जा पड़ा और असल चर्चा यह थी कि अल्लाह तआला ने शत्रुओं के उपद्रव से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। अत: स्वयं हज़रत मसीह ने कहा था कि मेरा उदाहरण यूनुस नबी की तरह है और यूनुस की भांति मैं भी तीन दिन क़ब्र में रहूंगा। अत: स्पष्ट है कि मसीह जो नबी था उसका कथन झूठा नहीं हो सकता। उसने अपने वृतान्त को यूनुस के वृतान्त के समान बताया है और चूंकि यूनुस मछली के पेट में नहीं मरा बल्कि जीवित रहा तथा जीवित ही दाखिल हुआ था। इसलिए समानता की मांग से आवश्यक तौर पर मानना है कि मसीह भी क़ब्र में नहीं मरा और न मुर्दा दाखिल हुआ अन्यथा मुर्दा को जीवित से क्या समानता? अत: इस प्रकार से अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शत्रुओं के उपद्रव से बचा लिया। इसी प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसने शत्रुओं के उपद्रव से बचा लिया। हमारे सय्यिद और मौला नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को मक्का के शत्रुओं के हाथ से बचाया। मक्का वालों ने एक मत होकर परस्पर यह प्रण कर लिया था कि इस व्यक्ति को जो हर समय ख़ुदा, ख़ुदा करता है और हमारे बुतों का अनादर करता है गिरफ्तार करके बुरे अज़ाब के साथ उसके जीवन का अन्त कर दें। परन्तु ख़ुदा ने अपनी ख़ुदाई का ऐसा चमत्कार दिखलाया कि प्रथम अपनी वह्यी से आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को सूचना दे दी कि इस समय इस शहर से निकल जाना चाहिए कि शत्रु क़त्ल करने पर एकमत होकर तत्पर हो गए हैं। फिर जब आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम एक वफ़ादार मित्र के साथ जो सिद्दीक़ अकबर था, शहर से बाहर जाकर एक गुफ़ा में छुप गए जिसका नाम 'सौर' था जिसके अर्थ हैं 'सौराने फ़ित्न:' (यह नाम पहले से भविष्यवाणी के तौर पर चला आ रहा था ताकि इस घटना की ओर संकेत हो) अत: जब आंहज़रत

सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जाकर सौर नामक गुफ़ा में छिप गए तब शत्रुओं ने पीछा किया और सौर गुफ़ा तक पदचिन्हों को पहुंचा दिया और सुराग़ लगाने वाले में इस बात पर बल दिया कि निस्सन्देह वह इसी गुफा के अन्दर हैं या यों कहो कि इससे आगे आकाश पर चले गए, क्योंकि पदचिन्ह आगे नहीं गए। परन्तु मक्का के कुछ रईसों ने कहा कि इस बुढ़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है। गुफा पर तो कबूतरी का घोंसला है तथा एक वृक्ष है जो मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के जन्म से भी पहले का है। इसलिए किसी प्रकार भी संभव नहीं कि कोई गुफ़ा के अन्दर जा सके और घोंसला सुरक्षित रहे और वृक्ष काटा न जाए तथा उनमें से कोई व्यक्ति वृक्ष और घोंसले को हटाकर अन्दर न जा सका। क्योंकि लोगों में बहुधा देखा था कि कई बार बहुत से सांप गुफ़ा के अन्दर से निकलते और अन्दर जाते हैं। इसलिए वह सापों की गुफ़ा प्रसिद्ध थी। अत: मौत की चिन्ता ने सब को ग्रस्त किया और कोई साहस न कर सका कि अन्दर जाए। यह ख़ुदा का कार्य है कि सांप जो मनुष्य का शत्रु है अपने मित्र की सुरक्षा के लिए उस से काम ले लिया तथा जंगली कबूतरी के घोंसले से लोगों को तसल्ली दी। यह कबूतरी नूह की कबूतरी के समान थी जिसने आकाशीय शासन के पवित्र ख़लीफ़ा तथा समस्त बरकतों के उद्गम की सहायता की। अत: यह सारी बातें विचार करने योग्य हैं कि ख़ुदा तआला ने किस प्रकार अपने प्यारे रसूलों को शत्रुओं के बुरे इरादों से बचा लिया। उसकी दूरदर्शिताओं एवं क़ुदरतों पर क़ुर्बान होना चाहिए कि दुष्ट मनुष्य उसके सत्यनिष्ठ बन्दों को तबाह करने के लिए क्या कुछ सोचता है और गुप्त तौर पर कैसी-कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं और फिर अन्तत: ख़ुदा तआला कुछ क़ुदरत का ऐसा चमत्कार दिखलाता है कि छल करने वालों के छल उठाकर उन्हीं पर मारता है। यदि ऐसा न होता तो एक सत्यनिष्ठ भी दुष्टों के बुरे इरादे से बच न सकता। वास्तव में उस समय सत्यनिष्ठ का निशान प्रकट होता है जब उस पर कोई संकट आता है उस समय उसका समर्थित होना लोगों पर प्रकट होता है जबकि उसका सम्मान और प्राण लेने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। सत्यनिष्ठ पर ख़ुदा तआला संकट इसलिए नहीं लाता ताकि उसको तबाह करे बल्कि इसलिए

लाता है ताकि लोगों को उसके समर्थन में अपनी क़ुदरतें दिखलाए और वे परोक्ष के समर्थन प्रकट करे जो सत्यनिष्ठों के साथ होती हैं। मूर्ख कहता है कि ये सब व्यर्थ बातें हैं क्योंकि धूर्त व्यक्ति नहीं जानता कि ख़ुदा किन क़ुदरतों का मालिक है और मूर्ख इस से अनभिज्ञ है कि उस उच्चतम शक्ति में क्या-क्या अद्भुत क़ुदरतें हैं तथा सामान पैदा करने के क्या-क्या गहरे मार्ग हैं। खेद उन लोगों पर जो निशानों के बाद भी उसको नहीं पहचानते।

यह मुक़द्दमा जो मुझ पर बनाया गया था उसमें मुहम्मद हुसैन बटालवी बड़ा लोलुप था कि किसी प्रकार ईसाइयों को सफलता हो। वह सोचता था कि मुझे शिकार मारने के लिए एक अवसर मिला है और उसे विश्वास था कि उसका यह वार कदापि खाली न जाएगा। इसी कारण वह क्लार्क का गवाह बन कर आया था और इस ग़लत ख़बर से वह बहुत ही प्रसन्न था कि इस ख़ाकस्तर पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है परन्तु वास्तव में बात यह थी कि अमृतसर के मजिस्ट्रेट ने 1, अगस्त 1897 ई. को मेरी गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया था, परन्तु ख़ुदा तआला का इस मुक़द्दमे में प्रथम क़ुदरत का चमत्कार यही है कि कई दिन गुज़र जाने के बावजूद वह वारंट गुरदासपुर न पहुंच सका। मालूम नहीं कि कहां खो गया। वारिस दीन के कहने के अनुसार जो उस मुक़द्दमे के षड़यंत्र में भागीदार है, ईसाई प्रतिदिन इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कब यह व्यक्ति गिरफ्तार होकर अमृतसर में आता है तथा कुछ विरोधी मौलवी तथा उनकी जमाअत के लोग प्रतिदिन अमृतसर के स्टेशन पर जाते थे ताकि मुझे उस हालत में देखें कि हाथ में हथकड़ी हो और पुलिस की निगरानी में रेल से उतरा हूं। अत: जब वारंट के निष्पादन (तामील) में देर लगी तो ये लोग अत्यन्त आश्चर्य में पड़ गए कि यह क्या रहस्य है कि बावजूद वारंट जारी होने तथा कई दिन गुज़रने के यह व्यक्ति अब तक गिरफ़्तार होकर अमृतसर में नहीं आया। और वास्तव में आश्चर्य का स्थान था कि इसके बावजूद कि वारंट का आदेश 1, अगस्त को जारी हो गया था, फिर भी 7 अगस्त तक उस के निष्पादन का लोगों को कुछ पता नहीं लगा। यह ऐसा मामला है जो समझ में नहीं आ सकता। अत: इसके पश्चात् डिप्टी कमिश्नर साहिब ज़िला

अमृतसर को मालूम हुआ कि उन्होंने ग़ैर ज़िले में वारंट भेजने में ग़लती की और वह इस बात का अधिकार नहीं रखते थे कि अपराधी की गिरफ़्तारी के लिए ग़ैर ज़िले में वारंट जारी किया जाए। इसलिए उन्होंने ज़िला गुरदासपुर में तार दिया कि वारंट की तामील (निष्पादन) को रोक दिया जाए। और इस जगह ख़ुदा का काम यह कि ज़िला गुरदासपुर के अफ़सर जो स्वयं आश्चर्य चकित थे कि कब वारंट आया कि ताकि इसकी तामील रोक दी जाए अन्ततः वह तार दफ़्तर में दाख़िल कर दी गई। तत्पश्चात् मुक़द्दमे की मिस्ल स्थानांतरित होकर डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर के पास आ गई। इसके पश्चात् मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि क्योंकर वारंट की बजाए डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर की अदालत से सम्मन जारी हुआ। हां मैंने सुना है कि क्लार्क ने अपने वकील सहित उस पर बहस की थी कि वारंट अवश्य जारी हो जैसा कि अमृतसर से जारी हुआ। परन्तु ख़ुदा तआला ने जो हृदयों का मालिक है उसने मिस्ल के पहुंचते ही डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर के हृदय पर यह बात जमा दी कि मुक़द्दमा संदिग्ध है और वारंट के योग्य नहीं। इसलिए उन्होंने मेरे नाम सम्मन जारी किया परन्तु शैख़ मुहम्मद हुसैन साहिब को इन बातों की कुछ भी ख़बर न थी। वह इस विचार पर कि शीघ्र ही यह ख़ाकसार ज़िला की कचहरी में गिरफ़्तार होकर आएगा, बड़े गर्व से कचहरी में पधारे और शिकारी की तरह इधर-उधर देखते थे कि मेरी गिरफ्तारी और हथकड़ी का दृश्य देखें और अपने यारों को दिखाएं। इतने में मैं 9 बजे के लगभग बटाला में जहां डिप्टी कमिश्नर दौरे के आयोजन में विराजमान थे, पहुंच गया। और जब मैं डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में गया तो पहले से मेरे लिए कुर्सी डाली गई थी। जब में उपस्थित हुआ तो साहिब ज़िला ने बड़ी विनम्रता एवं मेहरबानी से इशारा किया कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। तब मुहम्मद हुसैन बटालवी तथा कई सौ आदमी जो मेरी गिरफ्तारी एवं अपमान को देखने के लिए आए थे, आश्चर्य चकित अवस्था में रह गए कि यह दिन तो इस व्यक्ति के अपमान एवं अनादर का समझा गया था परन्तु यह तो बड़ी आत्मीयता एवं मेहरबानी के साथ कुर्सी पर बिठाया गया। मैं उस समय विचार करता था कि मेरे विरोधियों को यह अज़ाब कुछ कम नहीं कि वे अपनी आशाओं के विपरीत

अदालत में मेरा सम्मान देख रहे हैं किन्तु ख़ुदा तआला की इच्छा थी कि उन को इस से भी अधिक अपमानित करे। अतः ऐसा संयोग हुआ कि वेरोधियों का सरदार मुहम्मद हुसैन बटालवी जिसने आज तक मेरे प्राण और सम्मान पर प्रहार किए हैं डाक्टर क्लार्क की गवाही के लिए आया था ताकि अदालत को विश्वास दिलाए कि यह व्यक्ति अवश्य ऐसा ही है जिस से आशा हो सकती है कि क्लार्क के क़त्ल के लिए अब्दुल हमीद को भेजा हो तथा इस से पहले कि वह अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए आए डाक्टर क्लार्क डिप्टी कमिश्नर की सेवा में उसके लिए बहुत सिफारिश की यह ग़ैर मुक़ल्लिद* मौलवियों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति★ है इसको कुर्सी मिलनी चाहिए। परन्तु डिप्टी कमिश्नर साहिब ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार न किया। संभवतः इस बात की मुहम्मद हुसैन को खबर न थी कि उसकी कुर्सी के लिए पहले चर्चा हो चुकी है और कुर्सी की विनती अस्वीकार हो चुकी है। इसलिए जब उसे गवाही के लिए अन्दर बुलाया गया तो जैसा कि खुश्क मुल्ला प्रतिष्ठा चाहने वाले तथा अपने वैभव का प्रदर्शन करने वाले होते हैं, आते ही बड़ी घृष्टता से उसने डिप्टी कमिश्नर साहिब से कुर्सी मांगी। साहिब ने कहा कि तुझे अदालत में कुर्सी नहीं मिलती इसलिए हम कुर्सी नहीं दे सकते। फिर उसने पुनः कुर्सी के लालच में स्वयं से बेखबर हो कर कहा कि मुझे कुर्सी मिलती है और मेरे पिता रहीम बख़्श को भी कुर्सी मिलती थी। डिप्टी कमिश्नर साहिब ने कहा- कि तू झूठा है न तुझे कुर्सी मिलती है न तेरे बाप रहीम बख़्श को मिलती थी। हमारे पास तुम्हारी कुर्सी के लिए कोई लिखित आदेश नहीं। तब मुहम्मद हुसैन ने कहा कि मेरे पास पत्र हैं। लाट साहिब मुझे कुर्सी देते हैं। यह झूठी बात सुनकर डिप्टी कमिश्नर साहिब बहुत क्रोधित हुए और कहा कि "बक-बक मत कर पीछे हट और सीधा खड़ा हो जा"। उस समय मुझे भी मुहम्मद हुसैन पर दया आई, क्योंकि

* **मुक़ल्लिद** – अनुसरण करने वाला, अनुयायी। धार्मिक परिभाषा में वह मुसलमान जो चारों इमामों में से किसी का अनुयायी हो। जो अनुयायी न हो उसे गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। (अनुवादक)

★ यह बात बिलकुल ग़लत है कि ग़ैर मुक़ल्लिद सब मुहम्मद हुसैन के अनुयायी हैं बल्कि बहुत से लोग उसके विरोधी हैं और उसके तरीकों से खिन्न। इसी से

उसकी स्थिति मृत्यु जैसी हो गई थी। यदि शरीर काटो तो शायद ख़ून की एक बूंद न हो और वह अपमान हुआ कि मुझे अपनी सम्पूर्ण आयु में इसका उदाहरण याद नहीं। अत: बेचारा असहाय, मौन, भयभीत तथा कांप कर पीछे हट गया और सीधा खड़ा हो गया और पहले मेज़ की ओर झुका हुआ था। तब मुझे ख़ुदा तआला का तुरन्त यह इल्हाम याद आया कि اِنِّیْ مُھِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِھَانَتَکَ अर्थात् मैं उसे अपमानित करूंगा जो तेरा अपमान चाहता है। ये ख़ुदा के मुंह की बातें हैं। मुबारक वे जो इन पर विचार करते हैं।

सोचना चाहिए कि मुहम्मद हुसैन उस समय ख़ुशी से भरा हुआ कचहरी में आया था कि मैं इस व्यक्ति को गिरफ़्तार और हाथ में हथकड़ी और जूतों की जगह पर बैठा हुआ देखूंगा, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तब अपने आप से कहूंगा कि हे दिल, तुझे मुबारक हो कि तूने आज अपने विरोधी को ऐसी हालत में देखा, किन्तु उस अभागे के ऐसे भाग्य कहां थे कि यह ख़ुशी का दिन देखे। तो अन्तत: उस अभागे ने देखा तो यह देखा कि कचहरी के अन्दर कदम रखते ही मुझे जनाब डिप्टी कमिश्नर के साथ सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ऐसे हृदय विदारक अवलोकन ने उस की आत्मा को विवश कर दिया और अपने शत्रु को ऐसी सम्मान की अवस्था में देखकर उसकी तामसिक वृति (नफ़्स अम्मार:) ईर्ष्यापूर्वक जोश में आई और प्रतिष्ठा की मांग का आवेग भड़का और सहसा बोल उठा कि मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए। तब जो दशा उसकी हुई वह हुई। यह सारा दण्ड उस बुरी सोच का था जो उसने मेरे बारे में की।

گندم از گندم بروید جوز جو - از مکافاتِ عمل غافل مشو

(गेंहूं से गेहूं उगता है और जौ बोने से जौ, कर्मों के दण्ड से असावधान न हो)

मूर्ख ने यह न सोचा कि यदि मैं पीड़ित (मज़लूम) होकर उसकी इच्छानुसार वारंट द्वारा गिरफ़्तार किया जाता और हथकड़ी डाली जाती और नीच स्थान पर बिठाया जाता और जैसी कि उसकी अभिलाषा थी, फ़ाँसी दिया जाता या उमर क़ैद की सज़ा पाता तो मेरी इसमें क्या हानि थी। ख़ुदा के मार्ग में प्रत्येक अपमान और मौत गर्व की बात है। अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि मैं इस संसार की

शान-शौकत नहीं चाहता, किन्तु उसने शत्रुओं के इरादों एवं इच्छाओं पर दृष्टि डालकर मुझे उस अपमान तथा अपमानित मृत्यु से बचा लिया। यह उसका काम है उसने जो कुछ किया अपनी इच्छा से किया। मुहम्मद हुसैन को यदि बुद्धिमत्ता की आंख दी जाती तो उस से वह बड़ा धार्मिक लाभ प्राप्त कर सकता था। भला हम मुहम्मद हुसैन तथा उस के सहपंथी लोगों से पूछते हैं कि समस्त ग़ैबी (परोक्ष संबंधी) कार्य जो मेरे समर्थन में तथा मेरे सम्मान की सुरक्षा के लिए तथा मेरे दुश्मनों को लज्जित करने के लिए प्रकट हुए ये किस के कार्य थे? क्या ये ख़ुदा के कार्य थे या मनुष्य के? और इसकी व्याख्या यह है कि पहले यह ग़ैबी कार्य प्रकट हुआ कि मेरी गिरफ़्तारी में विलम्ब डाल दिया गया और अमृतसर का वह वारंट जिसके साथ चालीस हज़ार रुपए (40,000) की ज़मानत का आदेश और बीस हज़ार (20,000) का मुचल्का था एक आश्चर्य वर्द्धक ढंग से रोक दिया गया। यह वारंट अमृतसर के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से 1 अगस्त 1897 ई. को जारी हुआ था, परन्तु 7 अगस्त 1897 ई. तक गुरदासपुर में पहुंच न सका और अन्त में निषेधादेश (हुक्म इम्तिनाई) पहुंचा कि वारंट का पालन रोक दिया जाए। क्योंकि मजिस्ट्रेट को ज्ञात हुआ कि वह ग़ैर ज़िले के अपराधी पर वारंट जारी करने का कानून के अनुसार अधिकृत नहीं है। यह तो पहला ग़ैबी काम था जो मेरे समर्थन के लिए प्रकट हुआ।

फिर **दूसरा ग़ैबी काम** यह था कि जब मिस्ल स्थानांतरित होकर गुरदासपुर में आई तो बावजूद इसके कि अमृतसर के मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया था परन्तु डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने डाक्टर क्लार्क तथा उसके वकील के बहुत आग्रह और हाथ-पैर मारने के बावजूद वारंट के स्थान पर सम्मन जारी कर दिया और वारंट जारी करने से इन्कार कर दिया।

फिर **तीसरा ग़ैबी काम** यह था कि मुहम्मद हुसैन इत्यादि विरोधियों ने चाहा था कि मेरी अपमान जनक अवस्था को देखें, परन्तु उनको मेरे सम्मान की अवस्था दिखाई गई। मैंने अपनी जमाअत के कुछ लोगों से सुना है कि एक उपद्रवी विरोधी कचहरी के समय एक व्यक्ति से मेरा नाम लेकर बातें करता था कि आज

वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है उसने झूठा दावा किया था इसलिए यह दण्ड मिला। तब दूसरे व्यक्ति ने जिस से वह बातें कर रहा था उस का हाथ पकड़ कर उसको उस स्थान पर खड़ा किया जहां से डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर अदालत की कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे थे। और उससे कहा –थोड़ा ध्यानपूर्वक देख कि डिप्टी कमिश्नर के निकट दूसरा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ कौन है। तब वह देखकर अत्यन्त लज्जित हुआ और कहा यह तो वही हैं जिनके बारे में लोगों ने उड़ाया है कि वह गिरफ्तार और हिरासत में है।

फिर **चौथा ग़ैबी काम** यह है कि मेरी उपस्थिति का दिन मुहम्मद हुसैन बटालवी के लिए मानो ईद का दिन था और वह अपने हृदय में उस दिन मेरे अपमान एवं अनादर की बहुत सी कल्पनाएं किए हुए था और जैसे उस समय मेरा अपमान को प्रसिद्ध करने के बारे में अपने हृदय में इशाअतुस्सुन: के कई पृष्ठ लिख रहा था कि ख़ुदा ने वह अपमान उठाकर उसी के सिर पर मारा तथा मेरे और मेरे मित्रों के सामने कुर्सी मांगने पर डिप्टी कमिश्नर साहिब ने उसे ऐसी कठोर तीन फटकारें दीं जो उसे मार गईं। ख़ुदा की क़ुदरत देखो कि मेरा अपमान देखने आया था परन्तु अपने अपमान का सामना करना पड़ा। अन्दर से फटकार खा कर बाहर आया जहां अर्दली खड़े होते हैं और अन्दर के मामले को छुपाने के लिए एक कुर्सी पर जो बाहर के कमरे में थी, बैठ गया। अर्दलियों को मालूम था कि इस व्यक्ति को कुर्सी नहीं मिली बल्कि कुर्सी के मांगने पर उसने फटकारें खाई हैं। इसलिए उन्होंने उसे कुर्सी पर से फटकार कर उठा दिया। फिर उस ओर से पुलिस के कमरे की ओर आया और संयोग से एक और कुर्सी बाहर के कमरे में पड़ी हुई था उस पर बैठ गया। तब कप्तान साहिब की नज़र उस पर पड़ी और उसी समय सिपाही द्वारा फटकार के साथ कुर्सी से उठाया गया। उस समय संभवत: हज़ार आदमी के लगभग या इससे अधिक उसके इस अपमान को देखते होंगे। लोगों ने विश्वास कर लिया कि उसने झूठे मुक़द्दमे में पादरी की गवाही दी है इसलिए यह दण्ड मिला।

पांचवां ग़ैबी काम यह है कि बावजूद इसके कि यह मुक़द्दमा डाक्टर क्लार्क के इक़रार के अनुसार तीन क़ौमों की सहमति से दायर किया गया था, इस

मुक़द्दमे की पैरवी में पादरियों ने पूरा ज़ोर लगाया था और सरकारी मुक़द्दमा समझा गया था तब भी ख़ुदा ने कप्तान डगलस साहिब के हाथ से उसको ख़ारिज कराया और **मुझे बरी किया।**

अत: ये पांच काम जो प्रकट हुए ये बुद्धिमानों कि लिए विचार करने योग्य हैं कि यह किस का कार्य है? बुद्धिमान लोग सोच लें कि जब कि यह मुक़द्दमा मुझ पर सरकार की ओर से दायर किया गया था और यह एक ख़तरनाक मुक़द्दमा था और मेरे अपमान के लिए लोग हर तरफ़ से ज़ोर दे रहे थे तो ऐसी स्थिति में किस महाशक्ति ने मुझे सम्मान दिया और मुहम्मद हुसैन को बहुत अपमानित किया और क्लार्क को भी अत्यन्त शर्मिन्दगी हुई कि अदालत ने दृढ़ सन्देह किया कि यह मुक़द्दमा अब्दुर्रहीम ईसाई तथा वारिस दीन इत्यादि ईसाइयों और उनके संबंधियों का बनाया हुआ है। क्या यह कार्य ख़ुदा का है या मनुष्य का? क्या ख़ुदा के समर्थन के अतिरिक्त अन्य भी कोई मायने हैं कि खुदा ने मुख़ालिफ़ों में फूट डाल दी और सच को प्रकट कर दिया और मुझे अपमानित करने के लिए तत्पर था उसको हाकिम और लोगों के द्वारा अपमानित किया। हाकिम के द्वारा जो अपमान हुआ उसकी सच्चाई आप सुन चुके हैं कि उसने कुर्सी मांगने पर मुहम्मद हुसैन को बहुत फटकारा और यह फटकारें नितान्त उचित एवं यथा अवसर थी, क्योंकि मुहम्मद हुसैन ने हल्फी गवाही के स्थान पर खड़े होकर दो झूठ बोले। **प्रथम-** यह कि उसे अदालत में कुर्सी मिलती है और **दूसरे** यह कि उसके बाप रहीम बख्श को भी कुर्सी मिलती थी और ये दोनों झूठ नितान्त घृणित और लज्जनीय थे क्योंकि मुहम्मद हुसैन एक खुश्क मुल्ला बल्कि नीम मुल्ला है जो नज़ीर हुसैन से कुछ हदीसें पढ़कर मौलवी कहलाता है जिसके सजातीय हज़ारों मुल्ला मस्जिदों के छोटे-छोटे कमरों में मुसलमानों की रोटियों पर गुज़ारा करते हैं। उसे किस दिन अदालत में कुर्सी मिली और किन रईसों में गणना की गई और इसी प्रकार रहीम-बख़्श उसका बाप था जो बटाला के कुछ रईसों की नौकरियां करके गुज़ारा करता था। हां बटाला के रईस मियां साहिब ने एक बार उसको नौकर रखा था, मालूम नहीं वेतन पर या केवल रोटी पर। फिर सुना है कि बटाला के कुछ हिन्दू महाजनों

के पास भी नौकर रहा और इस प्रकार गुज़ारा करता रहा। एक बार हमारे पास भी नौकर रहने के लिए आया था परन्तु कुछ कारणों की दृष्टि से उसको नौकर नहीं रखा गया था और यों तो हमेशा नितान्त निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ आता था। मुहम्मद हुसैन से बहुत नाराज़ रहता था और वह वाक्य बोलता था जिनकी चर्चा करना यहां उचित नहीं। उसके कुछ पत्र भी मुहम्मद हुसैन की अकथनीय स्थितियों के संबंध में मेरे पास अब तक मौजूद होंगे जिन्हें वह अदालत तक पहुंचाना चाहता था। मैंने उसको बार-बार मना किया था तथा कई बार मुहम्मद हुसैन को उसके क़दमों पर गिराया था ताकि इस प्रकार से रहीम बख़्श उसके दोष प्रकट करने से रुका रहे और इस बात का कारण मैं ही था कि वह इन विचारों से एक हद तक रुका रहा, अन्यथा मैंने सुना है मौलवी ग़ुलाम अली अमृतसरी इत्यादि ईर्ष्यालु मुल्ला उसे मुहम्मद हुसैन को बरबाद करने के लिए उत्तेजित करते थे। अत: न मुहम्मद हुसैन का नाम कभी कुर्सी पर बैठने वाले रईसों में सम्मिलित हुआ और न उस के बाप का और न उसके दादा का। और यदि ये लोग कुर्सी नशीन (बैठने वाला) थे तो सर लीपल ग्रेफ़िन साहिब ने बड़ी ही ग़लती की कि जब पंजाब के कुर्सी नशीन रईसों के वृतान्त लिखने में एक पुस्तक तैयार की तो उस पुस्तक में इन दोनों बेचारों की कुछ भी चर्चा नहीं की और इसके अतिरिक्त इस स्थिति में ज़िले के पदाधिकारियों को बड़ी लापरवाही है कि दोनों पिता-पुत्र हमेशा से कुर्सी नशीन होने के बावजूद फिर भी पदाधिकारियों ने अपने ज़िले की सूची में इन पिता-पुत्र का अब तक कुर्सी नशीनों में नाम न लिखा।

अफ़सोस कि ऐसे मौलवियों के ही झूठों ने जो गवाही के अवसर पर भी झूठ को मां का दूध समझते हैं विरोधियों को मुसलमानों पर आरोप लगाने का अवसर दिया है। जब ये लोग मौलवी कहला कर ऐसे गन्दे झूठ बोलें तथा अदालत के सामने गवाही के अवसर पर घटना के विरुद्ध वर्णन करें तो उनके चेलों का क्या हाल होगा। अफ़सोस कि इस बटाला के मुल्ला को कुर्सी लेने का शौक़ क्यों पैदा हुआ। उसके खानदान में कौन क़ुर्सी नशीन था। उचित था कि चुपके से पादरियों की गवाही देकर चला जाता ताकि पर्दा पड़ा रहता। किसी को मालूम ही न था कि

आप को कुर्सी नहीं मिलती। अधिकार था कि आप दोस्तों में शेखी बघारते कि मुझे कुर्सी मिली थी परन्तु कुर्सी मांग कर अपने खानदान का सारा पर्दा फाड़ दिया और फिर यह मूर्खता हुई कि हज़रत शेख़ साहिब अदालत के सामने यह सारी शर्मिन्दगी उठा कर फिर बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गए और जब एक ओर से उठाया गया तो दूसरी ओर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। फिर जब वहां से भी बड़े अपमान के साथ उठाए गए तो आप एक व्यक्ति की चादर लेकर धरती पर बिछाकर बैठे, परन्तु उस व्यक्ति ने आपके ख़ुदा के प्रकोप का पात्र समझकर नीचे से चादर खींच ली और कहा कि क्या तू एक धार्मिक मुक़द्दमे में जो बनावटी है पादरियों की गवाही देता है और मेरी चादर पर बैठता है। मैं अपनी चादर गन्दी कराना नहीं चाहता।

तत्पश्चात् जो साहिब ज़िला ने फटकार देकर तथा कुर्सी से वंचित करके मुहम्मद हुसैन को सीधा खड़ा किया और अदालत के चपरासियों ने भी बार-बार उसे कुर्सी से उठाया। एक और अपमान मुहम्मद हुसैन का यह हुआ कि लोग उसकी इस हरकत से क्रोधित हुए कि पादरियों के एक झूठे मुक़द्दमे में वह गवाह बन कर आया और बहुत ज़ोर लगाया कि उस झूठ को सच करे। हज़ारों नेक स्वभाव लोग उसकी इन स्थितियों पर नफ़रत करते थे कि उसने मौलवी कहला कर एक झूठे मुक़द्दमे में ईसाइयों की गवाही दी तथा बार-बार कहते थे कि उस गवाही का कारण केवल अभिमानयुक्त द्वेष एवं शत्रुता है। एक पीर पुरुष ने उस दिन उसके हालात देखकर आह भरकर कहा कि मुझे तो मालूम होता है कि मौलवी लोग बड़ी कठिनाई से ईमान सुरक्षित ले जाएंगे। अत: अफ़सोस उस व्यक्ति के जीवन पर कि उसने ऐसी अपवित्र हरकतों से समस्त मौलवियों को बदनाम किया।

मेरे बारे में अब इस व्यक्ति की शत्रुता चरम सीमा तक पहुंच गई है। इस व्यक्ति से ख़ुदा का मुकाबला नहीं हो सकता, अन्यथा यह व्यक्ति मेरे प्राण और सम्मान का कट्टर शत्रु है और अब शत्रुता के जोश में इसके मुंह से वे बातें निकलती हैं जो एक नेक और संयमी के मुंह से कदापि नहीं निकल सकतीं। उसको ही समझ नहीं कि शत्रुओं की हट योजना सत्यनिष्ठ (अहले हक़ लोगों की सफ़ाई का बड़ा कारण हो जाया करती है। यही कारण है कि मेरे बारे में अब तक जितनी

योजनाएं बनाई गईं उन से मेरी कुछ हानि नहीं बल्कि मेरी बरियत सिद्ध हुई। प्रथम लेखराम के मुक़द्दमे में मेरी **तलाशी** कराई गई तो मेरा दामन पवित्र सिद्ध हुआ। फिर अब मुझ पर इरादा क़त्ल का मुक़द्दमा बनाया गया। अतः इसमें बड़ी छान बीन के पश्चात् मुझे बरी किया गया। ये दोनों विरोधियों के आक्रमण मेरे लिए हानिप्रद नहीं हुए बल्कि समय के पदाधिकारियों ने दो बार मेरी हालत की परीक्षा ली और शत्रुओं की योजना की वास्तविकता प्रकट हो गई। यद्यपि मुहम्मद हुसैन ने अपनी समझ में पादरियों का दोस्त बन कर मुझे फांसी दिलाने के लिए बड़ी धूम धाम से प्रयास किया और जो कुछ उसके स्वभाव में था उस दिन उसने पूरा करके दिखा दिया। परन्तु इस सारे आरोप का यद्यपि कुछ परिणाम हुआ तो केवल यही कि डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर ने अपने अंग्रेज़ी निर्णय में लिख दिया कि यह व्यक्ति अर्थात् मुहम्मद हुसैन मिर्ज़ा साहिब का कट्टर शत्रु है। और उसके पूरे बयान को बेकार समझ कर फैसले में उसकी अभिव्यक्ति की लेश मात्र भी चर्चा नहीं की तथा उसके बयान को अत्यन्त अपमान की दृष्टि से देखा। अतः यहां स्वभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि जिस स्थिति में मुहम्मद हुसैन का बयान ऐसा बेकार, अधम और विश्वास के स्थान से गिरा हुआ समझा गया। अतः ख़ुदा तआला की ओर से क्या दूरदर्शिता थी कि यह पादरियों की ओर से अदालत में गवाही देने आया। तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्यक्षतः इसमें दो हिकमतें मालूम होती हैं – **प्रथम** यह ताकि लोगों को इस व्यक्ति के संयम (तक़्वा), ईमानदारी और इस्लाम का हाल मालूम हो कि ऐसे झूठे और शर्म योग्य मुक़द्दमे में जो ईसाइयों ने केवल धार्मिक उन्माद से किया था, उसने स्वयं को गवाह बनाया और जानबूझ कर मात्र दुष्टता से मुझे फांसी दिलाने की योजना बनाई। **दूसरी** हिकमत यह थी कि ताकि यह व्यक्ति अदालत में जाए और कुर्सी की मांग करे और अदालत से उसे फटकारें मिलें और इस प्रकार सच्चे का अपमान चाहने के दण्डस्वरूप अपना अपमान देखे।

बार-बार अफ़सोस होता है कि इस व्यक्ति को कुर्सी मांगने की इच्छा क्यों पैदा हुई। अच्छे लोग यदि किसी सभा में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुर्सी नशीनी

को पसन्द नहीं करते और विनम्रता के साथ एक साधारण स्थान पर बैठ जाते हैं। तब घरवाले की उस पर दृष्टि पड़ती है तो वह आत्मीयता (शफ़क़त) से उठता है और उनका हाथ पकड़ता है और सत्कारपूर्वक उनको मुख्य स्थान पर खींच लेता है कि "आप का स्थान यह है मुझे शर्मिन्दा न कीजिए"। अत: यह वह मानसिक खेद का स्थान है कि मुहम्मद हुसैन ने शेख़ी जताने के लिए अपने मुंह से कुर्सी मांगी और फिर कुर्सी के बजाए फटकारें मिलीं। किसी ने सच कहा है-

बिन मांगे मोती मिलें मांगे मिले न भीख

अर्थात् बिना मांगे मोती मिल जाते हैं किन्तु मांगने से भीख का टुकड़ा भी नहीं मिलता। फिर आश्चर्य है कि इस व्यक्ति ने डिप्टी कमिश्नर साहिब के सामने ही लेखराम के क़त्ल का किस्सा शुरू कर दिया और डिप्टी कमिश्नर साहिब को मेरे बारे में कहा कि मैंने अपने 'इशाअतुस्सुन्न:' में यह लिखा है कि इस व्यक्ति से लेखराम को क़त्ल करने वाले का पता पूछना चाहिए कि इल्हाम से बता दे कि कौन क़ातिल है। और इस बटालवी उपद्रव फ़ैलाने वाले का उद्देश्य यह था कि लेखराम का क़ातिल भी यही व्यक्ति है।

अब पाठकगण विचार करें! कि इस शैख़ बटालवी की नौबत कहां तक पहुंच गई है। मेरी शत्रुता में दीन और दयानत (धर्म तथा ईमानदारी) को क्योंकर छोड़ता जाता है। जब आर्यों ने लेखराम के बारे में शोर मचाया तो उन के साथ जा मिला और अब जब पादरियों ने शोर मचाया तो उन के साथ जा मिला। कोई नहीं पूछता कि यह इस्लाम का विरोधी क्या करता फिरता है। लेखराम के क़त्ल को बार-बार याद दिलाना यह उसकी दुष्टता है ताकि यह आरोप मुझ पर लगा दे और इस प्रकार से ख़ुदा की भविष्यवाणी को अपमानित करके समाप्त कर दे। मैं बारम्बार लिख चुका हूं कि लेखराम के बारे में मैंने स्वयं से भविष्यवाणी नहीं की अपितु मेरे ख़ुदा ने उसके बारे में मुझे उस समय खबर दी थी जबकि स्वयं लेखराम ने अत्यन्त घृष्टता पूर्वक मौत की भविष्यवाणी को मांगा था फिर जब कि लेखराम को मारना अज़ाब के तौर पर था तो ख़ुदा तआला **क़ातिल का नाम क्योंकर बताए,** तथा अपनी व्यवस्था को स्वयं ख़राब करे। हां यदि मुहम्मद हुसैन वास्तव में हिन्दुओं का

शुभ चिन्तक है तो क़ातिल का नाम मालूम करने के लिए एक उपाय कर सकता है और वह यह कि लेखराम के क़ातिल का उन लोगों के द्वारा पता लगाए जो उसके समूह में मुल्हम कहलाते और मुझे काफ़िर समझते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मुहम्मद हुसैन की जानकारी में मेरे इल्हाम ही मनगढ़त थे तो उसे चाहिए था कि ऐसी निरर्थक बातें करने की बजाए यह लेख लिखता कि सरकार को यह छानबीन करनी चाहिए कि यह व्यक्ति ख़ुदा की ओर से मुल्हम होने के दावे में सच्चा है या झूठा। और परीक्षा का उपाय यह है कि सरकार सार्वजनिक तौर पर इस से कोई भविष्यवाणी मांगे फिर यदि वह भविष्यवाणी अपने समय पर पूरी न हो तो सरकार विश्वास कर ले कि यह व्यक्ति झूठा और झूठ गढ़ने वाला है तथा इससे यह परिणाम निकाल ले कि लेखराम का क़ातिल भी यही होगा। क्योंकि एक झूठा व्यक्ति जब अपनी किसी भविष्यवाणी में देखता है कि मेरा झूठ खुल जाएगा तो निस्सन्देह वह अवैध उपायों की ओर ध्यान देता है और उस के अपवित्र अस्तित्व से कुछ दूर नहीं होता कि उससे इस प्रकार की अपवित्रता हरकतें जारी हों। यदि इस वर्णन के साथ सरकार की लेखराम के मुक़द्दमे में मेरे बारे में ध्यान दिलाता तो कुछ आश्चर्य न था कि यह बयान स्वीकार करने योग्य होता और न्यायप्रिय लोग भी इसे पसन्द करते तथा **मुझे भी ऐसी पकड़ में कुछ बहाना नहीं हो सकता था**। क्योंकि यदि मैं ख़ुदा तआला की ओर से हूं और मेरी भविष्यवाणियां मेरी ओर से नहीं हैं बल्कि ख़ुदा तआला की ओर से हैं तो निस्सन्देह मेरी बरीयत के लिए ख़ुदा तआला की इतनी सहायता चाहिए कि वह कि इल्हामी भविष्यवाणी से जो सच्ची निकले सरकार को उसकी मांग के समय संतुष्ट कर दे और वह समझ जाए कि वास्तव में यह कारोबार ख़ुदा तआला की ओर से है न कि मनुष्य की ओर से।

किन्तु इस बात पर बल देना कि मैं लेखराम के क़ातिल का नाम वर्णन करूं सही नहीं है। अल्लाह तआला अपनी नीतियों में किसी के अधीन नहीं हो सकता। यदि उसने एक बात को गुप्त रखना चाहा है तो हम उस पर ज़ोर नहीं डाल सकते कि वह उस बात को अवश्य प्रकट करे। जो व्यक्ति ख़ुदा तआला पर ऐसा शासन चलाना चाहता है या चलाने के लिए निवेदन करता है तो वह बंदगी के नियमों से

सर्वथा वंचित है ख़ुदा परोक्ष का ज्ञान (ग़ैब का इल्म) अपनी इच्छा से प्रकट करता है, मनुष्य की इच्छा से प्रकट नहीं करता। देखो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को यह पता लगाने की कितनी आवश्यकता थी कि उनका बेटा मर गया या जीवित है और इस शोक से वह चालीस वर्ष तक रोते रहे परन्तु जब तक ख़ुदा तआला की इच्छा न हुई उन पर कदापि प्रकट न किया गया कि क्यों शोक करता है तेरा बेटा तो मिस्र में सकुशल शासन का नायब है। अत: ख़ुदा के बन्दे सभ्यतापूर्वक उसके सामने खड़े होते हैं। उस स्थान पर फरिश्तों को भी कुछ कहने का साहस नहीं।

लेखराम से हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता न थी और न इस्लाम धर्म हमें इजाज़त देता है कि अकारण क़त्ल करते फिरें। फिर कौन सा कारण था कि हम यह अनुचित कार्य करते, और एक झूठी भविष्यवाणी बनाना और फिर उसकी सच्चाई प्रकट करने के लिए क़त्ल का इरादा करना, यह एक ऐसा उपाय है कि एक दुष्ट और पापी मनुष्य के अतिरिक्त उसे कोई नहीं कर सकता। अत: मुहम्मद हुसैन और उसकी जमाअत को भली-भांति स्मरण रखना चाहिए कि ख़ुदा तआला का यह एक बड़ा निशान था जो प्रकट हुआ। ख़ुदा के अतिरिक्त यह किस की ताक़त थी कि लेखराम की मृत्यु की ओर संकेत करे कि वह इतने समय में अमुक दिन तथा अमुक तिथि को होगी और क़त्ल के द्वारा होगी। अफ़सोस कि इन लोगों ने केवल द्वेष से ख़ुदा के निशानों को झुठलाया। यह कितनी मूर्खता है कि हमारे विरोधी लोग हृदयों में सोचते हैं कि किसी अनुयायी (मुरीद) को भेजकर लेखराम को क़त्ल करा दिया होगा। मुझे इस मूर्खता की कल्पना करके हंसी आती है कि ऐसी व्यर्थ बातों को उनके हृदय कैसे स्वीकार कर लेते हैं। जिस मुरीद को भविष्यवाणी के सत्यापन के लिए क़त्ल का आदेश दिया जाए **क्या ऐसा व्यक्ति फिर मुरीद रह सकता है?** क्या उसी समय उस के हृदय में नहीं आएगा कि यह व्यक्ति झूठी भविष्यवाणियां बनाता और फिर उन्हें सच्चा ठहराने के लिए ऐसे उपाय प्रयोग करता है। अत: मैं बड़ी दृढ़ता से कहता हूं कि मुहम्मद हुसैन ने यह अत्यन्त अन्याय किया है कि एक सच्ची भविष्यवाणी को जो ख़ुदा तआला का एक चमत्कार था मनुष्य की योजना ठहराया। यदि उस की नीयत में ख़राबी न होती तो वह अपने

(इशाअतुस्सुन्न) में यह न लिखता कि इस व्यक्ति को सरकार पकड़े ताकि इल्हाम से बताए दे कि लेखराम का क़ातिल कौन है। मानो मुहम्मद हुसैन ख़ुदा तआला से ठट्ठा करता तथा उसके कार्य को व्यर्थ ठहराता है और जब्र के साथ उसका दामन पकड़ना चाहता है कि तूने लेखराम को तो मारा अब कहां जाता है उसके क़ातिल का पता तो बता!!! और स्वयं क़ुर्आन में पढ़ता है-

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ★ (अलअंबिया-24)

मनुष्य को इतनी धृष्टता नहीं करनी चाहिए और यह निर्लज्जता मनुष्य के लिए उचित नहीं। क्या वह उस ख़ुदा के अस्तित्व में सन्देह रखता है जिसके अस्तित्व पर कण-कण मुहर लगा रहा है? यदि उसकी नीयत में खोट न होता तो शत्रुता और कुधारणा के जोश से ऐसी व्यर्थ बातें न करता। यह उस का अधिकार था कि मेरे बारे में बार-बार सरकार को ध्यान दिलाता कि लेखराम के क़त्ल में मुझे इल्हामी भविष्यवाणी का एक बहाना मालूम होता है जबकि वास्तव में लेखराम का क़ातिल यही व्यक्ति है। और यदि ख़ुदा से इस व्यक्ति को भविष्यवाणी मिलती है तो सरकार इस व्यक्ति को पकड़े और पूछताछ करे कि यदि तू इस दावे में सच्चा है तो दावे की पुष्टि के लिए हमें भी कोई भविष्यवाणी दिखला ताकि हम पर तेरी सच्चाई सिद्ध हो। फिर यदि सरकार किसी इल्हामी भविष्यवाणी को दिखाने के लिए मुझे पकड़ती और ख़ुदा मुझे धिक्कारे और अपमानित किए हुए लोगों की भांति छोड़ देता और सरकार की सन्तुष्टि के लिए कोई भविष्यवाणी प्रकट न करता तो मैं खुशी से स्वीकार कर लेता कि मैं झूठा हूं तब सरकार का अधिकार था कि लेखराम का क़ातिल मुझे ही समझ कर मुझे फांसी देदे। परन्तु मुहम्मद हुसैन ने ऐसा नहीं किया और न यह चाहा कि कोई ऐसा उपाय करे जिस से सच्चाई प्रकट हो अपितु मेरे समर्थन में ख़ुदा तआला की ओर से बहुत से निशान प्रकट हुए और केवल कृपणता की दृष्टि से इस व्यक्ति ने उनको स्वीकार नहीं किया और सरकार को हमेशा धोखा देने के लिए झूठी बातें लिखता और कहता रहा, किन्तु हमारी

★ अर्थात- ख़ुदा अपने कार्यों से पूछा नहीं जाता कि ऐसा क्यों किया, किन्तु बन्दे पूछे जाएंगे।

न्यायवान सरकार केवल बातों को एक स्वार्थ परायण दुश्मन के मुंह से सुन नहीं सकती। ख़ुदा की यह कृपा और उपकार है कि **ऐसी उपकारी सरकार की छत्र-छाया में हमें रखा।** यदि हम किसी अन्य सरकार की छत्र-छाया में होते तो यह अन्यायी स्वभाव मुल्ला हमारी आबरू और जान को कब छोड़ना चाहते।

اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰہ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡر۔

और मुहम्मद हुसैन के मेरी भविष्यवाणियों पर यह जिरह कि कोई इल्हामी भविष्यवाणी इस स्थिति में सच्ची हो सकती है कि जब उसके साथ की अन्य समस्त भविष्यवाणियां सच्ची सिद्ध हुई हों। यह वास्तव में सच है, किन्तु मुहम्मद-हुसैन का यह विचार कि जैसे मेरी कुछ भविष्यवाणियां झूठी निकली हैं यह सर्वथा झूठ है। मैं कई बार वर्णन कर चुका हूं कि मेरी कोई भविष्यवाणी झूठी नहीं निकली। आथम के बारे में जो भविष्यवाणी थी उसमें स्पष्ट तौर पर एक शर्त थी और अहमद बेग के दामाद के बारे में भी تُوبِی۔تُوبِی (तौबा कर तौबा कर) के इल्हाम की शर्त थी। मैं सिद्ध कर चुका हूं कि इन दोनों शर्तों के अनुसार वे दोनों भविष्यवाणियां पूरी हुईं तथा लेखराम की भविष्यवाणी में कोई शर्त न थी। इसलिए वह बिना शर्त पूरी हुई। अहमद बेग के सामने कोई भयावह नमूना न था इसलिए वह नहीं डरा और शर्त से लाभ नहीं उठाया और भविष्यवाणी के अनुसार शीघ्र मृत्यु पा गया। परन्तु इसके पश्चात् उसके रिश्तेदारों ने अहमद बेग की मौत का नमूना देख लिया और बहुत भयभीत हुए इसलिए शर्त से फायदा उठा लिया।

وَ اللّٰہُ لَا یُخۡلِفُ الۡمِیۡعَاد

और यदि कोई शर्त भी न होती और जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है रूजू करता (लौटता) और डरता या उसके रिश्तेदार जो भविष्यवाणी के असल सम्बोध्य थे रूजू करते और डरते तब भी ख़ुदा तआला अज़ाब में छूट दे देता, जिस प्रकार यूनुस नबी की उम्मत को छूट दी। हालांकि उसकी भविष्यवाणी में कोई शर्त न थी। ख़ुदा ने प्रारंभ से दण्ड की चेतावनी के साथ यह शर्त लगा रखी है कि यदि चाहूं तो दण्ड की चेतावनी को स्थगित कर दूं। इसलिए क़ुर्आन में यह

तो आता है कि:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَاد (अर्रअद: 32)

और यह नहीं आया कि إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الوَعِيْد इसके अतिरिक्त यह कहना कि सच्चे नबियों और मुहद्दिसों की समस्त भविष्यवाणियां लोगों की नज़र में सफ़ाई से पूरी होती रही हैं, बिल्कुल झूठ है बल्कि किसी समय ऐसा भी हुआ है कि जब ख़ुदा-तआला को कोई परीक्षा लेना अभीष्ट होता था तो किसी नबी की भविष्यवाणी लोगों पर संदिग्ध रखी जाती थी और वे लोग शोर मचाते रहते थे बल्कि एक उपद्रव की स्थिति उत्पन्न होकर कुछ लोग मुर्तद★ होते रहे हैं, जैसा कि हज़रत मसीह[अ.] के बारे में पहली पुस्तकों में यह भविष्यवाणी थी कि वह बादशाह होगा, परन्तु वह बादशाह के रूप में प्रकट नहीं हुए तब बहुत से अदूरदर्शी मुर्तद हो गए। पहली पुस्तकों में था कि जब तक एलिया न आए मसीह नहीं आएगा, किन्तु स्पष्ट प्रमाणों के ज़ाहिरी लिहाज़ से एलिया अब तक नहीं आया। इसी प्रकार हज़रत मूसा की भविष्यवाणी में जो मुक्ति दिलाने के बारे में थी बनी इस्राईल ने सन्देह किया और भविष्यवाणियों को झूठा समझा और कुछ भूल करने वालों ने हुदैबिया की भविष्यवाणी में भी सन्देह किया और सोचा कि वह प्रकट नहीं हुई, किन्तु वास्तव में सन्देह करने वाले गलती पर थे। अत: यह तो ख़ुदा की आदत में सम्मिलित है कि ख़ुदा के रसूलों की कुछ भविष्यवाणियां अनपढ़, मूर्ख और अदूरदर्शी लोगों पर संदिग्ध हो जाती हैं तथा विचार करने लगते हैं कि वे झूठी निकलीं। अत: मुहम्मद हुसैन उन्हीं मूर्खों का भाई है जो इस से पहले गुज़र चुके हैं। मेरे बारे में वह ऐसा कोई वाक्य नहीं कहता जो इस से पूर्व ख़ुदा के पवित्र नबियों के बारे में नहीं कहा गया।

अत: यह कभी नहीं हुआ और न होगा कि समस्त नबियों की भविष्यवाणियां मूर्खों की नज़र में सफाई के साथ पूरी हो गई हों बल्कि मुहम्मद हुसैन की तरह कुछ मूर्ख लोग नबियों की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में भी कहते रहे हैं कि वे झूठी निकलीं। अत: कुछ समयपूर्व एक यहूदी विद्वान ने हज़रत मसीह की नबुव्वत

★ मुर्तद- विधर्मी, अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाला। (अनुवादक)

के खण्डन में जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में एक सूची दी है कि उस व्यक्ति की इतनी भविष्यवाणियां झूठी निकलीं। हालांकि सच्चे नबी की समस्त भविष्यवाणियां अवश्य पूरी हो जाती हैं। यही यहूदी विद्वान लिखता है कि हमारे लिए उस व्यक्ति को झूठा कहने हेतु यही पर्याप्त है कि उसकी शिक्षा तौरात की शिक्षा से सर्वथा विपरीत है। यदि यह ख़ुदा का कलाम होता तो संभव न था कि इतना विरोधाभास होता। फिर लिखता है कि दूसरी यह बात हम यहूदियों के लिए इस व्यक्ति को मानने में अत्यन्त बाधा और इस इन्कार में ख़ुदा और हम में एक हुज्जत है कि हमें नबियों द्वारा मौखिक तौर पर खबर दी गई है कि वह मसीह जिसका पुस्तकों में वादा है कदापि नहीं आएगा जब तक उससे पहले एलिया जो आकाश पर उठाया गया दुनिया में न आ जाए परन्तु वह अब तक नहीं आया। फिर यह व्यक्ति अपने मसीह होने के दावे में सच्चा कैसे ठहर सकता है? और यही यहूदी विद्वान उस स्थान पर लिखता है कि ईसाई एलिया के बारे में हमें यह उत्तर देते हैं कि एलिया के उतरने से यूहन्ना बिन ज़करिया का आना अभिप्राय है जिसे मुसलमान यह्या कहते हैं और अभिप्राय यह था कि एलिया जैसी शक्ति और स्वभाव लेकर एक व्यक्ति अर्थात् यह्या आएगा न यह कि वास्तव में कोई आकाश से उतर कर आएगा। इसके उत्तर में कथित विद्वान लिखता है कि "पाठक गण स्वयं न्याय के अनुसार हम में और ईसाइयों में फैसला करें कि यदि वास्तव में एलिया से अभिप्राय यूहन्ना अर्थात् यह्या होता तो ख़ुदा तआला यह कदापि न कहता कि स्वयं एलिया वापस आएगा बल्कि यह कहता कि उसका मसील यह्या आएगा।" इस पर कथित विद्वान बहुत बल देता है कि "स्पष्ट प्रमाणों का बिना किसी ठोस संदर्भ के प्रत्यक्ष अर्थों से हटकर अर्थ करना यही झूठे नबी का निशान है।"

अत: विचार करना चाहिए कि नबियों की भविष्यवाणियों में कैसी-कैसी कठिनाइयां हैं। उदाहरणतया एलिया की भविष्यवाणी में यहूदियों को कैसी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि अब तक वे हज़रत मसीह को स्वीकार करने से वंचित रहे। क्या यह आश्चर्य का स्थान नहीं कि यहूदियों जैसी एक अनुभवी और ख़ुदा की पुस्तकों कि शरण में पालन-पोषण पाने वाली क़ौम एलिया के शब्द पर आकर

सच्चाई से ऐसी दूर जा पड़ी कि यह्या नबी का भी इन्कार कर दिया? इस से एक बुद्धिमान मालूम कर सकता है कि भविष्यवाणियों को झुठलाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन पर अधिकतर रूपकों का प्रभुत्व होता है। बुद्धिमान वह होता है जो दूसरे से नसीहत ग्रहण करता तथा दूसरे को संकट में देखकर शिक्षा प्राप्त करता है। मुसलमानों को हज़रत ईसा के नुज़ूल (उतरने) के बारे में उसी भयानक परिणाम से डरना चाहिए कि जो यहूदियों को एलिया के बारे में स्पष्ट प्रमाणों के प्रत्यक्ष अर्थों पर बल देने से सामने आया। जिस बात का पिछले युगों में कोई उदाहरण न हो बल्कि उसके ग़लत होने पर उदाहरण मौजूद हों उस बात के पीछे पड़ जाना बहुत बड़े मूर्ख का काम है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (अन्नहल-44)

अर्थात् ख़ुदा के नियमों और आदतों का नमूना यहूदियों और ईसाइयों से मालूम कर लो यदि तुम्हें मालूम नहीं।

अब हम इस वर्णन को इतना ही पर्याप्त समझ कर एक और अद्‌भुत बात वर्णन करते हैं कि यह फ़ित्न: एक झूठे और बनावटी मुक़द्दमे का जो मुझ पर बनाया गया ख़ुदा तआला ने **कई महीने** पहले मुझे इसकी सूचना दी थी और न केवल एक बार बल्कि 29 जुलाई 1897 ई. तक निरन्तर इस बारे में इल्हाम किए गए कि एक आज़मायश और पूछताछ पदाधिकारियों की ओर से होगी और एक आरोप लगाया जाएगा और अंततः ख़ुदा उस झूठे आरोप से बरी करेगा। और फिर उपस्थिति के पश्चात् 22 अगस्त 1897 ई. तक सांत्वना और ढारस दिलाने के इल्हाम होते रहे यहां तक कि 23 अगस्त 1897 ई. को अल्लाह तआला ने बरी कर दिया। यह सारे इल्हाम अपनी जमाअत के लगभग सौ लोगों को समय से पूर्व सुनाए गए थे जिनमें भ्राता मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब, और भ्राता मौलवी अब्दुल करीम साहिब सियालकोटी और भ्राता शैख़ रहमतुल्लाह साहिब गुजराती, और भ्राता ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब बी.ए., और भ्राता मियां मुहम्मद अली साहिब एम.ए., और भ्राता हकीम फ़ज़्लुद्दीन साहिब, भ्राता सय्यिद हामिद शाह साहिब, भ्राता ख़लीफा नूरुद्दीन साहिब जम्मू और मिर्ज़ा ख़ुदाबख़्श साहिब इत्यादि दोस्त शामिल

हैं। और हर एक क़सम खाकर वर्णन कर सकता है कि ये इल्हाम भविष्यवाणी के तौर पर उनको सुनाए गए थे। अत: इस मुक़द्दमे का हमारी जमाअत को यह लाभ पहुंचा कि इसके कारण उन्होंने कई निशान देख लिए। एक तो यही निशान कि ख़ुदा तआला ने मुक़द्दमे से पहले मुक़द्दमे की खबर दी और फिर अन्त में बरी होने की खबर दी और दूसरा यह निशान जो पहले छपे हुए इल्हाम में यह वाक्य था اِنِّیْ مُهِيْنٌ مَنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ इस की सच्चाई देख ली और तीसरा निशान यह कि कि विरोधियों ने तो मुझ पर आरोप लगाना चाहा था परन्तु ख़ुदा तआला ने पदाधिकारियों की दृष्टी में उन्हीं को दोषी कर दिया, और चौथा निशान यह कि मुहम्मद हुसैन ने मुझे अपमानित स्थिति में देखना चाहा था, ख़ुदा तआला ने यह अपमान उसी पर डाल दिया और उसके षड़यंत्र से मुझे बचा लिया। यह ख़ुदा का समर्थन है। चाहिए कि हमारी जमाअत उसे स्मरण रखे और इस मुक़द्दमे के दायर होने में ख़ुदा की एक बड़ी नीति यह थी ताकि ख़ुदा तआला इस प्रकार से भी हज़रत मसीह[अ.] से मेरी समरूपता सिद्ध करे और मेरी जीवनी की उसकी जीवनी से समानता लोगों पर प्रकट करे। अत: वे समस्त सामानताएं इस मुक़द्दमे से सिद्ध हुईं। **उन में से** एक यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के लिए उनके एक नाममात्र के मुरीद ने जिसका नाम यहूदा इस्क्रियूती था यहूदियों से तीस रुपए लेकर हज़रत मसीह को गिरफ़्तार करवा दिया। इसी प्रकार मेरे मुक़द्दमे में हुआ कि अब्दुल हमीद नामक एक मेरे नाममात्र मुरीद ने ईसाइयों के पास जाकर उनके लालच देने में फंस कर उनके कहने पर मुझ पर क़त्ल का मुक़द्दमा बनाया। **दूसरी** समानता यह कि मसीह का मुक़द्दमा एक अदालत से दूसरी अदालत स्थानांतरित हुआ था, इसी प्रकार मेरा मुक़द्दमा भी अमृतसर ज़िले से गुरदासपुर के ज़िले में स्थानांतरित हुआ। **तीसरी** समानता यह कि पैलातूस ने हज़रत मसीह के बारे में कहा था कि मैं यसू का कोई पाप नहीं देखता। इसी प्रकार कप्तान डगलस साहिब ने अदालत में डाक्टर क्लार्क के सामने मुझे कहा कि मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाता। **चौथी** समानता यह कि जिस दिन मसीह ने सलीबी मौत से मुक्ति पाई। उस दिन उस के साथ एक चोर गिरफ़्तार होकर दण्डित हो गया था। इसी प्रकार

मेरे साथ भी उसी तिथि अर्थात् 23, अगस्त, 1897 ई. उसी समय में जब मैं बरी हुआ तो मुक्ति फौज का एक ईसाई चोरी करने के कारण गिरफ्तार होकर उसी अदालत में पेश हुआ। अत: उस चोर ने तीन महीने जेल में दण्ड पाया। **पांचवीं** समानता यह कि मसीह को गिरफ़्तार कराने के लिए यहूदियों तथा उनके सरदार काहिन (ज्योतिषी) ने शोर मचाया था कि मसीह रोम सरकार का विद्रोही है और स्वयं बादशाह बनना चाहता है। इसी प्रकार मुहम्मद हुसैन बटालवी ने ईसाइयों का गवाह बन कर अदालत में केवल शरारत से शोर मचाया कि यह व्यक्ति बादशाह बनना चाहता है और कहता है कि मेरी विरोधी जितनी सरकारें हैं सब काटी जाएंगी। **छठी** समानता यह कि जिस प्रकार पैलातूस ने सरदार काहिन की व्यर्थ बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और समझ लिया कि यह व्यक्ति मसीह का कट्टर शत्रु है, इसी प्रकार कप्तान एच.एम.डगलस साहिब ने मुहम्मद हुसैन बटालवी के बयान पर कुछ भी ध्यान न दिया और उसकी अभिव्यक्ति में लिख दिया कि यह व्यक्ति मिर्ज़ा साहिब का कट्टर शत्रु है। और फिर अन्तिम आदेश में उसकी अभिव्यक्ति की चर्चा तक नहीं की और बिलकुल व्यर्थ और स्वार्थ परायणता का बयान ठहरा दिया। **सातवीं** समानता यह कि जिस प्रकार मसीह को गिरफ़्तारी से पहले ख़बर दी गई थी कि इस प्रकार तुझे गिरफ़्तार करेंगे और तुझे क़त्ल करने के लिए प्रयास करेंगे और अन्तत: ख़ुदा तुझे उनकी शरारत से बचा लेगा।★ इसी प्रकार मुझे ख़ुदा तआला ने इस मुक़द्दमे से पहले ख़बर दे दी और एक बड़ा समूह जो उपस्थित था सब को वे इल्हाम सुनाए गए और जो उपस्थित नहीं थे उनमें अधिकतर लोगों की ओर पत्र लिखे गए थे और ये लोग सौ से कुछ अधिक हैं।

अन्त में यह भी स्पष्ट रहे कि यह क़त्ल के इरादे का मुक़द्दमा जो मुझ पर दायर किया गया वास्तव में मंगढ़त था। डिप्टी कमिश्नर साहिब ने स्वयं गवाही दी है कि अब्दुल हमीद का पहला बयान उनको पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं करता और

★नोट - मसीह ने जो अपने लिए यूनुस का उदाहरण दिया, यह उसी की ओर संकेत था कि वह क़ब्र में जीवित प्रवेश करेगा और जीवित रहेगा। क्योंकि मसीह ने ख़ुदा से इल्हाम पाया था कि वह सलीब की मौत से कदापि नहीं मरेगा। इसी से।

दूसरे बयान पर कोई जिरह नहीं की। फिर पहले बयान के झूठा होने पर एक बड़ा तर्क यह है कि नूरदीन ईसाई और पादरी ग्रे साहिब ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि अब्दुल हमीद पहले उनके पास आया था और चाहता था कि ईसाई होकर उनमें गुज़ारा करे परन्तु वह उसको रोटी नहीं दे सके। इसलिए वह नूरदीन के बताने पर क्लार्क के पास पहुंचा। अत: बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि अब्दुल हमीद क्लार्क को क़त्ल करने के लिए भेजा गया था तो उसके लिए क्या आवश्यक था की नूरदीन के पास जाता और फिर पादरी ग्रे के पास जाता। उसे तो सीधे डाक्टर क्लार्क के पास जाना चाहिए था। यह एक ऐसी बात है जिससे पूरा मुक़द्दमा खुलता है और प्रसंग भी स्पष्ट तौर पर सिद्ध करते हैं कि यह व्यक्ति गुजरात में पहले ईसाई रह चुका था और दुराचार में निकाला गया था। इसलिए उसने उचित समझा कि अपना पहला नाम प्रकट न करे ताकि ईसाई लोग पास रखने में बहाना न करें। उसने इसी बात को अपनी दूसरी अभिव्यक्ति में इक़रार भी किया है। अफ़सोस कि डिप्टी कमिश्नर साहिब बहादुर तथा कप्तान साहिब पुलिस ने तो वास्तव में प्रारंभ से ही अपनी प्रतिभास समझ लिया था कि यह मुक़द्दमा सच्चा नहीं है, किन्तु मुहम्मद हुसैन बटालवी ने पक्षपात एवं कृपणता के कारण इस मुक़द्दमे को सच्चा ठहराया तथा अपना अहंकारपूर्ण द्वेष निकालने के लिए यह एक अवसर समझा। इसीलिए वह ऐसे झूठे और लज्जाजनक मुक़द्दमे में ईसाइयों की सहायता करने के लिए अदालत में आया-

فَلْيَبْكِ عَلٰى تقواه من كانَ با كِيًا

किन्तु स्वाभाविक तौर पर यहां एक प्रश्न उठता है कि ऐसे मौलवी जो लम्बे समय तक लोगों को संयम, ज़ुबान रोकना, सत्यनिष्ठा और अमानत का उपदेश देते रहे उन्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए क्यों सहायता न मिली। इसका उत्तर यह है कि ख़ुदा तआला किसी पर अन्याय नहीं करता बल्कि मनुष्य अपनी जान पर स्वयं अन्याय करता है अल्लाह तआला का नियम यह है कि जब एक कार्य इन्सान से घटित होता है तो जो कुछ प्रभाव उसमें छुपा हुआ हो या कोई विशेषता उसमें गुप्त होती है ख़ुदा तआला उसे अवश्य प्रकट कर देता है। उदाहरणतया जिस समय हम

किसी कोठरी के चारों ओर से दरवाज़े बन्द कर दें तो यह हमारा कार्य है जो हमने किया तथा ख़ुदा तआला की ओर से उस पर यह प्रभाव होगा कि हमारी कोठरी में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा करना ख़ुदा का कार्य है जो अनादि काल से उसके क़ानून-ए-क़ुदरत में लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब हम विष की एक बड़ी मात्रा खा लेंगे तो कुछ सन्देह नहीं कि यह हमारा कार्य होगा। तत्पश्चात हमें मार देना यह ख़ुदा का कार्य है जो अनादि काल से उसके क़ानून-ए-क़ुदरत में लिखा हुआ है। निष्कर्ष यह कि हमारे एक कार्य के साथ एक कार्य ख़ुदा का अवश्य होता है जो हमारे कार्य के बाद प्रकट होता है और उसका परिणाम अनिवार्य होता है। अत: यह प्रबंध जैसा कि प्रत्यक्ष से संबंधित है ऐसा ही आन्तरिक से भी संबंधित है। हमारा प्रत्येक अच्छा या बुरा काम अपने साथ एक प्रभाव अवश्य रखता है जो हमारे कार्य के बाद प्रकट होता है और पवित्र क़ुर्आन में जो

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ (अलबक़रह-8)

आया है इसमें ख़ुदा के मुहर लगाने के यही अर्थ हैं कि जब मनुष्य बुराई करता है तो बुराई का परिणाम प्रभाव के तौर पर उसके हृदय पर और मुंह पर ख़ुदा तआला प्रकट कर देता है और यही अर्थ इस आयत के हैं कि-

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ (अस्सफ़-6)

अर्थात् जब वे सच्चाई से फिर गए तो ख़ुदा तआला ने उनके हृदय को सच की अनुकूलता से दूर डाल दिया और अन्त में शत्रुता पूर्ण जोश के प्रभावों से उन में एक विचित्र काया कल्प प्रकट हुई और ऐसे बिगड़े कि जैसे वे, वे न रहे और शनै: शनै: अहंकार पूर्ण विरोध के विष ने उनके स्वभाव के प्रकाशों को दबा दिया। अत: इसी प्रकार हमारे आन्तरिक विरोधियों का हाल हुआ। मसीह का बुरूज़ (समरूप) के तौर पर उतरना जिसे समस्त अन्वेषक मानते चले आए हैं, यह एक ऐसा विषय न था जो किसी विद्वान की समझ में न आए। बड़े-बड़े महान विद्वान इसे मान चुके हैं यहां तक कि मुहियुद्दीन इब्ने अरबी साहिब भी अपनी तफ़्सीर में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि "मसीह का नुज़ूल इस प्रकार से होगा कि उसकी रूह किसी अन्य शरीर से जुड़ेगी अर्थात् उसकी प्रकृति और स्वभाव पर जो एक

रूहानी बात है कोई और व्यक्ति पैदा होगा।" अत: ख़ुदा तआला इन लोगों को सहायता देने के लिए तैयार था यदि वे सहायता लेने के लिए तैयार होते परन्तु वे तो कृपणता और द्वेष से बहुत दूर जा पड़े और नहीं चाहा कि ख़ुदा तआला उनके हृदयें को प्रकाशित करे। हां मैं विश्वास रखता हूं कि उनकी इस हठ और विरोध में भी ख़ुदा तआला की एक नीति है और वह यह कि अल्लाह तआला इरादा करता है कि जिन रूहानी रोगों को वे अपनी मक्कारी (फ़रेब) से गुप्त रखते थे और इस प्रकार **लोगों को भी धोखा देते** और स्वयं अपनी जान से छल करते थे **वे समस्त रोग उन पर प्रकट किए जाएं और आडंबरों के समस्त पर्दे उठा दिए जाएं।** अत: उन्होंने अपनी अहंकारमय आंधियों और द्वेष के तूफ़ान से सच्चाई और दृढ़ता के पर्वत से टक्कर खा कर और तलवार की तेज़ धार पर हाथ मारकर प्रकट कर दिया वे अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे घातक घावों के लिए तत्पर हो रहे हैं तथा किस प्रकार कमीनेपन के विचार उनको विनाश की ओर आकर्षित कर रहे हैं और उन पर प्रतिदिन प्रकट होता जाता है कि उन का अस्तित्व नाना प्रकार की ईर्ष्या एवं कृपणता (कंजूसी) का संग्रह और एवं अभिमान का उद्गम है। इस प्रकार से दृढ़ आशा है कि वह एक दिन अपनी इस समस्त स्थितियों पर दृष्टि डाल कर सावधान हो जाएंगे और अन्तत: उनको एक रूहानी आंख दी जाएगी जिस से वे ख़तरनाक मार्गों से दूर हो सकेंगे।

हम कई बार लिख चुके हैं कि ख़ुदा तआला की ओर से मार्ग दर्शन या यों कहो कि मार्ग दर्शन के कारण और माध्यम तीन हैं, अर्थात् एक यह कि कोई खोया हुआ सिर्फ़ ख़ुदा की किताब के माध्यम से हिदायत पाने वाला हो जाए और दूसरे यह कि यदि ख़ुदा तआला की किताब से अच्छी तरह न समझ सके तो बौद्धिक गवाहियों की रोशनी उसका मार्ग दर्शन करे। और तीसरे यह कि बौद्धिक गवाहियों से भी सन्तुष्ट न हो सके तो उसे आकाशीय निशान सन्तोष प्रदान करें। बन्दों को सन्तुष्ट करने के लिए ये तीन उपाय अनादि काल से ख़ुदा की आदत में दाखिल हैं अर्थात् ईमानी पुस्तकों का एक क्रम जो सुनने और नकल के रंग में सामान्य लोगों तक पहुंचता है जिन के सन्देशों एवं निर्देशों पर ईमान लाना प्रत्येक मोमिन

का कर्त्तव्य है और उनका सम्पूर्ण भण्डार तथा सर्वांगपूर्ण पवित्र क़ुर्आन है। दूसरा क्रम तर्क शास्त्र एवं विज्ञान की पुस्तकों का है जिसका स्रोत एवं उद्गम बौद्धिक तर्क है। तीसरा क्रम आकाशीय निशानों का जिसका मुख्य स्रोत नबियों के पश्चात हमेशा **युग का इमाम** और **समय का मुजद्दिद** होता है। उन निशानों के असल वारिस अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। फिर जब उन के चमत्कार और निशान लम्बे समय के पश्चात् नक़ल के रंग में होकर कमज़ोर प्रभाव वाले हो जाते हैं, तो ख़ुदा तआला उनके पदचिन्हों पर किसी अन्य को पैदा करता है ताकि पीछे आने वाले लोगों के लिए नुबुव्वत के अद्भुत चमत्कार बतौर नक़ल होकर मुर्दा और प्रभावहीन न हो जाएँ बल्कि वे लोग भी स्वयं निशानों को देखकर अपने ईमानों को ताज़ा करें। अत: ख़ुदा तआला के अस्तित्व तथा सद्मार्ग पर विश्वास लाने के लिए यही तीन उपाय हैं जिनके माध्यम से मनुष्य समस्त सन्देहों से मुक्ति पाता है। यदि ख़ुदा की किताब और उसके लिखित चमत्कार एवं निशान तथा निर्देश जो इस युग के सामान्य लोगों की दृष्टि में बतौर नकल किए हुए हैं किसी पर संदिग्ध रहें तो हज़ारों बौद्धिक तर्क उनके समर्थन में खड़े होते हैं और यदि बैद्धिक तर्क भी किसी निश्छल व्यक्ति पर संदिग्ध रहें तो फिर खोज करने वालों के लिए आकाशीय निशान भी मौजूद हैं। परन्तु बड़े दुर्भाग्यशाली वे लोग हैं कि जो इन तीनों मार्गों के खुले होने के बावजूद फिर भी हिदायत (मार्गदर्शन) पाने से वंचित रहते हैं तथा वास्तव में हमारे आन्तरिक एवं बाह्य विरोधी इस प्रकार के हैं। उदाहरणतया इस युग के मौलवियों को बार-बार क़ुर्आन और हदीसों से दिखाया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा चुके हैं परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर बौद्धिक तौर पर उन्हों शर्म दिलाई गई कि तुम्हारी यह आस्था (अक़ीद:) बुद्धि के भी सर्वथा विपरीत है। तुम्हारे पास इसका कोई उदाहरण नहीं कि इस से पहले कोई आकाश से भी उतरा है फिर आकाशीय निशान उन्हें निरन्तर दिखलाए गए और उन पर **ख़ुदा के समझाने का अन्तिम प्रयास** पूरा हो गया, परन्तु पक्षपात ऐसी विपत्ति है कि ये लोग अब तक इस बिगड़ी हुई आस्था को नहीं छोड़ते।

इसी प्रकार पादरी लोग भी इन तीनों उपायों के माध्यम से हमारे सामने

उत्तरदायी हैं परन्तु फिर भी अपनी निर्मूल आस्थाओं को छोड़ना नहीं चाहते और नितान्त अधम और व्यर्थ विचारों पर गिर जाते हैं और कथित तीनों माध्यमों की दृष्टि से वे इस प्रकार दोषी ठहरते हैं कि यदि उदाहरणतया उनके उस शारीरिक एवं सीमित ख़ुदा का जिसका नाम वे यसू रखते हैं पहली शिक्षाओं से पता मालूम किया जाए या यहूदियों के बयान लिए जाए तो एक कण के बराबर भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी जिसने ऐसे ख़ुदा का नक्शा खींच कर दिखलाया है। यदि यहूदियों को यह शिक्षा दी जाती तो संभव न था कि उनके समस्त फ़िर्क़े उस आवश्यक शिक्षा को जो उनकी मुक्ति का आधार थी भुला देते और कोई एक-आध फ़िर्क़ा भी उस शिक्षा पर क़ायम न रहता। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि एक ऐसा वैभवशाली समुदाय जिसमें प्रत्येक युग में हज़ारों प्रकाण्ड विद्वान मौजूद रहे हैं तथा जिनके साथ साथ सैकड़ों नबी होते चले आए हैं एक ऐसी शिक्षा से वे अपरिचित रहे हों जो चौदह सौ वर्ष से निरन्तर उनको मिलती रही तथा उनके लाखों लोग हर सदी में उस शिक्षा के अधीन पालन-पोषण पाते रहे और हर सदी के पैग़म्बर के माध्यम से वह शिक्षा उतरती रही और उन का प्रत्येक फ़िर्क़ा उस शिक्षा का पालन करता रहा और उन के रोम-रोम में वह शिक्षा समा गई। इसी प्रकार हर सदी में (निरन्तर) उनके नबी अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से उस शिक्षा का पालन करने पर बल देते चले आए, यहां तक कि उस सदी (शताब्दी) तक नौबत पहुंच गई जिसमें **एक व्यक्ति ने ख़ुदा होने का दावा किया** और उन सभी लोगों ने उस दावे से साफ इन्कार कर दिया और एकमत होकर कहा कि यह दावा उस **निरन्तर शिक्षा के विपरीत है** जो तौरात और अन्य किताबों के द्वारा ख़ुदा के नबियों के माध्यम से चौदह सौ वर्ष से आज तक हमें मिलती रही है।

अत: ईसाई आस्था के ग़लत होने के लिए इससे बड़ा और क्या तर्क होगा कि वे जिस शिक्षा को सच्चा और ख़ुदा की ओर से समझते हैं वही शिक्षा उन की नवीन आस्था को झुठलाने वाली है तथा उनकी आस्था से ऐसी खुली-खुली विरोधी है कि कभी किसी यहूदी को सन्देह भी नहीं हुआ कि उस शिक्षा में तस्लीस (तीन ख़ुदाओं की कल्पना) भी सम्मिलित है। हां ईसाई लोग भविष्यवाणियों की

ओर हाथ-पैर मारते हैं, परन्तु यह विचार बहुत हास्यास्पद और लज्जाजनक है क्योंकि जिन नबियों की यह एकेश्वरवादी शिक्षा थी जो निरन्तर यहूदियों के हाथों में चली आई कैसे संभव था कि ऐसे नबी अलैहिस्सलाम अपनी शिक्षा के विरुद्ध भविष्यवाणियां वर्णन करते तथा अपनी शिक्षा एवं भविष्यवाणियों में ऐसा विरोधाभास डाल देते कि शिक्षा का कुछ और आशय तथा भविष्यवाणियों का कुछ और ही उद्देश्य हो जाता।

यहां बुद्धिमान के लिए यह एक बिन्दु अत्यन्त मार्ग-दर्शन करने वाला है कि भविष्यवाणियों में रूपक और मजाज़ (संकेत) भी होते हैं परन्तु शिक्षा के लिए व्याख्या एवं विवरण आवश्यक होता है। इसलिए जहां कहीं शिक्षा और भविष्यवाणी में विरोधाभास मालूम हो तो यह अनिवार्य होता है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और भविष्यवाणी को, यदि वह उसके विपरीत हो तो प्रत्यक्ष शब्दों से फेर कर शिक्षा के अनुसार और अनुकूल कर दिया जाए ताकि विरोधाभास का निवारण हो। बहरहाल शिक्षा संबंधी विषय प्राथमिक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्याख्या एवं विवरण के बिना, अधिकतर फाइदा उठाने में आती रहती है इसलिए इसके उद्देश्य और आशय किसी प्रकार छिपे नहीं रह सकते भविष्यवाणियों के विपरीत, क्योंकि वे प्राय: एकान्त में पड़ी रहती हैं। अत: इस सृदृढ़ सिद्धान्त की दृष्टि से यहूदी लोग ईसाइयों की तुलना में इस बहस में बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि यहूदियों ने शिक्षा को भविष्यवाणियों पर प्राथमिकता दी तथा भविष्यवाणियों के वे अर्थ किए जो शिक्षा के विरोधी न हों, किन्तु ईसाइयों ने भविष्यवाणियों के वे अर्थ किए हैं जो शिक्षा के सर्वथा विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त यहूदियों के अर्थ इस प्रकार से भी प्रमाणित हैं कि वे नबियों से सुनते चले आए हैं और हज़रत यह्या नबी का एक फ़िर्क़ा जो सीरिया देश में अब तक पाया जाता है वह भी ईसाइयों की इस आस्था का विरोधी है और यहूदियों का समर्थक है और इस बात पर यह एक अन्य तर्क है कि ईसाई गलती पर हैं। अत: पुस्तक उदाहृत प्रमाणों की दृष्टि से ईसाइयों की आस्था अत्यन्त कमज़ोर है बल्कि लज्जाजनक है। रहा दूसरा माध्यम सच को पहचानने का जो कि बुद्धि है तो बुद्धि तो ईसाई आस्था को दूर से धक्के देती है। ईसाई इस बात

को मानते हैं कि जिस जगह तस्लीस की मुनादी नहीं पहुंची, ऐसे लोगों से केवल क़ुर्आन और तौरात की तौहीद (एकेश्वरवाद) के अनुसार पकड़ होगी, तस्लीस के अनुसार पकड़ नहीं होगी। अतः वे इस बयान से स्पष्ट गवाही देते हैं कि तस्लीस की आस्था बुद्धि के अनुकूल नहीं। क्योंकि यदि बुद्धि के अनुकूल होती तो जैसा कि अनभिज्ञ लोगों से तौहीद (एकेश्वरवाद) की पकड़ आवश्यक है ऐसा ही तस्लीस की पकड़ भी आवश्यक ठहरती। अतः इन दोनों के बाद तीसरा माध्यम सच को पहचानने का आकाशीय निशान हैं अर्थात् यह कि सच्चे धर्म के लिए आवश्यक है कि उसकी निर्भरता केवल किस्सों और कहानियों पर न हो अपितु प्रत्येक युग में उसको पहचानने के लिए आकाशीय दरवाज़े खुले रहें और आकाशीय निशान प्रकट होते रहें, ताकि मालूम हो कि उस जीवित ख़ुदा से उसका संबंध है कि जो हमेशा सच्चाई का समर्थन करता है। अतः खेद कि ईसाई धर्म में यह लक्षण भी नहीं पाया जाता अपितु वर्णन किया जाता है कि निशानों एवं चमत्कारों का सिलसिला आगे नहीं पीछे रह गया है और कोई वर्तमान आकाशीय निशान दिखाने की बजाए उन बातों को प्रस्तुत करते हैं कि जो इस युग की दृष्टि में केवल क़िस्से और कहानियां हैं। स्पष्ट है कि यदि यसू ने किसी युग में अपनी ख़ुदाई सिद्ध करने के लिए कुछ मछुआरों को निशान दिखलाए थे तो अब इस युग के शिक्षित लोगों को **उन अशिक्षित लोगों की अपेक्षा** निशान देखने की नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि इन बेचारों को किसी प्रकार से असहाय मनुष्य की ख़ुदाई समझ में नहीं आती तथा कोई तर्कशास्त्र या दर्शनशास्त्र ऐसा नहीं जो ऐसे व्यक्ति को ख़ुदाई के दावे की डिग्री दे जिसकी रात भर की दुआ भी स्वीकार न हो सकी तथा जिसने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि उसकी रूह कमज़ोर भी है और नासमझ भी। अतः यदि यसू अब भी जीवित ख़ुदा है और अपने उपासकों (इबादत करने वालों) की आवाज़ सुनता है तो चाहिए कि अपनी जमाअत को जो एक अनुचित आस्था पर अकारण बल दे रही है अपने आकाशीय निशानों के द्वारा सहायता प्रदान करे। मनुष्य सांत्वना पाने के लिए सदैव आकाशीय निशानों को देखने का मोहताज है और रूह सदैव इस बात की भूखी और प्यासी है कि अपने ख़ुदा को आकाशीय

निशानों के द्वारा देखे और इस प्रकार से नास्तिकों नेचरियों और विधर्मियों के संघर्ष से मुक्ति पाए। अत: सच्चा धर्म ख़ुदा का तलाश करने वालों पर आकाशीय निशानों का दरवाज़ा कदापि बन्द नहीं करता।

अत: जब मैं देखता हूं कि ईसाई धर्म में ख़ुदा को पहचानने के तीनों माध्यम लुप्त हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग किस बात के सहारे यसू-उपासना पर बल दे रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है कि उन पर आकाशीय दरवाज़े बन्द हैं, पुस्तकीय तर्क उनको अपने दरवाज़े से ढकेल देते हैं और पुस्तकीय दस्तावेज़ (प्रलेख) जो पिछले नबियों की निरन्तर चली आ रही शिक्षाओं से प्रस्तुत करने चाहिए थे, वे उनके पास मौजूद नहीं। परन्तु फिर भी इन लोगों के हृदयों में ख़ुदा तआला का भय नहीं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता यह है कि ऐसा धर्म अपनाए जिस के ख़ुदा को पहचानने के सिद्धान्त पर सर्वसहमति हो और बुद्धि भी साक्ष्य (गवाही) दे तथा आकाशीय दरवाज़े भी उस धर्म पर बन्द न हों। अत: विचार करने के पश्चात् ज्ञात होता है कि इन तीनों विशेषताओं से ईसाई धर्म वंचित है। उसका ख़ुदा को पहचानने का ढंग ऐसा अनोखा है कि न उस का यहूदियों ने अनुसरण किया और न विश्व की अन्य किसी आकाशीय किताब ने वह मार्ग-दर्शन किया तथा बुद्धि के साक्ष्य का यह हाल है कि स्वयं यूरोप में जितने लोग बौद्धिक विद्याओं में पारंगत होते जाते हैं वे ईसाइयों की इस आस्था पर उपहास करते हैं।

वास्तविकता यह है कि सभी बौद्धिक आस्थाएं पूर्णता के रूप में होती हैं क्योंकि व्यापक नियमों से वे निकलती हैं। इसलिए एक दार्शनिक (फ़िलास्फ़र) यदि इस बात को स्वीकार कर ले कि यसू ख़ुदा है तो चूंकि तर्कों का आदेश समग्रता (व्यापक) का फ़ायदा देता है उसको मानना पड़ता है कि पहले भी ऐसे करोड़ों ख़ुदा गुज़रे हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं और यह ग़लत है।

और आकाशीय निशानों की गवाही का यह हाल है कि यदि समस्त पादरी मसीह मसीह करते मर भी जाएं तब भी उनको आकाश से कोई निशान नहीं मिल सकता। क्योंकि मसीह ख़ुदा हो तो उनको निशान दे। वह तो बेचारा, असहाय तथा उनके आर्तनाद (फ़र्याद) से बे ख़बर है और ख़बर भी हो तो क्या कर सकता है।

दुनिया में ऐसा धर्म तथा इन विशेषताओं का संग्रहीता केवल **इस्लाम** है। प्रत्येक धर्म की ख़ुदा को पहचानने की बहस से फालतू बातों को बाहर निकाल दिया जाए और सृष्टि उपासना (मख़्लूक परस्ती) का भाग अलग कर दिया जाए तो जो शेष रहेगा वही इस्लामी तौहीद (एकेश्वरवाद) है। इस से विदित्त हुआ कि इस्लामी तौहीद सर्वमान्य है। अत: ऐसे लोग स्वयं को कितने (बड़े) ख़तरे में डालते हैं कि एक बात को जो सर्वमान्य है स्वीकार नहीं करते तथा ऐसी आस्थाओं का अनुकरण करते हैं कि जो केवल उनके अपने दावे हैं तथा सर्वमान्यता से रिक्त हैं। यदि क़यामत (प्रलय) के दिन हज़रत मसीह ने कह दिया कि मैं तो ख़ुदा नहीं था तुम ने क्यों अकारण मेरे ज़िम्मे ख़ुदाई लगा दी तो फिर कहां जाएंगे और किस के पास जाकर रोएंगे!!? ख़ुदा तआला ने ईसाइयों को दोषी करने के लिए उनके झूठ पर चार गवाह खड़े किए हैं-

प्रथम- यहूदी जो लगभग साढ़े तीन हज़ार वर्ष से गवाही दे रहे हैं कि हमें कदापि, कदापि तस्लीस (तीन ख़ुदाओं) की शिक्षा नहीं मिली और न किसी नबी ने ऐसी कोई भविष्यवाणी की कि कोई ख़ुदा या वास्तविक तौर पर ख़ुदा का बेटा पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है।

द्वितीय- हज़रत यह्या की उम्मत अर्थात् यूहन्ना की उम्मत जो अब तक शाम देश में मौजूद है जो हज़रत मसीह को अपनी प्राचीन शिक्षा की दृष्टि से केवल मनुष्य और नबी और हज़रत यह्या का शिष्य समझते हैं।

तृतीय- ईसाइयों का एकेश्वरवादी फ़िर्क़ा जिन की पवित्र क़ुर्आन में भी बार-बार चर्चा है जिनकी बहस रोम के तीसरी सदी के क़ैसर ने तस्लीस वालों से कराई थी और एकेश्वरवादी फ़िर्क़ा विजयी रहा था। इसी कारण क़ैसर ने एकेश्वरवादी फ़िर्क़े का धर्म स्वीकार कर लिया था।

चतुर्थ- हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम तथा पवित्र क़ुर्आन जिन्होंने गवाही दी कि मसीह इब्ने मरयम कदापि ख़ुदा नहीं है और न ख़ुदा का बेटा है बल्कि ख़ुदा का नबी है।

इसके अतिरिक्त हज़ारों सत्यनिष्ठ ख़ुदा तआला का इल्हाम पाकर अब

तक गवाही देते चले आए हैं कि मसीह इब्ने मरयम एक कमज़ोर बन्दा है तथा ख़ुदा का नबी। **अत:** इस युग के ईसाइयों पर गवाही देने के लिए ख़ुदा तआला ने **मुझे खड़ा किया है** और मुझे आदेश दिया है ताकि मैं लोगों पर प्रकट करूं कि इब्ने मरयम को ख़ुदा ठहराना एक असत्य और कुफ्र का मार्ग है तथा उसने मुझे अपने वार्तालाप एवं संबोधनों से सम्मानित किया है तथा उसने मुझे बहुत से निशानों सहित भेजा है और मेरे समर्थन में उसने बहुत से विलक्षण निशान प्रकट किए हैं तथा वास्तव में उसकी कृपा से हमारी मज्लिस **ख़ुदा के दर्शन कराने वाली मज्लिस है**। जो व्यक्ति इस मज्लिस (सभा) में सही नीयत एवं पवित्र इरादे तथा सीधी जिज्ञासा से एक अवधि तक रहे तो मैं विश्वास करता हूं कि यदि वह नास्तिक भी हो तो अन्तत: ख़ुदा पर ईमान लाएगा और एक ईसाई जिसे ख़ुदा तआला का भय हो और जो सच्चे ख़ुदा की तलाश, भूख और प्यास रखता हो उस पर अनिवार्य है कि व्यर्थ क़िस्से और कहानियां हाथ से फेंक दे तथा चश्मदीद सबूतों का अभिलाषी बन कर एक अवधि तक मेरी संगत में रहे फिर देखे कि वह ख़ुदा जो पृथ्वी तथा आकाश का मालिक है किस प्रकार अपने आकाशीय निशान उस पर प्रकट करता है, किन्तु अफ़सोस कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो वास्तव में ख़ुदा को ढूंढने वाले तथा उस तक पहुंचने के लिए दिन-रात भटकते फिरते हैं। **हे ईसाइयो!** स्मरण रखो कि मसीह इब्ने मरयम कदापि, कदापि ख़ुदा नहीं है। तुम अपने प्राणों पर अत्याचार न करो। ख़ुदा की श्रेष्ठता सृष्टि को न दो। इन बातों के सुनने से हमारा हृदय कांपता है कि तुम एक **कमज़ोर निराश्रय सृष्टि (मख़्लूक़)** को ख़ुदा समझ कर पुकारते हो। **सच्चे ख़ुदा** की ओर आ जाओ ताकि तुम्हारा भला हो और तुम्हारा अंजाम अच्छा हो।

पाठकगण इस स्थान से यह लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं कि पादरियों का यह दावा है कि अन्त:करण की पवित्रता तथा पवित्र प्रकाश केवल हमारे ही हिस्से में आ गया है तथा अन्य क़ौमें सर्वथा पापों में लिप्त हैं, परन्तु उन का यह दावा हमेशा झूठा एवं वास्तविकता के विपरीत सिद्ध होता रहा है बल्कि सच बात यह है कि बहुत से लोग उनमें भी ऐसे हैं कि जो लज्जाजनक जीवन व्यतीत करते हैं।

इंजील की शिक्षा को उन्होंने ऐसा बिगाड़ा है कि जैसे उसके खाने के दाँत और दिखाने के और हैं। हम किसी पादरी की नहीं देखते कि एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल भी फेर दे बल्कि उनमें से कई लोग झूठे मुक़द्दमे क़ायम करते हैं तथा नितान्त अधीरता (बेसब्री) और द्वेष रखने के कारण छोटी-छोटी बातों को अदालतों तक पहुंचाते हैं फिर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि पदाधिकारी उनके शत्रुओं को दण्ड दें। इसी मुक़द्दमे को देखना चाहिए कि किस प्रकार सर्वथा झूठ बांधा गया तथा किस प्रकार इंजील उपदेशक महानुभावों ने क़त्ल के मुकद्दमें में मुझे गिरफ़्तार कराने के लिए **कसमें** खाई हैं। डाक्टर क्लार्क, वारिस दीन, अब्दुर्रहीम, प्रेमदास तथा यूसुफ़खान ये सब ईसाई लोग वे लोग हैं जिन्होंने इस लज्जाजनक मुक़द्दमे के समर्थन में **इंजील उठाई**। ये वही बुज़ुर्ग हैं जो आथम के मुक़द्दमे में बार-बार कहते थे कि "हमारे धर्म में **क़सम खाना** कदापि उचित नहीं, फिर आथम क्यों क़सम खाता।" बल्कि डाक्टर क्लार्क ने एक विज्ञापन में बहुत अपमान के साथ यह लिखा था कि :

“हमारे धर्म में क़सम खाना ऐसा है जैसा कि मुसलमानों में सूअर खाना।”

अत: इस तरह लोगों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी कथनी और करनी में कहां तक अनुकूलता है। हम अब्दुल्लाह आथम से क्या चाहते थे, यही तो चाहते थे कि वह न्यायवानों की अदालत के जल्से में उपस्थित होकर क़सम खाए कि वह हमारी शर्त के अनुसार इस्लामी प्रतिष्ठा से भयभीत नहीं हुआ। अत: चूंकि वह सच पर नहीं था, इसलिए क़सम खाने का साहस न कर सका। यदि यह बहाना था कि

“हम अदालत में क़सम खाते हैं न किसी और जगह”

अत: प्रथम तो यह बहाना उनकी पुस्तकों में नहीं लिखा। इंजील में कही उल्लेख नहीं कि क़सम केवल उस स्थिति में उचित है कि जब तुम्हें अदालत में जबरन बुलाया जाए बल्कि सामान्य तौर पर क़सम की अनुमति दी तथा स्वयं हज़रत मसीह ने अदालत में उपस्थित हुए बिना क़सम खाई, तथा उनका पोलूस हमेशा क़सम खाया करता था और यदि हम अपनी ओर से अदालत में उपस्थित

होने की शर्त भी संलग्न कर लें तो इस शर्त का भी उन्हें कुछ लाभ नहीं। क्योंकि अदालत से अभिप्राय यह नहीं है कि अवश्य कि नौकरी पेशा अधिकारी की कचहरी हो बल्कि ऐसे न्यायवान एवं मध्यस्थ जो बिना किसी पक्षपात के सच की गवाही दे सकते हों और झूठे को दोषी कर सकते हों उनका जल्सा भी निस्संदेह अदालत का जल्सा है। जिसकी ओर बुलाया गया था। और मज़ेदार बात यह कि ईसाइयों की पुस्तकों में क़सम खाने के लिए विवशतापूर्वक कचहरियों में बुलाया जाना कोई शर्त नहीं बल्कि जहां कहीं किसी फैसले के लिए कसम लाभप्रद हो सकती हो उसी स्थान पर उनके धर्मानुसार क़सम खाना अनिवार्य हो जाता है।

इसके अतिरिक्त हमारे मुक़द्दमे में डाक्टर क्लार्क ने जो क़सम खाई उसे क़सम खाने के लिए **किस अदालत ने जबरन बुलाया था? उसने स्वयं** अदालत के सामने मुक़द्दमा प्रस्तुत किया तब क़सम भी दी गई। खेद ! कि इसी क़सम पर पादरियों ने कितना लम्बा झगड़ा किया था और कितना आथम ने क़सम खाने से बचना चाहा था, हालांकि इल्हामी शर्त से स्वयं को पृथक सिद्ध करने के लिए उसको क़सम खाना अत्यावश्यक था। हमने तो क़सम पर चार हज़ार रुपए भी देने का वादा किया था और हमारी ओर से कोई नया तर्क नहीं था। इल्हाम में पहले दिन से यह शर्त थी कि यदि उसका हृदय इस्लामी सच्चाई की तरफ़ लौटेगा और उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करेगा तो मृत्यु से बच जाएगा। उसका निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु से बचना न्याय की दृष्टि से इस स्पष्टीकरण को चाहता था कि क्या उसने शर्त का पालन तो नहीं किया? तथा उसने अपने कथनों से और कार्यों से जितना भय प्रकट किया था उससे कम से कम यह नतीजा अवश्य निकलता था कि वह इस्लामी प्रतिष्ठा से अवश्य भयभीत हुआ है। इसी कारण हमने बार-बार विज्ञापन दिया था कि यदि वह भयभीत नहीं हुआ तो स्वयं को उस इल्हामी शर्त से बाहर सिद्ध करने के लिए क़सम खाए। हमने न केवल वर्तमान लक्षणों से देखा बल्कि ख़ुदा ने हमें सूचना दी थी कि वह अवश्य भयभीत हुआ है, तथा आथम ने अपनी व्याकुलतापूर्ण स्थितियों से हमारे इल्हाम की पुष्टि कर दी थी। अत: यदि ईसाई लोग निश्चित तौर पर उसका भयभीत होना और रुजू करना (लौटना) न मानते

तो उनको कम ने कम यह तो सोचना चाहिए था कि आथम का क़सम खाने से बचना और भय का इक़रार करना और भय का कारण अपने बनाए हुए झूठे आरोपों को बताना, कभी कहना कि मुझ पर सांप छोड़ा गया था और कभी कहना कि तलवारों वालों ने आक्रमण किया था और कभी भालों और बन्दूकों वालों का नाम लेना तथा सबूत कुछ भी न देना ये समस्त बातें ऐसी थीं कि आथम को अदालत की दृष्टि से दोषी ठहराती थीं और इन व्यर्थ बनाए हुए झूठी बातों का सबूत देना उसकी गर्दन पर था और उसकी बर्रियत कम से कम कसम खाने में थी जिससे वह ऐसा भागा जैसे एक व्यक्ति शेर से भागता है।

इसके पश्चात् भविष्यवाणी के दूसरे भाग ने हमारे इल्हाम की सच्चाई को और अधिक स्पष्ट कर दिया, क्योंकि दूसरी भविष्यवाणी में यह था कि यदि आथम ने इल्हामी शर्त से लाभ प्राप्त करके फिर उस सच्ची गवाही को छुपाया तो वह शीघ्र मृत्यु पा जाएगा और उसके जीवन के दिन बहुत थोड़े होंगे। यह भविष्यवाणी भी विज्ञापनों के माध्यम से लाखों लोगों में प्रसारित की गई थी। अत: ऐसा ही हुआ और आथम हमारे अन्तिम विज्ञापन से छ: महीने के अन्दर मृत्यु पा गया। इन समस्त बातों ने पादरी सज्जनों को बहुत शर्मिन्दा किया। क्योंकि आथम ने न तो क़सम खाई और न अपने झूठे आरोपों को नालिश (मुक़द्दमे) द्वारा सिद्ध किया। और न उन आरोपों का कुछ सबूत दिया जो उसने इल्हामी शर्त पर पर्दा डालने के लिए बनाए थे। इसलिए ये उसकी समस्त गतिविधियां पादरियों की अत्यधिक लज्जा का कारण हुईं।

इसके अतिरिक्त ईसाइयों को यह एक और शर्मिन्दगी उठानी पड़ी कि आथम हमारी दूसरी भविष्वाणी के अनुसार गवाही छिपाने के पश्चात् बहुत जल्द मृत्यु पा गया। फिर इस शर्मिन्दगी पर एक और शर्मिन्दगी यह सामने आई कि लेखराम हमारी भविष्यवाणी के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर मारा गया और जैसा कि भविष्यवाणी में विवरण था कि वह ईद के दूसरे दिन मारा जाएगा ऐसा ही हुआ। ये सारी बातें ऐसी थीं कि आदरणीय पादरी साहिबों को उनसे बड़ा हार्दिक कष्ट पहुँचा था। ये लोग बाज़ारों में हमेशा उपदेश के तौर पर कहते थे कि आंहज़रत

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से कोई भविष्यवाणी प्रकटन में नहीं आई और न कोई चमत्कार दिखाया। परन्तु इसके विपरीत ख़ुदा ने उनको निरन्तर चमत्कार भी दिखलाए और भविष्यवाणियां भी दिखाईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लाहौर के धर्म महोत्सव में समय से पूर्व हमने विज्ञापन दिया था कि ख़ुदा मुझ से कहता है कि **"तेरा निबंध सर्वश्रेष्ठ रहेगा।"** अत: वह भविष्यवाणी लाखों लोगों के इक़रार से पूरी हुई। यहां तक कि ईसाई अखबार **'सिविल मिलिट्री गज़ट'** ने भी इसकी गवाही दी और हमारा निबंध चमत्कारिक तौर पर विजयी रहा। अत: ईसाई साहिबों के लिए यह शर्मिन्दगी कुछ कम नहीं थी कि हमारी भविष्यवाणियों की सच्चाई से उनको निरन्तर ज़ख्म पहुंचे।

उनके लज्जित होने का इससे बड़ा कारण यह भी हुआ कि इस अवधि में कई उत्तम पुस्तकें मैंने ईसाइयों के रद्द में लिखीं जिससे उनकी आस्थाओं के ग़लत होने की वास्तविकता भली भांति प्रकट हो गयी। यह सब बातें ऐसी थीं जिन से मुझे स्वयं आशंका थी कि अन्तत: मुझ पर कोई झूठा मुक़द्दमा बनाया जाएगा, क्योंकि दुश्मन जब निरूत्तर हो जाता हो तो फिर प्राण और चरित्र पर आक्रमण करता है। अत: ऐसा ही हुआ और अन्तत: यह ख़ून (क़त्ल) का मुक़द्दमा मेरे विरुद्ध बनाया गया और अवश्य था कि इस में मुहम्मद हुसैन बटालवी और आर्य लोग भी सम्मिलित होते क्योंकि इन सब को अपमान पर अपमान पहुंचा और ख़ुदा ने इन सब का मुंह बन्द कर दिया, किन्तु पादरी लोगों को सब से अधिक जोश था क्योंकि मेरी कारवाई में उनके करोड़ों रूपयों की हानि है, तथा आकाशीय निशानों के अतिरिक्त **मेरे आरोपों** ने भी उनके धर्म के ताने-बाने को तोड़ दिया है। अत: वह आरोप जो उनकी इस आस्था पर किया गया था कि सम्पूर्ण पापों की लानत मसीह पर आ पड़ी जिसका निचोड़ यह था कि मसीह का हृदय ख़ुदा तआला की मारिफ़त (पहचान) और प्रेम से बिल्कुल खाली हो गया था और वास्तव में वह ख़ुदा का दुश्मन हो गया था। यह ऐसा आरोप था जो कफ़्फ़ार: की आस्था को खण्डित करता था। क्योंकि जब लानत अपने अर्थ की दृष्टि से मसीह जैसे सत्यनिष्ठ मनुष्य पर कदापि वैध नहीं तो फिर कफ़्फ़ार: की छत जिसका शहतीर लानत है

क्योंकर खड़ी रह सकती है।

इसी प्रकार वह आरोप कि ख़ुदा का कोई कार्य उसके अनादि आदत का विरोधी नहीं और आदत प्रचुरता एवं पूर्णता को चाहती है। अत: यदि वास्तव में बेटे को भेजना ख़ुदा की आदत में सम्मिलित है तो ख़ुदा के बहुत से बेटे होने चाहिएं ताकि आदत का अर्थ जो प्रचुरता की ओर संकेत करता है सिद्ध हो, और ताकि कुछ बेटे जिन्नों के लिए सलीब पर मृत्यु पाएं तथा कुछ बेटे मनुष्यों के लिए और कुछ उन सृष्टियों के लिए जो अन्य ग्रहों में आबाद हैं। यह आरोप भी ऐसा था कि एक पल के लिए भी इस पर विचार करना मनुष्य को तुरन्त ईसाइयत के अंधकार से मुक्त करा देता है।

ऐसा ही यह आरोप कि ईसाइयों की शिक्षा यहूदियों की निरन्तर तीन हज़ार वर्ष की शिक्षा की विरोधी है जो उनकी पुस्तकों में पाई जाती है जिससे यहूदियों का हर एक बच्चा परिचित है।

इसी प्रकार यह आरोप कि कफ़्फ़ार: इस कारण भी ग़लत है कि इससे या तो यह उद्देश्य होगा कि पाप बिलकुल घटित न हों और या यह अभीष्ट होगा कि हर प्रकार के पाप चाहे अल्लाह तआला के अधिकारों के विभिन्न प्रकारों में से और चाहे बन्दों के अधिकारों के प्रकारों में से हो, कफ़्फ़ार: (की आस्था) मानने से सदैव माफ़ होते रहते हैं। अत: प्रथम खंड तो सर्वथा असत्य है क्योंकि यूरोप के पुरुषों और स्त्रियों को देखा जाता है कि वे कफ़्फ़ार: के बाद पाप से बिल्कुल नहीं बच सके तथा हर प्रकार के पाप यूरोप के निम्न एवं उच्च वर्ग के लोगों में मौजूद हैं। भला यह भी जाने दो। नबियों के अस्तित्व को देखो जिन का ईमान अन्य लोगों से अधिक दृढ़ था वे भी पाप से नहीं बच सके। हवारी भी इस विपत्ति में ग्रस्त हो गए। अत: इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कफ़्फ़ार: ऐसी रोक नहीं जो पाप की बाढ़ को रोक सके। शेष रही यह दूसरी बात कि कफ़्फ़ार: पर ईमान लाने वाले पाप के दण्ड से अलग रखे जाएंगे चाहे वे चोरी करें, या डाका डालें, या खून करें, या दुष्कर्म की घृणित अवस्थाओं में लिप्त रहें तो ख़ुदा उनकी पकड़ नहीं करेगा। यह विचार भी सर्वथा गलत है जिससे शरीअत की कुल पवित्रता जाती रहती है और

ख़ुदा के सदैव रहने वाले आदेश निरस्त हो जाते हैं।

यह समस्त आरोप ऐसे थे कि ईसाई लोग उसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते थे। इसके अतिरिक्त पादरी साहिबों के सामने एक कठिनाई यह आई थी कि हम ने सिद्ध कर दिया था कि उन समस्त अनेकेश्वरवादी आस्थाओं के अतिरिक्त जो उनके धर्म में पाई जाती हैं तथा ऐसी कच्ची और अपरिपक्व बातों के अतिरिक्त कि जैसे मनुष्य को ख़ुदा बनाना और उस पर कोई तर्क प्रस्तुत न करना जो उनका तरीका है, एक और बड़ा संकट उन पर यह आया कि वे अपने धर्म की आध्यात्मिक (रूहानी) बरकतें सिद्ध नहीं कर सके। यह तो स्पष्ट है कि जिस धर्म की मान्यता के लक्षण आकाशीय निशानों से प्रकट नहीं हैं वह ऐसी उपकरण नहीं हो सकता जिसे ख़ुदा के दर्शन कराने वाले कह सकें बल्कि उसका सम्पूर्ण आधार किस्सों और कहानियों पर होता है तथा जिस ख़ुदा की ओर वह मार्ग-दर्शन करना चाहता है उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता कि वह मौजूद भी है। ऐसा धर्म इतना बेकार होता है कि उसका होना न होना बराबर होता है। और एक मच्छर पर विचार करके ख़ुदा का पता लग सकता है और एक पिस्सू को देखकर वास्तविक रचयिता की ओर हमारा मास्तिष्क जा सकता है परन्तु ऐसे धर्म से हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कि जो अपने पेट में केवल किस्सों और कहानियों का एक मुर्दा बच्चा रखता है। हमें जबरन कहा जाता है कि तुम इन बातों को मान लो कि किसी युग में यसू ने कई हज़ार मुर्दे जीवित कर दिए थे और उसकी मृत्यु के समय बैतुल मुक़्क़दस के समस्त मुर्दे शहर में आ गए थे किन्तु वास्तव में यह ऐसी ही बातें है जैसा कि हिन्दुओं की पुस्तकों में है कि किसी युग में महादेव की जटाओं से गंगा बह निकली थी और राजा रामचन्द्र ने पर्वतों को उंगली पर उठा लिया था और राजा कृष्ण ने एक तीर से इतने लाख आदमी मारे थे।

अब कहो कि इन समस्त निरर्थक एवं निर्मूल बातों को हम कैसे मान लें? फिर जबकि यह बातें स्वयं सबूत की मोहताज हैं तो इनके द्वारा कौन सा विवाद सिद्ध हो सकता है। क्या अंधा अंधे का मार्ग दर्शन कर सकता है? खेद कि एक पत्ते पर ध्यान पूर्वक विचार करने से वास्तविक रचयिता का बहुत कुछ पता लग

सकता है परन्तु इन पुस्तकों के हज़ार पन्ने पढ़कर भी वास्तविक रचयिता का कुछ निशान नहीं मिलता। फिर जबकि मनुष्य के लिए प्रथम और बड़ा संकट यही है कि वह ख़ुदा तआला के अस्तित्व को पहचानने के मार्ग में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों एवं सन्देहों में ग्रस्त है यहां तक कि प्राय: पूर्णत: नास्तिक और बहुधा नास्तिकता की सोच अपने अन्दर रखता है। और इसी कारण से पाप करने पर निडर हो जाता है और जितना संखिए के घातक प्रभाव का भय उसे इस हरकत से भयभीत करता है कि वह उसके खाने का कार्य करे, इतना उसे ख़ुदा तआला का भय उसे अवज्ञा करने से नहीं रोकता। इस का क्या कारण है। यही तो है कि वह ख़ुदा तआला के अस्तित्व और उसकी प्रतिष्ठा, प्रताप तथा सत्ता से अनभिज्ञ है। तभी तो उसकी अवज्ञा को एक साधारण बात समझता है और नहीं डरता तथा छोटे--छोटे हाकिमों की अवज्ञा (नाफरमानी) से उसकी रूह पिघल जाती है। अत: स्पष्ट है कि हमारा सारा सैभाग्य ख़ुदा को पहचानने में है और तामसिक इच्छाओं को उनकी उत्तेजनाओं से रोकने वाली वह पूर्ण मारिफ़त (ख़ुदा को पहचानना) है जिस से हमें ज्ञात हो जाए कि वास्तव में ख़ुदा है। वास्तव में वह बड़ा शक्तिमान, बड़ा दयालु और बड़ा कठोर अज़ाब देने वाला भी है। यही वह आज़माया हुआ नुस्ख़ा है जिससे सच्चा परिवर्तन होता है और मनुष्य के उद्दण्डतापूर्ण जीवन पर मृत्यु आ जाती है।

और इस उपाय के अतिरिक्त शेष समस्त बातें जो संसार के लोगों ने पाप से बचने के लिए बनाई हैं जैसे मसीह का कफ़्फ़ार: इत्यादि। यह बच्चों जैसे विचार हैं जो अत्यन्त सीमित और गलतियों से भरपूर हैं। अत: यह तो स्पष्ट है कि किसी एक के सर पर चोट लगने से हमारे सिर का दर्द नहीं जा सकता और किसी के भूखे रहने से हम तृप्त नहीं हो सकते। हम सच-सच कहते हैं कि जिस प्रकार डाक्टर रोग की जाँच करता है या जिस प्रकार पटवारी भूमि को नापता है उसी प्रकार हमारा हृदय अत्यन्त दृढ़ विश्वास के साथ ज्ञात कर चुका है कि किसी मनुष्य की तामसिक इच्छाओं की बाढ़ इस विषय के अतिरिक्त रुक ही नहीं सकती कि उसे एक चमकता हुआ **विश्वास** प्राप्त हो कि **ख़ुदा है,** और उसकी तलवार प्रत्येक अवज्ञाकारी पर बिजली के समान गिरती है और उसकी दया उन लोगों को प्रत्येक

विपत्ति से बचाती है जो उसकी ओर झुकते हैं। अब हम पूछते हैं कि इंजील या वेद हमें उस ख़ुदा का क्या पता बताते हैं और उसका चेहरा दिखाने के लिए कौन सा दर्पण उनके हाथ में है जो हमारे सामने रखते हैं। यदि वे हमें केवल किस्से और कहानियां सुनाते हैं तो केवल किस्सों से वे हमें कौन सी सांत्वना दे सकते हैं और यदि वे हमें केवल यह सलाह देते हैं कि हम पृथ्वी और आकाश के ग्रहों के बारे में विचार करें और सौर मंडल पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमें उन से इस मश्वरे को लेने की क्या आवश्यकता है? क्या हमें पहले से मालूम नहीं कि यह व्यवस्था जो अत्युत्तम और सुदृढ़ है तथा यह अनुक्रम जो नितान्त उचित और अत्यन्त लाभप्रद है अवश्य एक प्रबंधकुशल, दूरदर्शी, सर्वज्ञ, रचयिता की आवश्यकता सिद्ध कर रही है, परन्तु यह बात कि ऐसे रचयिता की आवश्यकता है और यह दूसरी बात कि हम ज्ञान की दृष्टि से देख लें कि वह रचयिता वास्तव में मौजूद भी है। इन दोनों बातों में बहुत अन्तर है। इसलिए एक दार्शनिक को जो केवल अनुमान के तौर पर ख़ुदा के अस्तित्व को मानता है। सच्ची पवित्रता तथा ख़ुदा के भय की विशेषता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि केवल आवश्यकता का ज्ञान अपने अन्दर ख़ुदा का भय नहीं रखता और अन्धकार को दूर नहीं कर सकता। परन्तु जिस पर आकाश से सीधे तौर पर ख़ुदा का प्रताप प्रकट होता है वह शुभ कर्मों, दृढ़ इच्छा तथा वफ़ादारी के लिए बड़ी शक्ति पाता है और वास्तव में उसका शैतान मर जाता है और ख़ुदा के प्रताप की किरणें जो ताज़ा इल्हामों के रूप में और भयावह कश्फों के रंग में उसके हृदय पर पड़ती रहती हैं वे उसे प्रत्येक अंधकार से खींच कर दूर ले जाती हैं। क्या तुम ऐसी बिजली के नीचे जो जलाने वाली और घातक परों को फैला रहा है कोई व्याभिचार का कार्य कर सकते हो? अत: इसी प्रकार जो व्यक्ति ख़ुदा के रौद्र रूपी के नीचे जीवन व्यतीत करता है उसकी शैतानियत मर जाती है और उसके सांप का सिर कुचला जाता है। यही एक वास्तविक उपाय है जिसकी बरकत से मनुष्य वास्तव में पवित्र जीवन प्राप्त कर सकता है। खेद कि ईसाइयों को यह दिखाना चाहिए था कि ख़ुदा तआला के अस्तित्व पर यह विश्वास जो मनुष्य को ख़ुदा के भय की आंख प्रदान करता है

और पाप के कूड़ा-कर्कट को जला देता है। इंजील ने उनको इसका क्या उपाय प्रदान किया है? व्यर्थ उपायों से पाप कैसे दूर हो सकते हैं? खेद कि यह लोग नहीं समझे कि यह कैसी अवास्तविक बात तथा एक काल्पनिक नक्शा खींचना है कि सम्पूर्ण संसार के पाप एक व्यक्ति पर डाले गए और पापियों की लानत उन से ली गई और यसू के हृदय पर रखी गई। इससे तो अनिवार्य ठहरता है कि इस कठिनाई के पश्चात् यसू के अतिरिक्त प्रत्येक को पवित्र जीवन और ख़ुदा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया है, परन्तु नऊज़ुबिल्लाह यसू एक ऐसी लानत के नीचे दबाया गया जो करोड़ों लानतों का संग्रह थी, किन्तु जब कि हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पाप उसके साथ हैं और प्रकृति ने किसी को जितना किसी काम भावना अथवा न्यूनाधिकता का भाग दिया है वह उसके अस्तित्व में महसूस हो रहा है चाहे वह यसू को मानता है या नहीं। तो इस से सिद्ध होता है कि जैसा कि लानती जीवन वालों का लानती जीवन उन से पृथक नहीं हो सका ऐसा ही वह यसू पर भी पड़ नहीं सका, क्योंकि जब लानत अपने स्थान पर भली भांति चरितार्थ है तो वह यसू की ओर कैसे स्थानांतरित हो सकेगी। और यह विचित्र अन्याय है कि प्रत्येक पापी और लानती जो यसू पर ईमान लाए तो उसकी लानत यसू पर पड़े तथा उस व्यक्ति को बरी और निर्दोष समझा जाए। अत: लानतों का ऐसा निरन्तर सिलसिला (क्रम) जो **क़यामत** (प्रलय) तक लम्बा खिंचा रहेगा। यदि वह हमेशा नित नए तौर पर बेचारे यसू पर डाला जाए तो उसे किस युग में लानतों से रिहाई मिलेगी होगी। क्योंकि जब वह एक समूह की लानतों से स्वयं को मुक्त कर लेगा तो फिर नया आने वाला समूह जो अपने पापी अस्तित्व के साथ नई लानतें रखता है वह अपनी सम्पूर्ण लानतें उस पर डाल देगा। इसी प्रकार उसके पश्चात् दूसरा समूह दूसरी लानतों के साथ आएगा तो फिर इन निरन्तर लानतों से मुक्ति कैसे होगी? इससे तो मानना पड़ता है कि यसू के लिए वे दिन फिर कभी नहीं आएंगे जो उसे ख़ुदा के प्रेम और अध्यात्म के प्रकाश की छाया में रखने वाले हों। अत: ऐसी आस्था से यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वह यही है कि इन लोगों ने ख़ुदा के एक पवित्र पुरुष को एक हमेशा की गन्दगी में डालने का इरादा किया है और दुर्भाग्य से उस मूल

बात को छोड़ दिया है जिस से पाप दूर होते हैं और वह यह है कि वह आंख पैदा करना जो ख़ुदा की महानता को देखे और वह विश्वास प्राप्त करना जो पाप के अंधकार से छुड़ा दे। पृथ्वी अंधकार को जन्म देती है और आकाश अंधकार को दूर करता है। अत: जब तक आकाशीय प्रकाश जो निशानों के रूप में प्राप्त होता है किसी हृदय को न छुड़ाए सच्ची पवित्रता प्राप्त हो जाना सर्वथा झूठ है और सरासर असत्य तथा असंभव विचार है। अत: पापों से बचने के लिए उस प्रकाश की खोज में लगना चाहिए जो विश्वास की बार बार आक्रमण करने वाली सेनाओं के साथ आकाश से उतरता और साहस प्रदान करता तथा सम्पूर्ण सन्देहों की गन्दगियों को धो देता, हृदय को शुद्ध करता तथा ख़ुदा के पड़ोस में मनुष्य का घर बना देता है। अत: खेद उन लोगों पर जो बच्चों की तरह धूल-मिट्टी में खेलते और कोयलों पर लेटते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारे कपड़े सफेद रहें और वास्तविक प्रकाश को तलाश नहीं करते और फिर चाहते हैं कि अंधकार से मुक्ति पाएं।

वास्तविक नूर (प्रकाश) क्या है? वह जो संतोषजनक निशानों के रूप में आकाश से उतरता तथा हृदयों को धैर्य और सांत्वना प्रदान करता है। प्रत्येक मुक्ति के अभिलाषी को इस प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको संदेहों से मुक्ति नहीं उसको अज़ाब से भी मुक्ति नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में ख़ुदा के दर्शन से वंचित है वह क़यामत (प्रलय) में भी अंधकार में गिरेगा। ख़ुदा का कथन है कि

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى۔ (बनी इस्राईल-73)

और ख़ुदा ने अपनी पुस्तक में बहुत से स्थानों पर संकेत किया है कि मैं अपने ढूंढने वालों के हृदय निशानों द्वारा प्रकाशित करूंगा, यहां तक कि वे ख़ुदा को देखेंगे और मैं अपनी बड़ाई उन्हें दिखा दूंगा, यहां तक समस्त बड़ाइयाँ उनकी दृष्टि में तुच्छ हो जाएंगी। यही बातें हैं जो मैंने सीधे तौर पर ख़ुदा के वार्तालाप में भी सुनीं। अत: मेरी रूह कह उठी कि ख़ुदा तक पहुंचने का यही मार्ग है और पाप पर विजयी होने का यही उपाय है। वास्तविकता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम सच्चाई पर चलें। बनावटी बातें और काल्पनिक विचार हमें काम नहीं दे सकते। हम इस बात के गवाह हैं और सम्पूर्ण संसार के सामने यह गवाही देते

हैं कि हमने उस सच्चाई को जो ख़ुदा तक पहुंचाती है **क़ुर्आन** से पाया, हमने उस ख़ुदा की आवाज़ सुनी और उसके शक्तिशाली हाथों के निशान देखे जिसने क़ुर्आन को भेजा। अतः हमने विश्वास किया कि वही सच्चा ख़ुदा तथा समस्त लोकों का मालिक है। हमारा हृदय उस विश्वास से ऐसा परिपूर्ण है जैसा कि समुद्र की भूमि पानी से। इसलिए हम विवेक द्वारा **उस धर्म तथा** उस प्रकाश की ओर प्रत्येक को बुलाते हैं, हमने उस वास्तविक **(सच्चे) प्रकाश** को पाया जिसके साथ समस्त अंधकार के पर्दे उठ जाते हैं और अल्लाह के ग़ैर से हृदय बिलकुल ठण्डा हो जाता है। यही एक मार्ग है जिस के द्वारा मनुष्य कामभावनाओं तथा अंधकारों से ऐसा बाहर आ जाता है जैसा कि सांप अपनी केचुली से।

ईसाई धर्म इन निशानों से पूर्णतया वंचित है। दावा इतना बड़ा कि एक मनुष्य को ख़ुदा बनाना चाहते हैं और सबूत में केवल किस्से-कहानियां प्रस्तुत करते हैं। हां कुछ लोग कहते हैं कि "इंजील की शिक्षा ही ऐसी उत्तम है कि जो बतौर निशान के है"। परन्तु वास्तव में यह उनकी बड़ी भूल है और सच यह है कि इंजील की शिक्षा अत्यंत अपूर्ण है। इसलिए हज़रत मसीह को भी बहाना करना पड़ा कि "आने वाला **फारक़लीत** (अर्थात आंहज़रत सअव) इस कमी को दूर करेगा"। हमें इस से कुछ बहस नहीं कि इंजील के प्रशंसक दिखाते कुछ और हैं, और करते कुछ और। परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि इंजील मानवता के वृक्ष की पूर्ण रूपेण सिंचाई नहीं कर सकती। हम इस संसार में बहुत सी शक्तियों सहित भेजे गए हैं तथा प्रत्येक शक्ति चाहती है कि यथा अवसर उसे इस्तेमाल किया जाए और इंजील केवल एक ही शक्ति सहनशीलता और विनम्रता पर बल दे रही है। सहनशीलता और क्षमा वास्तव में कुछ अवसरों पर उचित है परन्तु कुछ अन्य अवसरों पर घातक विष का प्रभाव रखती है। हमारा यह सामाजिक जीवन जो विभिन्न स्वभावों के मेल जोल पर आधारित है निस्सन्देह चाहता है कि हम अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को मौक़ा-महल देखकर इस्तेमाल किया करें। क्या यह सच नहीं कि यद्यपि हम कुछ स्थानों पर क्षमा और माफ़ करके उस व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक (रूहानी) लाभ पहुंचाते हैं जिसने हमें कोई कष्ट पहुंचाया है। किन्तु कुछ अन्य स्थान

ऐसे भी हैं कि जो हम उस स्थान पर उस स्वभाव को इस्तेमाल करके अपराधी को और भी उपद्रव पूर्ण हरकतों पर निडर बनाते हैं।

हमारी आध्यात्मिक जीवन-पद्धति हमारी शारीरिक जीवन-पद्धति से अत्यन्त समानता रखती है। हम देखते हैं कि हर स्थान पर एक ही स्वभाव और प्रकृति के भोजन और औषधियों पर ज़ोर देने से हमारा स्वास्थ्य यथावत् नहीं रह सकता। यदि हम दस या बीस दिन लगातार ठंडी वस्तुओं के खाने पर ही ज़ोर दें और गर्म भोजनों का अपने ऊपर अवैध की तरह ठहरा लें तो हम शीघ्र ही किसी ठंडे रोग में जैसे फालिज और लक़्वा, कम्पन और मिर्गी इत्यादि में ग्रस्त हो जाएंगे और इसी प्रकार यदि हम लगातार गर्म खाद्य-पदार्थों पर ज़ोर दें, यहां तक कि पानी भी गर्म करके ही पिया करें तो निस्सन्देह किसी गर्म रोग में ग्रस्त हो जाएंगे। विचार करके देख लो कि हम अपने ज़ाहिरी रहन-सहन में कैसे गर्म और ठंडे, नम्र और कठोर, काम और आराम का ध्यान रखते हैं और यह ध्यान रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। अत: यही नियम रूहानी स्वास्थ्य के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ख़ुदा ने हमें कोई बुरी शक्ति नहीं दी और वास्तव में कोई भी शक्ति बुरी नहीं केवल उसका दुरूपयोग बुरा है। उदाहरणतया तुम देखते हो कि ईर्ष्या अत्यन्त बुरी चीज़ है, परन्तु यदि हम उस शक्ति का दुरूपयोग न करें तो यह केवल उस रश्क के रूप में आ जाती है जिसे अरबी में ग़िब्त:★ कहते हैं अर्थात् किसी की अच्छी हालत देखकर चाहना कि मेरी भी अच्छी हालत हो जाए। यह आदत उत्तम आचरणों में से है। इसी प्रकार समस्त बुरे आचरणों का हाल है कि वे हमारे ही दुरूपयोग या असंतुलन से बुरे हो जाते हैं और यथा अवसर प्रयोग करने और संतुलन की सीमा पर लाने से वही बुरे आचरण उत्तम आचरण कहलाते हैं। अत: यह कितनी ग़लती है कि मानवता रूपी वृक्ष की समस्त आवश्यक शाखाएं (टहनियां) काट कर केवल एक ही शाखा (टहनी) धैर्य और क्षमा पर बल दिया जाए। यही कारण है कि यह शिक्षा चल नहीं सकी और अन्तत: ईसाई बादशाहों

★ ग़िब्त: रश्क- धन, प्रसिद्धि या पद इत्यादि में किसी के बराबर होने की इच्छा करना उसे हानि पहुंचाए बिना या बुरा चाहे बिना। (अनुवादक)

को अपराधियों के दण्ड के लिए अपनी ओर से कानून बनाने पड़े। अत: वर्तमान इंजील कदापि मानवीय गुणों को पूर्णता तक नहीं पहुँचा सकती और जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से सितारों की रोशनी फीक़ी पड़ जाती है यहां तक कि वे आंखों से ओझल हो जाते हैं। यही हालत क़ुर्आन की तुलना में इंजील की है। अत: यह बात अत्यन्त लज्जाजनक है कि यह दावा किया जाए कि इंजील की शिक्षा भी एक आकाशीय निशान है।

हमने इंजील की शिक्षा का यह वह भाग उल्लेख किया है जो मानव सभ्यता से संबंधित है किन्तु ईसाइयों के कथानुसार इंजील ने ख़ुदा तआला के बारे में जो आस्था सिखाई है वह और भी मनुष्य को उससे घृणा दिलाती है। ईसाइयों की आस्था जो इंजील पर थोपी जाती है यह है कि "दूसरा उक़्नूम★ जो अल्लाह का बेटा कहलाता है वह सदैव से इस बात का इच्छुक था कि किसी मनुष्य को निर्दोष पाकर उसमें ऐसा प्रविष्ट हो जाए कि बिल्कुल वही हो जाए"। अत: ऐसा मनुष्य उसे यसू से पहले कोई नहीं मिला और मानवजाति का एक लम्बा क्रम जो यसू के पहले चला आ रहा था, उसमें इस विशेषता का कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। अन्तत: यसू पैदा हुआ और वह उस विशेषता का व्यक्ति था। इसलिए 'दूसरे उक़्नूम' ने उससे बिलकुल हूबहू वही होने का संबंध बाँधा तथा यसू और दूसरा उक़्नूम एक हो गए और उनके लिए शरीर एक अनिवार्य विशेषता ठहरी जो अनश्वर समय तक कभी पृथक नहीं होगी और इस प्रकार एक शरीर के रूप में प्रत्यक्ष ख़ुदा बन गया। अर्थात् यसू तथा दूसरी ओर रूहुल क़ुदुस☆ भी शारीरिक तौर पर प्रकट हुआ तथा वह कबूतर बन गया। अत: ईसाइयों के नज़दीक ख़ुदा से अभिप्राय यह कबूतर और यह इन्सान है जो यसू कहलाता था और जो कुछ हैं यही दोनों हैं और बाप का अस्तित्व इनके अतिरिक्त शारीरिक तौर पर कुछ भी नहीं।

फिर यह भी कहते हैं कि "एकेश्वरवाद" (तौहीद) मुक्ति के लिए पर्याप्त

★ ईसाई आस्थानुसार ख़ुदा के तीन उक़्नूम (भाग) हैं। बाप, बेटा, रूहुल क़ुदुस (जिब्रील फरिश्ता) इन तीनों भागों से मिलकर ख़ुदा बनता है। भाग को उक़्नूम कहते हैं। (अनुवादक)

☆ रूहुल क़ुदुस- जिब्रील फ़रिश्ता (अनुवादक)

नहीं था जब तक दूसरा उक़्नूम भौतिक रूप से योनि से पैदा न होता और दूसरे उक़्नूम का साकार होना (उस समय तक) पर्याप्त नहीं था जब तक कि उस पर मृत्यु न आती और मृत्यु पर्याप्त नहीं थी, जब तक इस साकार दूसरे उक़्नूम पर जो यसू कहलाता था सम्पूर्ण संसार की लानत न डाली जाती"। अत: ईसाइयत का पूर्ण आधार उनके ख़ुदा की लानती मृत्यु पर है। इसलिए उनके नज़दीक ख़ुदा का अस्तित्व उनके लिए कदापि लाभप्रद नहीं जब तक कि यह समस्त संकट और अपमान उस पर न आएं। अत: ऐसा ख़ुदा अत्यन्त दयनीय है जिसे ईसाइयों के लिए इतने संकट उठाने पड़े।

वे यह भी कहते हैं कि "दूसरे उक़्नूम का संबंध जो हज़रत यसू से एकता और हूबहू समता के तौर पर था यह पवित्र होने तथा पवित्र रहने की शर्त के साथ सशर्त था और यदि वह पाप से रहित न होता या भविष्य में रहित न रह सकता तो यह संबंध भी न रहता"। अत: इस से ज्ञात हुआ कि यह संबंध अर्जित किया हुआ (कसबी) है व्यक्तिगत विशेषता नहीं है। और इस नियम की दृष्टि से कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पवित्र रहे वह निसंकोच ख़ुदा बन सकता है। और यह कहना कि "यसू के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का पाप से रहित रहना असम्भव है"। यह दावा बिना सबूत है इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं। ईसाई स्वयं मानते हैं कि मलिक सिद्क़ सालिम भी जो मसीह से बहुत समय पूर्व गुज़र चुका है पाप से रहित था। इसलिए ख़ुदा बनने का प्रथम अधिकार उसे प्राप्त था। इसी प्रकार ईसाई लोग फरिश्तों का भी कोई पाप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वे भी ख़ुदा बनने का अधिकार रखते हैं।

अत: जब कि ख़ुदा बनने का यह नियम है कि कोई निर्दोष हो तो बुद्धि कहती है कि जिस प्रकार यसू के लिए यह संयोग हुआ कि ईसाइयों के कथानुसार वह एक अवधि तक पाप न कर सका, यह संयोग अन्य के लिए भी संभव है और यदि संभव नहीं तो कोई तर्क इस बात पर क़ायम नहीं हो सकता कि यसू के लिए क्यों संभव हो गया तथा दूसरों के लिए क्यों असंभव है। समस्त मानव जागत के जीवनयापन को देखते हुए मसीह के जीवनयापन का उक़्नूम सानि से कोई सम्बन्ध

न था। केवल उस संयोग के कारण कि वह ईसाइयों के कथनानुसार एक अवधि तक पाप से बच सका दूसरे उक़्नूम ने उससे नाता जोड़ा। अत: इस नाता का आधार एक प्रयत्न का विषय है जिसमें प्रत्येक प्रयत्न करने वाला शामिल है तथा ईसाइयों का एक समूह जिसमें अब्दुल्लाह आथम भी सम्मिलित था यह भी कहता है कि दूसरे उक़्नूम का तीस वर्ष तक यसू से कदापि संबंध न था। केवल कबूतर के उतरने के समय से वह संबंध आरंभ हुआ। इससे आवश्यक तौर पर यह मानना पड़ता है कि यसू तीस वर्ष पापी और गुनाह करने वाला रहा, क्योंकि यदि वह उस अवधि में पाप से पवित्र होता तो उपरोक्त नियम की दृष्टि से अनिवार्य था कि पहले ही दूसरे उक़्नूम का संयुग्म का नाता उससे हो जाता। यहां एक विरोधी कह सकता है कि शायद यही कारण हो कि यसू के गत तीस वर्ष के जीवन के बारे में किसी पादरी साहिब ने विवरण सहित जीवनी लिखने के लिए क़लम नहीं उठाई क्योंकि उन स्थितियों को उल्लेखनीय नहीं समझा।

बहरहाल यह सब दावे ही दावे हैं। इन समस्त बातों में से किसी बात का सबूत नहीं दिया गया, न किसी ने सिद्ध करके दिखाया कि यसू ने प्रारंभिक आयु से अन्त तक कोई पाप नहीं किया और न किसी ने यह सिद्ध किया कि उस निर्दोषता के कारण वह ख़ुदा बन गया। अफ़सोस कि इस विशेष पद्धति की ख़ुदाई के लिए जो दुनिया के बहुसंख्यक मत के विपरीत तथा मुश्रिकों के समान थी, कुछ भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि सर्वमान्य आस्था संसार में यही है कि ख़ुदा जन्म-मरण, भूख और प्यास तथा मूर्खता और असमर्थता अर्थात् कमज़ोरी और शरीर धारण करने और चलने-फिरने से पवित्र है। परन्तु यसू इन में से किसी बात से भी रहित न था। यदि यसू में ख़ुदा की रूह थी तो वह क्यों कहता है कि "मुझे क़यामत (प्रलय) की ख़बर नहीं।" और यदि उसकी रूह में, जो ईसाइयों के कथनानुसार दूसरे उक़्नूम से पूर्ण समानता रखती थी, ख़ुदाई पवित्रता थी तो वह क्यों कहता है कि "मुझे नेक न कहो"? और यदि उसमें शक्ति थी तो उसकी पूरी रात की दुआ क्यों स्वीकार न हुई और क्यों उसका इस असफलता के वाक्य पर अन्त हुआ कि उसने "ईली ईली लिमा सबक़तनी" कहते हुए जान दी।

इसी प्रकार हमने ईसाइयों की यह गलती भी प्रकट कर दी है कि उनका यह विचार कि स्वर्ग केवल एक आध्यात्मिक विषय होगा, सही नहीं है।★ हम सिद्ध कर चुके हैं कि मनुष्य की एक ऐसी प्रकृति है कि उसकी आध्यात्मिक (रूहानी) शक्तियां अपनी पराकाष्ठा तक पहुँचने के लिए **एक शरीर की** मोहताज हैं। उदाहरणतया हम देखते हैं कि सिर के किसी भाग पर चोट लगने से स्मरण-शक्ति जाती रहती है, किसी सद्मा के लगने से विचार-शक्ति जाती रहती है और (मस्तिष्क से पूरे शरीर में आदेश पहुंचाने वाले) स्नायुतंत्र में विकार पैदा होने से बहुत सी रूहानी शक्तियों में विघ्न पड़ जाता है। फिर जब रूह (आत्मा) की यह हालत है कि वह शरीर के छोटे से विकार से अपनी खूबी से तुरन्त खराबी की ओर लौटती है तो हम कैसे आशा रखें कि शरीर से पूर्ण रूप से पृथक होने से वह अपनी हालत पर क़ायम रह सकेगी। इसलिए इस्लाम में यह अत्यन्त उच्च स्तर की दार्शनिकता है कि प्रत्येक को क़ब्र में ही ऐसा शरीर मिल जाता है जो कि आनन्द और दु:ख को महसूस करने के लिए आवश्यक होता है। हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि वह शरीर किस तत्त्व से तैयार होता है, क्योंकि यह नश्वर (फ़ानी) शरीर तो नष्ट हो जाता है, और न कोई यह देखता है कि वस्तुत: यही शरीर क़ब्र में जीवित किया जाता है, क्योंकि यह शरीर कभी कभी जलाया भी जाता है और अजायबघरों में शवों को भी रखा जाता है और लम्बे समयों तक क़ब्रों से बाहर भी रखा जाता है। यदि यही शरीर जीवित हो जाया करता तो सम्भवत: लोग इसे देखते किन्तु इन सब बातों के बावजूद क़ुर्आन से जीवित हो जाना सिद्ध है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि किसी अन्य शरीर के द्वारा जिसे हम नहीं देखते मनुष्य को जीवित किया जाता

★पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जिस प्रकार यह बात उचित नहीं कि स्वर्ग के आनन्द केवल आध्यात्मिक हैं और संसार के भौतिक आनन्दों से बिल्कुल विपरीत हैं, इसी प्रकार यह भी उचित नहीं कि वे आनन्द पूर्णत: संसार के भौतिक आनन्दों की तरह हैं बल्कि स्वप्नावस्था की भांति रूप में समानता है और वास्तव में भिन्नता है। स्वप्नावस्था के फल तथा स्वप्नावस्था की सुन्दर स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप में वही आनन्द देती हैं जो शारीरिक अवस्था में। किन्तु स्वप्नावस्था की वास्तविकता और इस शारीरिक अवस्था की वास्तविकता भिन्न-भिन्न है। इसी से।

है और संभवत: वह शरीर इसी शरीर के अलौकिक तत्व से बनता है। तब शरीर मिल जाने के पश्चात् मानवीय शक्तियां पुन: काम करने लगती हैं और यह दूसरा शरीर चूंकि पहले शरीर की अपेक्षा पूर्णत: अलौकिक होता है इसलिए उस पर रहस्यमयी बातों के द्वारा बहुत व्यापक तौर पर खुलता है और परलोक की सम्पूर्ण वास्तविकताएं जैसी कि वे हैं वैसी की वैसी दिखाई दे जाती हैं। तब ग़लती करने वालों को शारीरिक अज़ाब के अतिरिक्त एक हसरत का दु:ख भी होता है। अत: यह सर्वमान्य सिद्धान्त इस्लाम में है कि क़ब्र का अज़ाब या आराम भी शरीर के द्वारा ही होता है तथा बौद्धिक तर्कों से भी यही स्पष्ट है क्योंकि निरन्तर अनुभव ने यह फैसला कर दिया है कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां शारीरिक संयुग्म के बिना कदापि प्रकट नहीं होतीं।

ईसाई इस बात को तो मानते हैं कि क़ब्र का अज़ाब शरीर के द्वारा होता है परन्तु स्वर्ग के आराम के लिए शरीर को सम्मिलित नहीं करते। अत: यह उनकी सर्वथा ग़लती है और वह ग़लत और अपूर्ण शिक्षा जो इंजील से संबद्ध की जाती है वही इन दूषित विचारों का कारण बनी है। स्पष्ट है कि दुनिया में मनुष्य नेकी करने के लिए दोहरा कष्ट उठाता है अर्थात् वह अपनी रूह और शरीर दोनों को ख़ुदा तआला की प्रसन्नता पाने के लिए कष्ट में डालता है और मेहनत से इन दोनों से काम लेता है। इसी प्रकार वह बदी (बुराई) करने के समय भी दोहरी अवज्ञा करता है। अर्थात् यह कि वह अपनी रूह और शरीर दोनों को अवज्ञा के मार्ग में लगाता है। इसलिए ख़ुदा तआला के न्याय ने चाहा कि उसे उस लोक में भी दोहरा आराम या दोहरा कष्ट मिले और रूहानी एवं शारीरिक दोनों प्रकार से अपने कर्मों का फल पाए। किन्तु खेद कि ईसाई नर्क के अज़ाब के बारे में तो इस न्यायोचित सिद्धान्त के पाबन्द रहे परन्तु स्वर्ग के प्रतिफल के बारे में इस सिद्धान्त को भुला दिया, मानो उनके नज़दीक ख़ुदा तआला को अज़ाब देना अधिक प्रिय है कि अज़ाब तो रूह और शरीर दोनों को दिया परन्तु जब आराम देने का समय आया तो केवल रूह (आत्मा) को आराम दिया। मैं सोचता हूं कि यह लोग ऐसी-ऐसी स्पष्ट ग़लतियों पर क्योंकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क़ुर्आन में केवल भौतिक स्वर्ग

का वर्णन है। इन लोगों को द्वेष ने पाग़ल कर दिया है। क़ुर्आन तो स्वर्ग वालों के लिए अनेकों स्थानों पर आध्यात्मिक आनन्दों का वर्णन करता है तथा कहता है कि

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (सूरह अलक़ियामा-23-24)

अर्थात् क़यामत में उनके मुखमंडल पर तरोताज़गी होगी जो अपने प्रतिपालक (रब्ब) को देखते होंगे।

क्या यह शारीरिक (भौतिक) आनन्दों का वर्णन है या आध्यात्मिक (रूहानी) का। खेद कि इन लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए तथा कैसे इन्होंने सच और न्याय तथा ईमानदारी को अपने हाथ से फेंक दिया। हे मूर्खो! और सच्ची शरीअत के रहस्यों से अनभिज्ञो! क्या आवश्यक न था कि ख़ुदा प्रलय के दिन मनुष्य की दुनिया की ज़िन्दगी के दोनों क्रमों शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों का ध्यान रख कर उसको प्रतिफल और दण्ड देता? क्या यह सच नहीं है कि मनुष्य इस संसार में आकर दोनों तौर पर कार्य करता तथा स्वयं को दोनों प्रकार की कठिनाइयों में डालता है। इसके अतिरिक्त संसार की समस्त इल्हामी पुस्तकों में कमो बेश (कुछ न कुछ) यह विषय पाया जाता है कि स्वर्ग और नर्क में शारीरिक तौर पर भी आनन्द और दण्ड होंगे। अत: स्वयं मसीह ने भी कई स्थानों पर इंजील में इस ओर संकेत किया है। अत: आश्चर्य है कि पादरी महानुभाव स्वर्ग के शारीरिक आनन्दों के क्यों इन्कारी हैं, जब कि ईसाइयों के इक़रार के अनुसार स्वर्ग वालों को ऐसा शरीर मिलेगा जो एहसास और समझ रखता होगा, तो फिर वह शरीर दो अवस्थाओं से खाली नहीं हो सकता। या आराम में होगा या आघात में। अत: हर हाल में शारीरिक आराम और आघात दोनों को मानना पड़ा।

हमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि ईसाइयों की यह आस्था कि ख़ुदा तआला का न्याय कफ़्फ़ार: के बिना कैसे पूर्ण हो, पूर्णत: निरर्थक है। क्योंकि उनकी यह आस्था (अक़ीदे) है कि यसू अपनी जीवनयापन की दृष्टि से निर्दोष था, किन्तु फिर भी उनके ख़ुदा ने यसू पर अकारण सम्पूर्ण संसार की लानत डाल कर अपने न्याय का कुछ भी लिहाज़ न किया। इस से तो यह सिद्ध होता है कि उनके ख़ुदा को न्याय की कुछ भी परवाह नहीं। यह अच्छा प्रबंध है कि जिस बात से नफ़रत थी

उसी को अत्यन्त निकृष्टत: से अपना लिया गया। शोरशराबा तो यह था कि किसी प्रकार न्याय में अन्तर न आए और दया भी हो जाए। परन्तु एक निर्दोष की गर्दन पर अकारण छुरी फेर कर न न्याय क़ायम रह सका और न दया।

परन्तु यह भ्रम कि न्याय एवं दया (रहम) दोनों ख़ुदा तआला के अस्तित्व में एकत्र नहीं हो सकते। क्योंकि न्याय चाहता है कि दण्ड दिया जाए और दया चाहती है कि क्षमा किया जाए। यह एक ऐसा धोखा है जिसमें चिन्तनामनन की कमी से मूर्ख ईसाई गिरफ्तार हैं। वे सोचते नहीं कि **ख़ुदा तआला का न्याय भी तो एक दया (रहम) है**। कारण यह कि वह पूर्णत: मनुष्यों के हित के लिए है। उदाहरणतया यदि ख़ुदा तआला एक ख़ूनी (क़ातिल) के बारे में अपने न्याय के अनुसार आदेश देता है कि वह मारा जाए तो इससे उसकी उलूहियत (ख़ुदाई) को कोई लाभ नहीं, बल्कि इसलिए चाहता है ताकि मानवजाति एक दूसरे को मारकर समाप्त न हो जाएं। इसलिए यह मानवजाति के पक्ष में दया है और बन्दों के यह समस्त अधिकार ख़ुदा तआला ने इसीलिए क़ायम किए हैं ताकि शान्ति स्थापित रहे तथा एक समूह दूसरे समूह पर अत्याचार करके संसार में उपद्रव न करें। इसलिए वे समस्त अधिकार और दण्ड जो धन, प्राण और सम्मान से संबंधित हैं वास्तव में मानवजाति के लिए एक दया है। इंजील में कहीं नहीं लिखा कि यसू के कफ़्फ़ार: से चोरी करना, दूसरों का माल दबा लेना, डाका डालना, क़त्ल करना, झूठी गवाही देना सब वैध और जायज़ हो जाते हैं और दण्ड क्षमा हो जाते हैं बल्कि प्रत्येक अपराध के लिए दण्ड है। इसलिए यसू ने कहा कि- "यदि तेरी आंख पाप करे तो उसे निकाल दे क्योंकि काना होकर जीवन व्यतीत करना तेरे लिए नर्क में पड़ने से अच्छा है"।

अत: जब अधिकारों के हनन करने पर दण्ड निर्धारित हैं जिनको मसीह का कफ़्फ़ार: दूर नहीं कर सका तो कफ़्फ़ार: ने किन दण्डों से मुक्ति प्रदान की। वास्तविकता यह है कि ख़ुदा तआला का न्याय अपनी जगह है और दया अपनी जगह है। जो लोग अच्छे कार्य करके अपने आप को दया के योग्य बनाते हैं उन पर दया हो जाती है और जो लोग मार खाने के कार्य करते हैं उन पर मार पड़ती

है। अत: न्याय और दया में कोई विवाद नहीं। मानो वे दो नहरें हैं जो अपने-अपने स्थान पर चल रही हैं। एक नहर दूसरी नहर की कदापि बाधक नहीं है। संसार की सरकारों में भी यही देखते हैं कि अपराध करने वालों को दण्ड मिलता है, परन्तु जो लोग अच्छे कार्यों से सरकार को प्रसन्न करते हैं वे इनाम और सम्मान के पात्र हो जाते हैं।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ख़ुदा तआला की मूल विशेषता दया है और न्याय, बुद्धि एवं कानून प्रदान करने के बाद पैदा होता है और वास्तव में वह भी एक दया है जो अलग रूप में प्रकट होती है। जब किसी मनुष्य को बुद्धि प्रदान होती है और वह बुद्धि द्वारा ख़ुदा तआला के दण्डों तथा कानूनों से परिचित होता है, तब इस हालत में वह न्याय की पकड़ के नीचे आता है, किन्तु दया (रहम) के लिए बुद्धि और क़ानून की शर्त नहीं। चूंकि ख़ुदा तआला ने दया करके मनुष्यों को सर्वाधिक श्रेष्ठता देनी चाही, इसलिए उसने मनुष्यों के लिए न्याय के नियम और दण्ड बनाए। अत: न्याय और दया में विरोधाभास समझना मूर्खता है।

एक ऐतराज़ जो मैंने पादरियों के सिद्धान्त पर किया था यह है कि वे कहते हैं कि "मनुष्य और समस्त प्राणियों की मृत्यु आदम के पापों का फल है"।

हालांकि यह विचार दो प्रकार से सही नहीं है। प्रथम – यह कि कोई अन्वेषक इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आदम के अस्तित्व से पहले भी एक सृष्टि संसार में रह चुकी है और वे मरते भी थे, उस समय न आदम मौजूद था और न आदम का पाप, फिर यह मौत कैसे पैदा हो गयी। द्वितीय- यह कि इसमें सन्देह नहीं कि आदम स्वर्ग में एक वर्जित फल को छोड़कर सब चीज़ें खाता था। अत: कुछ सन्देह नहीं हो सकता कि वह गोश्त (मांस) भी खाता होगा। इस स्थिति में भी आदम के पाप से पहले प्राणियों की मृत्यु सिद्ध होती है और यदि हम इससे भी इन्कार कर दें तो क्या हम दूसरी बात से भी इन्कार कर सकते हैं कि आदम स्वर्ग में अवश्य पानी पीता था, क्योंकि खाना और पीना सदैव एक दूसरे के समवाय हैं। और विज्ञान के अनुसंधानों से सिद्ध है कि प्रत्येक बूंद में कई हज़ार कीटाणु होते हैं। अत: कुछ सन्देह नहीं कि आदम के पाप से पहले करोड़ों कीटाणु मरते

थे। इससे हर हाल में मानना पड़ता है कि मृत्यु पाप का फल नहीं। और यह बात ईसाइयों के सिद्धान्त का खण्डन करती है।

एक और ऐतराज़ मैंने अपनी पुस्तकों में किया था जो पादरियों की इंजीलों मती इत्यादि पर पड़ता है जिसका उत्तर देने से पादरी असमर्थ हैं और वह यह है कि उनकी इंजीलें इस कारण से भी विश्वसनीय नहीं कि उनमें झूठ से बहुत काम लिया गया है। जैसा कि लिखा है कि यसू ने इतने कार्य किए हैं कि यदि वे लिखे जाते तो वे पुस्तकें संसार में न समा सकतीं। अत: सोचो कि यह कितना (बड़ा) झूठ है कि जो कार्य तीन वर्ष के समय में समा गए और थोड़े से समय में सीमित हो गए, क्या कारण है कि वे पुस्तकों में न समा सकते। फिर उन्हीं इंजीलों में यसू का कथन लिखा है कि "मुझे सिर रखने की जगह नहीं"। हालांकि उन्हीं पुस्तकों से सिद्ध है कि यसू की मां का एक घर था जिसमें वह रहता था और सिर रखने के क्या अर्थ। गुज़ारे के लिए उसके पास मकान मौजूद था। फिर इंजीलों से यह भी सिद्ध है कि यसू एक धनाढ्य व्यक्ति था। रूपयों की थैली हर समय साथ रहती थी, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है दो-दो, तीन-तीन हज़ार रूपया तक यसू के पास एकत्र रहता था। यसू के इस खज़ाने का ख़ज़ान्ची यहूदा इस्क्रयूती था। वह मूर्ख इन रूपयों में से कुछ चुरा भी लिया करता था। इंजीलों से यह सिद्ध करना कठिन है कि यसू ने उन रूपयों में से कभी कुछ ख़ुदा के लिए भी दिया। फिर क्या कारण कि इतना रूपया होने के बावजूद जिससे एक अमीरों जैसा मकान बन सकता था। फिर यसू कहता था कि "मुझे सिर रखने की जगह नहीं"। फिर तीसरा झूठ इंजीलों में यह है उदाहरणतया मती अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में लिखता कि मानो पहली पुस्तकों में उल्लेख था कि वह अर्थात् यसू नासिरी कहलाएगा। हालांकि नबियों की किताबों में इस बात का कहीं वर्णन नहीं। फिर चौथा झूठ यह है कि वह एक भविष्यवाणी को अकारण यसू पर चरितार्थ करने के लिए नासिरा के अर्थ शाखा करता है। हालांकि इब्रानी भाषा में नासिरा हरे-भरे और मनोहर स्थान को कहते हैं न कि शाखा को। इसी शब्द को अरबी में नाज़िर: (ناضرة) कहते हैं। इसी प्रकार और बहुत से झूठ हैं जो ख़ुदा के कलाम में कदापि नहीं हो

सकते।★ यह एक ऐसी बात थी जो ईसाइयों के लिए विचार योग्य थी। क्या ऐसी पुस्तकें विश्वसनीय हैं जिन में इतने झूठ हैं?

एक और आरोप मती इत्यादि इंजीलों पर है जिसे हम ने बार-बार प्रस्तुत किया है और वह यह है कि उन लेखों का इल्हामी होना कदापि सिद्ध नहीं क्योंकि उनके लेखकों ने किसी स्थान पर यह दावा नहीं किया कि ये पुस्तकें इल्हाम से लिखी गई हैं, अपितु उनमें से कुछ ने स्पष्ट तौर पर इक़रार भी कर दिया है कि ये पुस्तकें मनुष्यों की लिखी हुई हैं। सच है कि पवित्र क़ुर्आन में इंजील के नाम से एक पुस्तक हज़रत ईसा पर उतरने की पुष्टि है परन्तु पवित्र क़ुर्आन में यह कदापि नहीं है कि कोई इल्हाम मती या यूहन्ना इत्यादि को भी हुआ है और वह इल्हाम इंजील कहलाता है। इसलिए मुसलमान लोग किसी प्रकार इन पुस्तकों को अल्लाह तआला की पुस्तकें स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हीं इंजीलों से ज्ञात होता है कि हज़रत मसीह ख़ुदा तआला से इल्हाम पाते थे और अपने इल्हामों का नाम इंजील रखते थे। अत: ईसाइयों पर अनिवार्य है कि वह इंजील प्रस्तुत करें। आश्चर्य कि यह लोग उसका नाम भी नहीं लेते। यही कारण है कि उसे यह लोग खो चुके हैं।

हमारे आरोपों में से एक यह आरोप भी था कि ईसाई अपने सिद्धान्त के अनुसार शुभ कर्मों को कुछ चीज़ नहीं समझते तथा उनकी दृष्टि में मसीह का कफ़्फ़ार: मुक्ति पाने के लिए एक पर्याप्त उपाय है, किन्तु इस बात के अतिरिक्त हम सिद्ध कर चुके हैं कि यसू का कफ़्फ़ार: न तो ईसाइयों को बुराई से बचा सका और न यह बात सही है कि कफ़्फ़ार: के कारण उनके लिए प्रत्येक बुराई वैध हो गई। एक और बात न्यायवानों के लिए विचारणीय है और वह यह है कि बौद्धिक अनुसंधान से सिद्ध होता है कि शुभ कर्म अपने अन्दर निस्सन्देह एक ऐसा प्रभाव

★ मती ने अपनी इंजील के अध्याय 5 में एक अत्यन्त घृणित झूठ बोला है अर्थात् यह कि जैसे पहली किताबों में यह आदेश लिखा हुआ था कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने दुश्मन से घृणा। हालांकि यह आदेश किसी पहली किताब में मौजूद नहीं। और फिर दूसरा झूठ यह कि इस कथन को यसू से संबद्ध किया है। इसी से

रखते हैं जो शुभ-कर्म करने वाले को वह प्रभाव मुक्ति का फल प्रदान करती है। क्योंकि ईसाइयों को भी इस बात का इक़रार है कि बुराई अपने अन्दर ऐसा प्रभाव रखती है कि उसे करने वाला हमेशा के लिए नर्क में जाता है। अत: इस स्थिति में क़ानून-ए-क़ुदरत के इस पहलू पर दृष्टि डाल कर यह दूसरा पहलू भी मानना पड़ता है कि इसी तरह नेकी भी अपने अन्दर एक प्रभाव रखती है कि उसे करने वाला मुक्ति का वारिस बन सकता है।

हमारे आरोपों में एक आरोप यह भी था कि ईसाई जिस फ़िद्य:★ को ईसाई प्रस्तुत करते हैं वह ख़ुदा के अनादि क़ानून-ए-क़ुदरत के सर्वथा विपरीत हैं क्योंकि क़ानून-ए-क़ुदरत में इस बात का कोई उदाहरण नहीं कि निम्न (स्तर वाले) को बचाने के लिए उच्च (स्तर वाले) को मारा जाए। हमारे सामने ख़ुदा का प्रकृतिक नियम है उस पर दृष्टि डालने से सिद्ध होता है कि हमेशा निम्न स्तर वाले उच्च स्तर वालों की रक्षा के लिए मारे जाते हैं। अत: संसार में जितने प्राणी हैं यहां तक कि पानी के कीटाणु वे सब मनुष्य जो सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है को बचाने के लिए काम में आ रहे हैं। फिर यसू के ख़ून (क़त्ल) का फ़िद्य: (बदला) इस नियम का कितना उलट है जो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और प्रत्येक बुद्धिमान समझ सकता है कि जो अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रिय है उसी को बचाने के लिए निम्न स्तर वाले उच्च स्तर वाले के लिए क़ुर्बान किया जाता है। अत: ख़ुदा तआला ने मनुष्य के प्राण बचाने के लिए करोड़ो प्राणियों को फ़िद्य: के तौर पर दिया है और हम समस्त मानव भी स्वाभाविक तौर पर ऐसा ही करने की ओर रूचि रखते हैं। तो फ़िर स्वयं विचार कर लो कि ईसाइयों का फ़िद्दय: ख़ुदा के क़ानूने क़ुदरत से कितना उलट है।

एक और आरोप है जो हमने किया था और वह यह है कि यसू के बारे में वर्णन किया जाता है कि वह विरसे में मिले पाप तथा स्वयं किए गए पाप से रहित

★ फ़िद्य: वह धन जो किसी क़ैदी की मुक्ति कराने के लिए दिया जाए, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के बदले में अपनी जान दे, वह धन जो किसी क़ातिल से किसी की हत्या के बदले में पीड़ित को दिलाया जाए। (अनुवादक)

है, जबकि यह सर्वथा ग़लत है। ईसाई स्वयं स्वीकार करते हैं कि यसू ने अपना सम्पूर्ण मांस और त्वचा अपनी मां से पाई थी और वह पाप से रहित न थी। इसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह भी इक़रार है कि प्रत्येक पीड़ा और कष्ट पाप का फल है और कुछ सन्देह नहीं कि यसू भूखा भी होता था और प्यासा भी और बचपन में क़ानून-ए-क़ुदरत अनुसार उसे ख़सरा भी निकला होगा और चेचक भी और दांतों के निकलने के दु:ख भी सहन किए होंगे और मौसमी ज्वरों में भी ग्रस्त होता होगा तथा ईसाइयों के सिद्धान्तों के अनुसार यह सब पाप के फल हैं फिर उसे पवित्र फ़िद्य: कैसे समझा गया। इसके अतिरिक्त जब रूहुल क़ुदुस (जिब्रील) का संबंध ईसाइयों के सिद्धान्त के अनुसार केवल इसी स्थिति में हो सकता था कि जब कोई व्यक्ति हर प्रकार से पाप से पवित्र हो तो फिर यसू जो उनके कहने के अनुसार विरसे में मिले पाप से रहित न था और न पापों के फल से बच सका। उस से रूहुल क़ुदुस ने कैसे संबंध कर लिया। देखने में उस से अधिक हक़ तो मलिक सिद्क़ सालिम का था क्योंकि ईसाइयों के कथनानुसार वह पूरी तरह पाप से रहित था।

और ईसाइयों के सिद्धान्त पर हमारा एक आरोप यह था कि वे इस बात को मानते हैं कि मुक्ति का मूल उपाय पापों से रहित होना है और इस बात के स्वीकार करने के बावजूद पापों से रहित होने का सच्चा उपाय वर्णन नहीं करते बल्कि एक लज्जाजनक बनावट को प्रस्तुत करते हैं जिसका पापों से रहित होने के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं। यह बात नितांत स्पष्ट और खुली-खुली है कि मनुष्य ख़ुदा के लिए पैदा किया गया है इसलिए उस का समस्त आराम और सारी खुशी केवल इसी में हैं कि वह पूर्णत: ख़ुदा का ही हो जाए। वास्तविक आराम कभी नहीं मिल सकता जब तक मनुष्य उस सच्चे नाता को जो उसको ख़ुदा से, है आन्तरिक शक्ति से क्रियात्मक तौर पर प्रकट न करे। परन्तु जब मनुष्य ख़ुदा से मुख फेर ले तो उसका उदाहरण ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति उन खिड़कियों को बन्द कर दे जो सूर्य की ओर थीं तथा इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें बन्द करने के साथ ही पूरी कोठरी में अंधेरा हो जाएगा। और वह प्रकाश जो मात्र सूर्य से प्राप्त होता है, सहसा दूर होकर अंधकार पैदा हो जाएगा और यह वही अंधकार है जिसे

पथभ्रष्टता (गुमराही) और नर्क की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि दुखों की जड़ वही है और उस अंधकार का दूर होना तथा उस नर्क से मुक्ति पाना यदि क़ानून-ए-क़ुदरत के अनुसार तलाश किया जाए तो किसी को सलीब पर मरने की आवश्यकता नहीं बल्कि वही खिड़कियां खोल देनी चाहिए जो अंधकार का कारण हुई थीं। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि हम प्रकाश पाने की खिड़कियों को हठपूर्वक बन्द करके, किसी प्रकाश को पा सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए पाप का क्षमा होना कोई किस्सा-कहानी नहीं जिस का प्रकटन किसी भावी जीवन पर आधारित हो और यह भी नहीं कि यह बातें मात्र निराधार तथा सांसारिक सरकारों की अवज्ञाओं एवं दोषों को क्षमा करने के रूप में है, बल्कि मनुष्य को उस समय अपराधी और पापी कहा जाता है जब वह ख़ुदा से विमुख हो कर उस प्रकाश के सामने से अलग हट जाता और उस चमक से इधर उधर हो जाता है जो ख़ुदा की ओर से उतरती और हृदयों पर नाज़िल होती है। इस मौजूद स्थिति का नाम ख़ुदा के कलाम में जुनाह है जिसे पारसियों ने परिवर्तित करके गुनाह बना लिया है और 'जनह' जो इसकी मुख्य धातु है उसके अर्थ हैं- झुकाव करना और मूल केन्द्र से हट जाना। अत: इस का नाम जुनाह अर्थात् गुनाह (पाप) इसलिए हुआ कि मनुष्य मुख फेर कर उस स्थान को छोड़ देता है जो ख़ुदा के प्रकाश पड़ने का स्थान है और विशेष स्थान से दूसरी ओर झुकाव रखकर उन प्रकाशों से स्वयं को दूर डालता है जो उस सामने की दिशा में प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार जुर्म का शब्द जिसके अर्थ भी गुनाह (पाप) हैं 'जर्म से निकला है और जर्म अरबी भाषा में काटने को कहते हैं। अत: जुर्म का नाम जर्म इसलिए हुआ कि जर्म करने वाला ख़ुदा तआला से अपने सम्पूर्ण संबंध काटता है और भाव की दृष्टि से जुर्म का शब्द जुनाह के शब्द से कठोरतम है क्योंकि जुनाह केवल झुकाव का नाम है जिसमें किसी प्रकार का ज़ुल्म (अन्याय) हो। परन्तु जुर्म का शब्द किसी गुनाह पर उस समय चरितार्थ होगा जब एक व्यक्ति जान बूझकर ख़ुदा के कानून को तोड़कर और उसके संबंधों की परवाह न करके किसी अकरणीय (न करने वाले) विषय को जान-बूझकर करता है।

अब जबकि सच्ची पवित्रता की वास्तविकता यह ठहरी जिसे हमने वर्णन किया

है। तो अब यहां स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या वे खोए हुए प्रकाश जिन्हें मनुष्य अंधकार से प्रेम करके खो बैठता है। क्या वह केवल किसी व्यक्ति को सलीब पर मृत्यु प्राप्त मानने से प्राप्त हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यह विचार बिल्कुल ग़लत और बेकार है बल्कि मूल वास्तविकता यही है कि उन प्रकाशों की प्राप्ति के लिए अनादिकाल से प्रकृति का नियम यही है कि हम उन खिड़कियों को खोल दें जो उस वास्तविक सूर्य के सामने हैं। तब वे किरणें और रश्मियाएँ जो बन्द करने से लुप्त हो गई थीं सहसा फिर पैदा हो जाएंगी। देखो ख़ुदा का भौतिक नियम भी यह गवाही दे रहा है। और हम किसी अंधकार को दूर नहीं कर सकते जब तक ऐसी खिड़कियां न खोल दें जिनसे हमारे घर में सीधी किरणें पड़ सकती हैं। इसलिए इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सद्बुद्धि के नज़दीक यही उचित है कि उन खिड़कियों को खोला जाए। तब हम न केवल प्रकाश को पाएंगे बल्कि उस प्रकाश के उद्‌गम को भी देख लेगें।

इसलिए गुनाह और लापरवाही के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश को प्राप्त करना आवश्यक है। इसी की ओर अल्लाह तआला संकेत करता है-

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا (बनीइस्राईल-73)

अर्थात् जो व्यक्ति इस लोक (संसार) में अंधा हो वह उस दूसरे लोक (परलोक) में भी अंधा ही होगा बल्कि अंधों से बद्तर। अर्थात् ख़ुदा को देखने की आंखें और उसे ज्ञात करने की ज्ञानेन्द्रियाँ (हवास) इसी लोक से मिलती हैं, जिसको **इस संसार में** नहीं मिली उसे परलोक में भी नहीं मिलेगी। सत्यनिष्ठ लोग जो प्रलय के दिन ख़ुदा को देखेंगे वे इसी स्थान से देखने वाली ज्ञानेन्द्रियां साथ ले जाएंगे और जो व्यक्ति इस स्थान पर ख़ुदा की आवाज़ नहीं सुनेगा वह उस स्थान पर भी नहीं सुनेगा, ख़ुदा को जैसा कि ख़ुदा है बिना किसी ग़लती के पहचानना और इसी लोक में सच्चे और सही तौर पर उसके अस्तित्व एवं उसकी विशेषताओं को पहचानने का ज्ञान प्राप्त करना यही सम्पूर्ण रोशनी का उदय स्थल है। इसी स्थान से प्रकट है कि जिन लोगों का यह मत है कि ख़ुदा पर भी मृत्यु, दुःख, संकट और मूर्खता हावी हो जाती है और वह भी लानती होकर सच्ची पवित्रता, दया तथा सच्चे

ज्ञानों से वंचित हो जाता है। ऐसे लोग गुमराही के गढ़े में पड़े हुए हैं तथा सच्चे ज्ञानों और सच्चे आध्यात्म ज्ञान (मआरिफ) जो वास्तव में मुक्ति का आधार हैं वे लोग उनसे वास्तव में अपरिचित हैं, निजात का निशुल्क प्राप्त होना और कर्मों को अनावश्यक ठहराना जो ईसाइयों का विचार है यह उनकी सर्वथा भूल है। उनके काल्पनिक ख़ुदा ने भी चालीस रोज़े (उपवास) रखे थे और मूसा ने सीना पर्वत पर रोज़े रखे। यदि कर्म कुछ चीज़ नहीं हैं तो ये दोनों महापुरुष इस व्यर्थ कार्य में क्यों पड़े, जबकि हम देखते हैं कि ख़ुदा तआला बुराई से बहुत खिन्न है तो हम इससे समझ जाते हैं कि वह नेकी करने से अत्यधिक प्रसन्न होता है। इस स्थिति में नेकी बुराई का कफ़्फ़ार: ठहरती है, और जब एक मनुष्य ने बुराई करने के पश्चात् ऐसी नेकी की जिस से ख़ुदा तआला प्रसन्न हुआ तो अवश्य है कि पहली बात निरस्त होकर दूसरी बात स्थापित हो जाए अन्यथा न्याय के विपरीत होगा। इसी के अनुसार अल्लाह तआला पवित्र क़ुर्आन में फ़रमाता है :

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (हूद- 115)

अर्थात् नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। हम यों भी कह सकते हैं कि बुराई में एक ज़हरीली विशिष्टता है जो तबाही तक पहुंचाती है। इसी प्रकार हमें मानना पड़ता है कि नेकी में एक विष-नाशकीय विशिष्टता है जो मृत्यु से बचाती है। उदाहरणतया- घर के समस्त दरवाज़ों को बन्द कर देना यह एक बुराई है, जिसका अनिवार्य प्रभाव यह है कि अंधेरा हो जाए। फिर इसकी तुलना में यह है कि घर का दरवाज़ा जो सूर्य की ओर है, खोला जाए। यह एक नेकी है जिसकी अनिवार्य विशिष्टता यह है कि घर के अन्दर खोई हुई रोशनी वापस आ जाए या हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि अज़ाब एक कमाई हुई चीज़ है क्योंकि आराम के अभाव का नाम अज़ाब है और मुक्ति एक सकारात्मक चीज़ है अर्थात् आराम और समृद्धि (खुशहाली) के पुनः प्राप्त हो जाने का नाम मुक्ति है। अत: जैसा कि अंधकार प्रकाश के अस्तित्व के अभाव (नकारात्मक) का नाम है इसी प्रकार अज़ाब समृद्धि के अस्तित्व के अभाव (नकारात्मक) का नाम है। उदाहरणतया बीमारी उस हालत का नाम है कि जब शरीर की स्थिति सुचारु न रहे और स्वास्थ्य (सेहत)

उस स्थिति का नाम है जब स्वाभाविक अंग असली स्थितियों की ओर लौट आएं। अत: जब मनुष्य की रूहानी हालत (स्थिति) प्राकृतिक स्वभाव से इधर-उधर खिसक जाए, इसी विकार का नाम अज़ाब है। और जैसा कि देखा जाता है कि जब कोई अंग उदाहरणतया हाथ या पैर अपने स्थान से उतर जाए तो उसी समय दर्द आरंभ हो जाता है और वह अंग अपने सुपुर्द सेवाओं को पूरा नहीं कर सकता, और यदि उसी स्थिति पर छोड़ा जाए तो धीरे-धीरे बेकार या सड़ कर गिर जाता है और प्राय: उसकी निकटता के कारण अन्य अंगों के बिगड़ने की आशंका रहती है तथा यह दर्द जो उस अंग में पैदा होता है यह बाहर से नहीं आता अपितु स्वाभाविक तौर पर उसकी उस ख़राब हालत के कारण आता है। इसी प्रकार अज़ाब की हालत है कि जब मनुष्य स्वाभाविक धर्म से अलग हो जाए और सीधी हालत से गिर जाए तो अज़ाब प्रारंभ हो जाता है। मानो एक मूर्ख जो लापरवाही की बेहोशी में पड़ा हुआ है उस अज़ाब को महसूस न करे। ऐसी स्थिति में ऐसा बिगड़ा हुआ मनुष्य रूहानी सेवाओं के योग्य नहीं रहता और यदि उसी स्थिति में एक (लम्बी) अवधि तक रहे तो बिलकुल बेकार हो जाता है और उस की निकटता दूसरों को भी खतरे में डालती है तथा वह अज़ाब जो उस पर आता है, बाहर से नहीं आता अपितु उसकी वही स्थिति उस अज़ाब को पैदा करती है। निस्सन्देह अज़ाब ख़ुदा का कार्य है परन्तु इस प्रकार का उदाहरणतया जब एक मनुष्य संखिए की पर्याप्त मात्रा खा ले तो ख़ुदा तआला उसे मार देता है या उदाहरणत: जब एक मनुष्य अपनी कोठरी के सभी दरवाज़े बन्द कर दे तो ख़ुदा तआला उस घर में अंधेरा पैदा कर देता है या यदि उदाहरणतया एक मनुष्य अपनी जीभ काट डाले तो ख़ुदा तआला उससे बोलने की शक्ति छीन लेता है। ये सब ख़ुदा तआला के कार्य हैं जो मनुष्य के कार्य के बाद पैदा होते हैं। इसी प्रकार अज़ाब देना ख़ुदा का कार्य है जो मनुष्य के अपने ही कार्य से पैदा होता और उसी में जोश मारता है। इसी की ओर अल्लाह तआला संकेत करता है-

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝ (अलहुमज़ह-7,8)

अर्थात् ख़ुदा का अज़ाब एक अज़ाब है जिसे ख़ुदा भड़काता है और उस

का पहला शोला मनुष्य के अपने हृदय से ही उठता है अर्थात् उसकी जड़ मनुष्य का अपना ही हृदय है और हृदय के अपवित्र विचार उस नर्क का ईंधन हैं। अत: जबकि अज़ाब का मूल बीज अपने अस्तित्व की ही अपवित्रता है जो अज़ाब की स्थिति पर आधारित होती है। इसलिए इस से मानना पड़ता है कि वह चीज़ जो उस अज़ाब को दूर करती है वह सत्यनिष्ठा और पवित्रता है। हम अभी लिख चुके हैं कि अज़ाब एक कमाई हुई चीज़ है क्योंकि राहत और आराम एक स्वाभाविक बात है और उसके पतन का नाम अज़ाब है तथा क़ानून-ए-क़ुदरत गवाही देता है कि किया गया गुनाह दुआ की स्वीकारिता से दूर हो जाता है। उदाहरणतया कोठरी के दरवाज़े बन्द करने से जो एक अंधकार पैदा होता है यह एक नकारात्मक बात है। इस का पहला और सीधा उपचार यह है कि सूर्य की दिशा में दरवाज़े खोल दिए जाएं और दरवाज़ा खोलना एक सकारात्मक बात है।

अत: यहां वास्तविक मुक्ति पाने के लिए किसी तीसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणतया एक बन्द कोठरी का अंधेरा दूर करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उसके दरवाज़े खोल दिए जाएं। इसीलिए पवित्र क़ुर्आन का कथन है कि ख़ुदा की तौहीद (एकेश्वरवाद) पर ज्ञान एवं क्रियात्मक तौर पर क़ायम होने वाले सब मुक्ति पाएंगे। हां यह भी कहा है कि वह पूर्ण तौहीद जो मुक्ति का आधार है जिसमें शिर्क (ख़ुदा का भागीदार बनाने) का कोई अंधकार नहीं, और जो हर एक हानि से रिक्त है वह केवल क़ुर्आन में पाई जाती है। इसलिए निश्चित रूप से यह भी अनिवार्य हुआ कि हम उस तौहीद को क़ुर्आन तथा अन्तिम युग के नबी के माध्यम से ढूंढें क्योंकि यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वह अन्य स्थान पर नहीं मिलती। अत: यहां प्रत्येक बुद्धिमान समझ जाएगा कि गुनाह (पाप) और क्षमा की फ़िलास्फ़ी क्या है। किन्तु खेद कि ईसाइयों के विचार में समाया हुआ है कि ख़ुदा का अज़ाब उस मनुष्य के अज़ाब के समान है जो अपने किसी सेवक को उस की अवज्ञा पर चिढ़ कर और अत्यन्त दुखी होकर मारता है। अत: जैसे वह उस कंजूस स्वामी के समान है जिसने अपने ऊपर अनिवार्य कर रखा है कि कभी दोष को क्षमा न करे जब तक एक दोषी के बदले में दूसरे को क़त्ल न कर ले।

मेरे समस्त आरोपों में से एक यह भी था कि पादरियों का यह दावा सर्वथा ग़लत है कि "क़ुर्आन तौहीद और आदेशों में नई चीज़ कौन सी लाया जो तौरात में न थी"। प्रत्यक्ष तौर पर एक मूर्ख तौरात को देखकर धोखा खाएगा कि तौरात में तौहीद भी मौजूद है तथा उपासना (इबादत) तथा प्रजा के अधिकारों का भी वर्णन है फिर कौन सी नवीन बात है जो क़ुर्आन के द्वारा वर्णन की गई। परन्तु यह धोखा उसी को लगेगा जिसने ख़ुदा के कलाम पर कभी विचार नहीं किया। स्पष्ट हो कि ब्रह्मज्ञान का बहुत सा भाग ऐसा है कि तौरात में उसका नामोनिशान नहीं। तौरात में तौहीद की बारीक श्रेणियों का कहीं वर्णन नहीं। क़ुर्आन हम पर प्रकट करता है कि तौहीद केवल इस बात का नाम नहीं कि हम बुतों और इन्सानों और इन्सानों और जानवरों तथा तत्वों एवं आकाशीय ग्रहों तथा शैतानों की उपासना से अलग रहें बल्कि तौहीद तीन श्रेणियों में विभाजित है **प्रथम श्रेणी-** जनसामान्य के लिए अर्थात् उनके लिए जो ख़ुदा तआला के प्रकोप से मुक्ति पाना चाहते हैं। **दूसरी श्रेणी** विशेष लोगों के लिए जो जनसामान्य की अपेक्षा अधिक ख़ुदा के सानिध्य के साथ विशिष्टता पैदा करना चाहते हैं और **तीसरी श्रेणी** अतिविशिष्ट लोगों के लिए जो सानिध्य के चरमोत्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। तौहीद की प्रथम श्रेणी तो यही है कि ख़ुदा के अतिरिक्त किसी की उपासना न की जाए और प्रत्येक वस्तु जो सीमित और सृष्टि ज्ञात होती है चाहे पृथ्वी पर है चाहे आकाश पर उसकी उपासना (इबादत) से अलग रहा जाए। तौहीद की दूसरी श्रेणी यह है कि अपने और दूसरों के समस्त कारोबार में वास्तविक प्रभावकारी ख़ुदा तआला को समझा जाए और माध्यमों पर इतना बल न दिया जाए जिससे वे ख़ुदा तआला के भागीदार ठहर जाएं। उदाहरणतया यह कहना कि ज़ैद न होता तो मेरी यह हानि होती और बकर न होता तो मैं तबाह हो जाता। यदि ये वाक्य इस नीयत से कहे जाएं कि जिस से वास्तविक तौर पर ज़ैद तथा बकर को कुछ चीज़ समझा जाए तो भी यह शिर्क है। तौहीद की तीसरी श्रेणी यह है कि ख़ुदा तआला के प्रेम में अपने नफ़्स (अस्तित्व) की आवश्यकताओं को भी बीच से हटाना और अपने अस्तित्व को उसकी श्रेष्ठता में तन्मय रखना। यह तौहीद तौरात में कहां है। इसी प्रकार तौरात में स्वर्ग तथा नर्क

का कुछ वर्णन नहीं पाया जाता, संभव है कहीं-कहीं संकेत हों, इसी प्रकार तौरात में ख़ुदा तआला की पूर्ण विशेषताओं का कहीं पूर्ण रूप से वर्णन नहीं। यदि तौरात में ऐसी कोई सूरह (अध्याय) होती जैसा कि पवित्र क़ुर्आन में-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (इख़्लास- 2 से 5)

है तो कदाचित् ईसाई इस सृष्टि-उपासना की विपत्ति से रुक जाते। इसी प्रकार तौरात ने अधिकारों की श्रेणियों को पूर्ण रूपेण वर्णन नहीं किया, किन्तु क़ुर्आन ने इस शिक्षा को भी पूर्णता तक पहुंचाया है। उदाहरणतय: वह फ़रमाता है-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى (अन्नहल- 91)

अर्थात् ख़ुदा आदेश देता है कि तुम न्याय करो और इससे बढ़कर यह कि तुम उपकार करो और इससे पढ़कर यह कि तुम लोगों की इस प्रकार सेवा करो कि जैसे कोई निकट रिश्तेदारी के जोश से सेवा करता है। अर्थात् मानवजाति से तुम्हारी हमदर्दी स्वाभाविक जोश से हो, उपकार करने की कोई भावना न हो, जिस प्रकार कि मां अपने बच्चे से हमदर्दी रखती है। इसी प्रकार तौरात में ख़ुदा के अस्तित्व और उसकी तौहीद तथा उसकी पूर्ण विशेषताओं को बौद्धिक तर्कों द्वारा सिद्ध करके नहीं दिखाया। परन्तु पवित्र क़ुर्आन ने इन समस्त आस्थाओं एवं इल्हाम की आवश्यकता तथा नबुव्वत को बौद्धिक तर्कों द्वारा सिद्ध किया है और प्रत्येक बहस को दर्शनशास्त्रीय रूप में वर्णन करके सत्याभिलाषियों पर उसका समझना आसान कर दिया है। और ये समस्त तर्क इतनी पूर्णता से पवित्र क़ुर्आन में पाए जाते हैं कि किसी के सामर्थ्य में नहीं कि जैसे ख़ुदा (स्रष्टा) का कोई ऐसा सबूत प्रस्तुत कर सके जो पवित्र क़ुर्आन में न पाया जाता हो।

इसके अतिरिक्त पवित्र क़ुर्आन के अस्तित्व की आवश्यकता पर एक और बड़ा तर्क यह है कि पहली समस्त पुस्तकें मूसा की पुस्तक तौरात से इंजील तक एक विशेष क़ौम अर्थात् बनी इस्राईल को अपना सम्बोध्य ठहराती है और बहुत स्पष्ट एवं व्यापक शब्दों में कहते हैं कि उनके निर्देश सार्वजनिक हित के लिए नहीं अपितु केवल बनी इस्राईल के अस्तित्व तक सीमित हैं। परन्तु पवित्र क़ुर्आन

की दृष्टि में सम्पूर्ण संसार का सुधार है और उसकी सम्बोध्य कोई विशेष क़ौम नहीं अपितु बहुत स्पष्ट तौर पर वर्णन करता है कि वह सम्पूर्ण मानवजाति के लिए उतरा है और प्रत्येक मनुष्य का सुधार उसका उद्देश्य है। अत: सम्बोध्यों की दृष्टि से तौरात की शिक्षा तथा क़ुर्आन की शिक्षा में बड़ा अन्तर है। उदाहरणतया तौरात कहती है कि क़त्ल मत करो और क़ुर्आन भी कहता है कि क़त्ल मत करो और प्रत्यक्षत: क़ुर्आन में उसी आदेश की पुनरावृति प्रतीत होती है जो तौरात में आ चुका है, किन्तु वास्तव में पुनरावृति नहीं बल्कि तौरात का यह आदेश केवल बनी इस्राईल से संबंध रखता है और केवल बनी इस्राईल को क़त्ल से मना करता है, अन्य से तौरात को कोई मतलब नहीं। परन्तु पवित्र क़ुर्आन का यह आदेश सम्पूर्ण संसार से संबंध रखता है और सम्पूर्ण मानवजाति को अकारण रक्तपात करने से मना करता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण आदेशों में पवित्र क़ुर्आन का मूल उद्देश्य जन सामान्य का सुधार है और तौरात का उद्देश्य केवल बनी इस्राईल तक सीमित है।

मैंने इंजीलों पर एक यह भी ऐतराज़ किया था कि उनमें जितने चमत्कारों का उल्लेख किया गया है और जिनसे अकारण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ुदाई सिद्ध की जाती है वे चमत्कार कदापि सिद्ध नहीं हैं क्योंकि इंजील के लेखकों की नबुव्वत जो सबूत का आधार थी सिद्ध नहीं हो सकती और न उन्होंने एक इतिहासकार की हैसियत से चमत्कारों को लिखा हो। अत: उनमें इतिहास-लेखन की शर्तें भी नहीं पाई जातीं, क्योंकि इतिहासकार के लिए आवश्यक है कि वह झूठ बोलने वाला न हो और दूसरे यह कि उसकी स्मरण शक्ति बेकार न हो और तीसरे यह कि वह सूक्ष्म विचारक हो और सतही विचार का व्यक्ति न हो। चौथे यह कि वह अन्वेषक हो और सतही बातों को पर्याप्त समझने वाला न हो। पांचवें यह कि जो कुछ लिखे चश्मदीद लिखे, मात्र अप्रमाणित बातों को प्रस्तुत करने वाला न हो। किन्तु इंजील के लेखकों में इन शर्तों में से कोई शर्त मौजूद न थी। यह बात प्रमाणित है कि उन्होंने अपनी इंजीलों में जान-बूझ कर झूठ बोला है। अत: नासिरा के अर्थ उल्टे किए और 'अम्मानवाइल' की भविष्यवाणी को अकारण मसीह पर चरितार्थ किया और इंजील में लिखा कि "यदि यसू के समस्त कार्य लिखे जाते

तो वे पुस्तकें दुनिया में न समा सकतीं"। और स्मरण शक्ति का यह हाल है कि पहली पुस्तकों के कुछ संदर्भों (हवालों) में ग़लती की और बहुत सी निम्न बातों को लिखकर सिद्ध किया कि उनको बुद्धि, विचार तथा जांच-पड़ताल से काम लेने की आदत न थी बल्कि इंजीलों के कुछ स्थानों में अत्यन्त लज्जाजनक झूठ है। जैसा कि मती अध्याय 5 में यसू का यह कथन है कि "तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने दुश्मन से घृणा कर" हालांकि पहली पुस्तकों में यह इबारत मौजूद नहीं। इसी प्रकार उनका यह लिखना कि समस्त मुर्दे बैतुल मुक़द्दस की क़ब्रों से निकल कर शहर में आ गए थे। यह कितनी व्यर्थ बात है। किसी चमत्कार के लिखने के समय किसी इंजील-लेखकार ने यह दावा नहीं किया कि वह उसका आंखों देखा वृतान्त है। अत: सिद्ध होता है कि उनमें इतिहासकार की शर्तें नहीं पाई जाती थीं और उन का बयान इस योग्य कदापि नहीं कि उस का कुछ भी विश्वास किया जाए। इस अविश्वसनीयता के बावजूद वे जिस बात की ओर बुलाते हैं वह अत्यन्त निकृष्ट विचार तथा लज्जाजनक आस्था है। क्या यह बात बुद्धि के नज़दीक स्वीकार करने योग्य है कि एक असहाय मनुष्य जो अपने अन्दर मनुष्य होने की सम्पूर्ण बातें रखता है, ख़ुदा कहलाए? क्या बुद्धि इस बात को स्वीकार कर सकती है कि सृष्टि अपने स्रष्टा को कोड़े मारे और ख़ुदा के उपासक अपने शक्तिमान ख़ुदा के मुंह पर थूकें और उस पकड़ें और उसे फांसी दें और वह ख़ुदा होकर उनका मुकाबला करने से असमर्थ हो? क्या यह बात किसी की समझ में आ सकती है कि एक व्यक्ति ख़ुदा होकर पूरी रात दुआ करे और फिर उसकी दुआ स्वीकार न हो? क्या कोई हृदय इस बात पर संतुष्ट हो सकता है कि ख़ुदा भी असहाय बच्चों की तरह नौ महीने पेट में रहे और स्त्री के मासिक धर्म का रक्त (हैज़) खाए और अन्तत: चीखता हुआ औरतों के गुप्तांग से पैदा हो? क्या कोई बुद्धिमान इस बात को स्वीकार कर सकता है कि ख़ुदा अनन्त एवं अनादि काल के पश्चात् साकार हो जाए और उसका एक टुकड़ा (भाग) मनुष्य का रूप बने और दूसरा भाग कबूतर, और यह शरीर हमेशा के लिए उनके गले का हार हो जाए।

एक और आरोप था जो हमने ईसाइयों की वर्तमान इंजीलों पर किया था जिसके कारण पादरियों को बहुत लज्जित होना पड़ा और वह यह है कि इंजील मनुष्य की सम्पूर्ण शक्तियों की पोषक नहीं हो सकती और उसमें जो कुछ नैतिक भाग मौजूद है वह भी वास्तव में तौरात का चुना हुआ है। इस पर कुछ ईसाइयों ने यह आरोप खड़ा किया था कि "ख़ुदा की पुस्तक के दशानुकूल केवल नैतिक भाग होता है और दण्ड एवं प्रतिफल के कानून ख़ुदा की पुस्तक के दशानुकूल नहीं। क्योंकि अपराधों के दण्ड परिवर्तित स्थितियों के हित के अनुसार होने चाहिएं और वे स्थितियां असीमित हैं इसलिए उनके लिए केवल एक ही★ दण्ड का नियम उचित नहीं है। प्रत्येक दण्ड, जैसी समय की मांग हो तथा अपराधियों को चेतावनी तथा डांट-फटकार के लिए लाभप्रद हो सके देना चाहिए। इसलिए उन दण्डों का हमेशा एक ही रंग में होना लोगों के लिए लाभप्रद नहीं होगा और इस प्रकार दीवानी, फौजदारी और मालगुज़ारी (भूमिकार) के कानूनों को सीमित कर देना उस दुष्परिणाम का कारण होगा कि जो ऐसी नवीन स्थितियों के समय पैदा हो सकता है जो उन सीमित कानूनों से बाहर हों। उदाहरणतया एक ऐसे नवीन ढंग के व्यापारिक मामलों पर विरोधात्मक प्रभाव डाले जो ऐसी सामान्य प्रथा पर आधारित हों, जिन से उस सरकार में कोई अपेक्षा न हो सके और या किसी अन्य ढंग के नवीन मामलों पर प्रभावी हो और या किसी अन्य सामाजिक अवस्था पर प्रभाव रखता हो और या बदमाशों की ऐसी आदतें जो उनमें पक्की हो चुकी हों, पर अलाभकारी सिद्ध हों जिनमें एक प्रकार के दण्ड की आदत पड़ गई हो या उस दण्ड के योग्य न रहे हों। किन्तु मैं कहता हूं कि ये विचार उन लोगों के हैं जिन्होंने ख़ुदा के कलाम पवित्र क़ुर्आन को कभी ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। अब मैं सत्याभिलाषियों को समझाता हूं कि पवित्र-क़ुर्आन में ऐसे आदेश जो दीवानी, फ़ौजदारी और माल से संबंधित हैं दो प्रकार के हैं एक वे जिन में दण्ड या न्याय के नियमों का विवरण है। दूसरे वे जिनमें उन मामलों को केवल कवाइदे

★ नोट: इस प्रकार का आरोप मार्कबे तथा अन्य अंग्रेज़ लेखकों ने क़ुर्आन करीम पर किया है। इसी से

कुल्लिय: ★ के तौर पर लिखा है और किसी विशेष उपाय को निर्धारित नहीं किया तथा उन आदेशों का उद्देश्य यह है कि ताकि यदि कोई नवीन स्थिति पैदा हो तो धार्मिक विषयों में विवेक पूर्ण निर्णय करने वालों के काम आएं। उदाहरणतया पवित्र क़ुर्आन में एक स्थान पर तो यह है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। यह तो विवरण है तथा दूसरे स्थान पर यह संक्षिप्त इबारत है कि

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (अश्शूरा-41)

अत: जब हम विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह संक्षिप्त इबारत कानून के विस्तार के लिए वर्णन की गई है। क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि उनमें यह कानून जारी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति किसी का दांत तोड़े कि उसके मुंह में दांत नहीं और बहुत वृद्ध होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से उसके दांत निकल गए हैं तो दांत तोड़ने के दण्ड में हम उसका दांत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसके तो मुंह में दांत ही नहीं। इसी प्रकार यदि एक अंधा किसी की आंख फोड़ दे तो हम उसकी आंख नहीं फोड़ सकते, क्योंकि उसकी तो आंखें ही नहीं। सारांश यह कि पवित्र क़ुर्आन ने ऐसी स्थितियों को आदेशों में सम्मिलित करने के लिए इस प्रकार के क़वाइद कुल्लिय: (सामान्य नियम) वर्णन किए हैं। अत: उसके आदेशों और क़ानूनों पर ऐतराज़ क्योंकर हो सकता है। फिर उसने केवल यही नहीं कहा अपितु ऐसे क़वाइदे कुल्लिय: वर्णन करके प्रत्येक को विवेक पूर्ण निर्णय करने, छांटने तथा परिणाम निकालने की प्रेरणा दी है, किन्तु खेद कि यह प्रेरणा और शिक्षा- पद्धति तौरात में नहीं पाई जाती और इंजील तो इस पूर्ण शिक्षा से बिलकुल वंचित है। इंजील में केवल कुछ शिष्टाचार वर्णन किए हैं और वे भी किसी नियम और क़ानून के क्रम में सलंग्न नहीं हैं।

स्मरण रहे कि ईसाइयों का यह बयान कि इंजील ने कानून की बातों को मनुष्यों की समझ पर छोड़ दिया है गर्व करने योग्ये नहीं बल्कि शर्म और लज्जा के योग्य है। क्योंकि प्रत्येक बात जो पूर्ण कानून तथा व्यवस्थित ढंग से बनाए हुए नयमों के रूप में वर्णन न किया जाए वह बात यद्यपि अपने अर्थ के अनुसार कैसी

★ वे नियम जो एक जैसी चीज़ों में सब पर लागू हों। (अनुवादक)

ही अच्छी हो दुरूपयोग होने की दृष्टि से बहुत बुरी और घृणित हो जाती है। हम कई बार उल्लेख कर चुके हैं कि इंजील में कुछ नैतिक शिक्षा है तो सही, जो तौरात और तालमूद से ली गई है परन्तु अत्यन्त अनुचित और निराधार है। काश यदि वह किसी कानून के अन्तर्गत व्यवस्थित होती तो कैसी उपयोगी हो सकती, परन्तु अब तो दार्शनिता पूर्ण दृष्टि में बहुत घृणित चीज़ है और यह समस्त हानि कानून के छोड़ने से है जो प्रबंध तथा नियमों के प्रयोग से अभिप्राय है। यह विचार एक बड़ी मूर्खता है कि धर्म केवल कुछ निराधार बातों का नाम है जो इंजील में लिखी हैं बल्कि वे समस्त बातें जो मानवता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हैं, धर्म में सम्मिलित हैं। जो बातें मनुष्य को जंगली जानवरों जैसी स्थिति से निकाल कर वास्तविक मानवता सिखाती या सामान्य मानवता से उन्नत करके विवेक पूर्ण जीवन की ओर ले जाती हैं और या विवेक पूर्ण जीवन को उन्नति करके फ़ना फ़िल्लाह★ की अवस्था तक पहुंचाती हैं, उन्हीं बातों का नाम दूसरे शब्दों में धर्म है।

मैंने इंजीलों पर एक ऐतराज़ यह किया था कि इंजीलों में केवल इसी प्रकार के झूठ जो यसू की आयु के उस भाग के बारे में हैं जिन में उसने स्वयं को प्रकट किया बल्कि यसू के पहले जीवन के बारे में भी इंजीलों के लेखकों ने जानबूझ कर झूठ बोला है और उसकी उन घटनाओं को प्रकट करना उन्होंने हितकारी नहीं समझा जो उसके जीवन से संबंधित हैं जो उसके दावे से पूर्व गुज़र चुका था। हालांकि ऐसा व्यक्ति जिस ने ख़ुदा होने का दावा किया था उसकी उस आयु का वह पहला और बड़ा भाग भी वर्णन करने योग्य था जिसमें उसकी लगभग पूर्ण आयु खप चुकी थी और ईसाइयों के कथनानुसार उसकी आयु के केवल तीन वर्ष शेष रह गए थे। ताकि देखा जाता कि उस तीस वर्ष की आयु में उसमें किस प्रकार के चाल-चलन से जीवन व्यतीत किया और उस से ख़ुदा का व्यवहार किस प्रकार का रहा था और उस के द्वारा किस-किस प्रकार के चमत्कार प्रकट हुए। परन्तु खेद कि इंजील के लेखकों ने इस भाग का नाम तक न लिया। हां लूक़ा बाब प्रथम में इतना लिखा है कि "फ़रिश्ते ने मरयम पर प्रकट हो कर उसे बेटे की ख़ुशख़बरी दी

★ ख़ुदा में लीन हो जाना। (अनुवादक)

और कहा कि उसका नाम ईसा रखना" परन्तु यह किस्सा लूका की मनगढ़त बात प्रतीत होती है, क्योंकि यदि यह किस्सा सही होता तो फिर उसकी मां मरयम जिसे फ़रिश्ता दिखाई दिया था तथा उसके भाई जो उस फरिश्ते से भली भांति परिचित थे क्यों उस पर ईमान न लाए और यह इन्कार उस सीमा तक क्यों पहुंच गया कि यसू ने स्वयं अपने भाइयों का भाई होने से इन्कार किया और मां से भी इन्कार किया।

मैंने यह भी ऐतराज़ किया था कि यूहन्ना बाब-2 आयत 20 में है कि मसीह ने यहूदियों को कहा था कि हैकल छियालीस वर्ष में बनाया गया है परन्तु यहूदियों की पुस्तकों में निरन्तरता के साथ यह लिखा है कि हैकल केवल आठ वर्ष में तैयार हो गया था। अत: वे पुस्तकें अब तक मौजूद हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल झूठ है कि यहूदियों ने मसीह से ऐसा कहा था और स्वयं यह बात अनुमान के अनुकूल भी नहीं है कि ऐसी छोटी इमारत जिसे बनाने के लिए अधिक से अधिक कुछ वर्ष पर्याप्त थे, वह छियालीस वर्ष तक बनती रही हो। ऐसे-ऐसे झूठ इंजीलों में हैं जिनके कारण उनके लेख ग्रहण करने योग्य नहीं। उदाहरणतया देखो इंजील यूहन्ना बाब 14, आयत 34 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं कि तुम एक-दूसरे से प्रेम रखो, हालांकि यह नया आदेश नहीं क्योंकि अहबार की किताब बाब-19 आयत 18 में यही आदेश लिखा है, फिर वह नया कैसे हो गया। आश्चर्य कि यही इंजीलें हैं जिन के बारे में वर्णन किया गया है कि वे विश्वसनीयता की दृष्टि से आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों से बढ़ कर हैं तथा स्पष्ट है कि जिन तर्कों में ऐसे लज्जाजनक झूठ हैं उनकी इस्लाम की हदीस की किताबों से क्या तुलना। रीलेण्ड साहिब अपनी पुस्तक 'अकाउन्ट आफ़ मुहम्मदनिज़्म' में लिखते हैं कि-

"मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) के चमत्कार अत्यन्त विश्व-विख्यात, संयमी तथा बुद्धिमान मुहम्मदी विद्वानों ने अपनी असंख्य पुस्तकों में लिखे हैं और ये विद्वान ऐसे थे कि किसी बात को कठिन परीक्षा और असीम जांच-पड़ताल के बिना नहीं लेते थे। इसलिए उन की रिवायतें इस योग्य नहीं कि उन पर सन्देह किया जाए। सम्पूर्ण अरब देश में वे प्रसिद्ध

हैं तथा वे घटनाएं सामान्यत: पिता से पुत्र की ओर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंची हैं। इस्लाम की हर प्रकार की पुस्तकें मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) के चमत्कारों पर गवाही देती हैं। फिर यदि इतने बड़े और प्रवीण विद्वानों की सनद (प्रमाण) को स्वीकार न किया जाए तो फिर चमत्कारों के लिए और क्या सबूत हो सकता है। क्योंकि ऐसी बातों के सबूत के लिए जो कि हमारे युग से पूर्व अथवा हमारी नज़रों से दूर घटित हुई हैं केवल प्रमाण माध्यम हैं और यदि इन प्रमाणों (सनदों) का इन्कार किया जाए तो सम्पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं सन्देहास्पद हो जाती हैं। और फिर इस बात पर एक और तर्क कि ये चमत्कार निश्चित तौर पर सच्चे थे, यह है कि ऐसे लोगों पर इस्लाम के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बहुत सख़्त लानत की है कि जो झूठे तौर पर आप की ओर चमत्कार सम्बद्ध करें अपितु स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो मुझ पर झूठ बोले उसका दण्ड नर्क है। अत: यह कैसे हो सकता था कि ऐसी सख़्त मनाही के पश्चात् इतने झूठे चमत्कार बनाए जाते"।

फिर वही लेखक लिखता है कि-

"सत्य तो यह है कि जितनी प्रतिष्ठित गवाहियां और सनदें इस्लाम के नबी के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं एक ईसाई को सामर्थ्य नहीं कि ऐसी गवाहियां यसू के चमत्कारों के सबूत में अहद जदीद (इंजीलों) से प्रस्तुत कर सके तथा इस से अधिक या इस से उत्तम सनदें ला सके"।

अत: ईसाई विद्वान के एक हद तक इन्साफ़ से काम लेकर यह उल्लेख किया है परन्तु फिर भी इस्लाम की विशेषता तथा उसकी, सच्चाई के सबूत वर्णन करने के लिए उतना ही नहीं जितना वर्णन किया गया है। क्योंकि पवित्र क़ुर्आन ने इसके बावजूद कि उसकी आस्थाओं को हृदय मानते हैं और प्रत्येक पवित्र अन्तर्आत्मा स्वीकार करती है फिर भी ऐसे चमत्कार प्रस्तुत नहीं किए कि किसी भावी सदी के लिए किस्सों और कहानियों के रूप में हो जाएं बल्कि उन आस्थाओं पर बहुत से बौद्धिक तर्क भी क़ायम किए और क़ुर्आन में वे नाना प्रकार की विशेषताएं

एकत्र की कि मानवीय शक्तियों से बढ़कर चमत्कार की सीमा तक पहुंच गया तथा हमेशा के लिए ख़ुशख़बरी दी कि इस धर्म का पूर्ण अनुसरण करने वाले हमेशा आकाशीय निशान पाते रहेंगे। अतएव ऐसी ही हुआ। हम निश्चित तौर पर प्रत्येक सत्याभिलाषी (तालिबे हक़) को सबूत दे सकते हैं कि हमारे सय्यिद-व-मौला आंहज़रत सल्लाल्लाहो अलैहि वसल्लम के युग से आज तक प्रत्येक सदी में ऐसे औलिया होते रहे हैं जिन के द्वारा अल्लाह तआला अन्य क़ौमों को आकाशीय निशान दिखाकर उनका मार्ग-दर्शन करता रहा है जैसे कि सय्यिद अब्दुल क़ादिर जीलानी और अबुलहसन ख़िरकानी, अबू यज़ीद बुस्तामी, जुनैद बग़दादी, मुहिय्युद्दीन-इब्ने अरबी, ज़ुन्नून मिस्री, मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी, फ़रीदुद्दीन पाक पट्टनी, निज़ामुद्दीन देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी तथा शैख़ अहमद सरहिन्दी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हू इस्लाम में गुज़रे हैं। इन लोगों की संख्या हज़ारों तक पहुंचती है तथा इन लोगों के विलक्षण चमत्कार उलेमा एवं विद्वानों की पुस्तकों में नक़ल किए गए हैं कि एक पक्षपाती को कड़े पक्षपात के बावजूद अन्तत: स्वीकार करना पड़ता है कि ये लोग चमत्कार एवं विलक्षण निशानों वाले थे। मैं सच-सच कहता हूं कि मैंने सही जांच-पड़ताल द्वारा ज्ञात किया है कि जहां तक मनुष्यों के सिलसिले का पता लगता है सब पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि इस्लाम में इस्लाम के समर्थन, आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सच्चाई की गवाही में जितने आकाशीय निशान इस उम्मत के वलियों द्वारा प्रकट हुए और हो रहे हैं उनका उदाहरण अन्य धर्मों में कदापि नहीं। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति आकाशीय निशानों के द्वारा हमेशा होती रही है और उसके असंख्य प्रकाशों एवं बरकतों ने ख़ुदा तआला को निकट करके दिखा दिया है। निस्सन्देह समझो कि इस्लाम अपने आकाशीय निशानों के कारण किसी युग के समक्ष लज्जित नहीं। अपने इसी युग को देखो जिस में यदि तुम चाहो तो इस्लाम के लिए (उन निशानों को) देखने की गवाही दे सकते हो। तुम सच-सच कहो कि क्या इस युग में तुम ने इस्लाम के निशान नहीं देखे? फिर बताओ कि दुनिया में अन्य कौन सा धर्म है जो ये गवाहियां हर समय उपलब्ध रखता है? यही

बातें तो हैं जिन से पादरी साहिबों की कमर टूट गई। जिस व्यक्ति को वे ख़ुदा बनाते हैं उसके समर्थन में कुछ निराधार किस्सों तथा झूठी रिवायतों के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं तथा जिस पवित्र नबी को वे झुठलाते हैं उसकी सच्चाई के निशान इस युग में भी वर्षा के समान बरस रहे हैं, अभिलाषियों के लिए अब भी निशानों के द्वारा खुले हैं जैसे कि पहले खुले थे और सच्चाई के भूखों के लिए अब भी नेमतों का थाल उपलब्ध है जैसा कि पहले था। जीवित धर्म वही होता है जिस पर हमेशा के लिए जीवित ख़ुदा का हाथ हो। तो वह इस्लाम है। क़ुर्आन में दो नहरें अब तक मौजूद हैं- एक बौद्धिक तर्क की नहर दूसरी आकाशीय निशानों की नहर। परन्तु ईसाइयों की इंजील दोनों से वंचित और सूखी रही है।

کے پر ستدہ بندہ راجز آنکہ نادانے بود
پس بگرید برہ شاں ہر کہ گریا نے بود
آں خداوندے کہ نامش ہستبرہر برگ ثبت
ہر کہ جوید آں خدا را او مسلمانے بود

अनुवाद - किसी मनुष्य की उपासना कौन कर सकता है सिवाए उसके जो अज्ञानी हो। अत: जो रोने वाला हो वह उन लोगों की हालत पर रोए। वह ख़ुदा जिसका नाम हर पत्ते पर नक्श है जो उस ख़ुदा को ढूंडता है वही सच्चा मुसलमान होता है। (अनुवादक)

मैंने यह ऐतराज़ भी किया था कि पादरियों का एक बड़ा अन्वेषक 'शमलर' नामक कहता है कि यूहन्ना की इंजील के अतिरिक्त शेष तीनों इंजीलें जाली हैं और प्रसिद्ध विद्वान "डाडविल" अपने अनुसंधान के पश्चात् लिखता है कि दूसरी सदी के मध्य तक इन वर्तमान चार इंजीलों का दुनिया में कोई निशान न था, सेमेरल कहता है कि वर्तमान अहदनामा अर्थात् इंजीलें नेक नीयत के बहाने से मक्कारी के साथ दूसरी सदी के अन्त में लिखी गईं। और एक पादरी एविलसन इंग्लैण्ड का निवासी था कहता है कि मती की यूनानी इंजील मसीह की दूसरी सदी में एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी थी जो यहूदी न था और इसका सबूत यह है कि उसमें उस देश के भुगोल तथा यहूदियों की परंपराओं के बारे में बहुत सी ग़लतियों हैं। ईसाइयों के

अन्वेषक इस बात का भी इक़रार करते हैं कि एक ईसाई अपने धर्मानुसार मानवीय सोसायटी में नहीं रह सकता और न व्यापार कर सकता है, क्योंकि इंजील में अमीर बनने और **कल (परलोक) की चिन्ता करने** से मना किया गया है। इसी प्रकार कोई सच्चा ईसाई सेना में भी भर्ती नहीं हो सकता क्योंकि दुश्मन के साथ प्रेम करने का आदेश है। इसी प्रकार यदि सच्चा ईसाई है तो उसको विवाह करना भी मना है। इन समस्त बातों से मालूम होता है कि इंजील एक विशेष समय एवं विशेष क़ौम के लिए एक कानून के समान थी जिसे ईसाई लोगों ने सार्वजनिक बता कर उस पर सैकड़ों आरोप करा लिए। उचित होता कि वे कभी इस बात का नाम न लेते कि इंजील में किसी प्रकार की ख़ूबी है। उनके इसके अनुचित दावे से उनको अत्यधिक लज्जा और शर्मिन्दगी उठानी पड़ी है।

एक अन्य बात स्मरण रखने योग्य है कि ईसाई लोग "उलोहीम" शब्द जो "इलाह" का बहुवचन है तथा तौरात की किताब पैदायश में मौजूद है, से यह अर्थ निकालना चाहते हैं कि मानो यह तस्लीस की ओर संकेत है, परन्तु इससे उनकी और भी मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि इब्रानी शब्दकोश से सिद्ध है कि "उलोहीम" का शब्द बज़ाहिर बहुवचन है परन्तु हर स्थान पर एकवचन के अर्थ देता है। बात यह है कि अरबी और इब्रानी भाषा में यह मुहावरा प्रचलित है कि कभी शब्द एकवचन होता है और अर्थ बहुवचन के देता है जैसा कि सामिर और दज्जाल का शब्द। तथा कभी एक शब्द बहुवचन के रूप में होता है और अर्थ एकवचन के देता है। और इब्रानी जानने वाले भलीभांति जानते हैं कि यह शब्द "उलोहीम" भी उन्हीं शब्दों में से हैं जो बहुवचन के रूप में हैं और वास्तव में एकवचन के अर्थ रखते हैं। इसी कारण से यह शब्द तौरात में जिस जगह आया है उन्हीं अर्थों की दृष्टि से आया है और यह दावा बिल्कुल ग़लत है कि वह हमेशा ख़ुदा तआला के लिए विशिष्ट है बल्कि कहीं-कहीं पर यही शब्द फ़रिश्ते के लिए तथा कुछ स्थानों पर क़ाज़ी (न्यायधीश) के लिए और कुछ स्थानों पर हज़रत मूसा के लिए आया है। जैसा कि काज़ियों (न्यायियों) की किताब अध्याय 13 वचन 22 से ज्ञात होता है कि जब 'मनौहा समून' के बाप ने ख़ुदा वन्द का एक फरिश्ता देखा तो

उस ने कहा कि हम निस्सन्देह मर जाएंगे क्योंकि हमने "उलोहीम" को देखा। इस स्थान पर इब्रानी में शब्द "उलोहीम" है और उसका अर्थ फरिश्ता किया जाता है तथा ख़ुरूज (निर्गमम) अध्याय 22 वचन 9 में "उलोहीम" के अर्थ क़ाज़ी किए गए हैं और ख़ुरूज अध्याय 7 वचन 1 में मूसा को "उलोहीम" बता कर कहा है कि **"देख मैंने तुझे फ़िरऔन के लिए एक उलोहीम बनाया है।"** और इस्तिस्ना (व्यवस्थविवरणं) अध्याय 32 वचन 15 में यह इबारत है- **"और उसने एलोहा को छोड़ दिया जिसने उसे पैदा किया था।"** देखो यहां शब्द 'एलोहा' है उलूहीम नहीं है और ऐसा ही ज़बूर (भजन संहिता) अध्याय 50 वचन 22 में शब्द एलोहा आया है और इसी प्रकार इन किताबों में शब्द एलोहा और उलोहीम एक दूसरे के स्थान पर आ गया है, जिससे समझा जाता है कि दोनों स्थान पर एक वचन अभिप्राय है न कि बहुवचन। ऐसा ही यशायाह अध्याय 44 वचन 6 में उलोहीम आया है और फिर वचन 8 में एलोहा है। अत: स्पष्ट हो क शब्द को बहुवचन में लाने से मूल उद्देश्य ख़ुदा की शक्ति और क़ुदरत को प्रकट करना है। ये भाषाओं के मुहावरे हैं जैसा कि अंग्रेज़ी में एक मनुष्य को यू (you) अर्थात् तुम के शब्द से सम्बोधित करते हैं। परन्तु ख़ुदा तआला के लिए तस्लीस की आस्था के बावजूद हमेशा 'Thou" अर्थात् तू का शब्द लाते हैं। ऐसा ही इब्रानी भाषा में 'adonai' की बजाए जो ख़ुदावन्द के अर्थ रखता है 'adonim' आ जाता है। अत: वास्तव में ये बहसें शब्दकोश के मुहावरे के संबंध में हैं। पवित्र क़ुर्आन में अधिकांश स्थानों पर ख़ुदा तआला की वाणी में 'हम' शब्द आ जाता है कि हमने यह किया और हम यह करेंगे तथा कोई बुद्धिमान नहीं समझता कि यहां 'हम' से अभिप्राय ख़ुदाओं की प्रचुरता है परन्तु पादरी सज्जनों के हाल पर बहुत खेद है कि लज्जाजनक ढंगों से व्याख्याएं करके एक मनुष्य को ज़बरदस्ती ख़ुदा बनाना चाहते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि मूर्तिपूजा के युग के विचार इन्हें विवश करते हैं कि वे मुश्रिकों जैसी शिक्षा बनाएं। विचार करना चाहिए कि उन्होंने कैसे बुद्धि एवं विवेक से दूर दिखावे किए हैं, यहां तक कि तौरात पैदायश (उत्पत्ति) अध्याय 1 वचन 26 में जो यह इबारत है कि ख़ुदा ने कहा कि- **"हम इन्सान को अपनी शक्ल पर**

बनाएंगे।" यहां से ईसाई लोग यह बात निकालते हैं कि 'हम' के शब्द से तस्लीस की ओर संकेत है, परन्तु स्मरण रहे कि इब्रानी भाषा में यहां 'नअस:' शब्द है जिसके अर्थ 'नस्नअ' हैं। यह शब्द थोड़े से परिवर्तन के साथ इसी अरबी शब्द 'नस्नअ' से मिलता है तथा अरबी और इब्रानी भाषा का यह मुहावरा है कि अपने आप को या किसी दूसरे को श्रेष्ठता देने के लिए 'तुम' या 'हम' का शब्द बोला करते हैं परन्तु इन लोगों ने सृष्टि-पूजा के जोश से मुहावरे की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और केवल यह शब्द पाकर कि हम बनाएंगे तस्लीस को समझ लिया। अत्यन्त खेद का स्थान है कि सृष्टि पूजा से प्रेम करके इन बेचारों की नौबत कहां तक जा पहुंची है परन्तु केवल तीन को सीमाबद्ध इन्होंने अपनी ओर से कर लिया है। अन्यथा बहुवचन में तो तीन से अधिक सैंकड़ों पर बोला जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि बहुवचन से केवल तस्लीस ही निकलती है।

ईसाइयों पर हमारा एक ऐतराज़ यह था कि वे जिस फ़िद्या को प्रस्तुत करते हैं वह ख़ुदा तआला के क़ानून-ए-क़ुदरत के विपरीत है, क्योंकि ख़ुदा के क़ानून पर विचार करके हमें ज्ञात होता है कि सदैव से अल्लाह तआला का नियम (सुन्नत) यही है कि सबसे छोटा सब से अच्छे पर क़ुर्बान किया गया है। उदाहरणतया मनुष्य समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ तथा समस्त बुद्धिमानों की सम्मित से समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है। अत: उसके स्वास्थ्य, जीवित रहने, दृढ़ता तथा रहन-सहन की व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण प्राणी एक क़ुर्बानी का आदेश रखते हैं। पानी के कीटाणुओं से लेकर मधुमक्खियों तथा रेशम के कीड़ों और समस्त प्राणियों बकरी, गाय इत्यादि तक जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह सब मानव जीवन के सेवक तथा मानवाति के मार्ग में फ़िदय: मालूम होते हैं। हमारे शरीर की फुंसी के लिए प्राय: सौ जौंक प्राण देती हैं ताकि हम उस फुंसी से मुक्ति पाएं प्रतिदिन करोड़ों बकरियां, बैल और मछलियां इत्यादि हमारे लिए अपने प्राण देती हैं,तब हमारे स्वास्थ्य को बचाने के लिए स्थिति के अनुसार भोजन उपलब्ध होते हैं। अत: इस सम्पूर्ण क्रम पर दृष्टि डाल कर मालूम होता है कि ख़ुदा ने सबसे अच्छे के लिए सबसे छोटे को फ़िद्य: निर्धारित किया है परन्तु सर्वश्रेष्ठ का सबसे छोटे के लिए क़ुर्बान होना, इस का

उदाहरण ख़ुदा के क़ानूने क़ुदरत में हमें नहीं मिलता।

पादरी लोग इस ऐतराज़ से बहुत घबराते हैं और कोई उत्तर नहीं बन पड़ता। अन्त में कुछ निरर्थक किस्सों-कहानियों पर हाथ मार कर उनमें से कुछ यह उत्तर देते हैं कि कभी-कभी बड़े-बड़े अफ़सरों ने छोटे-छोटे लोगों के लिए जो उनके अधीन थे प्राण दिए हैं। अत: जब महारानी एल्ज़बिथ के ज़माने में सर फ्लिप सिडनी हालैण्ड देश के ज़टफिन किले को घेराव में ज़ख्मी हुआ तो उस समय ठीक चन्द्रावस्था (नज़ा) की तड़प और प्यास की तीव्रता के समय जब उसके लिए पानी का एक प्याला जो वहां बहुत कम मिल पाता था, उपलब्ध किया गया तो उसके पास एक और घायल सैनिक था जो प्यासा था जो अत्यन्त लालच के साथ सिडनी की ओर देखने लगा। सिडनी ने उसकी यह इच्छा देखकर पानी का वह प्याला स्वयं न पिया बल्कि त्याग के तौर पर उस सैनिक को यह कहकर दे दिया कि "तेरी आवश्यकता मुझ से अधिक है"★ यह बहादुरी और त्याग की विशेषता का एक नमूना है जो सिडनी ने दिखाया जिस से यह नतीजा निकलता है कि एक बड़े इन्सान ने छोटे के लिए जान दी। परन्तु स्मरण रहे कि इस किस्से में हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारा तो ऐतराज़ यह था कि ख़ुदा की प्रकृति का नियम जो सौर-मण्डल की तरह ख़ुदा की इच्छा और इरादे के अनुसार चल रहा है जिस से हम अपनी शक्ति और अधिकार से किसी प्रकार बाहर नहीं हो सकते तथा जो हमारी बनावट से नहीं अपितु प्राकृतिक रूप से ख़ुदा के हाथ से ऐसा ही क़ायम हो गया है। वह बता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ को जीवित रहने तथा उसकी कुशलता के लिए सबसे छोटे को क़ुर्बान किया गया है। अत: वह ख़ुदा का कार्य जो उस समय से जारी है जब से दुनिया की नींव रखी गई है हमें सिखाता और स्मरण कराता है कि ख़ुदा तआला का यही इरादा है कि जो सृष्टि (प्रजाति) उसकी दृष्टि में बहुत प्रिय और मान्य है

★ नोट- स्पष्ट मालूम होता है कि सिडनी ने दो विचारों के कारण सैनिक को ही स्वयं से बड़ा समझा एक यह कि सिडनी मरने वाला था और सैनिक जीवित रह कर काम दे सकता था। दूसरे यह कि सैनिक एक युद्ध करने वाला बहादुर था। इसलिए सिडनी ने कहा कि तेरी ज़रूरत अधिक है। इसी से

उसकी सेवा में अन्य सृष्टि को लगा दे तथा सबसे निम्न को सर्वश्रेष्ठ की मुक्ति के लिए कष्ट में डाले या मार दे। अत: मांग तो इस बात की थी कि क्या ख़ुदा ने कभी ऐसा किया कि निम्न को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ को तबाही के गड़े में डाला। परन्तु स्पष्ट है कि ख़ुदा के प्राकृतिक नियम में इसका उदाहरण नहीं। देखो हम पानी का प्याला पीकर करोड़ों कीटाणुओं को मारने का कारण होते हैं। अत: क्या कभी ऐसा भी हुआ कि एक कीटाणु के लिए ख़ुदा तआला ने करोड़ों लोगों को मार डाला हो। देखो एक मनुष्य अपने जीवन में जितना पानी पीता और इस के द्वारा असंभव कीटाणुओं को मारता या दूसरे विभिन्न प्राणियों, कीटाणुओं, मक्खियों, जोकों तथा खाने योग्य प्राणियों को मारता है, क्या कोई इसकी गणना कर सकता है? अत: क्या अब तक समझ नहीं, आ सकता कि ख़ुदा का क़ानून जिस का पालन करने के लिए मानवीय जीवन विवश है। सदैव से यही है कि सबसे छोटा (तुच्छ) सर्वश्रेष्ठ पर क़ुर्बान किया जाता है। हां जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसको यद्यपि ख़ुदा के क़ानून-ए-क़ुदरत से संबंध नहीं, परन्तु मनुष्य की स्वार्थ-त्याग की विशेषता उसे सम्मिलित कर सकते हैं। मनुष्य चूंकि अपूर्ण और पुण्य (सवाब) प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मों का मोहताज है। इसलिए कभी वह विनय और नम्रता से अपने ख़ुदा को प्रसन्न करने के लिए अपने आराम पर दूसरे का आराम को प्राथमिकता देता है और स्वयं एक आनन्द से वंचित रह कर दूसरे को वह आनंद पहुँचाता है ताकि इस प्रकार से अपने खुदा को प्रसन्न करे। और उसकी इस विशेषता का नाम अरबी में ईसार (अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसर के लाभ को तर्जीह प्राथमिकता देना) है। स्पष्ट है कि यह विशेषता यद्यपि असहाय मनुष्य की प्रशंसनीय विशेषताओं में से है परन्तु ख़ुदा की ओर सम्बद्ध नहीं हो सकती क्योंकि न तो वह विनय एवं विनम्रता के द्वारा किसी उन्नति का मोहताज है और न उसके समक्ष यह राय दे सकते हैं कि वह दूसरों को किसी प्रकार का आराम पहुंचाने के लिए इस बात का मोहताज है कि स्वयं को संकट में डाले क्योंकि यह बात पूर्ण क़ुदरत तथा ख़ुदाई निशान और अजर-अमर प्रताप के विपरीत है, और यदि वह इस प्रकार के अपमान, संकट और दुर्भाग्य अपने लिए उचित समझ सकता है तो

फिर यह भी संभव होगा कि वह अपनी ख़ुदाई किसी दूसरे को बतौर स्वार्थ त्याग देकर स्वयं निलंबित और बेकार बैठ जाए या अपनी पूर्ण विशेषताएं दूसरे को प्रदान करके स्वयं उन विशेषताओं से सदैव के लिए वंचित रहे। इसलिए ऐसा विचार ख़ुदा तआला के समक्ष बड़ी धृष्टता है। मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई ख़ुदा से डरने वाला न्यायप्रिय व्यक्ति ये अपूर्ण अवस्थाएं प्रतापी ख़ुदा के लिए पसंद करेगा। हां निस्सन्देह यह स्वार्थत्याग★ करके दूसरे को प्राथमिकता देने की विशेषता जिसमें दरिद्रता, विवशता, कमज़ोरी और वंचित होना शर्त है, एक असहाय मनुष्य की उत्तम विशेषता है कि बावजूद इसके कि दूसरे को आराम पहुंचा कर अपने आराम का सामान उसके पास शेष नहीं रहता फिर भी वह स्वयं पर सख़्ती करके दूसरे को आराम पहुंचा देता है परन्तु हम कैसे प्रस्तावित कर सकते हैं कि ख़ुदा पर भी ऐसी स्थिति रह सकती है कि वह किसी को एक प्रकार का आराम पहुंचा कर स्वयं उस आराम से वंचित रह जाए। क्या उसकी शान के लिए यह शोभनीय है कि एक व्यक्ति को अपने स्वार्थ पर प्राथमिकता देकर सामर्थ्यवान बनाए और स्वयं कमज़ोर रह जाए या स्वयं नऊज़ुबिल्लाह अज्ञानी रह जाए और दूसरे को अपने स्वार्थ पर प्राथमिकता देकर अन्तर्यामी बनाए। यह तो स्पष्ट है कि दूसरे के लिए स्वार्थ त्याग (ईसार)में यह आवश्यक शर्त है कि ईसार करने वाला (दूसरे के लिए अपने स्वार्थ पर प्राथमिकता देने वाला) अपने लिए एक वंचित होने की स्थिति पर राज़ी हो कर दूसरे को अपने उस हिस्से से भाग्यवान बनाए। और यदि अपने लिए वंचित होने की स्थिति पैदा न हो और दूसरे को हम लाभ पहुंचाए तो यह ईसार नहीं हो सकता। उदाहरणतया हमारे कब्ज़े में बहुत सी रोटियां हैं जिनके हम मालिक है तथा हमने उन हज़ारों रोटियों में से एक रोटी किसी फ़क़ीर को दे दी तो इस का नाम ईसार नहीं होगा। मान लो कि यदि सर फ़िलिप सिडनी के पास बहुत सा पानी होता अथवा उसको आसानी से पैदा कर सकता तथा वह उसमें से एक प्याला पानी उस सैनिक को भी दे देता जो उस के पास ज़ख्मी और प्यासा पड़ा था तो इस कार्य का नाम ईसार न होता, क्योंकि वह इस स्थिति में निस्सन्देह जान

★ ईसार को अंग्रेज़ी में सेल्फ सेक्रीफाइस कहते हैं। इसी से

सकता था कि मैं भी इस से वंचित नहीं रह सकता। अत: इस से विदित हुआ कि ईसार की विशेषता सिद्ध होने के लिए ईसार करने वाले व्यक्ति की कमज़ोरी और विवशता, असमर्थता, तथा सामर्थ्यहीनता शर्त है। इसलिए यह विशेषता सर्वशक्तिमान ख़ुदा की ओर सम्बद्ध नहीं हो सकती और ऐसा ही सर फ़िलिप सिडनी की ओर भी संबद्ध न होती यदि वह पानी पैदा करने पर समर्थ होता और यदि ख़ुदा ऐसा करे कि जानबूझ कर उस क़ुदरत के इस्तेमाल से स्वयं को वंचित रखे या जानबूझ कर दूसरे को आराम देकर अपने ऊपर संकट की स्थिति डाल ले तो इस कार्य का नाम भी ईसार नहीं है अपितु यह कार्य उस मूर्ख के कार्य के समान होगा जिसका घर भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजनों (भोजनों) से भरा है और उसने उनमें से किसी फ़क़ीर को एक थाल खाना देकर शेष सम्पूर्ण खाना किसी गढ़े में फेंक दिया और अपने आपको भूख से मरने तक पहुंचा दिया ताकि इस प्रकार ईसार की विशेषता सिद्ध हो। निष्कर्ष यह कि ये सब गलतियां हैं जिनमें ईसाई लोग जान-बूझ कर स्वयं को डाल रहे हैं ताकि गले पड़े ढोल को किसी प्रकार बजाते रहें।

यह भी स्मरण रहे कि मनुष्य की ईसार की विशेषता इस शर्त से सराहनीय है कि उसमें कोई निर्लज्जता और दरयूस (अपनी स्त्री को पर पुरुष के पास भेज कर उसकी कमाई खाना) तथा अधिकारों का हनन न हो। उदाहरणतया यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को उसके इच्छुक के साथ बतौर ईसार सम्भोग कराए तो यह विशेषता सराहनीय नहीं होगी। बहुत से मूर्ख ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिन का उदाहरण ख़ुदा तआला के सम्पूर्ण क़ानून-ए-क़ुदरत में नहीं पाया जाता। अत: वे बुद्धिमानों की दृष्टि में निन्दनीय होते हैं न यह कि उनका अनुसरण किया जाए और या यह कि उनका कार्य प्रशंसनीय समझा जाए। जैसे एक अंग्रेज़ी अफसर जो एक संवेदनशील युद्ध पर कई लाख सेना के साथ आदिष्ट (मामूर) किया गया है। यदि वह एक बकरी के बच्चे की जान बचाने के लिए जानबूझ कर अपनी जान दे और इस प्रकार से समस्त सेना को तबाही और पराजय की शंका में डाले तो क्या हमारी सरकार क्या उसको एक प्रशंसनीय इन्सान समझ सकती है? नहीं बल्कि ऐसा मूर्ख धिक्कार और निन्दा के योग्य होगा। अत: मनुष्य का अस्तित्व ख़ुदा के अस्तित्व की तुलना में

बकरी से भी हज़ारों गुना कम है। मूर्खों की कुछ निरर्थक हरकतें क़ानून-ए-क़ुदरत का आदेश नहीं रखतीं अन्यथा बहुत से हिन्दू मूर्तियों के सामने अपनी जीभ, हाथ या पैर काट देते हैं और बहुत से नादान हिन्दू अपने बालक को गंगा में डालकर उसका नाम जल प्रवाह रखते हैं। और उनमें से बहुत से ऐसे हुए हैं जो जानबूझ कर जगन्नाथ के पहिए के नीचे कुचले गए हैं। अत: ऐसी अभद्र हरकतें उदाहरण देने योग्य नहीं न वे ख़ुदा तआला का क़ानून-ए-क़ुदरत कहला सकती हैं। हमारा तो यह आरोप था कि सर्वश्रेष्ठ का सबसे निम्न के लिए अपनी जान नष्ट करना क़ानून-ए-क़ुदरत के विपरीत है। काश यदि ये लोग पहले क़ानून-ए-क़ुदरत की परिभाषा पर विचार करते तो इतनी बड़ी ग़लती में न पड़ते। क्या हम कुछ मूर्खों की अभद्र हरकतों को जिन पर स्वयं क़ानून-ए-क़ुदरत को आपत्ति है, क़ानून-ए-क़ुदरत का आदेश कह सकते हैं? कदापि नहीं।

फिर मेहरबानी यह कि इस बहस में पड़ने का अभी तक ईसाइयों का अधिकार नहीं क्योंकि वे इस बात को नहीं मानते कि वास्तव में दूसरे उक़्नूम को जिसका दूसरा नाम उनकी दृष्टि में अल्लाह का बेटा है, फांसी दी गई थी। कारण यह कि इस से इनको मानना पड़ता है कि उनका ख़ुदा तीन दिन तक मरा रहा। अत: जब कि ख़ुदा ही मरा रहा तो उस अवधि तक इस संसार की व्यवस्था कौन करता होगा?

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये बातें हज़रत मसीह की शिक्षा में नहीं थीं उन की शिक्षा में तौरात पर कोई भी अधिकता नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं इन्सान हूं। हां जैसा कि ख़ुदा के मान्य पुरुषों को ख़ुदा की ओर से सम्मान, सानिध्य और प्रेम की उपाधियां मिलती हैं। या जैसा कि वे लोग स्वयं ख़ुदा के प्रेम में आसक्त होने की अवस्था में प्रेम एवं एकता के शब्द मुंह से निकालते हैं ऐसा ही हाल उनका था। इस में क्या सन्देह है कि जब कोई मनुष्य से प्रेम करे या ख़ुदा से, तो जब वह प्रेम चरमसीमा तक पहुंचता है तो प्रेमी को ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसकी रूह और उसके प्रियतम की रूह एक हो गयी है। पूर्णता लीन की हालत में कभी वह स्वयं को प्रियतम से एक समान ही देखता है जैसा कि

इस विनीत को अपने इल्हामों★ में ख़ुदा तआला सम्बोधित करके फ़रमाता है कि:

"तू मुझ से और मैं तुझ से हूं तथा पृथ्वी एवं आकाश तेरे साथ हैं जैसा कि मेरे साथ हैं और तू हमारे पानी में से है और दूसरे लोग ख़ुश्की से, और तू मुझ से ऐसा है जैसे कि मेरी तौहीद (एकेश्वरवाद) और तू मुझ से उस अद्वय के स्थान पर है जिसका लोगों को पता नहीं। ख़ुदा अपने अर्श से तेरी प्रशंसा करता है, तू उससे निकला और उसने सम्पूर्ण दुनिया से तुझ को चुना तू मेरी दरगाह (दरबार) में ख़ूबसूरत है, मैंने अपने लिए तुझको पसन्द किया। तू संसार का नूर (प्रकाश) है, तेरी शान अद्‌भुत है। मैं तुझे अपनी ओर उठाऊंगा और तेरे गिरोह को क़यामत तक विजयी रखूंगा, तू बरकत दिया गया, ख़ुदा ने तेरी श्रेष्ठता को ज़्यादा किया। तू ख़ुदा की मर्यादा है। अतः वह तुझे नहीं छोड़ेगा, तू अनादि कलिमः है, अतः तू मिटाया नहीं जाएगा। मैं सेनाओं के साथ तेरे पास आऊंगा। मेरा लूटा हुआ माल तुझे मिलेगा। मैं तुझे सम्मान दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। यह होगा, यह होगा, यह होगा और फिर निधन होगा। तुझ पर मेरे पूर्ण इनाम हैं। लोगों से कह दे कि यदि तुम ख़ुदा से प्रेम करते हो तो आओ मेरे पीछे चलो ताकि ख़ुदा भी तुम से प्रेम करे। मेरी सच्चाई पर ख़ुदा गवाही देता है फिर तुम ईमान क्यों नहीं लाते। तू मेरी आंखों के सामने है। मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा। ख़ुदा अर्श से तेरी प्रशंसा करता है। हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझ पर दरूद भेजते हैं। लोग चाहेंगे कि इस प्रकाश को बुझा दें परन्तु ख़ुदा उस प्रकाश को जो उसका प्रकाश है कमाल (पूर्णता) तक पहुंचाएगा। हम उनके हृदयों में रोब डालेंगे। हमारी विजय आएगी और युग का कारोबार हम पर समाप्त होगा। उस दिन कहा जाएगा कि क्या यह सच था। मैं तेरे साथ हूं जहां तू है। जिस ओर तेरा मुंह उस ओर ख़ुदा का मुंह। तेरी बैअत करना ऐसा है जैसा

★ नोटः ये इल्हाम मेरी पुस्तक बराहीन अहमदिया, आईना कमालाते इस्लाम, इज़ाला औहाम, तथा तुहफ़-ए-बग़दाद इत्यादि में प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग पच्चीस वर्ष से उन्हें प्रकाशित कर रहा हूं। इसी से

कि मेरी बैअत। तेरा हाथ मेरा हाथ है। लोग दूर-दूर से तेरे पास आएंगे और ख़ुदा की सहायता तुझ पर उतरेगी। तेरे लिए लोग ख़ुदा से इल्हाम पाएंगे और तेरी मदद करेंगे। कोई नहीं जो ख़ुदा की भविष्यवाणीयों को टाल सके। हे अहमद, तेरे होठों पर रहमत जारी की गई और तेरा ज़िक्र (चर्चा) बुलन्द किया गया। ख़ुदा तेरी हुज्जत (तर्क) को प्रकाशमान करेगा। तू बहादुर है। अगर ईमान सुरैया में होता तो तू उसको पा लेता। ख़ुदा की रहमत (दया) के ख़ज़ाने तुझे दिए गए। तेरे बाप-दादे का ज़िक्र समाप्त हो जाएगा और ख़ुदा प्रारंभ तुझ से करेगा। मैंने इरादा किया कि अपना उत्तराधिकारी बनाऊं तो मैंने आदम को अर्थात् तुझे पैदा किया है।

आवाहन (ख़ुदा तेरे अन्दर उतर आया) ख़ुदा तुझे छोड़ेगा नहीं और न त्यागेगा, जब तक कि पवित्र और अपवित्र में अन्तर न करे। मैं एक गुप्त ख़ज़ाना था, अतः मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। तू मुझ में और सम्पूर्ण सृष्टियों (मख़्लूकों) में माध्यम (वास्ता) है। मैंने अपनी रूह तुझ में फूंकी। तू मदद दिया जाएगा और किसी को बचकर निकलने का स्थान नहीं मिलेगा। तू सच के साथ उतरा और तेरे साथ नबियों की भविष्यवाणियां पूरी हुईं। ख़ुदा ने अपने चुने हुए को भेजा ताकि अपने धर्म को शक्ति दे तथा उसे सब धर्मों पर विजयी करे। उसको ख़ुदा ने क़ादियान के क़रीब नाज़िल किया और वह सच के साथ उतरा और सच के साथ उतारा गया तथा आरंभ से ऐसा ही निर्धारित था। तुम गड़े के किनारे पर थे, ख़ुदा ने तुम्हें बचाने के लिए उसे भेजा। हे मेरे अहमद, तू मेरा आशय और मेरे साथ है। मैंने तेरी प्रतिष्ठा का वृक्ष अपने हाथ से लगाया। मैं तुझे लोगों का इमाम बनाऊंगा और तेरी सहायता करूंगा। क्या लोग इससे आश्चर्य करते हैं कि ख़ुदा अद्‌भुत है जिसको चाहता है चुन लेता है तथा अपने कामों के बारे में पूछा नहीं जाता। ख़ुदा का साया (छाया) तुझ पर होगा और वह तेरी शरण रहेगा। आकाश बंधा हुआ था और पृथ्वी भी, हमने दोनों को खोल दिया। तू वह ईसा है जिस का समय नष्ट नहीं किया जाएगा। तेरे जैसा मोती नष्ट नहीं किया जाता।

हम तुझे लोगों के लिए निशान बनाएंगे और यह बात प्रारंभ से प्रारब्ध थी। तू मेरे साथ है। तेरा भेद मेरा भेद है। तू दुनिया और आख़िरत में बड़ी शान वाला और सानिध्य-प्राप्त है। तुझ पर विशेष इनाम है और सम्पूर्ण संसार पर तुझे बड़ाई है। बख़राम कि वक्त तू नज़दीक रसीद व पाए मुहम्मदियां बर मनार बुलंदतर मुहकम उफ़्ताद। (तब ख़ुशी से उछल कि तेरा समय निकट आ गया है और उम्मते मुहम्मदिया के क़दम ऊंचे मीनार पर जम चुके हैं)

मैं अपनी चमकार दिखलाऊंगा अपने शक्ति-प्रदर्शन द्वारा तुझ को उठाऊंगा। दुनिया में एक नज़ीर (सतर्क करने वाला) आया परन्तु दुनिया उसको स्वीकार न किया लेकिन ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा और बड़े शक्तिशाली हमलों द्वारा उसकी सच्चाई प्रकट करेगा। उसके लिए वह मकाम (श्रेणी) है जहां इन्सान अपने कर्मों की शक्ति द्वारा नहीं पहुंच सकता। तू मेरे साथ है। तेरे लिए रात-दिन को पैदा किया गया। तेरा मुझसे वह संबंध है जिसे लोग नहीं जानते। हे लोगो, तुम्हारे पास ख़ुदा का नूर (प्रकाश) आया। अतः तुम इन्कारी मत बनो। इत्यादि ....अन्त तक।

इनके साथ अन्य कश्फ़ हैं जो इनका समर्थन करते हैं। अत: एक कश्फ़ में मैंने देखा कि मैं और हज़रत ईसा एक ही जौहर के दो टुकड़े हैं। इस कश्फ़ को भी मैं 'बराहीन अहमदिया' में छाप चुका हूं जिस से सिद्ध होता है कि इनकी सम्पूर्ण रूहानी विशेषताएं मेरे अन्दर हैं और जिन खूबियों से वह विशेष्य हो सकते हैं वह मुझ में भी हैं। फिर एक और कश्फ़ है जो 'आईना कमालात-ए-इस्लाम' पृष्ठ 564,565 (उर्दू एडीशन अनुवादक) बहुत समय पूर्व छप चुका है। उसे बिल्कुल वैसा ही नीचे लिखता हूँ। वह यह है:-

अनुवाद- मैंने अपने कश्फ़ में देखा कि मैं स्वयं ख़ुदा हूं तथा मेरा अपना कोई इरादा, कोई विचार और कोई कार्य नहीं रहा और मैं एक छेदों वाले बरतन की भांति हो गया हूं या उस की भांति जिसे किसी दूसरी वस्तु ने अपनी बग़ल में दबा लिया हो, यहां तक कि उसका कोई नामोनिशान शेष न रह गया हो। इस बीच मैंने देखा कि अल्लाह तआला की रूह मुझ पर आ गयी और मेरे शरीर पर

छा कर अपने अस्तित्व में मुझे छिपा लिया, यहां तक कि मेरा कोई कण भी शेष न रहा और मैंने अपने शरीर को देखा तो मेरे अंग उसके अंग मेरी आंख उसकी आंख, मेरे कान उसके कान और मेरी जीभ उसकी जीभ बन गयी थी। मेरे रब्ब ने मुझे पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि मैं बिल्कुल उसमें लीन हो गया और मैंने देखा कि उसकी क़ुदरत एवं शक्ति मुझ में जोश मारती और उसकी शाने ख़ुदावन्दी मुझ में मौजें मार रही है। मेरे हृदय के चारों ओर ख़ुदा तआला के तंबू लगाए गए और वैभवशाली बादशाह ने मेरे नफ़्स को पीस डाला। अत: न तो मैं, मैं ही रहा और न मेरी कोई इच्छा ही शेष रही। मेरी अपनी इमारत गिर गई और समस्त लोकों के रब्ब की इमारत दिखाई देने लगी और ख़ुदाई बड़े ज़ोर के साथ मुझ पर विजयी हुई और मैं सर के बालों से पैर के नाखूनों तक उसकी ओर खींचा गया। फिर मैं पूर्ण रूपेण सार हो गया जिसमें कोई छिलका न था और ऐसा तेल बन गया कि जिस में कोई मैल नहीं था तथा मुझ में और मुझे मेरी तामसिक वृत्ति से अलग कर दिया गया। अत: मैं उस वस्तु के समान हो गया जो दिखाई नहीं देती या उस बूंद के समान जो दरिया में जा मिले और दरिया उसे अपनी चादर के नीचे छुपा ले। इस स्थिति में मैं नहीं जानता था कि इस से पूर्व मैं क्या था और मेरा अस्तित्व क्या था। ख़ुदाई शान मेरी रगों और पट्ठों में समा गई और मैं स्वयं से खो गया। अल्लाह तआला ने मेरे समस्त अंग काम में लगाए और इतने ज़ोर से अपने क़ब्ज़े में कर लिया कि उससे अधिक संभव नहीं। अत: मैं उसकी गिरफ्तार से बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं उस समय विश्वास करता था कि मेरे अंग मेरे नहीं अपितु अल्लाह तआला के अंग हैं और मैं सोचता था कि मैं अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से अस्तित्व विहीन और अपने से बिल्कुल निकल चुका हूं। अब कोई भागीदार और रोक पैदा करने वाला नहीं रहा। ख़ुदा तआला मेरे अस्तित्व में प्रवेश कर गया और मेरा क्रोध, सहनशीलता, कटुता और माधुर्य, गति और स्थिरता सब उसी का हो गया और उस अवस्था में मैं यों कह रहा था कि हम एक नवीन व्यवस्था और नया आसमान और नई पृथ्वी चाहते हैं। अत: मैंने पहले तो आकाश और पृथ्वी को संक्षिप्त रूप में पैदा किया जिसमें कोई क्रम और विभाजन न था फिर मैंने

अल्लाह की इच्छानुसार उसका क्रम और विभाजन किया और मैं देखता था कि मैं सके पैदा करने पर सामर्थ्यवान हूं फिर मैंने निकट के आकाश को पैदा किया और कहा اِنَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ फिर मैंने कहा कि अब हम मनुष्य को मिट्टी के सार से पैदा करेंगे। फिर मेरी अवस्था कश्फ़ से इल्हाम की ओर परिवर्तित हो गई और मेरी जीभ पर जारी हुआ-

اردت ان الستخلف و خلقت آدم

اِنَّا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

ये इल्हाम हैं जो अल्लाह की ओर से मेरे बारे में मुझ पर प्रकट हुए तथा इस प्रकार के अन्य बहुत से इल्हाम हैं जिन्हें मैं लगभग पच्चीस वर्ष से प्रकाशित कर रहा हूं और उनमें से बहुत से मेरी पुस्तक बराहीन अहमदिया तथा अन्य पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। अब पादरी लोग विचार करें और इन इल्हामों की यसू मसीह के इल्हामों से तुलना करें और फिर न्याय पूर्वक गवाही दें कि क्या यसू मसीह के वे इल्हाम जिन से वे उसकी ख़ुदाई निकालते हैं इन इल्हामों से बढ़कर हैं। क्या यह सच नहीं कि यदि किसी की ख़ुदाई ऐसे इल्हामों या वाक्यों से निकल सकती है तो मेरे इन इल्हामों से नऊज़ुबिल्लाह मेरी ख़ुदाई यसू की अपेक्षा उत्तम तौर पर सिद्ध होगी और सब से बढ़कर हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की ख़ुदाई सिद्ध हो सकती है। क्योंकि आप की वह्यी में केवल यही नहीं कि जिसने तुझ से बैअत की उसने ख़ुदा से बैअत की और न केवल यह कि ख़ुदा ने आप के हाथ को अपना हाथ कहा है और आप के प्रत्येक कार्य को अपना कार्य बताया है तथा यह कहकर कि

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (अन्नज्म-4,5)

आपके समस्त कलाम (वाणी) को अपना कलाम ठहराया है अपितु एक स्थान पर अन्य समस्त लोगों को आपके बन्दे ठहराया है। जैसा कि फ़रमाया है- قُلْ يَا عِبَادِيَ अर्थात् कह कि हे मेरे बन्दो। अत: स्पष्ट है कि जितनी सफाई से इन पवित्र वाक्यों से हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ख़ुदाई सिद्ध हो सकती है इंजील के वाक्यों से यसू की ख़ुदाई कदापि सिद्ध नहीं हो सकती। भला

इस सैयदुल कौनैन (दोनों लोकों के सरदार) सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तो शान महान है। पादरी लोग तनिक न्याय पूर्वक मेरे इल्हामों को ही इन्साफ़ की दृष्टि से देखें और फिर स्वयं ही न्यायक बनकर कहें कि क्या यह सच नहीं कि यदि ऐसे वाक्यों से ख़ुदाई सिद्ध हो सकती है तो ये मेरे इल्हाम यसू के इल्हामों से कहीं अधिक मेरी ख़ुदाई सिद्ध करते हैं और यदि पादरी साहिबान स्वयं नहीं सोच सकते तो किसी अन्य क़ौम के तीन न्यायप्रिय नियुक्त करके मेरे इल्हामों तथा इंजील में से यसू के वे वाक्य जिन से उसकी ख़ुदाई समझी जाती है उन न्यायीप्रियों के सुपुर्द करें। फिर यदि न्यायप्रिय लोग पादरियों के पक्ष में डिग्री दें और क़सम खाकर यह वर्णन करें कि यसू के वाक्यों से यसू की ख़ुदाई बड़ी सफाई से सिद्ध हो सकती है तो मैं जुर्माने के तौर पर उन्हें एक हज़ार रूपया दे सकता हूं और मैं न्यायीप्रियों से यह चाहता हूं कि अपनी गवाही से पूर्व यह क़सम खाएं कि हमें ख़ुदा तआला की क़सम है कि हमारा यह बयान सही है और यदि सही नहीं है तो ख़ुदा तआला एक वर्ष तक हम पर वह अज़ाब उतारे जिससे हमारी तबाही, अपमान और बरबादी हो जाए। मैं भलीभांति जानता हूं कि पादरी साहिबान इस फैसले की पद्धति को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु यदि वे यह कहें कि जो यसू के मुख से निकला वह तो वास्तव में ख़ुदा का कलाम था इसलिए वह दस्तावेज़ के तौर पर स्वीकार हो सकता है लेकिन जो तुम्हारे मुख से निकला वह ख़ुदा का कलाम नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि यसू के मुख से जो कलाम निकला उसके ख़ुदा के कलाम होने में व्यक्तिगत तौर पर तो ईसाई लोगों को कुछ मारिफ़त नहीं। ख़ुदा ने बिना माध्यम के उन से बातें नहीं कीं। उनके कानों में किसी फ़रिश्ते ने आकर यह नहीं फूंका कि यसू ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा है। उन्होंने नहीं देखा कि यसू ने संसार में जन्म लेकर एक मक्खी भी पैदा की। केवल कुछ वाक्य उनके हाथ में हैं जो यसू की ओर सम्बद्ध किए गए हैं जिन्हें तोड़-मरोड़ कर यह समझ रहे हैं कि उनसे उनकी ख़ुदाई सिद्ध होती है और जो वाक्य और कश्फ़ मैंने प्रस्तुत किए हैं वे उन से सैकड़ों गुना बढ़कर हैं। फिर यदि इस विचार से उनके वाक्यों को प्राथमिकता दी जाती है कि वे चमत्कार द्वारा से सिद्ध हो चुके हैं तो मैं कहता हूं कि यसू के चमत्कार

तो इस युग के लिए केवल क़िस्से और कहानियां हैं कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने उनमें से कुछ आंखों से भी देखा है, परन्तु वे विलक्षण चमत्कार और निशान जो ख़ुदा के फ़ज़्ल से मुझसे प्रकट हुए हैं वे तो हज़ारों लोगों की चश्मदीद बातें हैं फिर यसू के चमत्कारों को जो केवल किस्सों और कहानियों के रूप में बताए जाते हैं इन चश्मदीद निशानों से क्या तुलना? फिर जबकि ख़ुदा बनाने के लिए पिछले किस्से जिन में झूठ की मिलौनी भी हो सकती है स्वीकार किए गए हैं तो वर्तमान निशान कहीं बढ़कर स्वीकार करने योग्य हैं। यदि संसार में किसी ईसाई के हृदय में इन्साफ़ है तो वह मेरे इस वर्णन को अत्यन्त न्याय संगत वर्णन समझेगा।

मैं पुन: कहता हूं कि मेरे वर्णन का सार यह है कि ईसाइयों ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुदा बना रखा है यह उनकी सर्वथा बोध भ्रम है। जिन वाक्यों से वे यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि यसू ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा है उन वाक्यों से बढ़कर मेरे इल्हामी वाक्य हैं। पादरी लोग सोचें और भली भांति विचार करें तथा बार-बार सोचें कि यसू को ख़ुदा बनाने के लिए उनके हाथ में कुछ वाक्यों के अतिरिक्त और क्या है। अत: मैं उन से यही चाहता हूं कि वे मेरे इल्हामी वाक्यों को उन वाक्यों से तुलना करके देखें और फिर इन्साफ़ के अनुसार गवाही दें कि यदि प्रत्यक्ष शब्दों पर विश्वास किया जाए तो एक व्यक्ति के ख़ुदा बनाने के लिए जैसे मेरे इल्हामी वाक्य सुदृढ़ तौर पर सिद्ध करते हैं। यसू के इल्हामी वाक्य ऐसा प्रमाण कदापि नहीं रखते तो फिर क्या कारण कि उन वाक्यों से यसू को ख़ुदा बनाया जाता है और वही वाक्य बल्कि उनसे बढ़कर जब दूसरे के पक्ष में हों तो फिर उसके और अर्थ किए जाते हैं। यदि कहो कि पहली पुस्तकों में मसीह के आने की सूचना दी गई थी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं पुस्तकों में बल्कि मसीह के मुँह से भी मसीह के दोबारा आने की सूचना दी गई थी। और **वह मैं हूं।** अत: जैसा कि इंजील में लिखा था भूकम्प भी आए, एक क़ौम की दूसरी क़ौम से लड़ाइयां भी हुईं, भयंकर महामारियां भी आईं और आकाश में निशान प्रकट हुए। अत: मैं भी भविष्यवाणियों के अनुसार आया हूं। मसीह के समय भी ये विवाद प्रस्तुत किए गए थे कि जब तक एलिया आकाश से न उतरे सच्चा मसीह नहीं आ सकता और

मेरे सामने भी ये बातें प्रस्तुत की गईं कि आने वाला मसीह **आकाश** से उतरेगा।

यसू के निशानों के बारे में मैं लिख चुका हूं कि वे इस युग के लिए निशान नहीं हैं अपितु उनको कथा या कहानी कहना चाहिए। आप लोगों को इससे इन्कार नहीं हो सकता कि आप लोगों ने मेरी शक्तिशाली भविष्यवाणियां और निशान देखे और मैं इसी को पर्याप्त भी नहीं समझता बल्कि मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि यदि कोई ईसाई मेरी संगत में रहे तो अभी वर्ष नहीं गुज़रेगा कि वह कई निशान देखेगा। ख़ुदा के निशानों की यहां वर्षा हो रही है और **वह ख़ुदा जिस को लोगों ने भुला दिया** और उसका स्थान सृष्टि को दिया वह इस समय **इस विनीत पर प्रकट हो रहा है**। वह दिखाना चाहता है, क्या कोई देखने के लिए इच्छुक है? हे प्रियजनों, ग़लतियों में मत फंसे रहो। यसू बिन मरयम ख़ुदा नहीं है। ये वाक्य जो उसके मुख से निकले ख़ुदा के वालियों के मुख से निकला करते हैं परन्तु न उनसे कोई ख़ुदा नहीं बन सकता। उठो, और तौबा करो कि समय आ गया है !! उस ख़ुदा की उपासना करो जिस पर तौरात और क़ुर्आन की सहमति है। यसू बिन मरयम एक असहाय बन्दा था उसे नबी समझो जिसे ख़ुदा ने भेजा था। यदि अब भी कोई ईसाई न माने तो स्मरण रखे कि उस पर ख़ुदा तआला की हुज्जत (तर्क) पूर्ण हो चुका है।

अत: कलाम का सारांश यह है कि पादरियों की अप्रसन्नता का मूल कारण यही है कि मेरे हाथ से ख़ुदा तआला ने हर प्रकार से उनको शर्मिन्दा किया उनका समस्त किया कराया मेरे लेखों से खण्डित हो गया। मेरे लिए जो मेरे ख़ुदा ने आकाशीय निशान दिखलाए और दिखा रहा है उसकी तुलना में पादरी लोगों के हाथ में पुराने किस्सों के अतिरिक्त और कुछ नहीं तथा उनको बार-बार आकाशीय निशानों में मुक़ाबले के लिए बुलाया गया परन्तु उनके हाथ में क्या था जिससे वे मुकाबला करते। अन्तत: हर प्रकार से विवश होकर यही उपाय सोचा गया कि मुझ पर क़त्ल का मुक़द्दमा बनाया जाए। अत: इस मुक़द्दमे के बनाने का **असल कारण** यही था कि वे मेरे अन्वेषणात्मक लेखों और आकाशीय निशानों से परेशान होकर इस भय में पड़ गए थे कि अब शीघ्र ही उनका पर्दाफ़ाश हो जाएगा परन्तु यह उपाय जो सोचा गया यह और भी अधिक उनके पर्दाफ़ाश होने का कारण हुआ तथा

उनकी पोल खुल गई और उनकी **नैतिक स्थिति भी लोगों पर प्रकट हो गई।**

यहां अत्यधिक खेद का स्थान यह है कि बेचारा शैख़ मुहम्मद हुसैन बटालवी जो हमेशा घात में लगा हुआ था उसने भी पादरियों के भरोसे पर बहुत शर्मिन्दगी उठायी तथा मुहम्मद हुसैन ने जो इस मुक़द्दमे में अकारण स्वयं को शामिल किया तो उसका भी यही कारण था कि वह भी मेरे सामने बहुत असहाय हो गया था जब प्रारंभ में उसने लुधियाना में मेरे साथ बहस की तो उस बहस में वह पवित्र क़ुर्आन या हदीस से यह सिद्ध न कर सका कि हज़रत मसीह[अ.] की मृत्यु नहीं हुई बल्कि अपने पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर चले गए और अब तक दूसरे आकाश पर हैं अपितु क़ुर्आन और हदीस की दृष्टि से उस पर अकाट्य तर्क पूरा हो गया कि वह वास्तव में मृत्यु पा चुके हैं। इस पर एक और शर्मिन्दगी का कारण उसके सामने आया कि वह मुझे अनपढ़ ठहरा कर और स्वयं प्रकाण्ड विद्वान होने का दावेदार होकर मेरी उन अरबी पुस्तकों की एक पंक्ति बनाने से भी मुकाबला न कर सका जो मैंने उसकी ज्ञान संबंधी योग्यता की परीक्षा के लिए लिखी थीं। फिर ख़ुदा के आकाशीय निशानों ने उसे ऐसा कुचला मानो कि उसे मार ही डाला। सर्वप्रथम लुधियाना में एक पीर करीम बख्श नामक ने जो एक ख़ुदा का मानने वाला था अपने पीर की एक भविष्यवाणी मेरे बारे में प्रकाशित की जो मेरे दावे से तीस वर्ष पहले सुन चुका था और क़सम खाकर वर्णन किया कि उसका मुर्शिद बड़े ज़ोर से मुझे कहा करता था कि "मसीह मौऊद इसी उम्मत में से पैदा होगा और उस का नाम **ग़ुलाम अहमद** होगा और उसके गांव का नाम क़ादियान होगा और वह लुधियाना में आएगा और मौलवी लोग उसका घोर विरोध करेंगे और वह सच पर होगा।" उस पीरमर्द की बिरादरी के लोगों ने मौलवियों के बहकाने से बहुत ज़ोर दिया ताकि वह उस गवाही को छुपा दे परन्तु वह हमेशा रो-रो कर गवाही देता रहा यहां तक कि इस संसार से कूच कर गया, परन्तु अपने लेखो के द्वारा लाखों लोगों को इस भविष्यवाणी की सूचना दे गया। यह **पहला निशान** था जो मेरे समर्थन में प्रकट हुआ। फिर **दूसरा निशान** चन्द्र एवं सूर्य ग्रहण का निशान था जो रमज़ान में हुआ तथा कोई सिद्ध न कर सका कि मुझ से पहले कभी किसी महदी होने के

दावेदार के समय रमज़ान में सूर्य और चन्द्र-ग्रहण हुआ। अत: यह निशान भी ख़ुदा तआला का प्रमाण था जो मौलवियों पर पूरा हुआ। **तीसरा निशान** पुछल तारा का निकलना था। यह वह तारा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क समय में निकला था और फिर सूचना दी गई थी कि फिर मसीह मौऊद के समय में निकलेगा। **चौथा निशान** आथम का शर्त के अनुसार बचना और फिर दूसरी भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु का शिकार हो जाना था। **पांचवां निशान** भविष्यवाणी के अनुसार मिर्ज़ा अहमद बेग होशियारपुर की मृत्यु का हो जाना था। **छठा निशान** भविष्यवाणी के अनुसार लेखराम का मारा जाना था। **सातवां निशान-** वह भविष्यवाणी थी जो जल्सा महोत्सव से कुछ पहले मैंने अपने निबंध के सर्वश्रेष्ठ रहने के बारे में की थी। **आठवां निशान-** क्लार्क के मुक़द्दमे के बारे में था जिसकी कई सौ लोगों को पहले से सूचना दी गई थी कि एक मुक़द्दमा होगा और फिर बरीयत होगी। **नवां निशान-** स्वयं मुहम्मद हुसैन के अपमानित होने का था जो भविष्यवाणी के अनुसार اِنِّیْ مُهِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ (अर्थात मैं उसे अपमानित करूंगा जो तेरे अपमान की इच्छा करेगा। अनुवादक) उसे सुनाया गया और इसी प्रकार कई निशान थे जो मुहम्मद हुसैन ने स्वयं अपनी आंखों से देखे। यदि उसमें नेकी का बीज होता तो उसे ख़ुदा ने बहुत अवसर दिया था कि वह इस आकाशीय सच्चाई को स्वीकार करता परन्तु उसने दुनिया को आख़िरत के मुक़ाबले पर अपना लिया और कहां से कहां तक पहुंच गया। यदि वह सच्चाई का अभिलाषी होता और विनम्रता से मेरे पास आता तो मैं विश्वास रखता था कि ख़ुदा तआला उसे सौभाग्य से हिस्सा देता और उसे इतने निशान दिखाता कि उसका हृदय खुल जाता, परन्तु उसने न चाहा कि हिदायत के द्वार में प्रवेश करे।

अन्त में हम अपनी जमाअत को नसीहत करते हैं कि तुम ख़ुदा के निशानों को अपनी आंख से देख रहे हो। अभी तुम ने देखा कि ख़ुदा ने किस प्रकार उस मुक़द्दमे में जो पादरियों ने किया था मुक़द्दमे के प्रारंभ से अन्त तक की मुझे सूचना दे दी। देखो यह ख़ुदा की शक्ति है या किसी अन्य की जिसने पहले से आने वाले संकट की सूचना दे दी और फ़रमाया- قَدِ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُوْنَ (मोमिन

अवश्य आज़माए जाएंगे) और अधिकारियों की गिरफ़्त को कश्फ़ी तौर पर प्रकट किया और फिर रूहानी सहायता की सेनाओं की ओर इस इल्हाम में संकेत किया कि اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَةً (मैं फौजों के साथ अचानक तेरे पास आऊँगा- अनुवादक) और फिर हमारे सुरक्षित रहने तथा बरी होने की ख़ुशख़बरी दी। और तुम ने देखा कि जैसा कि जल्सा महोत्सव से पहले मैंने ख़ुदा से इल्हाम पाकर विज्ञापन प्रकाशित किया था कि मेरा निबंध विजयी रहेगा। ख़ुदा तआला ने वही किया और विलक्षण स्वीकारिता उसमें डाल दी। अत: अब तक हज़ारों लोग गवाही दे रहे हैं कि समस्त निबंधों में वही एक निबंध है।

अत: विचार करो कि यह कार्य किस ने किया? क्या ख़ुदा ने या किसी और ने? यह तो ख़ुदा तआला का वचनात्मक चमत्कार था और फिर क्रियात्मक चमत्कार उसने यह दिखाया कि मेरी भविष्यवाणी के अनुसार लेखराम मारा गया। देखो यह कैसा निशान है कि जो करोड़ों लोगों में ख्याति पाकर अन्त में लाहौर जैसी राजधानी में भयानक तौर पर प्रकट हुआ। आथम का निशान भी तुम्हारी आंख में बहुत स्पष्ट है कि उसने क्योंकर पहले शर्त के अनुसार भयभीत होकर शर्त से लाभ उठाया और फिर इल्हाम के अनुसार गवाही छुपाने से क्योंकर शीघ्रतर पकड़ा गया और मृत्यु प्राप्त हो गया।

अख़बार चौदहवीं सदी वाले बुज़ुर्ग की तौबा

अन्य निशानों के अतिरिक्त यह भी एक महान निशान है जो वर्तमान में अल्लाह तआला की ओर से प्रकट हुआ। पाठकों को याद होगा कि एक बुज़ुर्ग ने जो हर प्रकार से संसार में सम्माननीय, रईस और विद्वान भी हैं इस ख़ाकसार के लिए एक दिल दुखाने वाला वाक्य अर्थात् मस्नवी रूमी का यह शे'र पढ़ा था जो माह जून 1897 के पर्चे चौदहवीं सदी में प्रकाशित हुआ था और वह यह है:

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد   میلش اندر طعنہء پاکاں برد

(अनुवाद - जब अल्लाह तआला चाहता है कि किसी का पर्दा फ़ाश करे तो उसके अन्दर सदाचारी लोगों पर आरोप लगाने तथा आपत्ति करने का रुझान

पैदा कर देता है। अनुवादक)

अत: इस दु:ख के कारण जो इस ख़ाकसार के हृदय को पहुंचा उस बुज़ुर्ग के लिए दुआ की गई थी कि या तो ख़ुदा तआला उसको तौबा और शर्मिन्दगी दे और या कोई चेतावनी दे। अत: ख़ुदा ने अपने फ़ज़्ल और दया से उसे तौबा करने की तौफ़ीक़ प्रदान की और उस बुज़ुर्ग को इल्हाम के द्वारा सूचना दी कि इस ख़ाकसार की दुआ उसके बारे में स्वीकार की गई और इसी प्रकार क्षमा भी होगी। अत: उस ने ख़ुदा से यह इल्हाम पाकर और भय के लक्षण देखकर अत्यन्त विनय एवं विनम्रता से अफ़सोस का पत्र लिखा। वह पत्र कुछ संक्षेप के साथ अखबार 'चौदहवीं सदी' के पर्चे नवम्बर 1897 ई. में प्रकाशित भी हो गया है, परन्तु चूंकि इस संक्षेप में बहुत सी ऐसी आवश्यक बातें रह गई हैं जिन से यह सबूत मिलता है कि क्योंकर ख़ुदा तआला अपने बन्दों की दुआओं को स्वीकार करता और उनके हृदयों पर रोब डालता और भय के लक्षण प्रकट करता है, इसलिए मैं उचित समझता हूं कि उस पत्र को जो मेरे पास पहुंचा था कुछ आवश्यक संक्षेप के साथ प्रकाशित कर दूं और कथित बुज़ुर्ग का यह मूल पत्र इस कारण भी प्रकाशित करने योग्य है कि मैं उस मूल पत्र को बहुत से लोगों को सुना चुका हूं और लोगों का एक बड़ा समूह उसके विषय से सूचित हो चुका है, तथा बहुत से लोगों को पत्रों द्वारा इसकी सूचना भी दी गई है। अब चूंकि चौदहवीं सदी के पर्चे को वे लोग पढ़ेंगे तो अवश्य उनके हृदय में ये विचार पैदा होंगे कि जो कुछ मैखिक हमें सुनाया गया उसमें कई ऐसी बातें हैं जो प्रकाशित पत्र में नहीं हैं और संभव है हमारे कुछ अदूरदर्शी विरोधियां को यह बहाना हाथ लग जाए कि जैसे हमने अपने पत्र में अपनी ओर से कुछ बढ़ोतरी की थी। इसलिए आवश्यक मालूम होता है कि उस मूल पत्र को प्रकाशित कर दिया जाए। परन्तु स्मरण रहे कि चौदहवीं सदी के पत्र में जितना संक्षेप किया गया है यह किसी का दोष नहीं है, संक्षेप के लिए मैंने ही अनुमति दी थी परन्तु उस अनुमति के इस्तेमाल में कुछ ग़लती हो गयी है। इसलिए अब उसका सुधार आवश्यक है। इस सम्पूर्ण किस्से के लिखने का उद्देश्य यह है कि हमारी जमाअत और समस्त सत्याभिलाषियों के लिए यह भी ख़ुदा का एक

निशान है और जनाब **सर सय्यद अहमद खान** साहिब के विचार करने के लिए यह तीसरा नमूना है कि ख़ुदा तआला क्योंकर अपने बन्दों की दुआएं स्वीकार कर लेता है। सय्यद साहिब का यह कथन तो बहुत सही है कि प्रत्येक दुआ स्वीकार नहीं हो सकती। कुछ दुआएं स्वीकार हो जाती हैं परन्तु काश सय्यद साहिब के पहले पत्र इस अन्तिम पत्र के अनुसार होते।

यहां यह भी स्मरण रहे कि कथित बुज़ुर्ग जिन का पत्र नीचे लिखा जाता है कुछ सामान्य लोगों में से नहीं हैं अपितु जहां तक मेरा विचार है वह एक बड़े विद्वान तथा समय के उलेमा में से हैं तथा कई लोगों से मैंने सुना है कि उनको इल्हाम भी होता है और इस पत्र में उन्होंने अपने इल्हाम का वर्णन भी किया है। इस सब बातों के अतिरिक्त वह बुज़ुर्ग पंजाब के प्रतिष्ठित रईसों और जागीदारों में से हैं और एक अवधि से अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सरकार के एक प्रतिष्ठित पद पर भी सम्मानित हैं। चूंकि पर्चा चौदहवीं सदी में भी इस बुज़ुर्ग के पद और उहदे की इतनी चर्चा हो चुकी है इसलिए इतना यहां भी लिखा गया और कथित बुज़ुर्ग ने जो मेरे नाम अफ़सोस की नीयत से 29 अक्टूबर 1897 को पत्र लिखा था जिसका ख़ुलासा चौदहवीं सदी में छपा है उस पत्र को उपरोक्त हित की दृष्टि से कुछ वाक्यों को छोड़ कर नीचे लिखता हूं और वह यह है:-

मूल के अनुसार पत्र की नक़ल

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

"अख़बार चौदहवीं सदी वाला अपराधी"★

"सय्यिदी व मौलाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू"

"एक दोषी अपनी ग़लती से इक़रार करता हुआ (इस विनय-पत्र) के माध्यम से) क़ादियान के मुबारक स्थान पर (मानो) उपस्थित होकर आप की दया का अभिलाषी होता है।

★यह शीर्षक कथित बुज़ुर्ग ने अपने पत्र के शीर्षक पर लिखा था। चूंकि इस शीर्षक में अत्यन्त विनम्रता है जो मनुष्य को उसकी अत्यधिक विनय के कारण उसे ख़ुदा की दया का पात्र बनाता है। इसलिए हमने उसको जैसा कि मूल पत्र में था लिख दिया है। इसी से।

1 जुलाई 1897 से 1 जुलाई 1898 ई. तक जो इस गुनाहगार को छूट दी गई अब आकाशीय बादशाहत में आपके मुक़ाबले में अपने आपको अपराधी ठहराता है। (इस अवसर पर मुझे इल्क़ा हुआ कि जिस प्रकार आप की दुआ स्वीकार हुई उसी प्रकार मेरी विनती और विनय स्वीकार होकर हज़रत अक़्दस के पास से माफ़ी और मुक्ति दी गई) मुझे अब अधिक अफ़सोस करने की आवश्यकता नहीं तथापि इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं प्रारंभ से आप की इस दावत पर बड़े ध्यान से हाल जानने का अभिलाषी रहा और मेरी जांच-पड़ताल ईमानदारी, तथा हार्दिक शुद्धता पर आधारित थी, यहां तक कि (90) प्रतिशत विश्वास की श्रेणी तक पहुंच गया।

(1) आप के शहर के आर्य विरोधियों ने गवाही दी कि आप बचपन से सच्चे और पवित्र थे।

(2) आप जवानी से अपना सम्पूर्ण समय एक ख़ुदा जो जीवित और सदैव रहने वाला है, की इबादत में निरन्तर व्यय करते रहे।

اَنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ (अत्तौब-120)

(3) आप की उत्तम वर्णन शैली ख़ुदा के समस्त रब्बानी उलेमा से स्पष्ट तौर पर पृथक दिखाई देता है आप की समस्त पुस्तकों में एक जीवित रूह है

فِیۡھَا ھُدًی وَّ نُوۡرٌ (अलमाइदह-45)

(4) आपका मिशन किसी उपद्रव और वर्तमान सरकार की, (जो हर परिस्थिति में अज्ञापालन और कृतज्ञता के योग्य है) विद्रोह का मार्ग दर्शन नहीं करता। اِنّ اللہ لا یحبّ فی الارض الفساد

यहां तक कि मेरे बहुत से हमदर्द दोस्तों ने कि जिन से आपके मामलों पर मैं हमेशा बहस करता रहता था मुझे.... उपाधि से सम्बोधित किया है।

फिर यह कि इस सब के बावजूद मेरे मुंह से वह मस्नवी का शे'र क्यों निकला? इसका कारण यह था कि मैं जब लाहौर उनके पास गया तो मुझे अपने विश्वास योग्य मित्रों के द्वारा (जिन से पहले मेरी बहस होती रहती थी) सूचना मिली कि आपसे कुछ ऐसी बातें घटित हुई हैं जिनके कारण किसी ईमानदार मुसलमान

को आप के विरोधी समझने में कोई संकोच नहीं रहा।

(1) आप ने रसूल होने का दावा किया है और खतमुल-मुर्सलीन होने का भी साथ-साथ दावा कर दिया है (जो एक सच्चे मुसलमान के हृदय पर सख्त चोट लगाने वाला वाक्य था कि जो सम्मान ख़त्मे रिसालत का ख़ुदा के दरबार से मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम (हे ख़ुदा के रसूल तुझ पर मेरी रूह क़ुर्बान) को मिल चुका है उसका कोई अन्य किस प्रकार अधिकारी हो सकता है।

(2) आप ने फ़रमाया है कि तुर्क तबाह होंगे और उनका बादशाह बड़े अपमान के साथ क़त्ल किया जाएगा और संसार के मुसलमान मुझ से विनती करेंगे कि मैं उनको एक बादशाह नियुक्त कर दूं। यह एक भयानक बरबादी वाली भविष्यवाणी इस्लामी जगत के लिए थी, क्योंकि आज समस्त पवित्र स्थान जो ख़ुदा तआला के प्राचीन और नवीन युग से चले आते हैं उनकी सेवा तुर्कों तथा उनके बादशाह के हाथ में है। उन स्थानों का तुर्कों की पराजय की अवस्था में निकल जाना एक अनिवार्य और निश्चित बात है जिसकी कल्पना करने से एक भयावह एवं ख़तरनाक दृश्य दिखाई देता है कि इस अवसर पर दुनिया के प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य हो जाएगा कि इन इबादतगाहों को अपवित्र हाथों से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण और धन की कुर्बानी चढ़ाएं। कैसा संकट और परीक्षा का समय मुसलमानों पर आ पड़ेगा कि या तो वे बाल-बच्चा, घर बार, प्यारे देश को छोड़कर उन पवित्र इबादतगाहों की ओर चल पड़ेंगे या उस अनश्वर जीवन ईमान से अलग हो जाएं...........

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا۔ (अल बक़रह : 287)

यही रहस्य है जो मुसलमान तुर्कों से प्रेम करते हैं कि उनकी भलाई में उनके धर्म और संसार की भलाई है। अन्यथा तुर्कों का कोई विशेष उपकार हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर नहीं बल्कि हमें बहुत बड़ी शिकायत है हमारी पिछली सदी के विश्वव्यापी विनाश में (जबकि मराठों और सिक्खों के हाथ से हिन्दुस्तान के मुसलमान बरबाद हो रहे थे हमारी उन्होंने कोई ख़बर नहीं ली। इस धन्यवाद की अधिकारी केवल अंग्रेज़ी सरकार है जिसने मुसलमानों को उससे मुक्ति दिलाई। अत:

हमारी हमदर्दी का वही विशेष कारण है जो ऊपर वर्णन किया गया।

और इसकी कल्पना करके हृदय में यह विचार पैदा हुआ कि ऐसे भयंकर संकट के समय तो मुसलमानों के एक सच्चे पथ-प्रदर्शक का यह कार्य होता कि वह विनय पूर्वक ख़ुदा के सामने गिड़गिड़ा कर इस विनाश से बेड़े को बचाता। क्या हज़रत नूह के बेटे से अधिक तुर्क पापी थे तो बजाए इसके कि उनके हक़ में ख़ुदा के सामने सिफारिश की जाती है न कि उल्टा हंसी से ऐसी बात बनाई जाती।

(3) और यह कि हज़रत वाला (अर्थात् आप) ने हज़रत मसीह के बारे में अपनी पुस्तकों में अत्यंत तिरस्कारपूर्ण शब्द लिखे हैं जो ख़ुदा के एक मान्य पुरुष के बारे में उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार न थे जिस को ख़ुदावन्द अपनी रूह और कलिमा कहे जिन के पक्ष में यह निम्न सम्बोधन हो कि-

وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (आले इमरान- 3/46)

(अर्थात- लोक-परलोक में सम्मानित और सानिध्य प्राप्त लोगों मे से होगा। अनुवादक) फिर उसका अपमान और निरादर क्योंकर हो सकता।

ये बातें मेरे हृदय में भरी थीं और इन की जिज्ञासा के लिए मैं पुन: प्रयास कर रहा था कि यह कहां तक सही है कि अचानक हुज़ूर का विज्ञापन तुर्की सफ़ीर (राजदूत) के बारे में जो निकला प्रस्तुत हुआ तो सहसा मेरे मुंह से (किसी और बात के अतिरिक्त) मस्नवी का शे'र निकल गया, जिस पर आप को दु:ख हुआ (और दु:ख होना चाहिए था)

(1) रिसालत के दावे के बारे में मुझे स्वयं इज़ाला औहाम देखने से तथा आप की वह रूहानी और मुर्दा हृदयों को जीवित करने वाले भाषण से जो जल्सा सर्वधर्म लाहौर में प्रस्तुत हुआ मेरी तसल्ली हो गई जो आप के ऊपर झूठ और लांछन के तौर पर किसी ने बांधा।

(2) तुर्कों के बारे में आपके उसी विज्ञापन (मेरे दावे की अर्ज़ी) से मेरी तसल्ली हो गई। आप ने जितनी आलोचना की वह आवश्यक और उचित थी।

(3) हज़रत मसीह के बारे में भी एक अकारण इल्ज़ाम पाया गया। यद्यपि यसू के पक्ष में आप ने कुछ लिखा है जो इल्ज़ामी तौर पर है जैसा कि एक मुसलमान

शायर एक शिया के मुक़ाबले में हज़रत मौलाना अली[रज़ि.] के बारे में लिखता है-

آں جوانے بروت مالیدہ   بہر جنگ و وغا سگا لیدہ

بر خلافت دلش بسے مائل   لیک بوبکر شد میاں حائل

तो भी हज़रत यदि ऐसा न करते तो मेरे विचार में तो बहुत अच्छा होता।

جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ .... (अन्नहल-126)

परन्तु इन बातों के अतिरिक्त जिससे मेरा हृदय तड़प उठा और उससे यह आवाज़ लगी कि उठ और क्षमा मांगने में जल्दी कर। ऐसा न हो कि तू ख़ुदा के दोस्तों से लड़ने वाला हो। ख़ुदा वन्द करीम साक्षात् दयावान है كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ दुनिया के लोगों पर जब अज़ाब उतारता है तो अपने बन्दों की नाराज़गी के कारण :

مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً (बनी इस्राईल-16)

आप का ख़ुदा तआला के साथ मामला है तो कौन है जो ख़ुदा के सिलसिले में हस्तक्षेप करे। ख़ुदा तआला की उस अन्तिम महान किताब का मार्ग-दर्शन याद आया जो मोमिन आले फिरऔन के किस्से में वर्णन किया गया कि जो लोग ख़ुदा के सिलसिले का दावा करें उन्हें झुठलाने के लिए निर्भीकता और सहायता नहीं करनी चाहिए और न उनका इन्कार करना चाहिए।

اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ

(अलमोमिन-29)

परन्तु यह केवल मेरा हार्दिक विचार ही नहीं रहा अपितु इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महसूस होने लगा। बाह्य तौर पर कुछ ऐसी बुनियादें पड़ने लगीं जिसमें .... (अऊज़ुबिल्लाह) चरितार्थ हो जाने लगा (अर्थात् भय के लक्षण प्रकट हुए)

चौदह सौ वर्ष होने को हैं कि ख़ुदा के एक चुने हुए के मुंह से ये शब्द क़ौम के पक्ष में निकले... तो क्या? क़ुदरत को هَبَاءً مَنْثُوْرًا करने का विचार है। تُبْتُ اِلَيْكَ يَا رَبِّ कि फिर एक ख़ुदा के मान्य के मुंह से वह बात सुन कर मुझे कुछ ध्यान न हो।

अत: यह प्रत्यक्ष ख़तरे मुझे इस पत्र के लिखते समय सब के सब उड़ते हुए

दिखाई दिए (जिसका विवरण मैं कभी फिर लिखूंगा) इस समय तो मैं एक अपराधी गुनाहगारों की भांति आपके सामने खड़ा होता हूं और क्षमा मांगता हूं (मुझे उपस्थित होने में भी कुछ बहाना नहीं परन्तु कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष उपस्थिति से माफ़ किए जाने का पात्र हूं) शायद जुलाई 1898ई. से पहले उपस्थित हो जाऊं।

आशा है कि अल्लाह तआला के दरबार से भी आप को राज़ी होने के लिए तहरीक की जाए कि (आले इमरान 146) نَسِیَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَہٗ عَزۡمًا कानून का भी यही सिद्धान्त है कि जो अपराध जानबूझ कर न किया जाए वह क्षमा-योग्य होता है। فَاعفوا واصفحوا ان اللّٰہ یحبّ المحسنین ।

मैं हूं हुज़ूर का अपराधी

(हस्ताक्षर बुज़ुर्ग) रावलपिंडी 29 अक्तूबर 1897 ई.

यह पत्र कथित बुज़ुर्ग का है जिसे हमने कुछ विनय एवं विनम्रता के शब्दों को हटाकर छाप दिया है। इस पत्र में कथित बुज़ुर्ग इस बात का इक़रार करते हैं कि उनको इस विनीत की दुआ की स्वीकारिता के बारे में इल्हाम हुआ था। तथा इस बात का इक़रार भी करते हैं कि उन्होंने बाह्य तौर पर भी भय के लक्षण देखे, जिनके कारण उनके हृदय पर अधिक भय छा गया और दुआ की स्वीकारिता के निशान दिखाई दिए। अत: यहां यह बात व्यक्त करने योग्य है कि डिप्टी आथम के बारे में जो कुछ शर्त के तौर पर वर्णन किया गया था वह वर्णन बिल्कुल उस वर्णन के समान है जो इस बुज़ुर्ग के बारे में किया गया। अर्थात् जैसा कि उस अज़ाब की भविष्यवाणी में एक शर्त रखी गई थी वैसा ही इसमें भी एक शर्त थी और दोनों व्यक्तियों में अन्तर यह है कि यह बुज़ुर्ग अपने अन्दर ईमान का प्रकाश रखता था और सच से प्रेम करने का सौभाग्य उसके जौहर में था। इसलिए उसने भय के लक्षण देख कर और ख़ुदा तआला से इल्हाम पाकर उसे छुपाना नहीं चाहा और अत्यन्त विनय पूर्वक जहां तक कि मनुष्य विनय कर सकता है समस्त परिस्थितियां स्पष्ट रूप से लिखकर अपना खेद पत्र भेज दिया परन्तु आथम चूंकि ईमान के प्रकाश और सौभाग्य के जौहर से वंचित था इसलिए अत्यन्त भयानक

और निराशाजनक होने के बावजूद भी उसे यह सौभाग्य प्राप्त न हुआ तथा भय का इक़रार करके पुन: झूठ गढ़ने के तौर पर उस भय का कारण हमारे उन काल्पनिक आक्रमणों को ठहराया जो केवल उसी के हृदय की योजना था। हालांकि उसने पन्द्रह महीनों तक अर्थात् समय सीमा के अन्दर कभी व्यक्त न किया कि हमने या हमारी जमाअत में से किसी ने उस पर आक्रमण किया था परन्तु हमारी ओर से उसका वध करने के लिए आक्रमण होता तो सच यह था तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर उस समय जब आक्रमण हुआ था शोर मचाता और अधिकारियों को सूचना देता, परन्तु हमारी ओर से एक भी आक्रमण होता तो क्या कोई स्वीकार कर सकता है कि उस आक्रमण के समय ईसाइयों में शोर न पड़ जाता। फिर जिस हालत में आथम ने निर्धारित समय गुज़ारने के पश्चात् यह वर्णन किया कि मेरे क़त्ल के लिए विभिन्न समयों तथा स्थानों में तीन आक्रमण किए गए थे। अर्थात् एक अमृतसर में और एक लुधियाना में और एक फिरोज़पुर में। तो क्या कोई न्यायवान समझ सकता है कि इन तीन आक्रमणों के बावजूद जो क़त्ल करने के लिए किए गए थे आथम और उसका दामाद जो एकस्ट्रा अस्सिटेण्ट था उसकी सारी जमाअत खामोश बैठी रहती और आक्रमण करने वालों का कोई भी निवारण न करती और कम से कम इतना भी न करती कि अख़बारों में छपवा कर एक शोर डाल देती। यदि अत्यन्त नर्मी करती तो सरकार से नियमित रूप से मेरी ठोस ज़मानत मांगती। क्या कोई हृदय स्वीकार करेगा कि मेरी ओर से तीन आक्रमण हों तथा आथम और उसकी जमाअत सब के सब चुप रहें, बात तक बाहर न निकले? क्या कोई बुद्धिमान इस बात को स्वीकार कर सकता है विशेष तौर पर जिस हालत में मेरे आक्रमणों का सबूत मेरी भविष्यवाणियों की सारी क़लई खोलता था और ईसाइयों को स्पष्ट विजय प्राप्त होती थी। अत: आथम ने यह झूठे इल्ज़ाम इसी लिए लगाए कि भविष्यवाणी की अवधि के अन्दर उसका भयभीत और हताश होना प्रत्येक पर स्पष्ट हो गया था। वह भय के मारे मरा जा रहा था और यह भी संभव है कि ये भय के लक्षण उस पर इस प्रकार प्रकट हुए हों जैसा कि यूनुस की क़ौम पर प्रकट हुए थे। इसलिए उसने इल्हामी शर्त से लाभ उठाया परन्तु संसार से प्रेम करके गवाही

को छुपाया और क़सम न खाई और नालिश न करने से स्पष्ट भी कर दिया कि वह अवश्य ख़ुदा तआला के भय और इस्लामी प्रतिष्ठा से भयभीत रहा। इसलिए वह गवाही छुपाने के पश्चात् दूसरे इल्हाम के अनुसार शीघ्र ही मृत्यु का शिकार हो गया। बहरहाल यह मुक़द्दमा जो इस सौभाग्यशाली और नेक स्वभाव बुज़ुर्ग का मुक़द्दमा है आथम के मुक़द्दमा से बिलकुल समान है और उस पर प्रकाश डालता है। ख़ुदा तआला उस बुज़ुर्ग की ग़लती को **क्षमा करे** और उस से **प्रसन्न हो,** मैं उससे प्रसन्न हूं और उसे **क्षमा करता** हूं। चाहिए कि हमारी जमाअत का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए भलाई की दुआ करे।

اللھم احفظہ من البلایا و الاٰفات
اللھم اعصمہ من المکر وھات۔ اللّٰھم ارحمہ وانتَ خیرُ الرّاحمین۔
آمین۔ ثم اٰمین

लेखक- ख़ाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, क़ादियान
20 नवम्बर सन् 1897 ई.

सरकार के ध्यान देने योग्य अत्यावश्यक निवेदन

चूंकि हमारी बर्तानवी सरकार अपनी प्रजा को समान रूप से देखती है और उसकी सहानुभूति एवं दया प्रत्येक क़ौम के साथ रहती है। इसलिए हमारा अधिकार है कि हम प्रत्येक दुख-दर्द उसके सामने वर्णन करें और अपने कष्टों से रिहाई उस से चाहें अत: इन दिनों में हमें जो बहुत कष्ट पहुंचा है वह यह है कि पादरी लोग ये चाहते हैं कि वे हर प्रकार से हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अनादर करें, गालियां दें, अनुचित लांछन लगाएं तथा हर प्रकार से अपमानित करके हमें दु:ख दें और हम उनके सामने अपना मुंह बिल्कुल बन्द रखें और हमें इतना भी अधिकार न हो कि उनके प्रहारों के उत्तर में कुछ बोलें। इसलिए वह हमारी प्रत्येक भाषण को यद्यपि वह कितना ही नर्म हो कठोर बताकर अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाते हैं, हालांकि उनकी ओर से हज़ारों गुना अधिक कठोरता होती है।

हम लोग जिस हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ुदा तआला का सच्चा नबी, नेक और सत्यनिष्ठ मानते हैं तो फिर हमारी क़लम से उनकी प्रतिष्ठा में कठोर शब्द कैसे निकल सकते हैं। किन्तु पादरी लोग चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर ईमान नहीं रखते इसलिए जो चाहते हैं बोलते हैं। यह हमारा अधिकार था कि हम उनके हृदय विदारक शब्दों के बारे में अपनी उच्चतम सरकार की सेवा में शिकायत प्रस्तुत करते और इन्साफ़ चाहते, परन्तु उन्होंने प्रथम तो स्वयं ही हज़ारों कठोर शब्दों से हृदय को कष्ट दिया फिर हमारे ही विरुद्ध अदालत में शिकायत की कि मानो कठोर शब्द और अपमान हमारी ओर से है और इसी आधार पर वह क़त्ल का मुक़द्दमा दायर किया था जो गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर डगलस साहिब की अदालत से खारिज हो चुका है।

इसलिए उचित है कि हम अपनी न्यायवान सरकार को इस बात से अवगत करें कि पादरियों की कलम और मुख से जितनी कठोरता और हृदय को कष्ट और फिर उनका अनुसरण करते हुए आर्य लोगों की ओर से हमें पहुंच रहा है, हमारे

पास शब्द नहीं कि हम वर्णन कर सकें।

यह बात स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपने पेशवा और पैग़म्बर के बारे में इतना भी सुनना नहीं चाहता कि वह झूठा और झूठ बनाने वाला है और एक स्वाभिमानी मुसलमान बार-बार के अपमान को सुनकर फिर अपने जीवन को निर्लज्जता का जीवन समझता है तो फिर कैसे कोई ईमानदार अपने पथ-प्रदर्शक, पवित्र नबी के बारे में इतनी कठोर से कठोर गालियां सुन सकता है। इस समय ब्रिटिश इण्डिया में ऐसे बहुत से पादरी हैं जिन का दिन रात पेशा ही यही है कि **हमारे नबी और हमारे सरदार आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम** को गालियां देते हैं। गालियां देने में सब से अधिक अग्रसर पादरी इमादुद्दीन अमृतसरी है। वह अपनी पुस्तकों "तहक़ीकुल ईमान" इत्यादि में आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को खुली-खुली गालियां देता है तथा धोखेबाज़, पराई स्त्रियों को लेने वाला इत्यादि-इत्यादि कहता है। और नितान्त कठोर एवं भड़काने वाले शब्द इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार पादरी ठाकुरदास "सीरतुल मसीह" और रीव्यू बराहीन अहमदिया में हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नाम कामुकता का ग़ुलाम और पराई स्त्रियों का आशिक़, धोखे बाज़, लुटेरा, मक्कार, मूर्ख, बहाने बाज़ और धोखेबाज़ रखता है और दाफ़िउल बुहतान, पत्रिका में पादरी रान्कलेन ने हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे में ये शब्द प्रयोग किए हैं- कामुकता का पुजारी था,

मुहम्मद (स.) के सहाबा व्यभिचारी, धोखेबाज़, चोर थे तथा इसी प्रकार पादरी राजर्स "तफ़्तीशुल इस्लाम" में लिखता है कि- मुहम्मद (स.) कामुकता का पुजारी, तामसिक वृत्ति का बहुत बड़ा ग़ुलाम, इश्क़बाज़, मक्कार, रक्तपात करने वाला और झूठा था और 'नबी मासूम' पत्रिका लेखक- अमरीकन ट्रस्ट सोसायटी में लिखा है कि मुहम्मद (स) गुनहगार (पापी) आशिक़-ए-हराम अर्थात् व्यभिचारी, मक्कार और दिखावा करने वाला था, तथा पत्रिका 'मसीहुद्दज्जाल' में मास्टर रामचन्द्र हमारे नबीं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कहता है कि मुहम्मद (स.) डकैती का सरदार, लुटेरा, डाकू, धोखेबाज़, इशकबाज़, झूठ बनाने वाला, कामवासना का गुलाम, रक्तपात करने वाला, व्यभिचारी था। किताब 'मुहम्मद साहिब की सवानिह

उमरी' (जीवनी) लेखक- वाशिंगटन इरविंग साहिब में लिखा है कि- मुहम्मद के साथी डाकू और लुटेरे थे, और वह स्वयं लालची, झूठा, धोखेबाज़ था। 'अन्दरूना बाइबल' लेखक आथम ईसाई में लिखा है- कि मुहम्मद दज्जाल था और धोखेबाज़। पुन: कहता है कि मुहम्मदियों का अन्त बड़ा भयावह है अर्थात् शीघ्र तबाह हो जाएंगे और अखबार 'नूर अफ्शां' लुधियाना में लिखा है कि मुहम्मद स. को शैतानी वह्यी होती थी और वह अवैध हरकतें करता था, और कामवासना संबंधी व्यक्ति, पथभ्रष्ट, मक्कार, धोखेबाज़, व्यभिचारी, चोर रक्तपात करने वाला, लुटेरा, बटमार, शैतान का मित्र और अपनी बेटी फ़ातिमा को कामुकता की दृष्टि से देखने वाला था।

अत: ये सम्पूर्ण शब्द विचार करने योग्य हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के लिए पादरियों के मुख से निकले हैं और सोचने के योग्य हैं कि इनके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या इस प्रकार के शब्द कभी किसी मुसलमान के मुख से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में निकल सकते हैं? क्या संसार में इस से अधिक कठोरतम शब्द संभव हैं, जो पादरियों ने उस पवित्र नबी के लिए प्रयोग किए हैं जिसके मार्ग में ख़ुदा के करोड़ों बन्दे न्यौछावर हो चुके हैं और वे उस नबी से वह सच्चा प्रेम रखते हैं जिसका उदाहरण अन्य क़ौमों में खोजना, व्यर्थ है। फिर इन धृष्टताओं, गालियों और इन अपवित्र शब्दों के बावजूद पादरी लोग हम पर कठोर शब्दों के प्रयोग करने का आरोप लगाते हैं यह कितना बड़ा अन्याय है। हम निस्सन्देह जानते हैं कि कदापि संभव नहीं कि हमारी उच्चतम सरकार उनके इस आचरण को पसंद करती हो या खबर पाकर फिर पसंद करे और न हम विश्वास कर सकते हैं कि भविष्य में पादरियों के किसी ऐसे अनुचित जोश के समय कि जो क्लार्क के मुक़द्दमे में प्रकट हुआ, हमारी सरकार पादरियां को हिन्दुस्तान के छ: करोड़ मुसलमानों पर प्राथमिकता देकर उनसे कुछ नर्मी करेगी। इस समय हमें पादरियों तथा आर्यों की गालियों पर जो लम्बी लिस्ट देनी पड़ी वह केवल इस कारण है ताकि भविष्य में वह लिस्ट काम आए और किसी समय उच्चतम सरकार इस लिस्ट पर दृष्टि डालकर इस्लाम की अत्याचार–पीड़ित प्रजा को दया–दृष्टि से देखें।

हम समस्त मुसलमानों पर स्पष्ट करते हैं कि सरकार को अब तक इन बातों की खबर नहीं है कि क्योंकर पादरियों की गालियां चरम सीमा तक पहुंच गई हैं और हम हार्दिक विश्वास से जानते हैं कि जिस समय सरकार को ऐसी गालियों की ख़बर हुई तो वह अवश्य भविष्य के लिए कोई अति उत्तम व्यवस्था करेंगी।

अब हम उन पुस्तकों की विस्तृत सूची का उल्लेख करते हैं जिनमें पादरयों तथा उनकी शिक्षा का अनुसरण करते हुए हिन्दुओं और आर्यों ने हमारे नबी सल्लल्ला हो अलैहि व सल्लम तथा इस्लाम धर्म और उसके महापुरुषों के बारे में गालियों को चरम सीमा तक पहुंचाया है।

कुफ्र को नक़ल करना कुफ्र नहीं होता।

ईसाइयों की गालियां

पुस्तक 'दाफ़िउल बुहतान' लेखक-पादरी रान्कलेन साहिब, प्रकाशित-मिशन प्रेस इलाहाबाद 1845 ई.

वे वाक्य या शब्द जिनसे मुसलमानों को उग्रता या कष्ट पैदा होता है।

पृष्ठ 23-24 मुसलमानों का रसूल अपनी लौंडी (सेविका) से सहवासी हुआ और जब उसकी जोरूओं (पत्नियों) में से एक ने भर्त्सना की तो उसने कसम खाई और फिर अपनी कामवासना के आनन्द के लिए क़सम तोड़ कर आयत उतारी।

पष्ठ 24. अपनी कामवासनाओं के अनुसार नए आदेश जारी किए।

पृष्ठ 31. परन्तु विश्वास है कि मुहम्मद स. किसी प्रकार से अपनी रिसालत (रसूल होना) को सिद्ध न कर सका तो इस झूठी खबर को प्रसिद्ध किया। क्या ऐसे बनाए हुए झूठ ईमानदारी के योग्य हैं?

पृष्ठ 69. हम भी मुहम्मद स. को वही कथित धनाढ्य कह सकते हैं।★ (यह दौलतमन्द जो इब्राहीम की नस्ल में से था बहुत शानोशौकत की ज़िन्दगी के बाद मरकर नारकीय हुआ - लूका)

★ कोष्ठकों में दी हुई इबारतें हमारी ओर से हैं। इसी से.

पृष्ठ 74. मुहम्मदियों का भी नियम है कि बहुधा अपने धर्म के सबूत में बेईमानी से कोशिश करते हैं।

पृष्ठ 87. यहां महान सहाबा को उसी प्रकार क़ातिल, अत्याचारी, व्याभिचारी, धोखेबाज़, चोर, दुष्कर्म करने वालों की जमाअत जिनका हृदय की पवित्रता से कुछ संबंध नहीं बताया है।

पृष्ठ 88. अपने शिष्यों (सहाबा) की दिलेरी के लिए तलवार को स्वर्ग की कुंजी बताया कि जिस से अनिवार्य होता है कि जितने पापी और दुष्ट जो तौबा किए बिना मारे गए (शहीद सहाबा) वे ..... स्वर्ग में दाख़िल हों।

पृष्ठ 153. इसलिए आवश्यक ठहरा कि इंजील मुक़द्दस को निरस्त करे क्योंकि उसमें ऐसे कार्य का कर्ता (अर्थात् रसूले अकरम) नारकी है।

पृष्ठ 154. कुछ आश्चर्य नहीं कि उस (रसूल अकरम) ने पवित्र इंजील को निरस्त किया हो क्योंकि संसार के सम्पूर्ण बन्दे जो भोग-विलास के रसिया हैं ऐसा ही करते हैं परन्तु उन सब पर खेद किस लिए क्योंकि उनका यही अंजाम है कि वे सर्वसम्मति से ख़ुदा के प्रकोप में पड़ेंगे अर्थात् उस झील (नर्क) में जो अग्नि और गंधक से जलती है।

पुस्तक 'मसीहुद्दज्जाल', लेखक- मास्टर राम चन्द्र ईसाई, 1873 ई.

इस पुस्तक में हमारे रसूल अकरम को दज्जाल बनाने की कोशिश की गई है।

सीरतुल मसीह वल् मुहम्मद

लेखक- पादरी ठाकुर दास मिशनरी अमरीकन मिशन 1882 ई.

मुख पृष्ठ मसीह को बलिआल के साथ कौन सी समानता है (यहां हमारे रसूले अकरम को 'बलिआल' अर्थात् जो एक पापी और उपद्रवी रूह है-कहा है)

पृष्ठ 6. मुहम्मद स्वयं पापी (गुनहगार)..... मुहम्मद व्यवहारिक रूप से पापी था।

पृष्ठ 11. मुहम्मद बातों में विश्वसनीय नहीं। अभी कुछ फिर कुछ।

पृष्ठ 12. इस्लाम के प्रवर्तक में सांसारिक लालसा इतनी है कि धर्म के भेस में संसार पर विजयी होना ...... सांसारिक लालसा ने अन्तत: प्रकट कर दिखाया।

पृष्ठ 14. कामुकता जो मनुष्य में व्यक्तिगत गुण कह सकते हैं मुहम्मद में अत्यधिक थी। यहाँ तक कि वह इसमें सदैव डूबा रहता..... मुहम्मद अन्य अरबों के समान शक्ल से ही स्त्रियों का आशिक़ मालूम होता है।

पृष्ठ 15. और इस बात में हज़रत ने न केवल अपनी शिक्षा का कुछ विरोध किया बल्कि स्वार्थ परायणता को भलीभांति सिद्ध किया और कामुकता में अन्य की कामुकता की बराबरी न की ...... फिर जिस ढंग से यह कार्य पूरा करते रहे वे पूर्णत: नफ़्सानियत के उपाय थे।

पृष्ठ 16. मुंह बोले बेटे की जोरू (पत्नी) से निकाह करने का शरीअत का अवसर तथा ज़ैनब को नग्न देखकर उस पर मुहम्मद की कामातुरता का भड़कना था।

पृष्ठ 21. मुहम्मद एक भूलता-भटकता मनुष्य था।

पृष्ठ 31. लोगों को बहकाने के लिए (आंहज़रत ने) यह विचित्र झूठ बांधा है, इस से प्रकट होता है कि मुहम्मद शैतान के झांसे में आ जाता था।

पृष्ठ 31. फिर मास्टर राम चन्द्र साहिब एक छल की चर्चा करते हैं जो मुहम्मद ने यहूदियों से किया।

पृष्ठ 35. हे पाठको! सावधान हो कि कहीं तुम मुहम्मद के छल में न आ जाओ।

'अन्दरूना बाइबल' लेखक: डिप्टी अब्दुल्लाह आथम

पृष्ठ पृष्ठ- 70. इस दज्जाल का साहिब निशान वास्तव में तो वही पुराना ख़ूनी अजगर (शैतान) है। तथापि जब वह मुंह फाड़ता है तो उस के दो जबड़े अपने अन्दर पोप और अरबी नबी का इतिहास साक्षात् रूप से दिखाते हैं। (अर्थात् दज्जाल जो वास्तव में शैतान है उस का प्रकटन पोप और अरब के नबी के रूप में हुआ।)

पृष्ठ 75. हां समय का पैमाना छोटा और पूरा करके ये ख़बरें पोप और

मुहम्मद पर भी (दज्जाल से संबंधित) चरितार्थ होती हैं और शरह मुकाशफात में दिखलाया गया है कि पोप और मुहम्मद का धर्म एक ही अजगर (शैतान) के दो जबड़े हैं।

पृष्ठ 123 से 131. (किताब मुकाशफ़ात में जिस टिड्डी का वर्णन है जो हरियाली को खा जाएगी और उन टिड्डियों के बादशाह का नाम हलाकू अर्थात् हत्या करने वाला लिखा है, वहां हलाकू से अभिप्राय अरब का नबी तथा टिड्डी उसकी सेना बताई गई है तथा हमारे रसूले अकरम पर (पृष्ठ-126) शिर्क का इल्ज़ाम लगाया है)

पृष्ठ 132. और एक अन्य झूठा नबी भी है बिना शब्द की परिभाषा के शब्द 'वह' कि इस से मुहम्मद की बिदअत्* की ओर इशारा है।

पृष्ठ 144,145. 196. खुले-खुले शब्दों में इस्लाम के प्रवर्तक (बानी) को एक दज्जाल कहा है। जिसकी बिदअत्* की समाप्ति पर मौऊद (वादा की गई) सुलह होने वाली है।

किताब : मुहम्मद की तारीख़ का इज्माल

लेखक- पादरी विलियम, रेवाड़ी, प्रकाशित-क्रिश्चियन मिशन रेवाड़ी 1891 ई

इस सम्पूर्ण किताब का कोई पृष्ठ तथा पंक्ति खाली नहीं जो कठोर से कठोर उत्तेजित करने वाले एवं घृणित शब्द अपने अन्दर नहीं रखती।

(1,2,3,4,5,6,7) हमारे रसूल अकरम को डाकुओं का सरदार, लुटेरा, डाकू, गुप्त षड़यन्त्र द्वारा क़त्ल कराने वाला, धोखे वाली चाल चलने वाला बताया है।

पृष्ठ 4. संयोग से जो उसकी (ज़ैनब) सुन्दरता पर मुहम्मद की नज़र पड़ी, हृदय में बुरा प्रेम पैदा हुआ। इस बुरी इच्छा की पूर्ति के लिए तुरन्त आकाश से इजाज़त मंगाली। मुहम्मद के लिए हर समय और हर कार्य के लिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आकाशीय आयत या अनुमति मौजूद थी।

पृष्ठ 7. मुहम्मद ने बहुतों को छुप के क़त्ल कराया...... मुहम्मद जिस वर्ष

* बिदअत्- किसी नई बात को शरीअत में सम्मिलित कर देना। (अनुवादक)

मदीना गया उसी में डकैती भी करने लगा..... मुहम्मद ने दस पत्नियां रखीं।

पृष्ठ 8. मुहम्मद उन के आधे के बारे में (अर्थात् तौरात के दस आदेश) अत्यन्त गुनहगार था।..... मुहम्मद ने बहुतों को छुप कर मार डाला.... मुहम्मद ने बहुत सी डकैती करवाई........ मुहम्मद ने अपनी बुरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दस पत्नियां तथा दो दासियां रखीं...... मुहम्मद ने ज़ैनब को देखकर बुरी इच्छा की..... मुहम्मद एक सांसारिक व्यक्ति था।

रीव्यू बराहीन अहमदिया, लेखक- पादरी ठाकुर दास मुद्रित मिशन प्रेस, लुधियाना 1889 ई.

पृष्ठ 7. यह रंगा रंगी ऐसी बातें सम्मिलित करती है जो हज़रत के मक्कार और कपटी होने को बिलकुल सिद्ध करती है।

पृष्ठ 9. इसीलिए उनके नबुव्वत के दावे को धोखा, छल और भ्रम के अतिरिक्त अन्य कोई नाम नहीं दे सकते।

पृष्ठ 10. मुहम्मद साहिब के जीवन में दृढ़ता और सच्चाई की बजाए छल बिल्कुल स्पष्ट है।

पृष्ठ 15. हज़रत के कष्टों से भी उन का छल-प्रपंच प्रकट होता है।

पृष्ठ 16. बहाने बाज़ी और अवसरवादिता में हज़रत मुहम्मद निस्सन्देह अद्वितीय थे।

पृष्ठ 22. मुहम्मद साहिब तो अनपढ़ व्यक्ति थे.... अनपढ़ों (आंहज़रत) की मूर्खता का आप क्यों साथ देते हैं।

पृष्ठ 24. हज़रत ने ख़ूब धोखा खाया और धोखा दिया।

पृष्ठ 28. मुहम्मद धोखेबाज़ व्यक्ति था।

पृष्ठ 33. क़ुर्आन स्वयं गुमराह है तथा गुमराह करने वाला है।

पृष्ठ 45. मुहम्मद साहिब स्वयं एक अशिक्षित व्यक्ति थे।

पृष्ठ 63. मुहम्मद और अनुयायियों की सफलता बजाए हैरानी के न केवल

तिरस्कार को जन्म देती हैं अपितु मुहम्मद को एक बड़ा धोखेबाज़ सिद्ध करती है।

'मुहम्मद साहिब की जीवनी' लेखक: औरंग वाशिंगटन

अनुवाद-लाला रलियाराम गुलाटी-प्रकाशित-अड़ोर बंस प्रैस लाहौर

पृष्ठ 167. मुहम्मद मूसाई (यहूदी) स्त्रियों के सौन्दर्य एवं सुन्दरता पर आसक्त तथा शौक़ीन था।

पृष्ठ 169. मुहम्मद (धोखे की कारवाइयां सम्बद्ध की गई हैं) उसके जीवन के इस भाग में अर्थात् जब वह तलवार का रसूल हुआ तो संसारिक इच्छाओं तथा अपवित्रताओं ने उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं तथा स्वभाविक श्रेष्ठताओं को निकृष्ट कर दिया।

पृष्ठ 272. कुछ मामलों में वह (आंहज़रत) कामातुरता का पुजारी था।

पृष्ठ 273. जब वह किसी सुन्दर स्त्री के सामने होता था तो अपने मस्तक और बालों को संवारता था।

पृष्ठ 278. उसकी सरगर्म और वहमी रूह ...... एकान्त वास में भूखा रहने इत्यादि से..... इस सीमा तक घुल गई थी कि उसे एक अस्थाई सा पागलपन हो जाया करता था।

पृष्ठ 280. उसके विचार अविष्कार की ओर झुके हुए थे..... वह अधिकतर जोश और प्रेरणा से पराजित था।

पृष्ठ 281. जब उसने तलवार के धर्म का प्रचार किया और लुटेरे अरबों (सहाबा) को बाह्य धन सम्पत्ति का स्वाद चखाया।

पृष्ठ 282. अपनी नबुव्वत के संदिग्ध प्रारंभ में वह अपने इल्हाम लाने वाले जिब्राईल की नसीहतों तथा प्रवचनों से सहायता लिया करता था।

पृष्ठ 283. जब वह सत्ता में था तो उसने सांसारिक इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की ओर झुकाव प्रकट किया।

पृष्ठ 284. उसके जीवन के दौर के अन्तिम समय तक उसको एक विशेष

प्रकार का पागलपन आश्चर्य और हैरानी में डालता रहा और इसी छल और धोखा देने वाले विश्वास में मर गया कि मैं एक पैग़म्बर हूं।

अख़बार नूर अफ़्शां- अमरीकन मिशन प्रेस लुधियाना

प्रकाशित 13 मार्च 1896 ई. पृष्ठ 5 (एक मुहम्मदी मुल्ला जिसने कथित अख़बार के अनुसार अपने मुरीद की स्त्री को सुन्दर देखकर कूटनीति से तलाक़ दिलवाई और अपने निकाह में लाया। इसकी चर्चा करके लिखा है) इस मुहम्मदी मुल्ला का कृत्य हमें आश्चर्य में नहीं डालता, क्योंकि मुल्ला ने बिलकुल अपने पैग़म्बर का अनुसरण किया है।

12 जून 1896 ई. पृष्ठ 8- मुहम्मद के पास जो वह्यी (ईशवाणी) आती थी वह भी देवता लाते थे।

19 जून 1896 पृष्ठ 1- अन्याय तथा अत्याचार द्वारा धर्म फैलाने वाले (मुसलमान) अवश्य गधे और उनका यह कार्य गधापन है।

19 जून पृष्ठ 6. मुहम्मद साहिब स्वयं भी सौन्दर्य के पुजारी तथा आशिक़ मिजाज़ थे (एक क़िस्सा नकल करके कि आंहज़रत ने अपनी बेटी फ़ातिमा को चूमा। अख़बार लिखने वाले ने नतीजा निकाला है) मुहम्मद ने यद्यपि चालाकी से जवाब को बनाया...... यदि आइशा मुहम्मद को अवैध हरकतों (अख़बार लेखक के कथनानुसार अपनी पुत्री को बुरी नज़र से चूमने) में व्यस्त न देखती .... उन हरकतों (बेटी का चुम्बन लेना) में संतुलन से बढ़कर प्रेम की प्रचुरता पाई जाती है........ जब फ़ातिमा हूर ठहराई गई तो अब वह किस की हूर समझी जाए और हूर का मानव के रूप में इस संसार में क्या काम हो सकता है।

25 सितम्बर 1896 ई पृष्ठ - 10

अब कोई न कहे कि मुहम्मद हफ्सा के घर मारिया लौंडी से ऐसा वैसा करता था.... अगर आपके (अर्थात मुसलमान के) कथन और ईमान के अनुसार यदि औरतें सचमुच जूतियां हैं तो कृपया यह बताइए कि अब्दुल्लाह की औरत

आमना अब्दुल्लाह के लिए जूती थी या नहीं जिसकी उत्पत्ति मुहम्मद है। फिर मुहम्मद की औरतें मोमिनों की माएँ कहलाती हैं परंतु चूंकि वह औरतें हैं इसलिए वह जूतियां हैं। मुहम्मद के देहान्त के बाद कोई उनसे विवाह नहीं कर सकता था, अब मोमिन उनका क्या करेंगे। सिर पर मारेंगे..... हज़रत ने विधवा, कुंवारी, तलाकशुदा कोई न छोड़ी यहां तक कि मुतबन्ना (मुंह बोले बेटे) की चहेती को भी न छोड़ा..... इस असभ्यता का रिवाज देने वाला मुहम्मद था।

25 सितम्बर 1896 पृष्ठ- 10 :-

अरब की सम्पूर्ण निकाह में आई स्त्रियां वेश्याएं हैं।

18 दिसम्बर 1896 पृष्ठ - 9 :-

गुनहगार (पापी) क़ौम के लक्षण क़ौम के बुज़ुर्गों का झूठ बोलना, वध करना, लूट और बटमार करने को वैध समझना, व्याभिचार को ख़ुशखबरी समझना, हस्तमैथुन विशेष तौर पर करना, पाप न समझना, प्रत्येक के साथ शैतान का होना, उस क़ौम का नारकी होना, इन लक्षणों का वर्णन करके पत्रकार लिखता है) अत: यह कि मुहम्मद की क़ौम पाप करने के लिए क़ौम बनाई गई.......... इसलिए संभव है कि यह क़ौम वही क़ौम हो.....

'तफ़्तीशुल इस्लाम', लेखक: पादरी राजर्स सन् 1870 ई.

पृष्ठ 22. तत्पश्चात् इस को पर्याप्त न समझ कर उसने (आंहज़रत) अपने विचारों तथा भ्रमों को एक नया कृत्रिम धर्म आविष्कृत किया।

पृष्ठ 49. क़ुर्आन की झूठी आयतें। क़ुर्आन में बहुत सी आयतें निरर्थक हैं।

पृष्ठ 52. क़ुर्आन तथा हदीसों की निरर्थक एवं अपवित्र शिक्षाओं का वर्णन।

पृष्ठ 54. मुहम्मद ने इस आयत के बहाने जिहाद करना और लूटना आरंभ कर दिया। यहां से उसके हृदय का कपट तथा छल प्रकट होता है।

पृष्ठ 56,57. यह सब मुहम्मद की बनावट और घड़त है। वह अर्थात् (आंहज़रत) एक अय्याश आदमी था।

पृष्ठ 58. किन्तु जब (आंहज़रत) से प्रेम के कारण अधिक वियोग (जुदाई) सहन न हो सकी तो क़ुर्आन में सूरह नूर के अन्त में एक कृत्रिम आयत आइशा की बरीयत की लाकर फिर सहवास किया, परन्तु इस मिथ्यारोपण (झूठा इल्ज़ाम) को सद्‌बुद्धि झुठला नहीं सकती।

पृष्ठ 58. (हज़रत मुहम्मद साहिब की) बारहवीं स्त्री जो बनी हिलाल से थी, जिसको (आंहज़रत ने) बिना निकाह और बिना महर अर्थात् मज़दूरी या खर्च देकर घर में डाल लिया था।

पृष्ठ 60. मुहम्मद एक भोग-विलास का रसिया व्यक्ति था, जो अपनी काम वासना संबंधी इच्छा पूरी करने के लिए बनावटी आयत प्रस्तुत करके उसको ख़ुदा की ओर सम्बद्ध करता है।

पृष्ठ 65. मुहम्मद का चाल-चलन किसी प्रकार से पैग़म्बरी के योग्य नहीं ठहर सकता। वह एक अय्याश, द्वेष रखने वाला और स्वार्थी व्यक्ति था और तामसिक वृत्ति (नफ़्से अम्मार:) का बड़ा अनुयायी था और इसी कारण क़ुर्आन उसकी झूठी बनाई हुई किताब है जो उसकी अय्याशी और कामुकता (शहवत) का पालन-पोषण करती थी। उसमें एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें आदेश हो कि हे मुहम्मद तू क्यों लिप्सा एवं लालसा तथा कामुकता की ओर झुकता है या ज़ैनब से क्यों प्रेम की आंख लड़ाता है।

पृष्ठ 80. यह मुहम्मद की बनावट और बकवास है।

पृष्ठ 82. (आंहज़रत स. के मे'राज को मिर्गी वाले का एक अस्त व्यस्त स्वप्न प्रकट करके यूं लिखा है) उसके विचार में यह आया होगा कि...... मैंने स्वयं को खातमुन्नबिय्यीन प्रकट किया है यह बहाना बनाना चाहिए कि आज रात को मैं सातवें आकाश तथा अर्श और कुर्सी की सैर कर आया।

पृष्ठ 97. उसके (आंहज़रत स.) समस्त कार्यों में छल प्रकट होता है। मुहम्मद में द्वेष और मक्कारी दोनों बातें कुछ सीमा तक पाई जाती हैं......... इसके साथ एक बेवफ़ा, स्वार्थी हृदय। वास्तव में उसकी कथनी करनी आयु के

साथ बुराई में बढ़ गई।

पृष्ठ 97. नबी बिना चमत्कारों के, ईमान बिना रहस्यों के और शिष्टाचार बिना प्रेम के, जिसने रक्तपात की रूचि को प्रेरित किया, जिसका प्रारंभ और अन्त असीम अय्याशी के साथ समाप्त हुआ।

पृष्ठ 100. हे प्रियजनो....... अपितु आज ही मुहम्मद का धर्म छोड़कर और उस झूठे नबी का अनुसरण त्याग कर।

पादरी इमादुद्दीन

इस व्यक्ति की पुस्तकें जो 1874 ई. से पूर्व प्रकाशित हो चुकी हैं इतने हृदय विदारक वाक्यों से भरपूर हैं कि स्वयं ईसाइयों ने उसकी निन्दा की। हम उनकी इबारत यहां नहीं लिखते। केवल वे रायें लिखते हैं जो हिन्दुओं तथा ईसाइयों ने उसकी पुस्तक 'हिदायतुल मुस्लिमीन' पर व्यक्त कीं।

'हिन्दु प्रकाश अमृतसर' सन 1874 ई. तथा 'आफ़्ताब पंजाब लाहौर'
"क्या पादरी इमादुद्दीन की पुस्तकें.....कुछ उस पुस्तक से उपद्रव और फसाद फैलाने में कम हैं कि जिसने बम्बई के मुसलमानों तथा पारसियों की एकता और प्रेम को शत्रुता में परिवर्तित कर दिया और दोनों को तबाही का मुख दिखाया......... पादरी साहिब की पुस्तकें........ मुसलमानों का अंग्रेज़ी सरकार से हृदय फाड़ने के मुख्य कारण पर लिखी गई हैं।"

शम्सुल अख़बार लखनऊ, पादरी क्रियोन साहिब के प्रबंधन में 15 अक्टूबर 1875 ई.

विनय पत्र......... इमादुद्दीन की पुस्तकों के समान नफरत दिलाने वाला नहीं कि जिसमें गालियां लिखी हुई हैं और यदि 1857 की भांति पुन: ग़दर हुआ तो उसी व्यक्ति की गालियां तथा निरर्थक बातों के कारण होगा।"

'नबी मासूम' प्रकाशित-अमरीकन मिशन प्रेस लुधियाना 1884 ई.

16. वह इश्क़ हराम जो मुहम्मद साहिब ने मरयम नामक मिस्र की सेविका से किया।

हिन्दुओं तथा आर्यों की गालियां

'पादाशे इस्लाम' लेखक- इंद्रमन मुरादाबादी 1866 ई.

9- (मुहम्मद घटिया, मूर्ख, अत्याचारी व व्यभिचारी)

11-(मुहम्मद) ने साँप की तरह अपने ही गिर्द बल खाए और बेचैन हुआ ....तुरन्त दुष्कर्म किया।

12, 13-मुहम्मद ने छल और झूठ से काम लिया। उसके सारे कामों में धोखा है, इमाम शाफ़ई गप्प मार रहा है।

14- (आँहज़रत) को व्यभिचार और अय्याशी के अतिरिक्त कोई काम न था।

अहमद तो अपनी कामवासनाओं को पूरा करने और पेट भरने में लगा हुआ है, वह तो ख़ुद ही भ्रष्ट है, दूसरों का उसने क्या मार्गदर्शन करना है।

15- ख़ालिद (सहाबी) ने व्यभिचार किया।

17- मुहम्मद और ज़ैनब ने मिलकर इश्कबाज़ी और व्यभिचार किया।

18,19 - मुहम्मद के हाल पर रोना चाहिए कि दय्यूसी (भड़ुवापन) की ज़िन्दगी जीता था ....आइशा ने सतीत्व की चादर फाड़ डाली.........आइशा की विशिष्ट जगह लश्कर के साथ थी लेकिन वह क़ाफ़िले से अलग अकेले में मज़े ले रही थी ....रात के अन्धेरे में लश्कर से दूर जाना किसी पाकदामन और नेक औरत का काम नहीं बल्कि मक्कार और आवारा औरत का काम है ......आइशा के व्यभिचार की ख़बर

25- अब आपत्तिकर्ता ग़ौर करे कि भड़ुवा कौन है? क्या भड़ुवा इस्लाम

का ख़ुदा है जो बैतुलहराम (हराम का घर) में रहता है और जिसने व्यभिचार को जाइज़ करने के लिए इल्हाम किया ....या वह मशहूर पीर मुल्ला-ए-रोम भड़ुवा है ....निःसन्देह मुसलमानों का पीर और मोमिनों का वली (मित्र) दोनों भड़ुवे थे।

26- मुसलमानों के पूर्वकालीन बुज़ुर्गों (ऋषियों, मुनियों, अवतारों) में से हर एक भड़ुवे थे ......मुसलमानों का कथित ख़ुदा बहुत बड़ा ज़ालिम और जाबिर है जो नबियों और औलियाओं को व्यभिचार और क़त्ल के प्रचलन के लिए वह्यी करता है।

27- अतः मुसलमानों का बनावटी ख़ुदा लोगों को गुमराह करने के लिए भी वह्यी करता है ....मुहम्मदी मज़हब के नबियों और औलियाओं का काम व्यभिचार और सिफ़ारिश करना और दलाली है ....ख़ैरुल बशर (अर्थात् मुहम्मद) का काम दुष्टता से खाली नहीं।

29- मुसलमान औरतों में व्यभिचारी का बोया हुआ बीज बहुत चमत्कार रखता है ....मुसलमानों में व्यभिचार कोई दोष नहीं।

30- दीन-ए-अहमदी शैख़ नजदी के क़ानून की तरह है ....यह उस वली की सिफ़ारिश और सम्बद्धता की ओर इशारा है जो मुस्तफ़ा और अली की तरह होगी ......हक़ीक़त यही है कि इस हदीस में मुहम्मद ने दय्यूसी (भड़ुवापन) की तारीफ़ की है और उम्मत के सब कामों का दारोमदार एक शर्मनाक काम में रख दिया है ....हज़रत (अर्थात् मुहम्मद) को व्यभिचारी लोगों का विशेष ख़्याल था।

31- शायद हज़रत (अर्थात् मुहम्मद) ने सअद बिन उबादः की पत्नी से भी व्यभिचार किया हो, इसीलिए सअद को फ़रमाया कि अमुक-अमुक काम करना चाहिए, ताकि जब तक वह काम करें मौक़ा ग़नीमत जानकर अपना मक़सद पूरा कर लें और घर के अन्दर दाख़िल हो जाएँ और अपने दिली मक़सद को पूरा कर लें और जब यह काम कर लें।

32- तब मुहम्मद ने अपने दोस्तों, यारों के लिए भी व्यभिचार को जाइज़

ठहराते हुए उनके लिए वैश्या औरतों को जाइज़ ठहरा दिया।

33,34. (इन पृष्ठों में मुतआ का वर्णन करके मुसलमानों को भड़ुआ और मुसलमानों की स्त्रियों को बाज़ारु और रंडियां और वेश्याएं बताया है तथा आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पवित्र पत्नियों पर प्रहार किए हैं)

37,38- तलहा आइशा के आशिक़ थे ....लेकिन तलहा ने अपना इरादा तर्क नहीं किया और बसरा के रास्ते में अपने मक़सद में कामियाब हो गए अर्थात् व्यभिचार किया।

39-तेरा ख़ुदा हराम काम की ओर आकर्षित है कि उसका दाइमी आवास बैतुलहराम (अर्थात् हराम का घर) है

वहाँ पर व्यभिचार करो यह इमाम का हुक्म है क्योंकि तेरे ख़ुदा की जगह बैतुलहराम (अर्थात् हराम का घर) है।

40- शराब का असर जब हज़रत के लबों से निकलता है तो मुसलमानों से नजासत (गन्दगी) को ख़त्म कर देता है

मैमून: के लिए एक बन्दर बेहतर है
और उसके साथ विवाह के लिए मुस्तफ़ा ही मुनासिब है

क्योंकि वह घोड़ा है और यह बंदरिया है
इसमें और उसमें हर लिहाज़ से अन्तर है।

हे गधे ! अगर अबूबकर तेरे नज़दीक बकरी है
तो उसके खिलाने और बहलाने के लिए कोई और बन्दर ख़रीद ले।

इमाम सअलबी इस वजह से सरदार हुआ
कि वह लोमड़ी के अण्डे से पैदा हुआ।

ग़ज़ाली अगर तेरी बहन को ले भागे
फिर भी उससे मुश्क की ख़ुश्बू आती है

कोई मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस तो तिर्मिज़ी है
क्योंकि उसको वीर्य खाने का शौक़ है
बुख़ारी को भीषण बुख़ार हो गया
और यह बुख़ार हरगिज़ मरने के अतिरिक्त ठीक नहीं हो सकता

राज़ी गधा है जो फ़ख़रुद्दीन राज़ी है
क्योंकि दोनों लम्बी पूछ होने के कारण एक ही प्रजाति के हैं।

41- मुसलमान क़ुर्आन की दृष्टि से मुहम्मद को बाप मानते हैं और उसकी पत्नियों को उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की माँ) समझते हैं ....अतएव सिद्ध हुआ कि या मुसलमान झूठे और कज़्ज़ाब हैं या मुहम्मद की (उम्मत की) औरतें अपने बाप के साथ आसानी से सहवास कर लेती हैं ....इस वजह से मुहम्मद मुसलमानों का बाप नहीं हो सकता सिवाए इसके कि वह उनकी माँओं की ओर रुचि रखता हो और उनसे सहवास करता हो ....

45- उसकी पसन्दीदा आयु के 40 साल गुज़र गए लेकिन उसका दिल औरतों की रुचि से न हटा। कई ख़ूबसूरत औरतों को बिना निकाह और ख़ुत्बे के अपनी आग़ोश में ले लिया और व्यभिचार से तनिक भी न डरा।

46- मुसलमानों के ख़ुदा का अजीब मिज़ाज है कि ऐसे आदमी को अपनी पैग़म्बरी के लिए चुन लेता है जो अत्यन्त व्यभिचार की नींव डालता है।

अब मैं कहानी संक्षिप्त करता हूँ कि अहमद की बुरी हरकतों का गिना नहीं जा सकता.....

व्यभिचार नबियों (अवतारों) का आचरण है.....यही कारण है कि (मुसलमान) मुहम्मद को स्वाभाविक मूर्खता और स्वाभाविक पथभ्रष्टता की आदत के बावजूद रसूल-मक़्बूल समझते हैं।

48- (इस्लाम के खुदा के बारे में लिखा है) गधा, सूअर, रीछ, बन्दर बन गया। व्यभिचारी ने जानवर का रूप ले लिया ....भेड़िया, गीदड़, रीछ और सूअर हो गया और दुष्ट रूप में प्रकट हुआ।

50- अनिवार्य सिद्ध होता है कि मुसलमानों का ख़ुदा कुफ्र, शिर्क, ग़लती और व्यभिचार करने वाला है ....प्रारम्भ से मुहम्मद का ख़ुदा ज़ालिम और जाबिर था ....इस्लाम का ख़ुदा न्याय और मुल्क के इन्तिज़ाम में एक आदमी से भी कमतर है।

हम कहां तक उस व्यक्ति की गालियों को नक़ल करते जाएं। यह पुस्तक 380 पृष्ठों की है और यहां पचास पृष्ठों की जो इबारतें दी गई हैं उसमें से असंख्य गालियां छोड़ दी गई हैं। निष्कर्ष यह कि इस लेखक ने **हमारे ख़ुदा को-** अत्याचारी, असभ्य, ज़बरदस्ती करने वाला, बकवास करने वाला, अभिमानी, ख़राब, दुराचारी, अय्याशी में गिरफ्तार लानती, ख़ुश्क और जला हुआ, मक्कार, धोखेबाज़, छल-कपट में उस्ताद, निलंबित, इज़राईल के हाथ से मरने वाला, फिरऔन के मार्ग पर चलने वाला, अकुलीन, छली, कपटी, ज़ालिम, रंग बदलने वाला, शैतान की भांति मूर्ख, झूठ और छल का शिक्षक, महा मूर्ख, महा घूर्त, झूठ बोलने वाला, शैतान से धोखा खाने वाला, शैतान की तरह छल की शिक्षा देने वाला, बुद्धिहीन, अपवित्र, बहुत उद्दण्डी, गधा सवार, काफिर, व्याभिचारी, गुदा मैथुनिक, पापी, लानत का पात्र, झूठ एवं मिथ्या बातों का स्रष्टा, वचन भंग करने वाला, व्यभिचार का इल्हाम भेजने वाला, कामातुरता के सामान पैदा करने वाला, व्यभिचार तथा गुदामैथुन और चोरी का अविष्कार करने वाला, पागलपन का रोगी ठहराया है।

(देखो पृष्ठ- 51, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 107, 131, 150, 166, 204, 250, 311, 320, 89)

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है:

जानवर और गधे से निष्कृष्टतम, मूर्तिपूजक, मूर्तियों की तन-मन से प्रशंसा करने वाला, चमत्कार और विलक्षण निशान दिखाने में शैतान से कम, मुसलमानों की स्त्रियों और पुत्रियों का सतीत्व भंग करने वाला, घृणा योग्य, बहुत अय्याश, जिसकी श्रेष्ठता और सर्वांगपूर्णता व्यभिचार की प्रचुरता और पराई औरतों से

सहवास करने पर आधारित है। जोरू के साथ नाचने वाला, नर्तक, मक्कार, अंत: कुटिल, हरामी, कुरूप, हमेशा बेकार काम करने वाला आवारा, पत्नी-भक्त, भड़ुआ, पति वाली स्त्रियों से बिना निकाह सहवास करने वाला, शराफत विहीन, छोटी दासी का पुत्र, लादू जानवर, घोड़ा, ऊंट, असंख्य बार व्यभिचार करने वाला, घूर्त, व्यभिचारियों को दोष छिपाने के लिए छल सिखाने वाला, वादा भंग करने वाला, वचन तोड़ने वाला, झूठ का शिक्षक, छल-प्रपंच करने वाला, रंग बदलने वाला मूर्ख, क़सम तोड़ने वाला, भोग-विलास का रासिया, अवज्ञाकारी, खुले तौर पर व्यभिचार करने वाला, अधर्मी, कानून भंग करने वाला, मुहम्मद अय्याश व्यक्ति, मुहम्मद एक व्यभिचारी इन्सान है जो हवस की शराब में चूर और मस्त है, अगर कोई औरत यूसुफ़ के फ़रेब को देखती, अवश्य उसे अपना दिल दे देती। मुहम्मद की शराफ़त दुराचार और दु:ख का भण्डार है। अजनबी स्त्रियों से अकथनीय बातें करने वाला, दुष्ट, झूठा, छल का शिक्षक, अपमानित एवं बरबाद, जिसका मरना कूड़ा उठा तो सफाई हो गई का चरितार्थ कायर, नपुसंक, अपवित्र, विरोधियों के हाथ से जूता खाने वाला, अग्नि पूजकों का गुरू, मुहम्मद की शराफ़त बुराई तथा आफ़त का भण्डार, इशक़बाज़, बदचलन, उसमें और काफ़िर में क्या अन्तर है, बीबी आइशा के साथ नृत्य करने वाला, ख़ुदा की पत्नी, मल-मूत्र खाने वाला, मोची, पापी, महाव्यभिचारी, इश्कबाज़, शैतान में और उसमें कुछ अन्तर नहीं, नशे और अय्याशी में आसक्त, नादान, ग़लत बात करने वाला, पशु, धोखे से भरे इब्लीस और उत्तम पैग़म्बर में क्या अन्तर है।

(देखो पृष्ठ- 53, 80, 81, 82, 87, 88, 94, 95, 96, 121, 123, 128, 143, 147, 150, 155, 166, 167, 175, 176, 181, 186, 185, 187, 188, 189, 205, 209, 235, 263, 264, 274, 275, 288, 311, 332, 354, 356)

इस्लाम के अन्य नबियों के बारे में

पैग़म्बर पापी थे। मूसा-व-ईसा सब दोषी हैं। यूसुफ ने ज़ुलैखा को नंगा किया वह अय्याश और व्यभिचारी था। उसने अपनी स्वामिनी की भग में प्रवेश

किया, समस्त पैग़म्बर चरवाहों से अधिक स्तर नहीं रखते, वे अकुलीन और अपमानित तथा बदनाम थे, वे स्त्रियों के सतीत्व के पर्दे को फाड़ते रहे, रक्तपात और अकारण क़त्ल करने वाले। हज़रत इब्राहीम मक्कार एवं महा झूठा अंबिया मूर्ख और मुश्रिक। इदरीस छल वाली चाल चला, इदरीस मक्कार, धोखेबाज़, इदरीस और इब्लीस (शैतान) में कुछ अन्तर नहीं, इब्लीस उससे श्रेष्ठतम, मुसलमानों के पैग़म्बरों को मुसैलिमा कज़्ज़ाब पर प्राथमिकता नहीं, बेटी बेचने वाला। *(देखो पृष्ठ-52, 58, 68, 69, 95, 96, 126, 305, 345, 346)*

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पवित्र पत्नियों के बारे में

पैग़म्बर की पत्नियां.......... बाज़ारी स्त्रियों से अधिक अपमानित बल्कि बाज़ारी स्त्रियां (वेश्याएं) उन से अच्छी बेकार काम करने वाली। आइशा ने तल्हा से व्यभिचार (दुष्कर्म) किया। आइशा निर्लज्ज बेहया, आखें फाड़ कर देखने वाली। *(देखो पृष्ठ-92, 158, 165, 167)*

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहाबा रज़ि. के बारे में

द्वितीय ख़लीफ़ा वीर्य खाने वाला, गुदामैथुन कराने वाला, रसूल के सहाबा रसूल की पत्नियों को बुरी नज़र से देखने वाले, कमीना तथा भड़ुआ, अली ग़द्दार, बड़ा मक्कार....... रसूल के सहाबा शैतान के लिबास में तेज़, ख़ुदा के बन्दों को क़त्ल करने में व्यस्त। *(देखो पृष्ठ- 102, 116, 155, 163, 181)*

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के युग की अन्य मोमिन स्त्रियों के बारे में:-

मुसलमानों की स्त्रियां और बेटियां बाज़ार में नक़द रक़म लेकर व्यभिचारी

करती थीं। मदीना की लड़कियां सतीत्व को छोड़ने वाली। कुछ मोमिन स्त्रियां व्यभिचार का परिश्रमिक (उजरत) लेकर सौ-सौ आदमियों से प्रतिदिन व्यभिचार कराती थीं। *(देखो पृष्ठ- 155, 156, 173)*

चारों इमामों[रज़ि.] के बारे में

अबू हनीफ़ा ने मां से निकाह और सहवास वैध किया। वह मां, बहन, बेटी से व्यभिचार को बुरा नहीं समझता। मालूम होता है कि उसने मां से व्यभिचार किया तथा भड़ुवापन की प्रशंसा की। उसके नज़दीक गुदा-मैथुन बुरा नहीं। जब इमाम को गुदा मैथुन के लिए लड़का न मिला तो पत्नी से गुदा मैथुन किया। इमाम मालिक ने गुदा मैथुन किया। इमाम शाफ़िई के नज़दीक भी वैध है। अबू हनीफ़ा वंशानुगत भड़ुआ और निर्लज्ज।... *(देखो पृष्ठ- 155, 156, 173)*

अन्य धार्मिक महापुरुषों के बारे में

तफ़्सीर अज़ीज़ी का लेखक असभ्य, मुसलमानों के औलिया (वली लोग) क़ातिल तथा रक्तपात करने वाले, इस्लाम के उलेमा अग्नि के पुजारियों के गिरोह, मुसलमानों के वली पागल, उनके दिल में मां बहन, बेटी से कामातुरता का विचार रहता था। मुसलमानों के बुज़ुर्ग अपवित्र तथा व्यभिचारी।

(देखो पृष्ठ-80, 108, 126, 180, 269, 337)

समस्त मुसलमानों के बारे में

मुसलमान आवश्यकता के समय मां, बहन, भूआ, मौसी (ख़ाला), बेटी से संभोग कर सकता है। कोई मुसलमान किसी माध्यम से सन्तान प्राप्त कर ले वैध है। मुसलमान समस्त निषेध की गई स्त्रियों से संभोग कर सकता है। उनके नज़दीक व्यभिचारी दण्डनीय नहीं, उनका व्यवहार मां बहनों से जानवरों के समान। मुसलमान हराम के बच्चे। उनकी लड़कियों से हज़ार व्यभिचारी हों तो भी कुमारी, उनकी शराफ़त बुराई व आफ़त, उनके माता-पिता हमेशा व्यभिचार में

लीन, प्रत्येक सरदार बदचलन, थोड़े से लालच पर वचन भंग करने वाले, वैश्या और मुसलमान की निकाह की हुई स्त्री बराबर है। मुसलमान बेहया, बेशर्म, बेटी बेचने वाला, मुहम्मद की उम्मत लूत, खुले-खुले झूठ को बुरा न समझने वाले, मुसलमान वीर्य खाने वाला, मुसलमानों का शरीर अपवित्र एवं अंतः मलिन, उनके मुह गन्दे, उनके उसूल गन्दे, मुसलमान लोग दरिन्दे, कुत्तों और गीदड़ों से अधिक बुरे।

(देखो पृष्ठ- 106, 107, 109, 113, 115, 116, 147, 156, 157, 180, 224, 228, 295, 322, 331)

फ़रिश्तों के बारे में

इस्लामी फ़रिश्ते मदोन्मत, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, अत्याचारी, जिब्रील ने मरयम से व्यभिचारी किया जिब्रील, ने मरयम के सतीत्व को भंग किया, जिब्रील, लोफर और अय्याश नीच, जिब्राईल लंपट (आवारा), भोग-विलासी और नीच है। वह एक पक्षी है जो कभी बिना दाढ़ी-मूँछ का लड़का हो जाता है और एक औरत (हज़रत मरियम सिद्दीक़ा) जो बहुत खूबसूरत है, की शर्मगाह में फूँक मारता है और ख़ुश्बू पाता है। (देखो पृष्ठ - 123, 175, 176, 350, 371)

विविध

मुसलमानों की फ़िक़्ः मूर्खता है, मुसलमानों का गन्दा धर्म कम आयु के लड़कों से इश्कबाज़ी का आदेश देता है। मुसलमानों की लड़कियां मज़दूरी लिए बिना संभोग नहीं कर सकतीं। मेहर और ख़र्चा (मज़्दूरी) एक समान है। मेहर का निर्धारण एक बुरा और अनुचित तरीक़ा। बैतुलहराम एक घटिया इबादतगाह (आराधनास्थल) है और उसका संस्थापक झूठ की आदत रखने वाला, नाफ़र्मान, मौत की क़ब्र में जाने के लायक़ है।

(देखो पृष्ठ- 106, 154, 155, 156, 324)

पवित्र क़ुर्आन के बारे में

معنیش باشد ضلالت سربسر   از ضلالت می دهد قرآن خبر
از ضلالت بار دارد ایں شجر   بہتر است او را بریدن از تبر

अनुवाद: इसका अर्थ खुली-खुली पथभ्रष्टता है क़ुर्आन गुमराही (पथभ्रष्टता) की ख़बर देता है यह दरख़्त (वृक्ष) गुमराही का फल देता है इसको जड़ से उखाड़ देना ही बेहतर है।

अनर्गल, बकवास, शैतान द्वारा मिश्रित वाणी, मुहम्मद की स्वयं बनाई हुई बातें झूठी बातें, बेकार चीज़, क़ुर्आन और हदीस में व्याभिचार, दुष्कर्म, जुआ, मदिरापान, भंग पीने की शिक्षा है......... क़ुर्आन का प्रवर्तक महा झूठा। क़ुर्आन के कर्मों को मुक्ति का फलदाता समझना और शैतान के कर्मों के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना बराबर है बानिए क़ुर्आन अत्यन्त झूठा है और उसका हाल मस्त की तरह ख़राब है जिसका सांस उसके क़दम के साथ नहीं चलता। क़ुर्आन के रचयिता की बातें और कथन मुसैलमा कज़्ज़ाब के दावे की तरह मस्त और ख़राब हैं। क़ुर्आन मूर्खताओं का ढेर है, टूटा-फूटा उसका बयान है, घोर अनर्गल (और असंगत) बातों का शिकार है, टेढ़ी-मेढ़ी भाषा वाला है, कोई ज्ञान नहीं, मूर्खता उसकी निशानी है, सुस्त बयान है। क़ुर्आन पेशाब का फव्वारा चलाता है। *(देखो पृष्ठ- 7, 13, 57, 60, 119, 308, 316, 355, 366)*

सत्यार्थ प्रकाश, लेखक- पंडित दयानन्द 1875 ई.

उद्धृत- अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश, मुद्रक- किशन चन्द कम्पनी लाहौर।

<u>अल्लाह तआला के बारे में</u>

(P.683) निर्दयी, शैतान से अधिक शैतानी करने वाला, स्त्रियों में लिप्त, (P.685), फ़रिश्तों को धोखा देकर बड़ाई करने वाला, इसलिए पाखंडी, बकवासी, सर्वज्ञ नहीं, शक्ति हीन, जब एक काफ़िर शैतान ने ख़ुदा

के छक्के छुड़ा दिए तो करोड़ों काफ़िरों के आगे उसकी क्या चलेगी, (686), अल्पज्ञान, कम साहस (687) कपटी, झूठा (699) देवालिया(700), भानमती का तमाशा करने वाला जिसे बुद्धिमान लोग दूर से सलाम करेंगे। (701), स्त्रियों का रसिया(702), पक्षपाती (703), अन्यायी (710) मुसलमानों का ख़ुदा भी शैतान का काम करता है (703), मूर्खता और द्वेष से भरा हुआ (712) शैतान तो सबको बहकाने वाला है परन्तु ख़ुदा शैतान को बहकाने वाला है, मानो शैतान का भी शैतान ख़ुदा है। ख़ुदा में पवित्रता नहीं, समस्त बुराईयों का भण्डार और सहायक, अल्पज्ञान वाला, अन्यायी, क्या तुम्हारा ख़ुदा बहरा, जो पुकारने से सुनता है (706) फिर ख़ुदा और शैतान में क्या अन्तर हुआ। हां इतना अन्तर कहा जा सकता है कि ख़ुदा बड़ा शैतान और इज़राईल छोटा शैतान है.......... अतः इस सिद्धान्त से ख़ुदा ही शैतान सिद्ध हो गया (713), मक्कारों की भांति भयभीत करने वाला, अज्ञानी (723), उसमें और शैतान में कोई अन्तर नहीं...... ख़ुदा को क्यों नर्क न मिलना चाहिए। (724), जब शैतान को गुमराह करने वाला ही ख़ुदा है तो वह स्वयं शैतान का बड़ा भाई है। ख़ुदा शैतान का सहायक है (716) अंधा धुंध लड़ने वाला, न्याय, दया और शुभ विशेषताओं से रिक्त (727), ख़ुदा ही शैतान का सरदार और समस्त पापों का कारण (736), अपने मुंह मियां मिट्ठू, क़ुर्आन के ख़ुदा ने इन्द्रजाल का तमाशा दिखा कर जंगली लोगों को अपने वश में कर लिया (746), यदि इस प्रकार के पैग़म्बरों (अर्थात् लूत जिसने सत्यार्थ प्रकाश के शब्दों में बेटियों से संभोग किया) को ख़ुदा मुक्ति देगा तो वह ख़ुदा भी अपने पैग़म्बर के ही समान होगा (अर्थात् लूत की तरह जिसने पंडित दयानन्द के विचार में बेटियों से दुष्कर्म किया) (748)शैतान को बहकाने वाला शैतान का शैतान, विद्रोही शैतान को खुला छोड़ देने के कारण अधर्म करने वाला तथा शैतान का साथी (757), ख़ुदा मुहम्मद साहिब के लिए पत्नियां लाने वाला हज्जाम (नाई) था (756), मुहम्मद साहिब के घर का आन्तरिक एवं बाह्य प्रबंध करने वाला सेवक।

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे में

(703) अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क़ुर्आन बनाने वाला, नीयत का साफ नहीं (708) स्वार्थ सिद्धि तथा दूसरों का काम बिगाड़ने में पूर्ण उस्ताद (716), क्या रसूल और ख़ुदा के नाम पर संसार को लूटना लुटेरों का काम नहीं। क्या ख़ुदा भी डाकू है और लुटेरों (आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सहाबा) का सहायक, पैग़म्बर संसार में फ़साद डालने वाला, सार्वजनिक शान्ति में विघ्न डालने वाला (719) यह ख़ुदा के नाम पर पुरुष-स्त्री को स्वार्थ के लिए लालच देता है। यदि ऐसा न किया जाता तो मुहम्मद साहिब के जाल में कोई न फंसता....... हज़रत मुहम्मद साहिब! आपने भी तो गोकुली गुसाइयों की बराबरी की जो अपने मुरीदों (शिष्यों) का माल उड़ा कर उनको पवित्र कर देते हैं। (742)- इन दोनों (अल्लाह तआला तथा आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) में से एक ख़ुदा और दूसरा शैतान हो जाएगा और एक का भागीदार दूसरा हो जाएगा। वाह क़ुर्आन का ख़ुदा और पैग़म्बर ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या-क्या नहीं किया...... जंगली आदमी भी अपनी बहुओं (पुत्र वधु) से अलग रहता है और कैसा प्रकोप है की नबी की कामवासना की रसिकता में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती........ जब पुत्र-वधु पर भी हाथ साफ करने से पैग़म्बर न रूक सके तो अन्य से किस प्रकार बचे होंगे। (714)- आश्चर्य है कि जो लूट मार करें, डाका डालें वे ख़ुदा, पैग़म्बर और ईमानदार कहलाएं। (733)- जैसे ग़दर मचाने वाले ख़ुदा और नबी निर्दयी हैं वैसा संसार में कोई कम ही होगा। (757)- क्या जिसकी बहुत सी पत्नियां हों वह ख़ुदा का उपासक या पैग़म्बर हो सकता है जो एक का ध्यान रखकर दूसरी का ध्यान न रखे वह अधर्मी है या नहीं...... जो बहुत सी पत्नियों के बावजूद दासी से अवैध संबंध पैदा करे, उसके नज़दीक लज्जा, सम्मान का विचार और धर्म कैसे फटक सकता

है। किसी ने सच कहा है कि व्यभिचारी लोगों को न लज्जा होती है और न भय। इन से नतीजा निकलता है कि क़ुर्आन ख़ुदा की वाणी (कलाम) तो दूर किसी शुभ कर्म करने वाले विद्वान की भी पुस्तक नहीं।

विविध-(684)

मुसलमानों का स्वर्ग गोकुली गुसाइयों के गौलोक और मन्दिर के समान है। (694)- मुसलमान मूर्ति-पूजक है यदि मूर्ति भंजक हैं तो उन्होंने बड़ी मूर्ति अर्थात् काबा की मस्जिद को क्यों न तोड़ा....... मुहम्मद साहिब ने छोटी-छोटी मूर्तियों को मुसलमानों के घर से निकाला किन्तु पर्वत के समान मक्का की बड़ी मूर्ति को धर्म में सम्मिलित कर दिया। (697)- ऐसी शिक्षा ख़ुदा या उसके रसूल की नहीं हो सकती, अपितु स्वार्थी और मूर्ख की हो सकती है। (711)- स्वर्ग क्या है रंडी खाना। (703)- जहां इस्लाम ने उन्नति प्राप्त की वे वहशी और अज्ञात लोग थे। इसलिए उनमें यह ज्ञान एवं बुद्धि के विपरीत धर्म फैला। (742)इस्लाम धर्म निरर्थक, अतार्किक बुद्धि के विपरीत, धर्म के विपरीत।

पवित्र क़ुर्आन के बारे में

जब बिस्स्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम संदिग्ध वाणी है तो क्या चोरी, व्यभिचार, झूठ और पापों का प्रारंभ ख़ुदा के नाम पर किया जाए। (688) ये समस्त बातें अर्थात् क़ुर्आन की बातें) बच्चों वाली हैं......... सच्ची नहीं। (695)- मुहम्मद ने यह बात (आयत पवित्र क़ुर्आन) अपने स्वार्थ के लिए बनाई थी। (707)- ऐसी शिक्षा (क़ुर्आन की शिक्षा) कुएं में पड़े। क़ुर्आन जैसी पुस्तक, मुहम्मद साहिब जैसे रसूल, क़ुर्आनी अल्लाह जैसे ख़ुदा इस्लाम जैसे धर्म से संसार को सर्वथा हानि है इनका न होना ही अच्छा है। इस प्रकार के व्यर्थ धर्म से पृथक होकर मनीषियों को वेद के आदेशों को मानना चाहिए। (709)- इसका लेखक एक नहीं बल्कि बहुत से लोग हैं। (714)- क़ुर्आन में कहीं ऊंचे कहीं धीमी आवाज़ में पुकारने का आदेश है। एक-दूसरे के विपरीत बातें पागलों के

बकवास के समान होती हैं। (715)- यह ख़ुदा की वाणी नहीं। किसी मक्कार की वाणी है अन्यथा इसमें इस प्रकार की व्यर्थ बातें क्यों हैं। (720)- इसकी आयतें उपकारी को मारने की शिक्षा देने वालीं। इसका लेखक भौतिक विज्ञान से अनभिज्ञ। (729)- इसमें निर्रथक और मूर्खता पूर्ण बातें हैं, इसके अनुयायी ज्ञान विहीन हैं। (731)- ऐसी अश्लील बातें अल्लाह के कलाम में तो कहां किसी सभ्य व्यक्ति की भी पुस्तक नहीं। (732) क़ुर्आन अल्लाह की वाणी तो दूर किसी समझदार आदमी की भी रचना नहीं। (753)- इसी शिक्षा (पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा) ने मुसलमानों को उपद्रव करने वाला, सबको कष्ट पहुंचाने वाला, स्वार्थी, निर्दयी बना दिया। (757)- क़ुर्आन ख़ुदा का क़लाम तो कहां बल्कि किसी नेक विद्वान का भी कलाम नहीं। (761) स्वभाव की बनावट के विपरीत महा पापी का कारण यह (क़ुर्आन की शिक्षा) है।

'नुस्ख़ः ख़ब्ते अहमदिया', लेखकः लेखराम पेशावरी प्रकाशित 1888 ई.

(इस व्यक्ति के दिल दुखाने वाले वाक्यों को छोड़कर यहां बहुत संक्षेप में लिखा जाता है कि उसने हमारे ख़ुदा, हमारे सरदार व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस्लाम तथा हमारी किताब के बारे में कैसे-कैसे हृदय-विदारक शब्द प्रयोग किए हैं)-

अल्लाह तआला के बारे में

मोहताज, कपटी, कमीना, बहाना करने वाला, धोखेबाज़, धोखे में फंसाने वाला, परेशान

(68) ऐसे विचित्र और धोखेबाज़ स्वामी पर गर्व मत कर जो धोखा देने में इब्लीस (शैतान) से बढ़ कर है।

(69) काल्पनिक ख़ुदा क़ुर्आन संशायात्मक, अर्श की अट्टालिका पर काल्पनिक कचहरी करने वाला। (99) अधम उपहास करने वाला। (101) घर की

बुद्धि स्मरण शक्ति और ज्ञान से खाली, भूल और ग़लती से पराजित, अशिक्षित होने का इक़रार करने वाला।

(116) अगर यही ख़ुदा है और यही सृष्टि तो उन की देखभाल तथा सुरक्षा के लिए संदूकों की आवश्यकता होगी।

भाषण की दृष्टि से मात्र अनपढ़, प्रबंधहीन, अत्यंत लापरवाह, लापरवाही की नींद से सोने वाला (117,118)- शैतानों का भाई-बंधु (131) उसके अन्दर से रीछ, सुअर, मुर्गे और तीतर निकले हैं। (164)-ख़ुदा शैतान और शैतान ख़ुदा है, गुमराह करने वाला। (255)

हमारे सरदार आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में

लूटमार करने में अरब का सर्वश्रेष्ठ, वास्तविक सम्मानों से कोसों दूर। (37) जिस का हृदय काम इच्छाओं से भरा हुआ, आकांक्षा एवं लालसा से परास्त, कसम तोड़ने वाला, कामवासना संबंधी इच्छाओं को क्रियात्मक रूप में लाने के लिए तथा अपने दोष को छिपाने के लिए ख़ुदा के आदेश बनाने वाला, पराई स्त्रियों पर आशिक़ हो जाने वाला, झूठे इल्हाम का दावेदार 41,42 बुरे आचरण वाला, हठ एवं धोखे से शिक्षाओं को ख़राब करने वाला, वध करने पर उभारने वाला, धार्मिक गर्मी रखने वाला, कष्ट बढ़ाने वाला, शारीरिक कमज़ोर, भ्रमी 45, मक्कार, छल करने वाला, द्वेष की उत्तेजना दूसरे देशों को अपने अधीन करना और कामवासना को बढ़ाने के लिए जिसने दावा किया। स्त्रियों का बड़ा आशिक़, अय्याश, **विक्ड** अर्थात् पापी दुष्चरित्र, हिप्पो क्रेसी वाला, धोखेबाज़, छल-प्रपंच की फ़ुसलाहट की कला में योग्य, **फ्राड** करने वाला, धोखा देने वाला, 46,47 मानवजाति का कट्टर शत्रु, 48 समस्त लोकों के लिए दया नहीं बल्कि समस्त लोकों के लिए क्लेश है, मुसैलिमा कज़्ज़ाब उस से उत्तम है 62,63 कपटी, लूट का माल लेने के लिए ज़कात का झूठा बहाना बनाने वाला,

छल-कपट करने वाला, धोखा देने का उस्ताद 65,66,67

विविध (मुतफ़र्रिक़)

मूसा ने शैतान से तौहीद (एकेश्वरवाद) प्राप्त की। 318- मुसलमानों का पितामह (दादा) आदम बुद्धि से मूर्खता के कूप में गिरने वाला, बुद्धिमत्ता से ऋणमुक्ति पत्र लेने वाला लानती 279 इस्लाम रक्तपात को बढ़ावा देने वाला, इसका प्रारंभ तथा अन्त कामवासना की रसिकता, 42, मेराज का किस्सा झूठा, व्यर्थ छल की बात 66 (जुमा को चूंकि ईरानी ज्योतिष में ज़ुहरा कहते हैं: इसलिए जुमा के दिन को एक व्यभिचारिणी वैश्या कहा है और मुसलमानों का जुमा का सम्मान करना जैसे उस व्यभिचारिणी वैश्या के लिए पागलों जैसा हिमायती जोश है।

पवित्र क़ुर्आन तथा हदीसों के बारे में

उसकी बुनियाद ख़राब है-29, क़ुर्आन, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धि के विपरीत, ज्ञान संबंधी परिणामों में बुराई पैदा करने वाला-42 सम्मान योग्य नहीं, उसकी शिक्षाएं अत्यन्त दोषपूर्ण, अधिकतर ग़लत। उसके पढ़ते ही कठोर स्वभाव और कामुक हो जाना-43, क़ुर्आन के स्वर्ग की शिक्षा अय्याशों और दुराचारियों को प्रसन्न करना है-44, उसकी शिक्षा निकृष्ट 45, उसकी शिक्षा अंधकारमय, गुमराही फैलाने वाली, लोगों को दुश्मन और अनुदार (बेरहम) बनाने वाली। लोभ, वैर, कामवासना को वैध रखने वाली 49,50 क़ुर्आन सच का सबूत देने से सिर से पैर तक लज्जाजनक है। 71, क़ुर्आन के शुभ अन्त होने से एशिया इस हैज़े से मुक्ति पाता। 273 क़ुर्आनी स्वर्ग, कामवासना और शरीर संबंधी बल्कि हैवानों की रंगशाला, बुद्धि के विपरीत, न्याय से दूर, कल्पना से परे, रूहानियत का सत्यानाश करने वाली, शैतान की शरण स्थली, 316

तकज़ीब बराहीन अहमदिया - लेखक पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर, चश्म-ए-नूर प्रेस अमृतसर से प्रकाशित 1890 ई.

अल्लाह तआला के बारे में-

पृष्ठ-36, अज्ञान, मोटी समझ, धोखेबाज़, कपटी, बहाने बाज़, दाव खेलने वाला, मूर्ख, 37 कुंभकरन की नींद से न जागने वाला, क़ुर्आन का ख़ुदा अन्तर्यामी नहीं, वह मुहम्मद शाह रंगीले की भांति या वाजिद अली शाह की तरह ज़च्चा में प्रसूता बैठा हुआ था, वह शास्त्रार्थ (मुबाहसा) के ज्ञान से अपरिचित, किसी बात पर शीघ्र बुरा मान जाने वाला, द्वेष रखने वाला है। 38, उस से शैतान शक्तिशाली है 39, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो छल-कपट से या समय के संयोग से शासन को पहुंच गया परन्तु ज्ञान और बुद्धि से रिक्त, अपरिचितों, सादा स्वभाव वालों या अपने जैसे पर उसका शासन, बहादुरी का उसमें निशान नहीं....... ख़ुदाई करने का ज्ञान नहीं...... बुद्धिमान नहीं...... राष्ट्रीय मामलों का अनुभवी नहीं, 42 जिन फरिश्तों ने ख़ुदा का डोला उठाया हुआ है........ वे यदि कांधे सरकाएं....... तो बताइए......... ख़ुदाए मुहम्मदिया किसी गुफा में गिरा पाएं........ और यदि गिर कर मर जाए तो फिर मौला कौन कहलाए, 47 वह शैतान से मुकाबला करने में भयभीत है। 56,57 जल्लाद, अत्याचारी, प्राणियों का ज़िब्ह करने वाला 222, ज़ालिम, अत्यन्त जब्र करने वाला, लापरवाह, स्वार्थी दुष्कर्म और अपवित्रता का पथ-प्रदर्शक, बदचलनी और बुरे कर्म का ख़ुदा, 233 रिश्वत लेने वाला, आदमी की शक्ल वाला, कोठे पर बैठने वाला, छलिया, शैतान से डरने वाला, 240. मूसा वाली अग्नि मानो अग्नि देवता की उपासना है। 254, ख़ुदा बड़ा ही झूठा है या जुआ खेलता होगा जो दो से विभाजित न होने वाली तथा विभाजित होने वाली की क़सम खाता है। 256, उसके कथन और कर्म विश्वास योग्य नहीं।

आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में

हाशिया पृष्ठ-75 मक्का वालों से संधि करने के पश्चात् किसी कारण से जो तबियत दुखी हो गयी तो तुरन्त वह आयत निरस्त कर दी कि वह ख़ुदा का कलाम नहीं शैतान का कलाम है, शैतान ने मेरे मुंह में डाल दिया था। 135, क़त्ल कराने वाला मूर्तिपूजक, ज्ञान संबंधी पुस्तकें जलाने वाला, बिना निकाह किए स्त्रियों से संभोग करने वाला, अपने आरोप ख़ुदा के ज़िम्मे लगाने वाला 141,अली नामक पहलवान को राज़दार बनाने के लिए अपनी बेटी का निकाह कर दिया और दो बेटियां उस्मान के हवाले करके दूसरा राज़दार बनाया। ज़ुन्नूरैन (दो प्रकाशों वाला) की अपाधि देकर डबल दामादी की ज़ंजीर में फंसाया। इसी प्रकार उमर तथा अबू बक्र से याराना बनाया। किसी को किसी तरह, किसी को किसी दाव से मिलाया। निष्कर्ष यह कि पांच पंजे मिल कीजिए काज, हारिए जीतिए आए न लाज 165, सार्वजनिक क़त्ल करने वाला और अन्याय और अत्याचार करने वाला, 244 कर्तब दिखाने वाला, 256 वर्णन करने से असमर्थ, अनभिज्ञ अनजान, 280 ख़ुदाई सीमाओं को तोड़ने वाला।

पवित्र क़ुर्आन के बारे में

35, आदम का क़िस्सा, **अल्लम, ग़ल्लम वला नसल्लम,** उपहासपूर्ण दास्तान ,58, एक जुआरी या चोर भी इय्याका नस्तईन पढ़ कर सहायता मांग सकता है। 60 सूरह फ़ातिहा की अन्तिम आयतें अत्यन्त हानिप्रद और ख़ुदा पर लांछन लगाने वाली, क़ुर्आन में शीर (दूध) शहद, शराब.... स्तनों और गालों के अतिरिक्त, रूहानी सुरूर का नाम नहीं डराने वाले वादे का चापलूस और प्रेम जनक वर्णन, 108 उसकी शिक्षा काल्पनिक और लापरवाही, ज़हरीली, रक्त की प्यासी 109, झूठ और उपहास से भरपूर सच्चाई से विस्मृत।

विविध

53, मूसा अग्निपूजक, 135 सुलेमान मूर्ति पूजक, व्यभिचार, क़त्ल करने

वाला, मूसा सार्वजनिक क़त्ल कराने तथा व्याभिचारी कराने वाला। कुंवारी लड़कियों से बलात्कार करने वाला, झूठा,139. इस्लाम का निशान सार्वजनिक क़त्ल, इस्लाम धर्म जब्र के साथ, संसार को निर्जन करने वाला 136, आदम ख़ुदा का पालतू तोता, 140 इस्लामी बुज़ुर्ग झूठ गढ़ने वाले, मनगढ़त बनाने वाला, मशवराबाज़ 264 इस्लाम और नास्तिकता जुड़वां।

पुस्तक सबूत तनासुख (आवागमन)- लेखक: पंडित लेखराम, मुफ़ीद आम प्रेस लाहौर से 1895 में प्रकाशित

147, क़ुर्आन का ख़ुदा लोगों से उपहास करता है। जाफ़र ज़टल्ली की भांति या मुल्ला दो प्याज़ा की भांति अन्यथा वह वास्तव में ज़ालिम और मक्कार है। 154, (इस्लामी) ख़ुदा या तो स्वार्थी है या पागल या ज़ालिम, 157 क़ुर्आनी ख़ुदा रिश्वत लेने वाले अधिकारी से कम नहीं वैदिक ख़ुदा के आगे ख़ुदा-ए-मुहम्मदियान का परिणाम है 169, आप (मुसलमान) जिस मिट्टी पर प्रतिदिन मल-मूत्र करते हैं वह तुम्हारे बुज़ुर्गों की मिट्टी है....... क़ब्र में उनकी मिट्टी को बिच्छू-कीड़े खाते हैं, संसार के लोग जूते पहने उनके सिर पर से गुज़रते हैं....... तुम्हारे बुज़ुर्गों ने कुत्तों के ढ़ाचों में प्रवेश किया। 171, ग़रीब, दरिद्र ख़ुदा अर्श की अट्टलिका पर अब तक बैठा है और निगरानी कर रहा है और उसके फ़रिश्ते परेशान हैं की भांति हतप्रभ बैठा रहेगा। कुछ दिनों से ग़रीब, दरिद्र ख़ुदा काल्पनिक तावीज़ की भांति मदारी बन। अपने पेट से आंतें निकाल, तमाशा दिखा ख़ुदा बन बैठा, गधा, बला, सूवर, कुत्ता, रीछ का मल ख़ुदा को स्वयं बनना पड़ा....... ऐसे मदारी तमाशा दिखाने वाले छलिया, भ्रमात्मक तावीज़ बहरूपिया बल्कि काल्पनिक का क्या भरोसा।

हमारे संबंध में

मियां नज़ीर हुसैन देहलवी शैख़ुल कुल के नाम से प्रसिद्ध हैं

वह फ़त्वा जो हमें काफ़िर ठहराने में पत्रिका "इशाअतुस्सुन्नः" न. 5, जिल्द 13 में प्रकाशित हुआ उसके लेखक और फ़त्वा की मांग का उत्तर देने वाले यही समस्त विद्वानों के गुरू हैं। फ़त्वे के लेखक अर्थात् मियां साहिब उस फ़त्वे में मेरे बारे में निम्नलिखित शब्द इस्तेमाल करते हैं-

(140, 141, 145, 152, 167, 180, 183, 185)

अहले सुन्नत से बहिष्कृत, उसका क्रियात्मक ढंग आन्तरिक नास्तिकों इत्यादि गुमराहों का ढंग है।

उसके दावे और प्रचार झूठे और इस नास्तिकता पूर्ण ढंग से उसको तीस दज्जालों में से जिनकी ख़बर हदीस में आई है एक दज्जाल कह सकते हैं।

उसके अनुयायी तथा सहपंथी दज्जाल की सन्तान, ख़ुदा पर झूठ बांधने वाला, उसकी तावीलें नास्तिकता तथा अक्षरांतरण, झूठ और धोखे से काम लेने वाला, दज्जाल, अज्ञान, मोटी बुद्धि वाला, बिदअत और पथ भ्रष्टता वाला।

जो कुछ हमने प्रश्नकर्ता के प्रशन के उत्तर में कहा तथा क़ादियानी के पक्ष में फ़त्वा दिया वह सही है...... अब मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे दज्जाल महा झूठे से बचें और वे उससे धार्मिक मामले न करें जो अहले इस्लाम में आपस में होने चाहिएं। न उसका प्रेम ग्रहण करें और न उसको पहले सलाम करें और न उसको मस्नून दावत में बुलाएं। और न उसकी दावत स्वीकार करें और न उसके पीछे चलें, और न उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ें.......... अन्त तक।

शैख़ मुहम्मद हुसैन बटालवी एडीटर इशाअतुस्सुन्नः

इशाअतुस्सुन्नः नः 1 से 6 जिल्द सौंलवहीं सन् 1893 ई.

(पृष्ठ 2,3,4, 11, 12-17, 18, 22, 33-37, 39-42, 43-44, 47-49, 54-63, 116-117, 118-129, 133-134, 142-150, 173)

★इस्लाम का छुपा दुश्मन, मुसैलिमा द्वितीय समय का दज्जाल, नक्षत्र विद्या जानने वाला, ज्योतिषी, अटकलबाज़, जफ्री, भंगर, फक्कड़, अड़ड़पोपो, उसका मौत को निशान ठहराना मूर्खता और शैतानी पथभ्रष्टता है, मक्कार, झूठा, धोकेबाज़, लानती, चपल घृष्ट, मसीहुद्दज्जाल, काना दज्जाल, गद्दार, उपद्रवपूर्ण और मक्कार, झूठा, महाझूठा, नीच और बरबाद, धिक्कृत, बेईमान, दुष्कर्मी मुसैलिमा और अस्वद का समरूप, नास्तिकों का पथ-प्रदर्शक, पैसों का ग़ुलाम, नानीर का बाप, लानत के मैडलों का पात्र, ख़ुदा फ़रिश्तों और मुसलमानों की हज़ार लानत के उतरने का स्थान, कज़्ज़ाब, ज़ल्लाम, झूठा, अल्लाह पर झूठ बनाने वाला, जिस का इल्हाम स्वप्नदोष (इहतलाम) है, पक्का झूठा, मलऊन, काफ़िर, छलिया, बहाने बाज़, सबसे अधिक झूठा बेईमान, निर्लज्ज, धोखेबाज़, बहाने बनाने वाला, भंगियों और बाज़ारी गुण्डों का सरदार, नास्तिक, संसार के मूर्खों से अधिक मूर्ख, जिसका ख़ुदा फ़रिश्तों का उस्ताद (शैतान) बदला हुआ, यहूदी, ईसाइयों का भाई, हानि का स्थान, डाकू, हत्यारा, बेशर्म, बेईमान, मक्कार, रंग बदलने वाला, जिस का पीर लानती शैतान, बाज़ारी गुण्डों घटिया लोगों चौपायों और हिसंक जानवरों का चरित्र अपनाने वाला, धोखे की चाल वाला, जिसकी जमाअत बदमाश, चरित्रहीन, झूठ बोलने वाली, व्यभिचारी, शराबी, नरभक्षी, दग़ाबाज़, मुसलमानों को जाल में लाकर उनका माल लूट कर खाने वाला।

ऐसे प्रश्नोत्तर में यह कहना...........हरामज़ादगी की निशानी है।

उसके पीर-व-खिरान असभ्य।

ग़ज़नवी गिरोह

मौलवी अब्दुल जब्बार साहिब ने उपरोक्त फत्वे पर पृष्ठ 200 पर हस्ताक्षर करते हुए निम्नलिखित शब्द लिखे हैं-

★ये शब्द यहां केवल एक ही पत्रिका में से उदाहरण स्वरूप निकाले गए हैं और इस पत्रिका में से भी और बहुत से मिलते-जुलते शब्दों को छोड़ दिया गया।

"इन बातों का दावेदार ख़ुदा के रसूल का विरोधी है......... उन लोगों में से जिन के बारे में रसूलुल्लाह ने फ़रमाया है कि अन्तिम युग में दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा होंगे....... उन से अपने आप को बचाओ तुम्हें गुमराह न कर दें और बहका न दें। इस (क़ादियानी) के चूज़े (अनुसरण) हिन्दू और ईसाइयों के नपुंसक हैं।"

अहमद इब्न अब्दुल्लाह ग़ज़नवी पृष्ठ-201

"क़ादियानी के पक्ष में मेरा वह कथन है जो इब्ने तैमिया का कथन है। जैसे समस्त लोगों से श्रेष्ठ अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं वैसे ही समस्त लोगों से निकृष्टतम वे लोग हैं जो नबी न हों तथा नबियों के समान बन कर नबी होने का दावा करे....... यह सब से बुरा व्यक्ति है समस्त लोगों से अधिक नीच। आग में झोंका जाएगा।"

अब्दुस्समद इब्न अब्दुल्लाह ग़ज़नवी पृष्ठ 202

"ग़ुलाम अहमद क़ादियानी टेढ़ी चाल चलने वाला, मंद बुद्धि, दूषित है और राय खोटी, गुमराह है। लोगों को गुमराह करने वाला, छुपा मुर्तद, अपितु वह अपने उस शैतान से अधिक गुमराह जो उसके साथ खेल रहा है। यह व्यक्ति ऐसी आस्थाओं पर मर जाए तो उसकी नमाज़ जनाज़ा न पढ़ी जाए और न यह इस्लामी क़ब्रिस्तान में दफ़्न हो।

अब्दुल हक़ ग़ज़नवी

दज्जाल के चेहरे पर जूते की चोट का विज्ञापन

3, शाबान 1314 हिज्री

दज्जाल, नास्तिक, झूठा, दुराचारी, दुष्कर्मी, शैतान, लानती, बेईमान, अपमानित, बरबाद, दूर्दर्शाग्रस्त ख़राब, काफ़िर, अनश्वर अभागा है, लानत का तौक़ उसके गले का हार है। लानत और कटाक्ष का जूता उसके सिर पर पड़ा, अनुचित तावील करने वाला........ शर्मिन्दगी के कारण ज़हर खाकर मर जाएगा..... बकवास करता है....... बदनाम, अपमानित शर्मिन्दा हुआ, अल्लाह की लानत हो......... झूठे विज्ञापन प्रकाशित करने वाला, उसकी सब बातें

बकवास हैं।

नाम पुस्तक तथा लेखक	प्रकाशित की तिथि	पृष्ठ	शब्द या इबारत
ताईद-ए-आसमानी लेखक-मुंशी मुहम्मद जाफ़र थानेसरी	23 जुलाई 1892 ई.	2	मिर्ज़ा साहिब धोखेबाज़ और गुमराह करने वाला है।
"	"	13	मिर्ज़ा साहिब जुमा छोड़ने वाला और जमाअत वादा खिलाफ़, सीरत मुहम्मदी से कोसों दूर।
"	"	23	मिर्ज़ा साहिब छलिया, झूठा दावेदार।
"	"	24	मिर्ज़ा साहिब चालाक और बाज़ीगर।
"	"	28	मिर्ज़ा साहिब, व्यर्थ में रूपया ख़र्च करने वाला, अपव्ययी, बहाने बाज़।

विज्ञापन मौलवी **मुहम्मद,** मौलवी **अब्दुल्लाह** तथा मौलवी **अब्दुल अज़ीज़ लुधियानवियाँ,** प्रकाशित 29 रमज़ान 1308 हिज्री में यह लिखा है। "हमारे पुराने और नए लेखों का ख़ुलासा यही है कि यह व्यक्ति मुर्तद है और मुसलमानों के लिए ऐसे व्यक्ति से सम्पर्क रखना अवैध (हराम) है.... इसी प्रकार जो लोग उस पर आस्था रखते हैं वे भी काफ़िर हैं **और उनके निकाह शेष नहीं रहे (अर्थात् टूट गए) जो चाहे उनकी स्त्रियों से निकाह कर ले।**"

"	"	34	मिर्ज़ा साहिब फ़रेबी, ठग।
नज़्म हक़्क़ानी मुसम्माबिह सराइर क़ादियानी, सादुल्लाह नौमुस्लिम लुधियानवी 23 शाबान 1313 हि.	पृष्ठ-1 से 8 तक		क़ादियानी राफ़िज़ी, बेपीर, दज्जाल, यज़ीद, उसके मुरीद, यज़ीदी, भाग्यहीन, फ़ित्नः पैदा करने वाला, अत्याचारी, विनाशकारी, बदचलन, बेशरम, मूर्ख, झूठा, खारिजी, भांड, बकवास करने वाला, धूर्त, बदमाश, लालची, झूठा, काफ़िर, झूठ बनाने वाला, नास्तिक, दज्जाल का गधा, पिशाच, बकवासी, असभ्य और नीच है। मुश्रिकों वाले विचार रखने वाला आदमी, उसका गांव मन्हूस है, उसकी दज्जालियां, मक्कारियां और रम्मालियां (ज्योतिष विद्या का ज्ञान) सूर्य से अधिक प्रकट हैं, उसकी पुस्तकें ईमान और धर्म को दूर करने वाली हैं।

बुतशिकन लेखक-मुहम्मद रज़ा अश्शीराज़ी अल ग़रुवी शीई कमरुल हिन्द प्रेस से प्रकाशित	1	मिर्ज़ा झूठा है, झूठ गढ़ने वाला, बकवासी, विनाशक, मक्कार, उद्दण्ड, पथभ्रष्ट, मंदबुद्धि, गुमराह, बेकार, ढकोसली, बकवास करने वाला झूठा, मिथ्यावादी, बेशर्म, ऐसा कार्य करने वाला जो जन साधारण के लिए लज्जाजनक हो, गंदे आचरण वाला, झूठा, बिदअत मिल्लत का प्रवर्तक, छल करने वाला, बिदअत मिल्लत का दावेदार, उद्दण्ड स्वभाव, ख़ुदा के दरबार से धिक्कारा हुआ, सद्मार्ग से भटका हुआ कुधारणा रखने वाला, बनचर, गप्पी, गुमराही के कुएं में डूबा हुआ तथा गुमराही के जाल में फंसा हुआ है, अभिमान एवं अहंकार में गिरफ्तार, निरर्रथक, झूठी प्रमात्मक बातों का कहने वाला, उसकी जमाअत पथभ्रष्टता और गुमराही में है। उस का पत्राचार सर्वथा व्यर्थ और लच्चर है,उसके तर्क ग़ाली-ग़लौज और अश्लीलता से भरे हुए हैं, मिर्ज़ा प्रकोपित दूर्दशाग्रस्त है, उसकी बातें निरर्थक और अश्लील हैं, वह गुमराह करने वाला है, उसके लेखों में बकवास हैं, उसके मुंह के निकलने वाली बूंदें गन्दी हैं, उसका उद्देश्य झूठ और उपद्रव है, गाली, अशलीलता तथा लांछन लगाने वाला, झूठ गढ़ने तथा झूठ के तर्क प्रस्तुत करने वाला, बुराई और अपमान के अतिरिक्त उसके पास कोई तर्क नहीं। यह झूठा नर्क में जाएगा, अंधकार, कुफ्र, उपद्रव इनके कारण संसार में है।

राजिन्दर सिंह
एडीटर-व-मालिक अख़बार खालसा बहादुर
किताब खब्ते क़ादियानी का इलाज- गुरू गोबिन्द प्रेस लाहौर 1897 ई.

पृष्ठ 2. वाह रे मिर्ज़ा के इस्लामी ख़ुदा। ख़ुदा क्या है ख़ुदा का ख़ुदा भड़ुवे का भड़वा।

पृष्ठ 12. गुरू नानक साहिब ख़ुदा के धर्म के सेवक तो थे परन्तु मुसलानों वाले ख़ुदा के धर्म के कदापि नहीं थे, जिन के धर्म का ख़ुदा मिर्ज़ा साहिब जैसों को इमाम की उपधि देता है और शर्मनाक इल्हाम भेजता है।

पृष्ठ 28. मुहम्मद साहिब ने फिर भी छल-कपट के मार्ग को हाथ से नहीं छोड़ा।

पृष्ठ 77. इस्लाम ख़ुदा-प्राप्ति का धर्म नहीं है बल्कि कामवासना की पूर्ति के लिए एक चकला है।

पृष्ठ 78. (मस्नवी जिसमें हमारे सरदार-व-मौला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को बड़ी असभ्यतापूर्वक याद किया है)

पृष्ठ 79. वास्तव में व्यभिचारी और दुष्कर्म तुम्हारे ही महापुरुषों का आचरण .... अन्त तक।

पृष्ठ 86. अपितु कामवासना की रसिकता तो आपकी नुबुव्वत-ए-अहमदी से ही आप के ख़मीर में चली आई है।

पृष्ठ 91. मुहम्मद साहिब ने पत्नी भक्ति, क़ब्र-भक्ति, मुर्दा भक्ति, दासी भक्ति और अन्याय-भक्ति का बीजारोपण करके अधिकतर देशों की बुराइयों और व्यभिचारों का एक भट्ठा भड़का दिया था।

पृष्ठ 92. समस्त मुसलमानों के महापुरुषों इत्यादि को जीभ पर तौहीद (एकेश्वरवाद) और कर्म में पत्नी भक्त और व्यभिचारी कहा है।

पृष्ठ 94, 97 मुहम्मद साहिब ने अपनी दासी के साथ व्यभिचार किया फिर

क्षमा मांगी। कामुकता के रसिया थे। ख़ुदा की उपासना को छोड़ कर स्त्रियों के आदेश का पालन करते थे।

103. मुहम्मद साहिब पत्नी भक्त थे। क़ुर्आन में शैतानी मार्ग की बातें भी हैं।

यह नमूना है उस कठोर और खेदजनक भाषा का जो हमारी **'सत बचन'** जैसी पुस्तक के मुक़ाबले पर हमारे मार्ग-दर्शक तथा अनुकर्णीय सय्यिद-व-मौला सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पक्ष में इस्तेमाल की गई है।

ये वह कठोर शब्द और अपमान एवं तिरस्कार पूर्ण शब्द हैं जो पादरी सज्जनों तथा आर्य सज्जनों ने अपनी पुस्तकों में हमारे सय्यिद-व-मौला जनाब सय्यिदुल मुर्सलीन तथा ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे में प्रयोग किए हैं और उन पुस्तकों में से अधिकांश पुस्तकें कई बार छप कर पंजाब और हिन्दुस्तान में प्रसारित की गई हैं और हमेशा मिशन स्कूलों के छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं तथा कूचों और बाज़ारों में सुनाई जाती हैं। और ईसाई स्त्रियां जो उपदेश देने पर नियुक्त हैं मुसलमानों के घरों में ले जाती हैं। हम वर्णन नहीं कर सकते कि हमने उन समस्त शब्दों को किस घृणा और हार्दिक पीड़ा तथा कांपते शरीर के साथ लिखा है। यदि अदालत की कार्रवाई हमको लिखने के लिए विवश न करती और डाक्टर क्लार्क साहिब हम पर यह झूठा आरोप न लगाते कि मानो हम ईसाइयों के मुक़ाबले पर कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये विष छोड़ने वाले शब्द जो **सत्यनिष्ठों के बादशाह और रसूलों में सर्वश्रेष्ठ की शान** में लिखे गए हैं और हमेशा ईसाई अख़बारों में लिखे जाते हैं, हम इस पुस्तक में कदापि न लिखते।

हमें खेद है कि इन अपवित्र और हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले वाक्यों को मात्र इस कारण से हमें अधिकारियों पर प्रकट करना पड़ा कि डाक्टर क्लार्क ने हमारे कुछ मामूली और नरम शब्द अदालत में प्रस्तुत करके यह शिकायत की कि-

"ऐसे कठोर शब्दों से हम पर प्रहार किया जाता है।"

चूंकि ज़िला मजिस्ट्रेट साहिब को ज्ञात नहीं था कि पादरी साहिबान ने कठोर शब्दों के प्रयोग में कहां तक नौबत पहुंचाई हुई है और हमारे उत्तर के न लेने के कारण पादरियों के कठोर शब्दों पर उन्हें कोई सूचना नहीं थी इसलिए उन्हें यह

धोखा लगा कि जैसे हमने कठोर शब्द प्रयोग किए हैं और उन्होंने सोचा कि जैसे हमारी ओर से कठोर शब्द प्रयोग में आते हैं और इसी धोखे के कारण उन्हें नोटिस भी लिखना पड़ा और यदि हमारे उत्तर तक नौबत पहुंचती तो कदापि संभव न था कि मजिस्ट्रेट साहिब पादरियों के शब्दों की तुलना में हमारे शब्दों को कठोर ठहराते, क्योंकि कठोरता और नर्मी एक ऐसी वस्तु है जिसकी वास्तविकता तुलना द्वारा ही ज्ञात होती है, विशेष तौर पर धार्मिक बहसों की पुस्तकों में। अत: किसी व्यक्ति की कठोरता और नर्मी के बारे में राय स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि उस की तुलना की पुस्तक न देखी जाए। यदि केवल विरोधी विचारों का खण्डन करने का नाम कठोरता हो तो मैं सोच नहीं सकता कि संसार में कोई धार्मिक मुबाहसों (शास्त्रार्थों) की पुस्तक ऐसी पाई जाए जो इस प्रकार की कठोरता से रिक्त हो अपितु अपमान और कठोरता तो यह है कि किसी क़ौम के पेशवा को अत्यन्त अपमान के साथ याद करना। और अपवित्र कार्यों तथा उस पर अधम नैतिकता के आरोप लगाना। अत: पादरी और आर्य सज्जनों ने यह मार्ग अपना रखा है और निराधार आरोप हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर सर्वथा झूठे तौर पर लगाते हैं जो किसी प्रमाणित और मान्य इस्लामी पुस्तक पर आधारित नहीं हैं। इस से मुसलमानों को जितना हार्दिक कष्ट पहुंचता है उसका कौन अनुमान लगा सकता है?

और हम लोग पादरियों की तुलना में क्या कठोरता कर सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार उन का कर्त्तव्य है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी और सम्मान करें इसी प्रकार हमारा भी कर्त्तव्य है कि हम लोग ख़ुदाई का पद ख़ुदा तआला के लिए विशेष रख कर शेष बातों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सच्चे एवं सत्यनिष्ठ तथा प्रत्येक ऐसे सम्मान का अधिकारी समझते हैं जो सच्चे नबी को देना चाहिए। परन्तु पादरी साहिब हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम कब ऐसी सुधारणा रखते हैं। अत्यन्त नर्म से नर्म वाक्य उन का यह होगा कि वह व्यक्ति (ख़ुदा की शरण चाहते हैं) झूठ बनाने वाला और महा झूठा था। अत: कोई मुसलमान इस वाक्य को भी बिना पीड़ा और कष्ट सहन करने के सुन नहीं सकता। ख़ुदा से भय की मांग यह थी कि ये लोग झूठ गढ़ने वाला और महा झूठा कहने से भी बचते,

क्योंकि जिन तर्कों की दृष्टि से वे एक मनुष्य को ख़ुदा बना रहे हैं वह निशान और तर्क सैकड़ों गुना अधिक उस पूर्ण मनुष्य में पाए जाते हैं। उस पवित्र नबी के उपदेश और शिक्षा ने हज़ारों मुर्दों में **तौहीद** (एकेश्वरवाद) की रूह फूंक दी और संसार से कूच न किया जब तक हज़ारों लोगों को एकेश्वरवादी बना लिया। वह ख़ुदा मानने के लिए प्रस्तुत किया, जिस को **प्रकृति का नियम** प्रस्तुत कर रहा है। परहेज़गारी (इन्द्रिय-निग्रह), संयम, उपासना (इबादत) तथा ख़ुदा के प्रेम की नसीहत की ओर हज़ारों आकाशीय निशान दिखाए जो अब तक प्रकट हो रहे है।★ परन्तु खेद कि पादरियों ने द्वेष के जोश में आप श्रीमान के सम्मान और पद को कुछ भी दृष्टिगत न रखा और अत्यन्त लज्जाजनक झूठों से काम लिया है।

मुझे यहां कुछ नासमझ मुसलमानों की आलोचना की भी आशंका है। कदाचित् वे यह एतराज़ करें कि- "क्या आवश्यक था कि यह अपवित्र वाक्य इस पुस्तक

★**हाशिया:-** हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के निशान एवं चमत्कार दो प्रकार के हैं। एक वे जो आप के हाथ से या आप के कथन या आप के कर्म या आप की दुआ से प्रकट हुए और ऐसे चमत्कार गणना की दृष्टि से लगभग तीन हज़ार हैं। और दूसरे वे चमत्कार हैं जो आप की उम्मत के द्वारा हमेशा प्रकट होते रहते हैं और ऐसे निशानों की गणना लाखों तक पहुंच गयी है तथा ऐसी कोई शताब्दी भी नहीं गुज़री, जिसमें ऐसे निशान प्रकट न हुए हों। अत: इस युग में **इस विनीत** के द्वारा ख़ुदा तआला ये निशान प्रदर्शित कर रहा है। इन समस्त निशानों से जिन का सिलसिला किसी युग में समाप्त नहीं होता। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ख़ुदा तआला का सब से बड़ा नबी और सर्वाधिक प्रिय जनाब **मुहम्मद मुस्तफा** सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। क्योंकि अन्य नबियों की उम्मतें एक अंधकार में पड़ी हुई हैं और केवल पिछले किस्से और कहानियां उनके पास हैं, परन्तु यह उम्मत हमेशा ख़ुदा तआला से ताज़ा से ताज़ा निशान पाती है। इसलिए इस उम्मत में अधिकतर ऐसे आरिफ़ (अध्यात्म ज्ञानी) पाए जाते हैं कि जो ख़ुदा तआला पर ऐसा विश्वास रखते हैं कि मानो उसे देख रहे हैं तथा अन्य क़ौमों को ख़ुदा तआला के बारे में यह विश्वास प्राप्त नहीं। इसलिए हमारी रूह से यह गवाही निकलती है कि सच्चा और सही धर्म केवल **इस्लाम** है। हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं देखा यदि पवित्र क़ुर्आन गवाही न देता तो हमारे लिए और प्रत्येक अन्वेषक के लिए संभव न था कि उनको सच्चा नबी समझता।

में लिखे जाते जिन में इतनी शरारत से आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अनादर है?"

अत: इसका उत्तर मैं पहले ही लिख चुका हूं कि उस नोटिस के कारण जो मुक़द्दमे की मिस्ल में सम्मिलित है हम पर अनिवार्य हो गया था कि हम अपनी महान सरकार पर असल वास्तविकता व्यक्त करें कि कठोरता हमारी ओर से है या पादरियों की ओर से। और यदि इस धोखा देने का निवारण न करते तो अधिकारियों को क्योंकर ज्ञात होता कि पादरी साहिबों का यह सर्वथा झूठ है कि हमारी ओर से अतिशयता और कठोरता है और पादरी साहिबों ने न केवल मेरे लिए अपितु समस्त मुसलमानों के लिए यह एक बाँध और रोक बनाई थी ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति उनका मुकाबला न करे तथा इस

शेष हाशिया- क्योंकि जब किसी धर्म में केवल किस्से एवं कहानियाँ रह जाती हैं तो उस धर्म के प्रवर्तक या पेशवा की सच्चाई केवल उन किस्सों पर दृष्टि डालकर अनुसंधान के तौर पर सिद्ध नहीं हो सकती। कारण यह कि सैकड़ों वर्ष के पिछले किस्से झूठ की भी संभावना रखते हैं अपितु अधिकतर संभावना यही होती है, क्योंकि संसार में झूठ अधिक है। फिर हृदय विश्वास से क्योंकर उन किस्सों को सही घटनाएं स्वीकार कर लिया जाए। परन्तु हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के चमत्कार केवल किस्सों के रंग में नहीं हैं अपितु हम आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का अनुकरण करके स्वयं उन निशानों को पा लेते हैं। इसलिए निरीक्षण तथा अवलोकन की बरकत से हम अटल विश्वास तक पहुंच जाते हैं। अत: उस पूर्ण और पवित्र नबी की शान कितनी महान है, जिसकी नुबुव्वत हमेशा अभिलाषियों को ताज़ा सबूत दिखलाती रहती हैं और हम निरन्तर निशानों की बरकत से इतनी ख़ूबी से उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं कि जैसे ख़ुदा तआला को हम आंखों से देख लेते हैं। अत: धर्म इसे कहते हैं और सच्चा नबी उसका नाम है जिसकी सच्चाई की बहार हमेशा दिखाई दे। मात्र किस्सों पर जिन में हज़ारों प्रकार की न्यूनाधिकता की संभावना है भरोसा कर लेना बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। संसार में सैकड़ों लोग ख़ुदा बनाए गए और सैकड़ों पुराने उपन्यासों के द्वारा चमत्कारी माने जाते हैं परन्तु मूल बात यह है कि सच्चा चमत्कार दिखाने वाला वही है जिसके चमत्कारों का दरिया कभी शुष्क न हो। अत: वह व्यक्ति हमारे सरदार नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। ख़ुदा तआला ने प्रत्येक युग में उस पूर्व एवं पुनीत के निशान दिखलाने के लिए किसी न किसी को भेजा है

बात से भयभीत हो जाया करे कि उतने शब्दों को कठोर समझकर कानून के अन्तर्गत लाए जाएंगे। मानो इस प्रकार से पादरी साहिबों की कामना पूर्ण होगी कि वे जिस प्रकार से चाहें गालियां दें परन्तु दूसरा व्यक्ति नम्रतापूर्वक भी उनके सामने सिर न उठाए। इसलिए अतिआवश्यक था कि अपनी महान सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। हम निस्सन्देह जानते हैं कि हमारी यह सरकार धार्मिक मामलों में पादरियों का कदापि समर्थन नहीं करेगी तथा इस बात से सूचित हो कर कि मुबाहसों में हठधर्मी हमेशा पादरियों की ओर से होती रही है। ऐसे नोटिस को जो धोखा खाने के कारण लिखा गया है मात्र व्यर्थ और निरस्त की भांति समझती।

अब हम कचहरी की कार्यवाही को क्रमानुसार वर्णन करते हैं, और वह यह है:

शेष हाशिया- और इस युग में **मसीह मौऊद** के नाम से **मुझे** भेजा है। देखो! आकाश से निशान प्रकट हो रहे हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार के विलक्षण निशान प्रकट हो रहे हैं तथा प्रत्येक सत्याभिलाषी हमारे पास रहकर निशानों को देख सकता है, यद्यपि वह ईसाई हो या यहूदी अथवा आर्य। ये समस्त बरकतें हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हैं-

☆ محمدؐ است امام وچراغ ہر دو جہاں
محمدؐ است فروزندۂ زمین و زماں
خانہ گویمش از ترسِ حق مگر بخدا
خُدا نُماست و جودش برائے عالمیاں

और मैं कई बार अभिव्यक्त कर चुका हूं कि ख़ुदा तआला ने चौदहवीं सदी के सिर पर लोगों के सुधार के लिए मसीह मौऊद के नाम पर मुझे भेजा है और मुझे आकाशीय निशान दिए हैं तथा मैं उचित समझता हूं कि इस पुस्तक में भी कुछ अपनी जीवनी लिख दूं कदाचित् कोई सत्याभिलाषी उन पर विचार करके कुछ लाभ प्राप्त करे। शुभ संयोग से इन दिनों में एक सज्जन हाजी मुहम्मद इस्माईल खां नामक रईस दत्तावली ने मुझ से पत्र द्वारा निवेदन किया है कि मैं उनकी एक नई लिखी पुस्तक में दर्ज होने के लिए संक्षिप्त तौर पर अपनी जीवनी लिख

☆**अनुवाद -** मुहम्मद ही दोनों लोकों का इमाम है, मुहम्मद ही धरती व आकाश को प्रकाशमान करने वाला है। मैं ख़ुदा के भय के कारण उस ख़ुद तो नहीं कहता परन्तु ख़ुदा की क़सम उसका अस्तित्व संसार वालों के लिए ख़ुदा को दर्शाने वाला है। (अनुवादक)

अनुवाद चिट्ठी अंग्रेज़ी

ए. ई. मारटीनो साहिब डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला अमृतसर की अदालत में

अभियोक्ता मुस्तगीस)	अपराध (जुर्म)	जिसके विरुद्ध न्याय याचना करें (मुस्तग़ास अलैहि)
क़ैसरा हिन्द	धारा 107 फौजदारी क़ानून के अन्तर्गत	मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब वासी मौज़ा क़ादियान, तहसील- बटाला, ज़िला गुरदासपुर

शेष हाशिया- दूं। और उसमें अपना दावा और तर्क भी वर्णन करूं। अत: मैं उचित समझता हूं कि वह पत्र यहां भी सार्वजनिक हित के लिए नीचे दर्ज कर दूं। अत: वह भूमिका की इबारत सहित यह है-

हमारी संक्षिप्त जीवनी तथा हमारे उद्देश्य

मुझे इस समय एक पत्र छपी हुई एक दरख़्वास्त के साथ हाजी मुहम्मद इस्माईल खां साहिब रईस दत्तावली की ओर से मिला। जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि वह एक ऐसी पुस्तक लिखना चाहते हैं जिसमें हिन्दुस्तान और पंजाब के हर प्रकार के प्रसिद्ध लोगों का वर्णन हो। इसी कारण उन्होंने मुझ से भी मेरी जीवनी मांगी है और मैंने भी उचित समझा कि सार्वजनिक हित के लिए उन की इस दरख़्वास्त के अनुसार कुछ लिखूं और उनकी पुस्तक में प्रकाशित होने के लिए अपने खानदान को कुछ हाल तथा कुछ अपना व्यक्तिगत वृत्तान्त तथा कुछ अपने मसीह होने के दावे तथा उसके तर्कों के बारे में लिखूं परन्तु उन्होंने संक्षेप की पाबन्दी से इस कार्य का इरादा किया है वह इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं कुछ कम करते हुए कुछ विवरण सहित इस लेख को लिखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि खान साहिब मेरी कुछ दिनों की मेहनत तथा कष्ट उठाने का ध्यान रखकर उसके महत्त्व को पहचानते हुए उसे पूर्ण रूप से दर्ज करने से संकोच नहीं करेंगे।

यह बात स्पष्ट है कि जब तक किसी व्यक्ति की जीवनी का पूरा नक़्शा खींच कर न दिखलाया जाए तब तक कुछ पंक्तियां जो संक्षेप में हों पब्लिक को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकतीं तथा उनके लिखने से कोई विश्वसनीय परिणाम नहीं निकल सकता। जीवनी-लिखने से मूल उद्देश्य तो यह है ताकि उस युग के लोग या भावी नस्लें उन लोगों के जीवन की

बयान अब्दुल हमीद

मैं सुल्तान महमूद का बेटा हूं जो जेहलम में रहता था। मुझे अमृतसर आए उन्नीस-बीस दिन हुए हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब निवासी क़ादियान, ज़िला- गुरदासपुर ने मुझे अपने घर बुलाया, बातचीत की। उसने मुझ से कहा कि अमृतसर में डाक्टर क्लार्क के पास जाकर उसको किसी न किसी प्रकार से क़त्ल करूं। वह मुझे पहले से जानता था परन्तु उसने मुझे इस बात के बारे में उस विशेष दिन

शेष हाशिया - घटनाओं पर विचार करके उनके आचरण का कुछ नमूना हिम्मत या संयम-व-तक़्वा या ज्ञान-व-मारिफ़त या धर्म का समर्थन या मानवजाति की हमदर्दी या किसी अन्य प्रकार की प्रशंसनीय उन्नति का अपने लिए प्राप्त करें और कम से कम यह कि क़ौम के दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों की स्थितियों को मालूम करके उस प्रतिष्ठा एवं वैभव को मान लें जो इस्लाम के प्रतिष्ठित लोगों में हमेशा से पाया जाता रहा है ताकि उसको क़ौम की सहायता में विरोधियों के सामने प्रस्तुत कर सकें और या यह कि उन लोगों के पद या सच और झूठ के बारे में कुछ राय स्थापित कर सकें। स्पष्ट है कि ऐसी बातों के लिए घटनाओं के विवरण सहित कुछ जानने की प्रत्येक को आवश्यकता होती है और प्राय: ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति की घटनाओं को पढ़ते समय बहुत रूचि के साथ उसकी जीवनी का पढ़ना आरंभ करता है और हृदय में जोश रखता है कि उसकी सम्पूर्ण स्थितियों पर अवगत होकर उससे कुछ लाभ प्राप्त करे। तब यदि ऐसा संयोग हो कि जीवनी-लेखक ने अत्यन्त संक्षेप को ही पर्याप्त समझा हो और जीवनी के नक्शे को सफ़ाई से न दिखलाया हो तो यह व्यक्ति बहुत उदास और अप्रसन्न हो जाता है और प्राय: अपने हृदय में ऐसे जीवनी-लेखक पर ऐतराज़ भी करता है और वास्तव में वह इस ऐतराज़ का अधिकार भी रखता है। क्योंकि उस समय अत्यन्त उत्सुकता के कारण उसका उदाहरण ऐसा होता है कि जैसे एक भूखे के सामने नेअमत का थाल रखा जाए और उसी समय एक कौर (लुक़्मा) उठाते ही उस थाल को उठा लिया जाए। इसलिए उन बुज़ुर्गों का यह कर्त्तव्य है जो जीवनी लिखने के लिए कलम उठाएं कि अपनी पुस्तक को सब के लिए लाभकारी, सर्व प्रिय, तथा सर्वमान्य बनाने के लिए यशवान लोगों की जीवनी को धैर्य एवं बड़ी हिम्मत के साथ इतने विस्तार से लिखें और उनके जीवन को ऐसा पूर्ण करके प्रदर्शित करें कि उसका पढ़ना उनकी भेंट का स्थानापन्न हो जाए ताकि यदि वर्णन की ऐसे माधुर्य से किसी को प्रसन्नता हो तो (वह) उस जीवनी-लेखक की दुनिया और आख़िरत (परलोक) की भलाई के लिए दुआ भी

कहा- मैं सहमत हो गया कि मैं ऐसा ही करूंगा, जैसा उसने कहा था। मैंने यह बात इसलिए की थी कि मैं मुसलमान हूं और डाक्टर क्लार्क ईसाई थे। मिर्ज़ा साहिब ने मुझ से कहा था कि मुसलमान को ईसाई का क़त्ल करना वैध (जायज़) है। इस इरादे से फिर अमृतसर गया। मैंने डाक्टर क्लार्क के पास जाकर कहा कि मैं पहले हिन्दू था फिर मुसलमान हुआ और अब ईसाई होना चाहता हूं। मैंने उससे यह भी कहा कि मैं मिर्ज़ा साहिब की ओर से आया हूं। मुझे डाक्टर क्लार्क ने अस्पताल में भेज दिया।

जहां ईसाई रहते और शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं अमृतसर में चार-पांच दिन रहा

शेष हाशिया- करे और इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन महान अन्वेषकों ने नेक नीयत के साथ साथ सार्वजनिक हित के लिए क़ौम के विशिष्ट पुरूषों की जीवनियां लिखी हैं उन्होंने ऐसा ही किया है।

अत: मेरी जीवनी इस प्रकार से है कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद मेरे पिता का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा और दादा साहिब का नाम अता मुहम्मद और मेरे पर दादा साहिब का नाम गुल मुहम्मद था और जैसा कि बयान किया गया है हमारी क़ौम मुग़ल बिरलास है★ और मेरे बुज़ुर्गों के पुराने काग़ज़ों से जो अब तक सुरक्षित हैं ज्ञात होता है कि वे इस देश में समरकन्द से आए थे तथा उसके साथ उनके परिवार, सेवक और आज्ञाकारी लगभग दो सौ लोग थे और वह एक प्रतिष्ठित रईस की हैसियत से इस देश में आए और उस कस्बे के स्थान पर जो उस

★हाशिए का हाशिया- सत्रह या अठारह वर्ष का समय हुआ कि ख़ुदा तआला के निरन्तर इल्हामों से मुझे मालूम हुआ था कि मेरे बाप-दादे मूलत: फारसी हैं। मैंने वे समस्त इल्हाम उन ही दिनों में बराहीन अहमदिया के भाग - 2 में लिख दिए थे जिनमें से मेरे बारे में एक यह इल्हाम خذو التوحيد والتوحيد يا ابناء الفارس अर्थात् तौहीद को पकड़ो, तौहीद को पकड़ो हे फ़ारस के बेटो। फिर दूसरा इल्हाम मेरे बारे में यह हुआ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِّنْ فَارس अर्थात् यदि ईमान सुरैया से संबंधित होता तो यह मर्द जो फ़ारसी नस्ल से है वहीं जाकर उसे ले लेता और फिर एक तीसरा इल्हाम मेरे बारे में यह है اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ من فارس شكر الله سعيه अर्थात् जो लोग काफ़िर हुए उस मर्द ने जो फ़ारसी नस्ल से है उनके धर्मों को रद्द कर दिया। ख़ुदा उसकी कोशिश का कृतज्ञ है। ये समस्त इल्हाम प्रकट करते हैं कि हमारे पूर्वज फारसी थे। والحق ما اظهره الله इसी से।

फिर डाक्टर क्लार्क ने मुझे एक अन्य अस्पताल में भेज दिया जो ब्यास में है। कल डाक्टर क्लार्क ने मुझ से पूछा कि मैं अमृतसर क्यों आया था। फिर मैंने वास्तविकता बता दी तथा कह दिया कि मुझे मिर्ज़ा साहिब ने डॉक्टर क्लार्क को क़त्ल करने के लिए भेजा था और अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है और मैं इसके लिए पछताता हूं तथा तौबा करता हूं। मैंने यह बयान अपनी ही इच्छा तथा आज़ादी से लिखाया है। मैं दो-तीन महीने तक क़ादियान में मिर्ज़ा साहिब का मुरीद रहा हूं, पूर्व इसके कि उसने अमृतसर जाने के लिए कहा। क़ादियान जाने से पहले मैं गुजरात में रहा हूं, जहां मुझे एक पादरी शिक्षा देता था। वह मुझे रावलपिण्डी भेजना चाहता

शेष हाशिया- समय एक जंगल था जो लाहौर से लगभग पचास कोस की दूरी पर उत्तर-पूरब के एक कोने में है ठहर गए, जिसे उन्होंने आबाद करके उसका नाम इस्लामपुर रखा जो बाद में **इस्लामपुर क़ाज़ी माझी** के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शनैः शनैः इस्लामपुर का शब्द लोगों से विस्मृत हो गया और क़ाज़ी माझी के स्थान पर क़ाज़ी रह गया और फिर 'क़ादी' बना और फिर इस से बिगड़ कर **कादियां** बन गया। और क़ाज़ी माझी नाम रखने का कारण यह वर्णन किया गया है कि यह क्षेत्र जिसकी लम्बाई लगभग साठ कोस है। उन दिनों यह सारा क्षेत्र माझा कहलाता था। संभवत: इस कारण से इस का नाम माझा था क्योंकि इस क्षेत्र में भैंसे बहुत होती थीं और 'मझ' हिन्दी भाषा में भेंस को कहते हैं। चूंकि हमारे पूर्वजों को देहात की जागीरदारी के अतिरिक्त इस पूरे क्षेत्र का शासन भी प्राप्त था। इसलिए क़ाज़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्यों और किस कारण से हमारे पूर्वज समरक़न्द से इस देश में आए, परन्तु काग़ज़ों को देखने से ज्ञात होता है कि उस देश में भी वे सम्मानित रईसों तथा देश के शासकों के खानदान में से थे। उन्हीं किसी जातीय शत्रुता तथा फूट के कारण उस देश को छोड़ना पड़ा था फिर इस देश में आकर समय के बादशाह की ओर से बहुत से देहात उनको बतौर जागीर मिले। अत: इस क्षेत्र में उनकी एक स्थायी रियासत हो गई।

सिक्खों के प्रारंभिक युग में मेरे पड़ दादा मिर्ज़ा गुल-मुहम्मद साहिब इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध और यशवान रईस थे, जिन के पास उस समय पचासी (85) गांव थे। और बहुत से गांव सिक्खों के निरन्तर आक्रमणों से उनके कब्ज़े से निकल गए। फिर भी उनकी शूरता और दानशीलता की अवस्था यह थी कि इतने कम में से भी कई गांव उन्होंने हमदर्दी के तौर पर कुछ उपद्रव ग्रस्त मुसलमान रईसों को दे दिए थे, जो अब तक उनके पास हैं। निष्कर्ष यह कि वे (पूर्वज)

था परन्तु मुसलमानों ने मुझ पर क़ब्ज़ा करके मिर्ज़ा साहिब के पास भेज दिया। मेरा बाप ज़मींदार और मौलवी था। वह मिर्ज़ा साहिब का मुरीद नहीं था। उसकी मृत्यु के पश्चात् मेरे चाचा बुरहानुद्दीन ने मेरा पोषण किया। वह जेहलम में रहता था और मिर्ज़ा साहिब का मुरीद था। मेरा एक और चाचा लुक़मान था। उसने मेरी मां से मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् विवाह किया। कोई व्यक्ति मौजूद न था जब मिर्ज़ा साहिब ने मुझे अमृतसर जाने के लिए कहा, मुझे वह अपने मकान के एक अलग कमरे में ले गए और मुझ से यह कहा, मैं केवल क़ुर्आन पढ़ता था जब मैं मिर्ज़ा साहिब के पास था। मौलवी नूरुद्दीन मुझे पढ़ाता था। मिर्ज़ा साहिब मुझे

शेष हाशिया- उस अराजकता के युग में अपने क्षेत्र में आज़ाद रईस थे और उनके दस्तरख़्वान★ पर लगभग दो सौ आदमी कुछ कम या अधिक हमेशा भोजन करते थे और एक सौ के लगभग उलेमा, सदाचारी (सुलहा) तथा पवित्र क़ुर्आन के हाफ़िज़ उनके पास रहते थे जिनके पर्याप्त वज़ीफ़े (वेतन) निर्धारित थे तथा उनके दरबार में प्राय: अल्लाह और रसूल (स.) की बहुत चर्चा रहती थी तथा समस्त कर्मचारी तथा संबंधित लोगों में से कोई ऐसा न था जो नमाज़ छोड़ने वाला हो, यहां तक कि चक्की पीसने वाली औरतें भी पांच समय की नमाज़ और तहज्जुद पढ़ती थीं। आस-पास के क्षेत्रों के प्रतिष्ठित मुसलमान जो अधिकतर अफ़ग़ानी थे क़ादियान को जो उस समय इस्लामपुर कहलाता था, मक्का कहते थे क्योंकि उस उपद्रव युक्त युग में प्रत्येक मुसलमान के लिए यह मुबारक क़स्बा शरण स्थान था तथा अन्य अधिकांश स्थानों में कुफ़्र, पाप तथा अत्याचार दिखाई देता था और क़ादियान में इस्लाम, संयम, पवित्रता तथा न्याय की खुशबू आती थी। मैंने स्वयं उस युग से निकट का युग पाने वालों को देखा है कि वे क़ादियान की इतनी उत्तम हालत वर्णन करते थे कि जैसे वह उस युग में एक बाग़ था, जिसमें धर्म के सहायक, सदाचारी तथा उलेमा और अत्यन्त शालीन और बहादुर लोगों के सैकड़ों पौधे पाए जाते थे और उस क्षेत्र में ये घटनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं कि मिर्ज़ा गुल मुहम्मद साहिब स्वर्गीय उस समय के सूफियों के बड़े लोगों में से तथा विलक्षण निशानों और चमत्कार वाले थे। जिनकी संगत में रहने के लिए बहुत से वली, सदाचारी (सुलहा) और विद्वान क़ादियान में एकत्र हो गए थे और अद्भुत यह कि उनके कई चमत्कार ऐसे प्रसिद्ध हैं जिन के बारे में धर्म के विरोधियों का एक बड़ा समूह भी गवाही देता रहा है। निष्कर्ष यह कि वे रियासत और अमारत के अतिरिक्त अपनी ईमानदारी, संयम (तक़्वा),बहादुराना साहस, दृढ़ प्रतिज्ञ होना, धार्मिक सहायता, तथा मुसलमानों से

★भोजन करते समय जो कपड़ा बिछाया जाता है। (अनुवादक)

उस विशेष दिन से पहले जब उसने मुझे इस काम के लिए कहा बहुत प्रेम करता था। परन्तु इससे पूर्व उसने मुझ से डॉक्टर क्लार्क को क़त्ल करने की कभी बात नहीं की और न ही हकीम नूरुद्दीन ने। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति क़ादियान से मेरे बाद आया। मिर्ज़ा साहिब ने मुझ से कहा कि मैं डाक्टर क्लार्क को किसी अवसर पर जब मैं उसे अकेला पाऊं पत्थर से मार डालूं। मेरा चाचा बुरहानुद्दीन बड़ा जोशीला मुसलमान था। मिर्ज़ा साहिब ने मुझ से कहा था कि डाक्टर क्लार्क को क़त्ल करने के पश्चात् क़ादियान में चले आना, जहां बिल्कुल

शेष हाशिया- सहानुभूति की विशेषता में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी मज्लिस में बैठने वाले सब लोग संयमी, सदाचारी, इस्लाम के लिए स्वाभिमान रखने वाले, पाप एवं बुराईयों से दूर रहने वाले, बहादुर और रोब वाले लोग थे। अत: एवं मैंने कई बार अपने स्वर्गीय पिता श्री से सुना है कि उस युग में एक बार मुग़ल सरकार का एक मंत्री कादियान में आया जो ग़ियासुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध था। उसने मिर्ज़ा गुल मुहम्मद साहिब की प्रबंध कुशलता, समयानुसार कार्य करने, हिम्मत, दृढ़ प्रतिज्ञ होने, दृढ़ता, बुद्धि, विवेक, इस्लाम की सहायता, धार्मिक समर्थन का जोश, संयम, पवित्रता और दरबार की मर्यादा को देखा तथा उनके उस थोड़े से दरबार को अत्यन्त शांतचित्त, बुद्धिमान, सदाचारी तथा बहादुर पुरूषों से भरा पाया। तब वह आंखों में आए आंसुओं के साथ बोला कि यदि मुझे पहले ख़बर होती कि इस जंगल में मुग़ल ख़ानदान में से ऐसा मर्द मौजूद है जिसमें शासन करने की आवश्यक विशेषताएं पाई जाती हैं, तो मैं इस्लामी शासन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता कि चुग़ताई बादशाहों में आलस्य के दिनों तथा अयोग्यता एवं अशिष्टता में उसी को देहली के सिंहासन पर बिठाया जाए।

यहां इस बात का उल्लेख करना भी लाभ से खाली न होगा कि मेरे पड़दादा साहिब मिर्ज़ा गुल मुहम्मद ने हिचकी के रोग से जिसके साथ अन्य रोग भी थे मृत्यु पाई थी। रोग की तीव्रता के समय चिकित्सकों ने सहमत हो कर कहा कि इस रोग के लिए यदि कुछ दिन शराब का सेवन कराया जाए तो संभवत: लाभ होगा परन्तु साहस नहीं रखते थे कि उनकी सेवा में यह कहें। अन्तत: उनमें से कुछ ने बड़े नर्म शब्दों में कह दिया। तब उन्होंने कहा कि यदि ख़ुदा तआला रोग मुक्ति (शिफ़ा) देना चाहता हो तो उसकी उत्पन्न की हुई अन्य भी बहुत सी दवाएं हैं। मैं नहीं चाहता कि इस गन्दी वस्तु को इस्तेमाल करूं। मैं ख़ुदा के न्याय एवं प्रारब्ध पर संतुष्ट हूं। अन्तत: कुछ दिनों के पश्चात् उसी रोग से परलोक सिधार गए। मौत तो प्रारब्ध थी परन्तु उनके संयम का यह मार्ग सदैव के लिए यादगार रहा कि

सुरक्षित रहोगे। मैं ज़ात का गक्खड़ हूं। मैं सोलह या सत्रह वर्ष का हूं।

हस्ताक्षर ए.ई. मार्टीनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

मुहर: कापी सही हस्ताक्षर.. हेड क्लर्क

पढ़ाया गया और सही माना गया

1, अगस्त 1897 ई.

शेष हाशिया- मृत्यु को शराब पर चुन लिया। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, परन्तु उन्होंने पाप करने से मृत्यु को उत्तम समझा। खेद उन कुछ नवाबों, अमीरों तथा रईसों की दशा पर कि इस अस्थायी जीवन में अपने ख़ुदा और उसके आदेशों से पूर्णतया लापरवाह होकर तथा ख़ुदा तआला से समस्त संबंध तोड़कर दिल खोलकर पाप करते हैं और मदिरा को पानी की भांति पीते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को अत्यन्त दूषित तथा अपवित्र करके और स्वाभाविक आयु से भी वंचित होकर कुछ अन्य भयानक रोगों में ग्रस्त होकर शीघ्र ही मर जाते हैं और भावी नस्लों के लिए अत्यन्त बुरा नमूना छोड़ जाते हैं।

अत: सारांश यह है कि जब मेरे पड़दादा साहिब दिवंगत हुए तो उनकी बजाए मेरे दादा साहिब अर्थात् मिर्ज़ा अता मुहम्मद सुपुत्र उनके गद्दीनशीन★ हुए उनके समय में ख़ुदा तआला की हिकमत और औचित्य के अनुसार लड़ाई में सिक्ख विजयी हुए। स्वर्गीय दादा साहिब ने अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए बहुत उपाय किए परन्तु जबकि प्रारब्ध उनके इरादे के अनुकूल न था, इसलिए असफल रहे और कोई उपाय काम न आया और दिन-प्रतिदिन सिक्ख लोग हमारी रियासत के देहांत पर क़ब्ज़ा करते गए यहां तक कि स्वर्गीय दादा साहिब के पास केवल एक क़ादियान रह गया और क़ादियान उस समय एक क़िले के रूप में क़स्बा था, इसके चार गुंबद थे और इनमें फौज के लोग रहते थे और कुछ तोपें थीं तथा चारदीवारी बाईस फीट ऊंची और इतनी चौड़ी थी कि तीन छकड़े आसानी से एक दूसरे के समानांतर उस

★ **हाशिया का हाशिया-** हमारी वंशावली इस प्रकार से है:- मेरा नाम ग़ुलाम अहमद पुत्र मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब पुत्र मिर्ज़ा अता मुहम्मद साहिब पुत्र मिर्ज़ा गुल मुहम्मद साहिब पुत्र मिर्ज़ा फैज़ मुहम्मद साहिब पुत्र मुर्ज़ा मुहम्मद क़ायम साहिब पुत्र मिर्ज़ा मुहम्मद असलम साहिब पुत्र मिर्ज़ा मुहम्मद दिलावर साहिब पुत्र मिर्ज़ा अलादीन साहिब पुत्र मिर्ज़ा ज़ाफर बेग साहिब पुत्र मिर्ज़ा मुहम्मद बेग साहिब पुत्र मिर्ज़ा अब्दुल बाक़ी साहिब पुत्र मिर्ज़ा मुहम्मद सुलतान साहिब पुत्र मिर्ज़ा हादी बेग साहिब वंश प्रवर्तक। इसी से।

अदालत ए.ई. मार्टीनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर

अभियोक्ता-कैसर हिन्द, धारा 107 के तहत प्रतिवादी-मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियान, तहसील-बटाला

(अंग्रेज़ी से अनुवाद) बयान डाक्टर मार्टिन क्लार्क

मैं मैडीकल मिशनरी हूं और अमृतसर में रहता हूं। अब्दुल हमीद ने 15 जुलाई को मेरे पास आकर बयान किया कि मैं बटाला का ब्राहमण हूं। मुझे ग़ुलाम

शेष हाशिया- पर जा सकते थे। और ऐसा हुआ कि रामगढ़िया सिक्खों का एक समूह ने प्रथम धोखा देकर अनुमति प्राप्त करके क़ादियान में प्रवेश किया और फिर क़ब्ज़ा कर लिया। उस समय हमारे पूर्वजों पर बड़ी तबाही आई और इस्राईली जाति की भांति वे कैदियों के समान पकड़े गए और उनका धन एवं सामान सब लूट लिया गया। कई मस्जिदें तथा उत्तम मकान ध्वस्त कर दिए गए। असभ्यता एवं द्वेष से बागों को काट दिया गया और कुछ मस्जिदें जिन में से एक मस्जिद अब तक सिक्खों के क़ब्ज़े में है धर्मशाला अर्थात् सिक्खों का गुरूद्वारा बनाया गया। उस दिन हमारे बुज़ुर्गों का एक पुस्तकालय भी जलाया गया, जिसमें पवित्र क़ुर्आन की पांच सौ हस्तालिखित प्रतियां थीं जो अत्यन्त अनादर के साथ जलाई गई और अन्तत: सिक्खों ने कुछ सोच कर हमारे बुज़ुर्गों को निकल जाने का आदेश दिया। अत: समस्त पुरूषों तथा स्त्रियों को छकड़ों में बिठा कर निकाल दिया गया और उन्होंने पंजाब की एक रियासत में शरण ली। कुछ समय पश्चात् उन्हीं शत्रुओं की योजनाओं से मेरे दादा साहिब को ज़हर दिया गया। फिर रंजीत सिंह के शासन के अन्तिम दिनों में मेरे पिता जी स्वर्गीय मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ादियान में वापिस आए। और मिर्ज़ा साहिब को अपने आदरणीय पिता के गाँव में से पाँच गाँव वापिस मिले। क्योंकि इस बीच रंजीत सिंह ने दूसरी अन्य छोटी छोटी रियासतों को दबा कर अपनी एक बड़ी रियासत बना ली थी। अत: हमारे समस्त गांव भी रंजीत सिंह के अधीन आ गए थे और लाहौर से लेकर पेशावर तक और दूसरी ओर लुधियाना तक उसके शासन का सिलसिला फैल गया था। निष्कर्ष यह कि हमारी पुरानी रियासत समाप्त हो कर अन्त में पांच गांव हाथ में रह गए। फिर भी पुराने ख़ानदान की हैसियत से मेरे पिता श्री मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध रईस थे। गवर्नर जनरल के दरबार में कुर्सी नशीन रईसों के वर्ग में हमेशा आमंत्रित किए जाते थे। 1857 ई. में उन्होंने तत्कालीन सरकार की सेवा में पचास घोड़े पचास सवारों सहित अपनी जेब से ख़रीद कर दिए थे और भविष्य में सरकार को आवश्यकता पड़ने पर इस

अहमद क़ादियानी ने मुसलमान किया था और मैं उसके पास सात वर्ष विद्यार्थी बन कर रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि वह बहुत बुरा आदमी है, और अब उसको छोड़कर मैं ईसाई होना चाहता हूं। मैंने उसको शामिल कर लिया। उसकी कहानी मुझे उसकी बात अनुमान से उचित प्रतीत नहीं हुई। मैंने उसके बारे में छान-बीन आरंभ की तथा मुझे विदित हो गया कि यह कहानी बिल्कुल झूठी थी और उसका नाम अब्दुल हमीद था न कि अब्दुल मजीद जैसा उसने बयान किया था। न वह बटाला का ब्राह्मण था, बल्कि पैदायशी मुसलमान जेहलम के इलाके

शेष हाशिया- प्रकार की सहायता का आश्वासन भी दिया तथा सरकार के तत्कालीन अधिकारियों की ओर से शीघ्र ही उत्तम सेवाओं तथा तबियत की प्रसन्नता के लिए उनको पत्र मिले थे। अत: सर लेपिल ग्रीफ़िन साहिब ने भी अपनी पुस्तक 'तारीख़ रईसान पंजाब' में इन का वर्णन किया है। निष्कर्ष वह अधिकारियों की दृष्टि में बहुत सर्व प्रिय थे और प्राय: उनकी सांत्वना के लिए समय के अधिकारी डिप्टी-कमिश्नर कमिश्नर उनके मकान पर आकर उनसे भेंट करते थे। संक्षेप में यह मेरे ख़ानदान का वृत्तान्त है। मैं आवश्यक नहीं समझता कि इसे अधिक लम्बा करूं।

अब मेरी व्यक्तिगत जीवनी यह है कि मेरा जन्म 1839 या 1840 में सिक्खों के अन्तिम युग में हुआ है★ और मैं 1857 में सोलह वर्ष या सत्रहवें वर्ष में था और अभी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। मेरे जन्म से पूर्व मेरे पिता श्री ने बड़े-बड़े संकट देखे। एक बार हिन्दुस्तान की नंगे पैर सैर भी की, परन्तु मेरी पैदायश के दिनों में उनकी तंगी का समय समृद्धि की ओर परिवर्तित हो गया था और यह ख़ुदा तआला की रहमत (दया) है कि मैंने उनके संकटों के समय से कुछ भी हिस्सा नहीं लिया और न अपने दूसरे बुज़ुर्गों की रियासत और हुकूमत से कुछ हिस्सा पाया अपितु हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की भांति जिनके हाथ में केवल नाम का राजकुमार होना दाऊद की नस्ल से होने के कारण था और शासन के समस्त सामान खो बैठे थे ऐसा ही मेरे लिए भी कहने के लिए यह बात प्राप्त है कि ऐसे रईसों तथा शासकों की सन्तान में से हूं। कदाचित् यह इसलिए हुआ कि यह समानता भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पूरी हो। यद्यपि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भांति यह तो नहीं कह सकता कि

★**हाशिया का हाशिया-** नोट:- मैं जुड़वां पैदा हुआ था। एक लड़की जो मेरे साथ थी कुछ दिन के पश्चात् स्वर्गवासी हो गयी थी मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से ख़ुदा तआला ने स्त्रीत्व का तत्व मुझ से पूर्णतया पृथक कर दिया। इसी से।

का था। उसका चाचा बुरहानुद्दीन ग़ाज़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक उन्मादी है उनका सम्पूर्ण ख़ानदान मिर्ज़ा क़ादियानी का वफ़ादार मुरीद है। यह नौजवान ईसाई धर्म के अभिलाषियों की भांति गुजरात में रहा था। इसने अपने चाचा के चालीस रुपए चुरा कर बुरे कामों में ख़र्च किए। जिस पर उसके चाचा ने उसे मिर्ज़ा क़ादियानी के पास भेज दिया। मैं स्वयं ब्यास गया और उस से मालूम किया। और उसने पांच गवाहों के सामने स्पष्ट तौर पर इक़रार किया कि उसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने मेरे क़त्ल के लिए भेजा है। वह अवसर की तलाश में था कि वह जब कभी मुझे सोया हुआ

शेष हाशिया- मेरे लिए सिर रखने का स्थान नहीं तथापि मैं जानता हूं कि हमारे पूर्वजों की रियासत और हुकूमत की पूरी पंक्ति लपेटी गई और वह सिलसिला हमारे समय में आकर बिल्कुल समाप्त हो गया तथा ऐसा इसलिए हुआ ताकि ख़ुदा तआला नया सिलसिला स्थापित करे, जैसा कि बराहीन अहमदिया में

उस ख़ुदा तआला की ओर से यह इल्हाम है-

سُبۡحَانَ اللّٰہِ تَبَارَکَ و تَعَالٰی زَادَ مَجۡدَکَ یَنۡقَطِعُ اٰباءك و یَبۡدَءُ مِنۡك

अर्थात् ख़ुदा जो बहुत बरकतों वाला और बुलंद तथा पवित्र है उसने तेरी बुज़ुर्गी को तेरे खानदान की अपेक्षा अधिक किया। अब से तेरे बाप-दादों की चर्चा समाप्त कर दी जाएगी और ख़ुदा तुझ से शुरु करेगा और इसी प्रकार उसने मुझे खुशख़बरी दी कि "मैं तुझे बरकत दूंगा और बहुत बरकत दूंगा यहां तक कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूढेंगे।"

फिर मैं पहले कर्म की ओर लौटते हुए लिखता हूं कि बचपन के युग में मेरी शिक्षा इस प्रकार से हुई कि जब मैं छः सात वर्ष का था तो एक फ़ारसी जानने वाला शिक्षक मेरे लिए नौकर रखा गया, जिन्होंने पवित्र क़ुर्आन और कुछ फ़ारसी पुस्तकें मुझे पढ़ाईं। उस बुज़ुर्ग का नाम फ़ज़्ल इलाही था। जब मेरी आयु दस वर्ष की हुई तो एक अरबी जानने वाले मौलवी साहिब मेरी तबियत के लिए नियुक्त किए गए, जिनका नाम फ़ज़्ल अहमद था। मैं सोचता हूं कि चूंकि मेरी शिक्षा ख़ुदा तआला के फ़ज़्ल की एक प्रारंभिक बीजारोपण था। इसलिए उन शिक्षाओं के नाम का प्रथम शब्द भी फ़ज़्ल ही था। मौलवी साहिब जो एक धार्मिक और मान्य व्यक्ति थे। वह बहुत ध्यान और परिश्रम से पढ़ाते थे और मैंने सर्फ़ की कुछ पुस्तकें और कुछ नह्व (व्याकरण) के नियम उन से पढ़े। इसके पश्चात् जब मैं सत्रह या अठारह वर्ष का हुआ तो एक अन्य मौलवी साहिब से कुछ वर्ष पढ़ने का संयोग हुआ। उनका नाम गुल अली शाह था। उनको भी मेरे पिता श्री ने नौकर रख कर क़ादियान

या किसी अन्य स्थिति में पाए तो मेरे सिर को पत्थर या किसी अन्य ऐसी वस्तु से फोड़े। उसने ये सारी बातें अपनी इच्छा से लिखीं। मैं इस लिखे हुए काग़ज़ को प्रस्तुत करता हूं जिस पर उसने आठ गवाहों के सामने हस्ताक्षर किए। मिर्ज़ा साहिब से मेरा परिचय उस मुबाहसे के समय से है जो 1893ई. की गर्मियों के मौसम में हुआ था। मैंने उस मुबाहसे में बहुत भारी हिस्सा लिया था। यह मुबाहिसा इस में और एक बड़े विद्वान ईसाई अब्दुल्लाह आथम के मध्य हुआ जो मर गया है। मैं सभापति था तथा दो अवसरों पर मिस्टर आथम के स्थान पर बतौर मुबाहिस के

शेष हाशिया- में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। अन्त में कथित मौलवी साहिब से मैंने नह्व (व्याकरण) और तर्क शास्त्र और चिकित्सा इत्यादि संबंधी प्रचालित विद्याओं को जहां तक ख़ुदा तआला ने चाहा प्राप्त किया तथा कुछ तिब्ब की पुस्तकें मैंने अपने पिता श्री से पढ़ीं। वह तिब्ब की कला में बहुत निपुण चिकित्सक थे। उन दिनों में मुझे पुस्तकों को देखने की ओर इतना अधिक ध्यान था कि जैसे मैं संसार में न था। मेरे पिता श्री मुझे बार-बार यही निर्देश देते थे कि पुस्तकों का अध्ययन को कम करना चाहिए, क्योंकि वह अत्यन्त हमदर्दी से डरते थे कि स्वास्थ्य ख़राब न हो जाए। इसके अतिरिक्त उन का यह भी उद्देश्य था कि मैं कार्य से पृथक होकर उन रंजों और गमों में भागीदार हो जाऊं। अन्ततः ऐसा ही हुआ। मेरे पिता श्री अपने कुछ बाप-दादों के देहात को दोबारा लेने के लिए अंग्रेज़ी अदालतों में मुक़द्दमे कर रहे थे। उन्होंने उन्हीं मुकद्दमों में मुझे भी लगाया और एक लम्बे समय तक मैं इन कार्यों में व्यस्त रहा। मुझे खेद है कि मेरा बहुत सा प्रिय समय इन व्यर्थ झगड़ों में नष्ट हुआ और इसके साथ ही पिता श्री ने ज़मींदारी मामलों की निगरानी पर मुझे लगा दिया। मैं इस स्वभाव और प्रकृति का व्यक्ति नहीं था, इसलिए प्रायः पिता श्री की अप्रसन्नता का निशाना रहता रहा। उनकी हमदर्दी और मेहरबानी मुझ पर अत्यधिक थी, परन्तु वह चाहते थे संसारिक लोगों की तरह मुझे बना दें और मेरा स्वभाव इस मार्ग से बहुत विमुख था। एक बार एक कमिश्नर साहिब ने क़ादियान में आना चाहा। मेरे पिता श्री ने मुझ से बार-बार कहा कि उनके स्वागत के लिए दो तीन कोस जाना चाहिए, परन्तु मेरे स्वभाव ने अत्यन्त घृणा की ओर मैं बीमार भी था इसलिए न जा सका। अतः यह बात भी उनकी अप्रसन्नता का कारण हुई। वह चाहते थे कि मैं सांसारिक मामलों में हर दम डूबा रहूं जो मुझ से नहीं हे सकता था, परन्तु मैं सोचता हूं कि मैंने अच्छी नीयत से न कि दुनिया के लिए अपितु

बैठा था। मिर्ज़ा साहिब को बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उसने (मिर्ज़ा साहिब ने) उन सब की मौत की भविष्यवाणी की थी जिन्होंने उस मुबाहसे में भाग लिया था। मेरा भाग बहुत बड़ा था। उस समय से मेरे साथ इसका व्यवहार बहुत ही विरोधात्मक रहा। इस मुबाहिसे के बाद विशेष रुचि का केन्द्र मिस्टर आथम रहा उसके प्राण लेने के लिए चार अलग प्रयास किए गए। उसकी मृत्यु की निर्धारित अवधि के अन्तिम दो माह में फिरोज़पुर में दिन-रात विशेष पुलिस का पहरा रखा गया। उसे अमृतसर से अंबाला और अंबाला से फिरोज़पुर भागना पड़ा। (इन प्रयासों

शेष हाशिया- केवल पुण्य और अनुसरण प्राप्त करने के लिए अपने पिता श्री की सेवा में स्वयं को लीन कर दिया था तथा उनके लिए दुआ में भी व्यस्त रहता था और वह मुझे हार्दिक विश्वास से बिर्र बिलवालिदैन (माता-पिता के साथ नेकी करने वाला) जानते थे और कभी-कभी कहा करते थे कि "मैं केवल दया के तौर पर अपने इस बेटे को दुनिया के मामलों की ओर ध्यान दिलाता हूं अन्यथा मैं जानता हूं कि जिस ओर इसका ध्यान है अर्थात् धर्म की ओर "उचित और सच बात यही है हम तो अपनी आयु नष्ट कर रहे हैं" इसी प्रकार उनकी छत्र छाया में होने के दिनों में कुछ वर्षों तक मेरी आयु नापसन्दीएदगी के बावजूद अंग्रेज़ी नौकरी में व्यतीत हुई। अन्ततः चूंकि मेरा अलग रहना मेरे पिता श्री पर बहुत भारी था, इसलिए उनके आदेश से जो बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार था मैंने त्याग पत्र देकर स्वयं को उस नोकरी से जो मेरी तबियत के विरूद्ध थी अलग कर दिया और फिर पिता श्री की सेवा में उपस्थित हो गया। इस अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि अधिकतर नौकरी पेशा अत्यन्त गन्दा जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से रोज़ा-नमाज़ के पाबन्द हों और जो इन अवैध आनन्दों से स्वयं को बचा सकें जो आज़मायश के तौर पर उनके सामने आते रहते हैं। मैं हमेशा उनके मुंह देखकर हैरान रहा और अधिकांश को ऐसा पाया कि उनकी समस्त हार्दिक इच्छाएं माल-व-सामान तक चाहे वैध के कारण से हो अथवा अवैध के द्वारा हो सीमित थीं और बहुत से लोगों के दिन-रात के प्रयास केवल इस संक्षिप्त जीवन की भौतिक उन्नति के लिए व्यस्त देखे। मैंने नौकरी करने वाले लोगों के समूह में बहुत कम ऐसे लोग पाए कि जो केवल ख़ुदा तआला की श्रेष्ठता को स्मरण करे, उत्तम शिष्टाचार, शालीनता, सतीत्त्व, आवभगत, विनय, विनम्रता, सृष्टि से सहानुभूति, आन्तरिक पवित्रता, वैध खाना, सत्य बोलना तथा संयम की विशेषता अपने अन्दर रखते

के कारण जो उसके प्राण लेने के लिए किए गए) और ये प्रयास सामान्यतया मिर्ज़ा साहिब से सम्बद्ध किए गए हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात् मैं ही नज़रों के सामने रहा हूं और कई अस्पष्ट प्रकारों से मिर्ज़ा साहिब की पुस्तकों में यह भविष्यवाणी मुझे स्मरण कराई गई है जिसके लिए सबसे बड़ा वह प्रयास था जिसे अब्दुल हमीद ने बयान किया है। लाहौर में लेखराम की मृत्यु के पश्चात् जिसे समस्त लोग मिर्ज़ा साहिब की ओर सम्बद्ध करते हैं मेरे पास इस बात पर विश्वास करने के लिए विशेष कारण था कि मेरे प्राण लेने के लिए कोई न कोई प्रयास किया जाएगा। मैं तीन माह के अवकाश पर गया हुआ था। मेरी वापसी पर मेरा आना मिर्ज़ा साहिब को तुरन्त मालूम हो गया और अब्दुल हमीद मेरे पास पहुंच गया। अब्दुल हमीद

शेष हाशिया- हों, बल्कि बहुत से लोगों को अभिमान, बदचलनी, धर्म में लापरवाही तथा नाना प्रकार के नीच शिष्टाचार में शैतान के भाई पाया और चूंकि ख़ुदा तआला की यह दूरदर्शिता थी कि हर-प्रकार तथा हर प्रकार के मनुष्यों का मुझे अनुभव प्राप्त हो। इसलिए प्रत्येक संगत में मुझे रहना पड़ा और मस्नवी रूमी के कथनानुसार वे सम्पूर्ण दिन मैंने अत्यन्त घृणा और पीड़ा के साथ व्यतीत किए।

من بہر جمعیتے نالاں شدم　　　جفت خوشحالاں و بد حالاں شدم
ہر کسے از ظن خود شدیار من　　　وزدرون من بخست اسرار من

अनुवाद - मैं हर सभा में रोया और ख़ुशहाल तथा बदहाल लोगों के साथ रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने विचार के अनुसार मेरा यार बना और मेरे अन्दर से मेरे भेदों को जानने की इच्छा न की। (अनुवादक)

और जब मैं हज़रत पिता श्री (स्वर्गीय) की सेवा में फिर उपस्थित हुआ तो दस्तूर के अनुसार उन्हीं ज़मींदारी के कार्यों में व्यस्त हो गया परन्तु समय का अधिकांश भाग पवित्र क़ुर्आन पर विचार करने, तफ़्सीरों एवं हदीसों के देखने में व्यय होता था और प्राय: हज़रत पिता श्री को वे पुस्तकें सुनाया भी करता था और मेरे पिता श्री अपनी असफ़लताओं के कारण अधिकतर शोक एवं ग़म में ग्रस्त रहते थे। उन्होंने मुकद्दमों की पैरवी में सत्तर हज़ार के लगभग रुपया ख़र्च किया था जिसका अन्तिम परिणाम असफ़लता थी, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों के देहात काफी समय से हमारे अधिकार से निकल चुके थे और उनका वापस आना व्यर्थ

के बयान पर विश्वास करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण हैं। इसके अतिरिक्त इस बात का विश्वास करने के लिए कि मिर्ज़ा साहिब मुझे हानि पहुंचाने का इरादा रखते हैं मिर्ज़ा साहिब का हमेशा का यह एक उपाय है कि वह अपने विरोधियों की मृत्यु की भविष्यवाणियां करते हैं।

पढ़कर सुनाया गया, स्वीकार किया गया।

हस्ताक्षर-ए.ई. मार्टीनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
हस्ताक्षर " " "

बयान अब्दुल हमीद- मैंने ही यह काग़ज़ जो डाक्टर क्लार्क ने प्रस्तुत किया है लिखा था और हस्ताक्षर किए थे।

हस्ताक्षर हाकिम

शेष हाशिया- विचार था। इसी असफलता के कारण हज़रत पिता श्री स्वर्गीय एक अत्यन्त गहरे शोक और संताप तथा बेचैनी के भंवर में जीवन व्यतीत करते थे और मुझे उन परिस्थितियों को देखकर एक पवित्र परिवर्तन पैदा करने का अवसर प्राप्त होता था, क्योंकि हज़रत पिता श्री के कटु जीवन का नक्शा मुझे उस निस्वार्थ जीवन का पाठ देता था जो संसारिक अपवित्रताओं से पवित्र है यद्यपि हज़रत मिर्ज़ा साहिब के कुछ देहात का स्वामित्व शेष था तथा अंग्रेज़ी सरकार की ओर से कुछ वार्षिक इनाम भी निर्धारित था और नौकरी के दिनों की पेन्शन भी थी, परन्तु जो कुछ वह देख चुके थे उसे देखते हुए यह सब कुछ तुच्छ था। इसी कारण वह हमेशा शोक एवं संताप में रहते थे और बहुधा कहते थे कि मैंने जितना प्रयास इस अपवित्र दुनिया के लिए किया है यदि मैं यह प्रयास धर्म के लिए करता तो कदाचित आज समय का क़ुतुब या ग़ौस होता तथा प्राय: यह शे'र पढ़ा करते थे

عمر بگذشت و نماندست جزایا ے چند
بہ کہ دریا دکسے صبح کنم شامے چند

अनुवाद - आयु बीत गई और कुछ दिनों से अधिक जीवन शेष रहा अब बेहतर यही है कि किसी की याद (ख़ुदा की याद) में जीवन की सुबह और शाम व्यतीत करूँ। (अनुवादक)

और मैंने कई बार देखा वह एक अपना बनाया हुआ शे'र आर्द्रता के साथ पढ़ते थे और वह यह है-

ازدرِ تواے کسِ ہر بیکسے نیست امیدم کہ روم نا امید

अदालत ए.ई. मार्टिनो साहिब बहादुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर

अभियोक्ता क़ैसर हिन्द	धारा 107 के तहत	बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियान

आदेश

अब्दुल हमीद और डाक्टर क्लार्क के बयान प्रकट करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अब्दुल हमीद को डाक्टर क्लार्क निवासी अमृतसर को क़त्ल

शेष हाशिया- अनुवाद - हे समस्त असहायों के सहायक! मैं तेरी चौखट से निराश चला जाऊँ यह मुझे उम्मीद नहीं है। (अनुवादक)

और कभी हार्दिक दर्द के साथ यह अपना यह शे'र पढ़ा करते थे-

بآب دیدۂ عشاق وخاکپائے کسے
مراد لے ست کہ درخوں تپد بجائے کسے

अनुवाद - आशिकों की आँखों से बहने वाले आंसुओं की क़सम और महबूब के पैरों की धूल की क़सम! मेरा दिल ऐसा है कि किसी के लिए (अर्थात् महबूब के लिए) ख़ून में धड़कता है।

ख़ुदा तआला के सामने खाली हाथ जाने की निराशा का, अन्तिम आयु में दिन-प्रतिदिन उन पर प्रभुत्व होता गया था, प्राय: खेद से कहा करते थे कि दुनिया के व्यर्थ बखेड़ों के लिए मैंने अपनी उम्र अकारण नष्ट कर दी। एक बार हज़रत पिता श्री ने यह स्वप्न वर्णन किया कि "मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि एक बड़ी शान के साथ मेरे मकान की तरफ़ चले आते हैं जैसा कि एक महा वैभवशाली बादशाह आता है। मैं उस समय आपकी तरफ़ स्वागत के लिए दौड़ा, जब निकट पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ भेंट प्रस्तुत करनी चाहिए। यह कह कर जेब में हाथ डाला जिसमें केवल एक रुपया था। और जब ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि वह भी खोटा है। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर आंखें खुल गईं।" और फिर स्वयं ही ताबीर (अर्थ) बताने लगे कि दुनियादारी के साथ ख़ुदा और रसूल का प्रेम एक खोटे रुपए की भांति है। फ़रमाया करते थे कि मेरी तरह मेरे पिता श्री का भी जीवन का अन्तिम भाग कष्ट, ग़म और शोक

करने के लिए प्रेरित किया। इस बात पर विश्वास करने के लिए कारण है कि कथित मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद शान्ति भंग करने वाला होगा या कोई गिरफ्त करने योग्य कार्य करेगा जो इस ज़िले में शान्ति भंग करने वाला होगा। इस बात की इच्छा की गई है कि इस से शान्ति-रक्षा की ज़मानत ली जाए। घटना क्रम इस प्रकार है कि जिससे उसकी गिरफ़्तारी के लिए धारा 114 कानून फौजदारी के अन्तर्गत वारंट जारी करना आवश्यक मालूम होता है इसलिए मैं इसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता हूं, और उसको निर्देश देता हूं कि वह आकर बयान करे कि क्यों न धारा 107 कानून फौजदारी के अन्तर्गत शान्ति की रक्षा के लिए एक वर्ष के लिए बीस हज़ार

शेष हाशिया- में ही गुज़रा और जहां हाथ डाला अन्ततः असफलता थी और अपने पिता श्री अर्थात् मेरे परदादा साहिब का एक शे'र भी सुनाया करते थे जिसका एक चरण लेखक भूल गया है और दूसरा यह है कि-

"जब तदबीर करता हूं तो फिर तक़्दीर हंसती है" और यह उन का शोक और संताप वृद्धावस्था में बहुत बढ़ गया था। इसी विचार से लगभग छः माह पूर्व हज़रत पिता श्री ने इस कस्बे के बीच में एक मस्जिद का निर्माण किया जो यहां की जामिअ मस्जिद है और वसीयत की कि मस्जिद के एक कोने में मेरी क़ब्र हो ताकि महा तेजस्वी एवं प्रतापी ख़ुदा का नाम मेरे कान में पड़ता रहे। क्या अद्‌भुत कि यही क्षमा का माध्यम हो। अतः जिस दिन मस्जिद की इमारत हर प्रकार से पूर्ण हो गई और शायद फ़र्श की कुछ ईंटें शेष थीं कि हज़रत पिता श्री का कुछ दिन बीमार रह कर पेचिश् के रोग से निधन हो गया और उस मस्जिद के उसी कोने में जहां उन्होंने खड़े होकर निशान लगाया था, दफ़्न किए गए। हे ख़ुदा उन पर दया (रहम) कर और उन्हें स्वर्ग में दाख़िल कर। आमीन, अस्सी या पचासी वर्ष के लगभग आयु पाई।

उन की ये हसरत की बातें कि मैंने क्यों दुनिया के लिए प्रिय समय खोया, अब तक मेरे दिल पर कष्ट दायक प्रभाव डाल रही हैं और मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो संसार का अभिलाषी होगा अन्त में इस हसरत को साथ ले जाएगा जिसने समझना हो समझे। मेरी उम्र चोंतीस या पेंतीस वर्ष की होगी जब हज़रत पिता श्री का निधन हुआ। मुझे एक स्वप्न में बताया गया था कि अब उनके निधन का समय निकट है। मैं उस समय लाहौर में था जब मुझे यह स्वप्न आया था। तब मैं जल्दी से क़ादियान पहुंचा और उनको पेचिश के रोग

रुपए का मुचल्का और बीस हज़ीर रुपए की दो अलग-अलग ज़मानतें ली जाएं।

हस्ताक्षर ए.ई. मार्टिनो

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर 1,अगस्त 1897 ई.

मैंने वारंट का जारी करना रोक दिया है क्योंकि यह मुक़द्दमा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

देखो इण्डियन ला रिपोर्ट न. 11, कलकत्ता-713, 12 कलकत्ता 133 और 6 इलाहाबाद और 26

डिस्ट्रिक्ट मिजिस्ट्रेट गुरदासपुर के पास कार्यवाही हेतु भेजा जाए।

हस्ताक्षर-ए.ई. मार्टिनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 7, अगस्त 1897 ई.

शेष हाशिया- में ग्रस्त पाया परन्तु यह आशा कदापि न थी कि वह मेरे आने के दूसरे दिन परलोक सिधार जाएंगे क्योंकि रोग की तीव्रता में कमी आ गई थी और वह बड़ी दृढ़ता से बैठे रहते थे। दूसरे दिन दोपहर की गर्मी के समय हम सब लोग उनके पास उपस्थित थे कि मिर्ज़ा साहिब ने महरबानी से मुझ से कहा- कि इस समय तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि जून का महीना था और गर्मी बहुत पड़ती थी। मैं आराम के लिए एक चौबारे में चला गया और एक नौकर पैर दबाने लगा कि इतने में थोड़ी सी ऊंघ आकर मुझे इल्हाम हुआ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِق (**वस्समाए वत्तारिक)** अर्थात् क़सम है आसमान की जो प्रारब्ध का उद्गम है और क़सम है उस दुर्घटना की जो आज सूर्य अस्त होने के पश्चात् आएगी और मुझे समझाया गया कि यह इल्हाम बतौर मृत्यु-शोक ख़ुदा तआला की तरफ़ से है तथा दुर्घटना यह है कि "आज ही तुम्हारे पिता का सूर्यास्त के पश्चात् निधन हो जाएगा।" सुब्हानल्लाह ख़ुदा का क्या महान वैभव है कि एक व्यक्ति जो अपनी उम्र व्यर्थ होने पर हसरत करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसके निधन को मृत्यु-शोक के तौर पर वर्णन करता है। इस बात से अधिकतर लोग आश्चर्य करेंगे कि ख़ुदा तआला का मृत्यु शोक क्या अर्थ रखता है। परन्तु स्मरण रहे कि महान सम्मान वाला और वैभव शाली ख़ुदा जब किसी को दया-दृष्टि से देखता है तो एक मित्र के समान उससे ऐसे व्यवहार करता है। अत: ख़ुदा तआला का हंसना भी जो हदीसों में आया है इन्हीं अर्थों के अनुसार है।

अत: सारांश यह है कि जब मुझे स्वर्गीय पिता श्री के निधन के बारे में अल्लाह तआला की ओर से यह इल्हाम हुआ जो मैंने अभी वर्णन किया है तो इन्सान होने के कारण मुझे विचार आया कि आय के कुछ साधन हज़रत पिता श्री के जीवन से सम्बद्ध हैं फिर न

नक़ल मुताबिक़ असल

अदालत द्वारा सत्यापित

अदालत कप्तान एम.डब्लयू. डगलस साहिब डिस्टरिक्ट मजिस्ट्रेट
ज़िला- गुरदासपुर

9 अगस्त 1897 ई.

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद पुत्र मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा, क़ौम-मुग़ल निवासी क़ादियान परगना-बटाला, ज़िला-गुरदासपुर

जिबल समय हमको साहिब मजिस्ट्रेट ज़िला-अमृतसर से सूचना प्राप्त हुई है तथा डाक्टर मार्टिन क्लार्क तथा अब्दुल हमीद से जो साहिब मजिस्ट्रेट बयान लिखे

शेष हाशिया- जाने किन-किन परीक्षाओं का सामना करना होगा, तब उस समय यह दूसरा इल्हाम हुआ-

اَلَیْسَ اللّٰہُ بِکَافٍ عَبْدَہٗ

अर्थात् क्या ख़ुदा अपने बन्दे के लिए पर्याप्त नहीं है। इस इल्हाम ने अद्‌भुत धैर्य और सन्तोष प्रदान किया और फौलादी खूंटे की तरह मेरे दिल में धंस गया। अत: मुझे उस महा तेजस्वी ख़ुदा की क़सम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसने अपने इस ख़ुशख़बरी वाले इल्हाम को मुझे इस प्रकार से सच्चा करके दिखलाया कि मेरी कल्पना और विचार में भी न था। मेरा वह ऐसा अभिभावक हुआ कि कभी किसी का पिता ऐसा अभिभावक कदापि नहीं होगा। मुझ पर उसके वे निरन्तर उपकार हुए कि बिल्कुल असंभव है कि मैं इन्कार कर सकूं और मेरे पिता श्री का उसी दिन सूर्यास्त के पश्चात् निधन हो गया। यह एक पहला दिन था जो मैंने ख़ुदा के इल्हाम द्वारा दया का ऐसा निशान देखा। जिसके बारे में सोच नहीं सकता कि मेरे जीवन में कभी अलग हो। मैंने उस इल्हाम को उन्हीं दिनों में एक नगीने में ख़ुदवा कर उसकी एक अंगूठी बनाई जो बड़ी सुरक्षा से अब तक रखी हुई है। मेरा जीवन लगभग चालीस वर्ष मेरे महान पिता श्री की छत्र छाया के अन्तर्गत गुज़रा। एक ओर उनका दुनिया से उठाया जाना था और एक ओर बड़ी धूमधाम से मुझ से ख़ुदा के वार्तालाप का सिलसिला आरंभ हुआ। मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता कि कौन सा कर्म था जिसके कारण ख़ुदा की यह कृपा मेरे साथ हुई। अपने अन्दर केवल यह अहसास करता हूं कि स्वाभाविक तौर पर मेरे दिल को ख़ुदा तआला की तरफ़ वफ़ादारी के साथ एक आकर्षण है जो किसी चीज़ के रोकने से रुक नहीं सकता। अत: यह उसी की इनायत (कृपा) है। मैंने कभी कठिन

हैं तथा हमारे पास भेजे गए हैं कथित सूचना का समर्थन होता है कि तुम ने अब्दुल हमीद को डाक्टर मार्टिन क्लार्क को क़त्ल करने की प्रेरणा दी है। इसलिए संभावना है कि तुम शान्ति भंग करने वाले हो या ऐसा कार्य करने वाले हो जिससे संभवतः शान्ति भंग होगी। अतः इस आदेश द्वारा तुम्हें आदेश होता है कि दिनांक 10 अगस्त 1897 ई. दिन मंगलवार ज़िला मजिस्ट्रेट के सामने स्थान-बटाला अदालत के समय उपस्थित होकर इस मामले का कारण स्पष्ट करो कि क्यों तुम से मुचल्का एक हज़ार रूपया बतौर क्षतिपूर्ति लोगों में शान्ति की रक्षा के इक़रार के साथ एक वर्ष की अवधि तक के लिए न लिया जाए। और ज़मानत नामः दो ज़मानत देने वालों, जिनमें से प्रत्येक ज़ामिन (ज़मानत देने वाला) एक हज़ार रूपया की शर्त के साथ बतौर क्षतिपूर्ति दाख़िल न कराया जाए।

शेष हाशिया- तपस्याएं (इबादतें) भी नहीं कीं और न वर्तमान युग के सूफ़ियों की भांति अपने नफ़्स को कठिन परिश्रमों में डाला और न एकान्तवास की अनिवार्यता से कोई चिल्लाकशी* की और न सुन्नत के विरुद्ध कोई संसार-त्याग का ऐसा कार्य किया जिस पर ख़ुदा तआला के कलाम को ऐतराज़ हो अपितु मैं हमेशा ऐसे फ़क़ीरों और बिदअती लोगों से विमुख रहा जो नाना प्रकार की बिदअतों में ग्रस्त हैं। हां हज़रत पिता श्री के समय में ही जबकि उनके निधन का समय बहुत निकट था एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक वृद्ध बुज़ुर्ग पवित्र रूप मुझे स्वप्न में दिखाई दिया और उसने यह वर्णन करके कि "कुछ रोज़े आसमानी प्रकाशों के स्वागत के लिए रखना नुबुव्वत के खानदान की सुन्नत है।" इस बात की ओर संकेत किया कि मैं इस नबियों के ख़ानदान की सुन्नत का पालन करूँ। अतः मैंने कुछ अवधि तक रोज़े की अनिवार्यता को उचित समझा परन्तु साथ ही यह विचार आया कि इस मामले को गुप्त तौर पर सम्पन्न करना उचित है। अतः मैंने यह ढंग अपनाया कि घर से मर्दाना बैठक में अपना खाना मंगवाता और फिर वह खाना गुप्त तौर पर कुछ अनाथ बच्चों को जिनको मैंने पहले से सुनिश्चित करके समय पर हाज़िरी के लिए बल देकर कह दिया था, दे देता था और इस प्रकार पूरा दिन रोज़े में गुज़ारता और ख़ुदा तआला के अतिरिक्त इन रोज़ों की किसी को ख़बर न थी। फिर दो-तीन सप्ताह के बाद मुझे मालूम हुआ कि ऐसे

---

*चिल्लाकशी- किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए नियम पूर्वक चालीस दिन तक बहुत इबादत (तपस्या) करना। (अनुवादक)

आज दिनांक 9 अगस्त सन् 1897 ई. हमारे हस्ताक्षर तथा अदालत की मुहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर

नम्बर-4

सम्मन बनाम प्रतिवादी

धारा 152 के अनुसार कानून फौजदारी के अनुसार

अदालत कप्तान डगलस साहिब, ज़िला मजिस्ट्रेट

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद पुत्र मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ौम-मुग़ल

निवासी क़ादियां मुग़लाँ, परगना-बटाला, ज़िला-गुरदासपुर जो कि उपस्थित होना तुम्हारा धारा 107 क़ानून फौजदारी का उत्तर देने के लिए आवश्यक है।

शेष हाशिया- रोज़ों से जो एक समय में पेट भरकर रोटी खा लेता हूं। मुझे कुछ भी कष्ट नहीं, उचित है कि खाने को किसी हद तक कम करूं। इसलिए मैं उस दिन से खाने को कम करता गया, यहां तक कि मैं पूरे दिन-रात में केवल एक रोटी को पर्याप्त समझता था और इसी प्रकार मैं खाने को कम करता गया, यहां तक कि शायद केवल कुछ तोला रोटी में से आठ पहर के बाद मेरी ख़ुराक थी। संभवत: आठ या नौ माह तक मैंने ऐसा ही किया और इतनी कम ख़ुराक के बावजूद कि दो-तीन माह का बच्चा भी इस पर सब्र नहीं कर सकता, ख़ुदा तआला ने मुझे प्रत्येक विपत्ति और कष्ट से सुरक्षित रखा और इस प्रकार के रोज़ों से चमत्कारों में से जो मेरे अनुभव में आए वे पवित्र कश्फ़ हैं जो उस समय मुझ पर खुले। अत: कुछ पहले नबियों से मुलाकातें हुईं और जो उच्च वर्ग के वली लोग इस उम्मत में गुज़र चुके हैं उन से मुलाकाल हुई। एक बार बिलकुल जागृत अवस्था में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन, हुसैन, अली रज़ि. तथा फ़ातमा रज़ि. सहित देखा और यह स्वप्न न था बल्कि जागने का एक प्रकार था। निष्कर्ष यह कि इसी तरह पर कई पवित्र लोगों से मुलाकातें हुईं जिनका वर्णन करना विस्तार चाहता है। इसके अतिरिक्त रूहानी प्रकाश उपमा के तौर पर हरे और लाल मनोहर एवं मनमोहक स्तंभ के रूप में दिखाई देते थे जिन का वर्णन करना लिखने की शक्ति से सर्वथा बाहर है। वे प्रकाशीय स्तंभ जो सीधे आकाश की ओर गए हुए थे जिनमें से कुछ चमकदार सफ़ेद तथा कुछ हरे और कुछ लाल थे। उनको दिल से ऐसा संबंध था कि उन्हें देखकर दिल को अत्यन्त आनन्द मिलता था और दुनिया में

इसलिए तुम्हें इस पत्र द्वारा आदेश दिया जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 1897 ई. को स्वयं या किसी अधिकृत मुख़्तार द्वारा या जैसा हो अवसर पर बटाला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो। इस बारे में ताकीद जानो।

हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट ज़िला-गुरदासपुर

नक़ल बयान सहित मिस्ल अदालत कप्तान एम.डब्लयू. डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर, ज़िला-गुरदासपुर

(मुहर अदालत) अदालत द्वारा स्थापित

सरकार दौलत मदार क़ैसर हिन्द डाक्टर मार्टिन क्लार्क द्वारा

अभियोक्ता अपराध 107 कानून फ़ैजदारी

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी प्रतिवादी

शेष हाशिया- ऐसा कोई भी आनंद नहीं होगा जैसा कि उनको देखकर दिल और रूह को आनन्द आता था। मेरे विचार में है वे स्तंभ ख़ुदा तआला और बन्दे के प्रेम के मिश्रण से एक उपमा के रूप में प्रकट किए गए थे अर्थात् वह एक प्रकाश था जो दिल से निकला और दूसरा वह प्रकाश था जो ऊपर से उतरा तथा दोनों के मिलने से एक स्तंभ जैसा बन गया। ये रूहानी बातें हैं कि दुनिया उनको नहीं पहचान सकती क्योंकि वे दुनिया की आंखों से बहुत दूर हैं परन्तु दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें इन बातों की ख़बर मिलती है।

अत: इस अवधि तक रोज़े रखने से जो चमत्कार मुझ पर प्रकट हुए वे नाना प्रकार के कश्फ़ थे, एक अन्य लाभ मुझे यह प्राप्त हुआ कि मैंने इन पराक्रमों के पश्चात् अपने नफ़्स को ऐसा पाया कि मैं आवश्यकता पड़ने पर भूखे रहने पर अधिक से अधिक सब्र (धैर्य) कर सकता हूं। मैंने कई बार सोचा कि यदि एक मोटा आदमी जो मोटा होने के अतिरिक्त पहलवान भी हो, मेरे साथ भूखा रहने के लिए मजबूर किया जाए तो इस से पहले कि मुझे खाने के लिए कुछ व्याकुलता हो वह मर जाए। इस से मुझे यह सबूत मिला कि इन्सान किसी सीमा तक भूखा रहने में उन्नति कर सकता है, और जब तक किसी का शरीर ऐसी कठोरता सहन करने वाला न हो जाए मेरा विश्वास है कि ऐसा ऐश व आराम प्रिय व्यक्ति रूहानी मंज़िलों के योग्य नहीं हो सकता। परन्तु मैं हर एक को यह सलाह नहीं देता कि ऐसा करे और न मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया। मैंने कई मूर्ख दरवेश ऐसे भी देखे

पूरे होश के साथ हेनरी मार्टिन क्लार्क का बयान

मैं पन्द्रह वर्ष से मिशनरी डाक्टर हूं। मिर्ज़ा साहिब से हमारा परिचय 1893 से है। मिस्टर अब्दुल्लाह आथम और उनके मध्य जब धार्मिक मुनाज़र: (शास्त्रार्थ) हुआ था। मैं उसका आयोजक था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने स्वयं को मुसलमानों का पेशवा होने का दावा किया था। इस से पहले कि मुनाज़र: हो हमने एक पुस्तक प्रस्तुत की जो मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखी थी उसमें मुसलमानों के पेशवाओं ने फ़त्वा दिया कि मिर्ज़ा साहिब मुसलमान नहीं हैं बल्कि काफ़िर हैं और दज्जाल के चाचा हैं। मैं ईसाइयों की ओर से मुनाज़र: कमेटी का प्रेसीडेण्ट था। दो बार अब्दुल्लाह आथम के स्थान पर हमें मुनाज़र: में बैठना पड़ा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को बहुत अपमान सहन करना पड़ा। मिर्ज़ा साहिब ने व्यक्त किया कि वह चमत्कार दिखलाते हैं। हमने अंधों, लंगड़ों को अच्छा करने के लिए कहा

शेष हाशिया- हैं जिन्होंने कठोर तपस्याएं कीं और अन्त में मस्तिष्क की ख़ुश्की से वे पागल हो गए और उनकी शेष आयु पागलपन में गुज़री या दूसरे रोग रक्तकास और यक्ष्मा इत्यादि में ग्रस्त हो गए। मनुष्य की मानसिक शक्तियां एक प्रकार की नहीं हैं। अत: ऐसे लोग जिनकी शक्तियां स्वाभाविक तौर पर कमज़ोर हैं उनको किसी प्रकार का शारीरिक पराक्रम अनुकूल नहीं हो सकता और शीघ्र ही किसी खतरनाक रोग में ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उचित है कि मनुष्य अपने हृदय के विचार से स्वयं को कठिन पराक्रम (तपस्या) में न डाले और धर्म के साधारण स्वरूप को अपनाए। हां यदि ख़ुदा तआला की ओर से कोई इल्हाम हो और प्रकाशमान शरीअत-ए-इस्लाम के विपरीत न हो तो उसे करना आवश्यक है। परन्तु आजकल के अधिकतर नादान फ़क़ीर जो तपस्याएं सिखाते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता इसलिए उन से बचना चाहिए।

स्मरण रहे कि मैंने व्यापक कश्फ़ के द्वारा ख़ुदा तआला से सुधार पाकर शारीरिक कठोरता का भाग आठ-नौ माह तक लिया और भूख-प्यास का स्वाद चखा और फिर इस पद्धति पर निरन्तर स्थापित रहना त्याग दिया और कभी-कभी इसको अपनाया भी। यह तो सब कुछ हुआ किन्तु रूहानी कठोर तपस्या का भाग अभी शेष था। अत: वह भाग इन दिनों में मुझे अपनी क़ौम के मौलवियों की गालियों, बुरा कहने, क़ाफिर कहने तथा अपमान और इसी प्रकार अन्य मूर्खों की गालियों तथा दिल दुखाने से मिल गया और जितना यह भाग भी

जो उपस्थित किए गए थे परन्तु वह न कर सके। फिर मिर्ज़ा साहिब ने भविष्यवाणी की कि विरोधी ईसाई पन्द्रह माह के अन्दर मर जाएगा। अर्थात् दोनों सदस्यों में से सच पर नहीं है वह पन्द्रह माह के अन्दर मृत्यु दण्ड में हाविय: में गिराया जाएगा। छपी हुई पुस्तक 'जंग-ए-मक़द्दस' प्रस्तुत करता हूं और जिस स्थान पर मिर्ज़ा साहिब ने यह भविष्यवाणी लिखी है निशान कर दिया है। इसके बाद लोगों के विचार अब्दुल्लाह आथम की ओर थे। अब्दुल आथम निर्बल व्यक्ति था। बहुत से लोग अब्दुल्लाह आथम की तीमारदारी पर थे। अब्दुल्लाह आथम पर बहुत आक्रमण किए गए जिसके कारण उसे अपने निवास स्थान को परिवर्तित करना पड़ा। वह

शेष हाशिया- मिला मेरी राय है कि तेरह सौ वर्ष में आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पश्चात् कम ही किसी को मिला होगा। मेरे लिए कुफ्र के फ़त्वे तैयार होकर मुझे सारे मुश्रिकों, ईसाइयों और नास्तिकों से अधिक बुरा ठहराया गया और क़ौम के मूर्खों ने अपने अख़बारों और पत्रिकाओं के माध्यम से मुझे वह गालियां दीं कि मुझे अब तक किसी दूसरे की जीवनी में उनका उदाहरण नहीं मिला। अत: मैं ख़ुदा तआला का धन्यवाद करता हूं कि दोनों प्रकार की कठोरता से मेरी परीक्षा ली गई।

और फिर जब तेरहवीं सदी का अन्त हुआ और चौदहवीं सदी का प्रकटन होने लगा तो ख़ुदा तआला ने इल्हाम के द्वारा मुझे ख़बर दी कि **तू इस सदी का मुजद्दिद है**। और अल्लाह तआला की ओर से यह इल्हाम हुआ कि

الرَّحمٰن علَّم القرآن لِتُنذِر قومًا ما اُنذر اٰباءهُمْ و لتستعين سبيل
المجرمين قُلْ اِنِّی اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ المُؤمِنِيْنَ

अर्थात् ख़ुदा ने तुझे क़ुर्आन सिखाया और तुझ पर उसके सही अर्थ खोल दिए। यह इसलिए हुआ ताकि तू उन लोगों को बुरे अंजाम से डराए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लापरवाही और सतर्क न किए जाने के कारण गलतियों में पड़ गए और ताकि उन अपराधियों का मार्ग खुल जाए जो हिदायत पहुंचने के बाद भी सद्मार्ग को स्वीकार करना नहीं चाहते। उन को कह दे कि मैं ख़ुदा की ओर से मामूर और प्रथम मोमिन हूं। यह इल्हाम बराहीन अहमदिया में छप चुका है, जो उन्हीं दिनों में जिसे आज अठारह वर्ष का समय हुआ है मैंने लिखकर प्रकाशित किया था। उस पुस्तक के इल्हामों पर दृष्टि डालने से प्रत्येक को ज्ञात हो जाएगा कि ख़ुदा ने क्यों और किस उद्देश्य से मुझे इस सेवा पर मामूर किया और क्या वर्तमान

अमृतसर से लुधियाना और लुधियाना से फ़ीरोज़पुर गया। भविष्यवाणी के अन्तिम दो माह में अब्दुल्लाह आथम की विशेष निगरानी पुलिस द्वारा कराई गई। दिन-रात जो विशेष आक्रमण किया गया, एक अमृतसर में हुआ था अर्थात् एक कोबरा सांप को बर्तन में बंद करके एक व्यक्ति उसे अब्दुल्लाह आथम ईसाई के मकान में डाल गया। यद्यपि कि हमने स्वयं नहीं देखा परन्तु यह बात सच है कि वह सांप मारा गया था। और जन सामान्य कहते थे कि मिस्टर आथम ने भी हमें सूचना दी है कि ऐसा हुआ। फ़ीरोज़पुर में दो बार अब्दुल्लाह आथम की ओर बन्दूक चलाई गई और एक बार अब्दुल्लाह आथम के सोने के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया।★

★**हाशिया :-** यदि वास्तव में निर्धारित समय सीमा के अन्दर हमारी ओर से तीन आक्रमण किए गए थे तो क्या यह सोचा जा सकता है कि आथम और उसके परिजन तीन आक्रमणों के बावजूद ऐसे चुप रहते कि न नालिश (दावा) करते और न अख़बारों में छपवाते और न हमें ज़मानत के लिए तलब करवाते बल्कि अवधि गुज़रने के पश्चात् उस समय शोर मचाया जब आथम के डर जाने के बारे में हमारी ओर से पांच हज़ार विज्ञापन निकाले गए ताकि कोई बहाना हाथ न आ जाए। यदि हमारे विज्ञापन से पहले आथम की ओर से कोई लेख छपा है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए। आथम निर्धारित समय सीमा के अन्दर जब आक्रमण हुए थे क्यों चुप रहा और फिर समय सीमा गुज़रने के बाद हमारे विज्ञापनों से पूर्व उसके मुंह पर क्यों ताला लगा रहा। दर्शकगण जानते हैं कि भविष्यवाणी को सुनते ही उस पर भय के लक्षण प्रकट हो गए थे। इसी से।

शेष हाशिया- युग की स्थिति और सदी का प्रारंभ) इस बात को चाहता था या नहीं कि इस्लाम की ऐसी ग़रीबी, बिदअतों की प्रचुरता, बाहरी आक्रमणों की भीषण वर्षा के युग में ख़ुदा तआला की ओर से धर्म के समर्थन तथा नवीनी करण के लिए आए।

यहां यह बात भी विचारणीय है कि बराहीन अहमदिया के समय तक इस देश के अधिकतर उलेमा मेरे मुजद्दिद होने के दावे का सत्यापन करते थे और कम से कम यह कि अत्यन्त सुधारणा पूर्वक मेरे इल्हामों पर बड़े-बड़े कट्टर पक्षपातियों को भी कोई जिरह न थी और उनमें से अधिकतर बड़ी प्रसन्नता से कहते थे कि ख़ुदा ने इस्लाम के लिए चौदहवीं सदी को मुबारक किया कि अपनी तरफ़ से एक मुजद्दिद भेजा और उन में से कुछ ने बहुत श्रद्धापूर्वक बराहीन अहमदिया की समीक्षा भी लिखी तथा उसमें मेरी इतनी प्रशंसा की

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद रईस आदमी है। वह हमेशा अपने दावों के बुतलान (नक़ल असल के अनुसार) करने के लिए बड़ी–बड़ी रक़में शर्त के तौर पर लिखते हैं। अतएव उन्होंने 'इश्तिहार' मेयारुल अख़्यार वल अश्रार' में पांच हज़ार रूपयों के इनाम का वादा लिखा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि वह अपने अनुयायियों से बहुत रुपया प्राप्त करता है। डाकखाने के माध्यम से उसे बहुत रुपया प्राप्त होता है। अब्दुल्लाह आथम के जीवन पर जो आक्रमण हुए, वे सामान्यत: मिर्ज़ा साहिब की ओर सम्बद्ध किए गए। अख़बारों में इसी प्रकार लिखा जाता रहा। परन्तु मिर्ज़ा साहिब ने कभी उनका खण्डन नहीं किया⁕ बल्कि एक प्रकार से ख़ुशी मनाई

⁕हाशिया :- यह कितना खुला-खुला झूठ है कि मेरी ओर से आक्रमणों का कुछ खण्डन नहीं किया गया। मैंने तो सैकड़ों विज्ञापन और तीन मोटी पुस्तकें इसी उद्देश्य से प्रकाशित कीं कि यदि आक्रमण मेरी ओर से हुए हैं तो आथम मुझ पर अदालत में दावा करे या क़सम खाए बल्कि इसी हुज्जत को पूर्ण करने के लिए क़सम खाने पर चार हज़ार रुपए देने का वादा भी किया। अत: इस से अधिक इस व्यर्थ और निराधार आरोप का और क्या खण्डन किया जाता। आथम तो ऐसा मौन हुआ कि कोई सबूत प्रस्तुत न कर सका, यहां तक कि मेरे दूसरे इल्हाम के अनुसार मर गया। बड़ी विचित्र बात है कि भविष्यवाणी की समय सीमा के अन्दर तीन आक्रमण हुए हों और आथम ऐसे समय चुप रहे जबकि कोलाहल करना उसका कर्त्तव्य था और फिर समय सीमा के पश्चात् भी मेरे विज्ञापनों के प्रकाशित होने तक चुप रहे और जब उसको भविष्यवाणी से भयभीत होने और कांपने से बार-बार दोषी किया जाए तो उस समय तीन आक्रमण प्रस्तुत किए जाएं। फिर क़सम के लिए बुलाने पर भाग जाए कि हमारे धर्म में क़सम

शेष हाशिया- कि जितनी एक मनुष्य किसी पूर्ण श्रेणी के सत्यनिष्ठ, पवित्रात्मा, ख़ुदा तक पहुंचा हुआ और इस्लाम के हमदर्द की प्रशंसा कर सकता है। हालांकि उस मौलवी साहिब को यह भी मालूम था कि बराहीन अहमदिया में वे इल्हाम भी हैं जिनमें ख़ुदा तआला ने मेरा नाम ईसा और **मसीह मौऊद** रखा है। अत: उस समय तक मेरी ओर से पूर्ण विवरण के साथ मसीह मौऊद होने का दावा नहीं किया गया था और केवल चौदहवीं सदी का मुजद्दिद होना आम लोगों में प्रसिद्ध था। उलेमा की ओर से कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ बल्कि उनमें से अधिकांश लोग सत्यापन कर्ता और आज्ञाकारी रहे। परन्तु इस मसीह होने के दावे के समय में उलेमा में अद्भुत प्रकार का शोर मचा और उनमें से अधिकतर लोगों ने नाना प्रकार की बेईमानी से लोगों को धोखा दिया तथा उनमें से कुछ ने मुझे काफ़िर ठहराने के बारे में

और यह व्यक्त किया कि अब्दुल्लाह आथम अंदर से मुसलमान हो गए थे। मिर्ज़ा साहिब स्वयं को मसीह मौऊद कहते हैं उनका मुद्दआ यह है कि एक प्रकार का भय सामान्य रूप से पैदा हो जाए और मसीह मौऊद होने के दावे से लोगों के दिलों में रोब डाले और लोग इस दावे को मान लें। मिर्ज़ा साहिब ने यह हिस्सा वर्णन किया (पुस्तक जंग-ए-मुक़द्दस में जो इल्हामी वाक्य पृष्ठ 16-17 में दर्ज हैं वह मेरी ओर से हैं और विज्ञापन-B में जो 5000 का वादा है वह भी मेरी ओर से है और किताब 'शहादत' में पृष्ठ-188 पर जो भविष्यवाणी का वर्णन है वह लगभग मेरे शब्द हैं) किताब शहादत में मौत की भविष्यवाणियां तीन धर्मों के लिए की गई हैं। एक अहमद बेग के दामाद के बारे में मुसलमानों में से, दूसरे लेखराम पेशावरी

⁂**शेष हाशिया -**खाना निषिद्ध है। फिर न दावा करे। खेद पादरी सज्जनों की यह ईमानदारी है। डाक्टर क्लार्क और वारिस दीन इत्यादि ने अदालत में क़सम खा कर इस आस्था को भी हल कर दिया कि आथम का क़सम से इन्कार करना सही नीयत पर आधारित था नीयत की खराबी पर यह भी स्मरण रहे कि आथम को भयभीत रहने का तो इक़रार था और स्पष्टी करण योग्य बात तो यह थी कि वह भय भविष्यवाणी से था या आक्रमणों से। अतएव आथम ने क़सम न खाने तथा दावा न करने तथा मौन रहने से सिद्ध कर दिया कि वह भय केवल भविष्यवाणी से था अन्यथा दुश्मन एक आक्रमण से कभी मौन नहीं रह सकता कहां यह कि तीन आक्रमण हों। भविष्यवाणी से भयभीत रहने का तो व्यापक सबूत यह है कि आथम ने नालिश (दावा) की, न कसम खाई और न समय सीमा के अन्दर तथा विज्ञापन से पहले कुछ प्रकाशित किया सबूत है जिनके सबूत का दायित्व उसकी गर्दन पर था। इसी से

शेष हाशिया- फ़त्वा तैयार किया और बहुत प्रयास करके सैकड़ों अल्पबुद्धि और मोटी अक़्ल रखने वाले लोगों के उस पर हस्ताक्षर कराए। परन्तु जैसा कि पहले 'आसार-ए-नबविया' में लिखा गया था कि "उस आने वाले मौऊद इमाम को काफ़िर कहा जाएगा, इस भविष्यवाणी को पूरा किया, क्योंकि उन पवित्र लेखों का पूरा होना आवश्यक था और आश्चर्य कि मसीह मौऊद होने के दावे में कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि जो बराहीन अहमदिया में इस समय से अठारह वर्ष पहले नहीं लिखी जा चुकी थी। परन्तु फिर भी मूर्ख मौलवियों ने इस दावे पर बड़ा शोर मचाया। अन्ततः उनके उपद्रवों का परिणाम यह हुआ कि घर-घर में फूट पड़ गई। मुसलमानों का एक वर्ग मेरे साथ हो गया और एक वर्ग उलटी समझ रखने वाले मौलवियों के पीछे लगा तथा एक वर्ग ऐसा रहा कि न सहमत न विरोधी। और यद्यपि हमारा

के बारे में हिंदुओं में से, और तीसरे अब्दुल्लाह आथम के बारे में ईसाइयों में से, जिससे मिर्ज़ा साहिब का उद्देश्य डराने का था। मैं अब्दुल्लाह आथम की सुरक्षा का प्रबंध करता रहा और जब अब्दुल्लाह आथम के बारे में भविष्यवाणी पूरी न☆ हुई तो मैंने सार्वजनिक तौर पर मिर्ज़ा साहिब के झूठा होने के बारे में विज्ञापन द्वारा प्रचार किया और सार्वजनिक जल्से किए गए, जिससे मुसलमानों ने मिर्ज़ा साहिब को बहुत घृणा की दृष्टि से देखा और उनका बहुत तिरस्कार हुआ तथा मिर्ज़ा साहिब मेरे कट्टर विरोधी हो गए। एक व्यक्ति मौलवी अब्दुल हक़ साहिब ग़ज़नवी ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया (D) जिसमें मिर्ज़ा साहिब के बारे में उन्होंने लिखा कि उसने आर्यों इत्यादि से बुज़ुर्गों को गालियां दिलवाई हैं। फिर क़ुर्आन का उर्दू अनुवाद मौलवी इमादुद्दीन साहिब ने किया। जिस पर

☆कैसी बेईमानी है कि भविष्यवाणी पूरी न हुई। क्या भविष्यवाणी में अटल रूप से मृत्यु का आदेश था और कोई शर्त थी? कितना अन्याय है कि सूर्य पर मिट्टी डालते हैं। इसी से

शेष हाशिया- वर्ग अभी बड़ी संख्या में दुनिया में नहीं फैला किन्तु पेशावर से लेकर बम्बई और कलकत्ता, हैदराबाद दकन और कुछ अरब देशों तक हमारे अनुयायी दुनिया में फैल गए। पहले यह वर्ग (समुदाय) पंजाब में बढ़ता और फूलता गया और अब मैं देखता हूं कि हिन्दुस्तान के अधिकतर भूभागों में उन्नति कर रहा है। हमारे समुदाय में सामान्य जन कम तथा विशेष लोग अधिक हैं। इस समुदाय में बहुत से अंग्रेज़ी सरकार के सम्मानीय पदाधिकारी हैं जो डिप्टी कलक्टर और एक्स्ट्रा असिसटेण्ट तथा तहसीलदार इत्यादि प्रतिष्ठित पदों वाले लोग हैं। इसी प्रकार पंजाब और हिन्दुस्तान के कई रईस, जगीरदार और अधिकतर शिक्षित एफ.ए, बी.ए., एम.ए. तथा बड़े-बड़े व्यापारी इस जमाअत में सम्मिलित हैं। अत: ऐसे लोग जो बुद्धि और ज्ञान सम्मान और प्रतिष्ठा रखते थे या बड़े-बड़े पदों पर अंग्रेज़ी सरकार की ओर से नियुक्त थे या रईस और जागीरदार, ताल्लुक: दार तथा नवाबों की सन्तान थे, और या हिन्दुस्तान के क़ुतुबों या ग़ौसों की नस्ल थे जिनके बुज़ुर्गों को लाखों लोग उच्च श्रेणी के वली तथा समय के क़ुतुब समझते थे, वे लोग इस जमाअत में सम्मिलित हुए और होते जाते हैं। निष्कर्ष यह कि अल्लाह तआला के फ़ज़्ल (कृपा) और क़ुदरत ने मौलवियों को उनके इरादों से असफल रख कर हमारी जमाअत को विलक्षण उन्नति दी है और दे रहा है। वे लोग जो वास्तव में पवित्र स्वभाव, ख़ुदा से डरने वाले तथा मानवजाति से हमदर्दी करने

मौलवियों ने मिर्ज़ा साहिब से कहा कि मौलवी इमादुद्दीन को क्यों प्रेरित किया कि उसने अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त लोगों की एक बड़ी संख्या ईसाई हो गई जिनमें से एक व्यक्ति मुहम्मद यूसुफ़खान जो एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा संयमी, धार्मिक और पराक्रमी समझा जाता था जो मुबाहसे का सेक्रेटरी और पत्रवाहक ⁂ (एलची रहा था, ईसाई हो गया। दूसरा व्यक्ति मीर मुहम्मद सईद था जो मिर्ज़ा साहिब के बहनोई ✳ का मौसी की ओर से भाई था वह भी ईसाई हुआ और विशेष तौर पर हमारे साथ संबंध था जिससे मिर्ज़ा साहिब और भी हमारे विरुद्ध हो गए। जब मुहम्मद युसुफ़ खां ईसाई हुआ, उससे मुसलमानों ने पूछा कि मिर्ज़ा साहिब की भविष्यवाणी आथम साहिब के बारे में पूरी करने

⁂ यह सफेद झूठ है।
✳ यह ग़लत है बल्कि वह पत्नी की मौसी का लड़का था।

शेष हाशिया- वाले और धर्म की उन्नति के लिए दिल-व-जान से प्रयास करने वाले और ख़ुदा तआला की श्रेष्ठता को दिल में बिठाने वाले, बुद्धिमान, मनीषी, दृढ़ संकल्प तथा ख़ुदा और रसूल से सच्चा प्रेम रखने वाले हैं वे इस जमाअत में बड़ी संख्या में पाए जाएंगे। मैं देखता हूं कि कृपालु ख़ुदा इस बात का इरादा कर रहा है कि इस जमाअत को बढ़ाए और बरकत दे तथा पृथ्वी के किनारों तक भाग्यशाली लोगों को खींचकर इस में दाख़िल करे।

यहां इस बात का उल्लेख लाभ से खाली न होगा कि मेरा यह दावा कि मैं **मसीह मौऊद** हूं, एक ऐसा दावा है जिसके प्रकटन की ओर मुसलमानों के सम्पूर्ण फ़िर्कों की आंखें लगी हुई थीं और नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों की निरन्तर भवष्यवाणियों को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा में था कि वे शुभ-सन्देश कब प्रकट होते हैं। बहुत से कश्फ़ वालों ने अल्लाह तआला से इल्हाम पाकर ख़बर दी थी कि वह मसीह मौऊद चैदहवीं सदी के प्रारंभ में प्रकट होगा और यह भविष्यवाणी यद्यपि पवित्र क़ुर्आन में केवल संक्षिप्त तौर पर पाई जाती है परन्तु हदीसों के अनुसार इतनी निरन्तरता तक पहुंची है कि जिस का झूठा होना बुद्धि के नज़दीक असम्भव है। यदि निरन्तरता कुछ चीज़ है तो कह सकते हैं कि इस्लामी भविष्यवाणियों में से जो आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के मुंह से निकलीं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो इस स्तर की निरन्तरता पर हो

आए हो। यह बात अकेले में उन्होंने पूछी थी कि जो भविष्यवाणी अहमद बेग के दामाद के बारे में थी वह पूरी नहीं हुई।★ भविष्यवाणी जो ईसाइयों से आथम

★यह भविष्यवाणी भी शर्त वाली थी जिसका एक भाग पूरा हो गया अर्थात् अहमद बेग का निर्धारित समय के अन्दर निधन हो गया और उसके मरने पर उसके परिजनों ने अत्यन्त भयभीत और डरकर शर्त को पूरा किया और आवश्यक था कि शर्त के अनुसार प्रकटन में आता, परन्तु यह भी आवश्यक है कि हृदयों के कठोर होने पर ख़ुदा के असल इरादे की भविष्यवाणी के अनुसार पूर्ण हो जाए जैसा कि आथम की भविष्यवाणी में शर्त भी पूरी हुई और अन्त में मौत का दण्ड भी मिला। अत: भविष्यवाणी पूर्णतया पूरी हुई।

शेष हाशिया- जैसा कि इस भविष्यवाणी में पाई जाती है। जिस व्यक्ति को इस्लामी इतिहास का ज्ञान है वह भलीभांति जानता है कि इस्लामी भविष्यवाणियों में से कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं जो निरन्तरता की दृष्टि से इस भविष्यवाणी से बढ़ कर हो, यहां तक कि उलेमा ने लिखा है कि जो व्यक्ति इस भविष्यवाणी का इन्कार करे उसके कुफ्र की आशंका है। क्योंकि निरन्तरताओं से इन्कार करना मानो इस्लाम का इन्कार है परन्तु अफ़सोस है कि इस निरन्तरता के बावजूद हमारे युग फैज आ'वज (गुमराही के दौर) के उलमा ने इस भविष्यवाणी के सही-सही अर्थ समझने में बड़ा धोखा खाया है और बड़े बोधभ्रम के कारण अपनी आस्था में लज्जाजनक विरोधाभास इकट्ठे कर लिए हैं अर्थात् एक ओर तो पवित्र क़ुर्आन पर ईमान लाकर तथा सही हदीसों को स्वीकार करके उनको यह मानना पड़ा कि हज़रत ईसा वास्तव में मृत्यु पा चुके हैं और दूसरी ओर यह आस्था भी उन्होंने रखी कि किसी युग में स्वयं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अन्तिम युग में अवतारित होंगे और वह आकाश पर जीवित विद्यमान हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई। और फिर एक ओर आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को ख़ातमुल अंबिया ठहरा दिया और दूसरी ओर यह आस्था भी रखी कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाद भी एक नबी आने वाला है अर्थात् हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी हैं। और एक तरफ़ यह अस्था रखी कि मसीह मौऊद दज्जाल के समय आएगा और दज्जाल का सम्पूर्ण पृथ्वी पर हरमैन शरीफैन (मक्का-मदीना) के अतिरिक्त अधिकार हो जाएगा और दूसरी तरफ़ बुख़ारी की सही मर्फ़ूअ, मुत्तसिल हदीस से इस बात को भी मानना पड़ा कि मसीह मौऊद सलीब के प्रभुत्व के समय आएगा अर्थात् उस समय जबकि ईसाई धर्म दुनिया में ज़ोर के साथ फैला हुआ होगा। और ईसाई शक्ति और दौलत सब शक्तियों और दौलतों से बढ़ी हुई होगी और फिर एक ओर यह आस्था रखनी पड़ी कि मसीह अपने

साहिब के बारे में थी वह भी पूरी नहीं हुई।★ परिणाम इसका यह हुआ कि मिर्ज़ा साहिब के सम्मान और आमदनी में अन्तर आया। उसकी दुकान बन्द हो गयी और लोग उपहास करने लगे। अब केवल भविष्यवाणी हिन्दुओं के विरुद्ध शेष

★**हाशिया :-** यह कहना कि आथम के बारे में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई सच्चाई का खून करना है। आथम ने स्वयं अपने कथन और कर्म से सबूत दे दिया कि वह भविष्यवाणी के प्रभाव से भयभीत रहा। इसलिए आवश्यक था कि इल्हामी शर्त से फायदा उठाता। फिर दूसरा इल्हाम यह था कि वह गवाही को छुपाने के पश्चात् शीघ्र मृत्यु पा जाएगा। अत: उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो कैसी सफाई से भविष्यवाणी पूरी हुई। (इसी से)

शेष हाशिया- समय का निर्णायक और इमाम एवं महदी होगा और फिर दूसरी ओर यह आस्था रखी कि मसीह महदी और इमाम नहीं बल्कि महदी कोई और होगा जो फ़ातिमा की सन्तान में से होगा। अत: इस प्रकार के बहुत से विरोधाभास एकत्र करके इस भविष्यवाणी के सही होने के बारे में लोगों को असमंजस और सन्देह में डाल दिया। क्योंकि जो बात कई विरोधाभासों का संग्रह हो संभव नहीं कि वह सही हो। फिर बुद्धिमान लोग उसे कैसे स्वीकार कर सकें और क्योंकर अपने बुद्धि के जौहर को पैरों के नीचे कुचल कर इस टेढ़े मार्ग पर चलें। इसी कारण वर्तमान युग के उन नव शिक्षित लोगों को जो नेचर तथा प्रकृति के कानून और बौद्धिक व्यवस्था को सही या सही न होने के लिए एक मापदण्ड ठहरा देते हैं। इस भविष्यवाणी से बावजूद उच्च स्तरीय निरन्तरता के जो उसमें है, इन्कार करना पड़ा और वास्तव में यदि इस भविष्यवाणी के यही अर्थ किए जाएं जो इतने विरोधाभासों को अपने अन्दर रखते हैं तो मानवीय बुद्धि इन विरोधाभासों की परस्पर अनुकूलता से असमर्थ आकर अन्तत: इस परेशानी से मुक्ति इसी में देखती है कि इस भविष्यवाणी के सही होने से भी इन्कार करे। **अत: यही कारण था** कि प्रकृति और बुद्धि के आसक्त भविष्यवाणी की इतनी निरन्तरता के बावजूद उस महान भविष्यवाणी से इन्कारी हो गए। किन्तु अफ़सोस कि उन लोगों ने भी इन्कार करने में बड़ी जल्दबाज़ी से काम लिया है। क्योंकि ख़बरों की निरन्तरता से कोई बुद्धिमान इन्कार नहीं कर सकता और जो ख़बर निरन्तरता की श्रेणी पर पहुंच जाए संभव नहीं कि उसमें झूठ की मिलावट हो। इसलिए न्याय का मार्ग और सत्यनिष्ठा यह थी कि निरन्तरता वाली ख़बर को अस्वीकार न करते। हां उन **अर्थों को** अस्वीकार कर देते जो मूर्ख मौलवियों ने किए, जिन से कई प्रकार के विरोधाभास अनिवार्य हुए तथा कई विरोधाभास एकत्र भी कर लिए। वास्तव में यह अपूर्ण बुद्धि वाले मौलवियों का दोष है कि

रही थी। कुछ समय गुज़रा है कि लेखराम ख़त्म किया गया, जिसके मरने ने देश में व्यापक आग लगा दी। क़त्ल की परिस्थितियां विचित्र हैं। क़त्ल करने वाले ने स्वयं को हिन्दू प्रकट किया और कहा कि मैं मुसलमान हो गया था और अब फिर हिन्दू होना चाहता हूं। उस ने लेखराम के साथ अपनी पैठ बनाई और विश्वास पैदा किया। और यह क़त्ल की घटना इसके कुछ सप्ताह के पश्चात् प्रकटन में आई। यह क़त्ल सामान्यत: मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ओर सम्बद्ध किया जाता है। मैं एक पुस्तक मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी द्वारा लिखित प्रस्तुत करता

शेष हाशिया- उन्होंने एक सीधी और साफ़ भविष्यवाणी के ऐसे अर्थ करके जो विरोधाभासों का संग्रह थे, अनुसंधान का स्वभाव रखने वाले लोगों को बड़ी परेशानी और हैरानी में डाल दिया। **अब ख़ुदा तआला ने** उसके सच्चे और सही अर्थ खोल कर जो विरोधाभासों तथा अनौचित्य से सर्वथा पवित्र हैं प्रत्येक न्यायप्रिय अन्वेषक को यह अवसर दिया है कि वह इस निरन्तरता वाली ख़बर को मान कर उसके मिस्दाक़ (सत्यापन) की खोज में लग जाए और ख़ुदा तआला की स्पष्ट भविष्यवाणी से इन्कार करके झुठलाने वालों में सम्मिलित न हो।

इस बयान का विवरण यह है कि इस युग में ख़ुदा तआला ने चौदहवीं सदी के आरम्भ में मुझे भेजकर इस भविष्यवाणी के औचित्य को खोल दिया और व्यक्त कर दिया कि मसीह का दोबारा दुनिया में आना उसी रंग और ढंग से मुक़द्दर था जैसा कि एलिया नबी का दोबारा दुनिया में आना मलाकी नबी की किताब में लिखा गया था। क्योंकि मलाकी की किताब में इस बात का विवरण सहित वर्णन था कि वह मसीह मौऊद जिसकी यहूदियों को प्रतीक्षा थी वह दुनिया में नहीं आएगा जब तक कि एलिया नबी दोबारा दुनिया में न आ ले। परन्तु हमारे विरोधियों में सौभाग्य और सत्य की अभिलाषा का तत्त्व होता तो वे मलाकी नबी की उस भविष्यवाणी से जिस पर यहूदी और ईसाई दोनों की सहमति है, बहुत लाभ उठाते। क्योंकि मलाकी नबी की किताब के प्रत्यक्ष स्पष्ट आदेश की दृष्टि से अवश्य कहना पड़ता है कि एलिया अब तक दुनिया में वापस नहीं आया हालांकि हज़रत मसीह को दुनिया में आए हुए लगभग उन्नीस सौ वर्ष हो गए। अब यदि जैसा कि मलाकी के प्रत्यक्ष शब्दों से निकलता है जिस पर यहूदी उलेमा आज तक बड़े ज़ोर से जमे बैठे हैं यही सही है कि मसीह से पहले अवश्य एलिया नबी का स्वयं दोबारा दुनिया में आना आवश्यक है तो इस स्थिति में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी नहीं ठहर सकते और सच्चे उसी स्थिति में ठहर सकते हैं कि जब एलिया नबी के वापस आने की कोई तावील (प्रत्यक्ष से हटकर व्याख्या) की

हूं। अक्षर E जिसमें वह मिर्ज़ा साहिब पर इस क़त्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं★ (मैंने मिर्ज़ा साहिब कुछ-कुछ पुस्तक अक्षर E को देखा है) मिर्ज़ा साहिब ने 22 मार्च 1897 ई. को एक बिल ज़ियाउल इस्लाम प्रेस क़ादियान प्रकाशित किया जो इस बात पर बहुत बल देता है कि हमें ख़बर थी कि लेखराम 6 मार्च 1897 ई. को शाम 6 बजे मारा जाएगा, किन्तु घटना के उपरान्त यह बिल प्रकाशित किया गया था और यह मामला हमारी भविष्यवाणी के अनुसार था (उत्तर मिर्ज़ा साहिब-हमने

★**हाशिया :-** इससे ज्ञात होता है कि मुहम्मद हुसैन ने अवश्य क्लार्क से कहा होगा कि लेखराम का वध करने वाला यही व्यक्ति है। झूठों पर ख़ुदा की लानता। इसी से

शेष हाशिया- जाए। अर्थात् यह कि एलिया के दोबारा आने से किसी एलिया के मसील (समरूप) का आना अभिप्राय लिया जाए। और वह मसील यूहन्ना था अर्थात् ज़करिया का पुत्र यह्या। जैसा कि यही तावील यहूदियों की मांग के समय हज़रत ईसा ने भी की और इस तावील से जो एक नबी के मुंह से सिद्ध हुई, साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि मसीह का दोबारा दुनिया में आना भी एलिया के दोबारा आने के समान है और एक उदाहरण जो स्थापित हो चुका है उससे मुख फेरना और प्रत्यक्ष अर्थ करके कई विरोधाभासों को अपनी आस्था में जमा कर लेना यह उन लोगों का काम है जिन्हें बुद्धि और बोध से बहुत कम भाग मिला है। भविष्यवाणियों पर अधिकतर अवास्तविकताओं एवं रूपकों का आधिपत्य होता है। इस से अधिक कोई मूर्खता नहीं होगी कि भविष्यवाणी के किसी शब्द को उस हालत में भी प्रत्यक्ष पर चरितार्थ किया जाए जब कि प्रत्यक्ष पर चरितार्थ करने से कई विरोधाभास जमा हो जाते हैं। इसी आदत से तो यहूदी तबाह हुए। मसीह के बारे में ऐसी ही एक और भविष्यवाणी थी कि वह बादशाह होगा और काफ़िरों से लड़ेगा। अत: यहूदियों ने इस से भी ठोकर खाई। क्योंकि हज़रत मसीह को प्रत्यक्ष (भौतिक) बादशाहत नहीं मिली। इसीलिए यहूदी अब तक कहते हैं कि मसीह के पक्ष में जो भविष्यवाणियां थीं आज तक उनमें से एक अक्षर भी पूरा नहीं हुआ। यही तर्क यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने प्रस्तुत किया था और बार-बार यह बताया था कि सच्चे मसीह से पहले एलिया का दोबारा दुनिया में आना आवश्यक है, न यह कि उसका कोई मसील आए। क्योंकि मलाकी नबी की किताब में एलिया नबी का स्वयं दोबारा दुनिया में वापस आना लिखा है। यह नहीं लिखा कि "उसका कोई मसील आएगा।" परन्तु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको यह उत्तर दिया कि 'एलिया नबी के दोबारा आने से अभिप्राय उनके मसील का आना

पहले से ही यह सम्पूर्ण भविष्यवाणी की हुई थी और उसके हवाले (संदर्भ) से इल्हामी तौर पर विज्ञापन दिया होगा) क़ातिल कभी नहीं मिलेगा, यह मिर्ज़ा साहिब ने कहा था।★ यह सामान्यत: प्रसिद्ध है। हमारा अनुमान यह है कि लेखराम का क़ातिल भी क़त्ल किया गया है। इस बारे में जो काग़ज़ हमारे पास थे, वे हमने सरकार को भेज दिए थे तथा एक अन्य कारण हमें पीड़ा पहुंचाने के लिए यह था कि जब से मिस्टर अब्दुल्लाह आथम का निधन हुआ केवल मैं ही इस मुबाहसे के संबंध में एक प्रमुख रह गया हूं और मिर्ज़ा साहिब हर प्रकार से हमें तिरस्कार

★**नोट :-** यह बिल्कुल झूठ है। ऐसा शब्द कभी मेरे मुंह से नहीं निकला। इसी से

शेष हाशिया- है जो उनकी प्रकृति और स्वभाव पर हो और वर्णन किया कि वह व्यक्ति यूहन्ना ज़करिया का बेटा अर्थात् यह्या है और बादशाही के बारे में उन्होंने यह तावील की थी कि "मेरी आसमानी बादशाहत है ज़मीनी नहीं है।" इन तावीलों को यहूदियों ने अत्यन्त दूर और अधम दिखावा समझा था और अब तक यही समझ रहे हैं क्योंकि वे अपनी किताबों के प्रत्यक्ष शब्दों पर बल देते थे और ज़ाहिरी तौर पर यहूदी सच पर मालूम होते थे, इसलिए कि वे लोग मुक़द्दस किताब (तौरात) के स्पष्ट आदेश प्रस्तुत करते थे और हज़रत ईसा अ. तावीलों से काम लेते थे जो तुच्छ और हल्की प्रतीत होती थीं।

हमारे उलमा बड़े सौभाग्यशाली होते यदि वे एलिया के दोबारा आने के क़िस्से को याद करके उससे नसीहत ग्रहण करते और हज़रत ईसा के आकाश से दोबारा उतरने के वही अर्थ करते जो स्वयं हज़रत ईसा ने एलिया नबी के दोबारा उतरने के अर्थ किए हैं। काश वे इस बात को सोचते कि यह लेखक जो नुज़ूले मसीह के अर्थ करता है वह नए अर्थ नहीं हैं बल्कि वही अर्थ हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुँह से पहले निकल चुके हैं, क्योंकि मसीह इब्ने मरयम की पृष्ठभूमि एलिया नबी के उतरने की पृष्ठभूमि से बिल्कुल मिलती-जुलती है। अत: जिस हालत में आज तक यहूदियों की यह मानोकामना पूरी नहीं हुई कि एलिया नबी आकाश से उतरता तथा इसी कारण वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन्कारी रहे। तो इन मौलवियों की मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है कि किसी समय हज़रत ईसा अ. स्वयं आकाश से उतरेंगे। बुद्धिमान वह है जो दूसरे के ठोकर खाने से नसीहत ग्रहण करे। यहूदी जो हज़रत ईसा पर ईमान लाने से वंचित रहे उसका यही कारण वे आज तक वर्णन करते हैं कि उनको वही मलाकी नबी की भविष्यवाणी बल देकर सुनाई गई थीं कि जब तक एलिया नबी दोबारा दुनिया में न आए वह मसीह नहीं आएगा, जिसका उनको वादा

की दृष्टि से देखता और हमारे बारे में व्यर्थ ढंग अपना रखा है। अपनी क़लम और जीभ को नियंत्रण (काबू) में नहीं रखा हुआ। इसलिए मिर्ज़ा साहिब ने एक पुस्तक अंजाम-ए-आथम प्रकाशित की जो हर प्रकार की व्यर्थ और उपहासपूर्ण बातों से भरी हुई है तथा इस पुस्तक में पृष्ठ 44 पर इतना अधिक साहस किया है कि हमारे लिए लिखा है कि मुक़ाबले के लिए आओ। इस पुस्तक पर अक्षर F लगाया गया है (मिर्ज़ा साहिब- स्वीकार किया निस्सन्देह यह पुस्तक हमने प्रकाशित की थी)

मिर्ज़ा साहिब- मुझे इल्हामी तौर पर सूचना दी गयी थी कि दयानन्द की मृत्यु हो जाएगी और यह ख़बर समय से पूर्व दी गई थी और कुछ आर्यों को मालूम

शेष हाशिया- दिया गया था और यह भी लिखा था कि वह मसीह बादशाह के रूप में प्रकट होगा। परन्तु यह दोनों भविष्यवाणियां हज़रत ईसा अ. पर चरितार्थ न हुईं। इसीलिए यहूदी आज तक इसी बात को रोते हैं कि हम यसू बिन मरयम को कैसे मान लें। हालांकि न एलिया नबी उससे पहले आया और न वह बादशाह के रूप में प्रकट हुआ। ज़ाहिरी शब्दों के अनुसार यहूदी सच पर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी किताबों के स्पष्ट आदेशों से यही निकलता है कि वास्तव में मसीह से पहले एलिया नबी आएगा और अन्तिम मसीह बादशाह होकर आएगा।

अत: यह एक पृष्ठभूमि थी कि मसीह मौऊद के उतरने तथा अन्य लक्षणों को इस पृष्ठभूमि ने स्पष्ट कर दिया था और न्यायधीशों के लिए एलिया नबी के उतरने का ढंग मसीह के उतरने के लिए एक संतोष जनक उदाहरण था, परन्तु द्वेष इन्सान को अंधा कर देता है। अधिकतम आश्चर्य यह है कि सही बुख़ारी में स्पष्ट लिखा था कि اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ अर्थात् वह मसीह मौऊद इसी उम्मत में से होगा। और इसी प्रकार सही मुस्लिम में فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ लिखा था अर्थात् मसीह तुम में से एक उम्मती आदमी होगा और तुम्हारा इमाम होगा। क्या यह बातें तसल्ली पाने के लिए पर्याप्त न थीं? क्या यह बात संतोष जनक न थी कि क़ुर्आन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का देहान्त पा जाना वर्णन किया? हदीसों में उनकी उम्र एक सौ बीस वर्ष लिखकर यह संकेत किया कि वह सन् 120 ई. में अवश्य मृत्यु पा गए हैं। तवफ़्फ़ा के अर्थ मारना वर्णन किया और आयत فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ ने स्पष्ट तौर पर ख़बर दे दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा गए और वह मतभेद जो इस से पहले हो चुका है जो यहूदियों और हज़रत ईसा अ. में एलिया नबी के उतरने के बारे में था, कोई ऐसा मुसलमान नहीं कि इस में यहूदियों को सच्चा कहे। अत: दुनिया में दोबारा आने के अर्थ

था, मैंने कुछ को सूचना दे दी थी। लेखराम की मृत्यु से लगभग पांच वर्ष पूर्व मैंने उसके मरने की सूचना दी थी। सर सय्यद अहमद ख़ान के बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी कि उस पर संकट आएगा। अहमद बेग और उसकी लड़की के बारे में और दामाद के बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी। नम्बर-9 मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के संबंध में 40 दिन के अन्दर मरने या संकट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की। पुस्तक आईना कमालात 1893 ई. में प्रकाशित पृष्ठ-604। नम्बर-10 अब्दुल्लाह आथम के बारे में 11 अब्दुल्लाह आथम साहिब को एक हज़ार का

शेष हाशिया- जो एक नबी ने किए वही अर्थ हम हज़रत ईसा के उतरने के बारे में करते हैं परन्तु हमारे विरोधी मौलवी जो अर्थ करते हैं उनके पास उन अर्थों का कोई प्रमाण मौजूद नहीं। अब विचार करना चाहिए कि हम तो उस आस्था को प्रस्तुत करते हैं जिसका पहली किताबों में उदाहरण मौजूद है और जिसका क़ुर्आन सत्यापन करता है, और हमारे विरोधी हज़रत ईसा के नुज़ूल (उतरने) के बारे में उस आस्था को प्रस्तुत करते हैं जिसका सम्पूर्ण नबियों की ज़िन्दगी में कोई उदाहरण मौजूद नहीं और क़ुर्आन इसको झुठलाता है। फिर हमारे विरोधी जब इस बहस में असमर्थ हो जाते हैं तो झूठ बनाकर हम पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि मानो हमने नुबुव्वत का दावा किया है और जैसे हम चमत्कार तथा फ़रिश्तों के इन्कारी हैं। परन्तु याद रहे कि यह सब मनगढ़त झूठ हैं। हमारा ईमान है कि हमारे सरदार-व-मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफा ख़ातमुल अंबिया हैं और हम फ़रिश्तों, चमत्कारों और अहले सुन्नत की सम्पूर्ण आस्थाओं को मानते हैं। अन्तर केवल यह है कि हमारे विरोधी अपनी मूर्खता से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भौतिक रूप से नुज़ूल (उतरने) की प्रतीक्षा करते हैं और हम **बुरूज़ी (समरूप या ज़िल्ली) तौर** पर जैसा कि सम्पूर्ण सूफियों का मत है और हम मानते हैं कि मसीह के नुज़ूल की भविष्यवाणी पूरी हो गयी।

रही यह बात कि मेरे इस मसीह होने के दावे पर तर्क क्या है? तो स्पष्ट हो कि सही लक्षणों से यह सिद्ध है कि जो व्यक्ति ईसाइयत के उपद्रव के समय ईसा को ख़ुदा मानने की बुराई को दूर करने के लिए सदी के सिर पर बतौर मुजद्दिद प्रकट होगा, उसी मुजद्दिद का नाम मसीह है। इसके पश्चात् हदीसों को सही तौर पर न समझ पाने के कारण लोगों ने समझ लिया कि स्वयं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकाश से उतर कर सदी का मुजद्दिद होगा और सदी के सर पर आएगा और अधिकतर उलेमा की यही राय क़ायम हुई कि वह

वादा दिया गया था शर्त के तौर पर स्वीकार किया गया। नम्बर- 12 अब्दुल्लाह आथम साहिब को दो हज़ार रुपए के इनाम का वादा दिया गया। नम्बर- 13 तीन हज़ार नम्बर 14 चार हज़ार नम्बर 15 अंजाम-ए-आथम प्रकाशित किया गया (स्वीकार हुआ) नम्बर- 16 अंजाम-ए-आथम में मिर्ज़ा साहिब ने भविष्यवाणी की थी कि 94 मौलवी और 68 छापे वाले यदि हम पर ईमान नहीं लाएंगे तो मर जाएंगे (मिर्ज़ा साहिब ने इसे स्वीकार नहीं किया) नम्बर- 17 इस भविष्यवाणी में लेखराम के मरने के बारे में वे लोगों को बताते हैं कि मुबाहला करें (स्वीकार किया गया) नम्बर- 18 गंगा बिशन को मुबाहले के लिए बुलाया गया (स्वीकार किया) नम्बर-

---

शेष हाशिया- चौदहवीं सदी होगी परन्तु इस बात को समझने में ग़लती हुई आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का वास्तविक उद्देश्य यह था कि जिस मुजद्दिद को इस उम्मत के मुजद्दिदों में से ईसाई हमलों को दूर करने में इस्लाम की सहायता करनी पड़ेगी उसका नाम ईसाइयत की सुधार की दृष्टि से मसीह होगा। परन्तु उन लोगों ने यह समझ लिया कि किसी युग में स्वयं मसीह आकाश से उतर आएगा, जबकि यह स्पष्ट ग़लती है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अलंकारिक और रहस्यपूर्ण वर्णन में यह अनुचित, असंबंधित तथा व्यर्थ बात कदापि अभीष्ट न थी कि एक नबी जो अपने जीवन के दिन पूरे करके प्रकृति के नियमानुसार ख़ुदा तआला और परलोक (आख़िरत) की नेअमतों की ओर बुलाया गया पुनः वह इस कष्टों और उपद्रवों के संसार में भेजा जाएगा और वह नुबुव्वत जिस पर मुहर लग चुकी है और वह किताब जो ख़ातमुल कुतुब है, वह ख़तमियत की पराकाष्ठा से वंचित रह जाएगी बल्कि रूपक के तौर पर अत्यन्त रहस्यपूर्ण ढंग से यह भविष्यवाणी की गई कि एक युग ऐसा आएगा जब ईसाई लोग अपनी सृष्टि उपासना और सलीब के मिथ्या विचारों में अत्यन्त ईर्ष्या द्वेष तक पहुंच जाएंगे और अपने अक्षरांतरण की कला और घोर झूठ के कारण मसीह दज्जाल हो जाएंगे। तब ख़ुदा तआला अपनी रहमत (कृपा) से उनके सुधार के लिए एक आसमानी मसीह पैदा करेगा जो ठोस और सन्तोषजनक तर्कों द्वारा उनकी सलीब को तोड़ देगा।

इस भविष्यवाणी के समझने में बुद्धिमान और सोच-विचार करने वालों के लिए कुछ भी कठिनाई न थी। क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के पवित्र शब्द ऐसे स्पष्ट थे कि स्वयं उस मतलब की ओर मार्ग-दर्शन करते थे कि इस भविष्यवाणी में इस्राईली नबी का दोबारा दुनिया में आना कदापि अभिप्राय नहीं है, और आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि

19 मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी को मुबाहले के लिए बुलाया गया (स्वीकार किया गया) नम्बर- 20 रायजिन्दर सिंह को मुबाहले के लिए बुलाया गया (स्वीकार किया गया) नम्बर- 21 लेखराम की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी (स्वीकार किया गया) नम्बर- 22 शेख़ महरअली के बारे में धमकी दी गई कि यदि वह बैअत न करे तो उस पर अज़ाब उतरेगा (स्वीकार नहीं किया गया) उपरोक्त भविष्यवाणियां (हस्त लिखित) काग़ज़ में दर्ज हैं जो अदालत में दाखिल किया गया है। लेखराम के क़त्ल के पश्चात् हमें गुप्त तौर पर सचेत किया गया कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ऐसा न हो कि मिर्ज़ा साहिब हानि पहुँचाएं। एक विज्ञापन में मिर्ज़ा साहिब ने यह लिखा था कि कुफ्र का कुछ भाग मिट गया है तथा कुछ भाग शीघ्र मिटने वाला

शेष हाशिया- व सल्लम ने बार-बार फ़रमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और हदीस لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ ऐसी प्रसिद्ध थी कि उसके सही होने में किसी को आपत्ति न थी और पवित्र क़ुर्आन जिसका एक-एक शब्द सच्चा है अपनी पवित्र आयत

وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ (अलअहज़ाब-41)

से भी इस बात की पुष्टि करता था कि वास्तव में हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर नुबुव्वत ख़तम हो चुकी है। फिर कैसे संभव था कि कोई नबी नुबुव्वत के स्वतन्त्र और वास्तविक अर्थों की दृष्टि से आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाद आए, इस से तो इस्लाम का सम्पूर्ण ताना-बाना अस्त-व्यस्त हो जाता था और यह कहना कि "हज़रत ईसा नुबुव्वत से निलंबित होकर आएगा" बहुत बड़ी निर्लज्जता और धृष्टता की बात है। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ख़ुदा तआला के मान्य और सानिध्य प्राप्त नबी अपनी नुबुव्वत से निलंबित हो सकते हैं? फिर कौन सा मार्ग और तरीक़ा था कि स्वयं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आते। अत: पवित्र क़ुर्आन में ख़ुदा तआला ने आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का नाम ख़ातमुन्नबिय्यीन रख कर और हदीस में स्वयं आंहज़रत ने لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ कहकर इस बात का फैसला कर दिया था कि कोई नबी नुबुव्वत के स्वतन्त्र और वास्तविक अर्थों की दृष्टि से आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बाद नहीं आ सकता और फिर इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमा दिया था कि आने वाला मसीह मौऊद इसी उम्मत में से होगा। अत: सही बुख़ारी की हदीस اِمَامُکُمْ مِنْکُمْ और सही मुस्लिम की हदीस فَاَمَّکُمْ مِنْکُمْ जो बिल्कुल मसीह मौऊद के स्थान के वर्णन में है, स्पष्ट तौर पर

है। इन वाक्यों के बारे में मेरा विचार है कि जो भाग कुफ्र का मिट गया है वह लेखराम के बारे में है और जो शेष है वह मेरे बारे में है और इसलिए मैंने सरकार को सूचना दी थी। विज्ञापन इत्यादि जो मेरे पास आते हैं वे हमेशा क़ादियान से आते हैं हालांकि मैं न चन्दा देता हूं और न कुछ संबंध है। मुबाहसे के पश्चात् हमारा कुछ समय तक पत्राचार रहा। तत्पश्चात् हर प्रकार से हमने मिर्ज़ा साहिब से पत्राचार का संबंध-विच्छेद कर दिया। गत तीन महीने से हमने मिर्ज़ा साहिब की ओर से कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं किया जिस से मेरा विचार है कि वह यह समझे कि वह मेरी ओर से वे लापरवाह हैं। 16 जुलाई 1897 ई. को एक नौजवान व्यक्ति मेरे पास आया और उसने ईसाई होने का निवेदन किया उसने अपना नाम अब्दुल

शेष हाशिया- बता रही है कि वह मसीह मौऊद इसी उम्मत में से होगा!!!

फिर दूसरा फैसला जो इस बारे में क़ुर्आन और हदीस ने कर दिया यह मौजूद था कि पवित्र क़ुर्आन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में फ़रमा दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा चुके हैं। देखो आयत :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ (अलमाइदह-118)

साफ़ तौर पर स्पष्ट कर रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा गए हैं और सही बुख़ारी में इब्ने अब्बास रज़ि. से और हदीस-ए-नबवी से इस बात का सबूत दे दिया है कि यहां तवफ़्फ़ा के अर्थ मृत्यु देने के हैं। और यह कहना व्यर्थ है कि यह शब्द تَوَفَّيْتَنِيْ जो भूतकाल की क्रिया में आया है यहां मुज़ारिअ (भविष्य) के अर्थ देता है अर्थात् अभी नहीं मरे बल्कि अन्तिम युग में जाकर मरेंगे। क्योंकि आयत का मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुदा के दरबार में कहते हैं कि मेरी उम्मत के लोग मेरे जीवन में नहीं बिगड़े बल्कि मेरी मौत के बाद बिगड़े हैं। इसलिए यदि मान लिया जाए कि अब तक हज़रत ईसा[अ.] का निधन नहीं हुआ तो साथ ही यह भी मानना पड़ता है कि अब तक ईसाई भी नहीं बिगड़े। क्योंकि आयत में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ईसाइयों का बिगड़ना हज़रत ईसा[अ.] की मृत्यु के बाद है। इससे बढ़कर और कोई बड़ी धृष्टता और बेईमानी नहीं होगी कि

☆हीदस में लिखा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हुलिया और था और आने वाले मसीह मौऊद का हुलिया और होगा अत: यह दोनों अलग-अलग हुलिए बतला रहे हैं कि वह मसीह और था और यह मसीह और है। इसी से सम्बन्धित

मजीद बताया और कहा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं और मेरा हिन्दू नाम रलिया राम है और पिता का नाम रामचन्द्र है और खजूरी गेट बटाला का रहने वाला हूं। 15 वर्ष की आयु में मिर्ज़ा ने मुझे मुसलमान किया था जिस पर सात वर्ष गुज़र गए हैं। वह एक हिन्दू मित्र की प्रेरणा से मुसलमान हुआ था और वह मित्र भी उसी समय मुसलमान हो गया था। मेरा मित्र अरोड़ा क़ौम का था और उसका नाम कृपाराम था। अब उसका नाम अब्दुल अज़ीज़ है और बटाला में कपूरी गेट के अन्दर तम्बाकू बेचता है। सात वर्ष की अवधि में मिर्ज़ा साहिब के यहां विद्यार्थी रहा और पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा पाता रहा। वर्तमान में जो मिर्ज़ा साहिब के दावों के

शेष हाशिया- खोलकर बयान कर देने वाली क़ुर्आन की ऐसी खुली-खुली आयत का इन्कार किया जाए। अब जिस स्थिति में पवित्र क़ुर्आन के स्पष्ट शब्दों से हज़रत ईसा अ. की मौत ही सिद्ध होती है और दूसरी ओर पवित्र क़ुर्आन आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम खातमुन्नबिय्यीन रखता है और हदीस इन दोनों बातों का सत्यापन करती है और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस यह भी बता रही है कि आने वाला मसीह इस उम्मत में से होगा, यद्यपि किसी क़ौम का हो। अत: यहां स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न पैदा होता है कि ऐसे स्पष्ट आदेशों के बावजूद जो हज़रत ईसा अ. की मृत्यु और आने वाले मसीह के उम्मती होने को सिद्ध करते थे फिर इस बात पर इज्मा ✲ कैसे हो गया कि सचमुच हज़रत ईसा[अ.] अन्तिम युग में आसमान से उतर आएंगे। तो इसका उत्तर यह है कि इस मामले में जो व्यक्ति इज्मा (सर्व सम्मति) का दावा करता है वह बहुत मूर्ख या घोर बेईमान और झूठा है क्योंकि सहाबा को इस भविष्यवाणी की व्याख्याओं की आवश्यकता न थी। वह निस्सन्देह आयत فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ के अनुसार इस बात पर ईमान लाते थे कि हज़रत ईसा अ. मृत्यु पा चुके हैं। तभी तो हज़रत अबू बक्र रज़ि. ने हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन के समय इस बात का एहसास करके कि कुछ लोग आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन में सन्देह करते हैं ज़ोर से यह कहा कि कोई भी नबी जीवित नहीं है सब मृत्यु पा चुके हैं और यह आयत पढ़ी

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل (आले इमरान-145)

और किसी ने उनके इस बयान पर इन्कार न किया। फिर इसके अतिरिक्त इमाम

✲ **इज्मा**- सर्व सम्मति (अनुवादक)

बारे में जो इल्हाम झूठे सिद्ध हुए तो उसको विश्वास हुआ कि मिर्ज़ा साहिब नबी नहीं है और उसने सोचा कि मिर्ज़ा साहिब अच्छे आदमी नहीं हैं और उपद्रवी हैं। मैं सीधा क़ादियान से आया हूं और मैंने सार्वजनिक रूप से मिर्ज़ा साहिब को ज़ोर-ज़ोर से गालियां दी थीं। जब मैं वहां से चला था मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया। ख़ुदावन्द मसीह का कथन है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर पीछे चलो। मैं और कुछ नहीं चाहता केवल बपतिस्मा लेना चाहता हूं अपनी जीविका टोकरी उठाकर मज़दूरी करके व्यतीत करूंगा। हमें उसने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया कि वह अमृतसर क्यों आया है क्योंकि बटाला और गुरदासपुर में मिश्नरी साहिब मौजूद हैं,

शेष हाशिया- मालिक जैसा इमाम, हदीस और क़ुर्आन का विद्वान एवं संयमी इस बात का क़ाइल है कि हज़रत ईसा अ. मृत्यु पा गए हैं। इसी प्रकार इमाम इब्ने हजम जिनके व्यक्तित्व की महत्ता वर्णन की मुहताज नहीं, मसीह के मृत्यु पा जाने के क़ाइल हैं। इसी प्रकार इमाम बुख़ारी जिनकी किताब ख़ुदा की किताब (क़ुर्आन) के बाद सर्वाधिक सही क़िताब है मसीह अ. की मृत्यु हो जाने के क़ाइल हैं। इसी प्रकार विद्वान तथा हदीस विद एवं व्याख्याकार (मुफ़स्सिर) इब्ने तैमिय: और इब्ने क़य्यिम जो अपने-अपने समय के इमाम हैं हज़रत ईसा अ. की मृत्यु हो चुकने को मानते हैं। इसी प्रकार सूफियों के सरदार शैख़ मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी स्पष्ट एवं व्यापक शब्दों से अपनी तफ़्सीर में हज़रत ईसा अ. की मृत्यु को स्पष्ट तौर पर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य बड़े-बड़े विद्वान और हदीस विद तथा क़ुर्आन के व्याख्याकार निरन्तर यह गवाही देते आए हैं और मौतज़िल: फ़िर्क़े के समस्त बड़े-बड़े लोग और इमाम यही मत रखते हैं। फिर कितना झूठ है कि हज़रत ईसा अ. का जीवित आसमान पर जाना और फिर वापस आना इज्माई (सर्व सम्मति वाली) आस्था ठहरा दी जाए बल्कि यह उस युग की लोगों के विचार हैं जब धर्म में हज़ारों नए-नए आडम्बर पैदा हो गए थे और यह मध्य काल था, जिस का नाम आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ैज-आवज़ रखा है और फ़ैज आवज के लोगों के बारे में फ़रमाया है कि لَيْسُوْا مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ अर्थात् न वे मुझ से हैं और न मैं उनमें से हूं। इन लोगों ने इस आस्था को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीवित आकाश पर चले गए और वहां लगभग उन्नीस सौ वर्ष से जीवित पार्थिव शरीर के साथ मौजूद हैं और फिर किसी समय पृथ्वी पर वापस आएंगे को अपनाकर पवित्र क़ुर्आन की चार जगह मुख़ालिफ़त की है। **प्रथम-** यह कि पवित्र क़ुर्आन स्पष्ट शब्दों द्वारा हज़रत ईसा अ. की मृत्यु स्पष्ट करता है, जैसा कि वर्णन हुआ और यह लोग उनके

और न उसने कोई विशेष कारण बताया कि वह विशेष तौर पर मेरे पास क्यों आया है जबकि और भी मिश्नरी मौजूद हैं। उसने केवल यह कहा कि संयोग से एक व्यक्ति के आप की कोठी बताने पर आया हूं। जब हमने उससे पूछा कि तुमने रेल का किराया कहां से लिया तो वह बता न सका। इन बातों पर विचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया और हमने मामला विचार करने योग्य समझा और मेरे हृदय में यह विचार गुज़रा कि इसके बयान लेखराम के क़ातिल के बयानों से बड़ी विचित्र समानता रखते हैं। हमने उसकी ओर विशेष ध्यान रखा। उससे बातचीत करके हमने कथित इरादा किया। उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म से अवगत होना व्यक्त किया, हमने पूछा यह ईसाई धर्म का ज्ञान कहां से प्राप्त किया। उसने कहा कि

शेष हाशिया- जीवित होने को मानते हैं। **दूसरे** यह कि पवित्र क़ुर्आन साफ और स्पष्ट शब्दों में वर्णन करता है कि कोई इन्सान पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जीवित नहीं रह सकता जैसा कि उसका कथन है-

فِيۡهَا تَحۡيَوۡنَ وَ فِيۡهَا تَمُوۡتُوۡنَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُوۡن (अलआराफ़-26)

अर्थात् तुम पृथ्वी पर ही जीवित रहोगे और पृथ्वी में ही मरोगे और पृथ्वी से ही निकाले जाओगे। परन्तु यह लोग कहते हैं कि "नहीं इस पृथ्वी और वायुमंडल से बाहर भी इन्सान जीवित रह सकता है, जैसा कि अब तक जो लगभग उन्नीसवीं सदी गुज़रने को है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकाश पर जीवित हैं।" हालांकि पृथ्वी पर जो क़ुर्आन के अनुसार मनुष्यों के जीवित रहने का स्थान है, जीवन को क़ायम रखने के साधनों के बावजूद कोई व्यक्ति उन्नीस सौ वर्ष तक आरंभ से आज तक कभी जीवित नहीं रहा तो फिर आकाश पर उन्नीस सौ वर्ष तक जीवन व्यतीत करना क़ुर्आन के इस आदेश की दृष्टि से कि थोड़ा समय भी बिना पृथ्वी के मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, कितना क़ुर्आन के स्पष्ट आदेशों के विरुद्ध है जिस पर हमारे विरोधी अकारण अड़े हुए हैं। **तीसरे-** यह कि पवित्र क़ुर्आन साफ कहता है कि किसी मनुष्य का आकाश पर चढ़ जाना ख़ुदा के नियम के विपरीत है। जैसा कि फ़रमाता है-

قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّیۡ هَلۡ کُنۡتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوۡلًا (बनी इस्राईल-94)

परन्तु हमारे विरोधी हज़रत ईसा को उनके पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर चढ़ाते हैं।

चौथे- यह कि पवित्र क़ुर्आन साफ फ़रमाता है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खातमुल अंबिया हैं परन्तु हमारे विरोधी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ातमुल

क़ादियान में बटाला निवासी एक ईसाई साइयां नामक रहता है जो मुसलमान होकर मिर्ज़ा साहिब के यहां रहता है उसके पास पवित्र इंजील थी और अध्ययन किया करता था जहां से मुझे रूचि और प्रेरणा मिली। मैंने उस नौजवान को महान सिंह गेट वाले अस्पताल में भेज दिया कि वहां छात्रों के पास रहे और शिक्षा पाए और हमने उसे बोतलों को साफ़ करने इत्यादि का काम दिया। लगभग पांच-छ: दिन तक वह उस स्थान पर रहा। प्रथम उसमें ध्यान देने योग्य यह बात थी कि वह मिर्ज़ा साहिब के बारे में बहुत ही बुरी बातें करता था। द्वितीय- वह बपतिस्मा लेने की अत्यधिक इच्छा रखता था। तृतीय- वह अकारण तथा बिना बुलाए हमारी कोठी पर आकर गश्त और सैर तथा भेंट चाहता था और इसके बावजूद कि पन्द्रह वर्ष

शेष हाशिया- अंबिया ठहराते हैं और कहते हैं कि जो सही मुस्लिम इत्यादि में आने वाले मसीह को 'ख़ुदा के नबी' के नाम से याद किया है वहां स्वतन्त्र और वास्तविक नुबुव्वत अभिप्राय है। अब स्पष्ट है कि जब वह अपनी नुबुव्वत के साथ दुनिया में आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क्योंकर ख़ातमुल अंबिया ठहर सकते हैं? नबी होने की अवस्था में हज़रत ईसा अ. नुबुव्वत की विशेषताओं से क्योंकर वंचित रह सकते हैं!

निष्कर्ष यह कि इन लोगों ने यह आस्था अपनाकर चार प्रकार से पवित्र क़ुर्आन का विरोध किया है फिर यदि पूछा जाए कि इस बात का सबूत क्या है कि हज़रत ईसा अ. अपने पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर चढ़ गए थे? तो न कोई आयत प्रस्तुत कर सकते हैं और न कोई हदीस दिखा सकते हैं। केवल नुज़ूल के शब्द के साथ अपनी तरफ़ से आसमान का शब्द मिलाकर लोगों को धोखा देते हैं। परन्तु याद रहे कि किसी मर्फ़ूअ मुत्तसिल हदीस में आसमान का शब्द पाया नहीं जाता और नुज़ूल का शब्द अरब के मुहावरों में मुसाफिर के लिए आता है और नज़ील मुसाफिर को कहते हैं। अत: हमारे देश का भी यही मुहावरा है कि आदर के तौर पर किसी शहर में आने वाले से पूछा करते हैं कि आप कहां उतरे हैं और इस बोल-चाल में कोई भी यह नहीं सोचता कि यह व्यक्ति आसमान से उतरा है। यदि इस्लाम के समस्त फ़िर्क़ों की हदीस की किताबें तलाश करो तो सही हदीस तो क्या कोई बनावटी हदीस भी ऐसी नहीं पाओगे जिसमें यह लिखा हो कि हज़रत ईसा पार्थिव शरीर के साथ आसमान पर चले गए थे और फिर किसी युग में पृथ्वी की ओर वापस आएंगे। यदि कोई हदीस प्रस्तुत करे तो हम ऐसे व्यक्ति को बीस हज़ार रुपए तक जुर्माना दे सकते हैं और तौबा करना तथा अपनी समस्त किताबों को जला देना इसके अतिरिक्त होगा, जिस

की आयु में वह मुहम्मदी हुआ था अपनी गोत्र (ब्राह्मण) से अपरिचित था और ननिहाल वालों से अज्ञान था तथा विभिन्न लोगों से अपने बारे में विभिन्न प्रकार की कहानी वर्णन की। उदाहरणतया एक व्यक्ति से उसने अपने मित्र ईसरदास नाम की बजाए कृपाराम बताया। पांच दिन गुज़रने के पश्चात् हमने उसे ब्यास में अपने अस्पताल भेज दिया। वहां भी मेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसने जाते ही एक पत्र मौलवी नूरुद्दीन के नाम जो मिर्ज़ा साहिब के दाएं हाथ का फ़रिश्ता है लिखा। यह उसी व्यक्ति के द्वारा ज्ञात हुआ था कि पत्र उसने लिखा है। इस पत्र का मतलब यह था कि मैं ईसाई होने लगा हूं आप रोक सकते हैं तो रोक लें। यह बात भी उसी से ज्ञात हुई थी तथा दूसरी गवाही भी है। पत्र लिखने का कारण यह था कि हमने उसे

शेष हाशिया- प्रकार चाहें सन्तुष्टि कर लें।

अफ़सोस है कि हमारे भोले-भाले उलेमा केवल नुज़ूल का शब्द हदीसों में देखकर इस जंजाल में फंस गए हैं कि व्यर्थ आशाएं कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अ. आसमान से वापस आएंगे और वह दिन एक बड़े तमाशे और नज़ारा का दिन होगा कि उनके दाएं-बायें फरिश्ते साथ-साथ होंगे जो उन्हें आसमान से उठाकर लाएंगे। अफसोस कि यह लोग किताबें तो पढ़ते हैं परन्तु आंख बन्द करके। फरिश्ते तो हर मनुष्य के साथ रहते हैं और सही हदीस के अनुसार विद्यार्थियों पर अपने परों की छाया डालते हैं। यदि मसीह को फ़रिश्ते उठाएं तो क्यों निराले तौर पर इस बात को माना जाए? पवित्र क़ुर्आन से तो यह भी सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को ख़ुदा तआला उठाए फिरता है-

حَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (बनी इस्राईल-71)

परन्तु क्या ख़ुदा किसी को दिखाई देता है? यह सब रूपक हैं, परन्तु एक मूर्ख फ़िर्क़ा चाहता है कि इनको वास्तविक रूप में देखें और इस प्रकार से अकारण विरोधियों को एतराज़ का अवसर देते हैं। यह मूर्ख नहीं जानते कि यदि हदीसों का उद्देश्य यह था कि वही मसीह जो आसमान पर गया था वापस आएगा। तो इस स्थिति में **नुज़ूल** का शब्द बोलना बेमौक़ा था ऐसे अवसर पर अर्थात् जहां किसी का वापस आना वर्णन किया जाता है, अरब के वाक्पटु और भाषाविद **रुजूअ (लौटना)** बोला करते हैं न कि **नुज़ूल** (उतरना)। फिर किस तरह ऐसा कलाहीन और अनुचित शब्द उस सबसे बड़े अलंकर्ता और ज्ञानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर सम्बद्ध किया जाए जो समस्त अलंकर्ताओं का सिरमौर है।

कहा था कि यह उचित न होगा कि हम मिर्ज़ा साहिब को लिखें कि यह व्यक्ति ईसाई होना चाहता है कल को यह न कहें कि तुम उन के चोर हो। उसने कहा कि नहीं मैं स्वयं ही पत्र लिखता हूं। उस ने पत्र लिखकर बैरंग डाक में डाला और मुझे पत्र द्वारा पत्र लिखने से मना किया था जब तक मेरे बपितस्मा का समय हो। वह पत्र हमारे पास है और हम प्रस्तुत करेंगे। फिर हमने उस नौजवान लड़के की परिस्थितियों के बारे में मालूम करना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति को बटाला में मालूम करने के लिए भेजा गया। उस व्यक्ति का नाम मौलवी अब्दुर्रहीम है। उसने बटाला के बारे में अब्दुल हमीद के हालात पूरी तरह झूठे पाए। उसमें लेशमात्र भी सच न था। तब मौलवी अब्दुल रहीम सीधा क़ादियान में मिर्ज़ा साहिब के पास पहुंचा और

शेष हाशिया- एक बड़ा धोखा इन अल्प बुद्धि उलेमा को यह लगा है कि जब पवित्र क़ुर्आन में ये लोग यह आयत पढ़ते हैं कि

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (अन्निसा-158)

तथा यह आयत -

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (अन्निसा-159)

तो अपनी अत्यंत मूर्खता से यह समझ लेते हैं कि क़त्ल क़त्ल न होना और सलीब पर न मरना और शब्द रफ़अ इसी को सिद्ध करते हैं कि हज़रत ईसा यहूदियों के हाथ से बचकर अपने पार्थिव शरीर के साथ आसमान पर चले गए। मानो आसमान के बिना अन्य कोई स्थान उन्हें छुपाने के लिए अल्लाह तआला को पृथ्वी पर नहीं मिलता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िरों के हाथ से सुरक्षित रखने के लिए तो एक डरावनी और सापों से भरी गुफा पर्याप्त हो गई परन्तु मसीह के दुश्मन पृथ्वी पर उसे नहीं छोड़ सकते थे चाहे अल्लाह तआला उनको बचाने के लिए पृथ्वी पर कैसा भी उपाय करता। इसलिए यहूदियों से विवश होकर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तआला ने डर कर उनके लिए आसमान प्रस्तावित किया। क़ुर्आन में तो **रफ़ा इलस्समाए** (आकाश की ओर उठाने) की चर्चा तक नहीं बल्कि रफ़ा इलल्लाह (ख़ुदा की तरफ़ उठाना) का वर्णन है जो प्रत्येक मोमिन के लिए होता है।

यह लोग यह भी नहीं सोचते कि यदि यही किस्सा सही है तो पवित्र क़ुर्आन में जो इस किस्से का उल्लेख किया तो इन आयतों के उतरने का क्या उद्‌देश्य था और कौन सा झगड़ा यहूदियों और ईसाइयों में हज़रत ईसा के आकाश पर पार्थिव शरीर के साथ जाने के बारे में था जिस झगड़े को पवित्र क़ुर्आन ने इन आयतों के साथ फैसला करना चाहा।

मकान पर पहुंच कर उसने पूछा कि क्या कोई अब्दुल मजीद नामक यहां पर है। एक लड़का वहां था उसने कहा कि हां था परन्तु मिर्ज़ा साहिब को गालियां देकर चला गया है। फिर अब्दुर्रहीम मिर्ज़ा साहिब के पास गया और पूछने पर कहा मैं ईसाई हूं तथा अब्दुल मजीद के बारे में पूछा। मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि वह झूठा है, पैदायशी मुसलमान है और उसका पैदायशी नाम अब्दुल हमीद है और वह मौलवी बुरहानुद्दीन जेहलमी का भतीजा है। वह रावलपिण्डी में ईसाई हुआ था और यहां क़ादियान में आकर फिर मुसलमान हो गया था और थोड़े दिनों तक टोकरी उठाने की मज़दूरी करता रहा और लगभग सात-आठ दिन से यहां से चला गया है

शेष हाशिया- स्पष्ट है कि पवित्र क़ुर्आन के उद्देश्यों में से एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि यहूदियों और ईसाइयों के मतभेदों का सच्चाई के साथ फैसला करे। अत: याद रहे कि यहूदियों और ईसाइयों में जो हज़रत ईसा अ. के बारे में मतभेद था और अब भी है वह मतभेद उनके रूहानी (आध्यात्मिक) रफ़ा के बारे में है। यहूदियों ने सलीब दिए जाने से यह नतीजा निकाला था कि हज़रत ईसा का रफ़ा रूहानी नहीं हुआ और नऊज़ुबिल्लाह वह लानती हैं, क्योंकि उनके धर्मानुसार प्रत्येक मोमिन का मृत्यु के पश्चात् ख़ुदा तआला की ओर रफ़ा होता है, परन्तु जो व्यक्ति सलीब के द्वारा मारा जाए उसका ख़ुदा तआला की तरफ़ रफा नहीं होता अर्थात् वह व्यक्ति लानती होता है। अत: यहूदियों का यही तर्क था कि हज़रत ईसा अ. सलीब पर मर गए, इसलिए उनका रूहानी रफ़ा नहीं हुआ और वह लानती हैं और मूर्ख ईसाइयों ने भी तीन दिन के लिए हज़रत ईसा को रफ़ा से वंचित समझा और लानती ठहराया। अब पवित्र क़ुर्आन का इस बयान से उद्देश्य यह है कि हज़रत ईसा के रूहानी रफ़ा पर गवाही दे। इसलिए अल्लाह तआला ने مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ कह कर सलीब का इन्कार कर दिया फिर उस का परिणाम यह निकाला कि بَلْ رَّفَعَهُ اِلَيْهِ और इस प्रकार झगड़े का फैसला कर दिया।

अब न्याय पूर्वक देखो कि यहां शारीरिक रफ़ा का संबंध और मतलब क्या है। यहूदियों में से अब तक लाखों जीवित मौजूद हैं उनके प्रकाण्ड विद्वानों से पूछ लो कि क्या आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सलीब पर मारे जाने से यह नतीजा निकालते हैं कि उनका रूहानी रफ़ा नहीं हुआ। इसी प्रकार यहूदी यह कहते थे कि सच्चा मसीह उस समय आएगा जब मलाकी नबी की भविष्यवाणी के अनुसार एलिया नबी दोबारा दुनिया में आ जाएगा। फिर जबकि ख़ुदा तआला ने अपनी महान युक्ति से जिसकी वास्तविकता मनुष्यों पर

और यह समयसीमा उस समयसीमा के अनुसार है जब वह हमारी कोठी पर आया था। अन्त में मिर्ज़ा साहिब ने कहा-उसकी अच्छी तरह आवभगत करो और भोजन तथा लिबास अच्छा दो तो वह तुम्हारे पास रहेगा। फिर हमने जेहलम से मालूम किया वहां से हमें ज्ञात हुआ कि उस युवक का नाम अब्दुल मजीद नहीं है तथा उसका पिता मृत्यु पा चुका है। उसकी मां ने उसके एक चाचा से निकाह कर लिया है और दूसरा चाचा और ख़ानदान का बड़ा सदस्य मौलवी बुरहानुद्दीन है जो मौलवी बुरहानुद्दीन ग़ाज़ी के नाम से प्रसिद्ध है वह क़ौम के गक्खड़ हैं। मौलवी बुरहानुद्दीन अपने पूरे ख़ानदान के साथ बहुत पक्के मुहम्मदी हैं। बुरहानुद्दीन

शेष हाशिया- नहीं खुल सकती यहूदियों को इस परीक्षा में डाला कि एलिया नबी जिस की उन्हें प्रतीक्षा थी आकाश से नहीं उतरा और हज़रत इब्ने मरयम ने मसीह होने का दावा कर दिया तो यह दावा यहूदियों को स्पष्ट आदेशों के विरूद्ध प्रतीत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि यह व्यक्ति सच्चा है तो फिर नऊज़ुबिल्लाह तौरात झूठी है और संभव नहीं कि ख़ुदा की किताबें झूठी हों। अत: समस्त इन्कार की जड़ यही थी। इसी कारण यहूदी हज़रत मसीह के कट्टर दुश्मन हो गए और उनको काफ़िर, मुर्तद, दज्जाल और नास्तिक कहने लगे और समस्त उलेमा का फ़त्वा उनके काफ़िर होने पर लग गया और उनमें संयमी, सन्यासी और रब्बानी भी थे। वे सब उनके कुफ्र पर सहमत हो गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह व्यक्ति तौरात की ज़ाहिरी बातों को छोड़ता है। यह सम्पूर्ण उपद्रव इस बात से पड़ा कि हज़रत मसीह ने एलिया नबी के दोबारा आने के बारे में यह तावील प्रस्तुत की थी कि इस से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जो उसकी प्रकृति और स्वभाव पर हो और वह यूहन्ना अर्थात् यह्या ज़करिया का बेटा है। परन्तु यह व्याख्या यहूदियों को पसन्द नहीं आई और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है उन्होंने हज़रत ईसा को इस बात से नास्तिक ठहरा दिया कि वह तौरात की आयतों को उनके प्रत्यक्ष (अर्थ) से फेरता है। परन्तु चूंकि हज़रत ईसा वास्तव में सच्चा नबी था और उनकी तावील चाहे देखने में कैसी ही सोच से दूर थी लेकिन ख़ुदा तआला के निकट सही थी। इसलिए कुछ लोगों के दिलों में यह भी विचार था कि यदि यह व्यक्ति झूठा है तो सच के प्रकाश उसमें क्यों पाए जाते हैं और क्यों सच्चे रसूलों की तरह उससे निशान प्रकट होते हैं। अत: इस विचार को दूर करने के लिए यहूदियों के मौलवी हर समय इसी उपाय में लगे हुए थे कि किसी प्रकार लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह व्यक्ति नऊज़ुबिल्लाह झूठा और लानती है। अन्तत: उन्हें यह बात सूझी कि यदि उसे

मुजाहिदों में से हैं। मेरा तात्पर्य है कि जो मुजाहिद सरहद से बाहर है उन से उसका संबंध और संपर्क रहा है और वह बड़ा निर्भीक है यद्यपि कि अब वह बूढ़ा है। जहां तक सुना है उसकी जीविका शुद्ध कमाई से है और सारे ख़ानदान का संबंध विशेष तौर पर बुरहानुद्दीन मिर्ज़ा साहिब पर प्राण न्योछावर करने वाले हैं। युवक की कुछ मिल्कियत लगभग चार बीघा भूमि है और कुछ नक़दी भी है जो पिता की मृत्यु के समय उसके चाचाओं के कब्ज़े में आई। यह छान-बीन मुहम्मद यूसुफ ख़ान ने की थी जो मिर्ज़ा साहिब का पहले मुरीद था और स्वयं भी मुजाहिदों की भावना रखता था और बुरहानुद्दीन का पुराना मित्र था, उसका पत्र हमारे पास है

शेष हाशिया- सलीब दी जाए तो नि:सन्देह हर एक पर स्पष्ट तौर पर सिद्ध हो जाएगा कि यह व्यक्ति नऊज़ुबिल्लाह लानती और उस रफ़ा से वंचित है जो सत्यनिष्ठों का ख़ुदा तआला की ओर होता है और इस से उसका झूठा होना सिद्ध होगा। क्योंकि तौरात में यह लिखा था कि जो व्यक्ति सलीब पर लटकाया जाए वह लानती है अर्थात् ख़ुदा तआला की ओर उसका रफ़ा नहीं होता। अत: उन्होंने अपनी समझ से ऐसा ही किया अर्थात् सलीब दी। और यह बात ईसाइयों पर भी संदिग्ध हो गई और उन्होंने भी सोच लिया कि हज़रत मसीह वास्तव में मस्लूब (सलीब पर मरना) हो गए हैं और फिर इस आस्था से उन्हें यह दूसरी आस्था भी अपनानी पड़ी कि वह लानती भी हैं। परन्तु लानत को छुपाने के लिए और उसका कलंक दूर करने के लिए यह उपाय सोचा गया कि उनको ख़ुदा तआला का बेटा बनाया जाए। ऐसा बेटा जिसने दुनिया के समस्त पापियों की लानतें अपने सर पर उठा लीं और दूसरे लानतियों की बजाए स्वयं लानती बन गया और फिर लानतियों की मौत से मरा अर्थात् सलीब पर मरा। क्योंकि बनी ईस्राईल में हमेशा से यह रस्म थी कि जुर्म करने वालों और क़त्ल के अपराधियों को सलीब द्वारा ही मारते थे। इस दृष्टि से सलीबी मौत लानती मौत समझी गयी थी। परन्तु ईसाइयों को यह बहुत बड़ा धोखा लगा कि उन्होंने अपने पीर और मुर्शिद (धर्म गुरू) और नबी को लानती ठहराया। वे बहुत ही शर्मिन्दा होंगे जब वे इस बात पर विचार करेंगे कि लानत का अर्थ शब्दकोश की दृष्टि से इस बात को चाहता है कि मलऊन व्यक्ति वास्तव में ख़ुदा से विमुख हो गया हो क्योंकि लानत ख़ुदा का एक काम है और यह काम इन्सान के उस काम के पश्चात् प्रकट होता है जब इन्सान जान बूझ कर बेईमान हो कर ख़ुदा तआला से सम्पूर्ण संबंध तोड़ दे और ख़ुदा से विमुख हो जाए और ख़ुदा उस से विमुख हो जाए। अतः जब ऐसे व्यक्ति से ख़ुदा भी विमुख हो जाए और उसे

जो प्रस्तुत किया जाता है। पुनः- प्रस्तुत करने की आवश्कता नहीं है। उस युवक का कभी बपतिस्मा नहीं दिया गया था और वह अत्यन्त पाशविक और असभ्य जीवन व्यतीत कर आया था तथा उसने अपने चाचा के चालीस रुपए चोरी करके काम वासनाओं की रसिकता में लुटाए थे। वह रात-दिन मदोन्मत, भोग-विलासियों तथा रण्डी बाज़ियों में फिरता रहता था। फिर हमने उसके ईसाई होने का अभिलाषी होने के बारे में गुजरात से मालूम किया, हमने स्वयं मालूम किया था। मालूम हुआ कि वह गुजरात के मूंग ज़िले के रिलीफ़ वर्क्स पर परमिट पर रहा था और प्रतिदिन मुनादी के समय आकर पादरी साहिब या ईसाइयों को परेशान करता था और अपनी

शेष हाशिया- अपने दरबार से अस्वीकार कर दे और उसे दुश्मन बना ले तो इस अवस्था में उस धिक्कृत का नाम मलऊन होता है और यह बात आवश्यक होती है कि यह मलऊन व्यक्ति ख़ुदा तआला से विमुख हो जाए और ख़ुदा तआला उसका दुश्मन हो जाए और मलऊन व्यक्ति ख़ुदा तआला की मारिफ़त से पूर्णतया वंचित हो जाए तथा अन्धा और गुमराह हो जाए। और एक कण के बराबर ख़ुदा का प्रेम उसके दिल में न रहे। इसीलिए शब्दकोश के अनुसार लईन शैतान का नाम है।अत: स्पष्ट है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस आरोप से बिलकुल पवित्र हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उनको लानती कहा जाए और उन्हें ख़ुदा की तरफ़ रफा से वंचित समझा जाए। परन्तु ईसाइयों ने अपनी मूर्खता से और यहूदियों ने अपनी शरारत से उनको लानती ठहराया। और जैसा कि हम लिख चुके हैं कि लानत का शब्द रफ़ा के शब्द का विलोम है। इसलिए इस से यह अनिवार्य हुआ कि वह नऊज़ुबिल्लाह मृत्यु के पश्चात् ख़ुदा की ओर नहीं बल्कि नर्क की ओर गए। क्योंकि लानती अर्थात् वह व्यक्ति जिसका ख़ुदा तआला की ओर रफ़ा न हुआ वह नर्क की ओर जाता है। यह मुसलमानों और यहूदियों की सर्वसम्मत आस्था है इसीलिए ईसाइयों को यह आस्था रखनी पड़ी कि हज़रत ईसा मृत्यु के पश्चात् तीन दिन तक नर्क में रहे। अत: एक सच्चे नबी का इन दोनों क़ौमों ने बड़ा अपमान किया। इसलिए ख़ुदा तआला ने चाहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस आरोप से बरी करे। अत: प्रथम तो ख़ुदा तआला ने पवित्र क़ुर्आन में यह फ़रमाया कि मसीह इब्ने मरयम वास्तव में सच्चा नबी, रोबदार चेहरे वाला तथा ख़ुदा के सानिध्य प्राप्त लोगों में से था और फिर यहूदियों और ईसाइयों के इस भ्रम को भी दूर किया कि वह सलीब पर मर कर लानती हुआ और फ़रमाया

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (अन्निसा-158)

बहन के पास जो 'कहवा' में रहती थी रहता था और कहा कि एक दिन मैं इंजील पढ़ता था, एक दिन बहनोई ने निकाल दिया और पादरी साहिब के पास गुजरात चला आया। हमारी पूछ-ताछ का परिणाम यह था कि वह लड़का अत्यन्त बदचलन और संदिग्ध सा व्यक्ति गुजरात में था। इसलिए व्यभिचार के व्यसन के कारण मिशन वालों ने गुजरात से निकाल दिया था। उसे किसी प्रकार से भी ईसाई नहीं समझा जाता था अपितु अत्यन्त बुरा मुहम्मदी समझा जाता था। गुजरात में उसकी मित्र बाज़ारी स्त्रियां थीं या एक व्यक्ति मीरा बख़्श जुलाहा था जो मिर्ज़ा साहिब का पक्का श्रद्धालु मुरीद है। जब हमने ये बातें सुनीं तो हमारा सन्देह मिर्ज़ा साहिब के बारे में और अधिक हुआ कि वह क़ादियान में टोकरी उठाता रहा था और अन्त

शेष हाशिया- और यह भी फ़रमाया -

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ (अन्निसा-159)

अत: इस प्रकार वह लानत और रफ़ा न होने के आरोप से जो छ: सौ वर्ष से उन पर यहूदियों और ईसाइयों की ओर से डाली गई थी उसे दूर किया। अत: इन आयतों के उतरने का कारण यही है कि यहूदी और ईसाई हज़रत मसीह को लानती समझते थे और अत्यावश्यक था कि उन उपद्रवियों तथा मूर्खों की ग़लती बताकर उनके झूठे आरोप से हज़रत मसीह को बरी कर दिया जाए। इसलिए इस आवश्यकता के लिए पवित्र क़ुर्आन ने यह फैसला कर दिया कि मसीह सलीब पर नहीं मरा और जब सलीब पर नहीं मरा तो यह आरोप सर्वथा ग़लत ठहरा कि उसका रफ़ा ख़ुदा की तरफ़ नहीं हुआ और नऊज़ुबिल्लाह वह लानती हुआ अपितु ख़ुदा तआला ने उसे अन्य सानिध्य प्राप्त लोगों की भांति प्रतिष्ठा के महान इनाम से विभूषित किया तथा ख़ुदा तआला ने इस फैसले में हज़रत ईसा के लानती और रफा न होने के बारे में ईसाइयों और यहूदियों दोनों को झूठा ठहराया।

अब इस सम्पूर्ण जांच पड़ताल से स्पष्ट है कि हज़रत ईसा का बरी होना तथा उनका सच्चा होना, झूठा न होना शारीरिक रफ़ा (शारीरिक रूप से उठाए जाने) पर आधारित न था और शारीरिक रफ़ा के न होने से उनका झूठा और लानती होना अनिवार्य नहीं होता था। क्योंकि यदि सच्चा और ख़ुदा का सानिध्य प्राप्त होने के लिए शारीरिक रफ़ा की आवश्यकता है तो इन मूर्ख उलेमा की आस्थानुसार अनिवार्य ठहरता है कि केवल हज़रत ईसा ही ख़ुदा के सानिध्य प्राप्त हो और शेष समस्त नबी जिन का शारीरिक रफ़ा पार्थिव शरीर के साथ

में गालियां देकर चला आया है जिसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि इस बात का सन्देह न हो कि इस युवक का मिर्ज़ा साहिब से षड़यंत्र है और मिर्ज़ा साहिब जब मुझ से पूछा गया तो जो मालूम था कह दिया था। हमने अपराधों के करने के सिद्धान्त का जो कानून है उसका अध्ययन किया है और हमें ज्ञात है कि उस ज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति व्यभिचार पर तत्पर हो उसे क़त्ल करने पर तत्पर करना आसान है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिन को स्वर्ग की अप्सराओं की अभिलाषा हो और ऐसे युवकों को जिनको व्यभिचार की लत हो, क़त्ल करने पर तैयार हो जाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग की अप्सराओं का विचार बड़ा कौर (लुक़्मा) है। प्राण जाए तो जाए स्वर्ग की अप्सराएं तो मिलेंगी, तथा हमें यह भी

शेष हाशिया- ख़ुदा तआला की ओर नहीं हुआ वे नऊज़ुबिल्लाह ख़ुदा के सानिध्य से वंचित हों, और जब शारीरिक रफ़ा कुछ चीज़ ही न था तथा किसी नबी के सच्चा और ख़ुदा का प्यारा होने के लिए उसका भौतिक शरीर के साथ आकाश पर जाना आवश्यक न था तो कैसे संभव था कि ख़ुदा के कलाम में जो रहस्यों से भरपूर है यह बेकार और व्यर्थ झगड़ा आरंभ किया जाता। हालांकि यहूदियों का यह उद्देश्य और अभिप्राय न था कि हज़रत मसीह के शारीरिक रफ़ा के बारे में बहसें करें और ऐसी बहस से उन्हें कुछ प्राप्त न था। उनका सम्पूर्ण उद्देश्य जिसके लिए उनकी क़ौम में शत्रुओं जैसा जोश पैदा हुआ था और अब तक है, केवल यह था कि वे उनके सलीब पर मरने से यह परिणाम निकालें कि उनका रूहानी रफ़ा नहीं हुआ। इसी कारण से उन्होंने अपनी समझ में उनको सलीब दी और तौरात में इस बात का स्पष्ट विवरण है कि जो व्यक्ति लकड़ी पर लटकाया जाए अर्थात् सलीब दिया जाए वह लानती होता है अर्थात् उसे अल्लाह तआला का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कि ख़ुदा की ओर रफ़ा नहीं होता बल्कि नर्क के सबसे निचले तल में गिराया जाता है। अतः यह सलीब का शब्द और जो उसका परिणाम लानत वर्णन किया गया है यही पुकार-पुकार कर गवाही दे रहा है कि यहूदियों का सारा शोरग़ोग़ा उस समय यही था कि सलीब मिलने से मसीह का लानती होना सिद्ध है और लानती होने से रफ़ा न होना सिद्ध। अत: जो झूठा आरोप लगाया गया था ख़ुदा ने उसका फैसला करना था। हां यदि सलीब पर मरने का परिणाम तौरात के अनुसार यह वर्णन किया जाता कि जो व्यक्ति सलीब पर मरे उसका शारीरिक रफ़ा नहीं होता, तो संभव था कि ख़ुदा तआला मसीह को

ज्ञात हुआ कि वह युवक एक निकम्मे मुसलमान ख़ानदान जेहलमी से था जिनको मरने का तनिक भी भय नहीं है और यदि वह मिर्ज़ा साहिब के मुरीद के तौर पर मरता तो मिर्ज़ा साहिब का सम्मान था और यदि वह बतौर मुसलमान के मरता तो शहीद कहलाता और यदि यूँ ही मर जाता तो उसके चाचाओं को जायदाद से लाभ था। इन बातों को दृष्टिगत रखकर हम ब्यास गए और हमने गवाहों के सामने उस युवक से बातचीत की और मेरे वादे पर कि हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते उस लड़के ने पांच गवाहों के सामने इक़रार किया और स्वयं लिखकर (अक्षर H) दिया जो उसने हमारे सामने लिखा था और फिर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के सामने सत्यापन भी करा दिया था। इस इक़रार नामे के अतिरिक्त उस युवक ने स्वयं मुझसे

शेष हाशिया- शारीरिक तौर पर आकाश पर पहुंचाता और कुछ भी सन्देह न रहने देता, परन्तु अब तो यह विचार सर्वथा निराधार और मूल विवाद और उसके फैसला से कुछ लगाव नहीं रखता और यह ख़ुदा तआला की शान के विरुद्ध है कि स्वयं को इस बेकार, व्यर्थ और निराधार विषय की बहस में डाले। ख़ुदा की शिक्षाएं मुक्ति और सानिध्य के मार्ग बताती हैं और नबियों पर से उन आरोपों का निवारण करती हैं जिनकी दृष्टि से उनके सानिध्य प्राप्त तथा मुक्ति प्राप्त होने पर दोष आता है। परन्तु इस शरीर के साथ आकाश पर चढ़ जाना मुक्ति तथा ख़ुदा के सानिध्य से कुछ संबंध नहीं रखता, अन्यथा मानना पड़ता है कि हज़रत मसीह के अतिरिक्त नऊज़ुबिल्लाह शेष समस्त नबी मुक्ति तथा ख़ुदा के सानिध्य से वंचित हैं और यह विचार खुला-खुला कुफ्र है। हमारे अज्ञानी मौलवी इतना भी नहीं सोचते कि यह रफा होने या न होने का सम्पूर्ण विवाद सलीब के मामले से आरंभ हुआ है अर्थात् तौरात ने सलीब पर मरने वालों को रूहानी रफ़ा से वंचित ठहराया है फिर यदि तौरात के यह अर्थ किए जाएं कि सलीब पर मरने वाला शारीरिक रफ़ा से वंचित रहता है तो ऐसे रफ़ा के न होने से नबियों और समस्त मोमिनों का क्या नुकसान है। हां यदि यह मान लें कि मुक्ति के लिए शारीरिक रफ़ा शर्त है तो नऊज़ुबिल्लाह मानना पड़ता है कि मसीह के अतिरिक्त समस्त अंबिया (अवतार) मुक्ति से वंचित हैं और यदि शारीरिक रफ़ा को मुक्ति, ईमान, सौभाग्य तथा ख़ुदा के सानिध्य की श्रेणियों से कुछ भी संबंध नहीं जैसा कि वास्तव में यही सच है तो क़ुर्आन के शब्द रफ़ा को मूल उद्देश्य और अभिप्राय से फेर कर और उसके उतरने के कारण से लापरवाह होकर स्वयं शारीरिक रफ़ा अभिप्राय ले लेना कितनी (अधिक) गुमराही

कहा कि मैं मिर्ज़ा साहिब के इंगित करने पर जानबूझ कर उन्हें गालियां देकर आया था और उसने हमसे यह भी कहा कि रेल का किराया टोकरी उठाने की मज़दूरी के तौर पर मिर्ज़ा साहिब ने दिया है और फिर उसने हम से यह भी कहा कि जो पत्र ब्यास से मौलवी नूरुद्दीन को भेजा था उस का उद्देश्य यह था कि मेरे निवास का उसको पता मिले। उसने यह भी कहा कि मौलवी नूरुद्दीन को इस षड़यंत्र का कुछ ज्ञान नहीं है और न उसने कभी कुछ इस बारे में कहा था। प्रेमदास से मौखिक रूप से हमें ज्ञात हुआ कि उस युवक के पीछे दो आदमी और फिरते थे और हमारी सोच लेखराम के क़ातिल के न पाए जाने पर विचार करके यह थी कि वे दो आदमी इसको भी मार डालेंगे, बाद इसके कि वह मुझे क़त्ल करे। इसलिए हमने

शेष हाशिया- है। पवित्र क़ुर्आन में तो यह भी है कि ख़ुदा तआला ने बलअम का रफ़ा करना चाहा था, परन्तु वह पृथ्वी की ओर झुक गया, तो क्या यहां भी यह कहोगे कि अल्लाह तआला का इरादा था कि बलअम को पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर उठाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्मरण रखे और बेईमानी का मार्ग न अपनाए कि पवित्र क़ुर्आन में हर स्थान पर रफ़ा से अभिप्राय रफ़ा रूहानी है।

कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि पवित्र क़ुर्आन में यह आयत भी है कि

رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا (मरयम-58)

और इस पर स्वयं बनाया हुआ क़िस्सा वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति इदरीस था, जिसे अल्लाह तआला ने शरीर के साथ आकाश पर उठा लिया था, परन्तु स्मरण रहे कि यह क़िस्सा भी हज़रत ईसा अ. के किस्से की भांति हमारे अल्प बुद्धि उलेमा की ग़लती है और वास्तविकता यह है कि यहां भी रूहानी रफ़ा ही अभिप्राय है। समस्त मोमिनों, रसूलों तथा नबियों का मृत्यु के पश्चात् रूहानी रफ़ा होता है और काफ़िर का रूहानी रफ़ा नहीं होता। अत: आयत

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ (अलआराफ़-41)

में इसी ओर संकेत है और यदि हज़रत इदरीस पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर गए होते तो आयत -

فِيْهَا تَحْيَوْنَ (अलआराफ- 26)

के स्पष्ट आदेशानुसार जैसा कि हज़रत मसीह का आकाशों पर निवास करना निषेध था,

बड़े ख़र्च और सावधानी से इस युवक के प्राण की रक्षा की। 31 जुलाई 1897 ई. को हम उसे पुनः अमृतसर ले गए और ज़िले के पदाधिकारियों को सूचना दी, फिर जांच-पड़ताल हुई जिसका हाल हमें मालूम नहीं। हमें आशंका है कि मिर्ज़ा साहिब के इशारों से शान्ति भंग होने की संभावना है तथा हमें आशंका है कि वह और भी षड़यंत्र करना चाहता है। जो भविष्यवाणी मिर्ज़ा साहिब ने हमारे बारे में की है वह अपमान जनक है तथा संभव है कि हमारी ओर से वह शान्ति भंग कराना चाहते हैं कि मैं स्वयं इन अपमानजनक शब्दों को देखकर शान्ति भंग करूं। हमें अपनी सुरक्षा का प्रायः प्रबन्ध करना पड़ता है। चूंकि हम डाक्टर हैं हमारा अधिकतर हर प्रकार के लोगों से संबंध रहता है और यदि इस प्रकार की आशंका हमेशा रहे तो कदाचित शान्ति भंग हो जाए। हमारे विचार में भविष्य के लिए कोई भविष्यवाणी

शेष हाशिया- इसी प्रकार उनका भी आकाश पर ठहरना निषेध है, क्योंकि ख़ुदा तआला इस आयत में अटल फैसला दे चुका है कि कोई व्यक्ति आसमान पर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए जीवित रहने का स्थान पृथ्वी है।

इसके अतिरिक्त इस आयत के दूसरे वाक्य में जो فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ है अर्थात् पृथ्वी पर ही मरोगे, स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पृथ्वी पर होगी। अतः इससे हमारे विरोधियों को यह आस्था रखनी भी पड़ी कि किसी समय हज़रत इदरीस भी आकाश से उतरेंगे। हालांकि दुनिया में यह किसी की आस्था नहीं और विचित्र बात यहकि पृथ्वी पर हज़रत इदरीस की क़ब्र भी मौजूद है जैसा कि हज़रत ईसा की क़ब्र मौजूद है। कुछ उलेमा इन ठोस सबूतों से परेशान होकर कहते हैं कि मान लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। परन्तु क्या ख़ुदा तआला में सामर्थ्य नहीं कि अन्तिम युग में उन्हें पुनः जीवित करे। परन्तु हम कहते हैं कि इसके अतिरिक्त पवित्र क़ुर्आन की दृष्टि से धिक्कारे हुए व्यक्ति का दुनिया में आकर आबाद होना सर्वथा निषेध है और आयत

فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْت (अज़्ज़ुमर-43)

उस रूह के दोबारा आने में बाधक है फिर यदि असम्भवित रूप से मान भी लें कि हज़रत ईसा जीवित होकर आएंगे तो हमें किसी हदीस या सहाबी के कथन से निशान बताना चाहिए कि कौन सी क़ब्र फटेगी जिस से वह जीवित होकर निकल आएंगे। खेद कि हमारे विरोधी एक झूठी आस्था में फंसकर अकारण गले पड़ा ढोल बजा रहे हैं। इन लोगों ने ऐसी

जो मेरे संबंध में हानि अथवा मृत्यु इत्यादि की जाए उसे शान्ति भंग करना समझा जाए। ब्यास में एक जीवित सांप पकड़ा गया था तो अब्दुल हमीद ने बड़ी मिन्नत और विनती की थी कि डाक्टर साहिब ने आदेश दिया है कि जब कोई सांप पकड़ा जाए तो हमारे पास लाना। हालांकि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था।

हस्ताक्षर- हाकिम

नक़ल बयान मुक़द्दमा अदालत फौजदारी सहित कप्तान एम.डब्ल्यू डगलस डिप्टी कमिश्नर ज़िला- गुरदासपुर की सभा में।

अदालत में पेश किया गया	फैसला	नम्बर बस्ता	नम्बर मुक़द्दमा
9 अगस्त 1897ई.	प्रस्ताव के अन्तर्गत	विभाग द्वारा	3/3

शेष हाशिया- व्यर्थ और निरर्थक आस्थाओं से धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई है और विरोधियों को ऐतराज़ करने का अवसर दिया है। मुसलमानों का एक फ़िर्क़ा जो नेचर और प्रकृति के नियम का आशिक़ हो रहा है वह इन्हीं लोगों के नितान्त अनुचित भाषणों से मसीह के दोबारा आने की भविष्यवाणियों से इन्कारी हो गया जो इस्लामी इतिहास में उच्च स्तर की तवातुर हदीसों में से है, क्योंकि उन लोगों ने जो नव शिक्षित और अनुसंधानात्मक विचार रखते थे जब इन लोगों के यह भाषण सुने कि "अन्तिम युग में एक दज्जाल पैदा होगा जिसका गधा लगभग तीन सौ हाथ लम्बा होगा और वह दज्जाल अपने अधिकार से वर्षा बरसाएगा और सूर्य उदय करेगा और मुर्दे जीवित करेगा तथा स्वर्ग और नर्क उसके साथ होंगे और ख़ुदा की समस्त वस्तुओं, दरियाओं, हवाओं, आग, पृथ्वी, चन्द्रमा तथा सूर्य आदि सृष्टियों पर उसका शासन होगा और एक आंख से काना और एक आंख में फूला होगा और ख़ुदा के उपासक (इबादत करने वाले) उसके समय में परेशानी तथा सूखा पड़ने से मरेंगे, उनकी दुआ भी स्वीकार नहीं होगी और दज्जाल की प्रशंसा करने वाले बड़े मज़े में होंगे। ठीक समयों पर दज्जाल उनकी खेतियों में वर्षा बरसा देगा और फिर मसीह आकाश से बड़ी शान के साथ उतरेगा, उसके दाएं-बाएं फरिश्ते होंगे, जहां तक उसकी सांस पहुंचेगी उससे काफ़िर लोग मरेंगे परन्तु अपनी सांस से दज्जाल को नहीं मार सकेगा और अन्तत: बड़े कठिन प्रयास और परिश्रम एवं कठिनाई से आक्रमण करके उसका अन्त करेगा।" इन भाषणों से नव शिक्षित लोग बहुत घबराए और सचमुच घबराने

सरकार द्वारा डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब

बनाम– मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

जुर्म 107, फौजदारी अदालत का कानून

हस्ताक्षर हाकिम 15-8-1897 ई. मुहर अदालत

परिशिष्ट बयान डॉ. क्लार्क साहिब दृढ़ इक़रार सहित 12 अगस्त 1897 ई.

भविष्यवाणी जो मिर्ज़ा साहिब ने मुसलमानों के लिए सुल्तान मुहम्मद के विरुद्ध और ईसाइयों के लिए अब्दुल्लाह आथम के बारे में की थी वह पूरी न

शेष हाशिया- का अवसर था, क्योंकि यदि दज्जाल ऐसा ही सत्तावान है तो जिस स्थिति में कि सृष्टि की पूजा करने वाले लोग अपने उपास्यों से ख़ुदाई का कोई चमत्कार देखे बिना अकारण सृष्टि- उपासना में ग्रस्त हो गए और उनकी संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में ख़ुदाई की शक्तियां दिखाएगा उसके उपासकों की संख्या कहां तक पहुंचेगी और ऐसे लोगों को क्यों न असमर्थ समझा जाए जिन्होंने उसकी पूरी ख़ुदाई देख ली होगी। देखो मसीह इब्ने मरयम दुनिया में आकर एक चूहा भी पैदा न कर सका तब भी चालीस करोड़ के लगभग सृष्टि पूजक लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। फिर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ख़ुदा की क़ुदरत की सम्पूर्ण व्यवस्था होगी वह दुनिया में कितना (अधिक) उपद्रव डाल सकता है और कृपालु-दयालु ख़ुदा की प्रकृति और नियम से सर्वथा दूर है कि ऐसे ईमान भस्म करने वाले उपद्रव में लोगों को ग्रस्त करे। इस से तो नऊज़ुबिल्लाह पवित्र क़ुर्आन की सारी तौहीद मिट्टी में मिलती है और अन्तर स्पष्ट कर देने वाली सम्पूर्ण क़ुर्आनी शिक्षा अस्त-व्यस्त हो जाती है। फिर ऐसा दज्जाल कैसे बुद्धिमान एवं विवेकी लोगों की समझ में आ सकता। इसी प्रकार मसीह इब्ने मरयम का अल्लाह की किताब के स्पष्ट आदेशों के विपरीत सैकड़ों वर्ष आकाश पर जीवन व्यतीत करके और फिर फ़रिश्तों के गिरोह में एक बड़े जमावड़े में उतरना और सांस से समस्त काफ़िरों को मारना और यह दृश्य दुनिया के लोगों को दिखाई देना जो ग़ैब (परोक्ष) पर ईमान लाने के भी विपरीत है वास्तव में ऐसी ही बात थी कि नेचर और प्रकृति के नियम को मानने वाले इस से इंकार करते। क्योंकि इस प्रकार के चमत्कारों का इतिहास में कोई उदाहरण नहीं और क़ुर्आन इसे झुठलाता है जैसा कि आयत

हुई★ और हिन्दुओं के लिए लेखराम के विरुद्ध जो भविष्यवाणी की थी शेष थी। भविष्यवाणियों के पूरा न होने की वजह से मिर्ज़ा साहिब को आमदनी में हानि पहुंची। लेखराम की मृत्योपरान्त मिर्ज़ा साहिब ने एक विज्ञापन (अक्षर M) जारी किया जिसमें वह लेखराम के क़त्ल का वर्णन करते हैं (विज्ञापन प्रस्तुत किया गया) एक और विज्ञापन जारी हुआ था (अक्षर N) मिर्ज़ा साहिब की ओर से, जिसमें

★**हाशिया :-** मैं अभी लिख चुका हूं कि यह दोनों भविष्यवाणियां बड़ी सफ़ाई से पूरी हो गई हैं। सुल्तान मुहम्मद अर्थात अहमद बेग का जो दामाद है उसके बारे में जो भविष्यवाणी थी, उसमें अहमद बेग उसका सुसर भी सम्मिलित था और भविष्यवाणी में तौबा की शर्त थी। अहमद बेग ने ने बार-बार धृष्टता की और झुठलाया, इसलिए निर्धारित अवधि के अन्दर मर गया। देखो यह भविष्यवाणी कैसी सफाई से पूरी हुई। रहा उसका दामाद, तो अहमद बेग की मौत ने उन सब को हिला दिया और डरे एवं भयभीत हो गए। इसलिए ख़ुदा ने उसके दामाद सुल्तान मुहम्मद को किसी और समय तक छूट दे दी और आथम भी इल्हामी शर्त और गवाही छुपाने के कारण हमारे इल्हाम के अनुसार मृत्यु पा गया। फिर यह कैसा अन्याय है कि सच को झूठ समझते हैं। (इसी से)

शेष हाशिया- قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ (बनी इस्राईल- 94) से प्रकट है।

अत: यह सारा गुनाह हमारे उलेमा की गर्दन पर है कि दज्जाल को ख़ुदाई का पूरा स्थान देकर तथा मसीह को ऐसे ढंग से आकाश से उतार कर जिसका उदाहरण चमत्कारों की सम्पूर्ण श्रृंखला और प्रकृति के नियम में नहीं पाया जाता। अन्वेषकों को बहुत घबराहट और हैरानी में डाल दिया अन्तत: वे बेचारे इन दोनों भविष्यवाणियों से इन्कारी हो गए।

हालांकि ये दोनों भविष्यवाणियां इस्लामी इतिहासों, हदीसों और सहाबा के कथनों में इस स्तर की निरन्तरता पर हैं कि यह निरन्तरता किसी दूसरी भविष्यवाणी में नहीं पाई जाती तथा कोई बुद्धिमान निरन्तरता वाली खबरों का इन्कार नहीं करता सकता। अत: अगर यह मोटी समझ वाले उलेमा इन भविष्यवाणियों के सीधे और सही अर्थ करते तो यह दयनीय फ़िर्क़ा इन्कार की कठिनाई में न पड़ता। और इन बुद्धिमानों से कदापि यह आशा न थी कि यदि वे सीधे और साफ और अनुमान के निकट अर्थ पाते तो उस उच्च स्तर की भविष्यवाणी को जिस पर इस्लाम के सारे फ़िर्क़े की सहमति है बल्कि ईसाइयों की इंजील भी इस पर गवाह है अस्वीकार कर देते। क्योंकि दज्जाल के यह सीधे अर्थ हैं जो स्वयं दजल के शब्द से ही मालूम हो रहे हैं। अर्थात् यह कि गेहूं दिखाकर जौ बेचने वाले के तौर पर धोखा

मिर्ज़ा साहिब एक और विज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है (अक्षर D) जिसमें अब्दुल्लाह आथम के मर जाने की भविष्यवाणी के बारे में सफ़ाई से लिखे जाने का मिर्ज़ा साहिब ने वर्णन किया है। अदालत के प्रश्न पर कि अब्दुल हमीद ने एक पत्र अमृतसर से क़ादियान किसी व्यक्ति के नाम भेजा था जिसका पता नहीं कौन था। अब्दुल हमीद ने मुझ से कहा था कि जब वह अमृतसर आया था सात वर्ष हिन्दू से मुसलमान हो कर मिर्ज़ा साहिब के पास रहा था और शिक्षा प्राप्त करता रहा था। मुझे यह मालूम नहीं कि बुरहानुद्दीन तथा लुक़मान के मध्य नाराज़गी है या नहीं। बुरहानुद्दीन जो ख़ानदान का प्रमुख, मिर्ज़ा साहिब का मुरीद है। प्रतिवादी के वकील के उत्तर में- अब्दुल मजीद 4-5 बजे सायं मेरी कोठी पर 16 जुलाई 1897 ई. को मुझ से आकर मिला था। मैं अपने आफ़िस के कमरे में था। उसने हमारे

शेष हाशिया- देने के पेशे को चरम सीमा तक पहुंचाना, यही अर्थ भविष्यवाणी में अभीष्ट हैं कि कोई बुद्धिजीवी उनके मानने में संकोच नहीं कर सकता और इसी दज्जालियत की दृष्टि से हदीसों में वादे दिए गए दज्जाल की दो प्रकार की विशेषताएं वर्णन की गई हैं। एक यह कि वह नुबुव्वत का दावा करेगा और दूसरे यह कि वह ख़ुदाई का दावा करेगा। इन दोनों बातों को यदि वास्तविकता पर चरितार्थ किया जाए तो अनुकूलता किसी प्रकार संभव नहीं क्योंकि नुबुव्वत के दावे के लिए यह बात अनिवार्य है कि दावा करने वाला व्यक्ति ख़ुदा को मानता हो और ख़ुदाई का दावा इस बात को चाहता है कि दावा करने वाला व्यक्ति स्वयं ही ख़ुदा बन बैठे और किसी अन्य ख़ुदा को न मानता हो। अत: ये दोनों दावे एक व्यक्ति की ओर से क्योंकर हो सकते हैं।

इसलिए असल बात यह है कि दज्जाल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है अरबी शब्दकोश के अनुसार दज्जाल उस गिरोह को कहते हैं जो स्वयं को ईमानदार और अमानतदार व्यक्त करे परन्तु वास्तव में न अमानतदार हो और न ईमानदार अपितु उसकी प्रत्येक बात में धोखा और छल देना हो अत:, यह विशेषता ईसाइयों के उस गिरोह में है जो पादरी कहलाते हैं और वह गिरोह जो भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनों, उद्योगों तथा ख़ुदाई कार्यों को अपने हाथ में लेने की चिन्ता में लगे हुए हैं। जो यूरोप के फ़िलास्फ़र हैं वे इस कारण दज्जाल हैं कि ख़ुदा के बन्दों को अपने कार्यों से और अपने बुलन्द दावों से इस धोखे में डालते हैं कि जैसे ख़ुदाई के कारखाने में उनका हस्तक्षेप है और पादरियों का गिरोह इस कारण नुबुव्वत का दावा कर रहा है कि वे लोग वास्तविक आसमानी इंजील को छुपा कर इंजील

पूछने पर कौन हो? क्यों आए हो? उसने अपना नाम इत्यादि क्रमानुसार बताया। आधे घंटे तक मेरे पास बैठा रहा था। उसने मुझ से जो कुछ बातचीत की थी वह मैंने अपने बयान में लिखवा दी। इसके अतिरिक्त और कोई बातचीत नहीं हुई। अब्दुल हमीद के आते ही शक्ल देखकर हमें उसके बारे में सन्देह हुआ कि यह वह व्यक्ति है जिसे मिर्ज़ा साहिब ने मेरे क़त्ल के लिए भेजा है। मैंने किसी को अर्थात पुलिस इत्यादि को सूचना नहीं दी, परन्तु अपने लोगों को कहा कि इसको रखो और ध्यान रखो परन्तु अपना पता इसे न दो। अब्दुल हमीद के पास कोई हथियार तथा कोई वस्तु नहीं थी। हमने किसी से यह नहीं कहा कि इस व्यक्ति के बारे में हमें सन्देह है कि वह हमें क़त्ल करेगा। कमरे के बाहर दो तीन आदमी थे

शेष हाशिया- के अक्षरांतरित और मिलावट किए लेख स्वेच्छा से अनुवाद करके दुनिया में फैलाते हैं और यदि उस असल इंजील को मांगा जाए जो हज़रत ईसा की तीन वर्ष की इल्हामी वाणी थी जिसके बारे में वह वर्णन करते हैं कि " मैं कुछ नहीं कहता परन्तु वही जो ख़ुदा ने मुझ को कहा।" तो उस का कुछ भी पता नहीं बता सकते कि वह किताब कहां ग़ायब हो गई और ये अनुवाद जो प्रस्तुत करते हैं तो निस्सन्देह ये उनकी अपने मन से बनाई हुई इंजीलें हैं जिन के सही होने का वे कुछ भी सबूत नहीं दे सकते। अत: जिस धृष्टता और निर्भीकता से वे इन निर्मूल अनुवादों को प्रकाशित कर रहे हैं उनका ही कार्य दूसरे शब्दों में जैसे वे नुबुव्वत का दावा है। क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी से नुबुव्वत के पद को अपने हाथ में ले लिया है जो चाहते हैं अनुवाद के बहाने से लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि यह ख़ुदा तआला की ओर से है। उनका यह तरीका नुबुव्वत के दावे के समान है और इस जाल में गिरफ़्तार अधिकतर लोग ईसाई हैं और यह दजल पादरियों का कार्य है।

दज्जाल का दूसरा भाग जिनके कार्य ख़ुदाई के दावे के समान हैं वे जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया है यूरोप के दार्शनिकों और मशीनों के आविष्कारकों का गिरोह है जिन्होंने साधनों एवं कारणों को पैदा करने के लिए अपने प्रयासों को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। और बहुत सी सफलताओं के कारण अन्त में उस विकृत (रद्दी) आस्था तक पहुंच गए हैं कि ख़ुदा की क़ुदरत और उस पर ईमान रखना कुछ बात नहीं है इस गिरोह के अधीन यूरोप के अधिकतर विशिष्ट ईसाई हैं और वे दिन रात इस खोज में लगे हुए हैं कि हम स्वयं किसी प्रकार इस रहस्य के मालिक हो जाएं कि जब चाहें वर्षा कर दें और जब चाहें किसी

किन्तु हमारी बातें नहीं सुनते थे। मेरा अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति मारने के लिए भी आए मैं उसे ईसा की शिक्षा दूं चाहे हमें सन्देह ही हो कि वह मारने आया है मैं उसे शिक्षा दूंगा। द्वितीय हमने उस युवक को इसलिए रखा कि यदि कोई शरारत भी करे तो अच्छा है कि उनको लेने के देने पड़ जाएं (प्रश्न-क्या आप अपनी जान (प्राण) की परवाह नहीं करते) यह प्रश्न असंबंधित है, मैं उत्तर नहीं देता। अब्दुल हमीद को अस्पताल का नौकर जलालुद्दीन बातचीत करने के पश्चात् अस्पताल में ले गया था। क्योंकि उसी स्थान पर हमारे विद्यार्थी रहते हैं और हमने जलालुद्दीन को भी कहा था कि अब्दुल हमीद पर दृष्टि रखना किन्तु किसी भेद से अवगत न करना। किसी विशेष भेद की चर्चा न थी। आमतौर पर कहा था। 22

शेष हाशिया- के घर में लड़का या लड़की पैदा कर दें और जब चाहें किसी को बांझ बना दें। अतः कुछ सन्देह नहीं कि यह तरीका दूसरे शब्दों में ख़ुदाई का दावा है।

इसलिए दज्जाल की नुबुव्वत और ख़ुदाई के दावे के ये एक ऐसे अर्थ हैं कि कोई बुद्धिमान इस से इन्कार नहीं कर सकता। निस्सन्देह पादरियों ने नुबुव्वत की अमानत में जो इल्हाम और ख़ुदा की वह्यी है ऐसा अनुचित हस्तक्षेप किया है कि एक दावेदार के तौर पर नुबुव्वत के पद पर हाथ डाला है और प्रत्येक अनुवाद जो इंजील के नाम से ये लोग प्रकाशित करते हैं वह मानो एक नई इंजील होती है जिसे अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। यदि ख़ुदा तआला का भय है तो जितने अनुवाद प्रकाशित किए गए हैं उनके साथ असल को भी प्रकाशित करते जैसा कि पवित्र क़ुर्आन के प्रकाशित करने में मुसलमानों का तरीका है। परन्तु इन लोगों ने असल को छुपाया और उन अनुवादों को प्रकाशित किया जो स्वयं उनके हाथों के कर्तब हैं। अतः निस्सन्देह एक प्रकार से यह नुबुव्वत का दावा है कि अपने किसी कलाम को प्रस्तुत करके फिर यह कहना कि यह ख़ुदा की तरफ़ से है।

इसी प्रकार ख़ुदाई का दावा उनके दार्शिनिकों की उन गतिविधियों से सिद्ध होता है कि वे ख़ुदा की सृष्टि (उत्पत्ति) में इस प्रकार से हाथ डालना चाहते हैं जिस से ख़ुदाई के सम्पूर्ण कार्यों पर कब्ज़ा कर लें और यह एक स्वाभाविक बात है कि जब मनुष्य ख़ुदा तआला की थल-जल, पार्थिव एवं आकाशीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहे और प्राकृतिक अनुसंधानों में पड़कर तथा प्रत्येक वस्तु के मर्म तक पहुंचकर जगत के व्यवस्था को अपने अधिकार में लेना चाहे तो उसको इस दार्शिनिकता पूर्ण अनुसंधानों, जांच-पड़ताल तथा खोज लगाने में जितनी सफलताएं होती हैं और ख़ुदाई व्यवस्था के कार्यों को अपने

जुलाई 1897 ई. की शाम तक अब्दुल हमीद को अस्पताल में रखा गया था। 16 से 22 तारीख तक शायद सोमवार के दिन 19 तारीख को शाम 4,5 बजे के लगभग हमारी कोठी पर आया। अकारण आया, बुलाया न था और इधर-उधर झांकता था। मैंने उसे बरामदे में डांटा कि बिना बुलाए क्यों चला आया है जा चला जा। उस समय उसके हाथ में कोई पत्थर इत्यादि न था। हमारे अस्पताल के डाक्टर ने हम से कहा था कि अब्दुल हमीद को सूज़ाक (उपदंश) है। डाक्टर ने उसका इलाज किया था। ब्यास में भी हमारे विद्यार्थी हैं इसलिए हमने उचित समझा कि इसे वहां भेज दिया जाए। सानू मेहतर ब्यास से आया हुआ था उसके साथ यही था और निर्देश दिया था कि अब्दुल हमीद को प्रेमदास के सुपुर्द कर दो और यह पत्र दे

शेष हाशिया- तौर पर भी अदा करने लगता है। यह समस्त सफलताएं उसमें ऐसी अहंकारी विशेषताएं पैदा कर देती हैं जो ख़ुदाई विशेषता है और इस अहंकार के नशे में उसके अधम दिल पर अंहकार का रंग इस-इस प्रकार से चढ़ जाता है जिसे दूसरे शब्दों में ख़ुदाई का दावा कह सकते हैं। विशेष तौर पर जबकि ऐसा अहंकारी दार्शनिक अपनी किसी क्रियात्मक बुद्धिमत्ता से उदाहरणतया किसी हवा से तूफान या चक्रवाती तूफान के पैदा करने पर समर्थ हो जाता है या मेंह (वर्षा) बरसाने पर शक्ति पाता है। तो इस प्रकार की सफलताएं चाहती हैं कि वह अपने अन्दर ख़ुदाई का एक निशान देखे और महाप्रतापी ख़ुदा को तिरस्कार की दृष्टि से देखे। अत: ऐसे व्यक्ति के दिल से धीरे-धीरे ख़ुदा तआला की महानता कम होती जाती है और उसके दिल में यह बात जम जाती है कि शायद इसी तरह कारण एवं कारक के न समझने के कारण लोग ख़ुदा के अस्तित्व को मानने लगे हैं। अत: वे इन मन्हूस सफलताओं के परिणामस्वरूप जो जलवायु, दरियाओं और समुद्रों, वनस्पतियों, प्राणियों, स्थूल पदार्थों, नाना प्रकार के कार्यों, भिन्न-भिन्न प्रकार के आविष्कारों, आकाशीय ग्रहों तथा सौर मण्डल के बारे में आधुनिक दर्शन (फल्सफ़ा) तथा रसायन शास्त्र इत्यादि के द्वारा उसे प्राप्त हो जाती है और दूरदर्शी यंत्रों से सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रों के विवरणों को ज्ञात करता है और न केवल यह कि उन चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था का उन्हें ज्ञान होता है बल्कि वह ख़ुदा तआला की भांति क्रियात्मक तौर पर कई बातें करके भी दिखा देता है। तो इस स्थिति में यह आवश्यक है कि जो स्वाभाविक तौर पर सामने आ सकता है कि इस अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के दिल में यह विचार उत्पन्न हो कि यह सारी बातें जो अपनी मूर्खता से दुआओं के साथ ख़ुदा तआला से मांगा करते थे यह तरीका तो कुछ चीज़ नहीं है अपितु मनुष्य स्वयं

दो। प्रेमदास को निर्देश दिया था कि ईसाई धर्म की शिक्षा दो और इस से काम लो, कमज़ोर नहीं है। जब वह अमृतसर में रहा था तो ज़ाहिरी रंग-रूप से वह क़ातिल प्रतीत होता था। अब उसका वैसा रंग-रूप नहीं रहा जब से उसने स्वीकार किया है उसकी नसों में एक प्रकार की गति मालूम होती थी और दुखने वाली आंखें थीं जो इक़रार के बाद नहीं रहीं। मौलवी अब्दुर्रहीम ने भी उसमें यह परिवर्तन देखा था। जब तक वह अस्पताल में रहा और उसकी कथित हालत हम देखते थे, जब से हमारा वह सन्देह जड़ पकड़ गया और सुदृढ़ हुआ। जब ब्यास भेजा था किसी

शेष हाशिया- अपनी कूटनीति से ये समस्त बातें पैदा कर सकता है और निस्संदेह यही ख़ुदाई का दावा है कि जो इस युग में यूरोप के लोगों के दिलों में भरा हुआ है, और वे तो वे अन्य लाखों लोग उनके आश्चर्य जनक भौतिक अन्वेषणों, अद्भुत से अद्भुत आविष्कारों एवं कार्य प्रणालियों से उनको उस श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते हैं कि मानो उनमें ख़ुदाई का एक भाग सिद्ध कर रहे हैं। अत: हमारी यह एक आंखों देखी घटना है कि एक हिन्दू जो एक सम्मानित पद पर था उसके सामने ख़ुदा तआला की महानता और सामर्थ्य का कुछ वर्णन हुआ तो उसने बड़े क्रोध और ग़ुस्से में आकर कहा कि "लोग जब वस्तुओं के मर्म को समझने से असमर्थ हो जाते हैं तो ख़ुदा की क़ुदरत वर्णन करने लगते हैं। अंग्रेज़ों ने वह ख़ुदाई दिखलाई है कि क़ुदरतों का पर्दा खोल दिया है और भौतिक अन्वेषण मनुष्य को ख़ुदाई का पद देते जाते हैं।" अत: उस हिन्दू ने जो अंग्रेज़ों को ख़ुदा ठहरा दिया उसका यही कारण था कि उसके विचार में उनकी अद्भुत कलाएं ऐसी महानतम मालूम हुईं कि उसने ख़ुदा के अस्तित्व को अनावश्यक समझा और मैं देखता हूं कि यह प्रभाव मुसलमानों, विशेष तौर पर नव शिक्षित लोगों में अधिक फैला हुआ है और यूरोपीय दार्शनिकों की एक ऐसी श्रेष्ठता उनके दिलों में बैठ गई है कि यदि झूठ के तौर पर भी कोई व्यक्ति उदाहरणतया यह वर्णन करे कि "यूरोप के अमुक देश में यह नवीन खोज हुई है कि वह एक युक्ति से आम के बीज को पृथ्वी में बोकर तथा उसे कुछ वस्तुओं की शक्ति पहुंचा कर उसे एक ही दिन में ऐसा बड़ा कर देते हैं कि फल भी लग जाता है और शाम तक खूब खाने योग्य हो जाता है तो नवशिक्षित लोगों में से शायद कोई भी इन्कार न करे। बहुत से मूर्ख कहते हैं कि यूरोपियन लोगों से कोई बात अनहोनी नहीं। संभव है कि वे भविष्य में किसी युक्ति से आकाश तक भी पहुंच जाएं। मनुष्य का नियम है कि कुछ अनुभवों से किसी व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य को ऐसी मान लेता है कि अतिशयोक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। यही हाल इस देश

से नहीं कहा था कि अपना भेद न देना और उसका ध्यान रखना। अमृतसर में सब से कहा था कि इसका हाल मालूम करो कि कौन है और इसकी क्या परिस्थितियां हैं। यह अपनी परिस्थितियां भिन्न-भिन्न प्रकार की बताता था। विशेष तौर पर अब्दुर्रहीम ने हम से कहा था कि पता नहीं लगता कि कौन है। 22 जुलाई 1897ई. से 31 जुलाई 1897 ई. तक अब्दुल हमीद ब्यास में रखा गया था। संभवत: दो तीन बार हम ब्यास गए परन्तु एकान्त में उसे नहीं देखा था। सामान्य तौर पर उसे देखते रहे थे। उसने कभी कोई प्रयास मुझ पर आक्रमण करने का नहीं किया था।

शेष हाशिया- के अधिकतर लोगों का हो रहा है। उदहारणतया यदि कुछ लोग जो विश्वसनीय हों मात्र हंसी के तौर पर हिन्दुस्तान के एक प्रसिद्ध रईस और सम्मानित ख्याति प्राप्त व्यक्ति उदाहरणतया सर सय्यद अहमद खां के पास यह वर्णन करें कि यूरोप के लोगों ने वनस्पतियों का एक ऐसा आकर्षण शक्तिवाला तत्त्व पैदा किया है कि उस तत्त्व को एक वृक्ष के सामने रखने से वह वृक्ष अपनी जड़ सहित उखड़कर उस तत्त्व के पास चलकर आ जाता है तो क्या संभव है कि सय्यद साहिब थोड़ा सा भी इन्कार करें। परन्तु यदि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह चमत्कार प्रस्तुत किया जाए कि आपके पास कई बार आप के इशारे से कुछ वृक्ष चलकर आ गए थे तो सय्यद साहिब अवश्य इस चमत्कार से इन्कार करेंगे और तुरन्त इस चिन्ता में लग जाएंगे कि किसी प्रकार इस हदीस को बनावटी ठहराया जाए!!!

अब सोचना चाहिए कि इस युग की हालत किस सीमा तक पहुंच गई है कि ख़ुदा और उसके रसूल की महानता लोगों के दिलों में इतनी भी नहीं रही जितनी उन लोगों की महानता है जिनको काफ़िर कहा जाता है। इस सम्पूर्ण वर्णन से हमारा उद्देश्य यह है कि वास्तव में यही लोग दज्जाल हैं जिनको **पादरी या यूरोपियन दार्शनिक** कहा जाता है। ये पादरी और यूरोपियन दार्शनिक निर्धारित दज्जाल के दो जबड़े हैं जिन से वह एक अजगर की भांति लोगों के ईमान को खाता जाता है। प्रथम तो मूर्ख और नासमझ लोग पादरियों के फंदे में फंस जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति उनके निकृष्ट और झूठे विचारों से घृणा करके उनके पंजे से बचा रहता है तो वे यूरोपियन दार्शनिकों (फ़िलास्फ़रों) के पंजे में अवश्य आ जाता है। मैं देखता हूं कि साधारण लोगों को पादरियों के दजल (धोखे) का अधिक ख़तरा है और विशिष्ट लोगों को दार्शनिकों के दजल (धोखे) का अधिक ख़तरा।

अब निश्चित समझो कि यही दज्जाल है जिसकी हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी थी कि वह अन्तिम युग में प्रकट होगा। यह तो कदापि संभव नहीं कि

31 जुलाई 1897ई. को उसने इक़रार किया था। मैं विशेष तौर पर उस दिन वहां उस काम के लिए गया था और उस से कहा कि सच-सच बता उसने स्वयं को दो-चार बार रलियाराम भी बताया, बाद में इक़रार किया। उसने बिना किसी दबाव के इक़रार किया था और कहा था कि यदि मुझे कोई ख़तरा न हो तो बताता हूं और फिर मेरे वादे पर कि तुम्हे कोई नुक़सान न होगा, इक़रार किया था। पांच आदमी मौजूद थे-प्रेमदास, वारिसदीन, अब्दुर्रहीम, दयाल चन्द तथा एक अन्य व्यक्ति नाम याद नहीं। वारिसदीन मेरे अधीन नहीं है, वह ईसाई नहीं है।* ब्यास

***हाशिया :-** यह बात ग़लत है बल्कि वारिस दीन ईसाई है।

शेष हाशिया- सचमुच किसी में ख़ुदाई की शक्तियां पैदा हो जाएं। सम्पूर्ण पवित्र क़ुर्आन प्रारंभ से अन्त तक इसका विरोधी है। अत: दज्जाल की ख़ुदाई से अभिप्राय यही बातें और उनके चमत्कार हैं जो आजकल यूरोप के दार्शनिकों से प्रकट हो रहे हैं। यही भविष्यवाणी का उद्देश्य था जो प्रकट हो गया। दज्जाल का शब्द भी वर्णन कर रहा है कि दज्जाल में कोई सच्चा सामर्थ्य न होगा केवल दजल ही दजल होगा (अर्थात् धोखा ही धोखा)। अब यदि कोई नेक स्वभाव है तो इस बात को स्वीकार करे। वास्तव में यह फ़ित्न: (उपद्रव) जो पादरियों तथा यूरोपियन दार्शनिकों से प्रकटन में आया है, ऐसा फित्न: है कि आदम के समय से आज तक इसका कोई उदाहरण नहीं पाया जाता। क्या यह सच नहीं कि इस फ़ित्न: से लोगों के ईमान को बहुत क्षति पहुंची है और लाखों इन्सानों के दिलों से ख़ुदा तआला का प्रेम ठण्डा पड़ गया है। कुछ दिलों पर तो यह फ़ित्न: पूर्ण रूप से छा गया है और कुछ पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ गया है। हे ख़ुदा के बन्दो सोचो कि सच यही है।

मैं देखता हूं कि वे लोग जो नेचर और क़ानून-ए-क़ुदरत के अनुयायी बनना चाहते हों, उनके लिए ख़ुदा तआला ने बहुत उत्तम अवसर दिया है कि वे मेरे दावे को स्वीकार करें क्योंकि वे लोग इन कठिनाइयों में गिरफ़्तार नहीं हैं जिनमें हमारे दूसरे विरोधी गिरफ़्तार हैं क्योंकि वे ख़ूब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मृत्यु पा चुके हैं और फिर इसके साथ उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि मसीह मौऊद के बारे में जो भविष्यवाणी हदीसों में मौजूद है वह उन निरन्तर चली आ रही भविष्यवाणियों में से है जिन का इन्कार करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं। अत: इस अवस्था में यह बात आवश्यक तौर पर उन्हें स्वीकार करनी पड़ती है कि आने वाला मसीह इसी उम्मत में से होगा यद्यपि यह प्रश्न करना उनका अधिकार है कि हम मसीह मौऊद होने का दावा कैसे स्वीकार करें? और इस

में हमारी कोठी के खाने वाले कमरे में अब्दुलहमीद से यह बातचीत हुई थी और उसी समय उसकी क़लम से यह इक़रार लिखवाया था। उसकी क़लम का लिखा हुआ काग़ज़ भी हमने दिया था। पहले एक और काग़ज़ बतौर मसौदा लिखा था। फिर उस काग़ज़ अक्षर II पर नक़ल किया था। जहां तक मुझे मालूम है हमने या हमारे संबंधियों ने कोई शब्द या अक्षर उसे नहीं बताया था। 4 और 6 बजे शाम के मध्य की यह घटना है। 5 बजे के बाद और 6 बजे से पूर्व लिखा गया था तीन अन्य लोग थे। एक सब पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर तथा तार बाबू बुलाए गए थे और उन को कहा गया था कि इस नौजवान से पूछ लो। उन्होंने पूछा था और

शेष हाशिया- पर तर्क क्या है कि वह मसीह मौऊद तुम ही हो? इसका उत्तर यह है कि जिस युग और जिस कस्बे में मसीह मौऊद का प्रकट होना पवित्र क़ुर्आन और हदीसों से सिद्ध होता है और जिन विशिष्ट कार्यों को मसीह के अस्तित्व का मूल कारण ठहराया गया है और जिन सांसारिक एवं आकाशीय घटनाओं को मसीह मौऊद के प्रकट होने के लक्षण वर्णन किया गया है और जिन विद्याओं और अध्यात्म ज्ञानों को मसीह मौऊद की विशेषता ठहराया गया है वे सब बातें अल्लाह तआला ने मुझ में और मेरे युग में तथा मेरे देश में एकत्र कर दी हैं और फिर अधिकतम सन्तुष्टि के लिए आकाशीय समर्थन मेरे साथ किए हैं-

چوں مراحکم از پئے قوم مسیحی دادہ اند مصلحت راابن مریم نام من بنہادہ اند
آسماں بارد نشان الوقت می گوید زمیں ایں دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند

अब विवरण इसका यह है कि क़ुर्आन के स्पष्ट आयतों के इशारों से सिद्ध होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मूसा के समरूप हैं और आपकी ख़िलाफ़त का सिलसिला हज़रत मूसा की ख़िलाफ़त के सिलसिले से बिलकुल सदृश है और जिस प्रकार हज़रत मूसा को वादा दिया गया था कि अन्तिम युग में अर्थात् जब कि इस्राईली नुबुव्वत का सिलसिला अन्त तक पहुंच जाएगा और बनी इस्राईल के कई फ़िर्क़े हो जाएंगे और एक फ़िर्क़ा दूसरे फ़िर्क़े को झूठा कहेगा यहां तक कि कुछ फ़िर्क़े दूसरे फ़िर्क़े को काफ़िर कहेंगे तब अल्लाह तआला मूसा के धर्म का समर्थक खलीफ़ा अर्थात् हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा और वह बनी इस्राईल की बिखरी हुई भेड़ों को एकत्र करेगा तथा भेड़िए और बकरी को एक स्थान पर एकत्र कर देगा और समस्त क़ौमों के लिए एक हकम (निर्णायक) बन कर मध्य से आन्तरिक मतभेदों को दूर कर देगा तथा बैर और शत्रुताओं का निवारण कर देगा।

उनसे कहा था कि मैं अपनी ख़ुशी से लिखता हूं और यह बात सच है। ये तीनों गवाह हिन्दू हैं। हमें मालूम नहीं कि आर्य हैं अथवा नहीं। चुन्नीलाल को हम प्रस्तुत करेंगे। हमारी कोठी पर तीनों व्यक्ति बुलाए हुए आए थे। उनके आने से पूर्व इक़रार लिखा हुआ था। उसी दिन रात की गाड़ी में हम उसे अपने साथ लाए और सुल्तान विंड के अस्पताल में अर्थात् मिशन के इहाते में रात को रखा। उस पर पहरा भी लगाया गया था कि ऐसा न हो कि भाग जाए। उस इक़रार को जब लिखा गया हमने सब सच समझा, मानो अत्यन्त ही सच समझा था। यह बिलकुल ही असंभव

शेष हाशिया- यही वादा क़ुर्आन में भी दिया गया था, जिसकी ओर यह आयत संकेत करती है कि

وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ (अलजुमअ:-4)

और हदीसों में इसका बहुत विवरण है। अत: लिखा है कि इस उम्मत के उतने ही फ़िर्क़े हो जाएंगे जितने कि यहूदियों के फ़िर्क़े हुए थे और एक फ़िर्क़ा दूसरे फ़िर्क़े को झूठा काफ़िर कहेगा और ये सब लोग दुश्मनी और परस्पर बैर में उन्नति करेंगे उस समय तक कि मसीह मौऊद हकम होकर दुनिया में आए। और जब वह हकम (निर्णयक) होकर आएगा तो बैर और दुश्मनी को दूर कर देगा तथा उसके युग में भेड़िया और बकरी एक स्थान पर एकत्र हो जाएंगे। अत: यह बात समस्त इतिहास जानने वालों को मालूम है कि हज़रत ईसा अ. ऐसे ही समय में आए थे कि जब ईस्राईली क़ौमों में बड़ी फूट पड़ गई थी और एक दूसरे को काफ़िर और झूठा कहने वाले हो गए थे। इसी प्रकार यह विनीत भी ऐसे समय में आया है कि जब आन्तिक मतभेद चरम सीमा तक पहुंच गए और एक फ़िर्क़ा दूसरे फ़िर्क़े को काफ़िर बनाने लगा। इस फूट के समय में उम्मत-ए-मुहम्मदिया को एक हकम (न्यायक) की आवश्यकता थी। अत: ख़ुदा ने **मुझे हकम (निर्णायक)** बनाकर भेजा है।

यह विचित्र संयोग हुआ है जिसकी ओर क़ुर्आन और हदीस के स्पष्ट आदेशों का संकेत पाया जाता है, जैसा कि हज़रत ईसा मूसा अ. से तेरह सौ वर्ष के बाद चौदहवीं सदी में पैदा हुए उसी प्रकार यह विनीत भी चौदहवीं सदी में ख़ुदा तआला की ओर से अवतरित हुआ। मालूम होता है कि इसी दृष्टि से बड़े-बड़े अहले कश्फ़ इसी बात की ओर गए कि वह मसीह मौऊद चौदहवीं सदी में अवतरित होगा और अल्लाह तआला ने मेरा

है कि किसी अन्य ने उसे हमारे पास भेजा हो सिवाए मिर्ज़ा साहिब के। और न हमने यह समझा कि किसी की के कहने से वह इक़रार कर रहा है। मेरी राय पहले यह थी कि मौलवी नूरुद्दीन का कोई संबंध उससे नहीं है। जब अब्दुल हमीद ने मुझ से वर्णन किया था। जब उस युवक ने नुरूद्दीन के नाम पत्र भेजा हमें कुछ सन्देह हुआ कि उनका भी संबंध है यद्यपि नुरूद्दीन के संबंध के बारे में हमें अब भी हमें संदेह है परन्तु जो बयान मिर्ज़ा साहिब के बारे में अब्दुल हमीद ने दिया है उसके बारे में हमें अब भी कोई सन्देह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बयान अब्दुल

शेष हाशिया- नाम **ग़ुलाम अहमद क़ादियानी** रख कर इसी बात की ओर संकेत किया क्योंकि इस नाम में तेरह सौ की संख्या पूरी की गई है। निष्कर्ष यह कि क़ुर्आन और हदीसों से इस बात का पर्याप्त सबूत मिलता है कि आने वाला मसीह चौदहवीं सदी में प्रकट होगा और वह इस्लाम धर्म में फूट और आपसी दुश्मनी की पराकाष्ठा के समय में आएगा।

इन सब बातों के अतिरिक्त मसीह मौऊद का एक बहुत बड़ा लक्षण सही हदीसों में यह लिखा गया है कि वह ऐसे समय में आएगा जबकि सलीबी धर्म पृथ्वी पर बड़े जोश से फैला हुआ होगा। जैसा कि हदीस يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ जो सही बुख़ारी में है इसी को सिद्ध करती है। अत: ऐसे समय में तथा ऐसे युग में यह विनीत आया है।

हदीसों के इशारों से मसीह मौऊद के लिए दूसरा लक्षण यह मालूम होता है कि वह पूर्वी देशों में अवतरित होगा, क्योंकि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने दज्जाल का पता और निशान पूरब ही बताया था, जैसा कि हदीस وَأَوْمَى اِلَى الْمَشْرِقِ से प्रकट है। अत: इस स्थिति में उस हदीस से स्पष्ट तौर पर यह संकेत निकलता है कि मसीह मौऊद पूरब से पैदा होगा। क्योंकि जब दज्जाल का ठिकाना और स्थान पूरब हुआ तो मसीह जो दज्जाल की कार्रवाइयों को मिटाने के लिए आएगा, अवश्य है कि वह भी पूरब में प्रकट हो, और यह तो स्पष्ट है कि हमारा देश हिन्दुस्तान विशेष रूप से पंजाब का भाग पवित्र मक्का से पूरब की दिशा में है। विचित्रतर यह कि दमिश्क वाली हदीस में भी जो मुस्लिम में है पूर्वी मीनार का वर्णन करके मसीह मौऊद के प्रकटन के लिए पूरब की ओर ही संकेत किया गया है।

इसी प्रकार हदीसों में भी यह वर्णन किया गया है कि वह महदी मौऊद ऐसे कस्बे का रहने वाला होगा जिसका नाम कदअ: या कदिया होगा। अब हर एक बुद्धिमान समझ सकता है कि यह शब्द कदअ: वास्तव में क़ादियां के शब्द का संक्षिप्त (रूप) है और कुछ

हमीद ने इक़रार के लिखने से पूर्व दिया था उसको हमने झूठा समझा था। शेष बयानों के बारे में न हमने विश्वास किया और न ही अविश्वास था। हिन्दू से मुसलमान होने का जो उसने वर्णन किया था यह भी झूठ समझा। हमने विश्वास किया था कि वह क़ादियान से आया है। हमने विश्वास किया था कि वह मज़दूरी का काम करता रहा है और हमने विश्वास किया था कि एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि वह क़ादियान में है तथा हमने इस बात पर अधिक विश्वास किया था कि उसकी हालात की जांच-पड़ताल उचित है, शेष समस्त परिस्थितियों को या तो

शेष हाशिया- रिवायतों में यह जो आया है कि "वह कदअ: यमन की बस्तियों में से एक गांव है।" ये हदीस के शब्द नहीं हैं बल्कि किसी व्यक्ति ने विवेचना के तौर पर विचार किया है। शायद इस नाम जैसा कोई गांव यमन में देखकर किसी को विचार आ गया है कि शायद वह यही गांव होगा। किन्तु स्पष्ट है कि अब ऐसा कोई गांव यमन देश में आबाद नहीं है और न उस देश में किसी ने ऐसा दावा किया। परन्तु क़ादियां इस समय मौजूद है तथा मसीहियत और महदियत का दावेदार भी मौजूद।

इसी प्रकार मसीह मौऊद के अस्तित्व का मूल कारण नबवी हदीसों में यह वर्णन किया गया है कि वह ईसाई क़ौम के दजल को दूर करेगा और उनके सलीबी विचारों को टुकड़े-टुकड़े करके दिखा देगा। अत: यह बात ख़ुदा तआला ने मेरे हाथ पर इस प्रकार सम्पन्न की कि ईसाई धर्म के सिद्धान्त का अन्त कर दिया। मैंने ख़ुदा तआला से पूर्ण विवेक पाकर सिद्ध कर दिया कि वह लानती मौत जो नऊज़ुबिल्लाह हज़रत मसीह की ओर सम्बद्ध की जाती है जिसकी सम्पूर्ण नींव सलीबी मुक्ति की है, वह किसी प्रकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ओर सम्बद्ध नहीं हो सकती और किसी प्रकार लानत का अर्थ किसी सत्यनिष्ठ पर चरितार्थ नहीं हो सकता। अत: पादरियों का फ़िर्क़ा इस नवीन पद्धति के प्रश्न से जो वास्तव में उनके धर्म को टुकड़े-टुकड़े करता है, ऐसे निरुत्तर हो गए कि जिन-जिन लोगों ने इस अनुसंधान पर सूचना पाई है वे समझ गए हैं कि इस उच्च श्रेणी के अनुसंधान ने सलीबी धर्म को तोड़ दिया है। कुछ पादरियों के पत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि वे इस फैसला करने वाले अनुसंधान से अत्यधिक डर गए हैं और वे समझ गए हैं कि इस से सलीबी धर्म की नींव अवश्य गिरेगी और उस का गिरना अत्यन्त भयावह होगा तथा वे लोग वास्तव में उस कहावत के चरितार्थ हैं-

يُرْجی برء مَنْ جرحه السنان ولا يُرجی برء مَنْ مزّقه البرهان

संदिग्ध समझा था या विश्वास किया था। क़ादियान से मालूम करने से अभिप्राय पुख़्ता तौर पर हाल मालूम करना था, मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध मुक़द्दमा करने के लिए न था। 31 जुलाई 1897 ई. तक मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध मुक़द्दमा दायर करने का इरादा न था। पूछ-ताछ इसलिए न थी कि मिर्ज़ा साहिब पर मुक़द्दमा बनाया जाएगा। 31 जुलाई 1897 ई. से पूर्व 30 जुलाई 1897ई. को हमें ज्ञात हो गया था और विश्वास हुआ था कि अब्दुल हमीद बदचलन, व्यभिचारी और लोफर इत्यादि है। 25 जुलाई 1897 ई. को मिर्ज़ा साहिब से अब्दुल हमीद के बारे में

शेष हाशिया- अर्थात् जो व्यक्ति भाले से ज़ख़्मी किया जाए उसके स्वस्थ होने की आशा की जाती है परन्तु जो व्यक्ति दलील से टुकड़े-टुकड़े किया जाए उसके स्वस्थ होने की आशा नहीं की जाती।

ऐसा ही मैंने ख़ुदा तआला से ज्ञान पाकर सिद्ध कर दिया कि मसीह का शारीरिक रफ़ा बिलकुल झूठ है। ईसाई इतिहास पर विचार करने से विदित होता है कि बहुत समय तक ईसाइयों की यही आस्था थी कि हज़रत ईसा अ. वास्तव में मृत्यु पा गए हैं और उनका रूहानी रफ़ा हुआ है। फिर बाद में जब ईसाई लोग यहूदियों के मुकाबले पर रूहानी रफ़ा का कोई सबूत न दे सके। क्योंकि रूह दिखाई नहीं देती तो यह बात बनाई गई कि यसू को आकाश की ओर जाते हुए अमुक व्यक्ति ने देखा था और फिर देखने के अनुसार दिलों में यह बात समा गई कि यसू पर्थिव शरीर के साथ आकाश पर चला गया। आकाश पर चढ़ाने का मूल उद्देश्य तो यह था कि यसू को यहूदियों के इस आरोप से बरी करें कि वह नऊज़ुबिल्लाह लानती है और ख़ुदा तआला की ओर उठाया नहीं गया। किन्तु जिन लोगों ने इस आरोप से बचने के लिए यसू के शरीर को आकाश पर चढ़ा दिया उन्होंने यह नहीं सोचा कि लानत जिस पर यहूदी बल देते थे उसका यह मतलब नहीं है कि सलीब पर मरने से किसी का शरीर आकाश पर नहीं जाता बल्कि मतलब यह है कि लानती की रूह ख़ुदा तआला की ओर उठाई नहीं जाती। यहूदियों का यह विचार न था कि लानती का शरीर आकाश पर नहीं जाता और न उनका यह विचार था कि जो लोग लानती नहीं होते वे शरीर सहित आकाश पर चले जाते हैं। तौरात से सिद्ध है कि हज़रत युसूफ़ की हड्डियां मृत्यु के चार सौ वर्ष के पश्चात् हज़रत मूसा किन्आन की ओर ले गए। यदि वे हड्डियां आकाश की ओर चली जातीं तो पृथ्वी से क्योंकर प्राप्त होतीं। तौरात से यह भी सिद्ध है कि मनुष्य मरने के पश्चात् मिट्टी में जाएगा, क्योंकि वह मिट्टी से पैदा किया गया है। अत: इसमें किसी

परिस्थितियों की हमें सूचना मिली थीं। 30 जुलाई 1897 ई. को जेहलम से परिस्थितियाँ मालूम हुई थीं। मिर्ज़ा साहिब का बयान अधिक पूछताछ के बिना हमने समुचित नहीं समझा था। हमें जांच-पड़ताल से ज्ञात हुआ था कि अब्दुल हमीद कभी ईसाई नहीं हुआ था। लगभग तीन माह से अधिक वह गुजरात में ईसाइयों के पास रहा था। फरवरी, मार्च तथा कदाचित् अप्रैल का कुछ भाग था। गुजरात के अतिरिक्त हमने अन्य कहीं स्वयं व्यक्तिगत जांच-पड़ताल नहीं की। शेष जिन्होंने जांच-पड़ताल की थी सब जीवित हैं। अब्दुल हमीद एक शक्तिशाली युवक है। हम नहीं कह सकते कि हम से अधिक शक्तिशाली है या नहीं। जब मैं उसे अमृतसर

शेष हाशिया- को आपत्ति नहीं कि मरने के बाद समस्त नबी पृथ्वी में ही दफ़न होते रहे हैं और स्पष्ट है कि सभी नबी ख़ुदा के सानिध्य प्राप्त थे, न कि लानती। फिर यदि लानती का यह लक्षण है कि वह शरीर के साथ आकाश पर नहीं उठाया जाता तो नऊज़ुबिल्लाह समस्त नबी लानती होंगे ⁕ और ऐसा विचार बिल्कुल ग़लत है। इसलिए निश्चित रूप से यह मानना पड़ा कि लानती से अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसकी रूह को ख़ुदा के सानिध्य में स्थान न मिले और **ख़ुदा की ओर** न उठाया जाए।

मैं अभी लिख चुका हूं कि तौरात के अनुसार जो व्यक्ति लकड़ी पर लटकाया जाए अर्थात् सलीब दिया जाए वह लानती है और इसी से यहूदियों ने यह परिणाम निकाला था कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अ. लानती हैं। इस अन्वेषण से सिद्ध हुआ कि लानत को शरीर से कुछ सम्बन्ध नहीं और न लानत के न होने से शरीर का आकाश पर जाना माना गया है। इसलिए यहूदियों का आरोप हज़रत मसीह के बारे में केवल यह था कि वे उसे लानती ठहराकर उस सानिध्य के स्थान और दया से वंचित ठहराते थे जहां इब्राहीम और इस्राईल तथा याक़ूब इत्यादि नबियों की रूहें गई हैं। इसलिए इस स्थान पर यह विचार प्रस्तुत करना कि हज़रत मसीह शरीर के साथ आकाश पर चले गए हैं फिर इस से उनकी ख़ुदाई निकालना यह एक ऐसी बात है जो यहूदियों के आरोप से कुछ संबंध नहीं रखती। मालूम होता है कि उस युग के गुज़रने के पश्चात् यह दावा कि यसू आकाश पर चला गया इस

⁕ **हाशिए का हाशिया -** यदि लानती शरीर के साथ आकाश पर नहीं जाता तो मानना पड़ेगा कि जो लोग लानती नहीं वे अवश्य शरीर के साथ आकाश पर जाते हैं और यह पूरी तरह से ग़लत है। (इसी से)

लाया था ज़िला मजिस्ट्रेट साहिब ने मेरा और उसका बयान लिखा और इक़रार का सत्यापन किया और 2000 रुपये की ज़मानत का वारान्ट जारी किया। हमने ज़िला गुरदासपुर में कोई नया फौजदारी का दावा नहीं किया। ज़िला मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी के नाम सम्मन से पूर्व जो पत्र अब्दुल मजीद ने मौलवी नूरुद्दीन के नाम लिखा था हमने नहीं देखा। युसूफ खान से सुना था कि बुरहानुद्दीन ग़ाज़ी है। युसूफ बुरहानुद्दीन का पुराना मित्र है। बुरहानद्दीन को हमने कभी नहीं देखा। हमने उसके बारे में जो कुछ वर्णन किया है युसूफ ख़ान ने बताया है और उसी से सुना हुआ है। हमें व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। अब्दुल हमीद की जायदाद नकदी इत्यादि के बारे

शेष हाशिया- उद्देश्य से किया गया था ताकि यहूदियों के लानत के आरोप को दूर किया जाए और उस समय तक ईसाइयों का यही विचार था कि ख़ुदा की ओर मसीह की रूह उठाई गई क्योंकि ख़ुदा की ओर रूह जाती है न कि शरीर। और फिर दूसरे युग में असल बात बिगड़ कर यह विचार पैदा हुआ कि मसीह का शरीर आकाश पर चला गया है और वह ख़ुदा है। हालांकि मूल उद्देश्य यह था कि मसीह को सलीब के परिणाम से बचा लिया जाए और वह रूहानी रफ़ा पर निर्भर था और रूहानी (आध्यात्मिक) रफ़ा इसी उद्देश्य से था ताकि यह दिखाया जाए कि वह लानत के दाग़ से पवित्र है परन्तु तौरात के अनुसार लानत के दाग़ से वह पवित्र हो सकता है जिसकी रूह ख़ुदा की ओर उठाई जाए न कि शरीर आकाश की ओर जाए। ईसाई इस बात को आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हज़रत मसीह उनके कथनानुसार सलीबी मौत से इस आरोप के नीचे आ गए थे कि वह लानती हों और उस लानत से अभिप्राय हमेशा की लानत थी। फिर इस कथनानुसार प्रथम आरोप तो यही होता था कि वह हमेशा की लानत अर्थात् यह कि ख़ुदा की रहमत (दया) से धिक्कृत हो जाना और ख़ुदा का दुश्मन हो जाना और ख़ुदा से विमुख हो जाना तथा शैतानी चरित्र का हो जाना जैसा कि शब्दकोश की दृष्टि से लानत का अर्थ है, वह तीन दिन तक क्यों सीमित हो गई? क्या तौरात का मतलब केवल तीन दिन हैं या हमेशा की लानत है? इस **स्वयं निर्मित आस्था** से तो तौरात झूठी ठहरती है, यह संभव नहीं कि ख़ुदा का लिखा झूठा हो।

इसके अतिरिक्त तौरात का मतलब तो यह था कि सलीब पर मारे जाने से ख़ुदा की ओर रूह नहीं उठाई जाती अपितु नर्क की ओर जाती है। अत: यह अन्तिम कथित

में भी सुनी सुनाई बात है। पादरी दीदार सिंह साहिब से सुना था कि हम गक्खड़ों से परिचित हैं। हमें मालूम नहीं है कि वे सरकार के वफ़ादार हैं या नहीं। 31 जुलाई 1897ई. से जो भविष्यवाणी मिर्ज़ा साहिब ने मेरे बारे में की थी वह अक्षर A जंगे मुक़द्दस में पृष्ठ 16,17 पर लिखी है और फ़रीक़ (सदस्य या पक्ष) के शब्द में हम अपने आप को शामिल समझते हैं। द्वितीय अंजामे आथम के पृष्ठ 44 अक्षर F हमारे बारे में हमारी मृत्यु की भविष्यवाणी की है। पहली भविष्यवाणी में पन्द्रह माह की अवधि थी जो गुज़र चुकी है और दूसरी भविष्यवाणी की तिथि 14 सितम्बर

शेष हाशिया- भाग ईसाइयों की आस्था में सम्मिलित है। इसी कारण वे लोग नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह आस्था रखते हैं कि तीन दिन तक जो लानत के दिन थे नऊज़ुबिल्लाह वह नर्क में रहे और जब लानत के दिन समाप्त हो चुके तो वह उसी शरीर के साथ जो लानती सलीब पर चढ़ाया गया था और नर्क के दण्ड द्वारा पवित्र नहीं किया गया था ख़ुदा तआला की ओर उठाए गए। अत: ईसाई लोग इस बात को स्वयं मानते हैं कि लानत के दिनों ने चाहा कि हज़रत मसीह की रूह नर्क में जाए और फिर जो लानत से पवित्र होने के दिन थे उन दिनों ने चाहा कि उनकी रूह ख़ुदा तआला की ओर उठाई जाए। अब चूंकि वे लानत के दिनों के बारे में इक़रार कर चुके हैं कि यसू की मात्र रूह ही नर्क में गई थी इसलिए उन्हें इस दूसरे पहलू में भी यही इक़रार करना पड़ेगा कि ख़ुदा की ओर भी मात्र उनकी रूह ही गई थी और उसके साथ वह शरीर नहीं था जो नऊज़ुबिल्लाह लानती सलीब से अपवित्र हो चुका था, क्योंकि जिस हालत में लानत के दिनों में शरीर तीन दिन तक क़ब्र में रहा और नर्क में लानत का परिणाम भुगतने के लिए केवल रूह गई तो फिर ख़ुदा जो उनके कथनानुसार रूह है उस की ओर शरीर क्योंकर उठाया गया? हालांकि शरीर का नर्क में जाना आवश्यक था क्योंकि यद्यपि लानत यसू के दिल पर पड़ी परन्तु शरीर भी दिल के साथ सम्मिलित था विशेष तौर पर इस कारण कि ईसाइयों का नर्क केवल एक भौतिक अग्नि गृह है उसमें कोई रूहानी अज़ाब नहीं। अत: इस सम्पूर्ण जांच-पड़ताल से सिद्ध हुआ कि ईसाइयों में यसू का शरीर के साथ उठाया जाना कह कर अपनी आस्था को ग़लतियों एवं विरोधाभासों से भर दिया है और मूल बात यही है उसकी केवल रूह ख़ुदा तआला की ओर उठाई गई और वह भी सलीब के एक लम्बे समय के पश्चात्।

इस जांच-पड़ताल से यह भी सिद्ध हुआ कि यसू का ख़ुदा की ओर उठाया जाना जो

1897 ई. तक है परन्तु एक अन्य विज्ञापन में इस तिथि को बढ़ाया गया है। अक्षर F हमारे बारे में विशेष तौर पर भविष्यवाणी है और हमारा नाम मोटी क़लम से लिखा हुआ है। विज्ञापन अक्षर O में शत्रुता और वैर का जीवन समाप्त होने के करीब-करीब है मेरे जीवन से अभिप्राय है। गवाह ने स्वयं बयान किया हस्ताक्षर। विज्ञापन अक्षर Q सितम्बर 1894 ई. के बहुत समय पश्चात् अब्दुल्लाह आथम की मृत्यु से पूर्व हम ने जारी किया था, जब अब्दुल्लाह आथम न मरा तो मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध संसार उठ खड़ा हुआ कि वह झूठा है। मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि

शेष हाशिया- उसके ख़ुदा होने का तर्क ठहराया गया है यह सर्वथा बेहूदगी एवं मूर्खता है। असल बात यह है कि जब यहूदी लोग अपने विचार में हज़रत मसीह को सलीब पर मार चुके तो उन्होंने प्रतिदिन ईसाइयों को परेशान करना प्रारंभ किया कि यसू नऊज़ुबिल्लाह लानती, ख़ुदा से दूर और अलग किया हुआ था तभी तो सलीब पर मारा गया और यसू यद्यपि जीवित बच गया था, परन्तु उसका पुन: अत्याचारी यहूदियों के सामने जाना हित में न था, इसलिए ईसाइयों ने यह बात कहकर पीछा छुड़ाया कि अमुक स्त्री या पुरुष के सामने यसू लानत के दिनों के बाद आकाश पर चला गया है परन्तु यह बात या तो बिल्कुल झूठी योजना या किसी पागल स्त्री का भ्रम था, क्योंकि यदि ख़ुदा तआला का यह इरादा होता कि यसू को शरीर के साथ आकाश पर पहुंचा दे और इस प्रकार दिखा कर लानत के दाग़ से पवित्र करे तो आवश्यक था कि दस-बीस यहूदियों के रईसों और सरदार ज्योतिषियों और मौलवियों के सामने यसू को आकाश पर शरीर के साथ उठाया जाता ताकि उन पर हुज्जत (समझाने का प्रयास पूर्ण) होती न यह कि ऐसी स्त्री जिस का कोई पता-ठिकाना मालूम नहीं ईसाइयों में से देखती या ऐसा ही कोई अन्य ईसाई देखता जिन के बयान पर लोग उपहास करते और उनको मशहूर कहावत कि 'पीर उड़ते नहीं उनके मुरीद उन्हें उड़ाते हैं" का चरितार्थ ठहराते। अन्तत: इस निरर्थक चढ़ने से लाभ क्या हुआ? जिसका कोई भी सबूत नहीं और ईसाई इस कथन से स्वयं झूठे ठहरते हैं जब कि नर्क की ओर ले जाने के समय शरीर को साथ नहीं करते। यह कैसा स्पष्ट मामला है कि जबकि रूह नर्क की ओर केवल लानत के प्रभाव से गई थी तो वही रूह पवित्र होने की हालत में ख़ुदा तआला की ओर जानी चाहिए थी शरीर का क्या हस्तक्षेप था और लानत के प्रभाव से शरीर अपवित्र भी था। परन्तु स्मरण रहे कि हम तो इस बात को नहीं मानते कि नऊज़ुबिल्लाह किसी समय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम

अब्दुल्लाह आथम इसलिए नहीं मरा कि वह अन्दर से मुसलमान हो गया था जो भय का परिणाम था। तब मिर्ज़ा साहिब ने विज्ञापन जारी किए कि यदि वह भयभीत नहीं हुआ और सच की ओर नहीं लौटा था तो मुबाहल: करे और क़सम खाए। अब्दुल्लाह आथम ने क़सम खाने से इन्कार किया और कहा कि मसीही धर्म में क़सम खाना मना है।★ तब हमने उस विज्ञापन अक्षर Q को जारी किया था कि

★**हाशिया :-** डाक्टर क्लार्क ने अपने समस्त ईसाई गवाहों के साथ इस मुक़द्दमे में इंजील उठाकर क़सम खाई। अब उसी मुँह से आथम की चर्चा की है कि उसने कहा कि हमारे धर्म में क़सम खाना मना है। यह विचित्र बात है दिखाने के दांत और खाने के और। डाक्टर साहिब ने स्वयं कठोर शब्दों के प्रयोग करने की शिकायत की और मुसलमानों के आगे सूअर खाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। क्या एक मुसलमान को कहना कि सूअर खा, यह कठोर शब्द नहीं है? इसी से

शेष हाशिया- लानती भी हो गए थे। जैसा कि लानत का अर्थ है ख़ुदा से विमुख, ख़ुदा के दुश्मन तथा शैतान के मार्ग को पसन्द करने वाले हो गए थे। हां यदि सलीब पर मारे गए थे तो यह सब कुछ मानना पड़ेगा। इस समय तो हमारी बहस यह है कि हमारी इस नवीन जांच-पड़ताल से जो कस्रे सलीब (सलीब तोड़ना) के लिए ख़ुदा तआला की तरफ़ से हमें प्रदान हुई है ये दो बातें बड़ी सफ़ाई से सिद्ध हो गई हैं अर्थात् एक यह कि मसीह अलैहिस्सलाम का शारीरिक रफ़ा कदापि नहीं हुआ और न उस रफ़ा का कुछ सबूत है और न उसकी कुछ आवश्यकता थी। हां एक सौ बीस वर्ष के बाद रूहानी रफ़ा हुआ है जिसकी पवित्र क़ुर्आन ने गवाही दी है। परन्तु सलीब के दिनों में रफ़ा रूहानी भी नहीं हुआ अपितु वह उसके बाद सतासी वर्ष और जीवित रहे हैं। हमारे उलेमा की यह ग़लती है कि तुरन्त सलीब के साथ ही हज़रत ईसा का शारीरिक रफ़ा मानते हैं हालांकि दूसरी ओर यह इक़रार भी करते हैं कि उनकी आयु एक सौ बीस वर्ष हुई थी। अब उनसे कोई पूछे कि जब कि यहूदियों और ईसाइयों के निरन्तर इतिहास से जिस पर यूनानी और रोमी इतिहास की पुस्तकें भी गवाही देती हैं। यह बात निश्चित तौर पर सिद्ध हो चुकी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेतीस वर्ष की उम्र में सलीब दिए गए और यही चारों इंजीलों के स्पष्ट आदेशों से समझा जाता है, तो फिर एक सौ बीस वर्ष की उम्र में वह किस हिसाब से उठाए गए? हालांकि हदीसविदों (मुहद्दिसीन) के नज़दीक एक सौ बीस वर्ष की उम्र की हदीस सही और उसे वर्णन करने वाले लोग विश्वसनीय हैं तथा एक सौ बीस वर्ष की सीमा लगा देना, यह बात भी सिद्ध करती है कि उसके बाद उन की मृत्यु हुई।

अत: सारांश यह कि मसीह का सलीब पर मरना तौरात के अनुसार केवल इस बात का बाधक था कि अन्य समस्त सदाचारियों और सत्यनिष्ठों की भांति उसका रफ़ा रूहानी

मिर्ज़ा सूअर का मांस खाकर सिद्ध करे कि वह मुसलमान है क्योंकि अन्य मुसलमान उसे मुसलमान नहीं मानते। तब अब्दुल्लाह आथम को यह कहना उसके बराबर होगा। वकील की जिरह आरंभ हुई। अब्दुल हमीद से मौखिक तौर पर मालूम हुआ है कि उसके अन्य तीन भाई हैं। हमें मालूम नहीं कि अब्दुल हमीद कब क़ादियान में आया था। यह भी मालूम नहीं कि कब तक वहां रहा था। अब्दुर्रहीम के बयान पर हम कहते हैं कि वह क़ादियान से आया था। 31 जुलाई 1893 ई. को प्रेमदास ने मुझसे कहा था कि दो आदमी इसके बारे में चर्चा करते थे। इक़रार से पूर्व उसने हमसे कहा था कि ब्यास में वे दो आदमी देखे थे। हमने स्वयं अब्दुल हमीद से

शेष हाशिया- हुआ और यही बार-बार यहूदियों का आरोप भी था। अत: ईसाइयों का इस पहलू को अपना लेना कि हज़रत मसीह वास्तव में सलीब पर मर गए हैं और फिर यह बात बनाना कि जैसे वह कुछ ईसाइयों के सामने सलीब से मुक्त हो कर तीन दिन बाद शरीर के साथ आकाश पर चले गए थे। यह बात अत्यन्त निरर्थक और व्यर्थ बहाना है। क्योंकि उन्होंने तौरात के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लिया कि यसू सलीब पर मृत्यु पाकर वास्तव में लानत का पात्र हो गया था। अत: अब निस्सन्देह तौरात उसे आकाश पर चढ़ने से रोकती है अन्यथा तौरात स्वयं झूठी होती है। यह क्योंकर मान लिया जाए कि तौरात की लानत का आदेश अन्य लोगों के लिए हमेशा के लिए और यसू के लिए केवल तीन दिन तक सीमित था, तौरात में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं अपितु उस लानत से अनश्वर लानत अभिप्राय है जो कभी भी गले से नहीं उतरेगी। यदि मूसा की किताब तौरात में कहीं तीन दिन का वर्णन भी है तो ईसाई लोग हमें वह स्थान दिखाएं। हम केवल मध्यस्थ के तौर पर यह गवाही देते हैं कि यदि हज़रत यसू वास्तव में सलीब पर मृत्यु पा गए हैं तो इस स्थिति में यहूदी उनको अनश्वर लानत और नारकी होने का पात्र ठहराने में निस्सन्देह सच पर हैं।* और तौरात में एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो तीन दिन की लानत के बारे में ईसाइयों का समर्थन कर

***हाशिए का हाशिया-** यसू का नर्क में जाना इन किताबों से सिद्ध होता है- इंजील मती की तफ़्सीर "ख़ज़ानतुल असरार" लेखक- पादरी इमादुद्दीन पृष्ठ-498, पंक्ति बीस- ख़ुदा का समस्त प्रकोप जो गुनाह के कारण है उस पर आ गया। अब स्पष्ट है कि यह प्रकोप वही चीज़ है जिसे दूसरे शब्दों में नर्क कहते हैं फिर उसी 'ख़ज़ानतुल असरार' की बाईसवीं

दो आदमियों के संबंध में पूछा था जिनकी प्रेमदास ने चर्चा की थी। अब्दुल हमीद ने कहा कि मुझे उनका कुछ पता नहीं है। पचास या पच्चीस हज़ार के इनाम का विज्ञापन वर्तमान समय में दिया है कि जो मिर्ज़ा साहिब की ओर से जारी किया

शेष हाशिया- सके। सलीब को स्वीकार करने के बाद ईसाइयों को कोई भी भागने का स्थान नहीं रहा और सलीब का इक़रार करने के बाद यह बहाना कि अमुक स्त्री या अमुक पुरूष ने उनको आकाश पर चढ़ते देखा था अत्यन्त बेकार, व्यर्थ और निरर्थक बहाना है। काश यह चढ़ना यहूदियों के उलेमा और फ़क़ीहों का दिखाया होता और यदि वे देखते भी तो इसका यही परिणाम होता कि वे समझ लेते कि तौरात ख़ुदा की ओर

शेष हाशिए का हाशिया- पंक्ति में मसीह के बारे में ज़बूर 6-88 से भविष्यवाणी नक़ल की है- 'तू ने मुझे गढ़े के सबसे तल में डाला, अंधेरे मकानों में गहरावों में।" अब स्पष्ट है कि यह अंधेरे के मकान ईसाइयों के नज़दीक नर्क है। फिर किताब 'जामिअतुल फ़राइज़' प्रकाशित अमरीकन मिशन प्रेस लुधियाना 1862 ई. पृष्ठ-63 पंक्ति-17-17 में मसीह के बारे में यह इबारत है- "क्योंकि कोई पाप ऐसा नहीं जिसे उसका ख़ून (हत्या) साफ़ न कर सके और कोई पाप ऐसा नहीं जिसका उसने बदला न दिया हो और कोई पाप का दण्ड ऐसा नहीं जो उसने न उठाया हो।" अब स्पष्ट है कि पापियों का विशेष दण्ड नर्क है जिसका उठाना पूरा दण्ड उठाने के लिए आवश्यक है। फिर इसी किताब के पृष्ठ-92, पंक्ति 14-15 में दण्ड की व्याख्या यह लिखी है -" दीनदार लोग मरते समय ही आराम के स्थान में प्रवेश करते हैं और बेदीन लोग उसी समय नर्क में गिरते हैं।" इससे भी यही प्रकट होता है कि मसीह ने सब पाप अपने ऊपर लेकर अवश्य नर्क का दण्ड उठाया। तथा किताब 'मामूदियतुल बालिग़ीन' के पृष्ठ- 291 पंक्ति 1-2 में यसू के बारे में ईसाइयों की आस्था यह लिखी है-

صُلِب و مات و قُبِر و نزل الى الجحيم★

अर्थात् मसीह सलीब पर चढ़ाया गया और मर गया और क़ब्र में दाख़िल हुआ और नर्क में उतरा। अब इन सब इबारतों से स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है कि मसीह नर्क में गया और उस ने सब दण्ड उठाए। ईसाई इस बात को भी मानते हैं कि सलीब का दण्ड तो केवल कुछ

★ वर्तमान की कुछ ईसाई किताबों में नर्क के स्थान पर 'हादिस' लिखा है जो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ हाविय: है जिसे इब्रानी में हादिस कहते हैं। वास्तव में ये दोनों शब्द हादिस और हाविस अरबी के शब्द हाविय: से लिए गए हैं। इसी से

हुआ देखा था, किन्तु प्रस्तुत नहीं कर सकता। याद नहीं कब देखा था मालूम नहीं किस के बारे में वह विज्ञापन था। उन विज्ञापनों से हम ने यह राय क़ायम की थी कि वह विज्ञापनों का रूपया अदा कर सकते हैं परन्तु अदा नहीं करेंगे। मैं कभी

शेष हाशिया- से नहीं है। परन्तु अब तो ईसाइयों ने स्वयं यहूदियों का हाथ ऊंचा कर दिया। क्योंकि जब यसू को सलीब पर मृत्यु पाया मान लिया तो अब अनश्वर लानत को मानना उनके लिए अनिवार्य हो गया। यह कहना कि यसू पर अनश्वर लानत नहीं पड़ सकती, यह एक नया दावा है जिसका सबूत ईसाइयों ने अब तक तौरात की दृष्टि से नहीं दिया। वास्तव में ईसाई लोग बड़े संकट में हैं क्योंकि यदि कष्ट कल्पना के तौर

शेष हाशिए का हाशिया- घंटे का था, लानत मौत के बाद तीन दिन तक रही। अत: स्पष्ट है कि लानत के दिनों में किसी प्रकार का अज़ाब यसू के साथ होगा और वह अज़ाब नर्क के अज़ाब के अतिरिक्त और कोई नहीं। इसके अतिरिक्त जब कि यसू का कर्त्तव्य था कि स्वयं दण्ड भोग कर ख़ुदा तआला का वादा पूरा करे। अत: यदि फिर उसने केवल दुनिया का कुछ घण्टों का दुख देखा और नर्क में नहीं गया तो इस स्थिति में ख़ुदा का इन्साफ़ (न्याय) कैसे पूरा होगा। जबकि मती इंजील की व्याख्या में पादरी इमादुद्दीन लिखते हैं कि "ख़ुदा मसीह के दिल के सामने से हट गया ताकि अपनी अदालत खूब पूरी करे।" अर्थात् लानत के कारण यसू का दिल अंधकारमय हो गया और व्याख्या किताब आ'माल मलक़ब ब तज़किरतुल अबरार प्रकाशित 1879 ई. अमरीकन मिशन प्रेस लुधियाना में मसीह के बारे में यह इबारत है- " मसीह ख़ुदावन्द का धन्यवाद हो कि उसने शरीअत की सम्पूर्ण लानत को अपनी सलीबी मौत में अपने ऊपर उठाकर हमें जो उस पर ईमान लाते हैं शरीअत की लानत से आज़ाद कर दिया कि वह स्वयं हमारे बदले लानती हुआ। हम सब वास्तव में लानती थे और यह लानत अनश्वरकाल तक हमारे ऊपर थी, हम कभी उसके पंजे से निकल न सकते क्योंकि असहाय और कमज़ोर थे परन्तु वह हमारे लिए लानती हुआ कि हमारी लानत उसने अपने ऊपर ले ली और हमें उससे मुक्ति दी और स्वयं भी उस लानत के पंजे से तीसरे दिन निकल आया" अब यहां ईसाइयों के न्याय की वास्तविकता भी खुल गई कि औरों के लिए हमेशा की लानत और बेटे के लिए केवल तीन दिन। हम वर्णन कर चुके हैं कि एक मिनट की लानत भी शैतान-चरित्र बना देती है। अत: पुस्तक 'जामिअतुल-फ़राइज़' पृष्ठ 92 में लिखा है कि "इस बेईमानों की सेना के साथ शैतान होंगे।" बहरहाल ईसाइयों

क़ादियान नहीं गया और न मुझे उनकी बुद्धिमत्ता का व्यक्तिगत ज्ञान है। मीर मुहम्मद सईद नाते में मिर्ज़ा साहिब का रिश्तेदार है मुझे अधिक विवरण मालूम नहीं। यूसुफ खान के ईसाई होने के पश्चात् मीर मुहम्मद सईद ईसाई हुआ था। 1893 ई. के मुबाहसे से हम से मिर्ज़ा साहिब की ओर से दुश्मनी हुई। हमें उनसे लेशमात्र भी दुश्मनी नहीं है। 1894 ई. में जब मुहम्मद सईद ईसाई होने आया हमें उसके बारे

शेष हाशिया- पर तर्क के बिना यह भी मान लिया जाए कि अन्य लोगों पर तो अनश्वर लानत सलीब से पड़ती है परन्तु यसू पर केवल तीन दिन तक पड़ी तो इससे भी ईसाई झूठे ठहरते हैं। क्योंकि शब्दकोश के अनुसार लानत स्वयं ऐसा शब्द है जो हृदय से संबंधित है और लईन किसी को उस हालत में कहा जाता है कि जब शैतान की समस्त आदतें उसके अन्दर आ जाती हैं और वह धिक्कृत तथा ख़ुदा का दुश्मन हो जाता है तो क्या एक पल के लिए भी ये हालतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मान सकते हैं।

तो फिर वह लानत जो सलीब का परिणाम था यसू पर क्योंकर पड़ सकती है और यदि नहीं पड़ी तो यसू सलीब पर भी नहीं मरा। उसने सच कहा था कि "मैं यूनुस की तरह

शेष हाशिए का हाशिया- की यही आस्था है कि तीन दिन जो लानत के दिन थे यसू नर्क का अज़ाब भोगता रहा।★ और किताब 'राहे ज़िन्दगी' प्रकाशित इलाहाबाद सन् 1850 ई. पृष्ठ 69 पंक्ति 8 में लिखा है कि "यह दण्ड (अर्थात् पापी का दण्ड) अधिकतर मौत के शब्द से लिखा होता है। मौत न केवल शरीर की अपितु रूह की भी, न केवल संसारिक अपितु अनश्वर।" और इसी पुस्तक 'राहे ज़िन्दगी' में अमरीकी लेखक डाक्टर हाज डी.डी. ने लिखा है कि "लानत और मौत एवं प्रकोप तथा वह दण्ड जो पापियों को मिलेगा सब एक चीज़ हैं।" और फिर यही इस आस्था के समर्थन में लिखता है कि "मसीह ने कहा है कि पापी नर्क की उस अग्नि में जो कभी नहीं बुझेगी, डाले जाएंगे।" (मरक़ुस अध्याय 9 वचन 41) इसी से

★ कुछ मूर्ख ईसाई कहते हैं कि यसू हादिस अर्थात् नर्क के निचले तल के कैदियों के बीच मुनादी करने गया था परन्तु एक बुद्धिमान मनुष्य सोच सकता है कि लानत के दिनों की क्या मांग थी? क्या दण्ड भुगतने के लिए जाना या नसीहत के लिए? एक लानती दूसरे को क्या नसीहत कर सकता है और फिर नारकियों को नसीहत क्या लाभ देगी। मर कर तो प्रत्येक व्यक्ति सीधे मार्ग को समझ जाता है और यदि उस समय का समझना कुछ चीज़ है तो फिर एक भी नर्क में नहीं रह सकता। इसी से

में कोई सन्देह नहीं हुआ कि वह हमें मारेगा। यूसुफ़ खान भी 1894 ई. में ईसाई हुआ था, उसके बारे में मुझे तो कोई सन्देह नहीं हुआ था परन्तु अन्य ईसाइयों बल्कि मुहम्मदियों को भी सन्देह हुआ था कि आथम की भविष्यवाणी पूरी करने आया है। हमसे ईसाइयों ने कहा था तुम अच्छा नहीं करते कि उसे आथम साहिब के पास जाने देते हो हम ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह आथम को मार डालेगा,

शेष हाशिया- तीन दिन क़ब्र में रहूंगा।" वह भली भांति जानता था कि यूनुस मछली के पेट में नहीं मरा था और संभव नहीं कि उसके मुंह का उदाहरण ग़लत निकले। अत: इस सम्पूर्ण जांच-पड़ताल से सिद्ध है कि यसू का आकाश पर शरीर के साथ जाना एक झूठा मामला है जो ईसाइयों ने बनाया है। जिस हालत में ईसाइयों की आस्था है कि नऊज़ुबिल्लाह यसू नर्क में शरीर के साथ नहीं गया अपितु केवल रूह गई थी तो वह शरीर जो नर्क का दण्ड पाकर लानत से अभी पवित्र नहीं किया गया वह आकाश पर कैसे चढ़ गया? और यह कैसा अन्याय है कि नर्क में तो केवल रूह जाए और ख़ुदा के पास शरीर और रूह दोनों जाएं। क्या ईसाइयों का यह मत नहीं है कि नर्क एक भौतिक अग्नि गृह है जिसमें गन्धक के बड़े-बड़े पत्थर हैं फिर उस अग्नि गृह में ऐसा शरीर क्यों नहीं जलाया गया जिस पर सम्पूर्ण जगत की लानतें डाली गई थीं। यदि बाप ने न्याय से हटकर बेटे को ये रियाअतें दीं कि हमेशा की लानत के स्थान पर तीन दिन रखे और शारीरिक नर्क के स्थान पर रूह को नर्क में भेज दिया। काश ये रियाअतें सृष्टि से की जातीं, क्योंकि यदि बेटे के साथ न्याय से विमुख होना वैध है तो औरों के साथ क्यों वैध नहीं? यही सारी ग़लतियां हैं जिन की ख़ुदा तआला ने मुझे सूचना दी ताकि में गुमराहों को सतर्क करूं और अंधकार में रहने वालों को उजाले में लाऊं। और मैंने न केवल यह किया कि उचित बयान के साथ ईसाइयों की ग़लतियां उन पर स्पष्ट कर दीं बल्कि आकाशीय निशानों के साथ भी उनको दोषी किया। और इसी प्रकार उन मुसलमानों को भी जो उन्हीं विचारों में क़ैद थे और एक ऐसे काल्पनिक दज्जाल और काल्पनिक मसीह के प्रतिक्षक थे जिन के मानने से नए सिरे से उस शिर्क की नींव पड़ती है जिसे पवित्र क़ुर्आन जड़ से उखाड़ चुका है और ख़तमे नुबुव्वत का मामला भी हाथ से जाता है। इसलिए ख़ुदा तआला ने मुझे भेजा ताकि मैं इस ख़तरनाक हालत का सुधार करूं और लोगों को शुद्ध तौहीद (एकेश्वरवाद) का मार्ग बताऊं। अत: मैंने सब कुछ बता दिया और मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि ईमानों को मज़बूत करूं और ख़ुदा तआला का अस्तित्व लोगों पर सिद्ध करके दिखाऊं। क्योंकि प्रत्येक क़ौम की ईमानी हालतें

क्योंकि उसे मैं जानता था कि सच्चा आदमी है सिवाए मौलवी मुहम्मद हुसैन की पुस्तक के हम स्वयं मिर्ज़ा साहिब के विज्ञापनों से अनुमान लगाते हैं कि मिर्ज़ा साहिब को लेखराम के क़त्ल का भली भांति ज्ञान था। मैं मौलवी मुहम्मद हुसैन को जानता हूं। 1893 ई. में जब अब्दुल हक़ का मिर्ज़ा साहिब से मुबाहला हुआ था एक या दो बार हम से मिले थे। याद नहीं पहले कब मिला था। गत छ: माह

शेष हाशिया- अत्यन्त कमज़ोर हो गई हैं और आख़िरत का संसार (परलोक) केवल एक अफ़साना समझा जाता है और प्रत्येक इन्सान अपनी क्रियात्मक हालत से बता रहा है कि वह जैसा विश्वास दुनिया और दुनिया की दौलत और पदों पर रखता है जैसा कि उसे सांसारिक सामान पर भरोसा है यह विश्वास और भरोसा उसे ख़ुदा तआला और आख़िरत (परलोक) पर कदापि नहीं। मुंह पर बहुत कुछ है परन्तु दिलों में संसार के प्रेम का प्रभुत्व है। हज़रत मसीह ने इसी हालत में यहूदियों को पाया था, और जैसा कि ईमान की कमज़ोरी की विशिष्टता है यहूदियों की नैतिक अवस्था भी बहुत बिगड़ गई थी और ख़ुदा का प्रेम ठण्डा पड़ गया था। अब मेरे युग में भी यही हालत है इसलिए मैं भेजा गया हूं ताकि सच्चाई और ईमान का युग फिर आए और दिलों में संयम पैदा हो। अत: यही कार्य मेरे अस्तित्व का मूल कारण हैं। मुझे बताया गया है कि फिर आकाश पृथ्वी के निकट होगा बाद इसके कि बहुत दूर हो गया था। अत: मैं इन्हीं बातों का मुजद्दिद हूं और यही कार्य हैं जिन के लिए मैं भेजा गया हूं और उन सभी बातों में से जो मेरे मामूर होने का मूल कारण हैं मुसलमानों के ईमान को दृढ़ करना है और उनको ख़ुदा और उसकी किताब तथा उसके रसूल के बारे में एक ताज़ा विश्वास प्रदान करना। ईमान की दृढ़ता का यह उपाय दो प्रकार से मेरे हाथ से प्रकटन में आया है। प्रथम पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन करना और उसकी चमत्कारिक वास्तविकताओं, आध्यात्म ज्ञानों, प्रकाशों तथा बरकतों को व्यक्त करने से, जिनसे पवित्र क़ुर्आन का ख़ुदा की ओर से होना सिद्ध होता है। अत: मेरी पुस्तकों को देखने वाले इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वे पुस्तकें पवित्र क़ुर्आन के अद्भुत भेदों और रहस्यों से भरी हुई हैं और हमेशा यह क्रम जारी है। इसमें कुछ सन्देह नहीं जितना मुसलमानों का ज्ञान पवित्र क़ुर्आन के बारे में उन्नति करेगा उतना ही उनका ईमान भी उन्नतिशील होगा और मुसलमानों का ईमान दृढ़ करने के लिए **दूसरा** उपाय जो मुझे प्रदान किया गया है आकाशीय समर्थन और दुआओं का स्वीकार होना तथा निशानों का प्रकट होना है। अत: अब तक जो निशान प्रकट हो चुके हैं वे इतनी प्रचुरता से हैं कि जिनको स्वीकार करने से किसी

से मैंने उसे नहीं देखा। सबसे अन्तिम बार 1895 ई. में उसे देखा था। मौलवी मुहम्मद हुसैन तथा मुहम्मद अली को आज से गत छ: माह के अन्दर हमने नहीं देखा और न हमने उनको 10 अगस्त 1897 ई. या 9 अगस्त 1897 ई. को बटाला में देखा है, बटाला में कदापि नहीं देखा। मैं जानता हूं कि मौलवी मुहम्मद हुसैन और मिर्ज़ा साहिब की घोर शत्रुता है मैं यह भी जानता हूँ कि आर्य लोग भी मिर्ज़ा

शेष हाशिया- न्यायकर्ता के लिए पलायन का कोई स्थान नहीं। एक वह समय था कि मूर्ख ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कारों और भविष्यवाणियों का इन्कार करते थे और आज वह समय है कि समस्त पादरी हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। आकाश से निशान प्रकट हो रहे हैं, भविष्यवाणियां प्रकट हो रही हैं तथा विलक्षण चमत्कार लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं क्या ही भाग्यशाली है वह इन्सान कि जो अब इन प्रकाशों और बरकतों से फ़ायदा उठाए और ठोकर न खाए!!! वे पार्थिव एवं आकाशीय घटनाएं जो मसीह मौऊद के **प्रकटन के लक्षण** हैं वे सब मेरे समय में प्रकट हो गई हैं। बहुत समय हुआ कि रमज़ान के महीने में चन्द्र एवं सूर्य ग्रहण हो चुका है और पुश्छल तारा भी निकल चुका, भूकम्प भी आए, महामारी भी पड़ी और ईसाई धर्म बड़ी धूमधाम से दुनिया में फैल गया और जैसा कि आसार में बहुत पहले से लिखा गया था बड़े जोश से मुझे काफ़िर भी ठहराया गया। सारे लक्षण प्रकट हो चुके हैं तथा वे ज्ञान और मआरिफ़ (अध्यात्म ज्ञान) प्रकट हो चुके हैं जो दिलों का सच की ओर मार्गदर्शन करते हैं।

मैं पहले भी लिख चुका हूं कि पवित्र क़ुर्आन की दृष्टि से ख़ुदा की ओर से मामूर होने का दावा कोई सर्वांगपूर्ण रूप से उस अवस्था में सिद्ध हो सकता है जब तीन पहलुओं से उसका सबूत प्रकट हो। **प्रथम-** यह कि उसके सही होने पर स्पष्ट आदेश गवाही दें अर्थात् वह दावा ख़ुदा की किताब का विरोधी न हो। **दूसरे-** यह कि बौद्धिक तर्क उसके समर्थक और सत्यापन करने वाले हों। **तीसरे-** यह कि आकाशीय निशान उस दावेदार की पुष्टि करें। अत: इन तीनों कारणों की दृष्टि से मेरा दावा सिद्ध है। हदीस के स्पष्ट आदेश जो सत्याभिलाषी को पूर्ण विवेक तक पहुंचाते हैं और मेरे दावे के बारे में पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। इन सब में से मसीह मौऊद और बनी इस्त्राईली मसीह के हुलिए में मतभेद है। अत: सही बुख़ारी के पृष्ठ 485, 876, 1055 इत्यादि में जो मसीह मौऊद के बारे में हदीस है जिसमें यह वर्णन है कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उसे कश्फ़ की अवस्था में ख़ाना क़ाबा का तवाफ़ (परिक्रमा) करते देखा। उसमें उसका

साहिब के विरोधी हैं। किसी विशेष आर्य का नाम अमृतसर में या अन्य जगह हमें मालूम नहीं जिसने मुझे कहा हो कि मिर्ज़ा साहिब ने लेखराम को क़त्ल किया या कराया है। लाला रामभजदत जो हमारी ओर से वकील है और अदालत में मौजूद है, आर्य है, कोई फ़ीस हमने उनको नहीं दी। विज्ञापन अक्षर P.O.N.M. हमने लाला रामभज से लिए हैं। आज से पहले नियुक्ति से पूर्व सरकार की ओर से बतौर पैरोकार है। हम भी आपको गवाह समझते थे। हमें यह भी ज्ञान है कि मुसलमान

शेष हाशिया- हुलिया यह लिखा है कि उसका रंग गेहुआं था और उसके बाल घुंघराले नहीं थे बल्कि सीधे थे और फिर असल मसीह अलैहिस्सलाम जो इस्राईली नबी था उसका हुलिया यह लिखा है कि उसका रंग लाल था जिसके बाल घुंघराले थे और सही बुख़ारी में कई स्थानों पर यह अनिवार्य किया गया है कि आने वाले मसीह मौऊद के हुलिए में गेहुआं रंग और सीधे बाल लिख दिया है और हज़रत ईसा के हुलिए में जगह जगह लाल रंग और घुंघराले बाल लिखा गया है जिससे सिद्ध होता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह को एक अलग व्यक्ति क़रार दिया है और उसकी विशेषता में اِمَامُكُمْ مِنْكُمْ वर्णन किया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलग इन्सान ठहरा दिया है तथा कुछ अनुकूलताओं की दृष्टि से ईसा बिन मरयम का नाम दोनों पर चरितार्थ कर दिया है।

एक अन्य बात विचार करने योग्य है और वह यह है कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जहां मसीह मौऊद का वर्णन किया है उस स्थान पर केवल उसी पर बस नहीं की कि उसका हुलिया गेहुआं और बाल सीधे लिखे हैं बल्कि उसके साथ कई स्थानों पर दज्जाल का भी वर्णन किया है परन्तु जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्त्राईली का वर्णन किया है वहां दज्जाल का साथ वर्णन नहीं किया। अत: इस से भी सिद्ध होता है कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की दृष्टि में ईसा इब्ने मरयम दो थे। एक वह जो गेहुआं रंग और सीधे बालों वाला प्रकट होने वाला था जिसके साथ दज्जाल है और दूसरा वह जो लाल रंग और घुंघराले बालों वाला है और बनी इस्त्राईली है जिसके साथ दज्जाल नहीं। और यह बात भी याद रखने योग्य है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामी थे और शाम वालों को गेहुआं कदापि नहीं कहा जाता परन्तु हिन्दियों को आदम अर्थात् गेहुआं कहा जाता है। इस तर्क से भी ज्ञात होता है कि वह गेहुआं मसीह मौऊद जो आने वाला वर्णन किया गया है वह शामी (सीरियन) कदापि नहीं है बल्कि हिन्दी है।

यहां स्मरण रहे कि ईसाइयों के इतिहास से भी यही सिद्ध होता है कि हज़रत ईसा

भी अधिकतर मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध हैं। (पहले गवाह ने उत्तर न दिया फिर अपने वकील से यह मशवरा लेकर कि उत्तर दूं या न दूं कहा) कि मिर्ज़ा साहिब के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि वह एक ख़राब, उपद्रवी तथा ख़तरनाक व्यक्ति है, अच्छा नहीं है। मिर्ज़ा साहिब की अपनी पुस्तकों से हमने अपनी उपरोक्त राय क़ायम की है। ईसाई धर्म के विरुद्ध भी मिर्ज़ा साहिब ने बहुत कुछ लिखा है जिससे हम अप्रसन्न हैं। मिर्ज़ा साहिब के मुरीद अमृतसर में भी हैं मालूम नहीं कि कितने

शेष हाशिया- अलैहिस्सलाम गेहुआं रंग के नहीं थे बल्कि सामान्य सीरिया वालों की तरह लाल रंग थे परन्तु आने वाले मसीह मौऊद का हुलिया शामियों जैसा हुलिया नहीं है जैसा कि हदीस के शब्दों से प्रकट है।

और उन सभी तर्कों के जो हदीस के स्पष्ट आदेशों से दावे के सही और सच्चे होने के बारे में इस लेखक पर क़ायम हुए हैं एक वह हदीस भी है जो मुजद्दिदों के प्रकटन के बारे में अबू दाऊद और मस्तदरिक में मौजूद है अर्थात् यह कि इस उम्मत के लिए प्रत्येक सदी के आरम्भ में मुजद्दिद पैदा होगा और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धर्म का सुधार करेगा और वाक्य يُجَدِّدُ لَهَا जो हदीस में मौजूद है यह स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि प्रत्येक सदी पर ऐसा मुजद्दिद आएगा जो **वर्तमान** ख़राबियों को दूर करेगा। अब जब एक न्यायकर्ता ध्यानपूर्वक देखे कि चौदहवीं सदी के सिर पर कौन सी अत्यन्त भयानक ख़राबियां विद्यमान थीं जिन्हें दूर करने के लिए मुजद्दिद में योग्यताएं चाहिएं तो स्पष्ट तौर पर ज्ञात होता है कि बहुत बड़ा फ़ित्न: जिस से लाखों लोग तबाह हो गए पादरियों का फ़ित्न: है। और इस से कोई बुद्धिमान और इस्लाम का हमदर्द इन्कार नहीं करेगा कि इस सदी के मुजद्दिद का यही कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह कस्रे सलीब करे (सलीब तोड़े) और ईसाइयों के तर्कों को समाप्त कर दे और जबकि चौदहवीं सदी के मुजद्दिद का सलीब तोड़ना कर्त्तव्य हुआ तो इससे मानना पड़ा कि वही मसीह मौऊद है, क्योंकि हदीसों की दृष्टि से मसीह मौऊद का भी यही लक्षण है कि "वह सदी का मुजद्दिद होगा और उसका काम यह होगा कि सलीब को तोड़े।" बहरहाल इस समय के मौलवी यदि ईमानदारी और धर्म पर क़ायम होकर विचार करें तो उन्हें अवश्य इक़रार करना पड़ेगा कि चौदहवीं सदी के मुजद्दिद का काम कस्रे सलीब (सलीब तोड़ना) है और चूंकि यह वही काम है जो मसीह मौऊद से विशेष है। इसलिए आवश्यक तौर पर यह परिणाम निकलता है कि चौदहवीं सदी का मुजद्दिद मसीह मौऊद होना चाहिए। यद्यपि चौदहवीं सदी में अन्य पाप और बुराइयां

हैं। मैं, क़ुतुबुद्दीन, याकूब पत्रकार और एक अन्य व्यक्ति मुरीदों से परिचित हूं। यह मालूम नहीं कि अब्दुल्लाह आथम ने फ़िरोज़पुर वाले सांप को स्वयं देखा था या नहीं। मैंने दो बार अब्दुल्लाह आथम पर बन्दूक चलते नहीं देखी। राय मय्यादास एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट ने हमसे चर्चा की थी। मकान में आदमियों के प्रवेश होने के बारे में भी राय मय्यादास ने कहा था। इन हमलों के संबंध में मालूम नहीं कि पुलिस में कोई रिपोर्ट दी गई थी या नहीं, या कोई दावा किया गया था यदि कोई दावा

शेष हाशिया- भी मदिरापान, व्यभिचार इत्यादि की भांति बहुत फैली हुई हैं परन्तु विचार करने से ज्ञात होगा कि उन सब का कारण ऐसी शिक्षाएं हैं जिनका उद्देश्य यह है कि एक इन्सान के ख़ून (हत्या) ने पापों की पूछताछ से किफ़ायत कर दी है। **इसी कारण** ऐसे अपराध करने में यूरोप सबसे बढ़ा हुआ है। फिर ऐसे लोगों के पड़ोस के प्रभाव से आम तौर पर प्रत्येक क़ौम में बेक़ैदी और आज़ादी बढ़ गई है, यद्यपि लोग रोगों से मर जाएं और यद्यपि विपत्ति उनको खा जाए परन्तु किसी को विचार भी नहीं आता कि यह सारा अज़ाब कर्मों के दण्ड स्वरूप है। इस का क्या कारण है? यही तो है कि **ख़ुदा तआला से प्रेम ठण्डा हो गया है** और उस महाप्रतापी ख़ुदा की महानता दिलों से घट गई है। अत: जैसा कि कफ़्फ़ारे की आज़ादी ने यूरोपीय क़ौमों को मदिरापान और प्रत्येक पाप एवं अश्लीलता पर निर्भीक कर दिया है। ऐसा ही उनके नज़ारा ने दूसरी क़ौमों पर असर डाला। इसमें क्या सन्देह है कि पाप और दुराचार भी एक छूत की बीमारी है। एक शरीफ़ स्त्री दिन-रात वैश्याओं की संगत में रहकर यदि स्पष्ट और खुली बदकारी (व्यभिचार) तक नहीं पहुंचेगी तो किसी हद तक गन्दी हालतों को देखकर उसका दिल ख़राब होगा। अत: **सलीबी आस्था ही सम्पूर्ण स्वच्छंदताओं और मनमौजीपन की जड़** है और इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि वह आस्था इन देशों में अत्यन्त भयानक रूप से फैल रही है और उन लोगों की संख्या कई लाख तक पहुंच गई है जो पादरियों के जाल में आकर ईमान की वास्तविकता खो बैठे हैं या गुप्त रूप से मुर्तद (धर्म से विमुख) होकर जिज्ञासुओं के रूप में फिरते हैं। इसलिए ख़ुदा तआला के स्वाभिमान दया- ने चाहा कि सलीबी आस्था के विषाक्त प्रभाव से लोगों को बचाए और जिस झूठ और षड़यन्त्र से इन्सान को ख़ुदा बनाया गया है उस दज्जालियत का भाँडा फोड़ दे। चूंकि चौदहवीं सदी के प्रारंभ तक यह षड़यन्त्र चरम सीमा तक पहुंच गया था इसलिए अल्लाह तआला के फ़ज़्ल (कृपा) ने चाहा कि चौदहवीं सदी का मुजद्दिद कस्रे सलीब

(नालिश) होता तो आवश्यक न था कि हमें सूचना होती। अब्दुर्रहीम हिकमत (चिकित्सा) का कार्य करता है और प्रेमदास हमारा उपदेशक है। अब्दुर्रहीम आठ, नौ माह से हमारे अधीन है और प्रेमदास 13, 14 साल से। **प्रश्न-** आपको गुप्त तौर पर किसने सूचना दी थी कि मिर्ज़ा साहिब से होशियार रहो? **उत्तर-** हम इस प्रश्न का उत्तर देने योग्य नहीं हैं। प्रश्न- किसी हिन्दू आर्य या मुसलमान या ईसाई या सरकारी अफ़सर ने आपको सतर्क किया?

शेष हाशिया- करने वाला हो क्योंकि मुजद्दिद बतौर वैद्य के है और वैद्य का काम यही है कि जिस रोग ने अधिकांश लोगों को अपनी चपेट में ले लिया हो उस रोग को जड़ से समाप्त करने की ओर ध्यान दे। अत: यदि यह बात सही है कि सलीब तोड़ना मसीह मौऊद का काम है तो यह दूसरी बात भी सही है कि चौदहवीं सदी का मुजद्दिद जिसका कर्त्तव्य सलीब तोड़ना है मसीह मौऊद है।

किन्तु यहां स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मसीह मौऊद को कैसे और किन साधनों से सलीब को तोड़ना चाहिए? क्या युद्ध और लड़ाइयों से, जैसा कि हमारे विरोधी मौलवियों की आस्था है? या किसी अन्य प्रकार से? इसका उत्तर यह है कि मौलवी लोग (ख़ुदा उनके हाल पर दया करे) इस आस्था में पूर्णत: ग़लती पर हैं। मसीह मौऊद का यह काम हरगिज़ नहीं है कि वह युद्ध और लड़ाइयां लड़े बल्कि उसका कर्त्तव्य यह है कि **बौद्धिक[1] तर्कों, आकाशीय[2] निशानों** तथा **दुआ[3]** से इस फ़ित्ने (उपद्रव) को दूर करे। ख़ुदा तआला ने यह तीन हथियार उसको दिए हैं और तीनों में ऐसी चमत्कारी शक्ति रखी है जिसमें उसका विरोधी उससे कदापि मुक़ाबला नहीं कर सकेगा। अन्तत: इसी प्रकार से सलीब को तोड़ा जाएगा, यहां तक कि प्रत्येक अन्वेषण करने वाले की दृष्टि से उसकी महानता और मान्यता जाती रहेगी और शनै: शनै: तौहीद (एकेश्वरवाद) स्वीकार करने के विशाल द्वार खुलेंगे। यह सब कुछ क्रमबद्ध ढंग से होगा, क्योंकि ख़ुदा तआला के सारे काम क्रमबद्ध हैं। कुछ हमारे जीवन में और कुछ बाद में होगा। इस्लाम प्रारंभ में भी क्रमानुसार ही उन्नति शील हुआ है और फिर अन्त में भी क्रमानुसार अपनी पहली अवस्था की ओर आएगा। कुछ मूर्ख मौलवी कहते हैं कि "अब तक तुमने कौन सी सलीब तोड़ी?" अत: उनको स्मरण रहे कि निशान प्रकट हुए और, भविष्यवाणियां पूरी हुईं और पादरियों का मुंह बन्द किया गया और यदि वे शर्म से काम लें तो भविष्य में उनको आरोप लगाने का अवसर न मिले। और

उत्तर- इस प्रश्न का उत्तर भी देने से असमर्थ हूं। लेखराम ईसाई धर्म के विरुद्ध था। ईसाई धर्म के विरुद्ध हमने उसके लेख देखे हैं। कदाचित् एक देखा है वह अच्छा व्यक्ति था जहां तक मुझे ज्ञान है लेखराम के विरुद्ध कोई ईसाई न था। **प्रश्न-** आपको मालूम है कि कुछ आर्य लेखराम के विपरीत मत के, जिस

शेष हाशिया- क़ुर्आन की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा ने जो मेरी ओर से वर्णन की गई, बड़े-बड़े जल्सों में लोगों का सिर झुका दिया★ और ईसाई धर्म के सिद्धान्त को ऐसे ढंग से तोड़ा गया कि कभी किसी को इस से पहले अवसर नहीं। भला यदि यह सही नहीं है तो हमारे विरोधी मौलवी पादरी सज्जनों की ओर से वकील बनकर उनका कोई एक प्रश्न तो ऐसा प्रस्तुत करें जिसे हमने ठोस तर्कों द्वारा समाप्त न कर दिया हो या यही दिखा दें कि हमसे पहले इस प्रकार अन्वेषणातमक रूप से कभी किसी ने उत्तर दिया था। इन लोगों को ख़ुदा तआला से शर्म करनी चाहिए। सच्चाई से कहां तक और कब तक लड़ेंगे?!!!

उन सब स्पष्ट हदीसों में से एक तर्क मसीह मौऊद के युग का यह लिखा है कि उसके प्रादुर्भाव से पूर्व पृथ्वी अन्याय और अत्याचार से भरी हुई होगी और फिर वह महदी मौऊद न्याय और इन्साफ़ से पृथ्वी को भरेगा और वह चमकदार मस्तक और ऊंची नाक वाला होगा। इसी प्रकार मिश्कात में अबू दाऊद और हाकिम ने भी रिवायत किया है। अब स्पष्ट है कि इस युग में हर प्रकार के अन्याय अर्थात् पाप, न्यूनाधिकता (असंतुलता) और दुराचारों से पृथ्वी भरी हुई है और दिलों के सम्पूर्ण अंधकार ज़ोर के साथ जोश मार रहे हैं। अधिकांश हृदयों पर संसार और सांसारिक इच्छाएं इतनी भरी हुई हैं कि मानो उनमें ख़ुदा तआला का कुछ भी स्थान शेष नहीं रहा। न ज़बानो में संयम शेष है न आंखों में न कानों में, और कामभावनाओं का सैलाब तीव्रता से बह रहा है। न ईमानी हालतें ठीक हैं न व्यवहारिक। नैतिक विचारधाराएँ गुम हैं, विवेक समाप्त हैं। वह ख़ुदा का प्रेम, वह मुहब्बत, वह रूचि और वह ग़रीबी, विनय और संयम, भय और गिड़गिड़ाना, वह श्रद्धा और सत्यनिष्ठा जो क़ुर्आन ने सिखाई थी वह ऐसी हो गई जैसे वह थी ही नहीं, सृष्टि पूजक शिर्क फैलाने में तन्मय हैं

★बुद्धिमान उस लेख को पढ़ें जो धर्म महोत्सव के जल्से में मेरी ओर से पढ़ा गया था जो समस्त लोगों के भाषणों के साथ पुस्तकीय रूप में प्रकाशित हो चुका है ताकि मालूम हो कि कैसे-कैसे क़ुर्आनी मआरिफ़ (अध्यात्म ज्ञान) और अन्तर स्पष्ट करके बयान कर देने वाली क़ुर्आन के रहस्य उसमें लिखे गए हैं जो बतौर चमत्कार स्वीकार किए गए। इसी से

पक्ष का लेखराम न था और पुरानी आस्थाओं के हिन्दुओं और मुसलमान लोगो लेखराम के विरुद्ध थे?

उत्तर- मैं नहीं बता सकता। मैं अखबार-ए-आम, समाचार, ट्रिब्यून, पायनियर, अख़बारों को नहीं देखा करता। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हमने देखी है परन्तु पढ़ी नहीं। हमें मालूम नहीं है कि लेखराम के विरुद्ध देहली, बम्बई, मुल्तान पेशावर में नालिशें

शेष हाशिया- और पापी लोग जगह-जगह पाप की दुकानें खोले बैठे हैं और ईमान एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जीभों में उसका दावा रह गया है, सिवाए कुछ थोड़े लोगों के। अत: वास्तव में यह वही युग है जो हदीस के आशय के अनुसार है। अर्थात् जिसमें हर प्रकार का गुनाह (पाप) और हर प्रकार का दुराचार तथा हर एक प्रकार की आस्थागत बुराई फैल गई है और शिर्क जो महान अन्याय है उसका झण्डा अत्यन्त ज़ोर से खड़ा किया गया है। यह हदीस बड़ी स्पष्टतापूर्वक वर्णन कर रही है कि वर्तमान हालत का अन्याय और झूठ जिस ढंग का होगा उसके सुधार के लिए वह महदी मौऊद आएगा। और यह जो प्रकाशमान मस्तक★ और ऊंची नाक वाला उसको लिखा है यह लक्षण केवल प्रत्यक्ष हुलिए तक सीमित नहीं क्योंकि इस प्रत्यक्ष हुलिए (आकृति) में तो हज़ारों लोग भागीदार हैं बल्कि यहां उस प्रत्यक्ष लक्षण के अतिरिक्त एक आन्तरिक वास्तविकता भी अभिप्राय है, और वह यह है कि ख़ुदा तआला उसके मस्तक में एक सच्चाई का प्रकाश रख देगा जो दिलों को अपनी ओर खींचेगा और उसकी नाक में एक बड़प्पन का लक्षण होगा जो नाक की ऊंचाई के सामान है और बड़ाई यह है कि उसका रोब और उसकी श्रेष्ठता दिलों में ख़ुदाई रोब डालेगी और यद्यपि यह दोनों लक्षण ख़ुदा तआला के प्रत्येक विशेष बन्दे में होते हैं परन्तु हदीस का अर्थ यह है कि महदी मौऊद में अत्यंत शक्ति से और विशेष तौर पर पाए जाएंगे। उसके मस्तक का प्रकाश लोगों को अपनी ओर खींचेगा यहां तक कि मूर्ख लोग सोचेंगे कि शायद यह व्यक्ति जादूगर है। इसी प्रकार उसका रोब विरोधियों पर बड़े ज़ोर से पड़ेगा और रोब का लक्षण जिसका द्योतक नाक है बहुत सुन्दरता से प्रकट होगा। वह अपनी महानता की नि:स्पृहता के कारण ऊंचा स्वभाव दिखाएगा और दुष्टों के सामने विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करेगा और अन्तत: उपद्रवी स्वयं विनम्रता का प्रदर्शन करेंगे।

★ये दोनों लक्षण प्रत्यक्ष तौर पर भी मेरे मार्ग दर्शक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रकाशों से भरी सुन्दरता की शोभा और सौन्दर्य को दोगुना कर रहे हैं। मेरे माता-पिता उन पर न्यौछावर हों। ख़ाकसार कापी लेखक

हुई थीं या नहीं। अब्दुल्लाह आथम के बारे में भविष्यवाणी उसके निवेदन पर नहीं की गई थी मिर्ज़ा साहिब ने ज़बरदस्ती यह भविष्यवाणी की थी। अब्दुल्लाह आथम के लेख को हम पहचानते हैं। मैं नहीं कह सकता कि अन्य लोगों के विरुद्ध निवेदन या बिना निवेदन मिर्ज़ा साहिब ने भविष्यवाणियां की थीं। मैं अपने वास्तविक पिता का नाम नहीं जानता। मैं हमेशा से ईसाई हूं। हमने कभी अब्दुल हमीद से नहीं कहा

शेष हाशिया- यहां स्मरण रहे कि आज के अठारह वर्ष पहले बराहीन अहमदिया में इन दोनों लक्षणों की ओर ख़ुदा के इल्हाम में संकेत किया गया है। जैसा कि एक इल्हाम यह है-

اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّیْ

अर्थात् मैंने अपनी ओर से प्रेम के आकर्षण का निशान तुझ में रख दिया है कि जो व्यक्ति द्वेष से रिक्त होकर तुझे देखेगा वह स्वाभाविक तौर पर तुझ से प्रेम करेगा और तेरी ओर आकृष्ट किया जाएगा और दूसरा यह इल्हाम है कि نُصِرْتُ بِالرُّعْب अर्थात् तुझ में रोब का भी एक लक्षण रख दिया है और विचार करने वाले तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखने वाले भली भांति जानते हैं कि ख़ुदा तआला के इस बन्दे में ये दोनों लक्षण पूरे होते जाते हैं। अधिकांश नेक दिल लोग खींचे जा रहे हैं और विरोधियों पर दिन-प्रतिदिन रोब अधिक हो रहा है। वे अपने इरादों में निराश होते जाते हैं और कुछ तौबा करते जाते हैं। हदीस से सभी स्पष्ट आदेशों में से एक दलील वह है जो मुस्लिम में लिखी है अर्थात यह कि

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهٖ رَجُلٌ مِنْ فَارِس-

अर्थात् यदि धर्म सुरैया सितारे के पास भी हो तब भी फ़ारस में से एक मर्द उसको ले आएगा। यह हदीस स्पष्ट तौर पर सिद्ध करती है कि इस्लाम पर एक ऐसा समय आने वाला है कि जब धर्म, ज्ञान और ईमान में कमज़ोरी आ जाएगी और पृथ्वी पर अन्याय एवं अत्याचार फैल जाएगा। उस समय एक फ़ारसी नस्ल व्यक्ति पैदा होगा जो उसे पुनः पृथ्वी पर वापस लाएगा। अभी पिछली हदीस से सिद्ध हो चुका है कि वह व्यक्ति जिसके हाथ से हर प्रकार के अन्याय और पाप पतनशील होंगे वही महदी मौऊद है और हदीस لَا مَهدی اِلَّا عِيْسٰی से सिद्ध होता है कि वही मसीह मौऊद है और अब इस हदीस से ज्ञात हुआ कि वह मसीह मौऊद फ़ारसी नस्ल से होंगे। अतः विचार करने वाले के लिए इस स्थान में अत्यन्त विवेक प्राप्त होता है और समस्त हदीसें प्रत्येक प्रकार के विरोधाभास से साफ़ होकर परिणाम यह निकलता है कि वह व्यक्ति जो पुनः आकाश से ईमान और धर्म को वापस लाएगा अर्थात् दोबारा दुनिया को भिन्न-भिन्न प्रकार के निशानों से ख़ुदा पर सच्चा विश्वास

था कि मिर्ज़ा साहिब का एक मुरीद क़ादियान से आया है। उस से तुम्हारा हाल पूछते हैं। (लाला राम भज वकील नालिशकर्ता के प्रश्न पर) अस्पताल में और भी अभिलाषी भेजे जाते हैं। अब्दुल हमीद ने अपना जेहलम का हाल, पेशी से पूर्व का स्वीकार कर लिया था और उसने इक़रार लिख दिया था। मौलवी नूरुद्दीन मिर्ज़ा साहिब के साथ मिलकर क़त्ल के मश्वरे में सम्मिलित है। मैं लाला रामभज को

शेष हाशिया- प्रदान करेगा तथा ईमानों को सुदृढ़ करेगा और आस्थाओं को सही करेगा और क़ुर्आन की सच्चाइयां एवं अध्यात्म ज्ञानों को समझाएगा, वह फ़ारसी नस्ल होगा तथा वही मसीह मौऊद होगा। बुख़ारी और अबूदाऊद की हदीस से सिद्ध हो चुका है कि उसका युग वह होगा कि जब दुनिया सब से अधिक ईसाइयों की सरकार का प्रताप एवं प्रतिष्ठा बढ़ी हुई होगी और अधिकतर देश उनके अधिकार में होंगे। सही बुख़ारी और मुस्लिम में यह हदीस भी है कि वह न हथियार उठाएगा और न लड़ाई करेगा बल्कि आकाशीय तर्कों अर्थात् निशान और बौद्धिक तर्कों से दूसरी क़ौमों का विनाश कर देगा और उसका प्रहार आकाशीय होगा न कि ज़मीनी। इसलिए धन्यवाद करो कि तुम्हारे समय में, तुम्हारे देश में ख़ुदा तआला का यह वादा पूरा हुआ। उन लोगों को ईमान क्या लाभ देगा जो पूरे प्रकाश के बाद आएंगे। हदीस में उसी फ़ारसी नस्ल व्यक्ति की ओर संकेत है जिस का वर्णन आज से अठारह वर्ष पूर्व बराहीन अहमदिया में ख़ुदा तआला के इल्हाम ने कर दिया है और वह यह है-

انّا فتحنا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ فتح الولی فتح و قربناہ نجیّا۔ اشجع الناس۔ ولو کان الایمان معلقا بالثریا لناله، انار اللّٰہ برھانہ۔ یا احمد فاضت الرحمة علی شفتیک... انی رافعک الیّ و القیتُ علیک محبّة مِنّی... خذو التوحید التوحید یاابناء الفارس۔ وبشر الذین آمنوا ان لھم قدم صدق عند ربھم۔ واتل علیھم ما اوحی الیک من ربک ولا تصعّر لخلق اللّٰہ ولا تسئم من الناس۔ اصحاب الصفة وما ادراك مااصحاب الصفة۔ تریٰ اعینھم تفیض من الدمع۔ یصلون علیک۔ ربّنا انّنا سمعنا منادیا ینادی للایمان و داعیا الی اللّٰہ و سراجا منیرا۔ اَمِّلُوا۔ (देखो पृष्ठ-241, 242 बराहीन अहमदिया)

अनुवाद- हमने तुझे खुली-खुली विजय दी अर्थात् देंगे। वली की विजय एक महान विजय है और हमने उसे अपना सानिध्य प्राप्त (मुक़र्रब) और राज़दार बनाया है, वह सबसे अधिक बहादुर है। यदि ईमान सुरैया सितारे पर होता तो वहां से ले आता। ख़ुदा उस के तर्क

कल साढ़े आठ बजे रात मिला था और केवल मुक़द्दमे का हाल पूछते रहे थे।

सुनाया गया, सही स्वीकार हुआ।

हस्ताक्षर-हाकिम

प्रति बयान डाक्टर क्लार्क दफा फौजदारी, इज्लास कप्तान एम.डब्लयू. डगलस साहिब ज़िला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर

अदालत में प्रस्तुत किया गया	फैसला	बस्ता नम्बर	मुक़द्दमा नम्बर
9 अगस्त 1897ई.	प्रस्ताव के अन्तर्गत	विभाग से	3/3

शेष हाशिया- को प्रकाशित करेगा। हे अहमद तेरे होठों पर दया जारी है। मैं तुझे अपनी ओर उठाऊंगा और अपना प्रेम तुझ पर डालूंगा, अर्थात् लोग एक रूहानी आकर्षण से तुझ से प्रेम करेंगे और तेरी ओर खींचे जाएंगे। तौहीद (ऐकश्वरवाद) को पकड़ो (अपनाओ) तौहीद को अपनाओ हे फ़ारस के बेटा। और उनको ख़ुशख़बरी दे जो तुझ पर ईमान लाते हैं कि वे ख़ुदा के नज़दीक सच्चे ठहर गए और उनकी दृढ़ता सिद्ध हुई। तू उन्हें मेरे इल्हाम सुना और ख़ुदा की सृष्टि से मुख न फेर तथा उनके मिलने से उदास मत हो अर्थात् वह समय आता है कि वे बहुत बड़ी संख्या में तथा समूह के समूह तेरे पास आएंगे। अत: शिष्टाचार और सहनशीलतापूर्वक उनसे भेंट करना और फिर फ़रमाया कि उनमें से एक गिरोह होगा (जो अधिकतर उपस्थित रहेंगे) जिन का नाम ख़ुदा तआला के नज़दीक अस्हाबुस्सुफ्फ: है और तू क्या जानता है कि अस्हाबुस्सुफ्फ: क्या चीज़ है अर्थात् उनकी शान बहुत महान है। तू देखेगा कि अधिक समय उनकी आंखों से आंसू जारी होंगे और तुझ पर दरूद भेजेंगे अर्थात् जबकि वे कोई बुद्धिमत्ता के वाक्य, मआरिफ़ और वास्तविकताएं सुनेंगे या निशान देखेंगे या प्रफुल्लता और विश्वास की अवस्था उन पर विजय होगी तो प्यार और मुहब्बत के जोश से तुझ पर दरूद भेजेंगे और तेरे लिए दुआ करेंगे यह कहते हुए कि हे हमारे रब्ब हमने एक मुनादी करने वाले की आवाज़ सुनी जो ईमान के लिए मुनादी करता है और ख़ुदा की ओर बुलाता है और दीप प्रकाशमान है। लिख लो।

इन इल्हामों में स्पष्ट तौर पर बता दिया कि तुम्हारा बड़ा कार्य ईमान की मुनादी है। और हदीस में सिद्ध हो चुका है कि उस फ़ारसी-उल-अस्ल को यही बड़ी आवश्यकता पड़ेगी कि लोगों का ईमान ताज़ा हो और उसे शक्ति दी जाएगी कि यदि ऐसा समय भी हो

अदालत की मुहर

हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट 15-8-97

सरकार डाक्टर हेनरी क्लार्क साहिब द्वारा

अपराध 107 कानून फौजदारी

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

बयान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बिना क़सम 13 अगस्त 1897 ई.

हमने कभी भविष्यवाणी नहीं की कि डाक्टर क्लार्क साहिब मर जाएंगे। हमारा किसी शब्द से कदापि यह उद्देश्य न था कि कथित डा. साहिब मर जाएंगे।

शेष हाशिया-कि ईमान पूर्णतया पृथ्वी पर से समाप्त हो जाए, तब भी वह ईमान को आकाश से वापस लाएगा। इन हदीसों में यह भी संकेत किया गया है कि उसके प्रारंभिक युग में लोगों के ईमान की हालत अत्यन्त ही गिरी हुई होगी और वह इसलिए आएगा कि दोबारा फिर बड़ी शक्ति, ताक़त और निशानों के साथ उस हालत को दिलों में स्थापित करे तब न बुत रहेंगे न सलीब रहेगी और समझदार दिलों पर से उनकी श्रेष्ठता जाती रहेगी और ये सब बातें झूठी दिखाई देंगी और फिर सच्चे ख़ुदा का चेहरा प्रकट हो जाएगा। परन्तु यही नहीं कि संसार के युद्धों की तरह मसीह मौऊद कोई युद्ध करेगा या संसार के हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी बल्कि ख़ुदा अपने महान निशानों के साथ तथा अपने अत्यन्त पवित्र अध्यात्म ज्ञानों के साथ और अत्यन्त सुदृढ़ तर्कों के साथ दिलों को इस्लाम की ओर फेर देगा और वही इन्कारी रह जाएंगे जिनके दिल विकृत हो चुके हैं। ख़ुदा एक हवा चलाएगा, जिस प्रकार बसन्त ऋतु की हवा चलती है और आकाश से एक रूहानियत उतरेगी और विभिन्न देशों एवं राष्ट्रों में बहुत शीघ्र फैल जाएगा तथा जिस प्रकार बिजली पूरब और पश्चिम में अपनी चमक प्रकट कर देती है उसी प्रकार उस रूहानियत के प्रकटन के समय होगा। तब जो नहीं देखते थे वे देखेंगे और जो नहीं समझते थे वे समझेंगे तथा अमन और सलामती के साथ सच्चाई फैल जाएगी।

यही रूह और सार उन भविष्यवाणियों का है जो मसीह मौऊद के बारे में हैं। हदीसों में बड़ी स्पष्टतापूर्वक बताया गया है कि उसकी तलवार उसकी पवित्र बातें हैं अर्थात् आध्यात्मपूर्ण बातें। अत: उन बातों से झूठी मिल्लतें तबाह हो जाएंगी। जिन-जिन स्थानों तक उसकी दृष्टि पहुंचेगी अर्थात् जिन-जिन धर्मों पर वह अपना ध्यान व्यय करेगा उन्हें पीस

हमने अब्दुल्लाह आथम के बारे में शर्त के साथ भविष्यवाणी की थी कि यदि सच की ओर नहीं लौटेगा तो मर जाएगा। अब्दुल्लाह आथम साहिब के कहने पर केवल उसके लिए भविष्यवाणी की थी। मुबाहसे से संबंधित कुल लोगों के बारे में भविष्यवाणी न थी। लेखराम की दरख्वास्त पर उसके लिए भी भविष्यवाणी की गई थी। हमने की थी जो पूरी हुई।

शेष हाशिया- डालेगा और दिलों को सच की ओर फेर देगा। वह किसी धर्म वाले को हानि नहीं पहुंचाएगा अपितु मेहरबानी और नर्मी के साथ झूठ का झूठ होना प्रकट कर देगा। आम तौर पर दिलों में प्रकाश पैदा हो जाएगा और वे समझ जाएंगे कि हमारी ये आस्थाएं वास्तव में सही न थीं। जब तुम देखो उस महान और मुबारक ख़ुदा को सच्चा ख़ुदा समझने के लिए हृदय गतिशील हो गए हैं जो पवित्र क़ुर्आन ने प्रस्तुत किया है अर्थात् वही ख़ुदा जो अपने अस्तित्व में बहुत विशेषताएं रखता है जिसका मानने वाला कभी भी शर्मिन्दा नहीं हो सकता, तब तुम समझो कि वह समय निकट है कि जब ये समस्त बातें पूर्ण होंगी। बसन्त ऋतु के प्रारंभ में देखते हो कि पहले वृक्षों की सूखी और कुरूप दिखाई देने वाली लकड़ी सुन्दर और ताज़ा हो जाती है और फिर थोड़े-थोड़े पत्ते निकलते हैं और फिर फूल आता है और अन्त में वृक्ष फलों से भर जाते हैं। अत: निश्चित समझो कि इन दिनों में भी **ऐसा ही होगा**। और यह जो ख़ुदा के इल्हाम में अस्हाबुस्सुफ़्फ़: की परिभाषा है कि विश्वास में, प्रेम में, अध्यात्म ज्ञान (मारिफ़त) में वही लोग अधिक उन्नति करेंगे और उनके दिल नर्मी से भर जाएंगे। निष्कर्ष यह कि ख़ुदा के नज़दीक वही विशेष श्रेणी के लोग हैं जिनको सानिध्य (क़ुर्ब) पड़ोस और साथ बैठना प्राप्त है।

इसी प्रकार हदीस के स्पष्ट आदेशों में निरन्तर बताया गया है कि वह मसीह मौऊद ईसाइयों की शक्ति एवं प्रभुत्व के समय में पैदा होगा। उसके समय में रेलगाड़ी होगी, तार होगा, नहरें निकाली जाएंगी, पर्वत चीरे जाएंगे और रेल के कारण ऊंट बेकार हो जाएंगे।★ 'नुसूसुल हिकम' में शैख़ इब्नुल अरबी अपना यह एक कश्फ़ लिखते हैं कि वह ख़ातमुल

★ देखो मुन्तख़ब कन्ज़ुल उम्माल जिल्द-6, पृष्ठ-60 जो हाशिया मसनद इमाम अहमद पर, महदी-व-ईसा मौऊद इत्यादि के अध्याय के बाद है। यदि यह पुस्तक उपलब्ध न हो तो पुस्तिका चहल हदीस लेखक-मुकर्रम मौलवी मुहम्मद अहसन साहिब का अध्ययन करो जो शीघ्र ही प्रकाशित होगी। इसी से

सुनाया गया सही है। सब बयान सही लिखा गया है।

हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट

मिसल गवाहों के बयान सहित कप्तान एम.डब्लयू.डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर में पेश की गई मिस्ल गवाहों के बयान सहित।

अदालत की मुहर

हस्ताक्षर डिप्टी कमिश्नर अदालत से सत्यापित

हेनरी मार्टिन क्लार्क ———— मिशनरी अमृतसर - वादी

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद निवासी क़ादियान प्रतिवादी

अपराध 107, कानून फौजदारी

बयान गवाह फ़रियाद सही इक़रार के साथ

अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान महमूद निवासी जेहलम

क़ौम गक्खड़ आयु-17 वर्ष बयान किया:-

मैं अब ईसाई अभिलाषी हूं, पहले मुहम्मदी था। मैं गुजरात में ईसाई लोगों के

शेष हाशिया- विलायत है और जुड़वां पैदा होगा और उसके साथ एक लड़की पैदा होगी और वह चीनी होगी अर्थात् उसके बाप-दादे चीनी देशों में रहे होंगे। अत: ख़ुदा तआला के इरादे ने इन सब बातों को पूरा कर दिया। मैं लिख चुका हूं कि मैं जुड़वां पैदा हुआ था और मेरे साथ एक लड़की थी और हमारे पूर्वज समरक़न्द में जो चीन से संबंध रखता है रहते थे। अन्त में यह भी उल्लेखनीय है कि मैंने अब तक जो पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कीं वे विस्तार के साथ ये हैं

बराहीन अहमदिया, सुरमा चश्म आर्य, शहनए-हक़, फतह इस्लाम, तौज़ीह मराम, इज़ाला औहाम, आसमानी फैसला, निशान-ए-आसमानी, आईना कमालात-ए-इस्लाम, तुहफ़ा बग़दाद, इत्मामुल हुज्जत, सिर्रूल ख़िलाफ़त, अन्वारूल इस्लाम, करामातुस्सादिक़ीन, हमामतुलबुशरा, बरकातु दुआ, नूरुल हक़, ज़ियाउल हक़, नूरूल क़ुर्आन, सत बचन, आर्य धर्म, अंजामे आथम, शहादतुल क़ुर्आन, सिराजे मुनीर, हुज्जतुल्लाह, तुहफ़ा क़ैसरिया, सिराजुद्दीन ईसाई के चार सवालों का जवाब, इस्तिफ़्ता, भाषण जल्सा महोत्सव (इस्लामी उसूल की फिलास्फ़ी), जंगे मुक़द्दस, अन्य मुबाहसों के भाषण- विज्ञापन इत्यादि। इसी से

पास गया था चार माह हुए हैं। उस समय मिर्ज़ा साहिब से मेरा परिचय न था। मूंग रसूल रिलीफ़ वर्क्स पर जान मुहम्मद बाबू के अधीन मीट था। दो-तीन माह गुजरात में ईसाइयों के पास रहा था वहां मुहम्मदी लोगों ने मुझ से बदला लिया इसलिए गुजरात में चला आया था। गुजरात में मिर्ज़ा साहिब के बहुत मुरीद हैं। उन्होंने मुझे क़ादियान में भेजा। जब मैं वहां गया, उस समय मेरा चाचा बुरहानुद्दीन क़ादियान में न था। मुझे सलाह दी गई कि तुम्हारे जो सन्देह हैं क़ादियान जाकर दूर कर लो। मुझे मौलवी नूरुद्दीन और मिर्ज़ा साहिब ने सिखलाया था। पवित्र क़ुर्आन की शिक्षा नहीं दी थी। गुजरात से आकर केवल चार दिन क़ादियान में रहा था। मैं जेहलम वापस चला गया था तथा चाचा लुक़मान के घर में जाकर रहा था, बुरहानुद्दीन के घर नहीं गया था, वहां मेरा चाचा बुरहानुद्दीन ग़ाज़ी है, वह मिर्ज़ा साहिब का मुरीद है। मेरा दूसरा चाचा लुकमान है परन्तु वह मिर्ज़ा साहिब का मुरीद नहीं है। फिर मेरी माँ ने मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् लुक़मान से निकाह कर लिया हुआ है तथा उससे सन्तान भी है। मेरे दोनों चाचाओं ने मेरा पोषण किया। दो-तीन दिन जेहलम में रहकर फिर मैं क़ादियान चला आया। मिर्ज़ा साहिब मुझ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मुझे एक अलग मकान में ले गए और कहा कि अमृतसर में जाओ और डाक्टर क्लार्क को पत्थर मार कर मार दे। मैंने कहा कि मैं यह काम क्यों करूं। तो मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि अगर मुहम्मदी धर्म पर होकर तुम यह क़त्ल करोगे तो तुम (ख़ुदा की नज़र में) मान्य हो जाओगे। पहले मुझे पढ़ाया करते थे फिर जब मुझे क़त्ल करने के लिए मिर्ज़ा साहिब ने कहा तो मुझे यह कहा कि अब तुम चार-पांच दिन मज़दूरी करो ताकि लोग यह कहें कि मज़दूरी करने आया है और फिर यह कहा कि जब तू जाने लगे तो हमें गालियां देकर जाना। मैं अमृतसर चला गया और इस मुक़द्दमे के वादी डाक्टर के यहां गया और कहा कि मैं ईसाई होने आया हूं। डाक्टर साहिब ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मुझे अस्पताल में भेज दिया। मुझे मिर्ज़ा साहिब ने कहा था कि पहले आपना नाम रलाराम बताना फिर अब्दुल मजीद बताना कि मुसलमान हो कर यह नाम प्राप्त किया है। लगभग एक माह में डाक्टर साहिब के पास अमृतसर में रहा। पहले पांच

छः दिन अमृतसर में रहा फिर ब्यास में रहा। काग़ज़ अक्षर H मेरी मिस्ल के साथ मेरी क़लम लिखा हुआ है जो बतौर इक़रार के मैंने डाक्टर साहिब को लिख कर दिया था। डाक्टर साहिब उस समय मौजूद थे जब मैंने लिखकर दिया था। मैंने ब्यास से एक पत्र मौलवी नूरुद्दीन साहिब को लिखा था कि मैं ईसाई हो जाऊंगा। यह सच्चा धर्म है। मुहम्मदी धर्म सच्चा नहीं है। डाक्टर साहिब ने मुझ से कहा था कि मिर्ज़ा साहिब का एक मुरीद मेरे पास आया है। हम उन से पूछते हैं कि उसको ईसाई बनाएं या नहीं। जब मौलवी नुरूद्दीन को पत्र लिखा डाक्टर साहिब को मालूम न था तथा ईसाइयों को बताया था। कागज़ अक्षर H के लिखने से पूर्व मौलवी नूरुद्दीन साहिब को लिखा था। भगत राम तथा एक अन्य मुंशी जिसका नाम याद नहीं मौजूद थे। जब मैंने मौलवी नूरुद्दीन साहिब को पत्र लिखा था वह देख रहे थे। लगभग एक माह हुआ है कि मैं क़ादियान से चल कर होकर मिर्ज़ा साहिब के पास से डाक्टर साहिब के पास अमृतसर गया था। मौलवी नूरुद्दीन की ओर पत्र भेजने से मतलब यह था कि उन्हें ज्ञात हो जाए कि मैं ब्यास में हूं। जब क़ादियान से अमृतसर गया था चार आना किराया दिया था क़ादियान में टोकरी उठाने की मज़दूरी 12 आने मिर्ज़ा साहिब ने मुझे दिए थे। मैंने अब्दुल्लाह आथम के बारे में सुना हुआ है उनको देखा नहीं। उन पर आक्रमण किए जाने के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कब आक्रमण हुए और क्या-क्या आक्रमण हुए और किसने किए। जब मैं पहले डाक्टर साहिब के पास गया तो मेरा इरादा मारने का था, बाद में इरादा बदल गया। मुझे लुक़मान ने मिर्ज़ा साहिब के पास नहीं भेजा था और न डाक्टर साहिब के पास भेजा है। हमारे खानदान में मौलवी बुरहानुद्दीन के मिर्ज़ा साहिब के मुरीद होने से कोई अफ़सोस नहीं है। लुक़मान इस समय जेहलम में है और बुरहानुद्दीन का पता नहीं है कि कहां है (वादी के प्रश्न पर कहा) कि भगतराम से मेरा अभिप्राय भगत प्रेमदास से है जिसकी उपस्थिति में मौलवी नूरुद्दीन को पत्र लिखा था। मिर्ज़ा साहिब ने मुझे कहा था कि जब अवसर मिले डाक्टर साहिब (वादी) को मार देना और हमारे पास चले आना, फिर तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अमृतसर जाकर डाक्टर साहिब से मिलने पर मेरा इरादा बदल गया

था। अमृतसर जाने से पूर्व कभी डाक्टर साहिब को नहीं देखा था और न परिचय था (मिर्ज़ा साहिब के प्रश्न पर) जब मैं मिर्ज़ा साहिब का मुरीद हुआ था तो मिर्ज़ा साहिब ने मुझ से कहा था- कहो मैं अहमद के हाथ पर हाथ रखता हूं और कहा कि पिछले पापों की क्षमा ख़ुदा से चाहो और भविष्य में नमाज़ पढ़ो, क़ुर्आन पढ़ो।

(नोट):- (मिर्ज़ा साहिब कहते हैं कि हमें याद नहीं है कि हमारे गवाह ने बैअत की थी या नहीं) छपी हुई बैअत की शर्त संख्या चार मुझे मिर्ज़ा साहिब ने बैअत करते समय नहीं सुनाई थी और न समझाई थी अक्षर K मिस्ल के साथ शामिल किया गया।

सुनाया गया सही स्वीकार हुआ

अब्दुल हमीद बक़लम ख़ुद

गवाह ने बयान करने के बाद कहा कि चूँकि उस ने साफ़ साफ़ हालात बयान कर दिए हैं उसको जान का ख़तरा है डाक्टर साहिब ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा में उसे रखना चाहते हैं। अत: गवाह को डाक्टर साहिब के पास रहने की अनुमति दी गई।

हस्ताक्षर-हाकिम

नकल पूरक बयान शामिल मिस्ल इज्लास कप्तान एम. डब्लयू. डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर ज़िला-गुरदासपुर

अदालत में प्रस्तुत किया गया	**फैसला**	**बस्ता नम्बर**	**मुक़द्दमा नम्बर**
9 अगस्त 1897 ई.	प्रस्ताव के अन्तर्गत		3/3

मुहर अदालत

हस्ताक्षर-हाकिम (15.8.1897)

वादी सरकार　　　　अपराध-107 क़ानून फौजदारी

बनाम　　　　मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद निवासी- क़ादियान प्रतिवादी

पूरक बयान अब्दुल हमीद दृढ़ निश्चय के साथ

क़ादियान से जेहलम लुकमान के पास केवल मिलने के लिए गया था और कोई काम न था।

दो तीन दिन वहां रहा था। चाचा लुक़मान के घर से चालीस रुपए पहली बार ले आया था।

सुनाया गया सही है　　अब्दुल हमीद　　हस्ताक्षर हाकिम

नकल पूरक बयान अब्दुल हमीद शामिल मिस्ल फौजदारी अदालत कप्तान एम.डब्लयू.डगलस साहिब ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला-गुरदासपुर

अदालत में प्रस्तुत किया गया	**फैसला**	**बस्ता नम्बर**	**मुक़द्दमा नम्बर**
9 अगस्त 1897ई.	प्रस्ताव के अन्तर्गत	विभाग से	3/4

मुहर अदालत

हस्ताक्षर-हाकिम 15/8/97

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब द्वारा- सरकार

अपराध 107 कानून फ़ौजदारी

बनाम- मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

पूरक बयान अब्दुल हमीद अदालत के प्रश्न पर सुदृढ़ इकरार

2 बजे दिन नमाज़ ज़ुहर के समय मिर्ज़ा साहिब ने मुझे कहा था कि जाओ क्लार्क साहिब को मारो। मस्जिद के साथ कमरे में मुझे मिर्ज़ा साहिब ले गए और कहा कि एक बात कहता हूं। मैंने कहा दिल-व-जान से मानूंगा। मिर्ज़ा साहिब के मकान में वह कमरा है। अमृतसर में एक व्यक्ति क़ुतुबुद्दीन मिर्ज़ा साहिब का मुरीद है। मिर्ज़ा साहिब ने बताया कि तुम उसके पास जाना। मैं सीधा उसके पास गया था अमृतसर कर्मूं की डयूढ़ी में बर्तनों का काम करता है। आधा घंटा उसके पास ठहरा था। मैंने उससे कहा था कि मिर्ज़ा साहिब ने मुझे क्लार्क साहिब के क़त्ल के लिए भेजा है उसने उत्तर दिया कि अच्छा जब तुम यह काम कर चुको मेरे पास

आ जाना, मैं क़ादियान में पहुंचा दूंगा। डाक्टर साहिब को मिलकर उसी दिन शाम को मैं फिर वापस क़ुतुबुद्दीन के पास गया और कहा कि डाक्टर साहिब से मिल आया हूं। उसने मुझे डाक्टर साहिब की कोठी का पता निशान दिया था। मिर्ज़ा साहिब मुझ से बहुत प्रेम करते थे और मुझ से मुट्ठियां भरवाया करते थे तथा कहा करते थे कि हमारी बात (क़त्ल) याद है। मैं कहा करता था कि हां याद है। मिर्ज़ा साहिब ने कहा था कि क्लार्क साहिब दयालु हैं, जब तुम जाओगे वह पास रख लेंगे। तुम उनके सोने, उठने, बैठने के हालात मालूम करके जब अवसर मिले पत्थर मारकर या अन्य प्रकार से हत्या कर देना। मेरे पिता का नाम लुकमान है। सुल्तान महमूद ग़लती से लिखवाया था। सुल्तान महमूद के साथ मेरी मां ने दोबारा शादी की थी। पहले ग़लती से लिखाया है कि लुकमान से शादी हुई थी। सुल्तान महमूद की एक लड़की है। लुकमान का और बेटा है जो मेरा भाई है। हम तीन भाई हैं। मैंने बपतिस्मा कभी नहीं लिया, अभिलाषी रहा था। मालाकुण्ड में सेना के साथ नहीं गया था। काम न हो सकने के कारण निकाल दिया गया था। जब मालाकुण्ड से वापस आया अभिलाषी न था, मुहम्मदी था। इस बात को लगभग दो वर्ष हो गए हैं। क़ादियान आने से पूर्व सुल्तान महमूद मुझ से नाराज़ हुआ था, उसने निकाला न था। वहां से नहर पर चल गया था। काम न करने के कारण सुल्तान महमूद नाराज़ हुआ था बुरहानुद्दीन और सुल्तान महमूद का धार्मिक मतभेद है। बुराहनुद्दीन मिर्ज़ा साहिब का मुरीद है, सुल्तान महमूद नहीं है। इस बात से एक दूसरे को बुरा समझते हैं। क़ादियान में जुबली के अवसर पर मैं न था, बाद में आया था। मैं जब गया तो मैंने बुरहानुद्दीन को वहां देखा था। मिर्ज़ा साहिब ने तीन-चार बार क़त्ल के बारे में मुझ से बात की थी कि मुहम्मद धर्म पर होकर क़त्ल करोगे तो मान्य होगे, क्योंकि क्लार्क साहिब धर्म का विरोधी है। मिर्ज़ा साहिब जब पांचों समय नमाज़ के लिए मस्जिद में आया करते थे मैं मुट्ठियां भरता था और वह मुझ से प्यार करते थे। मिर्ज़ा साहिब ने कहा था कि 20,30 सार का पत्थर उठाकर सोते समय अथवा अन्य अवसर पाकर क्लार्क साहिब को मारना और मार देना। मैंने यह सब हाल क़ुतुबुद्दीन को बताया था। उसने कहा था निस्सन्देह तू यह

काम कर और मेरे पास चला आ। (अदालत के प्रश्न पर) इस समय बुरहानुद्दीन और सुल्तान महमूद मुझ से नाराज़ हैं कि मेरा रूपया तथा जायदाद उनके पास है और वे देना नहीं चाहते। मौलवी नुरूद्दीन के पास पत्र इसलिए भेजा था कि मिर्ज़ा साहिब और वह एक ही हैं। जब मैं अमृतसर अस्पताल में था मेरा क़ुतुबुद्दीन से कोई संबंध नहीं रहा था और न मैंने किसी के पास कोई पत्र लिखा था। पत्र मैंने ब्यास में डाक्टर साहिब को लिखा (अपराधी के वकील के प्रश्न पर) जब मैं छः वर्ष की आयु का था लुक़्मान मर गया था। मैंने चालीस रुपए सुल्तान महमूद की जानकारी के बिना घर से लिए थे। घरवाली औरतों को सूचना देदी थी और नहर पर चला गया था। मेरे दो भाई मुहम्मद कामिल तथा मुहम्मद आलम घर पर हैं। मैंने मुहम्मद आलम का ज़ेवर नहीं लिया। उसने झूठा दावा किया ताकि उसके पास मेरा रूपया था। पांच छः वर्ष की बात है। पिता की भूमि पर मेरे दूसरे भाई क़ब्ज़ा किए हुए हैं। पैदावार का भाग लेता हूं। और मेरी ओर से खेती करते हैं। जायदाद के तथा सौतेले भाई होने के कारण मुझ से नाराज़ रहते हैं। सात माह से जेहलम से निकला हुआ हूं। बुरहानुद्दीन के लड़के की मुहम्मद कामिल की लड़की से मंगनी हो गई है। बुरहानुद्दीन भी मुझ से दुश्मनी रखता है। बुरहानुद्दीन तथा सुल्तान महमूद अलग-अलग मस्जिदों में हैं। जेहलम से सर्वप्रथम मूंग रसेल गया था। पादरी डालगई साहिब के पास गुजरात में रहा था। गुजरात में पादरी साहिब के पास तीन-चार माह रहा था। वहां बाइबल पढ़ी थी। उस समय ईसाई धर्म पसन्द आया था। चालचलन के कारण बपतिस्मा नहीं मिला था, क्योंकि मैं मुहम्मदी लोगों को पसन्द करता था। पादरी साहिब ने एक आदमी अल्लाह दित्ता ईसाई मेरे साथ किया था और कहा था कि इसे पिण्डी का टिकट ले दो और पिण्डी जाए। मैं यूसुफ को जानता हूं। उसके पास जाना था। इसलिए जाता था। अल्लाह दित्ता मेरे साथ स्टेशन पर नहीं आया था। मिर्ज़ा साहिब का मुरीद अमीरूद्दीन मुझे मिल गया और उसके हाथ मैं आ गया। उसने मुझे क़ादियान में भेज दिया और कहा कि प्रथम शैख रहमतुल्लाह के पास लाहौर जाओ, फिर क़ादियान जाना। दूसरे-तीसरे दिन गुजरात जाने के बाद परिचित हुए थे। मुझे ईसाइयों ने निकाल दिया था मुझे रावलपिण्डी का किराया

नहीं दिया। अमीरूद्दीन मुझे प्रतिदिन समझाया करता था कि मिर्ज़ा साहिब के पास जाओ। वह पढ़ा हुआ है। जेहलम और गुजरात में अच्छे-अच्छे मौलवी हैं परन्तु मैंने किसी से अपने सन्देहों के बारे में नहीं पूछा। महीने, डेढ़ महीने से सूजाक़ हो गया अधिक आम खाने से, रण्डी बाज़ी करने से सूज़ाक नहीं हुआ। डंगा में ईसाई धर्म के बारे में मैं लोगों को बातें बताया करता था। पहले पहल क़ादियान में जुबली से माह डेढ़ माह पूर्व गया था। पांच-छः दिन वहां रहा था फिर लाहौर और वहां से जेहलम गया था, मार्ग में गुजरात भी ठहरा था। पादरी साहिब के पास गया था और कहा था कि क़ादियान में मिर्ज़ा साहिब के पास से होकर आया हूं मुझ से प्यार-मुहब्बत करते थे। पहली बार मिर्ज़ा साहिब ने क़त्ल के बारे में कुछ नहीं कहा था। गुजरात के पादरी साहिब नाराज़ हुए थे कि क़ादियान क्यों गए हो। मैंने कहा कि मैं भूल गया, क्षमा करो और मुझे रखो। उन्होंने कहा कि घर जाओ और बाईबल पढ़ो। मुझको नहीं रखा था। फिर मैं जेहलम चला गया, इसलिए कि मेरा चाचा मेरे ईसाई होने से नाराज़ था। मिर्ज़ा साहिब ने मेरे सन्देह दूर कर दिए थे। चाचा को प्रसन्न करने के लिए गया था। फिर दोबारा जुबली के दो-चार दिन बाद मैं क़ादियान गया था कि मिर्ज़ा साहिब ने पहली बार बैअत नहीं ली थी। 17-18 दिन वहां रहा। जाने के दो दिन बाद मिर्ज़ा साहिब की, बैअत की बहुत से लोग मौजूद थे। हकीम नूरुद्दीन, हकीम फ़ज़्लुद्दीन इत्यादि लगभग बीस-तीस आदमी थे ऊपर वाली मस्जिद में बैअत की थी। बैअत के 9,10 दिन बाद मिर्ज़ा साहिब महिलाओं के मकान के ऊपरी हिस्सा में ले गए थे। जब ज़ुहर की नमाज़ हो चुकी तो मिर्ज़ा साहिब ने मुझ से कहा कि तुम यहां ठहरो। जब समस्त लोग चले गए तो दरवाज़े के मार्ग से मिर्ज़ा साहिब मुझे उस कमरे में ले गए। कोई आदमी न था। उस समय ऊपर का हिस्सा मस्जिद में न था। अन्दर मिर्ज़ा साहिब ने बैठा दिया और कहा कि तुम अमृतसर में जाओ तथा स्वयं को हिन्दू बताना और क्लार्क साहिब को पत्थर मारकर मार देना। मैंने इक़रार कर लिया। अन्दर इसलिए ले गए थे कि कदाचित कोई व्यक्ति आ जाए। हर दिन कहते थे कि वह काम याद है या नहीं और तैयार हो कि नहीं। मैं कहता था कि याद है तथा तैयार हूं। यह उस

समय पूछते थे जब मैं मुट्ठियां भरा करता था। प्रेम बहुत करते थे जैसे पिता पुत्र से। सिर पर हाथ फेरते थे। पांचों समय मुट्ठियां भरता था, लोग भी भरा करते थे, मस्जिद बाथरूम (स्नान गृह) में मुट्ठियां नहीं भरता था। वह बाथरूम स्नान करने तथा मूत्र करने का स्थान है। जिस अट्टालिका के कमरे में मुझे मिर्ज़ा साहिब ले गए थे वह भी स्नान गृह के तौर पर इस्तेमाल होता है। लगभग 18X12 फ़ुट का कमरा है। प्रत्येक कोने में स्नान करने की जगह बनाई हुई है। पक्की जगह नहीं है। तख़्ते लगाए हुए हैं। इक़रार अक्षर H मैंने स्वयं लिखा था। पहले एक बार लिखा सही न था, फिर दोबारा साफ करके लिखा था।

(नोट- गवाह से एक पर्चा इक़रार की नक़ल का कराया गया। लेख में तीन स्थानों पर अक्षरों की ग़लती थी, जिन पर निशान X लगाया गया है और निशान अक्षर H लगाया गया है) गवाह- मैंने उस कमरे को स्नान गृह समझा था। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के सामने ग़ुसलख़ाना (स्नान गृह) का शब्द नहीं लिखवाया था। प्रात: काल की नमाज़ पढ़कर थोड़ा सा दिन निकल आया था जब क़ादियान से आया था तो शायद इस्माईल बेग के साले का यक्का था। उसी दिन रेल पर सवार होकर अमृतसर चला गया था। वहां 11 बजे पहुंचा। सीधा कुतुबुद्दीन के पास गया। आधा घंटा उसके पास ठहरा। तिथि नहीं बता सकता। क़ुतुबुद्दीन ने डाक्टर साहिब के घर का पता दिया। मैं कोठी पर जा मिला। हाल बाज़ार मस्जिद में सो रहा था। तीन बजे के लगभग कोठी पर गया था। दो आदमी मेरे साथ न थे। दस-बारह मिनट में कोठी पर पहुंच गया। डाक्टर साहिब अपने आफ़िस के कमरे में थे। प्रथम मैं रसोइए को मिला फिर बैरे को। उसने डाक्टर साहिब को सूचना दी। मुझे अन्दर बुलाया गया। एक सरदार किसी काम के लिए वहां खड़ा था, चिट्ठी लेकर चला गया था। अन्दर जाते ही मैंने कहा-मैं अभिलाषी हूं, ईसाई होने आया हूं। साहब ने पूछा कहां से आया है? मैंने कहा क़ादियान से। फिर मैंने अपना हिन्दू नाम रूलाराम बताया और सारा हाल वर्णन किया जो पहले वर्णन कर चुका हूं किन्तु वह सारा बयान झूठा था। मेरे हृदय में थोड़ा विचार आया था कि मैं क़त्ल नहीं करूंगा। तीन-चार दिन पश्चात् जब मैं ब्यास गया तो मेरा क़त्ल करने का

इरादा बदल गया था। पांच-छ: दिन मैं अमृतसर रहा था। अमृतसर अस्पताल के अधीन कार्य करता था और शिक्षा पाता था। ज़ख़्मों को धोया करता था। डाक्टर साहिब एक दिन के अतिरिक्त प्रतिदिन मिला करते थे। मैं दो बार कोठी पर गया था। उस आफिस वाले कमरे में मैं मिला था उसी प्रकार अकेला मिला था जिस प्रकार कि पहले दिन मिला था। डाक्टर साहिब हर बार पूछते थे कि तुम कौन थे और कहां से आए हो। मैंने पहले वर्णन कर दिया था। इसके इतिरिक्त कोई विशेष इरादा नहीं था कि मुझे साहिब से बाइबल लेनी थी। पहली बार मुझे किताब दी गई थी परन्तु दूसरी बार मुझे दूसरी बार मुझे दूसरी तरह की किताब दी गई थी। डाक्टर साहिब ने ब्यास में शिक्षा के लिए भेज दिया था तथा डाक्टर साहिब ने कहा था कि मौलवी अब्दुर्रहीम डरता है कि तुम उसे मार न डालो। इसलिए ब्यास चले जाओ तथा लोग भी कहते हैं कि तुम खून करने आए हो। क़ुतुबुद्दीन के अतिरिक्त मैंने किसी से चर्चा नहीं की थी कि मैं क़त्ल करने के इरादे से आया हूं। सांवन सिंह मेरे साथ ब्यास गया था। एक सप्ताह वहां रहा था। तीन-चार दिन के पश्चात् मैंने मौलवी नूरुद्दीन को पत्र लिखा था। एक कोठी नई बन रही थी वहां मैंने पत्र लिखा था। भगतराम के सामने लिखा था। वहां दो राज और दो-तीन मज़दूर भी थे। भगत से पत्र भेजने के लिए पैसा या टिकिट नहीं मांगे थे। इकरार 5:1/2 बजे के लगभग लिखा था। बैठने के कमरे में पत्र लिखा था जो खाने वाले कमरे के पास है। (फिर कहा कि) पता नहीं खाने वाला कमरा कौन सा है। मेरे इक़रार लिखने के समय स्टेशन मास्टर, तार बाबू और डाकू बाबू मौजूद थे (फिर कहा कि) लिख चुका था, हस्ताक्षर कर रहा था जब वे आए थे दो तीन आदमी और थे जिन के सामने लिखा था वे अब्दुर्रहीम, भगत राम, शेख वारिस तथा डाक्टर साहिब भी थे। ब्यास में मैंने ने किसी से नहीं कहा था कि मैं डाक्टर साहिब को मारने आया हूं। भगत प्रेम दास से भी नहीं कहा था। डाक्टर साहिब मुझे अपने साथ अमृसतर ले आए थे और उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया था कि हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। ब्यास से चलकर उसी दिन सूर्य अस्त होने से पूर्व अमृतसर पहुंच गए थे। रात को डाक्टर साहिब ने सुल्तान पिण्ड में जो अमृतसर से एक मील की दूरी पर

है भेज दिया तथा वारिस और प्रेमदास एवं अब्दुर्रहीम मेरे साथ रहे थे। एक देसी ईसाई के घर हम सब रहे थे। जब क़ादियान से बटाला आया था तो मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा छापे वाले के मकान पर नहीं गया था। मिर्ज़ा साहिब ने मुझे बदचलनी के कारण क़ादियान से नहीं निकलवाया था। जब पहले मैं गया तो डाक्टर साहिब बड़े प्रेम और शिष्टाचार से मिले थे। डाक्टर साहिब मुझ से मज़बूत हैं परन्तु आक्रमण करने वाला जो भेजा जाए उसे अपना काम करना पड़ता है। अपने जीवन में पहले मैंने कभी ऐसा इरादा नहीं किया और न कभी मारने पर नियुक्त हुआ था। जब मैं मुसलमान था मैं क़त्ल करना अपराध तथा पाप समझता था परन्तु जब मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि तुम मान्य (मक़्बूल) हो जाओगे तो मेरे विचार में परिवर्तन हुआ और पक्का विश्वास हो गया कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा इससे पूर्व कि मैं मिर्ज़ा साहिब से मिलूं मेरा अपना विचार यह था कि क़त्ल करना पाप है परन्तु मुहम्मदी धर्म की दृष्टि से किसी काफ़िर को मारना पुण्य है। यह बात क़ुर्आन में लिखी है। मैंने स्वयं पढ़ा है। अनुवाद लिखा हुआ देख कर पढ़ लेता हूं, मेरे चाचा ने पढ़ाया था और एक मुल्ला ने भी पढ़ाया था। मैं बिना अर्थ के क़ुर्आन पढ़ता रहा हूं। 31 जुलाई 1897 ई. को मुझे वादा माफी दिया गया था, इसलिए मैंने इक़रार लिख दिया था। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने जाए और मार दे तो अपराधी है अन्यथा नहीं। इक़रार लिखने की तिथि से मैं निरन्तर डाक्टर साहिब के पास रहा हूं। तीन-चार दिन हुए अनारकली में मौलवी मुहम्मद हुसैन को देखा था। इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। मैंने कोई पत्र मिर्ज़ा साहिब को नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि तू खून न कर। इसलिए मेरा इरादा बदल गया कि क्यों ऐसे नेक आदमी को जैसा कि डाक्टर क्लार्क है क़त्ल करूं। हमारे ख़ानदान में से किसी ने कभी क़त्ल नहीं किया। ग़ाज़ी का मतलब मुझे मालूम नहीं कि क्या है। ब्यास में भगत प्रेमदास ने काले रंग का एक सांप पकड़ा था। मारकर डाक्टर क्लार्क साहिब के पास लाया था जो दूसरा सांप पकड़ा था वह भाग गया था अर्थात् पहले दिन दो सांप पकड़े गए थे। एक मर गया था, दूसरा भाग गया था। तीसरे दिन एक और सांप पकड़ा गया था, उसे भी मार डाला था। केवल डाक्टर साहिब को दिखाने के लिए सांप

ले जाना चाहा था।

(अदालत के प्रश्न पर) भगत प्रेमदास ने रोक दिया था (वकील) क़ुतुबुद्दीन को मैं पहले नहीं जानता था। मिर्ज़ा साहिब ने कोई ख़त उसकी तरफ़ नहीं भेजा था। क़ुतुबुद्दीन ने कहा था कि तुम कोठी देख आओ पत्थर मैं बताऊंगा उठा ले जाना और उसे मार देना। डाक्टर साहिब ने मुझ से कहा था कि हम मिर्ज़ा साहिब को पत्र लिखते हैं कि यह व्यक्ति ईसाई होने को आया है मैंने मना किया था इसलिए कि जब बपतिस्मा हो जाए तब पत्र लिखना। आज मैं क़ादियान गया था। अब्दुर्रहीम और दो सिपाही और वारिसदीन, दो सिपाही और भी साथ गए (पैरोकर के प्रश्न पर) एक बार पहले भी मिर्ज़ा साहिब मुझे उस ऊपर वाले कमरे में ले गए थे। मैं अमृतसर में ख़ैरूद्दीन की मस्जिद में सो गया था, इसलिए ठहर गया। मुझ से पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने पहले इक़रार नहीं किया था। सुलतान महमूद ने मुझे क़ुर्आन पढ़ाया था चाचा बुरहानुद्दीन मालाखण्ड नहीं गया था। दोनों बार जब मैं अमृतसर कोठी पर मिला था डाक्टर साहिब ख़ुशी से मिले थे। दोनों बार बिना बुलाए स्वयं गया था। ब्यास जाते समय बुलाया गया था। डाक्टर साहिब ने मुझे बरामदे में निकल कर झिड़की नहीं दी थी कि बिना बुलाए क्यों आए हो। अब्दुल हमीद (हस्ताक्षर हाकिम)

सुनाया गया ठीक है। हस्ताक्षर हाकिम

फौजदारी मिस्ल के सलंग्न लेख की नक़ल इज्लास कप्तान एम.डब्लयू डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला- गुरदासपुर

अदालत में प्रस्तुत किया गया	**फैसला**	**बस्ता नम्बर**	**मुक़द्दमा नम्बर**
9 अगस्त 1897ई.	मुतादइर:	विभाग से	3/3

अदालत की मुहर

हस्ताक्षर हाकिम , 15-8-97

सरकार हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध 107 कानून फ़ौजदारी

मैं अब्दुल हमीद पुत्र सुल्तान महमूद निवासी जेहलम हूं इस समय ब्यास में आया हूं जो कि मैं मौज़ा क़ादियान में से मिर्ज़ा साहिब ग़ुलाम अहमद क़ादियान से रवाना किया गया था कि तुम डाक्टर क्लार्क साहिब नक़ीज़ान कर दें अर्थात् मार डाला और मुझ को इस काम के लिए मैं चला आया हूं। यह क़ादियान में मौखिक तौर पर स्नान घर में कही।

हस्ताक्षर हाकिम....

नोट- यह पर्चा अब्दुल हमीद गवाह से लिखवाया गया

हस्ताक्षर 13-8-97

नक़ल बयान मिस्ल से सलंग्न इज्लास कप्तान एम. डब्लयू डगलस साहिब डिप्टी कमिश्नर ज़िला गुरदासपुर सरकार

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद निवासी क़ादियान

अपराध 107 कानून फौजदारी

10 अगस्त 1897 ई.

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम, 18-8-97 ई.

बयान अब्दुर्रहीम दृढ़ इक़रार के साथ

पुत्र जय सिंह क़ौम, ईसाइ निवासी वर्तमान अमृतसर आयु- 50 वर्ष वर्णन की कि मुझे डाक्टर साहिब वादी ने अब्दुल हमीद गवाह का हाल मालूम करने के लिए नियुक्त किया था। 20 दिन के लगभग इस बात को हुए हैं। बटाला में मैंने मालूम किया तो जो बयान अब्दुल हमीद ने किए थे सब झूठे पाए गए। दूसरे दिन मैं क़ादियान में गया वहां सीधा मिर्ज़ा साहिब के मकान के कमरे में जहां वह रहते हैं चला गया और किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं की उन से कहा कि एक व्यक्ति रूलाराम नामक जो मुसलमान हुआ। अब स्वयं को अब्दुल हमीद बताता है उसका क्या हाल है। मिर्ज़ा साहिब ने कहा कि वह हिन्दू से मुसलमान नहीं हुआ

अपितु जन्म से मुसलमान है, जेहलम का रहने वाला है। बुरहानुद्दीन का भतीजा है। रावलपिण्डी में उस लड़के ने बपतिस्मा लिया था। फिर मुसलमान हो गया। अब लगभग आठ दिन से चला गया है। तुम अगर उसे अच्छा खाना और अच्छे कपड़े दोगे तो तुम्हारे पास ठहर जाएगा। फिर मैं मकान से नीचे उतर आया तो एक व्यक्ति जवान आयु पहले ईसाई था, ने जिसका नाम साईंदास है तथा एक लड़के ने कहा कि अब्दुल हमीद मिर्ज़ा साहिब को सार्वजनिक तौर पर गालियां देकर चला गया है। मिर्ज़ा साहिब ने यह भी कहा था कि अब्दुल हमीद क़ुली अर्थात् टोकरी उठाने का काम भी करता है।

गवाह को सुनाया गया ठीक है

हस्ताक्षर- हाकिम

अब्दुर्रहीम बक़लम ख़ुद

नक़ल पूरक बयान अब्दुर्रहीम दृढ़ इक़रार के साथ कानून फौजदारी इज्लास कप्तान एम.डब्लयू डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

ज़िला गुरदासपुर

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

जुर्म- 107, कानून फ़ौजदारी

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम, 15-8-97 ई.

पूरक बयान अब्दुर्रहीम दृढ़ इक़रार के साथ

13, अगस्त 1897 ई, मैं पहले हिन्दू था नाई, फिर मुसलमान हुआ, 2-3 वर्ष मुसलमान रहा। 11, अक्टूबर 1896 ई. को ईसाई हुआ। 1, फरवरी 1897 ई. से डाक्टर साहिब के अधीन हूं बीस रुपए वेतन पाता हूं। जब मिर्ज़ा साहिब से पूछा तो जो कुछ मिर्ज़ा साहिब ने अब्दुल हमीद के बारे में बताया सच मालूम हुआ। अब्दुल हमीद का बयान झूठ पाया गया। 23, जुलाई 1897 ई. को क़ादियान गया

था। इतवार को वापस आकर साहिब को सूचना दी थी। डाक्टर साहिब को लड़के पर सन्देह हुआ। मुझ से राय पूछी। मैंने कहा कि मैं राय नहीं दे सकता कि इसे ईसाई किया जाए या नहीं। फिर लड़के को ब्यास भेजा गया और मैं डाक्टर साहिब के साथ ब्यास गया। अब्दुल हमीद से डाक्टर साहिब के सामने पूछा कि तुमने जो बयान दिया वह सही मालूम नहीं होता। उसने कहा कि मुंह छोटा और बड़ी बात है। साहिब ने क्षमा कर दिया और उसने सच-सच बता दिया कि डाक्टर साहिब को मारने के लिए आया हूं। जब मैं क़ादियान से वापस आकर अमृतसर पहुंचा था उससे दूसरे या तीसरे दिन अमृतसर से ब्यास डाक्टर साहिब के साथ गया था। ब्यास में शायद बैठने के कमरे में साहिब ने और मैंने लड़के से पूछा था। वारिस दीन, प्रेम दास तथा एक अन्य ईसाई मौजूद था। फिर डाक्टर साहिब ने उससे कहा कि लिख दो। अब्दुल हमीद ने मेरे सामने लिखा। 6 बजे शाम से पहले लिखा था। लिख कर मछे★ और गवाह हाशिया बुलाए गए थे। फिर उसी दिन 6 बजे की गाड़ी पर सवार होकर अमृतसर चले आए थे। रेल से उतर कर डाक्टर साहिब ने कहा कि इस लड़के की रक्षा करो। मैं, प्रेम दास और वारिस साथ होकर लड़के को सुल्तान विंड ले गए। डाक्टर साहिब कोठी पर शायद अब्दुल हमीद को ले गए थे या नहीं हम सीधा उसे सुल्तान विंड ले गए थे।

अदालत के प्रश्न पर- जब लड़का पहले पहल आया तो उसका रूप और आकृति खूनी की प्रतीत होती था।

बाज़ार से रोटी लाकर खाई थी।

अब्दुर्रहीम बक़लम ख़ुद

सुनाया गया सही है। हस्ताक्षर-हाकिम

नक़्ल बयान शामिल मिस्ल अदालत कप्तान एम. डब्लयू डगलस

डिप्टी कमिश्नर ज़िला-गुरदासपुर।

सरकार बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद निवासी क़ादियान

अपराध 107 कानून फ़ौजदारी

★**हाशिया :-** यह शब्द नहीं पढ़ा गया।

मुहर अदालत
हस्ताक्षर हाकिम, 10-8-1897 ई.

दृढ़ इक़रार के साथ प्रेम दास का बयान 10-8-1897 ई.

पुत्र हीरा, क़ौम ईसाई, वर्तमान निवास अमृतसर आयु चालीस वर्ष बयान किया कि अपराध का इक़रार अक्षर H मेरे सामने अब्दुल हमीद ने लिखा था। एक अन्य पत्र भी उसने मेरे सामने मौलवी नूरुद्दीन की ओर लिखा था। ये दोनों पत्र तथा अपराध का इक़रार ब्यास के स्थान पर लिखे गए थे। पत्र में अब्दुल हमीद ने मौलवी नूरूद्दीन साहिब को लिखा था कि मुहम्मदी धर्म झूठा है और ईस्वी धर्म सच्चा है। मैं ईसाई होने लगा हूं। मैं इस समय ब्यास में हूं। यदि अब मुझे समझाना चाहते हो तो आकर समझा दो। और मुझ से टिकट के लिए पैसे मांगे। मैंने कहा था कि तुम मौलवी साहिब को इतना प्रेम करते हो तो बेरंग पत्र भेज दो। उसने भेज दिया। फिर उस पत्र का उत्तर कोई न आया। डाक्टर साहिब ब्यास गए थे। उनके सामने अब्दुल हमीद ने कहा था कि पहले वह ब्राह्मण था, रूलाराम नाम था, फिर मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हूं और अब्दुल हमीद नाम है। अब्दुल हमीद के आने के आठ दिन बाद मैं रेल पर पर्चा मसीही दीन को बांटने के लिए गया था। जब वापस आया तो खूह (कुंए) के पास एक व्यक्ति था तथा एक अन्य व्यक्ति कुछ दूरी पर था। एक ने मुझ से पूछा कि कहां जाते हो? मैंने कहा कि घर जाता हूं। उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई लड़का अब्दुल हमीद है। मैंने कहा है। वह व्यक्ति कहने लगा कि वह लड़का पहले हिन्दू था। रूलाराम उसका नाम है। बटाला उसका घर हैं। पहले बेईमानी उसने की कि मुसलमान हुआ और अब ईसाई होने आया है। मैंने कहा कि जो अंधकार उसके हृदय में था दूर हो जाएगा और तुमको कष्ट फिर नहीं देगा। फिर वे दोनों व्यक्ति वहीं रहे और मैं अपने अस्पताल को चला गया। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति थे। ठीक नहीं कह सकता कि हिन्दू थे या मुसलमान थे। दाढ़ी मुंडी हुई थी। पंजाबी भाषा थी, सरहदी बोली न थी। फिर उन आदमियों को नहीं देखा। उस व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर से

भी चर्चा की थी कि यह लड़का हिन्दुओं का है। मुझे स्टेशन मास्टर ने कहा था। मैंने अब्दुल हमीद उन दो आदमियों के बारे में वर्णन किया था कि क्या वे तुम्हारे पिंड (गांव) के हैं। या क्या उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया था।

प्रेमदास

सुनाया गया सही है हस्ताक्षर हाकिम

मुक़द्दमे के बाद की गवाही हो चुकी है। प्रतिवादी की ओर से वकील ने परसों आना है। परसों प्रस्तुत हो।

हस्ताक्षर - हाकिम

नक़ल ब्यान प्रेमदास शामिल मिस्ल फ़ौजदारी अदालत

एम.डब्लयू डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला- गुरदासपुर

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार/ बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध 107 कानून फ़ौजदारी

दृढ़ इक़रार के साथ प्रेमदास का बयान- 13 अगस्त 1897 ई.

अदालत की मुहर

हस्ताक्षर हाकिम, 15-8-97

मैं लगभग 16 वर्ष से या कुछ ऊपर-नीचे ईसाई हूं। डाक्टर साहिब के अधीन इस समय ब्यास में नियुक्त हूं। अब्दुल हमीद 21-22 जुलाई 1897 ई. को मेरे पास भेजा गया था। डाक्टर साहिब ने चिट्ठी में लिखा था कि इस प्रिय को ईसाई धर्म सिखाओ और काम लो। टोकरी उठा सकता है, कमज़ोर नहीं है। 31 जुलाई 97 ई. तक अपराध का इक़रार लिखा गया अब्दुल हमीद ने नहीं कहा था कि वह डाक्टर क्लार्क को मारने आया है। ब्यास में डाक्टर साहिब का एक नया कमरा बनता है वहां अब्दुल हमीद ने यूसुफ खान और मेरे सामने मौलवी नूरुद्दीन को पत्र लिखा था। मेरे दिल में 31, जुलाई 97 ई तक कोई सन्देह अब्दुल हमीद के बारे में नहीं हुआ था बल्कि दो आदमियों ने उसके बारे में कहा था कि यह हिन्दुओं का लड़का है और मुझे इस से हमदर्दी है एक दिन दो सांप पकड़े गए थे।

प्रेमदास बक़लम ख़ुद

सुनाया गया सही है।		हस्ताक्षर - हाकिम

नक़ल बयान गवाह फ़रियाद विभाग फ़ौजदारी अदालत कप्तान एम.डब्लयू डगलस साहिब मजिस्ट्रेट, ज़िला-गुरदासपुर। डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

अपराध-107, कानून फ़ौजदारी

बनाम - मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

बयान मौलवी नूरुद्दीन गवाह वादी दृढ़ इक़रार के साथ

13 अगस्त 1897 ई.

मुहर अदालत		हस्ताक्षर- हाकिम

पुत्र ग़ुलाम रसूल निवासी भौरह		15-8-1897 ई.

ज़िला- शाहपुर क़ौम क़ुरैशी, आयु 50 वर्ष, बयान किया

मैं मिर्ज़ा साहिब का मुरीद हूं। बहुत समय वर्षों से मुझे कभी दाएं हाथ के फ़रिश्ते की उपाधि नहीं मिली और न कभी ख़लीफ़ा की उपाधि मिली है। मुझे सब से बुज़ुर्ग नहीं कहा जाता। अब्दुल हमीद हमारी बिरादरी से नहीं है। हम क़ुरैशी हैं और अब्दुल हमीद गक्खड़ है। कोई संबंध नहीं है। मुझे अब्दुल हमीद का कोई पत्र बैरंग नहीं आया। मैं तीन प्रकार का बैरंग पत्र लेता हूं। घर से आए हुए या यदि कोई टिकट लगाकर भेजे और संयोग से बेरंग हो जाए तो मैं उसका महसूल (टेक्स) दे देता हूं या पुस्तकों की बिल्टियों वाले पत्र बेरंग लेता हूं। शेष बेरंग पत्र मैं वापस करता हूं। अब्दुल हमीद से मैं परिचित हूं। दो बार क़ादियान में आया था और मुझ से कहा था कि मिर्ज़ा साहिब की बैअत करा दो। मैंने मिर्ज़ा साहिब से कहा। उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी बैअत नहीं करते और न ऐसी बैअत को हम पसन्द करते हैं कि बैअत करने वाले का हाल अच्छी तरह ज्ञात न हो जाए। अब्दुल हमीद दो-चार दिन रहकर चला गया। याद नहीं कि कब आया था। फिर मालूम नहीं कि कितने समय के पश्चात् पुन: आया था परन्तु अधिक समय नहीं गुज़रा था। दूसरी बार के संबंध में याद नहीं कि कितने दिन रहा था। मिर्ज़ा साहिब

अब्दुल हमीद न कठोरता और न प्रेम करते थे। एक बार मिर्ज़ा साहिब ने कहा था कि अजनबी लोगों को अधिक न रहने दिया करो उस समय तक कि शराफत का हाल मालूम न हो। बंगाल में मालूम नहीं कि मिर्ज़ा साहिब का कोई मुरीद है या नहीं। हैदराबाद में दो मुरीद हैं। बम्बई में एक व्यक्ति कराची में कोई नहीं, काबुल में कोई नहीं, लखनऊ में कोई नहीं। देहली में एक है। पंजाब में मुरीद हैं संख्या याद नहीं। मिर्ज़ा साहिब पुस्तकें लिखते हैं। उनके कुछ मुरीद पुस्तकें मुफ्त ले जाते हैं और कुछ मूल्य दे जाते हैं और भेंट भी देते हैं। मैं समझता हूं कि मिर्ज़ा साहिब पांच हज़ार रुपए तक इनाम दे सकते हैं। यूसुफ़ खान जब तक क़ादियान में रहा हम से अलग रहा परन्तु उसकी ख़राबी कोई नहीं देखी। मिर्ज़ा साहिब ने अब्दुल हमीद को किराया नहीं दिया था, आदेश दिया था कि निकाल दो। निकम्मे आदमियों को वह नहीं रहने देते। जहां तक मुझे मालूम है और याद है मैंने दो आने उसे दिए थे। मिर्ज़ा साहिब ने उसे कुछ नहीं दिया था। अब्दुल हमीद को छापा खाने में काम करते मैंने स्वयं नहीं देखा, सुना था कि काम करता था। गालियों के बारे में सुना था कि उसने मिर्ज़ा साहिब को गालियां दी हैं उसने मेरे सामने मिर्ज़ा साहिब को गालियां नहीं दी थीं। जुबली के दिन अब्दुल हमीद के संबंध में नहीं कह सकता कि वहां था या नहीं। जुबली पर बुरहानुद्दीन आया था। उसने मुझ से कहा था कि यह लड़का सच्चा नहीं है। तुम इस से चोट खाओगे अर्थात् तुम्हें कष्ट देगा। मालूम नहीं कि किस ने अब्दुल हमीद को कहा था कि चले जाओ। मैंने नहीं कहा था कि **अपराधी के वकील के प्रश्न पर-** जब पहली बार अब्दुल हमीद क़ादियान आया मैं उस से परिचित हुआ था। जहां आम लोग मुलाकात करने वाले या फ़क़ीर इत्यादि रहते हैं वहां वह रहता था। मिर्ज़ा साहिब के घर से सौ गज़ की दूरी पर यह स्थान है। मिर्ज़ा साहिब वहां न ही आया करते। चार वर्ष से निरन्तर मिर्ज़ा साहिब के पास रहता हूं। वह एकान्त में रहते हैं। केवल पांच समय नमाज़ के लिए बाहर निकलते हैं और कभी-कभी खुली हवा में टहलने के लिए बाहर जाते हैं। प्रातः, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब, इशा के समय बाहर आते हैं। उस समय आम जमावड़ होता है। हर एक आदमी वहां मौजूद होता है। कोई व्यक्ति

मिर्ज़ा साहिब के मकान के अन्दर नहीं जाता है। मैं स्वयं कभी नहीं गया। आम तौर पर मिर्ज़ा साहिब ने आदेश दिया था कि जो अजनबी लोग हैं निष्कपट लोगों के अतिरिक्त शेष लोगों को निकाल दिया जाए। जब बुरहानुद्दीन ने कहा था कि यह लड़का अच्छा नहीं है। मैंने मिर्ज़ा साहिब से इसके बारे में चर्चा नहीं की थी बल्कि बुरहानुद्दीन से कहा था कि बुरे अच्छे हो जाते हैं आप उस पर क्यों ऐसी कुधारणा रखते हैं। उसने कहा था- मैं इसके बारे में अधिक अनुभव रखता हूं। अब्दुल हमीद मेरे दर्स में कभी नहीं बैठा और मिर्ज़ा साहिब से तो मिला ही नहीं। इसको सूज़ाक (मूत्राघात) का रोग है। मैंने उसका इलाज किया था। दोबारा जब वह क़ादियान आया मैं उसी जगह था। दोबारा आने पर निकाला गया था। शायद बुरहानुद्दीन उस समय उस स्थान पर न था। इसकी आशा अधिक है। मुझे यूसुफ के निकाले जाने के बारे में मैंने अब यह शब्द सुना है कि वह निकाला गया था। वास्तव में वह स्वयं चला गया था। अक्षर F पृष्ठ-44 में जो इबारत लिखी है वह सच और झूठ के बारे में है कि कोई व्यक्ति जो सच पर न हो उसे ख़ुदा नष्ट करेगा चाहे कोई हो। इसमें मिर्ज़ा साहिब भी सम्मिलित हैं। यह इबारत भविष्यवाणी नहीं है। कोई व्यक्ति हो। उपद्रवी और झूठे का अंजाम अच्छा नहीं है। इबारत के अन्त में झूठ का शब्द लिखा है झूठे का नहीं है। मुहम्मद सईद को जो ईसाई हो गया है, जानता हूं। उसको मिर्ज़ा साहिब ने क़ादियान से निकाल दिया था। यूसुफ खान और मुहम्मद सईद इकट्ठे एक साथ रहते थे दोनों क़ादियान से इकट्ठे नहीं गए। अलग-अलग गए थे। मकान के अन्दर स्नान घर का हाल मुझे मालूम नहीं कि कहां है। मस्जिद का सामान्य स्नान घर है। **(पैरोकार के प्रश्न पर)** मिर्ज़ा साहिब का मस्जिद में कोई कमरा नहीं है। (अदालत के प्रश्न पर) अब्दुल हमीद की बैअत नहीं हुई थी। मैंने उसे बैअत की कोई शर्तें नहीं पढ़ाई थीं। (अक्षर K)

नूरुद्दीन सुनाया गया सही है हस्ताक्षर हाकिम

नक़ल बयान गवाह विभाग फ़ौजदारी

अदालत कप्तान एम.डब्लयू डगलस साहिब मजिस्ट्रेट ज़िला- गुरदासपुर

सरकार माध्यम डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, दफ़ा-107 कानून फौजदारी 13 अगस्त.

बयान शेख़ रहमतुल्लाह दृढ़ इक़रार के साथ

मुहर अदालत हस्ताक्षर हाकिम (18-8-1897)

पुत्र शेख अब्दुल करीम क़ौम शेख,

निवासी गुजरात, वर्तमान लाहौर, आयु चालीस वर्ष, बयान किया कि मैं व्यापार का कार्य करता हूं। मिर्ज़ा साहिब का मुरीद हूं लगभग छः वर्ष से। मुरीदों की संख्या मुझे मालूम नहीं। अब्दुल हमीद को संभवतः मई के महीने में लाहौर में देखा था। मेरी दुकान पर आया था। मेरे पास गुजरात के मुहम्मदियों ने उसे नहीं भेजा था। अमीरूद्दीन ने मेरे पास नहीं भेजा था। सही तिथि याद नहीं। उसने मुझ से कहा था कि मैं बुरहानुद्दीन का भतीजा हूं। ईसाई हो गया था परन्तु अब मेरी आस्था फिर गई है। मुसलमान होना चाहता हूं। मैंने पहले भी सुना हुआ था कि बुरहानुद्दीन का एक भतीजा ईसाई है। मालूम नहीं किस ने कहा था। दो या तीन दिन मेरे मर्दाना मकान पर रहा था। उसने क़ादियान आने का इरादा किया और मुझ से किराया मांगा। मैंने आठ आने उसे दिए थे। मुझे कोई सूचना नहीं आई थी कि वह पहुंच गया है। किसी आए- गए से मालूम हुआ था कि पहुंच गया है चौथा- पांचवे दिन बाद पुनः वापस आया, परन्तु मैं वहां न था। मेरे आदमियों ने कहा कि आया था और जेहलम गया है। तत्पश्चात् फिर मैंने उसे नहीं देखा। मैं सामान्यतया क़ादियान में जाता हूं और ख़ुदा के फ़ज़्ल से धनवान हूं। एक सौ त्रैपन रुपए टेक्स अदा करता हूं। क़ादियान में मेहमान ख़ाने में रहता हूं जो मिर्ज़ा साहिब के मकान से अलग है। मिर्ज़ा साहिब का एकान्त- गृह नहीं है। मस्जिद में सामान्य लोगों से मिलते हैं, मेरी जानकारी में कोई विशेष स्थान नहीं है जहां वह मशवरे करते हैं। यदि मेरा सामर्थ्य हो और इस्लाम के लिए रुपए की आवश्यकता हो तो मैं मिर्ज़ा साहिब को सहायता देने के लिए उपस्थित हूं। मैं 16 और 26, जुलाई 1897ई. के मध्य गुजरात गया था। मैं कह नहीं सकता कि अब्दुल हमीद ने मेरे पास क्या नाम बताया था। यूसुफ़ खान को जानता हूं। मेरे सामने कभी इमामत नहीं की और

न वह इस योग्य है कि इमाम नियुक्त हो। **(अपराधी के वकील के प्रश्न पर)** अब्दुल हमीद को मैं बदमाश जानता हूं। उसने मुझसे कहा था कुछ सन्देह हैं जिन्हें दूर करने के लिए क़ादियान जाता हूं। मस्जिद के साथ एक ग़ुसलख़ाना है। उसमें पेशाब करते तथा नहाते हैं। वहां बैठने का स्थान नहीं है। कमरा कोई नहीं है। छ: वर्ष अवधि में मुझे कभी मिर्ज़ा साहिब से मकान के अन्दर एकान्त में मिलने का अवसर नहीं हुआ। यदि कभी तीन चार सौ लोग एकत्र हों किसी जल्से के अवसर पर जो ज़नाना मकान खाली कर दिया जाता है और सब लोग वहां एकत्र होते हैं, अन्यथा वहां कोई नहीं जाता सिवाए पांच समय की नमाज़ों के वह किसी से नहीं मिलते।

प्रश्न- रात को क्लार्क साहिब ने यक्के क़ादियान भेजे थे?

उत्तर- साहिब ने तीन यक्के भेजे थे।

प्रश्न- आप गिरधारी लाल आर्य को जानते हैं?

उत्तर- देखा है, व्यक्तिगत परिचय नहीं है। रात के समय क़ादियान गया था। अब्दुल हमीद सुबह क़ादियान गया है। गंगाराम को जानता हूं वह क़ादियान में शिक्षक था और वह भी अब्दुल हमीद के साथ क़ादियान गया है। गंगा राम को मैं जानता हूं कि वह आर्य है।

पैरोकार के प्रश्न पर- ग़ुस्लख़ाने का एक दरवाज़ा है जो बन्द हो जाता है। उसके ऊपर एक मंज़िल है साफ़ मैदान और आम तौर पर नमाज़ में इस्तेमाल होता है तथा उस स्थान पर मिर्ज़ा साहिब भी आते हैं। मस्जिद में से एक दरवाज़ा मिर्ज़ा साहिब के मकान को जाता है और एक सीढ़ीयों में से।

हस्ताक्षर - अंग्रेज़ी में

सुनाया गया सही है।

हस्ताक्षर- हाकिम

नक़ल बयान गवाह वादी कानून फ़ौजदारी अदालत कप्तान एम. डब्लयू डगलस साहिब ज़िला मजिस्ट्रेट ज़िला गुरदासपुर

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

बनाम ग़ुलाम अहमद क़ादियानी
अपराध धारा-107
कानून फ़ौजदारी 13 अगस्त 1897 ई.

मौलवी मुहम्मद हुसैन गवाह वादी दृढ़ इक़रार के साथ

पुत्र शेख रहीम बख़्श, क़ौम- शेख निवासी बटाला आयु, वर्ष बयान की कि मैं मिर्ज़ा साहिब को बहुत समय से जानता हूं। इन्होंने बहुत भविष्यवाणियां की हैं। 20-25 भविष्यवाणियां की हैं। अंजाम आथम में पृष्ठ 44 पर जो इबारत पृष्ठ के अन्त पर दर्ज है कि झूठ को ख़ुदा जड़ से उखाड़ेगा, इसका मतलब यह है कि झूठ नष्ट होगा। इस इबारत से मैं नहीं समझता कि मिर्ज़ा साहिब को कोई विशेष शत्रुता क्लार्क साहिब से है। मुबाहसा धार्मिक है। धार्मिक मामलों में मैं मिर्ज़ा साहिब से सहमत नहीं हूँ। इस बात में उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में फूट पैदा कराई है। एक-दूसरे के ख़ून के प्यासे हो गए हैं। यह उनकी शिक्षा का प्रभाव है। वह उपद्रव फैलाने वाला व्यक्ति है। मुहम्मदियों के धार्मिक विचारों से मैं परिचित हूं। यदि क्लार्क साहिब मर जाएं तो मिर्ज़ा साहिब को अपने अनुयायियों से बहुत सम्मान मिलेगा और उनकी भागीदारी सिद्ध होगी। अब्दुल्लाह आथम की निर्धारित समय के बाद मृत्यु हुई और अंजाम आथम में मिर्ज़ा साहिब ने लिखा कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार मृत्यु हुई है। 1895 में मैं क्लार्क साहिब से मिला था, तत्पश्चात् कभी नहीं मिला अपितु उनसे शिकायत है तथा दुख है कि एक विशेष बात के लिए उनको मिला था और उन्होंने हमदर्दी नहीं की। मेरे से वह कभी नहीं मिले। मैंने एक पुस्तक 80 पृष्ठों की लिखी है लेखराम के क़त्ल के संबंध में। उसका ख़ुलासा यह है कि लेखराम के क़त्ल का निशान- पता देने के मिर्ज़ा साहिब ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि उनके कथनानुसार ख़ुदा उनको हर बात की ख़बर देता है। क़ातिल का क्यों पता नहीं देता। अत: इसके पृष्ठ 44 अक्षर F पर जो भविष्यवाणी है तथा कोई भविष्यवाणी क्लार्क साहिब के बारे में मिर्ज़ा साहिब ने नहीं की।

प्रश्न- मैं अहले हदीस हूं जिन्हें पहले ग़लती से वहाबी कहते थे (अहले

हदीस के विपरीत अन्य मतों के लोग अर्थात् हनफ़ी, शिया इत्यादि मुसलमान हैं या नहीं, अदालत ने यह प्रश्न अस्वीकार किया) ख़ून का प्यासा होने से मेरा मतलब है कि जो लोग मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध हों उनको उनके अनुयायी काट डालें अर्थात् काटने वाले समझें। यह उनकी शिक्षा है। गवाह ने पुस्तक आईना कमालात-ए-इस्लाम का पृष्ठ 601 प्रस्तुत करके बयान किया कि पृष्ठ-600 पर जो प्रश्न अक्षर S है वह मैंने लिखा है और उत्तर अक्षर R है वह मिर्ज़ा साहिब का है। बराहीन अहमदिया पर रीव्यू मैंने लिखा था। अक्षर T पृष्ठ 176 से 188 तक। उस समय मिर्ज़ा साहिब की परिस्थितियां अच्छी थीं और मैंने ऐसा ही लिखा था तथा लिखा था कि मिर्ज़ा साहिब के पिता ने ग़दर में सहायता दी थी। किताब इशाअतुस्सुन्न: जिल्द-13, अक्षर U में मैंने मिर्ज़ा साहिब के बारे में कुफ्र का फ़त्वा दिया था। मिर्ज़ा साहिब को मैं मुसलमान नहीं समझता, नास्तिक है। मौलवी ग़ुलाम क़ादिर हनफ़ी मुझे उपद्रव फैलाने वाला नहीं कहता और न अहले हदीस को काफ़िर कहता है। हमारे लेखों तथा शिक्षाओं के कारण भी लोगों में झगड़े हैं परन्तु ऐसे नहीं हैं जिस से खून (क़त्ल) हों। अदालत में भी मुक़द्दमे हुए हैं। मैंने रोम के बादशाह के समर्थन और सहानुभूति में एक आर्टिकल लिखा है। मिर्ज़ा साहिब ने रोम के बादशाह के विरुद्ध लिखा है।

(इस अवसर पर अंग्रेज़ी चिट्ठी में जो अदालत ने नोट दिया है वह हम नीचे लिख देते हैं।)

"I Consider Sufficient evidence has been recorded regarding the hostility of the witness to the mirza and their is no necessity to stray further from the main lines of the case."

अनुवाद- मैं सोचता हूं कि पर्याप्त गवाही लिखी जा चुकी है कि गवाह को मिर्ज़ा साहिब से दुश्मनी है और अब अधिक आवश्यकता नहीं कि हम मुक़द्दमे की खास बात से दूसरी तरफ़ चले जाएं।

(गवाह का शेष बयान) लेखराम के क़त्ल के बारे में जो कुछ हमने कहा है कि मिर्ज़ा साहिब के षड़यंत्र से क़त्ल हुआ है वह स्वयं मिर्ज़ा साहिब के

लेखों से लिया गया है (पुनः कहा कि) मिर्ज़ा साहिब इस क़त्ल के ज़िम्मेदार हैं। उनको क़ातिल नहीं कहता न षड़्यंत्र है। वह अपने लेखों से पता-ठिकाना बताने का ज़िम्मेदार है।

जो लोग मिर्ज़ा साहिब के अनुयायी हैं एक सूची के अनुसार उनकी संख्या 113 है या उसके आसपास है।

हिन्दुस्तान में उन मुरीदों के अतिरिक्त अन्य मुसलमान लोग मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध हैं।

(अदालत ने प्रश्न अस्वीकार किया)

अब्दुल हमीद को 8 या 9 अगस्त 1897 को देखा था। एक ईसाई उसे साथ लिए जाता था। बटाला में मैं डाक्टर क्लार्क साहिब की कोठी पर नहीं गया। भविष्यवाणी हो या न हो क्लार्क साहिब के मरने से मिर्ज़ा साहिब लाभ उठाएंगे। मेरे मरने से भी मिर्ज़ा साहिब को फ़ायदा होगा। मैं ईसाइयत का बड़ा विरोधी हूं सुनाया गया सही स्वीकार हुआ

बक़लम मुहम्मद हुसैन हस्ताक्षर- हाकिम

नक़ल बयान प्रभ दयाल गवाह वादी शामिल मिस्ल फ़ौजदारी अदालत कप्तान एम. डब्लयू डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला- गुरदासपुर

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी,

अपराध धारा 107 कानून फ़ौजदारी

प्रभ दयाल गवाह वादी दृढ़ इक़रार के साथ 13 अगस्त 1897 ई.

मुहर अदालत

हस्ताक्षर - हाकिम

पुत्र रामचन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी क़ादियान आयु 50 वर्ष, बयान किया कि मैं हलवाई की दुकान करता हूं। मेरी दुकान से मिठाई खरीदा करता था। यह याद नहीं है कि किस-किस तारीख को मिठाई ख़रीदी थी। एक माह के लगभग हुआ है वहां उसे देखा था और कुछ मालूम नहीं है। उस समय और कपड़े थे।

सिर पर पगड़ी लाल और पांव में बूट थे। पाजामा भी पहना हुआ था। कपड़े उतार कर नंगा टोकरी उठाने का काम करता था। मिर्ज़ा साहिब को हम रईस मानते हैं। महल माड़ियां की ज़मीनों के मालिक हैं।

(अपराधी के वकील के प्रश्न पर) हिन्दू लोग भी अच्छा समझते हैं। आज सिपाही लाया है।

प्रभ दयाल

सुनाया गया सही है

हस्ताक्षर- हाकिम

नक़ल बयान अब्दुल हमीद फ़ौजदारी विभाग अदालत कप्तान एम.डब्लयू डगलस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला गुरदासपुर

अदालत में प्रस्तुत किया गया	**फैसला**	**बस्ता नम्बर**	**मुक़द्दमा नम्बर**
9 अगस्त 1897 ई.	मुतादइरः	विभाग से	3/3

मुहर अदालत

सरकार माध्यम मिस्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध धारा 107 इन्डियन पीनल कोड

यह इबारत अंग्रेज़ी चिट्ठी से अनुवाद की गई है

उस बयान के आधार पर जो अब्दुल हमीद ने डी.एस.पी. के सामने बयान किया है अब्दुल हमीद को बतौर सरकारी गवाह के फिर गवाही के लिए बुलाया गया और उसका बयान लिया गया।

बयान अब्दुल हमीद गवाह दृढ़ इक़रार के साथ

20 अगस्त 1897 ई., अदालत के प्रश्न पर

मैंने पुलिस कप्तान साहिब के सामने बटाला में एक बयान दिया था। एक

थानेदार मुझे साहिब के पास लाया था, नाम नहीं जानता। उस समय मैं अनारकली (बटाला) में था। हम तीन आदमी गाड़ी में थे। एक मैं एक थानेदार और एक साईस (घोड़े की देखभाल करने वाला) उस समय मैं, वारिसदीन ईसाई, भगत प्रेमदास और दो पुलिस सिपाहियों की सुरक्षा में था। थानेदार सीधा मुझे साहिब के पास ले गया था। मैं सर्वप्रथम अमृतसर में हाल गेट में नूरुद्दीन ईसाई के पास गया था। मैं क़ादियान से आकर दो दिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा के छापाखाने में रहा था। छापाखाने की नौकरी के लिए वहां ठहरा था परन्तु वहां काम न था। फिर मैं अमृतसर नूरदीन के पास गया। नूरदीन ने पादरी ग्रे साहिब के पास मुझे चिट्ठी दी थी। नूरदीन के पास ईसाइयत के अभिलाषी के तौर पर गया था। मैं क़ुतुबुद्दीन के पास कदापि नहीं गया था। मेरा पहला बयान कि उसके पास गया था सच नहीं है। उस से परिचित तक भी नहीं है। पादरी ग्रे साहिब से मैंने निवेदन किया था कि मुझे ईसाई करो। उन्होंने मुझे नूरदीन के पास वापस भेज दिया और कहा कि अपना ख़र्च उठाओ तो ईसाइयत सिखाएंगे। मैंने यह शर्त स्वीकार की और नूरदीन के पास वापस गया। उसने मुझे कहा कि डाक्टर क्लार्क साहिब के पास जाओ वह रोटी भी देंगे और ईसाइयत भी सिखाएंगे। मैं डाक्टर साहिब के पास गया और कहा कि हिन्दू से मुसलमान हुआ हूं। यही बात नूरदीन से भी कही थी। और मैंने कहा कि क़ादियान से आया हूँ डा. साहिब ने कहा कि रुको हम पूछते हैं मैंने कहा कि जब बपतिस्मा हो जाए तब पूछना। तब डाक्टर साहिब ने मुझे अस्पताल में भेज दिया। वहां अब्दुर्रहीम ईसाई था। उसने मुझ से पूछा। मैंने उस से भी कहा कि क़ादियान से आया हूं। दूसरे-तीसरे दिन वह मुझे डाक्टर साहिब की कोठी पर ले गया। मुझे डाक्टर साहिब ने बुलाया था। डाक्टर साहिब ने कहा कि मौलवी अब्दुर्रहीम कहता है कि तू खून करने आया है। मैंने कहा कि नहीं। डाक्टर साहिब ने कहा- यह बच्चा है यह ऐसा काम किस प्रकार कर सकता है। फिर मुझे ब्यास में भेज दिया। अब्दुर्रहीम ने मुझ से दो तीन बार यह बात कही कि मुझे पता चल गया है कि तुम किस काम के लिए आए हो। मैंने कहा कि मैं केवल ईसाई होने आया हूं अन्य किसी काम के लिए नहीं आया। फिर मैं ब्यास चला गया। वहां अब्दुरिहीम दो दिन बाद आया।

चार बजे दिन के समय आया था, मुझ से मिला, अस्पताल में मैं जहां पढ़ रहा था। मुझे कहा कि बताओ तुम किस तरह आए हो? हमें पता लग गया है। सच बताओ अन्यथा पुलिस कप्तान साहिब के सुपुर्द कर देंगे। मैंने कहा कि ईसाई होने आया हूं और कोई बात नहीं है। उसने कहा कि तुम खून करने आए हो। परन्तु यह नहीं कहा था कि किस को मारने के लिए। फिर वह चला गया। दूसरे-तीसरे दिन डाक्टर साहिब यूसुफ खान तथा एक अन्य वृद्ध आदमी के साथ आए और मेरा फोटो डाक्टर साहिब ने उतारा और अमृतसर चले गए। उस समय अन्य नौकरों के भी फोटो लिए। उस समय तक डाक्टर साहिब ने मुझ से कोई चर्चा नहीं की। इसके दो दिन गुज़रने के पश्चात् तार आया कि डाक्टर साहिब मुझे अमृतसर बुलाते हैं। एक सांप भगत प्रेमदास ने मारा था। उसने मुझ से कहा कि यह सांप मरा हुआ साथ ले जाओ साहिब को दिखलाना। स्टेशन से मुहम्मद यूसुफ़ मुझे कोठी पर ले गया और वहाँ मेरा फ़ोटो लिया गया ("नुक़्सान कर") तो मुझे अब्दुर्रहीम ने कहा कि शब्द ("मार डाल") भी लिख दो। यह बात कान में कही थी मेरे साथ बैठा हुआ था। जुर्म के इक़रार को लिखते समय वह मेरे पहलू से पहलू लगाए बैठा था। इक़रार दो बार लिखा था। प्रथम बार शब्द केवल 'नुक़्सान' लिखा था, दूसरी बार जब लिखने लगा तो कहने के अनुसार "मार डाल" का शब्द भी लिख दिया। फिर जब हस्ताक्षर करता था तो उन्होंने पोस्ट मास्टर इत्यादि को बुलाया। उन्होंने मुझ से पूछा। मैंने डर कर कहा कि हां खुशी से लिख देता हूं। जब मैंने लिख दिया तो डाक्टर साहिब तथा सब ने कहा कि ठीक, तो हमारे दिल की मुराद पूरी हो गई है। फिर छ: बजे की ट्रेन में डाक्टर साहिब इत्यादि मुझे अमृतसर लेकर आए और कोठी पर ले गए। वारिसदीन, अब्दुर्रहीम तथा भगत प्रेमदास साथ थे। जिस दिन इक़रार लिखा उस दिन अब्दुर्रहीम के अतिरिक्त भगत प्रेमदास तथा वारिस दीन भी मुझे कहते थे कि तू इस प्रकार बयान कर दे मिर्ज़ा को फंसा दे। तुझे कुछ नहीं होगा कि तुम्हें डाक्टर साहिब ने क्षमा कर दिया है। रात को मुझे सुल्तान विंड ले गए। मुझे ख़ैरूद्दीन डाक्टर के मकान पर रखा और मुझे सिखाते रहे कि तुम यह बात कह देना कि मिर्ज़ा ने भेजा है कि डाक्टर को पत्थर से मार दो। मैंने भय

के कारण कहा कि ऐसा ही कहूंगा। रात को मैं बहुत बेचैन रहा और अनिद्रा की अवस्था में रहा कि मुझ से झूठ कहलाते हैं। मुझे प्रात: गाड़ी में बिठाकर कोठी पर लाए और कहते रहे कि तुम को कुछ नहीं कहा जाएगा। यह ही बयान करना। डिप्टी कमिश्नर के सामने मेरे बयान हुए। मैंने अपना नाम रलियाराम स्वयं बताया था। नूरदीन के पास एक व्यक्ति हिन्दू था या मुसलमान के कहने पर कहा था कि वह ईसाई करता है। सर्व प्रथम जब मैं डाक्टर साहिब के पास गया तो मैंने नहीं कहा था कि मुझे मिर्ज़ा साहिब ने भेजा है। अपना पता खजूरी दरवाज़े का भी मैंने स्वयं बताया था। मैंने ये बातें इसलिए की थीं कि पहले मैं स्काच मिशन गुजरात में था और दुष्कर्म के कारण मुझे निकाला गया था। इसी कारण मैंने स्वयं को हिन्दू प्रकट किया था कि पहला हाल मालूम न हो जाए। मौलवी नूरदीन को मैंने चिट्ठी ब्यास से अवश्य लिखी थी कि मैं ईसाई धर्म को अच्छा समझता हूं। वारिसदीन, भगत प्रेमदास तथा अब्दुर्रहीम ने मुझे कहा था कि तू उस चिट्ठी के बारे में कहना कि मिर्ज़ा साहिब और मौलवी नूरदीन एक ही हैं। इसलिए उनको चिट्ठी लिखी थी कि मेरे हालात की उनको ख़बर हो जाए। अब्दुर्रहीम, प्रेमदास और वारिस दीन ने मुझे अनार कली में सिखाया था कि यह कहना कि मिर्ज़ा साहिब को ग़ालियां देकर चला आया था। मिर्ज़ा साहिब के दो आदमियों से उनके नसीहत करने के कारण मेरा विवाद अवश्य हुआ था, परन्तु मिर्ज़ा साहिब को मैंने कोई गाली और बुरा नहीं कहा। मुझे दो आदमियों के जो ब्यास में देखे जाने बयान किए गए है, कोई ज्ञान नहीं है। सुलतान विंड में अब्दुर्रहीम इत्यादि ने मुझे कहा कि तुम यह बात कहना कि डाक्टर साहिब को देखकर क़त्ल करने की मेरी नीयत बदल गई है। जब मेरा बयान हो चुका था मुझे अमृतसर की कोठी में ले जाकर बंद कर दिया था। अब्दुर्रहीम, वारिसदीन तथा प्रेमदास कहते थे कि तुम्हे मिर्ज़ा साहिब का कोई आदमी मार देगा। मेरे साथ दो मेहतर मकान में बन्द किए गए थे। वे भी सिखाते रहते थे। क़ुतुबुद्दीन के संबंध में मुझे वारिस दीन, अबदुर्रहीम तथा प्रेमदास ने कहा था कि उस का नाम लो। वकील साहिब (लाला रामभज) ने अनारकली में मुझ से पूछा था कि तुम्हारे साथ कोई और आदमी भी था या नहीं। जब तक किसी और

आदमी का नाम न हो तुम पक्षी न थे कि मार कर उड़ जाते। अदालत स्वीकार नहीं करेगी। इस पर वारिसदीन इत्यादि ने क़ुतुबुद्दीन के शामिल होने के बारे में मुझे सिखाया था★ मैंने वकील साहिब को क़ुतुबुद्दीन का पता नहीं बताया था। मेरे हाथ पर प्रेमदास ने कर्मों की डयोढ़ी और क़ुतुबुद्दीन का पता लिख दिया था कि जब बयान दोगे स्मरण रखना। पेन्सिल से लिखा था। पेन्सिल वारिसदीन की थी। यही पेन्सिल है जो इस समय वकील के हाथ में है और इसी से लिखा था।

नोट- स्वीकार किया गया कि पेन्सिल वारिसदीन की है। स्कूल में और भी बहुत सी पेन्सिलें थीं। वारिसदीन इत्यादि क़ुतुबुद्दीन का हुलिया वर्णन करते थे, परन्तु मैं उसे बिलकुल नहीं जानता। रात को उन्होंने मुझ से क़ुतुबुद्दीन का हुलिया वर्णन किया था। मैंने वकील से हुलिये इत्यादि की चर्चा नहीं की थी। भगत प्रेमदास, वारिसदीन और अब्दुर्रहीम के सिखाने पर मैंने वर्णन किया था कि मिर्ज़ा साहिब को मुट्ठियां भरा करता था। मैं मिर्ज़ा साहिब के मकान पर कभी नहीं गया था। केवल एक बार उन्हें मस्जिद में देखा था। केवल उन लोगों के कहने से सब बयान किया है। उन्हीं के कहने से बयान किया था कि मैं मस्जिद ख़ैरूद्दीन अमृतसर में सोया रहा था। यह बात भी मुझे बटाला में सिखाई गई थी। डर के कारण पहले मेरा झूठा बयान लिखवाते रहे हैं। जब थानेदार बुलाने गया था वह अन्दर था। बाहर वारिसदीन ने मुझ से कहा कि ख़बरदार पहला बयान मत बदलना। डाक्टर साहिब ने तुम्हें माफ़ी वादा दिया हुआ है। पुलिस के दो सिपाही सिक्ख थे। उन्होंने भी मुझे कहा था कि ख़बरदार बयान मत बदलना। एक शिक्षक निहाल चन्द ने भी ऐसा ही कहा था। आज प्रातः काल अब्दुल ग़नी ईसाई मेरे पास आया था और कहता था कि शेख वारिसदीन और यूसुफ़ कहते हैं कि तुम को डाक्टर साहिब से माफ़ी दिलवा देंगे और तुम बचे रहोगे यदि पहला बयान दोगे। कप्तान साहिब को मैंने इस बात की सूचना दे दी थी। साहिब बहादुर स्नान कर रहे थे। ख़ान सामाँ, झाड़ू लगाने वाला इत्यादि सब इहाते वालों को ख़बर है कि उन्होंने उसे देखा था। मैंने

★**हाशिया :-** इस स्थान से स्पष्ट है कि देसी ईसाई किस आचरण के व्यक्ति हैं और झूठ को कैसा मां का दूध समझते हैं और अत्याचार करने के लिए कैसी झूठी योजनाएं बनाते हैं। इसी से

मिर्ज़ा साहिब का कोई कमरा नहीं देखा और न स्नानघर का कोई ज्ञान है। केवल उन लोगों के कहने से मैंने एक कमरे का जो मस्जिद के ऊपर के भाग से मिला हुआ है नाम ले दिया था। डर के कारण मैं सब बयान करता रहा था। नूरुद्दीन ईसाई ने मुझे कहा था कि मेरे पास तुम्हारा गुज़ारा नहीं हो सकेगा। डाक्टर साहिब के पास जाओ। इसलिए मैं डाक्टर साहिब के पास गया था। पहले डाक्टर साहिब से कोई परिचय नहीं था इक़रार का मतलब मुझे अब्दुर्रहीम ने बताया था और मैंने लिख दिया था। शब्द भी मुझे उसने बताए थे। पहले जो तहरीर (लिखित बयान) मैंने की थी वह मुझ से लेकर उन्होंने फाड़ दी थी। जो बयान मैंने अब लिखाया है यह बिलकुल सही और सच है। पहला बयान डर के कारण था प्रेरित करके लिखाया था। मैंने जो बयान अब लिखवाया है किसी की प्रेरणा या लालच से नहीं स्वयं लिखवाया है।

(वादी के वकील के प्रश्न पर) मैं उस समय तक मुहम्मदियों में सम्मिलित नहीं हुआ अर्थात न मुहम्मद साहिब को सच्चा जानता हूं और न क़ुर्आन को। अभिलाषी ईसाई हूं। मैं लाहौर से क़ादियान मौलवी नूरुद्दीन के साथ कभी नहीं आया और न अमृतसर में। पहले पहल जब क़ादियान गया था। बटाला से पूरा यक्का लिया था। शेख़ रहमतुल्लाह को मैंने दो बार लाहौर में देखा था अर्थात् मिला था। पहली बार उसने मुझे आठ आने दिए थे। डाक्टर नबी बख़्श को लाहौर में देखा था। लाहौर से बटाला तक आया। वह प्रथम श्रेणी की बोगी में था और मैं तृतीय श्रेणी में था। मैं बटाला में उसके पास नहीं ठहरा था। केवल रात रहा और प्रात: क़ादियान चला गया था। क़ादियान जाने के समय से मौलवी नूरुद्दीन से परिचित हुआ हूं। किसी ने मौलवी नूरुद्दीन से मेरी सिफ़ारिश नहीं की थी। मीरा बख़्श गुजराती ने मुझे कहा था कि मिर्ज़ा साहिब के पास क़ादियान जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। दूसरी बार नौकरी के लिए मैं गुजरात गया था। जब क़ादियान गया था तो मेरे पास दो रुपए थे। मौलवी नूरुद्दीन की मेरे चाचा बुरहानुद्दीन से दोस्ती है या नहीं मुझे मालूम नहीं। जब मैं पहली बार क़ादियान आया, बुरहानुद्दीन वहां न था। दूसरी बार मेरे आने से पहले वह वहां था। वह और मैं इकट्ठे नहीं

रहते थे। बुरहानुद्दीन से मेरी पहले भी सुलह थी, तब भी थी जब बटाला में यह मुक़द्दमा हो रहा था मालूम नहीं बुरहानुद्दीन था। अब भी मालूम नहीं कि वह कहां है क्योंकि मैं पहरे में था। मैंने टोकरी उठाने का काम स्वयं किया था किसी के कहने से नहीं किया था। छापाखाना में अलग काम किया था। मैंने बुरहानुद्दीन को वहां तब तक नहीं देखा था। मेरे पास कपड़ों का केवल एक जोड़ा था जब मैं क़ादियान गया था। मुझे वारिसदीन इत्यादि कहते थे कि तुम कहो कि दो-तीन जोड़े थे जब गया था। ग़ुलाम मुस्तफ़ा मेरे से पहले परिचित न था। उसने मुसलमान समझ कर दो दिन खाना दिया था। बटाला में मालूम करके उसके छापाखाने में गया था। 9 बजे दिन के गाड़ी में सवार होकर अमृतसर गया था। जाते ही हाल बाज़ार से नूरुद्दीन का पता मुझे मिला था कि वह ईसाई मन्नाद है। खाना खाकर बटाला से चला था। दिन के दो-तीन बजे ग्रे साहिब के पास गया था और उसी दिन डाक्टर साहिब के पास गया था। डाक्टर साहिब ने मेरा ननिहाल इत्यादि का हाल पूछा था और मैं पर्याप्त उत्तर न दे सका था। मुझे टमटम में थानेदार चढ़ा लाया था। साईस के सामने मुझे पीछे बिठाया था। शाम को प्रेमदास तथा वारिसदीन इत्यादि कप्तान साहिब के बंगले पर आए थे कि लड़का हमें मिल जाए। रास्ते में थानेदार ने मुझ से कोई बातचीत नहीं की थी। मैंने पूछा था कि मुझे कप्तान साहिब ने क्यों बुलाया है। उसने कहा था कि ख़बर नहीं। थानेदार सीधा बंगले पर ले गया। कप्तान साहिब के आदेशानुसार थानेदार ने मुझ से पूछा वह दूसरा थानेदार था। वृक्ष के नीचे जो इहाता बंगले में है थानेदार मुझे ले गए और मुझ से पूछताछ की। वृक्ष लगभग पच्चीस गज़ दूर था। उन्होंने मुझ से कहा तू झूठ बोलता है सच नहीं बोलता। मैंने उत्तर दिया कि मैं सच कहता हूं, जो लिखाया है सच है। फिर उन्होंने कप्तान साहिब से कहा कि यह लड़का सच नहीं बताता है। साहिब ने आदेश दिया कि मेरे सामने लाओ। मुहम्मद बख़्श पूछने वालों में न था केवल एक आदमी पूछता था जो दूसरा थानेदार है नाम नहीं जानता। वह थानेदार नहीं पूछता था जो गाड़ी में लाया था। मुहम्मद बख़्श ने मुझ से कोई बात नहीं पूछी थी। मुहम्मद बख़्श तथा दूसरा थानेदार और एक अन्य सिपाही या मुंशी वहां थे। वह मुंशी हिन्दू था। वह

मुंशी किसी मुक़द्दमे के फैसला होने की चर्चा करता था। इसलिए मालूम हुआ कि वह मुंशी है। मुझे मुहम्मद बख़्श ने नहीं कहा था कि तुम ने मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध लिखवाने में गुनाह किया है। मुझे कोई आदमी मिर्ज़ा साहिब का नहीं मिला। केवल चार-पांच मिनट वृक्ष के नीचे बातचीत हुई थी। तीन-चार क़दम की दूरी पर चारपाई थी। मैं उस पर फिर लेटा रहा था। एक-दो घंटे के बाद नौकर उठा और मज़हर को कप्तान साहिब के सामने उपस्थित किया गया। मेरे पास कोई आदमी नहीं आया और न किसी ने थानेदार से बातचीत की थी। जब कप्तान साहिब ने मुझ से प्रथम बार पूछा तो मैंने वही हाल बयान किया जो पहले लिखवाया था। साहिब ने कहा कि झूठ बोलते हो। अब तुमको अनारकली में नहीं भेजा जाएगा, गुरदासपुर ले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैंने सच बोला है। साहिब ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो। जब तुम्हारे सन्देह दूर हो गए थे तो क्यों फिर ईसाइयों के पास गए थे। मैंने कहा था कि नौकरी के लिए गुजरात गया था। साहिब ने कहा था कि मिर्ज़ा साहिब के तुम्हें भेजने के बारे में झूठा मालूम होता है। सच-सच बताओ। मैंने ख़ुदा के भय से भयभीत हो कर फिर सब हाल सच-सच बता दिया जो लिखाया गया है। इन्सपेक्टर साहिब और मुहम्मद बख़्श थानेदार तथा एक अन्य मुंशी उस समय मौजूद थे जब कप्तान साहिब ने मेरा बयान लिखा था। साहिब प्रश्न करते रहे थे और मैं निरन्तर बयान लिखवाता रहा था। उसी दिन मुझे गुरदासपुर ले आए थे जब इक़रार लिखा गया था। डाक्टर साहिब चार-पांच कदम की दूरी पर बैठे हुए थे। अब्दुर्रहीम कहता था कि डाक्टर साहिब तुम को बचा लेंगे और धमकी भी दी गई थी कि तुम्हारी तस्वीर हमारे पास है जहां जाओगे पकड़े जाओगे। "मार डाल" शब्द मेरे कान में अब्दुर्रहीम ने कहा था कि लिखो। जिस रात लाला राम भज ने मुझ से पूछा था उससे दूसरे दिन मेरी गवाही दोबारा हुई थी और अदालत में पेशी से पहले अब्दुर्रहीम इत्यादि ने क़ुतुबुद्दीन इत्यादि के बारे में सिखाया था पहली बार जब वकील बारह बजे आया, उसने मुझ से कहा था कि तुम पक्षी नहीं हो कि उड़कर अमृतसर गए थे। कोई और आदमी तुम्हारे साथ होगा। और तब अब्दुर्रहीम इत्यादि ने मुझे क़ुतुबुद्दीन के शामिल होने के बारे में कहा था।

नोट- वादी के वकील ने स्वीकार किया कि "हम ने दूसरे आदमी के शामिल होने के बारे में गवाह से शाम के समय भी पूछा था"। शाम के समय पुन: वकील ने पूछा था और मैंने अब्दुर्रहीम इत्यादि के कथनानुसार क़ुतुबुद्दीन का नाम बताया था। वकील ने मुझ से कहा था कि अदालत इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि तू अकेला मारकर चला गया या चला जाएगा। किसी और आदमी का शामिल होना आवश्यक होगा। तब बारह बजे के बाद सिखाने के अनुसार क़ुतुबुद्दीन का नाम बयान किया था। मस्जिद के साथ एक कमरा है जिसके बारे में मैंने बताया था। पहाड़ की तरफ़ है। मालूम नहीं उसका दरवाज़ा किधर को है। मुझे कुछ मालूम नहीं कि क़ुतुबुद्दीन का रंग और हुलिया क्या है और न किसी ने मुझे बताया था और न अब तक मैं उसके हुलिए इत्यादि से अवगत या परिचित हुआ हूं।

(अदालत के प्रश्न पर) अदालत में पेशी से पहले दिन के बारह बजे वकील राम भज मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुम पक्षी नहीं हो कि मार कर उड़ जाते। इसके बाद वारिसदीन इत्यादि ने मुझे क़ुतुबुद्दीन का नाम बताया और जब शाम को वकील को पुन: मुझ से चर्चा की तो मैंने क़ुतुबुद्दीन का नाम बताया था और मेरी हथेली पर दूसरी बार अदालत में पेश होने से पहले प्रेमदास ने क़ुतुबुद्दीन का पता लिखा था।

(अपराधी के वकील के प्रश्न पर) जब बटाला में दोबारा गवाही हुई उसके बाद डाक्टर साहिब के पास रहा था। दो सिपाही और ...तीन ईसाई मेरी सुरक्षा पर थे अर्थात् उनके पहरे में मज़हर था। मिर्ज़ा साहिब का कोई आदमी मुझे नहीं मिला और न उस बयान को मैंने किसी की प्रेरणा और लालच से लिखाया। जो पुलिस वाले साहिब के सामने लिखाया गया है केवल साहिब ने कहा था कि हम सच मालूम करना चाहते हैं और मैंने ख़ुदा के भय से सच लिखा दिया थानेदारों ने मुझे कोई डर या प्रेरणा नहीं दी थी। मिर्ज़ा साहिब ने मुझे कदापि नहीं कहा था कि तुम जाकर डाक्टर साहिब को मार डालो। मस्जिद के साथ वाले कमरे में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। वह मकान के साहिब का ज़नाना घर है। मुझे उसके दरवाज़े का भी हाल मालूम नहीं है। शेख वारिस दीन, भगत प्रेमदास तथा एक और ईसाई बूढ़ा

और अब्दुर्रहीम मुझे सिखाते रहे थे। उस रात को जिसके दूसरे दिन मेरी दोबारा गवाही हुई मकान में बाहर से ताला लगाकर मुझे मकान के अन्दर बन्द रखते थे। अनारकली में मुझे सिखाते रहे थे कि तुम बयान करना कि मिर्ज़ा साहिब ने मुझे मारने के लिए भेजा था। जब शाम के समय वकील ने मुझ से पूछा था, उस समय डाक्टर साहिब थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे। वकील ने कहा था कि अपराधी की ओर से जो प्रश्न वकील करे उसका उत्तर उल्टा देना। मैं यह बात सच और ईमान से कहता हूं कि वकील राम भज ने जैसा कि ऊपर बयान किया गया है मुझ से कहा था। मेरे साथ एक आर्य सिपाही क़ादियान गया था। आर्यों के यहां ठहरा था और आर्यों ने गवाह बना दिए थे। निहाल चंद शिक्षक ईसाई है। अब्दुल हमीद बक़लम ख़ुद

सुनाया गया सही है। स्वीकार किया गया।

हस्ताक्षर-हाकिम

नक़ल अनुवाद बयान डाक्टर मार्टिन क्लार्क साहिब अदालत कप्तान एम.डब्लयू.डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला-गुरदासपुर

सरकार डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी,

अपराध धारा 107 फ़ौजदारी कानून

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम

अनुवाद बयान डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क साहिब दृढ़ इक़रार के साथ

20,अगस्त 1897 ई.

हमको अब्दुल हमीद के इस दूसरे बयान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब्दुर्रहीम 3 बजे और 6 बजे के बीच ब्यास जाकर अमृतसर वापस आ सकता था। जब हम सब ब्यास गए तो किसी व्यक्ति को अब्दुल हमीद के साथ अलग से बात करने का अवसर नहीं था। अब्दुल हमीद के इक़रार के समय अब्दुर्रहीम

थोड़ी दूरी पर मौजूद था और कान में बात नहीं कर सकता था। उसने हमारे पास इक़रार किया। अब्दुर्रहीम इक़रार करने के समय नहीं बोला। इक़रार में शब्द 'नुक़्सान' पहले अब्दुल हमीद ने लिखा था और फिर शब्द मार डाला उसने अपने आप लिखा था। हमने लड़के को मिस्ट्राहिल साप साहिब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेण्डेन्ट पुलिस की दरख़्वास्त और उसकी अपनी दरख़्वास्त पर रखा था। हमने मिस्टर ग्रे और उनके पास जाने के बारे में बाद में सुना।

(अपराधी के वकील के प्रश्न पर) हम डाक्टर मिशनरी हैं। हमने अपने वकील का सफ़र का ख़र्च और फीस नहीं दी। हमें याद नहीं है कि क्या हमने राम भजदत्त वकील को नियुक्त किया या वह स्वयं आया। हम लोग एक व्यक्ति जो सब का दुश्मन है के बारे में मिलकर कार्यवाही करते हैं।

(अदालत के प्रश्न पर) अब्दुर्रहीम 32 साल मिशन की नौकरी में रहा। जब लड़का आया अब्दुर्रहीम एक बड़ी भयावह अवस्था में था और इक़रार किया कि वह उसे मार डालने के लिए आया है। लड़के की रवानगी के दिन हम अब्दुर्रहीम से उसके प्रत्यक्ष इरादों के बारे में नाराज़ हुए। हमको अहसास हो गया था कि इशारा अनुचित नहीं था और लड़के के चेहरे पर ज़ाहिर तौर पर एक रंग आता था और दूसरा जाता था। 20/8/97 कोई प्रश्न नहीं हुआ।

हस्ताक्षर-हाकिम

नकल बयान मिस्टर लीमार चण्ड साहिब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेन्डेण्ट पुलिस गुरदासपुर आदालत फ़ौजदारी

इज्लास-मिस्टर एम.डब्लयू.डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ज़िला-गुरदासपुर

सरकार हेनरी मारिट्न क्लार्क द्वारा- बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध धारा-107, कानून फ़ौजदारी

मुहर अदालत

हस्ताक्षर-हाकिम

20 अगस्त 1897 ई. बयान मिस्टर लीमान चण्ड साहिब डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस दृढ़ इक़रार के साथ 13 तारीख को ज़िला मजिस्ट्रेट साहिब ने हम से कहा था कि अब्दुल हमीद के बयान से उनकी पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हुई और अधिक हाल मालूम करना आवश्यक है। हमने डाक्टर क्लार्क साहिब से इससे पहले कि वह जाएं पूछा कि हम अब्दुल हमीद को किस प्रकार बुलाएं। उन्होंने निहाल चण्ड मुंशी का पता दिया कि उसको लिखकर बुला लें। 14 तारीख़ को मुहम्मद बख़्श डिप्टी इन्सपेक्टर बटाला मसानियां से वापस बटाला आया और उसको हमने निहाल चण्ड के पास एक चिट्ठी के साथ भेजा। जब वह अब्दुल हमीद को लाया, हमारे पास बहुत काम था। हमने मुहम्मद बख़्श डिप्टी इन्सपेक्टर को आदेश दिया कि इस लड़के को बाहर पेड़ के नीचे अपनी निगरानी में रखो। इन्सपेक्टर साहिब जलालुद्दीन को भी आदेश दिया था कि सुरक्षा रखो। हमें ज्ञात है कि दोनों अफ़सर क़ादियान वाले मिर्ज़ा साहिब के मुरीद हरगिज़ नहीं हैं। हम जब काम से निवृत्त हुए हमने अब्दुल हमीद को बुलवाया। पेड़ के नीचे जहां वे बैठे हुए थे हम देख सकते थे। लगभग दो घंटे के पश्चात् हमने केवल अब्दुल हमीद को बुलवाया था। उसे दोनों अफ़सर लाए थे। इस से पूर्व कि अब्दुल हमीद को लाएं इन्सपेक्टर साहिब ने हम से कहा कि यदि फुर्सत नहीं है तो अब्दुल हमीद को वापस अनार कली भेज दिया जाए, क्योंकि वह जाना चाहता है और मुक़द्दमे के बारे में कुछ असलियत व्यक्त नहीं करता। तब हमने कहा कि उसे हमारे सामने उपस्थित करो। जब वह आया तो उसने वही कहानी बयान की जो पहले मिर्ज़ा साहिब द्वारा उसे डाक्टर साहिब के क़त्ल के लिए अमृतसर भेजने के बारे में बयान की थी। हमने दो पृष्ठ लिखे और उस से कहा कि हम सिर्फ असलियत मालूम करना चाहते हैं। व्यर्थ में समय क्यों नष्ट करते हो। इस बात के कहने पर अब्दुल हमीद हमारे पैरों पर गिर पड़ा और बिलख-बिलख कर रोने लगा। बड़ा शर्मिन्दा मालूम होता था और कहा कि मैं अब सच-सच बयान करता हूं जो असल घटना है और तब उसने वह बयान हमारे सामने दिया जो हमने एक-एक शब्द उसके मुंह से निकला हुआ लिखा और अदालत में प्रस्तुत है। तब हमने डिप्टी कमिश्नर को तार दिया

और गवाह को गुरदासपुर लाए। वह जब से बयान लिखा है हमारे इहाते में रहता है और अपनी इच्छा से जहां दिल चाहता है आता-जाता है। आज सुबह अब्दुल हमीद ने हमसे कहा था कि एक व्यक्ति ने (अब्दुल ग़नी-याद दिलाने पर गवाह ने नाम के बारे में कहा कि यही नाम है) उसे कहा है कि पहले बयान के अनुसार फिर बयान लिखवाना अन्यथा क़ैद हो जाओगे। हमारे सेवकों ने उस व्यक्ति को देखा था। जब अब्दुल हमीद हमें कहने आया तो मालूम हुआ कि अब्दुल ग़नी इहाते से चला गया था। डाक्टर ग्रे साहिब ने हमसे मालूम किया था और उन्होंने हमें पत्र लिखा है जो प्रस्तुत किया जाता है।

अक्षर V - हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में

सुनाया गया सही स्वीकार किया गया।

हस्ताक्षर हाकिम

नक़ल बयान वारिसदीन गवाह शपथ के साथ फ़ौजदारी मुक़द्दमा, इज्लास एम.डब्लयू.डगलस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर

सरकार डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध धारा-107 कानून फ़ौजदारी

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम

20 अगस्त 97 ई. बयान वारिस दीन गवाह शपथ पूर्वक

पुत्र अहसान अली क़ौम ईसाई निवासी जंडियाला आयु 39 साल बयान किया कि जब मुहम्मद बख़्श थानेदार अब्दुल हमीद को लेने के लिए अनारकली गया तो बहादुर सिंह सिपाही गाड़ी में साथ बैठने लगा था तो थानेदार ने कहा कि साईस मेहतर है साथ न बैठो। फिर मैं शाम के समय गया तो थानेदार ने कहा कि अब लड़का नहीं मिल सकता। जब अब्दुल हमीद ने ब्यास में इक़रार लिखा था उस समय डाक्टर साहिब मेज़ के सामने बैठे थे जैसे कि मजिस्ट्रेट अदालत में इस समय बैठा हुआ है और अब्दुल हमीद सामने बैठा हुआ था। उसके दायीं ओर

अब्दुर्रहीम, प्रेमदास और दयाल चन्द बैठे हुए थे और बाईं ओर मज़हर था। दायीं ओर प्रथम प्रेमदास द्वितीय दयालचन्द और तृतीय अब्दुर्रहीम थे। मैंने सुना था कि लड़के ने वकील साहिब को बताया है कि वह अमृतसर में एक आदमी से मिला था जब वह पहले अमृतसर गया था। अनारकली बटाला में निहालचन्द से मुझे मालूम हुआ था कि एक और व्यक्ति भी क़त्ल के मशवरे में अमृतसर में शामिल है। तब मैंने अब्दुल हमीद से पूछा तो उसने नाम क़ुतुबुद्दीन और पता दुकान का बताया। शायद वर्तमान महीने की 12 तारीख थी, शाम का समय था उसने किसी को हुलिया नहीं बताया था।

(अपराधी के वकील के प्रश्न पर) मैं पहले मुसलमान था 1874 ई. में ईसाई हुआ था। डाक्टर से केवल सलाम-दुआ है और कोई संबंध नहीं है। मिशन की तरफ़ से स्कूलों का निरीक्षण किया करता हूं। लड़के ने पहले मसौदा लिखा था और फिर दोबारा नक़ल किया था। दयालचन्द ने कलम, दवात और काग़ज़ दिया था। अब्दुल हमीद ने जो मसौदा लिखा था वह पढ़ा नहीं गया था। मेरे सामने लिखा गया और नक़ल भी किया गया था। पहले ग़लती हो गई थी। इसलिए दोबारा नक़ल किया था। शब्द "नुक़्सान" और "मार डाला" स्वयं अब्दुल हमीद ने लिखे थे। उस इक़रार पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। अब्दुल हमीद नकल कर रहा था जब पोस्ट मास्टर इत्यादि आए थे लगभग समाप्त होने वाला था। खाने वाले कमरे में दरी पर हम सब बैठे हुए थे। दरी पर केवल डाक्टर साहिब न थे। वह कुर्सी पर थे। डाक्टर साहिब मेज़ के एक पहलू के साथ बैठे हुए और हम लोग उनके सामने बैठे हुए थे। अब्दुल हमीद को डाक्टर साहिब ने कहा था कि जो कुछ कहते हो लिख कर देदो और उसने बिना किसी चूं-चरा के लिख दिया था। मैं मुक़द्दमे के दौरान बटाला आया था, जब डाक्टर साहिब चले गए तो पीछे मैं रहा था। रात को यहां आया हूं। आने-जाने का ख़र्च अपने पास से किया है। ब्यास से अमृतसर आते हुए लड़के को राय विंड★ रखा था और मैं वहां साथ रहा था। पहले डाक्टर साहिब की कोठी पर गए थे और फिर सुलतान विंड गए थे। कोठी पर साथ मैं

★**हाशिया :-** अंग्रेज़ी में सुल्तान विंड है।

गया था और जब डिप्टी कमिश्नर साहिब के सामने अमृतसर में बयान हुआ तब भी साथ गया था।

वारिस दीन

सुनाया गया सही स्वीकार हुआ

हस्ताक्षर-हाकिम

नक़ल बयान यूसुफ़ खान मुक़द्दमा फ़ौजदारी

अदालत-मिस्टर एम.डब्लयू.डगलस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला-गुरदासपुर

डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध धारा-107, कानून फ़ौजदारी

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम

20 अगस्त 1897 ई. यूसुफ़ खान गवाह दृढ़ इक़रार पूर्वक

पुत्र मेरा भाई अहमद शाह क़ौम अफ़ग़ान ईसाई निवासी गुजरात, तहसील मर्दान आयु..... वर्ष बयान किया कि मैं ज़मींदारी करता हूं। मैं पहले मुहम्मदी था 33 की आयु तक मुहम्मदी रहा। मैं मिर्ज़ा साहिब का मुरीद हुआ था और मैं मुहम्मद सईद का सहायक था जो कुतुब ख़ाने के चार्ज में था। मुहम्मद सईद के चले जाने के बाद मैं इन्चार्ज बना था। मैं जंडियाला में 1893 ई. के मुनाज़रा से पहले गया था कि मुसलमान लोग मिर्ज़ा साहिब को मुबाहसे के लिए चयनित करें। मुबाहसे की समाप्ति पर 5 जून 1893 ई. को मिर्ज़ा साहिब ने भविष्यवाणी की जो अक्षर A पर दर्ज है। उन्होंने कहा **कि जो पक्ष असत्य पर है वह पन्द्रह महीने की अवधि में मृत्युदण्ड से हाविय: (नर्क) में गिराया जाएगा।**

नोट- गवाह ने भविष्यवाणी को पढ़कर कहा कि जो पक्ष ग़लती पर है पराजित होगा अर्थात् बरबाद होगा। उस समय मैंने यह ही समझा था कि यह भविष्यवाणी अब्दुल्लाह आथम के लिए है। परन्तु बाद में मिर्ज़ा साहिब ने मौखिक तौर पर व्याख्या की थी कि जो व्यक्ति विरोधी पक्ष का है प्रत्येक के लिए यह

भविष्यवाणी है। आठ नौ दिन के पश्चात् क़ादियान पहुंचकर मालूम किया था जब डाक्टर क्लार्क साहिब बीमार हुए थे तो मिर्ज़ा साहिब ने कहा था कि उसको भी दण्ड अवश्य मिलना चाहिए अर्थात सज़ा-ए-मौत। 5 अक्टूबर 1894 में विज्ञापन अक्षर W गवाह ने प्रस्तुत किया तथा 5 सितम्बर 1894 ई. अक्षर X गवाह ने प्रस्तुत किया। उस समय डाक्टर साहिब से मिर्ज़ा साहिब बहुत नाराज़ थे। जुलाई 1893 ई. में मिर्ज़ा साहिब ने एक दिन बहुत से लोगों के सामने अपना स्वप्न वर्णन किया कि एक सांप ने मुझे दाहिने हाथ पर काटा और मैं अपने पिता के पास गया मेरे पिता ने उस ज़ख्म को उस्तरे से काटना शुरू किया और सीने तक काट दिया। और इस से मिर्ज़ा साहिब ने भविष्यवाणी की कि आथम को सांप काटेगा। इसके बारे में सियालकोट इत्यादि में लोगों को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी। मुनाज़रा के एक वर्ष के पश्चात् मैं ईसाई हुआ था। मार्च 1994 ई. में मिर्ज़ा साहिब से अलग हुआ था। मौलवी बुरहानुद्दीन को 1869 ई. से जानता हूं। **नोट-** भविष्यवाणी अक्षर A गवाह ने पढ़ी और उसका मतलब इस प्रकार अदा किया जैसे डाक्टर क्लार्क साहिब ने (अपराधी के वकील के प्रश्न पर) मैंने कोई अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी की परीक्षा पास नहीं की। युरद्दु इलन्नसारा के मायने ये हैं कि हमने उल्टा दिया उसको ईसाइयों की तरफ़। मिर्ज़ा साहिब अब्दुल्लाह आथम की तरफ़ इस भविष्यवाणी के मायने करते हैं, मैं नहीं करता। मैं ईसाई था जब भविष्यवाणी की समय सीमा गुज़र गई। मुहम्मद सईद और मैं क़ादियान में इकट्ठे रहते थे। मेरे बाद मुहम्मद सईद क़ादियान से चला गया था वह भी ईसाई है। मैं मिर्ज़ा साहिब की बातों को अच्छा नहीं समझता।

यूसुफ ख़ान बक़लम ख़ुद

सुनाया गया सही स्वीकार हुआ

हस्ताक्षर हाकिम

नकल बयान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बिना शपथ मुक़द्दमा फ़ौजदारी अदालत मिस्टर एम.डब्लयू.डगलस साहिब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क द्वारा सरकार

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

अपराध धारा-107 कानून फ़ौजदारी

मुहर अदालत

हस्ताक्षर हाकिम

20 अगस्त 1897 ई.

बयान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बिना शपथ

जब सन् 1893 ई का मुबाहसा समाप्त हुआ तो अन्त में हमने अब्दुल्लाह आथम के निवेदन के अनुसार उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। डाक्टर क्लार्क साहिब के संबंध में यह भविष्यवाणी न थी और न वह भविष्यवाणी में सम्मिलित था। फ़रीक़ (सदस्य) से अभिप्राय आथम ही है जैसा कि इबारत से प्रकट है। फ़रीक और व्यक्ति के एक ही अर्थ हैं और इसमें हम भी शामिल हैं। आथम के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया गया था यदि होता तो वह स्वयं कोई नालिश करता या रिपोर्ट देता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। पन्द्रह माह की अवधि के बाद अब्दुल्लाह आथम की मृत्यु हुई थी। पन्द्रह माह गुज़रने के पश्चात् हमने अब्दुल्लाह आथम से सुना था कि अपने मित्रों के पास वर्णन किया था कि उस पर तीन बार आक्रमण हुए। इस पर भी हमने उसे सतर्क किया कि मैं ऐसा सुनता हूं कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझ पर तीन आक्रमण हुए। यदि यह सही है तो चाहिए कि आप क़सम खाएं या अदालत में दावा करें या घरेलू तौर पर नियमानुसार इसका सबूत दें। परन्तु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इससे पहले उसने कभी बयान नहीं किया था, न किसी अख़बार में न किसी अन्य प्रकार से। मैंने सांप के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। अब्दुल हमीद को एक बार मैंने मस्जिद में देखा था किसी व्यक्ति ने चर्चा की थी कि यह व्यक्ति ईसाई हो गया था अब यहां आया है। मेरे साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। मुझे नहीं मालूम किस ने इसे मज़दूरी इत्यादि का कोई काम दिया था। मैंने कोई काम नहीं दिया था। मैंने कोई भविष्यवाणी न सांकेतिक या इशारे के तौर पर डाक्टर क्लार्क के बारे में की। मैंने सुना था कि अब्दुल हमीद अच्छे चाल-चलन का लड़का नहीं है। इसलिए मैंने घर से एक पर्ची लिखकर भेज दी

थी कि इसको निकाल देना चाहिए। मुझे फिर ख़बर नहीं कि वह कहां चला गया। मैंने उसे जाते हुए एक पैसा तक नहीं दिया, न अमृतसर भेजा। झूठ के उन्मूलन (जड़ से उखाड़ना) से अभिप्राय है कि झूठ नष्ट हो जाएगा। डाक्टर क्लार्क साहिब की तरफ़ संकेत नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति सहमति प्रकट न करे भविष्यवाणी नहीं की जाती। पत्र दिनांक 5 मई 93 अब्दुल्लाह आथम के हस्ताक्षर किया हुआ प्रस्तुत करता हूं जिसमें वह चमत्कार का निशान या ठोस सबूत मांगते हैं। (अक्षर 'Y') अक्षर 'O' में दोबारा प्रकाश डालने से अभिप्राय है कि भविष्यवाणी के पूरा होने ने विश्वास में वृद्धि की।

हस्ताक्षर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

सुनाया गया सब बयान सही है और ठीक लिखा गया है। सही माना गया

हस्ताक्षर-हाकिम

किताबुल बरिय्य: का परिशिष्ट☆

(नीचे की दो गवाहियां जो मुक़द्दमे के फैसले के दिन मिस्ल में शामिल की गई थीं वे भूल से किताब में दर्ज नहीं हुईं अब लिखी जाती हैं। इसे अन्तिम आदेश से पूर्व किताब में सम्मिलित समझना चाहिए।)

नक़ल चिट्ठी दिनांक 18 अगस्त 1897 ई. पादरी एच.जी.ग्रे अमृतसर की ओर से बनाम डब्लयू.लीमार चण्ड साहिब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेन्डेण्ट पुलिस गुरदासपुर

क़ैसरा हिन्द

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियान

अदालत कप्तान एम.डबल्यू डगलस साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज़िला-गुरदासपुर

"मैं डरता हूं कि मैं इस मामले पर कोई रोशनी नहीं डाल सकता। अब्दुल हमीद या जो कुछ उसका नाम है मेरे पास आया था तथा उसने बयान किया

☆ प्रथम संस्करण में यह परिशिष्ट पुस्तक के आरम्भ में सम्मिलित किया गया है इसे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आदेशनुसार यहाँ लाया गया है। (प्रकाशक)

कि वह मूल रूप से हिन्दू है और कुछ दिनों मिर्ज़ा क़ादियानी का मुरीद रहा है परन्तु अब वह ईसाई होना चाहता है। मुझे वह सच्चा अभिलाषी मालूम न हुआ अपितु मैंने एक मामूली समझा। मैंने उसे कहा कि मैं उसे शिक्षा दूंगा। वह प्रतिदिन या सप्ताह में एक दो बार मेरे पास आना चाहे। फिर उसने पूछा कि उसका गुज़ारा कैसे होगा। मैंने उत्तर दिया कि इस मामले में मैं उसे गुज़ारे के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। जो कुछ मेरे दिल पर उसकी ओर से जो विचार पैदा हुआ वह यह है कि वह एक निकम्मा और झूठ गढ़ने वाला आदमी है जो मुझ से रूपया या ख़ुराक का गुज़ारा चाहता है। अत: मैं इस बात से हैरान न हुआ कि वह फिर कभी मेरे पास नहीं आया। मुझे याद नहीं कि क्या वह मेरे पास कोई चिट्ठी लाया या नहीं, परन्तु नूरदीन ने संयोग से मुझ से बात की थी कि वह नौजवान उसके पास भी गया था।★

नक़ल बयान नूरदीन ईसाई गवाह वादी शामिल मिस्ल अदालत फ़ौजदारी, अदालत कप्तान एम.डब्लयू.डगलस साहिब डिप्टी कमिशनर, ज़िला-गुरदासपुर 22 अगस्त 1897 ई.

9 अगस्त 1897 ई. को प्रस्तुत, फ़ैसला 23 अगस्त 1897 ई.

सरकार-डाक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क वादी द्वारा

बनाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

वाद धारा 107 फ़ौजदारी कानून के अन्तर्गत

बयान नूरदीन ईसाई गवाह वादी शपथ के साथ
23 अगस्त 1897 ई.

मैं अमृतसर में मिशन की ओर से उपदेशक हूं और हाल बाज़ार में मेरा हैड क्वार्टर है। अब्दुल हमीद मेरे पास अमृतसर आया था, अपना प्रथम नाम रलिया

★**हाशिया :-** पादरी एच.जी.ग्रे और नूरदीन ईसाई का बयान स्पष्ट तौर पर प्रकट कर रहा है कि अब्दुल हमीद केवल अपने गुज़ारे के लिए पादरियों के दरवाज़े पर गया था। पादरी साहिब के बयान से यह भी सिद्ध होता है कि यदि पादरी ग्रे साहिब उसको गुज़ारा देते तो वह उसी जगह ठहर जाता, डाक्टर क्लार्क के पास न जाता। (इसी से)

राम बताया था और कहता था कि अब मैं मुसलमान हूं और अब्दुल हमीद या अब्दुल मजीद नाम बताया था। कहता था कि पहले मैं हिन्दू था। मैंने पादरी ग्रे साहिब के पास उसे भेज दिया था। साहिब ने वापस भेज दिया था कि उसे शिक्षा दो। जब तैयार हो जाए, ईसाई किया जाएगा परन्तु वह लड़का फिर चला गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। शायद इसलिए चला गया होगा कि हमारे यहां रोटी, कपड़ा उसे नहीं मिलता था। अब्दुल हमीद ने अन्य मिशनों के बारे में भी मुझ से पूछा था। शायद डाक्टर क्लार्क साहिब के मिशन की भी चर्चा हुई हो। परन्तु डाक्टर क्लार्क साहिब की स्पष्ट चर्चा नहीं हुई थी। उसने मुझ से यह नहीं कहा था कि मिर्ज़ा साहिब की ओर से आया हूं। पुनः कहा कि अब्दुल हमीद ने कहा था कि मैं मिर्ज़ा साहिब का शागिर्द हूं।

सुनाया गया सही है।

अलअब्द-नूरुद्दीन

हस्ताक्षर-हाकिम

किताबुल बरिय्यः पृष्ठ-245 से सम्बद्ध अन्तिम आदेश से पूर्व निम्नलिखित फ़ारसी वाक्य मिस्ल में न था, अंग्रेज़ी चिट्ठी में है। कुल गवाही के समाप्त होने पर अन्तिम आदेश से पूर्व यह वाक्य लिखा है।

Dr. Clark states he wishes to resign the post of prosecutor

Adjourned to 23rd August

sd/-M.Douglas District Megistrate

अनुवाद- **डाक्टर क्लार्क बयान करता है कि वह वादी होने से पृथक होता है।**

23 अगस्त पर स्थगित किया गया

हस्ताक्षर एम.डब्लयू.डगलस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

कप्तान एम.डब्लयू.डगसल साहिब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर की अदालत में

महारानी क़ैसरा हिन्द

बनाम- मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद निवासी- क़ादियान, तहसील बटाला, ज़िला गुरदासपुर अपराध धारा-107 कानून फौजदारी

आदेश

(अंग्रेज़ी से अनुवाद)

इस जांच पड़ताल की कार्यवाई उस सूचना से पैदा हुई जो डाक्टर मार्टिन क्लार्क सी.एम.एस. की ओर से

पृष्ठ 245 से सम्बद्ध

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर के सामने इस विषय पर दी गई कि एक नौजवान आयु अठारह वर्ष अब्दुल हमीद नामक ने बयान किया है कि उसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने उसके (डॉ. मर्टिन क्लार्क) क़त्ल करने के लिए भेजा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ग़ुलाम अहमद की गिरफ़्तारी के लिए एक वारंट जारी किया और नोटिस दिया कि वह उनको कारण बताएं कि क्यों उससे शान्ति-सुरक्षा के लिए मुचल्का न लिया जाए। परन्तु इसके पश्चात् मालूम करके कि उसे कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है उसने मिस्ल को इस ज़िले में भेज दिया, क्योंकि ग़ुलाम-अहमद का निवास इस ज़िले में है। सरसरी दृष्टि में यह मुक़द्दमा ऐसा मालूम होता था कि इसमें पुलिस की तरफ़ से अतिरिक्त जांच की जाए और फिर रौशन सुपुर्द किया जाए, परन्तु डाक्टर क्लार्क बीमारी के कारण पर्वत पर जाना चाहता था और उसे डर था कि शायद उसका सबसे बड़ा गवाह बहकाया जाए। इसीलिए उसने यह इच्छा व्यक्त की कि जहां तक शीघ्र संभव हो अदालती जांच-पड़ताल की जाए। यह मालूम हुआ कि बतौर प्रारंभिक कार्रवाई जांच-पड़ताल धारा 107 के अन्तर्गत कथित कानून जो उन हालात के कारण क़ायम हुआ और जो वास्तविक सच्चाई तक पहुंचने का उत्तम माध्यम है की जाए। इसलिए ग़ुलाम अहमद के नाम नया नोटिस जारी किया गया ताकि वह आकर कारण बयान करे कि उससे क्यों ज़मानत न ली जाए डाक्टर मार्टिन क्लार्क की गवाही से प्रकट होता है कि 1893ई. में उसने अब्दुल्लाह आथम ईसाई और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मध्य

मुबाहसा कराया था जिसमें डाक्टर क्लार्क मौजूद था और दो अवसरों पर स्वयं डाक्टर क्लार्क ने ईसाइयों की ओर से कार्यवाई की थी। मुबाहसे की समाप्ति पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने भविष्यवाणी की कि जो ईसाई मुबाहसे में शामिल हैं पन्द्रह महीने के अन्दर मर जाएंगे और डाक्टर क्लार्क वर्णन करता है कि अवधि के मध्य आथम की जान पर चार स्पष्ट आक्रमण किए गए। भविष्यवाणी अन्तत: पूर्ण नहीं हुई।★ और डाक्टर क्लार्क ने ग़ुलाम अहमद को पब्लिक में झूठा पैग़म्बर व्यक्त किया। मुबाहसे का परिणाम यह हुआ कि मिर्ज़ा साहिब के दो मुरीद मुहम्मद यूसुफ ख़ान जो मुबाहसे में उसका सेक्रेटरी था और मुहम्मद सईद जो निकाह की दृष्टि से रिश्तेदार था ईसाई हो गए और यह बात उस कलाबाज़ी की हानि के साथ जो उसकी भविष्यवाणियों के पूरा न हो पाने के कारण पैदा हुई, मिर्ज़ा साहिब के लिए बड़े शोक का कारण हुई। डाक्टर क्लार्क ने एक चयन शहादतुल क़ुर्आन से जो एक पुस्तक मिर्ज़ा साहिब की है जिसमें मिर्ज़ा साहिब ने तीन भिन्न-भिन्न धर्मों के तीन प्रख्यात व्यक्तियों अब्दुल्लाह आथम, अहमद बेग और लेखराम की मौत के संबंध में भविष्यवाणी की थी प्रस्तुत किया। आथम और अहमद बेग के बारे में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई परन्तु लेखराम कुछ दिन पूर्व ही निर्धारित अवधि के अन्दर

★हम कई बार लिख चुके हैं कि डाक्टर क्लार्क का यह बयान सही नहीं है कि भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई और हम बहुधा वर्णन कर चुके हैं कि भविष्यवाणी दो पहलू रखती थी। एक यह कि आथम के अन्दर ईसाइयत पर दृढ़ता प्रदर्शित करके अर्थात् भविष्यवाणी से भयभीत होने की स्थिति में पन्द्रह माह तक अवश्य मृत्यु पा जाएगा। दूसरे यह कि भयभीत होने की अवस्था में जबकि भविष्यवाणी की श्रेष्ठता से भय हो निर्धारित अवधि के अन्दर कदापि मृत्यु न पाए। चूंकि आथम भयभीत हुआ। इसलिए दूसरे पहलू के अनुसार भविष्यवाणी पूरी हो गई और फिर गवाही छुपाने से दूसरे इल्हाम के अनुसार मृत्यु भी पा गया। हम लिख चुके हैं कि ईसाई पक्ष का प्रमुख केवल आथम ठहराया गया था। और यह बात भी सही नहीं कि मुबाहसे के प्रभाव से हमारे दो मुरीद ईसाई हो गए थे बल्कि ये दोनों अत्यंत नादान, दुनिया के पुजारी मूर्ख थे जिन को हमने अपनी जमाअत से निकाल दिया था। यह भी एक सीमा तक झूठ है कि अहमद बेग के बारे में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई अपितु सब लोग जानते हैं कि अहमद बेग भविष्यवाणी की निर्धारित अवधि में मर गया और भविष्यवाणी बड़ी सफ़ाई से पूरी हुई। (इसी से)

बुरी तरह से किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथ से क़त्ल किया गया है। डाक्टर क्लार्क ने बयान किया कि ग़ुलाम अहमद की यह पॉलिसी है कि अपने विरोधियों के दिलों में उनके मरने की भविष्यवाणी करके भय बिठाने की कोशिश में लगा रहता है और उसका व्यवहार उसके अर्थात् डाक्टर क्लार्क के बारे में मुबाहसे के बाद निरन्तर दुश्मनी वाला रहा है। अधिकतर विशेषत: आथम की मृत्यु के दिन से डाक्टर क्लार्क अतिरिक्त इसको इसाई सरगना समझा जाता है एक चयन उस पुस्तक से प्रस्तुत किया गया है जिसको अंजाम-ए-आथम कहते हैं जिसे ग़ुलाम अहमद ने प्रकाशित किया है जिसमें डाक्टर क्लार्क की व्याख्यानुसार यह बयान है कि वह एक वर्ष के अन्दर मर जाएगा और यह अवधि 14 सितम्बर 1897 ई. को समाप्त होगी। डाक्टर क्लार्क वर्णन करता है कि 1894 ई. से उसने ग़ुलाम अहमद से पत्राचार बन्द कर दिया है और यह कि अधिकतर पत्र जिनमें उसकी चर्चा होती है क़ादियान से उसके पास आते रहे हैं। परन्तु थोड़े समय से वह निरन्तर सिलसिला बन्द हो गया है जिस से वह सिद्ध करता है कि ताकि वह सुरक्षा से निश्चिन्त हो जाए। डाक्टर क्लार्क ने भविष्यवाणियों की एक लिस्ट प्रस्तुत की है जो यदा-कदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तरफ़ से प्रकाशित होती रहीं जिनमें बहुत से लोगों के बारे में मृत्यु और हानि के समय से पूर्व सूचना दी गई है। 16 जुलाई 1897 ई. को एक अठारह वर्षीय नौजवान डॉक्टर क्लार्क के पास अमृतसर में आया और कहा कि उसका नाम अब्दुल मजीद है और वह ईसाई होना चाहता है वह जन्म से ब्राह्मण था। उसका नाम रलिया राम पुत्र रामचन्द निवासी खजूरी गेट शहर बटाला है वह ग़ुलाम अहमद के हाथ से इस्लाम धर्म में सम्मिलित हुआ जब वह पन्द्रह वर्ष का था। वह सात वर्ष तक क़ादियान में रहा और ग़ुलाम अहमद को बुरा आदमी समझकर चला आया और अब वह ईसाई धर्म में बपतिस्मा लेना चाहता है। डॉक्टर क्लार्क को तुरन्त संदेह पैदा हुआ। उसको आश्चर्य हुआ कि इस किस्से की समानता उस किस्से से है जो लेखराम के क़ातिल ने वर्णन की थी। उसने नौजवान की रक्षा की। उसने उस से बातचीत की और उसके संबंध में छानबीन कराई जिस से मालूम हुआ कि अब्दुल हमीद (उर्फ अब्दुल मजीद) किसी हद तक ईसाइयत से परिचित

है। उसने बयान किया कि एक पूर्व ईसाई साइयां नामक से क़ादियान सीखता रहा था। कुछ दिनों के अन्तराल के बाद डॉक्टर क्लार्क ने उस नौजवान को ब्यास में अपने अस्पताल में भेज दिया। जब वह वहां था तो उस नौजवान ने एक पत्र क़ादियान बनाम नूरुद्दीन भैरवी भेजा जो इस समय ग़ुलाम अहमद के मुरीदों का प्रमुख है, जिसमें उसने वर्णित मौलवी साहिब को सूचित किया कि वह ईसाई होने का फैसला कर चुका है। कथित पत्र डॉक्टर साहिब की जानकारी में लाए बिना भेजा गया। परन्तु उसके तथा ईसाई अधीनस्थों को जो ब्यास में रहते हैं ज्ञान था। इसी बीच डॉक्टर क्लार्क की नौजवान के बारे में छानबीन जारी रही। अब्दुर्रहीम एक क्रिश्चियन नौ महीने से ईसाई है और वह ग़ुलाम अहमद से अपरिचित है क़ादियान गया। उस समय मिर्ज़ा साहिब ने उस से कहा कि कथित नौजवान क़ादियान में रहता रहा। उसे विश्वास है कि वह ईसाई था। वह क़ादियान से अपने बुरे चालचलन के कारण निकाल दिया गया है और यह कहा कि यदि उसे खाना और कपड़ा दिया जाए तो संभवत: वह (अब्दुर्रहीम) के साथ ठहर जाएगा। अब्दुर्रहीम ने यह भी बयान किया कि मिर्ज़ा साहिब के एक मुरीद ने उसे कहा था कि इस नौजवान ने जाने से पहले ग़ुलाम अहमद को खुल्लम खुल्ला गालियां दी थीं और छानबीन से प्रकट हुआ कि नौजवान एक प्रसिद्ध ख़ानदान मौलवियां जेहलम निवासी है। उसका एक चाचा जो बुरहानुद्दीन ग़ाज़ी के नाम से प्रसिद्ध है मिर्ज़ा साहिब का मुरीद है। यह पाया गया कि वह गुजरात और पिण्डी में ईसाइयत के अभिलाषी के तौर पर रहता रहा है। परन्तु गुजरात मिशन से व्यभिचार (ज़िनाकारी) और झूठ बोलने के कारण निकाल दिया गया था। उसका यह बयान कि वह जन्म से ब्राह्मण है झूठा है। उसका असली नाम अब्दुल हमीद है। वह क़ादियान में सात वर्ष तक नहीं रहा बल्कि केवल कुछ दिन रहा। अब्दुर्रहीम एलची ने जो क़ादियान भेजा गया था डॉक्टर क्लार्क के ध्यान को इस वस्तु स्थिति की तरफ परिवर्तित किया कि नौजवान की आंख ख़ूनी मालूम होती है और चूंकि डॉक्टर क्लार्क अपराधिक विद्या का विद्वान है उसने उसके आचरण में वह लक्ष्ण देखे जो उसके क़त्ल करने वाले आकर्षण के गवाह थे। इसके अतिरिक्त वह एक द्वेष रखने वाले

ख़ानदान से संबंध रखता है। उसने सोचा कि चूंकि क़ादियान में सार्वजनिक तौर पर गालियां दी गईं और इस विचार से कि अब्दुल हमीद को मौलवियों का रिश्तेदार होने के बावजूद कमीना काम करने को दिया गया है यह मिर्ज़ा साहिब की तरफ से इसलिए अग्रिम भूमिका के तौर पर प्रबन्ध किया गया कि सन्देह न हो पाए। अब्दुर्रहीम का विचार यह था कि वह नौजवान क़ादियान से उसे क़त्ल करने के लिए भेजा गया है परन्तु डॉक्टर क्लार्क ने वस्तु स्थिति से परिचित होकर यह नतीजा निकाला कि क़ुर्बानी का अभीष्ट मैं ही हूं। इसलिए वह ब्यास गया और रुबरु अब्दुर्रहीम, प्रेमदास, वारिस दीन, निहाल चन्द और स्वयं डॉक्टर क्लार्क के नौजवान अब्दुल हमीद ने इन्कार और बहानों तथा डॉक्टर क्लार्क के उस वादे के बाद कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी यह जुर्म का इक़रार किया कि मर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने उस से कहा था और डॉक्टर क्लार्क को किसी उचित अवसर पर हानि पहुंचाओ अर्थात क़त्ल करो। अन्ततः उस ने उपरोक्त कथित लोगों की उपस्थिति में यह इक़रार लिखा। तत्पश्चात उसने बयान किया कि उसने क़ादियान को मौलवी नूरुद्दीन के नाम इस उद्देश्य से पत्र लिखा है कि उनको पता मालूम हो जाए कि मैं कहां हूं। उसने खुले तौर पर मिर्ज़ा साहिब पर लानत भेजी ताकि अन्त में कथित व्यक्ति की ओर से सन्देह उत्पन्न न हो। इस पर डॉक्टर क्लार्क अब्दुल हमीद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर के पास ले गया और उसके बाद उसका बयान लिखा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की दरख़्वास्त पर कथित डॉक्टर ने नौजवान को अपनी सुरक्षा में लिया उस समय तक के लिए कि उसका अन्तिम बयान अदालत में लिखा न गया। एक प्रेमदास नामक गवाह ने बयान किया कि उसने ब्यास में दो आदमी देखे थे जो अब्दुल हमीद को पूछते फ़िरते थे और डॉक्टर क्लार्क तथा डिस्ट्रिक सुप्रिन्टेन्डेण्ट पुलिस को आशंका थी कि कदाचित उसे कुछ हानि पहुंचाई जाए। अब्दुल हमीद की गवाही से जो उसने अदालत में दी उससे यह सिद्ध हुआ कि वह क़ादियान में दो बार गया है। एक बार पांच दिन के लिए माह मई में और फिर संभवतः दस दिन के लिए माह जून में। वह मिर्ज़ा साहिब को पहले कभी नहीं जानता था। उसके दो चाचाओं में से एक चाचा बुरहानुद्दीन मिर्ज़ा साहिब का

मुरीद है और दूसरा सुल्तान महमूद विरोधी है। उसका घर जेहलम है परन्तु वह वहां बहुत कम ही जाता है, क्योंकि उसके ख़ानदान के लोग उसकी क़द्र नहीं करते। उसने बयान किया कि उस के इरादे और नीयत डॉक्टर क्लार्क के बारे में बदल गए, क्योंकि वह उसे नेक आदमी प्रतीत हुआ। उसको गुजरात मिशन से निकाले जाने के पश्चात् एक मीरा बख्श नामक व्यक्ति ने जो मिर्ज़ा साहिब का श्रद्धालु है क़ादियान में जाने का मार्ग दर्शन किया था। उसकी गवाही ने सामान्यतया उस बयान का समर्थन किया जो डॉक्टर क्लार्क ने दिया है।

जांच-पड़ताल 10, अगस्त को प्रारंभ हुई और जिस गवाही का यहां तक वर्णन आ चुका है वह 13 अगस्त तक जारी रही। अब्दुल हमीद उस समय तक कुछ अधीन ईसाइयों की निगरानी में रहा जो स्काच मिशन के नौकर हैं। विशेष तौर पर अब्दुर्रहीम, वारिस दीन, प्रेमदास। डॉक्टर क्लार्क की यह राय कि वह इस से अधिक जानता है जितना कि उसने व्यक्त किया है। हम ने स्वयं उसके बयान को जैसा कि है बुद्धि से अत्यन्त दूर समझा। उसके उस बयान में जो उसने अमृतसर में लिखाया उस बयान की तुलना में जो मेरे सामने लिखाया मतभेद हैं और हम उसके हाव-भाव से जबकि वह गवाही दे रहा था सन्तुष्ट नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त हमने यह मालूम किया कि जितनी देर तक बटाला के मिशन के नौकरों की निगरानी में रहा उतनी ही उसकी गवाही विस्तृत और लम्बी होती गई। उसके पहले बयान में जो उसने 12 तारीख़ को मेरे सामने लिखाया बहुत सी बातें थीं, उस बयान में नहीं थीं जो उस ने प्रथम डॉक्टर साहिब के सामने किया। या जब उस का बयान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर ने लिया और जब उसने दोबारा हमारे सामने 13 अगस्त को बयान दिया तो उसने बहुत सी बातें अतिरिक्त बढ़ा दीं। इस से यह नतीजा पैदा हुआ कि या तो कोई व्यक्ति इस को या (कई) व्यक्ति सिखाते-पढ़ाते हैं या यह कि इसको इस से और अधिक जानकारी है जितनी कि वह अब तक व्यक्त कर चुका है। इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेण्ट पुलिस को कहा कि आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी में लें और आज़ादाना तौर पर उस से पूछें। 14 अगस्त को मिस्टर लीमार चन्द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेण्ट पुलिस ने मुहम्मद बख़्श डिप्टी इन्सपेक्टर

बटाला को भेजा कि वह अब्दुलहमीद को सी.एम.एस. क्वार्टर अनारकली में जाकर सुरक्षा स्थल से यहां ले आओ। मुहम्मद बख़्श उसे सीधा लीमार चन्द के पास गाड़ी में ले गया। लीमार चन्द पहले से किसी कार्य में व्यस्त था और कुछ समय के लिए उसको जलालुद्दीन इन्सपेक्टर के सुपुर्द किया। इसने खुले मैदान में मुहम्मद बख़्श तथा अन्य लोगों की मौजूदगी में उस से पूछा। कुछ देर के बात कथित इन्सपेक्टर ने मिस्टर लीमार चन्द के पास आकर बयान किया कि वह लड़का अपने पिछले बयान पर स्थापित है और कुछ अधिक नहीं करता और वह अनारकली वापस जाना चाहता है। इन्सपेक्टर ने मिस्टर लीमार चन्द को सूचना दी कि उसे वापस भेज दें। लीमार चन्द ने इस बात को अपना कर्त्तव्य समझा कि नौजवान जो कुछ बयान करे लिख लिया जाए। इसलिए उसे बुला लिया गया। उन्होंने बयान के दो पृष्ठ न्यूनाधिक उसी गवाही के अनुसार लिखे जो पहले अदालत के सामने दी गई थी कि अचानक नौजवान फूट-फूट कर रोने लगा और मिस्टर लीमार चन्द के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि मैं इस मुक़द्दमे में अबुर्दरहीम, वारिस दीन और प्रेमदास मिशन के नौकरों के षडयंत्र से जिनकी निगरानी में वह रहा निरन्तर झूठ बोलता रहा। वे कई दिनों तक पहरे में रखा गया, वह बहुत बड़े संकट में गिरफ़्तार रहा और उस समय उसने आत्म हत्या का निर्णय कर लिया था इसलिए उसने मिस्टर लीमार चन्द के सामने सम्पूर्ण बयान कर दिया लीमारचन्द साहिब ने गवाही में बयान किया कि उसके विचार में जिस प्रकार से यह दूसरा बयान हुआ है उस से यह सही मालूम होता है, उसने नौजवान को न तो धमकाया और न उससे माफ़ी का कोई वादा किया। नौजवान की वर्तमान स्थिति और हाव-भाव से प्रकट होता था कि वह वास्तव में संकट और कष्ट में था। अब्दुल हमीद को अदालत ने 20 अगस्त को दोबारा बुलाया। उसने कहा कि जो बयान वह देने लगा है सही है और उस बयान के देने में उसे किसी ने नहीं सिखाया। यह बात सच है कि वह क़ादियान में गया था और कुल दो सप्ताह रहा। उसे उसके संदिग्ध आचरण के कारण निकाल दिया गया। उसने मिर्ज़ा साहिब को कभी गालियां नहीं दीं, परन्तु वहां से चलने से पहले मुरीदों में से एक के साथ झगड़ा हो गया था। वह अमृतसर चला गया और

किसी व्यक्ति से किसी ईसाई उपदेशक के मकान का पता पूछा। वह संयोग से एक व्यक्ति नूरुद्दीन अमरीकन मिशन के पास भेजा गया। उसने नुरुद्दीन के आगे बयान किया कि वह क़ादियान से आया है। वह वास्तव में एक हिन्दू रलियाराम था, फिर मुसलमान हो गया, अब ईसाई होना चाहता है। नूरुद्दीन ने उसे मिस्टर ग्रे के पास भेजा जिसने केवल इस शर्त पर उसे लेना स्वीकार किया कि वह अपना गुज़ारा स्वयं करे और कुछ बातचीत के बाद उसे नूरुद्दीन के पास वापस भेज दिया परन्तु वह अपने ही ख़र्च पर ईसाई होने पर तैयार न था। नूरुद्दीन ने उसे सलाह दी कि वह डॉक्टर क्लार्क के पास जाए क्योंकि वह अच्छा आदमी है (इनमें से अधिकांश बयानों का समर्थन बाद में डॉक्टर ग्रे की चिट्ठी के विषय और नूरुद्दीन ईसाई की गवाही से होती है) वह डॉक्टर क्लार्क के पास चला गया, जिस ने उसे अब्दुर्रहीम के हवाले कर दिया और शहर के अस्पताल में उसे काम करने के लिए दिया। वह सोचता है कि अब्दुर्रहीम ने उस पर सन्देह किया, क्योंकि उसने आग्रह पूर्वक तथा बल देकर पूछा कि वह क़ादियान से मिशन में किस लिए आया है और उसने डॉक्टर क्लार्क को उसके सामने कहा कि उसका विश्वास है कि अब्दुल हमीद किसी व्यक्ति को क़त्ल करने के लिए आया है। जिस बात के संबंध में डॉक्टर क्लार्क अब्दुर्रहीम के सामने उसके साथ हंसी करता रहा। तत्पश्चात् डॉक्टर क्लार्क ने उसका फोटो खिंचवाया। फिर इसी उद्देश्य के लिए जहां पर ब्यास से वह भेजा गया था अमृतसर लाया गया। वह इस अवसर पर किताबें लाने के लिए अस्पताल में भेजा गया और अब्दुर्रहीम ने फिर उसे परेशान करना आरंभ किया और याद दिलाया कि उसका फोटो लिया जा चुका है वह भाग नहीं सकता। उसकी रिपोर्ट पुलिस में की जाएगी अन्यथा उचित है कि वह सच-सच बयान कर दे कि वह क़त्ल करने के इरादे से आया है। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर क्लार्क, अबुदर्रहीम, वारिस दीन और प्रेमदास सभी ब्यास में आए उससे आग्रहपूर्वक पूछा गया। अब्दुल हमीद अन्य व्यक्तियों के समूह के साथ फ़र्श के ऊपर बैठा हुआ था और डॉक्टर क्लार्क कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठा था। वह दृढ़तापूर्वक इन्कार करता रहा कि वह यहां पर किसी बुरे इरादे से नहीं आया, परन्तु अब्दुर्रहीम ने

उसके कान में कहा कि उचित है कि वह स्वीकार कर ले कि वह डॉक्टर क्लार्क को मिर्ज़ा साहिब के कहने पर एक पत्थर से मार डालने के लिए आया है। अन्यथा उसके लिए अधिक ख़राबी का कारण होगा और डॉक्टर क्लार्क इस बात का उत्तरदायी होगा कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसने उसकी बात मान ली और जुर्म का इक़रार लिख दिया। पहले उसने शब्द 'नुक़्सान' लिखा। अब्दुर्रहीम ने उसे कहा कि 'नुक़्सान' की बजाए शब्द 'मार डालना' लिखो (शब्द ये हैं नुक़्सान अर्थात् मार डालना) तत्पश्चात् उन्होंने कहा हम तुम्हारा धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी कामना पूरी हो गई। अब्दुर्रहीम, प्रेमदास और वारिस दीन इसके बाद विस्तार से झूठी गवाही तैयार करते रहे जो विवश होकर उनके कहने से उसे अदालत में देनी पड़ी। उसने यह भी बयान किया कि उसने अपना नाम अब्दुल हमीद की बजाए अब्दुल मजीद बताया था और अपना हिन्दू जन्म केवल इसी विचार से बताया था कि वह पहले गुजरात मिशन से निकाला जा चुका था और वह चाहता था कि अमृतसर में पकड़ न हो। उसने विचार किया था कि संभव है कि मिशन के लोग उसके बारे में छान-बीन कर बैठें। उस ने नूरुद्दीन मौलवी को क़ादियान में चिट्ठी इस उद्देश्य से लिखी थी ताकि उन्हें मालूम हो कि उसका इरादा ईसाई बनने का है। नूरुद्दीन ने उसे क़ादियान में शिक्षा दी थी और उसकी बीमारी का इलाज किया था। (यह स्वीकार किया गया है कि उसने बैरिंग चिट्ठी भेजी थी। नूरुद्दीन कहता है कि मैंने ऐसी चिट्ठी कभी नहीं ली) अब्दुर्रहीम ने उसे बटाला में कहा था कि वह इस चिट्ठी भेजने को किसी अन्य बात की तरफ सम्बद्ध कर दे अर्थात् यह कि उसने नूरुद्दीन को इसलिए चिट्ठी लिखी थी कि मिर्ज़ा साहिब को उसका पता मालूम हो जाए। अब्दुर्रहीम ने बटाला में उसे यह भी कहा था कि ठीक है कि उसने मिर्ज़ा साहिब को जाने से पहले गालियां दी थी। हालांकि उसने कोई गाली नहीं दी थी। अमृतसर में उसको कहा गया कि तू यह कह देना कि मेरा दिल इसलिए बदल गया कि मैंने डॉक्टर क्लार्क को अच्छा आदमी पाया। 13 तारीख को जिरह के समय अब्दुल हमीद ने पहली बार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब के एक मुरीद क़ुतुबुद्दीन नामक मुरीद की चर्चा की जो अमृतसर में रहता है और

कहा कि मैं सबसे पहले क़ादियान से अमृतसर में पहुंचते ही उसी के पास गया था और क़ुतुबुद्दीन ने तीस सेर का एक भारी पत्थर जिसके साथ डॉक्टर क्लार्क को मार डालना था उपलब्ध कराने का दायित्व लिया था और इस कार्य के समाप्त होने के बाद उसने क़ुतुबुद्दीन ही के पास शरण लेनी थी। अब्दुल हमीद ने बयान किया कि यह सम्पूर्ण विवरण वारिस दीन ने बटाला में बताया था और उसने क़ुतुबुद्दीन को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब्दुल हमीद ने यह भी बयान किया कि डॉक्टर क्लार्क के वकील रामभज दत्त नामक ने उस से कई बार बटाला में प्रश्न किए और उसके एक रिमार्क से ही क़ुतुबुद्दीन के ज़िक्र (चर्चा) करने की आवश्यकता पड़ी। वकील ने उसे कहा था कि तू परिंदा नहीं है, तूने किस प्रकार अमृतसर से भाग कर जाने का इरादा किया था। इस जुर्म में तुम्हारा अवश्य कोई साथी होगा। वह कौन है। अब्दुल हमीद ने इस बात से इन्कार किया। इसके बाद वारिस दीन उसके पास आया और उसने कहा कि तुम कुतुबुद्दीन का नाम ले लो और उसके निवास का पता बताया। जब वकील वापिस आया तो उसने ऐसा ही वर्णन कर दिया और यह घटना 13 अगस्त को जिरह में ठीक ठीक प्रकट हो गई। उसने यह भी बयान किया कि पूर्व इसके कि वह अदालत में गया प्रेम दास ने कुतुबद्दीन का नाम उसकी अर्थात् अब्दुल हमीद की हथेली पर इसलिए लिख दिया कि उसे भूल न जाए। अतिरिक्त प्रश्न करने पर उसने कहा कि इस पेन्सिल से जो डॉक्टर क्लार्क के हाथ में है और कथित पेन्सिल की ओर संकेत करके कहा कि यही है और यह वारिस दीन की है। यह स्वीकार किया गया कि ऐसा ही है। गवाही में प्रथम बार तो स्थान बटाला वर्णन किया गया था कि अब्दुल हमीद मिर्ज़ा साहिब के पांव पब्लिक में दबाया करता था। अब्दुल हमीद ने बयान किया कि यह बात भी वारिस दीन की बनाई हुई है। डॉक्टर क्लार्क का दोबारा बयान उसी की दरख़्वास्त पर लिया गया। उसने उन प्रेरणाओं के संबंध में जो अब्दुल हमीद को ब्यास में बयान लिखाने से पूर्व दी गई हैं, बयान किया कि मैं नहीं सोचता कि ऐसी प्रेरणाएं मेरी जानकारी के बिना दी गई हों और मैंने कदापि नहीं देखा कि इस प्रकार की कोई बात की गई हो। चाहे अब्दुल हमीद का पहला बयान सच्चा है या दूसरा।

तथापि यह बात स्पष्ट है कि इसमें पर्याप्त कारण नहीं हैं कि इस मुक़द्दमे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब्दुल हमीद जो बड़ा गवाह है वही अपराध में भागीदार है और उसने दो भिन्न-भिन्न बयान लिखवाए हैं। हमारा झुकाव इस विचार की ओर है कि सब बयानों में से दूसरा बयान संभवत: सच्चा है औऱ यह कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने अब्दुल हमीद को डॉक्टर क्लार्क के पास नहीं भेजा और न उस ने उसको डॉक्टर क्लार्क को मार डालने के लिए सिखाया है। कारण निम्नलिखित हैं -

(1) स्वयं अब्दुल हमीद ऐसी बहादुरी और ज़िम्मेदारी के काम के लिए योग्य नहीं। वह एक लम्बा बढ़ा हुआ कमज़ोर दिल का नौजवान है और यह बात भी मान्य है कि उसी के विचार व्यभिचार की ओर झुके हुए हैं और न वह तनिक भी पागल है। और उसके बयान से स्पष्ट होता है कि उसने अपना समय ईसाइयत और इस्लाम में कभी इधर और कभी उधर व्यतीत किया है। जहां कहीं उसे रोटी, कपड़े मिलने का विश्वास हुआ वह अपने भाग्य को उसी ओर अपनाने को तैयार हो गया। मिस्टर ग्रे वर्णन करता है कि वह उसे सहसा झूठ बनाने वाला प्रतीत हुआ। जहां तक वह अपनी जानकारियां ईसाइयत के बारे में व्यक्त करता है।

(2) यह स्वीकार किया गया कि ग़ुलाम अहमद ने उसको केवल दो सप्ताह के लगभग देखा। बड़े से बड़ा समय यही है। वह ऐसे कम समय में पर्याप्त तौर पर ऐसी जानकारी पैदा नहीं कर सकते थे कि ऐसे संवेदनशील कार्य के लिए उस पर भरोसा करते, न यह बात है कि वह उस पर कोई बड़ा प्रभाव डाल सके हों।

(3) जिस ढंग से अब्दुल हमीद ने इस काम को बयान किया है उसकी युक्ति भी बिल्कुल भोंडी और मूर्खतापूर्ण मालूम हुई है। यह बात अकल्पनीय है कि अब्दुल हमीद को इस बात के कहने की शिक्षा दी गई हो कि बटाला का एक हिन्दू था। यह एक ऐसा बयान है जिसको डॉक्टर क्लार्क दो एक घण्टे में झुठला सकता। ग़ुलाम अहमद के 25 जुलाई के इस इक़रार के बाद कि वह नौजवान क़ादियान में आया था। यदि डॉक्टर क्लार्क पर कोई दुर्घटना पड़ती तो यह बात निश्चित थी कि मिर्ज़ा साहिब के विरुद्ध उसकी जान के बदले में कोई अदालत की

कार्यवाही की जाती और इस मामले के बारे में स्वयं मिर्ज़ा साहिब भी समय से पूर्व भविष्यवाणी कर सकते थे। यह बात किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकती कि मिर्ज़ा साहिब ने स्वयं को ऐसे ख़तरे में डाला हो।

(4) यह सिद्ध है कि वह नौजवान प्रथम डॉक्टर ग्रे के पास अमृतसर में गया और यदि वह उसको खाने-पीने और मकान का वादा करते तो वह उसके पास रहता। यदि वास्तव में डॉक्टर क्लार्क के पास भेजा गया था तो फिर इस बात का कोई तर्क नहीं है कि मिस्टर ग्रे अमरीकन मिशन के ईसाई के पास वह क्यों चला गया। यह स्पष्ट हो चुका है कि मात्र संयोग से डॉक्टर क्लार्क की ओर मार्ग बताया गया।

(5) उसने नूरुद्दीन ईसाई अमरीकन मिशन को कहा था कि वह क़ादियान से आया है और यह कि वह वास्तव में हिन्दू था। और हम यह नतीजा निकालते हैं कि उसका यह बयान करना न तो मिर्ज़ा साहिब का षडयंत्र है और न लेखराम के क़ातिल के कृत्य से समानता के लिए है बल्कि उसके बयान के कहने के अनुसार इसलिए है कि मिशनरियों से उस घटना को गुप्त रखे कि वह गुजरात मिशन से निकाला गया था। इसी कारण से उसने अब्दुल हमीद की बजाए झूठा नाम अब्दुल मजीद बयान किया।

(6) यदि अब्दुल हमीद का बयान जो उसने ब्यास में दिया है सच्चा होता तो कोई कारण विदित नहीं होता कि क्यों उसने उस आवश्यक बात को स्वीकार कर लेने के पश्चात् कि वह डॉक्टर मार्टिन क्लार्क के मारने के लिए आया है विवरणों को बयान करने से रुका रहा। यह बात स्पष्ट है कि बहुत से विवरण उस समय प्रकट हुए जबकि वह नौजवान वारिस दीन प्रेमदास और अब्दुर्रहीम की सुरक्षा में बटाला में था। इसलिए हमारी यह राय है कि अब्दुर्रहीम, वारिस दीन और प्रेमदास ही केवल उस पहली कहानी के उत्तरदायी हैं और संभवत: वे ही उसे सम्पूर्ण समय बहकाते रहे। यह तो स्वाभाविक बात है कि उस नौजवान के आने पर मिशन के कबूतर ख़ाने में बहुत चर्चा हुई होगी, विशेष तौर पर जब कि उसने बयान किया कि वह किसी अन्य स्थान से नहीं बल्कि क़ादियान ही

से आया है और ईसाई होना चाहता है। उसका रूप और आकृति कुछ ईसाई अधीनस्थ नौकरों के पास उसकी सिफ़ारिश न कर सकी और उसने कह दिया कि वह हिन्दू था। इसी प्रकार लेखराम के क़ातिल ने किया था। उन्होंने दोनों को इकट्ठा कर लिया और यह निश्चित बात है कि अब्दुर्रहीम से बहुत बार इस बारे में पूछा गया कि उसका आने के कारण क्या हैं। डॉक्टर क्लार्क बयान करता है कि अब्दुर्रहीम को स्वयं अपनी जान का ख़तरा पड़ गया था। यह याद रहे कि यह वही व्यक्ति है जिस ने पहले पहल डॉक्टर क्लार्क को कहा था कि नौजवान क़त्ल करने के इरादे से आया है और जिस ने उसकी ख़ूनी आंख की ओर ध्यान दिलाया था। यह संभव है कि उसने और वारिस दीन तथा प्रेमदास ने वास्तव में ऐसा विश्वास कर लिया हो कि नौजवान क़त्ल करने के इरादे से आया है और उस से इस बात को स्वीकार कराने में उनको विचार आया हो कि वे ज़बदस्ती (बलात्) सच्चाई को निकाल रहे हैं। तत्पश्चात् अपनी ग़लती पाकर उन्होंने इस झूठे किस्से को और विवरण से इरादा कर लिया है कि इस मामले को निरन्तर चलाएंगे उन प्रेरणाओं के संबंध में जो डॉक्टर क्लार्क की मौजूदगी में हुईं जिनके बारे में वह बयान करता है कि नहीं हो सकती हैं। यह संभव है कि उस समय घटित हुई हों जबकि उसका ध्यान अन्य तरफ़ व्यस्त था। वह संभवत: नौजवान की निगरानी ध्यानपूर्वक कर रहा था जिसे आस-पास से अब्दुर्रहीम, वारिसदीन और प्रेमदास घेरे हुए थे, और उन तीनों में से मेरा विचार है कि कोई न कोई अब्दुल हमीद के कानों में फूंक देता था और उसे कोई देख नहीं सकता था। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि अब्दुल हमीद को वास्तव में अब्दुर्रहीम ने अपने पहले बयान देने में बहकाया। डॉक्टर क्लार्क को कार्यवाही के बीच पूर्णरूप से धोखा दिया गया है और उसे उनकी बनावटी कार्यवाही की बिल्कुल सूचना नहीं है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने इस बात को प्रफुल्लता से मान लिया है और अदालत में डॉक्टर क्लार्क को हर प्रकार की संलिप्तता से मुक्त ठहरा दिया है। गवाही में बहुत सी लिखित गवाही प्रस्तुत की गई है, जिसमें से किसी हद तक सम्बोधित समझी जाती यदि मूल बयान जिसकी ऊपर चर्चा की

जा चुकी है सिद्ध हो जाता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद बड़े आग्रह पूर्वक इस बात का इन्कार करता है कि उसने कभी डॉक्टर क्लार्क को हानि पहुंचाने के लिए स्पष्ट तौर पर या सांकेतिक तौर पर कभी कोई भविष्यवाणी की हो। वह उसे 1893 ई. की भविष्यवाणी में जो मुबाहसे के बाद की गई थी सम्मिलित नहीं समझता। और न भविष्यवाणी में उसका कोई संकेत है जो अब वर्णन की जाती है कि वह अभी शेष है और जिसका अंजाम-ए-आथम से हवाला दिया गया। 1893 ई. की प्रारंभिक भविष्यवाणी इस प्रकार है - (वह पक्ष (सदस्य) जो जानबूझ कर झूठ को अपना रहा है और सच्चे ख़ुदा को छोड़ रहा है और निर्बल इन्सान को ख़ुदा बना रहा है तबाह होगा इत्यादि-इत्यादि) और (वह व्यक्ति जो सच्चे ख़ुदा को मान रहा है बड़ा सम्मान पाएगा) शब्द "निर्बल" आदमी को ख़ुदा बनाना "स्पष्ट तौर से सदस्य का संबंध ईसाई समुदाय से व्यक्त करते हैं जिस सदस्य में से डॉक्टर क्लार्क भी है और अनुमान से "वह व्यक्ति" जिसके बाद में चर्चा है मिर्ज़ा साहिब है। मिर्ज़ा साहिब इस से इन्कार करते हैं कि शब्द फरीक़ और व्यक्ति का चरितार्थ किसी विशेष व्यक्ति पर था और बयान करते हैं कि हर स्थिति में उनका संकेत अब्दुल्लाह आथम से था न कि डॉक्टर क्लार्क से।★ हम सोचते हैं कि वे शब्द जो उनकी ओर से प्रयोग

★यह आवश्यक नहीं कि इल्हामी भविष्यवाणी के पहलू सहसा मालूम हो जाएं इसलिए हमारे विचार में आरंभ से यही रहा कि यह भविष्यवाणी विशेष तौर पर आथम के बारे में है और आथम के नाम ही बार-बार विज्ञापन जारी हुए और उसी को क़सम के लिए बुलाया गया। हां जबकि कुछ अन्य ईसाई भागीदारों पर जो बहस में सम्मिलित हुए इसका प्रभाव पड़ा तो यह समझा गया कि ख़ुदा तआला के नज़दीक ये भी इसमें सम्मिलित होंगे, परन्तु वास्तव में प्रारंभ से हमारी जानकारी यही थी कि इस भविष्यवाणी का चरितार्थ केवल आथम है। हमारी नीयत में कमी कोई और न था। हां दूसरों पर हमने प्रभाव देखा, अन्यथा हम ने यह कहीं नहीं लिखा कि जैसा कि अबुदल्लाह आथम इस भविष्यवाणी में भागीदार है ऐसा ही दूसरे भी भागीदार हैं। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान केवल आथम की ओर रहा और अब तक उसी को भविष्यवाणी का वास्तविक चरितार्थ समझते हैं और उसी के क़सम न खाने और अन्त में भविष्यवाणी के अनुसार उसी की मृत्यु हो जाने से हम ने फ़ायदा उठाया न कि दूसरों से। (इसी से)

किए गए हैं इस बात का समर्थन नहीं करते, परन्तु निर्धारित समय सीमा ग़ुज़र चुकी है और अब भविष्यवाणी असंबंधित है। एक और भविष्यवाणी में जिसकी समय सीमा सितम्बर 1897 ई. में समाप्त होगी ग़ुलाम-अहमद (मोटे अक्षरों में) डॉक्टर क्लार्क या अन्य किसी पादरी को मुबाहले के लिए बुलाते हैं वह अपने दिल से उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर क्लार्क चुने जाएं और वे उसे अधम सा कायर आदमी कहते हैं यदि डॉक्टर क्लार्क शैतानी युक्तियां धारण करके बचने का प्रयास करे तो अल्लाह तआला स्वयं अपने तौर पर झूठ का उन्मूलन कर देगा। डॉक्टर क्लार्क कहता है कि झूठ से उस के अस्तित्व की ओर ही इशारा है, और यहां जो झूठ का शब्द है वह उस झूठ से मिलता है जो 1893 ई. की भविष्यवाणी में दर्ज है, किन्तु मिर्ज़ा साहिब इस इल्ज़ाम से इन्कार करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये भविष्यवाणियां डेल्फिक इल्हामों की भांति दो पहलू रखती हैं और इसी में फ़ायदा है कि वे ऐसी हों। मिर्ज़ा साहिब कुछ मतलब बयान करते हैं और डॉक्टर क्लार्क कुछ। और इस स्थिति में इस बात का सिद्ध करना असंभव है कि डॉक्टर क्लार्क के अर्थ ठीक हों। मिर्ज़ा साहिब कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर क्लार्क की मौत के बारे में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की और जितनी छपी हुई गवाही प्रस्तुत की गई है हम उन सब में से किसी में भी कोई स्पष्ट और व्यापक बात नहीं पाते जिस से मिर्ज़ा साहिब के बयान ग़ुलाम अहमद ने अपने इज़्हार में वर्णन किया है कि उनको उन आक्रमणों का कुछ भी ज्ञान नहीं है जो आथम की जान पर किए गए। परन्तु कहा कि लेखराम के बारे में उसे ज्ञान था कि वह मर जाएगा तथा इसी तरह उसने दिन और घंटे की समय से पूर्व सूचना दे दी थी। जहां तक डॉक्टर क्लार्क के मुक़द्दमे से संबंध है हम कोई कारण नहीं देखते कि ग़ुलाम अहमद से शान्ति की रक्षा के लिए ज़मानत ली जाए या यह कि मुक़द्दमा पुलिस के सुपुर्द किया जाए। **इसलिए वह बरी किए जाते हैं।**★ परन्तु हम इस अवसर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की लिखित नोटिस के

★ बरी करने का यह आदेश 23 अगस्त 1897 ई. ज़िला मजिस्ट्रेट की क़लम से निकला और यह नोटिस जो बतौर धमकाने के लिखा गया, ये दोनों बातें ऐसी हैं जिन से हमारी जमाअत को

द्वारा जिसे उन्होंने स्वयं पढ़ लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं क़ानूनी तौर पर सावधान करते हैं कि उन छपे हुए दस्तावेज़ों से जो गवाही में प्रस्तुत हुए हैं यह प्रकट होता है कि उसने भड़काने और ग़ुस्सा दिलाने वाली पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन से उन लोगों को पीड़ा देना समझा जाता है जिन के धार्मिक विचार उसके धार्मिक विचारों से भिन्न हैं। जो प्रभाव उसकी बातों से उसके ज्ञानहीन मुरीदों पर होगा उसका दायित्व उन्हीं पर होगा और हम उन्हें सावधान करते हैं कि जब तक वे प्राय: संतुलित आचरण नहीं अपनाएंगे वह क़ानून की दृष्टि से बच नहीं सकते अपितु उसकी चोट के अन्दर आ जाते हैं।

हस्ताक्षर-एम.डब्लयू डगलस डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट गुरदासपुर 23 अगस्त 1897 ई.

यह पूरा मुक़द्दमा जो हाकिम की राय सहित लिखा गया है इसमें विचार करने से स्पष्ट है कि ईसाइयों की ओर से यह एक बनावट थी जिस को मजिस्ट्रेट साहिब ज़िला ने भलीभांति मालूम कर लिया और प्रत्येक व्यक्ति जो इस लेख पर विचार करेगा तथा इस मुक़द्दमे को शुरू से अन्त तक ध्यान से पढ़ेगा वह हार्दिक विश्वास से समझ लेगा कि उन लोगों ने जो मसीह के ख़ून से पवित्र हो जाने का दावा करते हैं एक निर्दोष के ख़ून के लिए पक्का षडयंत्र किया था। यह स्पष्ट है और डॉक्टर क्लार्क इस बात का इक़रार है कि जब उन्होंने एक अब्दुर्रहीम नामक ईसाई को अब्दुल हमीद का हाल ज्ञात करने के लिए मेरे पास भेजा तो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं छुपाया बल्कि प्रकट कर दिया कि यह अच्छा आदमी नहीं और जो अपना नाम रलियाराम बयान करता है यह बयान सर्वथा झूठ है। अब बुद्धिमान इसी बात से समझ सकता है कि यदि मैंने वास्तव में अब्दुल हमीद को ख़ून (हत्या) करने के लिए भेजा था तो फिर मैं उसके चाल-चलन से क्योंकर डॉक्टर क्लार्क को

शेष हाशिया : लाभ उठाना चाहिए क्योंकि एक अवधि पूर्व ख़ुदा तआला से इल्हाम पाकर इन दोनों बातों की ख़बर दी गई थी। अब उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे ख़ुदा ने क्योंकर ये दोनों ग़ैब (परोक्ष) की बातें समय से पूर्व अपने बन्दे पर प्रकट कर दीं। जिन लोगों ने यह निशान स्वयं अपनी आंखों से देख लिया, चाहिए कि वे ईमान और संयम में उन्नति करें और ख़ुदा के निशानों को देख कर फिर लापरवाही में जीवन व्यतीत न करें। (इसी से)

सर्तक करता। इसके अतिरिक्त अदालत में यह बात भी साबित हो गई कि अब्दुल हमीद सीधे तौर पर डॉक्टर क्लार्क के पास नहीं गया था अपितु पहले नूरुद्दीन ईसाई की चिट्ठी लेकर पादरी ग्रे के पास गया था। यदि उसका मूल उद्देश्य डॉक्टर क्लार्क को क़त्ल करना होता तो पादरी ग्रे के साथ उसका क्या काम था। अदालत में यह भी सिद्ध हो गया कि अब्दुल हमीद ने जो अपना नाम बदलाया यह केवल इस उद्देश्य से था कि गुजरात मिशन से दुराचार के कारण निकाला गया था और उसे आशंका थी कि यदि मैं असल नाम बयान करूं तो फिर मुझे नहीं लेंगे और उसका ईसाई होना मात्र खाने पीने के लिए था तथा अदालत में यह भी सिद्ध हो गया कि उसके बयान में बहुत विरोधाभास था और निश्चित तौर पर ऐसा मालूम होता था कि उसे हर दिन सिखाया जाता है। इन्हीं समस्त कारणों और स्वयं उसके इक़रार से मुक़द्दमे की वास्तविकता यह सिद्ध हुई कि अब्दुर्रहीम और वारिस दीन इत्यादि ईसाइयों की शिक्षा से यह मुक़द्दमा खड़ा किया गया था परन्तु महा प्रतापी ख़ुदा का धन्यवाद है कि उसने उसकी वास्तविकता हाकिमों पर खोल दी और मुझे पहले से इल्हाम द्वारा सूचना दे दी थी कि ऐसा मुक़द्दमा होगा और अन्तत: तुम्हें बरी किया जाएगा। वे इल्हाम उस समय मैंने अपनी जमाअत में प्रकाशित किए जबकि मुक़द्दमा का अभी नामोनिशान न था। हमारी जमाअत के संभवत: दो सौ आदमी होंगे जिनको समय से पूर्व उन इल्हामों की ख़बर मिल गई थी। अत: वह मुक़द्दमा और वह आज़मायश तो समाप्त हो गई और उसका परिणाम एक महान भविष्यवाणी तथा ख़ुदा की सहायता का निशान रह गया जो हमेशा बतौर यादगार रहेगा। यहां हमें अपनी **उपकारी सरकार का धन्यवाद** अदा करना आवश्यक है कि बावजूद इसके कि मुक़द्दमा पादरियों की ओर से था किन्तु मजिस्ट्रेट ज़िला ने जो एक अंग्रेज़ था कदापि स्वीकार न किया कि लेशमात्र भी पादरियों की रियायत की जाए और जो कुछ इन्साफ़ की मांग थी वही किया तथा उसकी प्रतिभा एवं विवेक ने तुरन्त मालूम कर लिया कि यह सर्वथा ईसाइयों की बनावट है। इसी प्रकार कप्तान लीमारचण्ड साहिब डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेन्डेण्ट पुलिस गुरदासपुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से तुरन्त समझ लिया कि यह सम्पूर्ण योजना निराधार और झूठी है और

इसके बावजूद कि मुक़द्दमा एक धार्मिक रूप में था परन्तु उन्होंने न चाहा कि इन्साफ़ को हाथ से देकर तथा धार्मिक पक्षपात से काम लेकर किसी पर अन्याय करें किन्तु अफ़सोस कि शेख़ मुहम्मद हुसैन बटालवी ने मुसलमान कहला कर इस झूठे मुक़द्दमे का समर्थन किया और स्वयं बड़े जोश से डॉक्टर क्लार्क का गवाह बन कर अदालत में आया परन्तु अदालत ने उसके बयान को एक कणभर भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा बल्कि कुर्सी की दरख़्वास्त पर कठोर झिड़कियां दीं और अत्यन्त क्रोध प्रकट किया कि तू ने अपनी हैसियत से बढ़कर कुर्सी मिलने का क्यों प्रश्न किया। अत: यह भी ख़ुदा तआला का एक निशान था कि एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे अपमान की इच्छा रखता था उसको ठीक अदालत में बड़ा अपमान का सामना करना पड़ा जैसे पीड़ादायक मार पड़ी। यहां यह बात भी दोबारा बयान करने योग्य है कि डॉक्टर क्लार्क के एक पक्षीय (यकतरफ़ा) बयान के कारण अदालत को यह विचार पैदा हुआ था कि जैसे हमारी ओर से ईसाइयों के मुक़ाबले पर कठोर शब्द प्रयोग होते हैं। इसी कारण अदालत ने भविष्य के लिए नोटिस द्वारा यह निर्देश दिया था कि ऐसे शब्द फिर प्रयोग हों। मैंने उसी समय ज़िला मजिस्ट्रेट साहिब को यह कहा था कि मेरी ओर से कोई कठोरता प्रारंभिक तौर पर नहीं हुई बल्कि पादरी सज्जनों की ओर से कठोरता हुई है और मैंने यह भी कहा कि इस समय कई ऐसे बस्ते ईसाई किताबों के मेरे पास मौजूद हैं जिन में ईसाई सज्जनों ने अत्यन्त अन्याय किया है। परन्तु चूंकि उस समय ज़िला मजिस्ट्रेट साहिब मुक़द्दमा समाप्त कर चुके थे, इसलिए मेरे उत्तर का समय नहीं रहा था इसलिए मैंने उचित समझा कि केवल अधिकारियों को अवगत करने के लिए और सर्वथा नेक नीयत से नमूने के तौर पर वे कठोर शब्द जो इस्लाम के मुक़ाबले पर पादरी लोग तथा आर्य लोग प्रयोग करते हैं इस समय बतौर नसीहत अपनी जमाअत को विशेष तौर पर और कहता हूं कि वे इस कठोर शब्दों के इस्तेमाल से स्वयं को बचाएं और इन्य क़ौमों की बातों पर पूरे हौसले के साथ सब्र करके अपने नेक आचरण क्षमा करने और धैर्य को सरकार पर व्यक्त करें और हर प्रकार के उपद्रव से अलग रहें। हां उचित और नर्म शब्दों में अनुचित प्रहारों का उत्तर दें और विश्वास रखें कि सरकार

प्रत्येक अत्याचार पीड़ित की सहायता करने को तैयार है। इसी मुक़द्दमे का नमूना बुद्धिमानों के लिए पर्याप्त है कि क्योंकर हाकिमों की अदालत और न्यायप्रियता ने पादरियों की एक बड़ी जमाअत को उनके उद्देश्यों से वंचित और असफल रखा। अत: यही नसीहत है कि अपने तौर पर कोई जोश और कठोरता व्यक्त न करो और किसी कष्ट उठाने के समय अधिकारियों से नालिश करो और यदि माफ़ करो तथा क्षमा और धैर्य से काम लो तो यह तुम्हारी नालिश की अपेक्षा उत्तम मार्ग है। क्योंकि खड़े करना और नालिशें करते फिरना उन लोगों की शान के योग्य नहीं है जो अपने अन्दर शिष्टाचार का एक बड़ा भाग रखते हैं। इति

1, माहे रमज़ान सन् 1315 हिज्री

लेखक

ख़ाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद

क़ादियान

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

ताऊन (प्लेग) का जलसा

चूंकि यह हित में है कि ताऊन के निर्देशों के बारे में एक जलसा क़ादियान में आयोजित हो और उस जलसे में अंग्रेज़ी सरकार के उन निर्देशों के लाभों को जो ताऊन के बारे में अब तक प्रकाशित हुए हैं, और साथ ही उन चिकित्सकीय और शरई लाभों को भी वर्णन किया जाए जो उन निर्देशों के समर्थक हैं। इसलिए यह विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है कि हमारी जमाअत के लोग यथासंभव कोशिश करें कि वे इस जलसे में ईदुलअज़्हा के दिन सम्मिलित हो सकें। मूल बात यह है कि हमारे नज़दीक इस बात पर संतुष्टि नहीं है कि इन गर्मी के दिनों में ताऊन का अन्त हो जाएगा अपितु जैसा कि पहले विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है दो जाड़ों तक बड़ी आशंका है। इसलिए यह समय ठीक वह समय है कि हमारी जमाअत मानवजाति की सच्ची सहानुभूति तथा उच्च अंग्रेज़ी सरकार के निर्देशों का दिल-व-जान से पालन करके अपने शुभ व्यक्तित्व तथा अपने शुभ आचरण और शुभ चिन्ता का आदर्श प्रदर्शित करे और न केवल यह कि स्वयं सरकार के निर्देशों का पालन करे अपितु कोशिश करें कि दूसरे भी उन की भांति उपद्रव फैलाने वाले न बनें। खेद! हमारे देश में यह अज्ञानता है कि लोग विरोध की ओर शीघ्र झुक जाते हैं। उदाहरणतया अब सरकार की ओर से ये निर्देश प्रकाशित हुए कि जिस घर में ताऊन की घटना हो वह घर खाली कर दिया जाए। इस पर कुछ मूर्खों ने नाराज़गी व्यक्त की किन्तु मैं सोचता हूं कि यदि सरकार की ओर से यह आदेश होता कि जिस घर में ताऊन की घटना हो वे लोग उस घर को कदापि खाली न करें और उसी में रहें। तब भी मूर्ख लोग उस आदेश का विरोध करते और दो-तीन घटनाओं के पश्चात् उस घर से निकलना प्रारंभ कर देते। सच तो यह है कि मूर्ख इन्सान किसी पहलू से प्रसन्न नहीं होता। अत: सरकार को चाहिए कि मूर्खों के

अनुचित शोर मचाने से अपनी प्रजा की सच्ची शुभ चिन्ता को कदापि न छोड़े कि ये लोग उन बच्चों के समान हैं जो अपनी माँ की किसी कार्रवाई को पसन्द नहीं कर सकते। हां ऐसी सहानुभूति (हमदर्दी) के अवसर पर अत्यधिक आवश्यकता है कि ऐसी कार्य कुशलता हो जिसमें रोब भी हो और नर्मी भी हो और इस देश में पर्देदारी के रिवाज का अत्यन्त ध्यान रखा जाए तथा इस संकट में जो प्लेग ग्रस्त लोगों और उन के परिजनों को समय गुज़ारने में जो कठिनाइयां सामने आएं पिता की हमदर्दी की तरह यथा संभव उन कठिनाइयों को आसान करना चाहिए। उचित है कि इस समय सब लोग अल्लाह तआला की ओर लौटें ताकि अंजाम अच्छा हो। सलामती हो उस पर जो सद्मार्ग का अनुसरण करे।★

लेखक - खाकसार - **मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद,** क़ादियान,

ज़िला-गुरदासपुर 22 अप्रैल 1898 ई.

प्रैस ज़ियाउल इस्लाम क़ादियान

★ नोट- स्मरण रहे कि यद्यपि हमारी जमाअत का यह एक जल्सा है परन्तु यदि कोई सद्पुरुष नेक दृष्टि रखने वाला सम्मिलित होना चाहे तो प्रसन्नतापूर्वक उसका सम्मिलित होना मंज़ूर किया जाएगा। इसी से।

मेमोरियल (ज्ञापन)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नवाब लेफ्टीनेण्ट गवर्नर साहिब से समक्ष

यह मेमोरियल इस उद्देश्य से भेजा जाता है कि एक पुस्तक 'उम्महातुल मोमिनीन' नामक डॉक्टर अहमद शाह साहिब ईसाई की ओर से आर.पी. मिशन प्रेस गुजरावांला में माह अप्रैल 1898 ई. में छपकर प्रकाशित हुई थी और लेखक ने टाइटल पेज पर लिखा है कि ("यह पुस्तक अबू सईद मुहम्मद हुसैन बटालवी की और हज़ार रुपए के इनाम की राशि देने के वादे पर प्रकाशित की गई है।") जिस से मालूम होता है कि मूल प्रेरक इस पुस्तक के लिखने का कथित मुहम्मद हुसैन है। चूंकि इस पुस्तक में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कठोर शब्द प्रयोग किए हैं जिन को कोई मुसलमान सुन कर दुख से रुक नहीं सकता। इसलिए अंजुमन हिमायत-ए-इस्लाम लाहौर ने इस बारे में सरकार के समक्ष मेमोरियल रवाना किया। ताकि सरकार ऐसे लेख के बारे में जिस प्रकार उचित समझे कार्यवाही करे और जिस प्रकार चाहे शान्ति का उपाय कार्यान्वित करे किन्तु मैं अपनी बड़ी जमाअत तथा अन्य सम्मानित मुसलमानों सहित इस मेमोरियल का अत्यन्त विरोधी हूं और हम सब लोग इस बात पर अफ़सोस करते हैं कि इस अंजुमन के सदस्यों ने क्यों मात्र जल्दबाज़ी से यह कार्रवाई★ की। यद्यपि यह सच है कि उम्महातुल मोमिनीन पुस्तक के लेखक ने अत्यन्त दिल दुखाने वाले शब्दों से काम लिया है और अधिक अफ़सोस यह है कि ऐसी कठोरता एवं अपशब्दों के बावजूद अपने आरोपों में इस्लाम की मान्य पुस्तकों का हवाला भी नहीं दे सका। परन्तु हमें हरगिज़ नहीं चाहिए कि इसकी बजाए एक दोषी को नर्मी और शालीनता से समझाएं और उचित रंग में इस पुस्तक का उत्तर लिखें। यह उपाय सोचें

★अंजुमन का ऐसे समय में मेमोरियल भेजना जबकि पुस्तक 'उम्महातुल मोमिनीन' की हज़ार प्रतियां मुसलमानों में मुफ़्त बांटी गईं और ख़ुदा जाने कई हज़ार अन्य क़ौमों में प्रकाशित की गईं, एक अनुचित हरकत है। क्योंकि पुस्तक का प्रकाशन पूर्ण रूप से हो चुका है, जिसको रोकना अभीष्ट था। (इसी से)

कि सरकार इस पुस्तक को प्रकाशित होने से रोक ले। ताकि इस प्रकार से हम विजय नहीं है बल्कि ऐसे बहानों की ओर दौड़ना हमारी कमज़ोरी और असहायता का लक्षण होगा और एक प्रकार से हम बलात से मुंह बन्द करने वाले ठहरेंगे और सरकार यद्यपि उस पुस्तक को जला दे, नष्ट कर दे, कुछ करे, परन्तु हम हमेशा के लिए इस इल्ज़ाम के नीचे आ जाएंगे असमर्थ होकर सरकार से कार्यवाही चाही और वह कार्य लिया जो क्रोध से पराजित और उत्तर से असमर्थ आ जाने वाले लोग किया करते हैं। हां उत्तर देने के पश्चात् हम सभ्यता और आदरपूर्वक अपनी सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष इस शैली को जो वर्तमान समय में अपनाई जाती है छोड़कर सभ्यता, आदर और नम्रता से बाहर न जाए। धार्मिक आज़ादी का दरवाज़ा किसी सीमा तक खुला रहना आवश्यक है ताकि धार्मिक विद्याएं तथा अध्यात्म ज्ञानों में लोग उन्नित करें और चूंकि इस संसार के बाद एक और संसार भी है जिसके लिए अभी से सामान चाहिए। इसलिए प्रत्येक धर्म पर बहस करे और इस प्रकार स्वयं तथा मानवजाति को परलोक की मुक्ति के बारे में जहां तक समझ सकता है अपनी बुद्धि के अनुसार लाभ पहुंचाए। इसलिए उच्च सरकार में हमारी इस समय यह विनती है जो अंजुमन हिमायत-ए-इस्लाम लाहौर ने इस बारे में सरकार को मेमोरियल भेजा है वह हमारे मशवरे और इजाज़त से नहीं लिखा गया अपितु कुछ जल्दबाज़ों ने जल्दी से यह साहस किया है जो वास्तव में एतराज़ योग्य है। हम कदापि नहीं चाहते कि हम तो उत्तर न दें और सरकार हमारे लिए ईसाई लोगों से कोई पूछताछ करे या उन पुस्तकों को नष्ट करे बल्कि जब हमारी ओर से शालीनता एवं विनम्रता पूर्वक उस पुस्तक का खण्डन प्रकाशित होगा तो वह किताब स्वयं अपनी मान्यता और महत्त्व से गिर जाएगी और इस प्रकार से वह स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि उस मेमोरियल की ओर जो कथित अंजुमन की तरफ से भेजा गया है उच्चतम सरकार अभी कुछ ध्यान न दे।★

★ हम दोबारा बयान करते हैं कि अंजुमन का यह मेमोरियल समय के पश्चात् है क्योंकि पुस्तक 'उम्महातुल मोमिनीन' के लेखक की ओर से जो हानि रोकने के योग्य थी, वह हमें पहुंच चुकी और पूरे तौर पर पंजाब हिन्दुस्तान में इस किताब का प्रकाशन हो गया इसलिए हम नहीं समझ सकते कि अब हम अपनी सरकार से क्या मांगे और वह क्या करे। इसी से।

क्योंकि अगर हम उच्चतम सरकार से यह लाभ उठाएं कि वे पुस्तकें नष्ट की जाएं या अन्य कोई प्रबंध हो तो उसके साथ हमें एक हानि भी सहन करनी पड़ती है कि हम इस स्थिति में इस्लाम धर्म को एक निराश्रय और कमज़ोर धर्म ठहराएंगे जो बुद्धिसंगत तौर पर प्रहार करने वालों का उत्तर नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त एक बड़ी हानि यह होगी कि अधिकतर लोगों के निकट यह बात अप्रिय और अनुचित समझी जाएगी कि सरकार के माध्यम से न्याय करवाने के बाद फिर कभी इस पुस्तक का खण्डन लिखना भी आरंभ कर दें, और उत्तर न लिखने की स्थिति में इस (पुस्तक) के व्यर्थ आरोप अज्ञानी लोगों की दृष्टि में अटल फैसले के समान समझे जाएंगे। और यह विचार किया जाएगा कि हमारे बस में यही था जो हम ने कर लिया। इस से हमारे धार्मिक सम्मान को इस से भी अधिक ठेस पहुंचती है जो विरोधी ने ग़ालियों से पहुंचाना चाहा है। स्पष्ट है कि जिस पुस्तक को हमने जानबूझ कर नष्ट कराया या रोका फिर उसी को सम्बोधित करके अपनी पुस्तक द्वारा फिर प्रकाशित करना अत्यन्त अनुचित और निरर्थक उपाय होगा। हम उच्चतम सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि हम पीड़ा से भरे दिल से उन समस्त गन्दे और कठोर शब्दों पर सब्र करते हैं जो 'उम्महातुल मोमिनीन' के लेखक ने प्रयोग किए हैं और हम उस लेखक और उसके समूह को किसी कानूनी पकड़ का लक्ष्य बनाना कदापि नहीं चाहते कि यह बात उन लोगों से बहुत ही दूर है कि जो मानवजाति की सच्ची सहानुभूति तथा सच्चे सुधार के जोश का दावा करते हैं।

यह बात भी सरकार की सेवा में प्रस्तुत करने योग्य है कि यद्यपि हमारी जमाअत कुछ बातों में दूसरे मुसलमानों से एक आंशिक मतभेद रखती है परन्तु इस मामले में किसी समझदार मुसलमान को मतभेद नहीं कि धार्मिक समर्थन के लिए हमें किसी जोश या उत्तेजना की शिक्षा नहीं दी गई अपितु हमारे लिए क़ुर्आन में यह आदेश है-

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (अलअन्कबूत-47)

और दूसरे स्थान पर यह आदेश है:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

(अन्नहल-126)

और इसके अर्थ ये हैं कि नेक और ऐसे तौर पर जो लाभप्रद हो ईसाइयों से तर्क-वितर्क करना चाहिए और युक्तिपूर्ण पद्धति तथा ऐसी नसीहत पूर्ण बातों का पाबन्द होना चाहिए जो उनको लाभप्रदान करे परन्तु यह पद्धति कि हम सरकार की सहायता से या नऊज़ुबिल्लाह स्वयं उत्तेजना व्यक्त करें हमारे वास्तविक उद्देश्य के लिए कदापि लाभप्रद नहीं है। ये संसारिक लड़ाई-झगड़ों के नमूने हैं और सच्चे मुसलमान तथा इस्लामी पद्धतियों के ज्ञानी इनको कदापि पसन्द नहीं करते। क्योंकि इन से वे परिणाम जो मानवजाति की हिदायत के लिए लाभप्रद हैं, पैदा नहीं हो सकते। अत: वर्तमान में अख़बार 'मुख़बिर दकन' में जो मुसलमानों का एक अख़बार है। माह अप्रैल के एक पर्चे में इसी बात पर बड़ा बल दिया गया है कि पुस्तक 'उम्महातुल मोमिनीन' के नष्ट करने या रोकने के लिए सरकार से हरगिज़ निवेदन नहीं करना चाहिए कि यह दूसरे रंग में अपने धर्म की कमज़ोरी का इक़रार है। जहां तक हमें पता है हम जानते हैं कि कथित अख़बार की इस राय का कोई विरोध नहीं हुआ, जिस से हम समझते हैं कि आम मुसलमानों की यही राय है कि इस पद्धति को जिस का उपरोक्त अंजुमन ने इरादा किया है कदापि न अपनाया जाए क्योंकि इसमें एक कण बराबर भी कोई वास्तविक तथा निश्चित लाभ नहीं है। जानकार मुसलमान इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पवित्र क़ुर्आन में अन्तिम युग के बारे में एक भविष्यवाणी है और उसके साथ अल्लाह तआला की ओर से वसीयत के तौर पर एक आदेश है जिसे छोड़ना सच्चे मुसलमानों का काम नहीं है और वह यह है -

لَتُبْلَوُنَّ فِیْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِیْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (आले इमारान-187)

अनुवाद यह है कि ख़ुदा तुम्हारे मालों और जानों पर आज़मायश भेज कर तुम्हारी परीक्षा लेगा और तुम अहले किताब और मुश्रिकों से बहुत सी दुख देने वाली बातें सुनोगे। अत: यदि तुम सब्र करोगे और स्वयं को प्रत्येक न करने वाली बात से बचाओगे तो ख़ुदा के नज़दीक दृढ़ संकल्प लोगों में से ठहरोगे। यह सूरह मदनी है

और यह उस युग के लिए मुसलमानों की वसीयत की गई है कि जब एक धार्मिक आज़ादी का युग होगा कि जो कुछ कोई गालियां देना चाहे वह दे सकेगा जैसा कि यह युग है। अत: कुछ सन्देह नहीं कि भविष्यवाणी इसी युग के लिए थी और इसी युग में पूरी हुई। कौन सिद्ध कर सकता है कि जो इस आयत में اَذًى كَثِيْرًا का शब्द एक महान मौखिक पीड़ा को दर्शाता है वह कभी किसी सदी में इस से पूर्व इस्लाम ने देखी है? इस सदी से पहले ईसाई धर्म की यह पद्धति नहीं थी कि इस्लाम पर गन्दे और अपवित्र प्रहार करे बल्कि अधिकतर उन के लेख और पुस्तकें अपने धर्म तक ही सीमित थीं। लगभग तेरहवीं सदी हिज्री से इस्लाम के बारे में गालियों का दरवाज़ा खुला, जिसके प्रथम प्रवर्तक हमारे देश में पादरी फन्डल साहिब थे। बहरहाल इस भविष्यवाणी में मुसलमानों को यह आदेश था कि जब तुम हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले वाक्यों से दुख दिए जाओ और गालियां सुनो तो उस समय सब्र करो। यह तुम्हारे लिए उत्तम होगा। अत: क़ुर्आन की भविष्यवाणी के अनुसार अवश्य था कि ऐसा युग भी आता कि एक पवित्र रसूल को जिसकी उम्मत से संसार का एक बड़ा भूभाग भरा हुआ है ईसाई क़ौम जैसे लोग जिन का सभ्यता का दावा था गालियां देते और उस महान नबी का नाम नऊज़ुबिल्लाह व्यभिचारी, डाकू, और चोर रखते और दुनिया का सबसे निष्कृट व्यक्ति रखते। निस्सन्देह यह उन लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि जो उस पवित्र रसूल के मार्ग में न्योछावर हैं और एक बुद्धिमान ईसाई भी महसूस कर सकता है कि जब उदाहरणतया ऐसी पुस्तक 'उम्महातुल मोमिनीन' में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह व्यभिचारी के नाम से पुकारा गया और गन्दे से गन्दे अपमानजनक शब्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रयोग किए गए और फिर जानबूझ कर उस पुस्तक ही हज़ार प्रतियां केवल दिलों को कष्ट देने के लिए सामान्य एवं विशेष मुसलमानों को पहुंचाई गईं। इस से कितने पीड़ादायक ज़ख़्म सामान्य मुसलमानों को पहुंचते होंगे और उनके दिलों की हालत क्या कुछ हुई होगी। यद्यपि गालियों में यह कुछ पहला ही लेख नहीं है अपितु पादरियों की ओर से ऐसे लेखों की करोड़ों तक नौबत पहुंच गई है, परन्तु दिल दुखाने का यह एक नया ढंग है कि अकारण अज्ञान और बेख़बर लोगों के घरों में ये पुस्तकें पहुंचाई गईं तथा

इसी कारण इस पुस्तक पर बहुत शोर भी उठा है। बावजूद इस बात के कि पादरी इमादुद्दीन और पादरी ठाकुरदास की पुस्तकें तथा नूर अफ़्शां के पच्चीस वर्ष के निरन्तर लेख कठोरता में इस से कुछ कम नहीं हैं। यह तो सब कुछ हुआ परन्तु हमें तो उपरोक्त आयत में यह सख्त आदेश दिया गया है कि जब हम ऐसी गालियों के वाक्य सुनें जिस से हमारे दिलों को दुख पहुंचे तो हम धैर्य से काम लें और कुछ सन्देह नहीं कि शीघ्रतापूर्ण अधिकारियों का इस ओर ध्यानाकर्षित करना भी एक प्रकार की बेसब्री है। इसलिए बुद्धिमान और दूरदर्शी मुसलमान इस ढंग को कदापि पसन्द नहीं करते कि उच्चतम सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए। हमें ख़ुदा तआला ने क़ुर्आन में यह भी शिक्षा दी है कि इस्लाम धर्म में ज़बरदस्ती और बल प्रयोग नहीं है जैसा कि वह फ़रमाता है: لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (धर्म के मामले में ज़बरदस्ती नहीं। अलबक़रह-257) और जैसा कि फ़रमाता है: اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ (तो क्या तू लोगों को मजबूर कर सकता है? यूनुस-100) परन्तु इस प्रकार के उपाय बल प्रयोग और ज़बरदस्ती में ही आते हैं जिस से इस्लाम जैसा पवित्र एवं तर्कसंगत धर्म बदनाम होता है।

इसलिए इस बारे में मैं और मेरी जमाअत और समस्त विद्वान और विचारक मुसलमानों में से इस बात पर सहमति रखते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन पुस्तक की व्यर्थ बातों का दण्ड यह नहीं है कि हम अपनी उपकारी सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए ध्यान दिलाएं। यद्यपि स्वयं दक्ष सरकार अपने कानूनों की दृष्टि से जो चाहे करे किन्तु हमारा केवल यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसे आरोपों का कि जो वास्तव में अत्यन्त मूर्खता अथवा धोखा देने के उद्देश्य से लगाए गए हैं भली भांति और सभ्यता के साथ उत्तर दें और पब्लिक को अपनी सच्चाई और आचरण का प्रकाश दिखाएं। इसी उद्देश्य के आधार पर यह मेमोरियल भेजा गया है और सम्पूर्ण जमाअत हमारे सम्मानित मुसलमानों की इसी पर सहमत है।

लेखक ख़ाकसार
मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियान
ज़िला गुरदासपुर 4 मई 1898 ई.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिलकरीम

हुसैन कामी रोम के सम्राट का दूत

अख़बार 15 मई 1897 ई. नाज़िमुल हिन्द लाहौर में जो एक शिया अख़बार है उपरोक्त शीर्षक राजदूत का एक पत्र छपा है जो बिल्कुल गन्दा और सभ्यता और इन्सानियत के विरुद्ध है और उसके शीर्षक में यह लिखा है कि राजदूत साहिब निरन्तर निवेदनों के पाश्चात् क़ादियान में गए और फिर अफ़सोस, मलिनता तथा दुखी दिल के साथ वापस आए। फिर यह एडीटर लिखता है कि यह सुना गया था कि राजदूत को क़ादियान इसलिए बुलाया था कि उनके हाथ पर तौबा करें, क्योंकि वह नायब हज़रत ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन है। इन बनाए हुए झूठों का इसके अतिरिक्त क्या उत्तर दें कि **झूठों पर ख़ुदा की लानत**। अल्लाह तआला इस बात पर गवाह है कि मुझे दुनियादारों तथा मनुफ़िकों की मुलाक़ात से इतनी खिन्नता और घृणा है जैसी कि गन्दगी से। मुझे न रोम के बादशाह की कुछ आवश्यकता है और न उसके किसी राजदूत की मुलाक़ात का शौक़ है। मेरे लिए एक बादशाह पर्याप्त है जो आकाश और पृथ्वी का वास्तविक बादशाह है और मैं आशा रखता हूं कि इस से पूर्व कि मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता पड़े इस संसार से चला जाऊं। आकाश की बादशाहत के आगे दुनिया की बादशाहत इतना भी महत्त्व नहीं रखती जैसा कि सूर्य के मुक़ाबले पर एक मरा हुआ कीड़ा। फिर जबकि हमारे बादशाह के आगे रोम का बादशाह भी तुच्छ है तो उसका राजदूत क्या चीज़ है।

मेरे निकट आदर्णीय, आज्ञापालन योग्य तथा कृतज्ञता योग्य अंग्रेज़ी सरकार है जिसकी छत्र-छाया में अमन के साथ मैं यह **आसमानी कार्रवाई** कर रहा हूं। तुर्की की सरकार आजकल अंधकार से भरी हुई है और वही कर्म दण्ड भुगत रहा है तथा कदापि संभव नहीं कि उस की छत्र छाया में रह कर हम किसी

सच्चाई को फैला सकें। कदाचित् बहुत से लोग इस वाक्य से नाराज़ होंगे परन्तु यही सच है। यही बातें हैं जो उपरोक्त सफ़ीर (राजदूत) के साथ एकान्त में की गई थीं जो सफ़ीर को बुरी लगीं। कथित सफ़ीर ने एकान्त की मुलाक़ात के लिए स्वयं निवेदन किया और यद्यपि मुझे उसकी प्रथम मुलाक़ात में ही दुनियादारी की दुर्गन्ध आई थी और मुनाफ़िकों जैसा ढंग दिखाई दिया था परन्तु शिष्टाचार ने मुझे उसके अतिथि होने के कारण अनुमति देने के लिए विवश किया। कथित व्यक्ति ने एकान्त की मुलाक़ात में रोम के बादशाह के लिए एक विशेष दुआ करने के लिए विनती की और यह भी चाहा कि भविष्य में उसके लिए जो कुछ आकाशीय प्रारब्ध से आने वाला है उस से वह सूचना पाए। मैंने उस से स्पष्ट कह दिया कि बादशाह के शासन की हालत अच्छी नहीं है और मैं कश्फ़ी तौर पर उसके राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों की हालत अच्छी नहीं देखता। मेरे निकट इन हालतों के साथ अंजाम अच्छा नहीं। यही वे बातें थीं जो सफ़ीर को अपने दुर्भाग्य से बहुत बुरी मालूम हुईं। मैंने कई संकेतों से इस बात पर भी बल दिया कि रोमी शासन ख़ुदा के नज़दीक कई बातों में दोषी है और ख़ुदा सच्चे, संयम, पवित्रता तथा मानवजाति की सहानुभूति को चाहता है और रोम की वर्तमान स्थिति बर्बादी को चाहती है। तौबा करो ताकि अच्छा फल पाओ, किन्तु मैं उसके दिल की ओर विचार कर रहा था कि वह इन बातों को बहुत ही बुरा मानता था और यह एक स्पष्ट तर्क इस बात पर है कि रोम के शासन के ये अच्छे दिन नहीं हैं और इसके बाद उस का गालियां देकर वापस जाना यह अतिरिक्त तर्क है कि पतन के लक्षण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मेरे मसीह मौऊद-व-महदी माहूद के दावे के बारे में भी कई बातें बीच में आईं मैंने उसे बार-बार समझाया कि मैं ख़ुदा की ओर से हूं और किसी **ख़ूनी मसीह और ख़ूनी महदी की प्रतीक्षा** करना जैसा कि सामान्य मुसलमानों का विचार है ये सब निरर्थक किस्से हैं। इसके साथ मैंने उस से यह भी कहा कि ख़ुदा ने यही इरादा किया है कि मुसलमानों में से जो मुझ से अलग रहेगा वह काटा जाएगा, बादशाह हो या बादशाह न हो। मैं सोचता हूं कि ये समस्त बातें उसे तीर के समान लगती थीं और मैंने अपनी ओर से नहीं

बल्कि जो कुछ ख़ुदा ने **इल्हाम** के द्वारा फ़रमाया था वही कहा था और फिर इन सब बातों के पश्चात् बर्तानिया सरकार की भी चर्चा आई और जैसा कि मेरी सदैव से आस्था है मैंने उसे बार-बार कहा कि हम इस सरकार से हार्दिक प्रेम रखते हैं तथा दिल से वफ़ादार और कृतज्ञ हैं क्योंकि इसकी छत्र-छाया में इतनी शान्ति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि किसी अन्य सरकार के अधीन कदापि आशा नहीं कि वह शान्ति प्राप्त हो सके। क्या मैं इस्तम्बोल में शान्तिपूर्वक इस दावे को फैला सकता हूं कि मैं मसीह मौऊद और महदी माहूद हूं और यह कि तलवार चलाने की सब रिवायतें झूठ हैं। क्या यह सुनकर उस स्थान के दरिन्दे मौलवी और क़ाज़ी आक्रमण नहीं करेंगे और क्या बादशाही व्यवस्था भी नहीं चाहेगी कि उनकी इच्छा को प्राथमिकता दी जाए। फिर मुझे रोम के बादशाह से क्या लाभ। इन सब बातों को कथित दूत ने आश्चर्य से सुना और हैरत से मेरा मुंह देखता था। यही कारण है कि वह अपने पत्र में जो नाज़िमुलहिन्द 15 मई 1897 ईं में छपा है। मेरा नाम नमरूद, शद्दाद और शैतान रखता है तथा मुझे झूठा, असत्यवादी और ख़ुदा के प्रकोप का पात्र ठहराता है, किन्तु यह उसका कठोर शब्द बोलना खेद का स्थान नहीं क्योंकि मनुष्य अंधे होने की स्थिति में सूर्य को भी अंधकारमय विचार कर सकता है। उसके लिए उचित था कि मेरे पास न आता, मेरे पास से ऐसे बुरे शब्दों के साथ वापस जाना उसका बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कुछ आवश्यकता न थी कि मैं उसकी बकवास की चर्चा करता। परन्तु उसने नेकी के बदले में प्रत्येक व्यक्ति के पास बुराई करना प्रारंभ किया और बटाला, अमृतसर तथा लाहौर में बहुत से लोगों के सम्मुख मेरे बारे में तथा मेरी जमाअत के बारे में दिल दुखाने वाली बातें कहीं कि जिनको एक सभ्य व्यक्ति मतभेद के बावजूद भी कभी जीभ पर नहीं ला सकता। खेद कि मैंने बहुत रुचि एवं इच्छा के पश्चात् रोम की सरकार का नमूना देखा तो यह देखा और मैं पुन: दर्शकों को इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि मुझे इस दूत की मुलाक़ात का लेशमात्र भी शौक़ न था बल्कि जब मैंने सुना कि मेरी लाहौर की जमाअत उस से मिली है तो मैंने बहुत अफ़सोस किया और उनकी ओर भर्त्सना (निन्दा) का पत्र लिखा कि यह

कार्रवाई मेरी इच्छा के विरुद्ध की गई। फिर अन्तत: दूत (सफ़ीर) ने लाहौर से एक विनयपूर्ण पत्र मेरी ओर लिखा कि मैं मिलना चाहता हूं। अत: मैंने उसके विनती करने पर उसे क़ादियान आने की अनुमति दी, परन्तु महा वैभवशाली ख़ुदा जानता है, जिस पर झूठ बांधना लानत का दाग़ खरीदना है कि उस अन्तर्यामी (आलिमुल ग़ैब) ने मुझे पहले से सूचना दे दी थी कि इस व्यक्ति के स्वभाव में फूट की अतिश्योक्ति है। अत: ऐसा ही प्रकट हुआ। अब मैं उपरोक्त दूत का विनयपूर्ण पत्र जो मेरी ओर आया था और फिर उसका दूसरा पत्र जो 'नाज़िमुल हिन्द' में छपा है नीचे लिखता हूं पाठकगण स्वयं पढ़ कर परिणाम निकाल लें। और हमारी जमाअत को चाहिए कि भविष्य में ऐसे लोगों से मिलने से पृथक रहें। आकाशीय सिलसिले से दुनिया प्रेम नहीं कर सकती।

विज्ञापनदाता

ख़ाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

नक़ल उस पत्र की जो सफ़ीर (दूत) ने लाहौर से हम से मुलाक़ात के निवेदन हेतु भेजा था

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

जनाब मोहतरम, महामान्य, गवेषियों के इमाम, ज्ञानियों के प्रधान, हज़रत पीर दस्तगीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद दाम: कराम: (आलह आपकी करामात को बढ़ाए)। आपके सुन्दर स्वभाव और प्रशंसनीय शिष्टाचार और फ़रिश्तों जैसे गुण, आपके मुबारक मुरीदों और आपकी महान और मुबारक तक़रीरों और रचनाओं से ज्ञात हुए। इसलिए ज्योति बिखेरने वाले अस्तित्व के दर्शन की उत्कंठा दीवानगी की हद तक दिल में पैदा हो गई। इन्शाअल्लाह लाहौर से अमृतसर के रास्ते महान रूहानी वजूद के चरणों में पहुँचूँगा और इस बारे में हुज़ूरे अनवर की सेवा में टेलीग्राफ़ भी करूँगा।

हुसैन कामी सफ़ीर (राजदूत)

बादशाह की **मोहर**

नक़ल उस पत्र की जो दूत की ओर से नाज़िमुल हिन्द 15 मई 1897 ई. में छपा है।

महान इमामों के इमाम और प्रतिष्ठितों★ के गौरव मौलाना सैयद मुहम्मद नाज़िर हुसैन साहिब (अल्लाह आपकी बरकतों को बढ़ाए और आप पर अपनी कृपा करे) की सेवा में मेरे सैयद व मौला, आप महोदय का पत्र मिला जो हमारे मान सम्मान का कारण हो, और सच यह है कि इस तरह से आपने हम पर अचानक बड़ा एहसान किया। आप पर क़ुर्बान जाऊँ कि आप ने क़ादियान और क़ादियानी के अजीबोग़रीब हालात के बारे में पूछा है। अब हम पूरे इत्मीनान् से नीचे आप महोदय की सेवा में बयान करते हैं कि यह अजीबो ग़रीब आदमी इस्लाम के सिराते मुस्क़ीम (सीधे रास्ते) से हटा हुआ और अलैहिम तथा ज़ाल्लीन (प्रकोपित तथा पथभ्रष्टों) के दायरे में क़दम रखता है और हज़रत ख़ातमुन्नबिय्यीन की मुहब्बत का धोखा देने का ढंग अपनाता है और अपनी झूठी सोच में नबुव्वत के दरवाज़ा को खुला समझता है और हज़ारों हँसी और ठट्ठे का पात्र है कि वह नबुव्वत और रिसालत में अन्तर को समझ गया है और ख़ुदा की पनाह, वह कहता है कि दुनिया के मालिक (ख़ुदा) ने रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को फ़ुर्क़ाने हमीद व क़ुर्आने मजीद की किसी जगह में भी ख़ातमुल मुर्सलीन का ख़िताब नहीं दिया और केवल ख़ातमुन्नबिय्यीन पर ही बस किया है। सारांश यह कि वह पहले ख़ुद को वली और मुल्हम कहता था उसके बाद मसीह मौऊद बन गया और फिर धीरे-धीरे केवल अपनी ही बात से महदी के बुलन्द मर्तबे पर पहुँच गया। ख़ुदा की पनाह, अपनी सोच में पैग़ाम को बुलन्द मुक़ाम तक पहुँचा दिया है। इस आधार पर हमारा बड़ा गुमान यही है कि यह तरक़्क़ी करते हुए पाँचवाँ क़दम दुष्ट नमरूद के तख़्त पर रखेगा और ख़ुदाई की टोपी अपने अहंकारी सिर पर रखेगा जो भ्रष्ट सोच की खान और विकृत मानसिकता एवं अनर्गल बातों की खदान है। और अजीब है कि किसी जादूबयान शायर ने इसी

★**नोट :** विचार करने योग्य है कि यह उपाधियाँ किस धर्म के व्यक्ति के लिए लिखीं हैं। इसी से

कमज़ोर अक़ीदे और कमज़ोर बुनियाद वाले के बारे में इससे कई साल पहले मानो भविष्यवाणी के तौर पर यह शैर अपने अद्‌भुत शैरों में कहा है :-

पहले साल मुतरिब हुआ   दूसरे साल ख़्वाजा बन गया
अगर क़िस्मत साथ दे तो   इस साल सैयद हो जाएगा

{अर्थात् पहले साल गवैया बना और दूसरे साल महात्मा। अगर क़िस्मत साथ दे तो इस साल सैयद (सरदार) हो जाएगा। अनुवादक}

सारांश यह कि इन बातों को रहने दें, उसको उसकी शैतानी पर छोड़ दें और हमें परेशानी में डालने से दूर ही रखें। प्रियवर, हमारा सलाम जनाब शरीअतमदार मौलवी अबूसईद मुहम्मद हुसैन साहिब, जनाब दारोग़ा अब्दुल ग़फ़ूर ख़ान साहिब को पहुँचा दें और अपने पाँव का साइज़ लेकर मुझे भिजवा दें ताकि राजधानी इस्ताम्बूल से उस साइज़ के मुताबिक मस्जिद के जूते ले लूँ और आपकी सेवा में पेश करके सेवा कर सकूँ।

लेखक हुसैन कामी

उपलब्ध पुस्तकों की मूल्य सहित सूची

आईना कमालात-ए-इस्लाम	
इज़ाला औहाम	
शहन-ए-हक़	6 आना
नूरुल क़ुर्आन भाग- I	4 आना
नूरुल क़ुर्आन भाग- II	8 आना
चार पुस्तकें अर्थात् अंजमा-ए-आथम, दावत-ए-क़ौम, ख़ुदा का फैसला, मक्तूब अरबी फारसी में अनुवाद सहित	12 आना
सत बचन, आर्य धर्म सहित	1 रु. 8 आना
अन्वारुल इस्लाम	4 आना
सिराजे मुनीर - ख़्वाजा ग़ुलाम फरीद साहिब गद्दी नशीन चाचड़ां शरीफ़ से पत्राचार सहित	4 आना

हुज्जतुल्लाह अरबी, उर्दू में अनुवाद सहित	8 आना
तुहफ़ा क़ैसरिया	2 आना
इस्तिफ़्ता	4 आना
बरकातुद्दुआ	2 आना
इतमामुल हुज्जत	3 आना
तुहफ़ा बग़दाद	2 आना
करामतुस्सादिक़ीन अर्थात् तफ़्सीर सूरह फ़ातिहा	1 रुपया
सिर्रुल ख़िलाफ़त	8 आना
नुरूल हक़ -2 आने बराहीन अहमदिया भाग IV	
दुर्रे समीन	3 आना
जंग-ए-मुक़द्दस	8 आना
(फ़स्लुल ख़िताब लिमुक़द्दमा अहलिल किताब, हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब)	1 रु से 8 आना
(तस्दीक बराहीन अहमदिया, हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब)	

ज़ियाउल इस्लाम प्रेम क़ादियान से 24 मई 1897 ई. को प्रकाशित

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नहमदुहू व नुसल्ली

क्या वह जो ख़ुदा की ओर से है, लोगों के अपशब्दों और घोर शत्रुता से नष्ट हो सकता है?

تا دل مرد خدا نامد بدرد

ہیچ قومے را خدا رسوا نکرد

(अनुवाद: जब तक किसी अल्लाह वाले व्यक्ति का दिल नहीं दुखाया जाता ख़ुदा किसी क़ौम को रुसवा नहीं करता। अनुवादक)

यह कुछ तक़दीर की बात है कि अशुभचिन्तक लोगों को अपनी गुप्त शत्रुता को प्रकट करने के लिए कोई न कोई बहाना हाथ आ जाता है। अत: आजकल

हमारे विरोधियों को गालियां देने के लिए यह नया बहाना हाथ लग गया है कि उन्होंने हमारे एक विज्ञापन के उल्टे अर्थ करके यह प्रसिद्ध कर दिया है कि मानो हम रोम के बादशाह और उसकी सरकार तथा राज्य के कट्टर विरोधी हैं और उसका पतन चाहते हैं और अंग्रेज़ों की सीमा से अधिक चापसूली करते हैं और अंग्रेज़ी सरकार के राज्य और प्रतिष्ठा के लिए दुआएं कर रहे हैं। मालूम होता है कि पंजाब और हिन्दुस्तान के अधिकतर भागों में कुछ झूठ से भरपूर विज्ञापनों और अख़बारों के माध्यम से यह विचार बहुत फैलाया गया है और लोगों को धोखा देने के लए हमारे विज्ञापन की कुछ इबारतें परिवर्तित करके लिखी गई हैं और इस प्रकार से मूर्खों के हृदयों को जोश दिलाने और उभारने के लिए कारवाई की गई है और हम यद्यपि षडयन्त्र करने वालों और झूठों का मुख तो बन्द नहीं कर सकते और न उनकी गालियों, अपशब्दों और डोमों के समान उपहास और ठट्ठे का मुकाबला कर सकते हैं, तथापि उचित मालूम होता है कि उनकी अन्यायपूर्ण गालियों को ख़ुदा तआला के स्वाभिमान के सुपुर्द करके उनके मुख्य उद्देश्य को जो धोखा देना है मूर्खों पर प्रभाव डालने से रोका जाए। अत: इसी उद्देश्य से यह विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।

प्रत्येक बुद्धिमान, भलामानस, नेक स्वभाव, मुसलमान जो अपनी सुशीलता से सच्ची बात को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है इस बात को ध्यानपूर्वक सुने कि हम किसी निम्न से निम्न स्तर के मुसलमान कलिमा पढ़ने वाले से भी बैर नहीं रखते कहां यह कि ऐसे व्यक्ति से बैर हो जिसकी छत्र-छाया में करोड़ों मुसलमान जीवन व्यतीत करते हैं और जिसकी सुरक्षा के तहत ख़ुदा तआला ने अपने पवित्र स्थानों को सुपुर्द कर रखा है। बादशाह की व्यक्तिगत स्थिति और उसके व्यक्तिगत मामलों के संबंध में न हमने कभी कोई बहस की और न अब है। अपितु वैभवशाली अल्लाह जानता है कि हमें इस वर्तमान बादशाह के बारे में उसके बाप-दादे की अपेक्षा अधिक सुधारणा है। हां हमने पूर्व विज्ञापनों में तुर्की की सरकार पर आन्तिरक तौर पर ख़राब कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और मंत्रियों की दृष्टिगत रखकर न कि बादशाह के व्यक्तिगत मामलों को दृष्टि से अवश्य कुछ ख़ुदा द्वारा प्रदत्त प्रकाश,

विवेक तथा इल्हाम की प्रेरणा से जो हमें प्रदान किया गया है कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो स्वयं उनके अर्थ के भयानक प्रभाव से हमारे हृदय पर एक विचित्र दर्द और पीड़ा छा जाती है। अत: हमारा वह लेख जैसा कि गन्दे विचार रखने वाले समझते हैं किसी अहंकार के आवेग पर आधारित न था अपितु उस प्रकाश के झरने से निकला था जो ख़ुदा की रहमत (दया) ने हमें दिया है। यदि हमारे संकीर्ण विरोधी कुधारणा पर नतमस्तक न होते तो बादशाह की वास्तविक शुभ चिन्ता इसमें न थी कि वे... गालियों पर कटिबद्ध होते अपितु चाहिए था कि आयत: لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ (अर्थात उस बात का अनुसरण मत कर जिसका तुझे ज्ञान नहीं। बनी इस्राईल-37) पर अमल करके तथा आयत: اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (अर्थात निश्चय ही कुछ विषयों में कुधारणा पाप हैं। अलहुजुरात-13) को याद करके बादशाह की भलाई इसमें देखते कि उसके लिए सच्चे हृदय से दुआ करते। मेरे विज्ञापन का इसके अतिरिक्त क्या मतलब था कि रोमी लोग संयम एवं पवित्रता धारण करें, क्योंकि आकाशीय प्रारब्ध और आकाशीय अज़ाब को रोकने के लिए संयम और तौबा और शुभ कर्मों जैसी और कोई वस्तु सुदृढ़ नहीं। परन्तु बादशाह के मुर्ख शुभ चिन्तकों ने इसकी बजाए मुझे गालियां देनी आरंभ कर दीं तथा कुछ ने कहा कि क्या सारे पाप बादशाह पर टूट पड़े और यूरोप पवित्र और उज्जवल है जिसके अज़ाब के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती। परन्तु वे मूर्ख नहीं समझते कि ख़ुदा का नियम इसी प्रकार से जारी है कि काफ़िरों के दुराचार, मूर्तिपूजा और मानव पूजा का दण्ड देने के लिए ख़ुदा तआला ने यह दूसरा लोक रखा हुआ है जो मरने के पश्चात् आएगा। और ऐसी क़ौमों को जो ख़ुदा पर ईमान नहीं रखतीं इसी संसार में अज़ाब का पात्र बनाना ख़ुदा तआला की आदत नहीं है सिवाए इस के कि वे लोग अपने पाप में सीमा से बाहर निकल जाएं और ख़ुदा की दृष्टि में कट्टर अत्याचारी, दुष्ट और उपद्रवी ठहर जाएं। जैसा कि नूह की क़ौम, लूत और फ़िरऔन इत्यादि उपद्रवी क़ौमें निरन्तर धृष्टता कर के सज़ा की पात्र हो गई थीं। लेकिन ख़ुदा तआला मुसलमानों के धृष्टता के दण्ड को दूसरे लोक पर नहीं छोड़ता अपितु मुसलमानों को छोटे से छोटे दोष के समय इसी संसार में सर्तक किया जाता है क्योंकि वह ख़ुदा तआला के सामने उन बच्चों

के समान हैं जिनकी मां हरदम डांट-डपट कर उन्हें शिष्टाचार सिखाती है और ख़ुदा तआला अपने प्रेम से चाहता है कि वह इस अस्थायी संसार से पवित्र होकर जाएं। यही बातें थी कि मैंने नेक नीयत के साथ रोम के राजदूत पर व्यक्त की थीं परन्तु खेद कि मूर्ख मुसलमानों ने उन बातों को और तरफ खींच लिया। इन मूर्खों का उदाहरण ऐसा है कि जैसे एक दक्ष डॉक्टर जो रोगों की पहचान और अनिष्ट से बचने के लिए पहले से किया जाने वाले उपायों को भली भांति जानता है। वह किसी व्यक्ति के बारे में बड़ी नेक नीयत के साथ यह राय व्यक्त करे कि उसके पेट में एक प्रकार की रसौली ने बढ़ना आरंभ कर दिया है और यदि अभी वह रसौली काटी न जाए तो एक समय के बाद उस व्यक्ति का जीवन उसके लिए जंजाल बन जाएगा। तब उस रोगी के वारिस इस बात को सुनकर उस डॉक्टर पर बहुत नाराज़ हों और उस डॉक्टर को क़त्ल करने पर तत्पर हो जाएं, परन्तु रसौली की कुछ भी चिन्ता न करे यहां तक कि वह रसौली बढ़े, फूले और सारे पेट में फैल जाए और उस बेचारे रोगी के जीवन का अन्त हो जाए। अत: यही उदाहरण उन लोगों का है जो अपनी समझ में बादशाह के शुभ चिन्तक कहलाते हैं।

फिर यह भी विचार करो कि जिस हालत में मैं वह व्यक्ति हूं जो उस मसीह मौऊद होने का दावा रखता हूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमा दिया है कि वह तुम्हारा इमाम और ख़लीफ़ा है और उस पर ख़ुदा और उसके नबी का सलाम है और उसका शत्रु लानती और उसका मित्र ख़ुदा का मित्र है और वह समस्त संसार के लिए हकम (निर्णायक) होकर आएगा और अपने समस्त कथन और कर्म में न्याय करने वाला होगा। तो क्या यह संयम का मार्ग था कि मेरे दावे को सुनकर और मेरे निशानों को देखकर और मेरे सबूतों का अवलोकन करके मुझे यह हौसला देते कि गन्दी गालियां और हंसी ठट्ठे का व्यवहार करते? क्या निशान प्रकट नहीं हुए? क्या आकाशीय समर्थन प्रकटन में नहीं आए? क्या इन सब समयों तथा मौसमों का पता नहीं लग गया जो हदीसों और रिवायतों में वर्णन किए गए थे? तो फिर इतनी धृष्टता क्यों दिखाई गई? हां यदि मेरे दावे में अब भी सन्देह था या मेरे तर्कों तथा निशानों में कुछ संशय था तो

विनम्रता और नेक नीयत तथा ख़ुदा से डरते हुए उस सन्देह को दूर कराया होता, परन्तु उन्होंने अनुसंधान तथा जांच-पड़ताल की बजाए इतनी गालियां और लानतें भेजीं कि शियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या यह संभव न था कि जो कुछ मैंने रोम की सरकार की आन्तरिक व्यवस्था के संबंध में वर्णन किया वह वास्तव में सही हो और तुर्की सरकार के भीतर ऐसे धागे भी हो जो समय पर टूटने वाले और विद्रोही स्वभाव प्रकट करने वाले हों।

फिर इसके अतिरिक्त मेरे विरोधी अपने हृदयों में स्वयं ही विचार करें कि यदि मैं वास्तव में वही मसीह मौऊद हूं जिसको आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक बाज़ू ठहाराया है और जिसे सलाम भेजा है और जिसका नाम हकम और अदल, इमाम और अल्लाह का ख़लीफ़ा रखा है तो क्या ऐसे व्यक्ति पर एक मामूली बादशाह के लिए लानतें भेजना उसे गालियां देना वैध था? तनिक अपने जोश को थाम कर सोचें न मेरे लिए अपितु अल्लाह और रसूल के लिए कि क्या ऐसे दावेदार के साथ ऐसा करना उचित था? मैं अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मुक़द्दमा तुम सबके साथ आकाश पर है। यदि मैं वही हूं जिसका वादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र होठों ने किया था तो तुम ने न मेरा बल्कि ख़ुदा का गुनाह किया है। और यदि पहले से सहीह हदीसों में यह न आया होता कि उसे दु:ख दिया जाएगा और उस पर लानतें भेजी जाएंगी तो तुम लोगों की **मजाल** न थी कि तुम मुझे वह दु:ख देते जो तुम ने दिया। परन्तु अवश्य था वे सब लिखे हुए पूरे हों जो ख़ुदा की ओर से लिखे गए थे और अब तक तुम्हें दोषी करने के लिए तुम्हारी पुस्तकों में मौजूद हैं, जिन को तुम जीभ से पढ़ते और फिर झुठलाकर और लानत डालकर मुहर लगा देते हो कि वे बुरे उलेमा तथा उनके मित्र जो महदी को झूठा कहेंगे और मसीह से मुक़ाबले का व्यवहार करेंगे **वह तुम ही हो**।

मैंने बार-बार कहा कि आओ अपने सन्देह मिटा लो परन्तु कोई नहीं आया। मैंने फैसले के लिए प्रत्येक को बुलाया, परन्तु किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो और रो-रोकर ख़ुदा तआला से चाहो कि वह तुम पर वास्तविकता खोले, परन्तु तुम ने कुछ न किया और झुठलाने से भी नहीं

रुके। ख़ुदा ने मेरे बारे में सच कहा कि **"दुनिया में एक नज़ीर (सर्तक करने वाला) आया पर दुनिया ने उसे स्वीकार न किया लेकिन ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा और बड़े शक्तिशाली आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट कर देगा।"**

क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति वास्तव में सच्चा हो और नष्ट किया जाए? क्या यह हो सकता है कि एक व्यक्ति ख़ुदा की ओर से हो और बरबाद हो जाए? अतः हे लोगो! तुम ख़ुदा से मत लड़ो। यह वह काम है जो ख़ुदा तुम्हारे लिए और तुम्हारे ईमान के लिए करना चाहता है उसमें रोक मत बनो। यदि तुम बिजली के सामने खड़े हो सकते हो किन्तु ख़ुदा के सामने तुम्हें कदापि शक्ति नहीं। यदि यह कारोबार मनुष्य की ओर से होता तो तुम्हारे आक्रमणों की कुछ भी आवश्यकता न थी ख़ुदा उसे मिटाने के लिए स्वयं पर्याप्त था। खेद कि आकाश गवाही दे रहा है और तुम नहीं सुनते और पृथ्वी **ज़रूरत, ज़रूरत** वर्णन कर रही है और तुम नहीं देखते! हे अभागी क़ौम! उठ और देख कि इस संकट के समय में कि इस्लाम पैरों तले कुचला गया और अपराधियों की भांति अपमानित किया गया। वह झूठों में गिना गया, वह अपवित्रों में लिखा गया। तो क्या ख़ुदा का स्वाभिमान (ग़ैरत) ऐसे समय में जोश न मारता। **अब समझ** कि आसमान "झुकता चला आ रहा है और वे दिन निकट हैं कि प्रत्येक कान को "اَنَاالْمَوْجُوْد" (अर्थात मैं उपस्थित हूं) की आवाज़ आए।"

हमने काफ़िरों से बहुत कुछ देखा अब ख़ुदा भी कुछ दिखाना चाहता है। अतः अब तुम जान बूझ कर स्वयं को प्रकोप का भाजन न बनाओ। क्या सदी का सिर (प्रारंभ) तुम ने नहीं देखा? जिस पर चौदह वर्ष और भी गुज़र गए। क्या रमज़ान में सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हुआ? क्या पुच्छल तारे के उदय होने की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? क्या तुम्हें उस भयावह भूकंप की कुछ सूचना नहीं जो भविष्यवाणी के अनुसार इन्हीं दिनों में प्रदर्शित हुआ और बहुत सी बस्तियों को नष्ट कर गया। और ख़बर दी गई थी कि उसी के समान मसीह भी आएगा? क्या तुमने आथम के बारे में वह निशान नहीं देखा जो हमारे सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ललम की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुआ जिसकी खबर सत्रह वर्ष पूर्व पुस्तक बराहीन अहमदिया में दी

गई थी? क्या लेखराम के बारे में भविष्यवाणी तुम ने अब तक नहीं सुनी? क्या कभी इस से किसी ने देखा था कि पहलवानों की कुश्ती की तरह मुकाबला करके और लाखों लोगों में ख्याति पाकर और सैकड़ों विज्ञापनों और पुस्तकों में छप कर ऐसा खुला-खुला निशान प्रकट हुआ हो जैसा कि लेखराम के बारे में प्रकट हुआ? क्या तुम्हे उस ख़ुदा से कुछ भी शर्म नहीं आती जिसने तुम्हारी तेरहवीं सदी के शोक एवं आघात देख कर चौदहवीं सदी के आते ही तुम्हारा समर्थन किया? क्या आवश्यक न था कि ख़ुदा के वादे यथा समय पूरे होते? बताओ कि इन सब निशानों को देखकर फिर तुम्हें क्या हो गया? किसी चीज़ ने तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दी? हे टेढ़े हृदयों वाली क़ौम, ख़ुदा तेरी प्रत्येक तसल्ली (सन्तुष्टि) कर सकता है यदि तेरे हृदय में सफ़ाई हो। ख़ुदा तुझे खींच सकता है यदि तू खींचे जाने के लिए तैयार हो। देखो यह कैसा समय है, कैसी आवश्यकताएं हैं जो इस्लाम के सामने आ गईं। क्या तुम्हारा हृदय गवाही नहीं देता कि यह समय ख़ुदा की दया का समय है? आकाश पर लोगों के मार्ग दर्शन के लिए एक जोश है और तौहीद (एकेश्वरवाद) का मुक़द्दमा हज़रत अहदियत (ख़ुदा तआला) के समक्ष प्रस्तुत है परन्तु इस युग के अंधे अब तक बेख़बर हैं। आकाशीय सिलसिले का उनकी दृष्टि में कुछ भी सम्मान नहीं। काश उनकी आंखें खुलें और देखें कि किस-किस प्रकार के निशान उतर रहे हैं और आकाशीय समर्थन हो रहा है और प्रकाश फैलता जाता है। मुबारक वह जो उसको पाते हैं।

अफ़सोस कि अख़बार चौदहवीं सदी 15 जून 1897 ई. में भी बहुत सी जज़ा फ़ज़ा के साथ रोम के बादशाह का बहाना रखकर अत्यन्त अन्यायपूर्वक अपमान, तिरस्कार तथा उपहास मुझसे किया गया है और गन्द तथा अपवित्र और सख़्त धोखा देने वाले शब्द प्रयोग किए गए हैं। और सर्वथा उपद्रव पूर्ण झूठ से काम लिया गया है। किन्तु कुछ आवश्यक नहीं कि मैं उसके खण्डन में समय नष्ट करूं। क्योंकि वह देख रहा है जिसके हाथ में हिसाब है परन्तु एक विचित्र बात है जिसका इस समय वर्णन करना अत्यावश्यक है और वह यह कि जब यह अखबार चौदहवीं सदी मेरे सामने पढ़ा गया तो मेरी रूह ने उस स्थान पर बद-दुआ के लिए

हरकत की, जहां लिखा है कि एक बुज़ुर्ग ने जब यह विज्ञापन (अर्थात् इस ख़ाकसार का विज्ञापन) पढ़ा तो सहसा उन के मुख से यह शेर निकल गया -

چوں خدا خواہد کہ پردئہ کس دَرَد
میلش اندر طعنۂ پاکاں برد

(अनुवाद - जब ख़ुदा चाहता है कि किसी के आन्तरिक दोषों को दुनिया के सामने खोले तो उस को पवित्र लोगों पर व्यंग करने की ओर फेर देता है। अनुवादक)

मैंने उस अपनी रूह की हरकत को बहुत रोका और दबाया और बार-बार कोशिश की कि यह बात मेरी रूह में से निकल जाए परन्तु वह निकल न सकी। तब मैंने समझा कि वह ख़ुदा की ओर से है। तब मैंने उस व्यक्ति के बारे में दुआ की जिसको बुज़ुर्ग के शब्द से अखबार में लिखा गया है और मैं जानता हूं कि वह दुआ **स्वीकार हो गयी**। और वह दुआ यह है कि: हे मेरे ख़ुदा यदि तू जानता है कि मैं कज़्ज़ाब (महा झूठा) हूं और तेरी ओर से नहीं हूं और जैसा कि मेरे बारे में कहा गया है लानती और धिक्कारा हुआ हूं और झूठा हूं तथा मेरा तुझ से और तेरा मुझ से संबंध नहीं तो मैं तेरे दरबार में विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मुझे मार दे और यदि तू जानता है कि मैं तेरी ओर से हूं और तेरा भेजा हुआ हूं और मसीह मौऊद हूं तो उस व्यक्ति के **पर्दे फाड़ दे** जो बुज़ुर्गी के नाम से इस अखबार में लिखा गया है। परन्तु यदि वह इस अवधि में क़ादियान में आकर सार्वजनिक तौर पर तौबा करे तो उसे क्षमा कर कि तू दयालु और कृपालु है।

यह दुआ है जो मैंने उस बुज़ुर्ग के पक्ष में की, परन्तु मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह बुज़ुर्ग कौन है और कहां रहते हैं तथा किस धर्म एवं जाति के हैं जिन्होंने मुझे कज़्ज़ाब ठहरा कर मेरे दोषों को प्रकट करने की भविष्यवाणी की और न मुझे जानने की कुछ आवश्यकता है। किन्तु इस व्यक्ति के इस वाक्य से मेरे हृदय को कष्ट पहुंचा और एक जोश पैदा हुआ तब मैंने दुआ कर दी और 1 जुलाई 1897 ई. से **1 जुलाई 1898 ई. तक इस का फैसला ख़ुदा तआला से मांगा।**

इस दुआ में कदाचित् एक यह भी हिकमत होगी कि चूंकि आजकल

मुसलमानों के दुष्चक्र से इस्लाम में एक नेचरी (नास्तिक) फ़िर्क़ा पैदा हो गया है। ये लोग दुआ की स्वीकारिता के इन्कारी और उस श्रेष्ठतम अस्तित्व की असीम-कुदरत के इन्कारी हैं जो अद्‌भुत कार्य दिखलाता और अपने बन्दों की दुआएं स्वीकार कर लेता है मानो आधे नास्तिक हैं। इसलिए ख़ुदा तआला ने चाहा कि उनको पुन: एक दुआ की स्वीकारिता का नमूना दिखाए, जिसका बरकातुद्दुआ के एक कश्फ़ में वादा भी हो चुका है और मेरे सत्य और असत्य के लिए यह एक निशान होगा। यदि मैं ख़ुदा तआला की दृष्टि में वास्तव में ऐसा ही अपमानित और दज्जाल और कज़्ज़ाब हूं जो उस बुज़ुर्ग ने समझा है तो मेरी दुआ निष्फल जाएगी और ईस्वी वर्ष गुज़रने के पश्चात् मेरा अपमान प्रकट होगा और ऐसी बदनामी मुझे उठानी पड़ेगी जिस का कभी पतन नहीं होता। मैं इस बात का इक़रार करता हूं कि किसी के धर्मात्मा (ब्रह्मज्ञानी) होने में उसकी दुआ का स्वीकार होना शर्त है। प्रत्येक वली वाकसिद्ध★ होता है और उसको वह अवस्था प्राप्त हो जाती है जो दुआ के स्वीकार होने के लिए आवश्यक है। हां जब कभी वह अवस्था प्राप्त न हो तब दुआ का स्वीकार होना आवश्यक नहीं। वह अवस्था यह है कि किसी के संबंध में अच्छी दुआ या बुरी दुआ के लिए ख़ुदा के भक्त का हृदय झरने की भांति सहसा फूटता है और तुरन्त एक प्रकाश का शोला आकाश से गिरता और उसके अन्दर समा जाता है। ऐसे समय में जब दुआ की जाती है तो अवश्य स्वीकार हो जाती है। अत: यही समय मुझे उस बुज़ुर्ग के लिए प्राप्त हुआ। मैं उन लोगों के प्रतिदिन के झुठलाने, लानत तथा उपहासों को देखने से थक गया। मेरी रूह अब ख़ुदा के दरबार में रो-रो कर फैसला चाहती है। यदि मैं वास्तव में ख़ुदा तआला की दृष्टि में धिक्कारा हुआ और अपमानित हूं जैसा कि इन लोगों ने समझा तो मैं स्वयं ऐसा जीवन नहीं चाहता जो लानती जीवन हो। यदि मुझ पर आकाश से भी लानत है जैसा कि पृथ्वी से लानत है तो मेरी रूह ऊपर की लानत को सहन नहीं कर सकती। यदि मैं सच्चा हूं तो उस बुज़ुर्ग का ख़ुदा तआला से ऐसे तौर पर भांडाफोड़ चाहता

★वाकसिद्ध अर्थात् मुस्तजाबुद्दावात- जिसकी हर बात ख़ुदा के यहां स्वीकार हो जाए। (अनुवादक)

हूं जो बतौर निशान हो और जिससे सच्चाई को सहायता प्राप्त हो, अन्यथा लानती जीवन से मेरी मृत्यु उत्तम है। मेरे सच्चे या झूठे होने का यह अन्तिम मापदण्ड है जिसे मुंह बोलता फैसला समझना चाहिए। मैं ख़ुदा से दोनों हाथ उठा कर दुआ करता हूं कि यदि मैं उसकी दृष्टि में प्रिय हूं तो वह उस बुज़ुर्ग का ऐसे तौर पर पर्दाफ़ाश करे जो अब तक किसी की कल्पना तक में न हो। मैं जानता हूं कि मेरा ख़ुदा समर्थ और प्रत्येक शक्ति का मालिक है। वह उनके लिए जो उसके होते हैं बड़े-बड़े चमत्कार दिखाता है।

चौदहवीं सदी के एडीटर की जितनी धृष्टता है उस बुज़ुर्ग के समर्थन से है और इस के सम्पूर्ण अपमान एवं तिरस्कारपूर्ण लेख उसी बुज़ुर्ग की गर्दन पर हैं। वह हंसी से लिखता है कि "मैं विरोध से न काटा जाऊं।" ख़ुदा से हंसी करना किसी नेक मनुष्य का कार्य नहीं। मनुष्य हर समय उसकी पकड़ में है।

अंग्रेज़ी सरकार के शुभचिन्तन के बारे में मुझ पर जो प्रहार किया गया है यह प्रहार भी मात्र शरारत है। रोम के बादशाह के अधिकार अपने स्थान पर हैं परन्तु इस सरकार के अधिकार भी हमारे ऊपर प्रमाणित हैं और कृतघ्नता एक बेईमानी का प्रकार है। हे मूर्खो! अंग्रेज़ी सरकार की प्रशंसा तुम्हारी तरह मेरी क़लम से मुनाफ़िकाना नहीं निकलती कि मुख पर कुछ हो और हृदय में कुछ और। अपितु मैं अपनी आस्था और विश्वास से जानता हूं कि वास्तव में ख़ुदा तआला की कृपा से इस सरकार की शरण हमारे लिए माध्यम के तौर ख़ुदा तआला की शरण है। इस से अधिक इस सरकार के शान्तिपूर्ण सरकार होने का मेरे निकट और क्या सबूत हो सकता है कि ख़ुदा तआला ने यह पवित्र सिलसिला इसी सरकार के अधीन रखा है। मेरे निकट वे लोग बहुत कृतघ्न हैं जो अंग्रेज़ अधिकारियों के सामने उनकी चापलूसी करते हैं। उनके आगे गिरते हैं और फिर घर में आकर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सरकार का धन्यवाद करता है वह काफ़िर है। स्मरण रखो और भली भांति स्मरण रखो कि हमारी यह कारवाई जो इस सरकार के बारे में की जाती है दोगले लोगों जैसी नहीं है। **(और ऐसे दोगले लोगों पर ख़ुदा की लानत।)** अपितु हमारी यही आस्था है जो हमारे हृदय में है।

कथित बुज़ुर्ग जिसने हमारा पर्दाफ़ाश करने के लिए भविष्यवाणी की इस बात को याद रखें कि हमारी तरफ़ से इसमें कुछ अधिकता नहीं। उन्होंने पेशगोई की और हम ने बद-दुआ की। भविष्य में हमारा और उन का ख़ुदा तआला के दरबार में फैसला है। यदि उन की राय सच्ची है तो उनकी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी और यदि ख़ुदा के दरबार में इस ख़ाकसार का कुछ सम्मान है तो मेरी दुआ स्वीकार हो जाएगी। तथापि मैंने इस दुआ में यह शर्त रख ली है कि यदि कथित बुज़ुर्ग क़ादियान आकर अपनी धृष्टता से एक जमावड़े में तौबा करें तो ख़ुदा तआला उनकी यह हरकत क्षमा करे अन्यथा अब यह महान मुक़द्दमा मुझ में और उस बुज़ुर्ग में दायर हो गया है। अब वास्तव में जो दुष्चरित्र है वही दुष्चरित्र होगा। इस बुज़ुर्ग को रोम के एक सांसारिक शासक के लिए जोश आया और ख़ुदा के स्थापित किए हुए सिलसिले पर थूका और उसके भेजे हुए को अपवित्र ठहराया। हालांकि बादशाह के बारे में मैंने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला था, केवल उसके कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया था और या उसकी सरकार के बारे में जिससे प्रमुख पदाधिकारियों का समूह अभिप्राय है इलहामी ख़बर थी, बादशाह के व्यक्तित्व की कुछ चर्चा न थी, किन्तु फिर भी इस बुज़ुर्ग ने मेरे बारे में वह शेर पढ़ा कि शायद मस्नवी के स्वर्गीय लेखक ने नमरूद और शद्दाद, अबूजहल और अबू लहब के बारे में बनाया होगा और यदि मैं बादशाह के बारे में कुछ आलोचना भी करता तब भी मेरा अधिकार था क्योंकि इस्लामी जगत के लिए मुझे ख़ुदा ने हाकिम (निर्णायक) बनाकर भेजा है जिसमें बादशाह भी सम्मिलित है और यदि बादशाह सौभाग्यशाली हो तो यह उस का सौभाग्य है कि मेरी आलोचना पर नेक नीयत के साथ ध्यान दे और अपने देश के सुधारों की ओर परिश्रम और प्रयास के साथ व्यस्त हो। यह कहना कि ऐसी चर्चा से कि पृथ्वी की सरकारें मेरे निकट एक गन्दगी के समान हैं इस में बादशाह का बहुत निरादर हुआ है यह एक दूसरी मूर्खता है। निस्सन्देह संसार ख़ुदा की दृष्टि में मुर्दार (निर्जीव) की भांति है और ख़ुदा के अभिलाषी संसार को कदापि सम्मान नहीं देते। यह

एक असाध्य बात है जो आध्यात्मिक लोगों के हृदयों में पैदा की जाती है कि वह सच्ची बादशाहत आकाश की बादशाहत समझते हैं तथा किसी अन्य के आगे सज्दा नहीं कर सकते। यद्यपि हम प्रत्येक इनाम देने वाले का धन्यवाद करेंगे। सहानुभूति के बदले में सहानुभूति दिखाएंगे। अपने उपकारी के पक्ष में दुआ करेंगे। न्यायवान बादशाह की ख़ुदा तआला से सुरक्षा चाहेंगे यद्यपि वह हमारी क़ौम का न हो परन्तु किसी घटिया श्रेष्ठता और बादशाहत को अपने लिए मूर्ति नहीं बनाएंगे। हमारे प्यारे रसूल सय्यदुल क़ायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि:

اِذَا وقع العَبْد فی اُلھانیّۃ الرب و مھیمنیّۃ الصِدِّیقین و رھبانیّۃ
الابرار لَم یَجد احدًا یَأْخُذُ بِقَلْبِہٖ

अर्थात् जब किसी बन्दे के हृदय में ख़ुदा तआला की श्रेष्ठता और उसका प्रेम बैठ जाता है और ख़ुदा उस पर व्याप्त हो जाता है जैसा कि वह सत्यनिष्ठों पर व्याप्त होता है और अपनी दया और अपनी विशेष कृपा के अन्दर उसको अन्य के संबंधों से छुड़ा देता है तो ऐसा बन्दा किसी को ऐसा नहीं पाता कि अपनी श्रेष्ठता या प्रतिष्ठा या विशेषता के साथ उस के हृदय को पकड़ ले, क्योंकि उस पर सिद्ध हो जाता है कि सम्पूर्ण श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा तथा विशेषता ख़ुदा में ही है। अत: किसी की श्रेष्ठता, प्रताप और शक्ति उसे आश्चर्य में नहीं डालती और न अपनी ओर झुका सकती है। अत: उसको दूसरों पर केवल दया शेष रह जाती है चाहे बादशाह हों या महान सम्राट। क्योंकि उसे उन वस्तुओं का लाभ शेष नहीं रहता जो उनके हाथ में हैं, जिसने उस वास्तविक सम्राट के दरबार में बार-बार पाया, जिसके हाथ में आकाशों और पृथ्वी की सत्ता है फिर नश्वर और झूठी बादशाहत की श्रेष्ठता उसके हृदय में क्योंकर बैठ सके? मैं जो उस शक्तिशाली स्वामी को पहचानता हूं तो अब मेरी रूह उसे छोड़ कर कहां और किधर जाए? यह रूह तो हर समय यही जोश मार रही है कि हे प्रतापी बादशाह, अमर शासन के स्वामी सब देश और सत्ता तेरे लिए ही मान्य

है। तेरे अतिरिक्त सब असहाय बन्दे हैं अपितु कुछ भी नहीं।

آن کس کہ بتو رسد شہانرا چہ کند
با فرّ تو فرّ خسروان را چ کند

(अनुवाद - जिस व्यक्ति की तुझ तक पहुंच है, वह राजाओं को क्या समझे और तेरी शान की तुलना में राजाओं की शान को क्या जाने? अनुवादक)

چون بندہ شناخت بدان عزّوجلال
بعد از تو جلال دیگران را چہ کند

(अनुवाद - जब दास तेरी महानता और महिमा को पहचान ले, तब वह तेरे सिवा औरों की महिमा को क्या समझे? अनुवादक)

دیوانہ کنی ہر دوجہانش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہان را چہ کند

(अनुवाद - अपना दीवाना बनाकर तू उसे दोनों लोक प्रदान कर देता है, परन्तु जो तेरा दीवाना है वह दोनों लोकों का क्या करे? अनुवादक)

लेखक

मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियान

25 जून 1897 ई.

प्रकाशन ज़ियाउल इस्लाम प्रैस क़ादियान

यह वह प्रार्थना पत्र है जिसका अनुवाद अंग्रेज़ी में जनाब नवाब लेफ्टीनेन्ट गर्वनर बहादुर की सेवा में रवाना किया गया है:
{आशान्वित हूं कि इस निवेदन को जो मेरी तथा मेरी जमाअत की परिस्थितियों पर आधारित है ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए}

नवाब लेफ्टीनेन्ट गवर्नर बहादुर आपका प्रताप हमेशा रहे

चूंकि मुसलमानों का एक नया फ़िर्क़ा (समुदाय) जिसका पेशवा और इमाम तथा पीर यह लेखक है। पंजाब और हिन्दुस्तान के अधिकतर शहरों में तीव्रतापूर्वक फैलता जाता है और बड़े-बड़े शिक्षित सभ्य और प्रतिष्ठित पदाधिकारी और बड़े कीर्तिमान रईस एवं व्यापारी पंजाब और हिन्दुस्तान के इस फ़िर्क़े में दाखिल होते जाते हैं और सामान्यत: पंजाब के शरीफ़ मुसलमानों के नवीन शिक्षा प्राप्त जैसे बी.ए. तथा एम.ए. इस फ़िर्क़े में दाख़िल हैं और दाखिल हो रहे हैं और यह एक बड़ा गिरोह (समूह) हो गया है जो इस देश में दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। इसलिए मैंने हित में देखा कि इस नवीन फ़िर्क़े तथा अपनी परिस्थितियों से जो इस फ़िर्क़े का पेशवा हूं हुज़ूर लेफ्टीनेन्ट गवर्नर को अवगत करूं और यह आवश्यकता इसलिए भी सामने आई कि यह एक मामूली बात है कि प्रत्येक फ़िर्क़ा जो एक नए रूप से पैदा होता है सरकार को आवश्यकता पड़ती है कि उसकी **आन्तरिक परिस्थितियां** ज्ञात करे और प्राय: ऐसे नवीन फ़िर्क़े के शत्रु एवं स्वार्थी जिनकी शत्रुता एवं विरोध प्रत्येक नवीन फ़िर्क़े के लिए आवश्यक है सरकार में वस्तु स्थिति के विपरीत खबरें पहुंचाते हैं और झूठी ख़बरें देने वालों से सरकार को परेशानी में डालते हैं। अत: चूंकि सरकार अन्तर्यामी नहीं है, इसलिए संभव है कि महान सरकार ऐसे मुख़बिरों की अधिकता के कारण किसी सीमा तक कुधारणा पैदा करे या कुधारणा की ओर झुक जाए। इसलिए महान सरकार को सूचित करने के लिए कुछ आवश्यक बातें नीचें लिखता हूं।

(1) सर्वप्रथम मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे खानदान में से

हूं जिसके बारे में सरकार ने एक लम्बी अवधि से स्वीकार किया हुआ है कि वह ख़ानदान प्रथम श्रेणी पर सम्माननीय अंग्रेज़ी सरकार का शुभचिन्तक है। अत: चीफ़ कमिश्नर पंजाब का पत्र संख्या 576 दिनांक 10 अगस्त 1858 ई. में यह विवरण लिखा है कि मेरे पिता श्री मिर्ज़ा **ग़ुलाम मुर्तज़ा** रईस क़ादियान कैसे सरकार के सच्चे वफ़ादार और बड़े यशस्वी रईस थे और किस प्रकार उन से 1857 ई. में मित्रता तथा शुभ चिन्तन और अंग्रेज़ी सरकार की मदद की गई और किस प्रकार वह हमेशा हार्दिक तौर पर सरकार के शुभ चिन्तक रहे। सरकार इस पत्र को अपने आफ़िस से निकालकर देख सकती है और **राबर्ट किस्ट** साहिब कमिश्नर लाहौर ने भी अपने पत्र में जो मेरे पिता श्री **मिर्ज़ा मुर्तज़ा** के नाम है उपरोक्त पत्र का हवाला दिया है जिसे मैं नीचे लिखता हूं -

> "मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तुज़ा रईस (प्रमुख) क़ादियाँ अपनी वीरता और साहस के साथ सलामत रहें। क्योंकि 1857 ई. में घटित होने वाले उपद्रव के समय आपकी ओर से मित्रता और ख़ैरख़्वाही और अंग्रेज़ी सरकार की सहायता, घुड़सवारों और घोड़ों के देने के रूप में प्रकट हुई और उपद्रव की शुरुआत से आज तक आप दिल से सरकार के मददगार रहे और सरकार की प्रसन्नता के पात्र हैं। इसलिए इस हित और शुभकामना के कारण सरकार से दो सौ रुपए सम्मानस्वरूप आपको प्रदान किया जाता है और साहिब चीफ़ कमिश्नर बहादुर की चिट्ठी पत्रांक 576 दिनाँक 10 अगस्त सन् 1885 ई. के आदेशानुसार आपकी कीर्ति और निष्ठा के कारण सरकार की ओर से यह प्रसन्नता पत्र आपको लिखा जाता है। तिथि 20 सितम्बर सन् 1885 ई."

और इसी बारे में एक पत्र सर राबर्ट ईजरटन साहिब फिनान्शियल कमिश्नर का मेरे सगे भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर के नाम है जिनका कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो गया है, और वह यह है -

> "मुश्फ़िक (कृपालु), महरबान (हमदर्द) मित्र मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर रईस क़ादियान ख़ुदा आपकी रक्षा करे। आप का पत्र इस

माह की 2 तारीख का लिखा हुआ यहां हुज़ूर के देखने में आया। मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा आप के पिता के निधन से हमें बहुत अफ़सोस हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा सरकार का अच्छा शुभचिन्तक और वफ़ादार रईस था। हम आपका ख़ानदानी दृष्टिकोण से, उसी प्रकार सम्मान करेंगे जिस प्रकार तुम्हारे बाप-वफ़ादार का किया जाता था। हमको किसी अच्छे अवसर के निकलने पर तुम्हारे ख़ानदान की भलाई और क्षतिपूर्ति का ध्यान रहेगा।"

भेजने की तिथि 29 जून 1876 ई.

इसी प्रकार अन्य कुछ पत्र अंग्रेज़ी उच्च अफ़सरों के हैं जिन्हें कई बार प्रकाशित कर चुका हूं। अत: विलसन साहिब कमिश्नर लाहौर के 11 जून 1849 ई. को लिखे पत्र में पिता श्री को यह लिखा है -

"हम भली भांति जानते हैं कि निस्सन्देह आप और आपका ख़ानदान दख़ल के प्रारंभ से सरकार पर जान देने वाले, वफ़ादार और सुदृढ़ रहे हैं और आपके अधिकार वास्तव में सम्मान योग्य हैं और आप हर प्रकार से तसल्ली रखें कि सरकार आप के अधिकारों तथा आपकी ख़ानदानी सेवाओं को कदापि नहीं भूलेगी और उचित अवसरों पर आपके अधिकारों एवं सेवाओं पर विचार करेगी तथा ध्यान देगी।"

और सर **लेपेल ग्रिफ़िन** साहिब ने अपनी पुस्तक तारीख 'रईसाने पंजाब' (पंजाब के रईसों का इतिहास) में हमारे ख़ानदान का वर्णन करके मेरे भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर की सेवाओं की विशेष तौर पर चर्चा की है जो उन के द्वारा तिम्मू के पुल पर विद्रोहियों को खदेड़ने के समय प्रकटन में आईं।

इन समस्त पत्रों से सिद्ध है कि मेरे पिता श्री और मेरा ख़ानदान आरंभ से अंग्रेज़ी सरकार के दिलो जान से शुभ चिन्तक और वफ़ादार रहे हैं, तथा सरकार के सम्माननीय अफ़सरों ने स्वीकार कर लिया है कि यह ख़ानदान सरकार का पूर्ण रूपेण शुभ चिन्तक है और इस बात का स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि

मेरे पिता मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा उन कुर्सी नशीन रईसों में से थे जो हमेशा गवर्नर के दरबार में सम्मानपूर्वक बुलाए जाते थे और उनका सम्पूर्ण जीवन सरकार की भलाई में व्यतीत हुआ।

(2) दूसरी बात निवेदन योग्य यह है कि मैं प्रारंभिक आयु से इस समय तक कि लगभग साठ वर्ष की आयु तक पहुंचा हूं अपने मुख और क़लम से इस महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहा हूं कि ताकि मुसलमानों के हृदयों को सरकार के सच्चे प्रेम, शुभचिन्ता तथा सहानुभूति की ओर फेरूं और उन के कुछ कम समझ रखने वाले लोगों के हृदयों से जिहाद इत्यादि के ग़लत विचार दूर करूं जो उनको हार्दिक शुद्धता और निष्कपट संबंधों से रोकते हैं और इस इरादे और प्रण का प्रथम कारण यही है कि ख़ुदा तआला ने मुझे विवेक प्रदान किया तथा अपने पास से मुझे निर्देश दिया ताकि मैं उन निर्दयों जैसे विचारों को अत्यन्त घृणा और विमुखता से देखूं जो कुछ नासमझ मुसलमानों के हृदयों में छुपे थे, जिनके कारण वे अत्यन्त मूर्खता से अपनी उपकारी सरकार के साथ इस प्रकार से शुद्ध हृदय तथा शुभ चिन्तक नहीं हो सकते थे जो हार्दिक शुद्धता और शुभ चिन्तक होने की शर्त है अपितु कुछ **मूर्ख मुल्लाओं** के पहनावे के कारण आज्ञापालन और वफ़ादारी की शर्तों का पूरा जोश नहीं रखते थे। इसलिए मैंने न किसी बनावट और दिखावे के कारण बल्कि मात्र उस आस्था की प्रेरणा से जो ख़ुदा तआला की ओर से मेरे हृदय में है, बड़े ज़ोर से बार-बार इस बात को मुसलमानों में फैलाया है कि उनको बर्तानिया सरकार का जो वास्तव में उनकी **उपकारी** है सच्चा यज्ञपालन करना चाहिए और वफ़ादारी के साथ उनका कृतज्ञ होना चाहिए अन्यथा ख़ुदा तआला के गुनाहगार (पापी) होंगे। मैं देखता हूं कि मुसलमानों के हृदयों पर मेरे लेखों का बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और लाखों लोगों में परिवर्तन पैदा हो गया है।

और मैंने केवल इतना ही काम नहीं किया कि ब्रिटिश इण्डिया के मुसलमानों को सरकार का सच्चा आज्ञापालन करने की ओर झुकाया बल्कि बहुत सी पुस्तकें अरबी, फ़ारसी और उर्दू में लिखकर इस्लामी देशों के लोगों को भी सूचित किया कि हम लोग कैसे अमन, शान्ति और स्वतंत्रतापूर्वक सरकार की महरबानी की छाया

में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसी पुस्तकों के छापने और प्रकाशित करने में हज़ारों रुपया व्यय किया गया परन्तु इसके बावजूद मेरी तबियत ने कभी नहीं चाहा कि इन **निरन्तर सेवाओं** की अपने अधिकारियों के समक्ष चर्चा भी करूं। क्योंकि मैंने किसी फल और इनाम की इच्छा से नहीं बल्कि एक सच्ची बात को व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझा। और वास्तव में इस सरकार का अस्तित्व हमारे लिए ख़ुदा तआला की ओर से एक नेअमत थी जो लम्बे समय के कष्टों के पश्चात् हमें मिली। इसलिए हमारा कर्त्तव्य था कि उस नेअमत को बार-बार व्यक्त करें। हमारा ख़ानदान सिक्खों के दिनों में एक बड़े अज़ाब में था और न केवल यही था कि उन्होंने अत्याचार से हमारी रियासत को तबाह किया और हमारे सैकड़ों देहात अपने क़ब्ज़े में किए बल्कि हमारी और समस्त पंजाब के मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को भी रोक दिया। एक मुसलमान को नमाज़ के समय पर अज़ान देने पर भी मारे जाने का भय था। कहां यह कि इबादत के कार्य आज़ादी से सम्पन्न कर सकते। अत: यह इस उपकारी सरकार का ही **उपकार** था कि हमने इस जलते हुए तन्दूर से मुक्ति पाई और ख़ुदा तआला ने एक दयारूपी मेघ की तरह इस सरकार को हमारे आराम के लिए भेज दिया। फिर कितनी नीचता होगी कि हम इस नेअमत का धन्यवाद न करे। इस नेअमत की श्रेष्ठता तो हमारे दिल और जान तथा रोम-रोम में अंकित है और हमारे महान लोग हमेशा इस मार्ग में अपने प्राण देने के लिए तैयार रहे। फिर नऊज़ुबिल्लाह क्योंकर संभव है कि हम अपने दिलों में फ़साद फैलाने वाले इरादे रखें। हमारे पास तो वे शब्द नहीं जिन के द्वारा हम उस आराम और चैन की चर्चा कर सकें जो इस सरकार से हमें प्राप्त हुआ। हमारी तो यही दुआ है कि ख़ुदा इस उपकारी सरकार को उत्तम प्रतिफल प्रदान करें। और उस से नेकी करे जैसा कि उसने हम से नेकी (भलाई) की। यही कारण है कि मेरा पिता और मेरा भाई और स्वयं मैं भी रूह के जोश से इस बात में व्यस्त रहे कि इस सरकार के लाभों और उपकारों को सभी लोगों पर व्यक्त करें और उसकी आज्ञा का पालन करने के कर्तव्य को दिलों में अंकित कर दें और यही कारण है कि मैं अठारह वर्ष से ऐसी पुस्तकों के लिखने में व्यस्त हूं कि जो मुसलमानों के

दिलों को अंग्रेज़ी सरकार के प्रेम तथा आज्ञा-पालन की ओर झुका रहे हैं। यद्यपि अधिकतर मूर्ख मौलवी हमारे इस ढंग और गति तथा इन विचारों से बहुत अधिक नाराज़ हैं और अन्दर ही अन्दर जलते और दांत पीसते हैं, परन्तु मैं जानता हूं कि वे इस्लाम की उस नैतिक शिक्षा से भी अपरिचित हैं जिसमें यह लिखा है कि **जो व्यक्ति इन्सान का धन्यवाद न करे वह ख़ुदा का धन्यवाद भी नहीं करता** अर्थात अपने उपकारी का धन्यवाद करना ऐसा कर्त्तव्य है जैसा कि ख़ुदा का।

यह तो हमारी आस्था है परन्तु खेद कि मुझे मालूम होता है कि इस अठारह वर्ष के लम्बे सिलसिले की पुस्तकों को जिनमें बहुत सारे जोशीले भाषण सरकार के आज्ञापालन के संबंध में हैं, कभी हमारी उपकारी सरकार ने ध्यान से नहीं देखा और कई बार मैंने स्मरण कराया परन्तु उसका प्रभाव महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैं पुन: स्मरण कराता हूं कि निम्नलिखित पुस्तकों और विज्ञापनों को ध्यानपूर्वक देखा जाए और वह प्रस्तावनाएं पढ़ी जाएं जिनके पृष्ठ नम्बर मैंने नीचे लिख दिए हैं-

संख्या	नाम पुस्तक या विज्ञापन	प्रकाशन तिथि	पृष्ठ संख्या
1.	बराहीन अहमदिया भाग (III)	1882 ई.	अलिफ़ से बे तक शुरू किताब
2.	बरहीन अहमदिया भाग (IV)	1884 ई.	अलिफ़ से द तक शुरू किताब
3.	नोट्स विस्तार दफ़ा 298 के बारे में, आर्य धर्म में	22 सितम्बर 1895 ई.	57 से 64 तक किताब का अन्त
4.	निवेदन इसी दफ़ा 298 के बारे में, आर्य धर्म में	22 सितम्बर 1895 ई.	किताब के अन्त के चारों विज्ञापन
5.	निवेदन इसी दफ़ा 298 के बारे में, आर्य धर्म में	22 सितम्बर 1895 ई.	69 से 72 तक किताब के अन्त में
6.	पत्र इसी दफ़ा 298 के बारे में आर्य धर्म में	21 अक्टूबर 1895 ई.	1 से 8 तक, अलग से पूरा विज्ञापन
7.	आईना कमालात-ए-इस्लाम	फरवरी 1893	17 से 20 तक और 511 से 528 तक

8.	ऐलान, नूरुल हक़ पुस्तक में	1311 हिज्री	23 से 54 तक
9.	गवर्मेंट के ध्यान योग्य, शहादतुल क़ुर्आन में	22 सितम्बर 1893 ई.	अलिफ़ से ع (ऐन) तक किताब के अन्त
10.	नूरुल हक भाग द्वितीय	1311 हिज्री	49 से 50 तक
11.	सिर्रुल ख़िलाफ़त	1312 हिज्री	71 से 73 तक
12.	इत्मामुल हुज्जत	1311 हिज्री	25 से 27 तक
13.	हमामतुल बुश्रा	1311 हिज्री	39 से 42 तक
14.	तोहफ़ा कैसरिया	25 मई 1897	सम्पूर्ण पुस्तक
15.	सत बचन	नवम्बर 1895	153 से154 तक और टाइटल पेज
16.	अंजाम-ए-आथम	जनवरी 1897	283 से 284 तक किताब का अन्त
17.	सिराजे मुनीर	मई 1897	पृष्ठ - 74
18.	तकमील तब्लीग़ बैअत की शर्तों सहित	12 जनवरी 1889	पृष्ठ - हाशिया और पृष्ठ - 6 चौथी शर्त
19.	विज्ञापन सरकार के ध्यान योग्य और सार्वजनिक सूचना हेतु	27 फ़रवरी 1895	एक तरफ पूर्ण विज्ञापन
20.	विज्ञापन रोम के बादशाह के दूत के बारे में	24 मई 1897	1 से 3 तक
21.	इश्तिहार जलसा अहबाब बर जशन जुबली, स्थान क़ादियान	23 जून 1897	1 से 4 तक
22.	विज्ञापन जल्सा शुक्रिया, जश्न जुबली हज़रत कैसरा दाम ज़िल्लुहा	7 जून 1897	पूर्ण विज्ञापन 1 पृष्ठ
23.	बुज़ुर्ग अख़बार चौदहवीं वाला के बारे में विज्ञापन	25 जून 1897	पृष्ठ - 10
24.	विज्ञापन, गवर्नमेन्ट के ध्यान योग्य, अंग्रेज़ी में अनुवाद के साथ	10 दिसम्बर 1894	सम्पूर्ण विज्ञापन 1 से 7 तक

इन पुस्तकों के देखने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति इस परिणाम तक पहुंच सकता है कि जो व्यक्ति निरन्तर अठारह वर्ष से ऐसे जोश से कि जिस से अधिक संभव नहीं सरकार के समर्थन में ऐसे ज़ोरदार लेख लिख रहा है और उन लेखों को न केवल अंग्रेज़ी शासन में अपितु दूसरे देशों में भी प्रकाशित कर रहा है। क्या उसके पक्ष में यह कल्पना हो सकती है कि वह इस उपकारी सरकार का शुभ चिन्तक नहीं? सरकार ध्यान देकर विचार करे कि यह निरन्तर कार्रवाई जो मुसलमानों को सरकार की आज्ञा का पालन करने पर तत्पर करने के लिए निरन्तर अठारह वर्ष से हो रही है और अन्य देशों के लोगों को भी सूचित किया गया है कि हम कैसे अमन और आज़ादी से इस सरकार की छत्र छाया में जीवन व्यतीत करते हैं।

यह कार्रवाई क्यों और किस उद्देश्य से है और अन्य देश के लोगों तक ऐसी पुस्तकें और ऐसे विज्ञापन पहुंचाने से क्या उद्देश्य था? सरकार जांच-पड़ताल करे कि क्या यह सच नहीं कि हज़ारों मुसलमानों ने जो मुझे काफ़िर ठहराया और मुझे और मेरी जमाअत को जो एक भारी समूह में पंजाब और हिन्दुस्तान में मौजूद है हर प्रकार की बुराई करने तथा बुरा सोचने से कष्ट देना अपना कर्त्तव्य समझा। इस काफ़िर कहने तथा दुख देने का एक गुप्त कारण यह है कि इन नादान मुसलमानों के गुप्त विचारों के विरुद्ध दिल-व-जान से सरकार का धन्यवाद अदा करने के लिए हज़ारों विज्ञापन प्रकाशित किए गए और ऐसी पुस्तकें अरब और शाम देश इत्यादि तक पहुंचाई गईं? ये बातें बिना सबूत नहीं। यदि सरकार ध्यान दे तो मेरे पास नितान्त व्यापक सबूत हैं। मैं ज़ोर देकर कहता हूं और दावे के साथ सरकार की सेवा में घोषणा करता हूं कि धार्मिक सिद्धान्त के दृष्टिकोण से मुसलमानों के समस्त फ़िर्क़ों में से सरकार का प्रथम श्रेणी का वफ़ादार और प्राण न्योछावर करने वाला यही नया फ़िर्क़ा है जिसके सिद्धान्तों में से कोई सिद्धान्त सरकार के लिए ख़तरनाक नहीं। हां इस बात का वर्णन करना भी आवश्यक है कि मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें लिख कर क्रियात्मक तौर पर इस बात को भी दर्शाया है कि हम लोग सिक्खों के युग में धार्मिक मामलों में कैसे विवश किए गए और धार्मिक कर्त्तव्यों के प्रचार तथा इस्लाम के समर्थन से रोके गए थे फिर इस उपकारी सरकार के समय में कितनी

धार्मिक स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त हुई कि हम पादरियों के मुक़ाबले पर भी जो ईसाई सरकार के सहधर्मी हैं, पूरे ज़ोर से अपनी सच्चाई के सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं सच-सच कहता हूं कि ऐसी पुस्तकों के लिखने से जो पादरियों के धर्म के खण्डन में लिखी जाती हैं सरकार के न्यायपूर्ण सिद्धान्तों का उच्च आदर्श लोगों को मिलता है तथा और देशों के लोग विशेषतौर पर इस्लामी देशों के नेक स्वभाव लोग जब ऐसी पुस्तकों को देखते हैं जो हमारे देश से उन देशों में जाती हैं तो उनको इस से सरकार से अत्यन्त प्रेम पैदा हो जाता है। यहां तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद यह सरकार अन्दर से मुसलमान है और इस प्रकार से हमारे कलमों के द्वारा यह सरकार हज़ारों दिलों को विजय करती जाती है।

देसी पादरियों (हिन्दुस्तानी पादरियों-अनुवादक) के अत्यंत दिल दुखाने वाले प्रहार और अपमानजनक पुस्तकें वास्तव में ऐसी थीं कि यदि आज़ादी के साथ उनकी प्रतिरक्षा (बचाव) न किया जाता और उनके कठोर वाक्यों के बदले में किसी हद तक सभ्यतापूर्ण कठोरता प्रयोग में न आती तो कुछ मूर्ख जो शीघ्र ही कुधारणा की ओर झुक जाते हैं कदाचित यह सोचते कि सरकार को पादरियों का विशेष ध्यान है परन्तु अब ऐसा कोई नहीं सोच सकता और उनके मुक़ाबले पर पुस्तकों के प्रकाशित होने पर वह उत्तेजना जो पादरियों के कठोरता पूर्ण लेखों से पैदा होना संभव थी अन्दर ही अन्दर दब गई है तथा लोगों को मालूम हो गया है कि हमारी उच्चतम सरकार ने प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपने धर्म के समर्थन में सामान्य आज़ादी दी है, जिस से प्रत्येक फ़िर्क़ा समान रूप से लाभ उठा सकता है। पादरियों को कोई विशिष्टता नहीं। अत: हमारे तुलनात्मक लेखों से सरकार के पवित्र इरादों और नेक नीयत का लोगों को अनुभव हो गया और अब हज़ारों लोग प्रफुल्लतापूर्वक इस बात को कहने लगे हैं कि वास्तव में यह उच्च विशेषता इस सरकार को प्राप्त है कि उसने धार्मिक लेखों में पादरियों का लेशमात्र पक्षपात नहीं किया और अपनी प्रजा को स्वतंत्रता का समान अधिकार दिया है।

तथापि हम बड़े आदरपूर्वक उच्चतम सरकार की सेवा में कहते हैं कि इतनी स्वतंत्रता का कुछ दिलों पर अच्छा प्रभाव महसूस नहीं होता तथा कठोर शब्दों के

कारण क़ौमों में फूट और शत्रुता तथा वैर बढ़ता जाता है तथा नैतिकता पर भी उसका बुरा प्रभाव होता है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान में जो इसी 1897 ई. में पादरी साहिबान की ओर से मिशन प्रेस गुजरांवाला में इस्लाम के खण्डन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम यह रखा है: **'उम्महातुल मोमिनीन' अर्थात् 'दरबार-ए-मुस्तफ़ा के असरार (रहस्य)'**★ वह मुसलमानों के दिलों को एक ताज़ा ज़ख़्म पहुंचाने वाली है और यह नाम ही इस ताज़ा ज़ख़्म का पर्याप्त सबूत है और उसमें भड़काने के तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं और अत्यन्त दिल दुखाने वाले वाक्य प्रयोग किए हैं। उदाहरणतया उसके पृष्ठ 80 पंक्ति 21 में यह इबारत है - **''हम तो यही कहते हैं कि मुहम्मद साहिब ने ख़ुदा पर इल्ज़ाम लगाया व्यभिचार किया, और उसे ख़ुदा का आदेश बताया।''** ऐसे वाक्य मुसलमानों के दिलों को कितना कष्ट पहुंचाएंगे कि उनके बुज़ुर्ग और पवित्र नबी को स्पष्ट और व्यापक शब्दों में व्यभिचारी ठहराया। फिर दिल दुखाने के लिए उस पुस्तक की एक हज़ार प्रतियां मुसलमानों की ओर मुफ़्त भेजी गईं। अतः आज ही की तारीख़ जो 15 फ़रवरी 1897 ई. है एक प्रति मुझे भी भेज दी है।☆ हालांकि मैंने मांग नहीं की और इस पुस्तक में अर्थात् पृष्ठ-5 में लिख भी दिया है कि ''इस पुस्तक की एक हज़ार जिल्दें मुफ़्त डाक द्वारा हज़ार मुसलमानों को भेंट करते हैं।'' अब स्पष्ट है कि जब एक हज़ार मुसलमानों को अकारण यह पुस्तक भेजकर **उन का दिल दुखाया गया** तो **शान्ति भंग होने** का कितना (अधिक) ख़तरा हो सकता है। फिर यह पहला लेख ही नहीं अपितु इस से पूर्व भी पादरी लोगों ने बार-बार बहुत से उपद्रव फैलाने वाले लेख प्रकाशित किए हैं और बेख़बर मुसलमानों को **उत्तेजित करने के लिए** वे पुस्तकें अधिकतर मुसलमानों में बांटी हैं जिनका एक भंडार मेरे पास भी मौजूद है जिनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को **दुराचारी, व्यभिचारी, शैतान, डाकू, लुटेरा, धोखेबाज़, दज्जाल** इत्यादि दिल

★इस पुस्तक को पुरुषोत्तम दास ईसाई ने गुजरांवाला शोला तूर प्रेस से प्रकाशित किया है।

☆हमारे बहुत से सम्माननीय मित्रों के भी इस बारे में पत्र पहुंचे हैं कि उनको मुफ़्त बिना मांगे यह पुस्तक भेजी गई है।

दुखाने वाले नामों से याद किया है और यद्यपि हमारी उपकारी सरकार इस बात से रोकती नहीं कि मुसलमान **मुक़ाबले पर** उत्तर दें, परन्तु इस्लाम का धर्म मुसलमानों को अनुमति नहीं देता कि वे किसी क़ौम के मान्य नबी को बुरा कहें। विशेष तौर पर **हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम** के बारे में जो पवित्र आस्था सभी मुसलमान रखते हैं और जितने प्रेम और सम्मान से उनको देखते हैं वह हमारी सरकार पर छुपा हुआ नहीं। मेरे निकट ऐसे उपद्रव फैलाने वाले लेखों को रोकने के लिए उत्तम मार्ग यह है कि सम्माननीय सरकार या तो यह उपाय करे कि प्रत्येक विरोधी पक्ष को निर्देश दे कि वह अपने प्रहार के समय सभ्यता और नम्रता से बाहर न जाए और केवल उन पुस्तकों के आधार पर एतिराज़ करे जो प्रतिद्वन्दी पक्ष की मान्य और स्वीकार की हुई हो और एतिराज़ भी वह करे जो **अपनी मान्य पुस्तकों पर लागू न हो सके** और यदि सरकार यह नहीं कर सकती तो यह उपाय कार्यान्वित करे कि यह कानून जारी करे कि **प्रत्येक पक्ष केवल अपने धर्म की विशेषताएं वर्णन किया करे और दूसरे पक्ष पर कदापि प्रहार न करे**। मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो। और मैं जानता हूं कि क़ौमों के बीच में मैत्री फैलाने के लिए इस से उत्तम अन्य कोई उपाय नहीं कि कुछ समय के लिए विरोधात्मक प्रहार रोक दिए जाएं। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने धर्म की खूबियां वर्णन करे तथा दूसरे की चर्चा मुख पर न लाए। यदि सरकार मेरी इस विनती को स्वीकार करे तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि कुछ वर्षों में समस्त क़ौमों के वैर दूर हो जाएंगे और द्वेष की बजाए प्रेम पैदा हो जाएगा। अन्यथा किसी दूसरे क़ानून से यद्यपि अपराधियों से समस्त जेलें भर जाएं परन्तु उस कानून का उनकी नैतिक अवस्था पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा।

(3) तीसरी बात जो नवेदन योग्य है यह है कि मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि यह नया समुदाय (फ़िर्क़ा) जो ब्रिटिश इण्डिया के अधिकांश स्थानों में फैल गया है जिसका मैं पेशवा और इमाम हूं **सरकार के लिए कदापि खतरनाक नहीं है** और इसके सिद्धान्त ऐसे पवित्र, स्पष्ट अमन प्रदान करने वाले तथा मैत्रीपूर्ण हैं कि इस्लाम के समस्त वर्तमान फ़िर्क़ों में सरकार को उसका उदाहरण नहीं मिलेगा। जो निर्देश इस फ़िर्क़े के लिए मैंने सम्पादित किए हैं जिन्हें मैंने अपने हाथ से लिखकर

और छाप कर प्रत्येक मुरीद को दिया है कि उनको अपनी कार्य-प्रणाली बनाए। वे निर्देश मेरी उस पुस्तिका में जो 12 जनवरी 1889 में छपकर सभी मुरीदों में प्रसारित हुई है जिसका नाम '**तक्मीले तब्लीग़ बैअत की शर्तों सहित है**'।★ जिसकी एक प्रति उसी समय में सरकार को भेजी गई थी। उन निर्देशों को पढ़कर और इसी प्रकार अन्य निर्देशों को देखकर जो यदा-कदा छपकर मुरीदों में प्रसारित होते हैं सरकार को मालूम होगा कि कैसे अमन प्रदान करने वाले सिद्धान्तों की इस जमाअत को शिक्षा दी जाती है और किसी प्रकार उनको बार-बार बलपूर्वक कहा गया है कि वे सरकार के सच्चे शुभचिन्तक और आज्ञाकारी रहें तथा समस्त मानवजाति के साथ धर्म और जमाअत के किसी भेदभाव के बिना इन्साफ़, दया और सहानुभूति से व्यवहार करें। यह सच है कि मैं किसी ऐसे महदी हाशिमी **(क़ुरैशी) ख़ूनी** को नहीं मानता हूं जो दूसरे मुसलमानों की आस्था में बनी फ़ातिमा में से होगा और पृथ्वी को काफ़िरों के ख़ून से भर देगा। मैं ऐसी हदीसों को **सही नहीं समझता** और मात्र मनगढ़ता हदीसों का भंडार जानता हूं। हां मैं अपने स्वयं के लिए उस मसीह मौऊद का दावा करता हूं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह **ग़रीबी** के साथ जीवन व्यतीत करेगा और **लड़ाइयों** तथा युद्धों से विमुख होगा और नर्मी, मैत्री एवं अमन के साथ क़ौमों को उस सच्चे महाप्रतापी ख़ुदा का दर्शन कराएगा जो अधिकतर क़ौमों से छिप गया है। मेरे सिद्धान्तों, आस्थाओं और निर्देशों में कोई बात लड़ाई और फ़साद की नहीं। मैं विश्वास रखता हूं कि जैसे-जैसे मेरे मुरीद बढ़ेंगे वैसे-वैसे जिहाद की समस्या पर आस्था रखने वाले कम होते जाएंगे क्योंकि मुझे मसीह-व-

★. शर्तों में से कुछ शर्तों को यहां नक़ल किया जाता है। दूसरी शर्त यह कि झूठ, व्यभिचार, बुरी नज़र तथा प्रत्येक दुराचार, अन्याय, बेईमानी, फ़साद और विद्रोह के मार्गों से बचता रहेगा और कामवासना संबंधी जोशों के समय उनसे पराजित नहीं होगा यद्यपि कैसी भी भावना का सामने हो। **चौथी शर्त-** यह कि ख़ुदा की सामान्य सृष्टि को सामान्यत: और मुसलमानों को विशेषत: अपने नफ़्सानी जोशों से किसी प्रकार का अवैध कष्ट नहीं देगा। न जीभ से, न हाथ से, न किसी अन्य प्रकार से। **नौवीं शर्त** - यह कि ख़ुदा की सामान्य सृष्टि की सहानुभूति में केवल ख़ुदा के लिए व्यस्त रहेगा और जहां तक शक्ति हो सकती है अपनी ख़ुदा की दी हुई शक्तियों और नेअमतों से मानवजाति को लाभ पहुंचाएगा।

महदी मान लेना ही जिहाद की समस्या का इन्कार करना है। मैं बार-बार घोषणा कर चुका है कि मेरे बड़े-बड़े सिद्धान्त पांच हैं - **पहला** यह कि ख़ुदा तआला को भागीदर रहित एक मानना और मृत्यु के दोष, बीमारी, विवशता, पीड़ा, दु:ख तथा अन्य अधम विशेषताओं से पवित्र समझना। **दूसरे** यह कि ख़ुदा तआला के नुबुव्वत के सिलसिले का ख़ातम और अन्तिम शरीअत लाने वाला और मुक्ति का वास्तविक मार्ग बताने वाला हज़रत सय्यदिना-व-मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वश्वास रखना। **तीसरे** यह कि इस्लाम धर्म का प्रचार बौद्धिक तर्कों तथा आकाशीय निशानों से करना और धार्मिक★ युद्ध के विचार तथा जिहाद एवं लड़ाई को इस युग के लिए निश्चित तौर पर अवैध और वर्जित समझना तथा ऐसे विचारों का पालन करने वाले को स्पष्ट ग़लती पर समझना। **चौथे** यह कि इस उपकारी सरकार के बारे में जिस के हम अधीन हैं अर्थात् अंग्रेज़ी गर्वन्मेन्ट के बारे में कोई उपद्रव वाले विचार दिल में न लाना और दिल की शुद्धता के साथ उसके आज्ञापालन में व्यस्त रहना। **पांचवें -** यह कि **मानवजाति से हमदर्दी** करना और यथा सामाथ्र्य प्रत्येक व्यक्ति की दुनिया और परलोक की भलाई के लिए कोशिश करते रहना अमन और मैत्री का समर्थक होना तथा अच्छे शिष्टाचार को दुनिया में फैलाना। ये पांच सिद्धान्त हैं जिनकी इस जमाअत जैसा कि मैं आगे वर्णन करूंगा जाहिलों और दरिन्दों की जमाअत नहीं है अपितु अधिकतर उन में से उच्च श्रेणी के शिक्षित तथा पारंपरिक विद्याओं के प्राप्त करने वाले तथा सरकारी सम्माननीय पदों पर आसीन हैं और मैं देखता हूं कि उन्होंने चाल-चलन और उच्च आचरण में बहुत उन्नति की है। मैं आशा रखता हूं कि अनुभव के समय सरकार उनको **प्रथम श्रेणी** का **शुभ चिन्तक** पाएंगी।

(4) चौथा निवेदन यह है कि जितने लोग मेरी जमआत में सम्मिलित हैं उनमें से अधिकांश सरकार के सम्माननीय पदों पर सुशोभित और या इस देश के कीर्तिमान रईस और उनके सेवक और मित्र या व्यापारी और या वकील या अंग्रेज़ी

★इस जिहाद के विरुद्ध अत्यन्त तन्मयता से मेरे अनुयायी विद्वान मौलवियों ने हज़ारों लोगों को शिक्षा दी है और दे रहे हैं जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। इसी से

जानने वाले शिक्षित लोग या ऐसे कीर्तिमान उलमा, विद्वान तथा सभ्य लोग हैं जो किसी समय सरकार अंग्रेज़ी की नौकरी कर चुके हैं या सब नौकरी पर है उनके निकट संबंधी और रिश्तेदार तथा मित्र हैं जो अपने बुज़ुर्ग सेव्यों से प्रभावित हैं और या ग़रीब गद्दी नशीन, विनम्र स्वभाव। अत: यह एक ऐसी जमाअत है जो सरकार की नमक़ हलाल, और नेक नाम प्राप्त करने वाली और गर्वन्मेन्ट की कृपाओं की पात्र है और या वे लोग जो मेरे संबंधी या सेवाओं में से हैं। इन के अतिरिक्त एक बड़ी संख्या उलेमा की है जिन्होंने मेरे अनुसरण में अपने उपदेशों से हज़ारों दिलों में सरकार के उपकार जमा दिए हैं और मैं उचित देखता हूं कि उनमे से अपने कुछ मुरीदों के नाम बतौर नमूना आप के देखने के लिए नीचे लिख दूं।

(5) मेरा इस निवेदन से जो आप की सेवा में मुरीदों के नाम सहित भेजता हूं। उद्देश्य यह है कि यद्यपि मैं उन विशेष सेवाओं की दृष्टि से जो मैंने और मेरे बुज़ुर्गों ने केवल सच्चे दिल, निष्कपटता, वफ़ादारी के जोश से सरकार की प्रसन्नता के लिए की हैं विशेष कृपा का पात्र हूं परन्तु ये सब बातें सरकार के ध्यान पर छोड़कर अभी ज़रूरी आवश्यक मांग यह है कि मुझे निरन्तर इस बात की सूचना मिली है कि कुछ द्वेष रखने वाले अशुभ चिन्तक आस्थागत मतभेद के कारण अथवा किसी अन्य कारण से मुझ से वैर और शत्रुता रखते हैं या जो मेरे मित्रों के शत्रु हैं मेरे और मेरे मित्रों के बारे में घटना के विपरीत बातें सरकार के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आशंका है कि उनकी प्रतिदिन की झूठ गढ़ी हुई कार्यवाहियों से सरकार के दिल में कुधारणा पैदा होकर वे सम्पूर्ण पचास वर्षीय जान तोड़ कोशिशें जो मेरे स्वर्गीय पिता मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा और मेरे सगे भाई स्वर्गीय ग़ुलाम क़ादिर की जिन की चर्चा सरकारी पत्रों में तथा सर लेपिल ग्रेफ़िन की पुस्तक तारीख रईसान-ए-पंजाब में है तथा मेरी क़लम की वे सेवाएं जो मेरी अठारह वर्ष की पुस्तकों से प्रकट है। सब की सब **व्यर्थ और बरबाद न जाएं** और ख़ुदा न करे कि सरकार अंग्रेज़ी अपने एक पुराने वफ़ादार और शुभ चिन्तक ख़ानदान के बारे में कोई मलिनता अपने दिल में पैदा करे। इस बात का इलाज तो असंभव है कि ऐसे लोगों का मुख बन्द किया जाए जो धार्मिक मतभेद के कारण

या हार्दिक द्वेष, वैर और किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के कारण झूठ मुख़बिरी पर कटिबद्ध हो जाते हैं केवल यह **निवेदन** है कि सरकार ऐसे ख़ानदान के बारे में जिसको पचास वर्ष के निरन्तर अनुभव से एक वफ़ादार, जान देने वाला ख़ानदान सिद्ध कर चुकी है और जिस के बारे में सरकार के सम्माननीय पदाधिकारियों ने हमेशा दृढ़ राय से अपने पत्रों में यह गवाही दी है कि वे सदैव से सरकार के पक्के शुभचिन्तक और सेवा करने वाले हैं। इस स्वयं निर्मित पौधे के बारे में अत्यन्त दूरदर्शिता तथा सावधानी, छान-बीन और ध्यान में रखकर मुझे और मेरी जमाअत को एक विशेष कृपा और सहानुभूति की दृष्टि से देखें। हमारे ख़ानदान ने सरकार के मार्ग में अपने ख़ून बहाने और प्राण देने से अन्तर नहीं किया और न अब अन्तर है। इसलिए हमारा अधिकार है कि हम अपनी पिछली सेवाओं की दृष्टि से सरकार की पूर्ण कृपाओं और विशिष्ट ध्यान देने का निवेदन करें। ताकि प्रत्येक व्यक्ति अकारण हमारे अपमान के लिए दिलेरी न कर सके। अब किसी हद तक अपनी जमाअत के नाम नीचे लिखता हूं -

1.	ख़ान साहिब (अर्थात) नवाब मुहम्मद अली ख़ान साहिब रईस मालेरकोटला जिनके ख़ानदान की सेवाएं सरकार को मालूम हैं।
2.	मौलवी सय्यद मुहम्मद अस्करी ख़ान साहिब रईस कड़ा, ज़िला इलाहाबाद पेन्शनर डिप्टी कलक्टर-व-नायब प्रधान मंत्री रियासत भोपाल जिनकी स्पष्ट सेवाओं पर सरकार से उपाधि प्रदान हुई और प्रसन्नता के पत्र मिले।
3.	मिर्ज़ा ख़ुदा बख़्श साहिब एस.पी.भूतपूर्व अनुवादक चीफ़ कोर्ट पंजाब वर्तमान-तहसीलदार इलाक़ा नवाब मुहम्मद अली ख़ान साहिब रियासत मालेरकोटला
4.	मुंशी नबी बख़्श साहिब हेड दफ़्तर एक्ज़ेम्ज़ रेलवे लाहौर
5.	बाबू अब्दुर्रहमान साहिब क्लर्क दफ़्तर लोको रेलवे विभाग, लाहौर
6.	मौलवी सय्यद तफ़ज़्ज़ुल हुसैन साहिब डिप्टी कलक्टर अलीगढ़, ज़िला फर्रुख़ाबाद।

7.	मियां चिराग़ुद्दीन साहिब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट पंजाब तथा रईस लाहौर।
8.	काज़ी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब पेन्शनर एक्स्ट्रा असिसटेन्ट, मुज़फ़्फ़रगढ़
9.	मुंशी अब्दुल अज़ीज़ साहिब नौकर विभाग बन्दोबस्त ज़िला गुरदासपुर।
10.	डॉक्टर सय्यद मन्सब अली साहिब पेन्शनर, इलाहाबाद
11.	मुंशी हमीदुद्दीन साहिब कर्मचारी पुलिस विभाग, ज़िला-लुधियाना
12.	मुंशी ताजुद्दीन साहिब अकाउंटेंट रेलवे विभाग, लाहौर
13.	बाबू मुहम्मद साहिब हेड क्लर्क दफ़्तर सुप्रिन्टेन्डेण्डिंग इंजीनीयर अन्हार विभाग, अम्बाला
14.	डॉक्टर बूढ़ेख़ान साहिब एल.एम.एस. इंचार्ज अस्पताल, क़सूर
15.	मुहम्मद अफ़ज़ल ख़ान साहिब सवारान रिसाल: न.12, तिरब 8 जो अब सरहदी सेवाओं पर कार्यरत हैं।
16.	गामे ख़ान साहिब (सवारान रिसाल: न.12, तिरब 8 जो अब सरहदी सेवाओं पर कार्यरत हैं।)
17.	इमाम बख़्श खान साहिब सवारान रिसाल: न.12, तिरब 8 जो अब सरहदी सेवाओं पर कार्यरत हैं।
18.	ख़्वाजा जमालुद्दीन साहिब बी.ए.प्रिंसिपल श्री रणबीर कॉलेज जम्मू
19.	डॉक्टर खलीफ़ा रशीदुद्दीन साहिब एल. एम. एस विशेष सेवाओं पर मामूर अब्बास बन्दरगाह ईरान
20.	डॉक्टर अब्दुलहकीम ख़ान साहिब एम.बी सहायक सिविल सर्जन रियासत पटियाला
21.	डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहिब एल.एम.एस सिविल सर्जन चकराता विशेष सेवाओं पर नियुक्त
22.	डॉक्टर मुहम्मद इस्माईल ख़ान साहिब पूर्वी अफ़्रीका में विशेष सेवाओं पर नियुक्त
23.	मुंशी मुहम्मद अली साहिब सूफ़ी कर्मचारी रेलवे कार्यलाय लाहौर
24.	मास्टर ग़ुलाम मुहम्मद साहिब बी.ए.सियालकोट
25.	मुंशी क़ायमुद्दीन साहिब बी.ए.सियालकोट

26.	मुंशी मुहम्मद इस्माईल साहिब नक़्शानवीस कालका रेलवे
27.	क़ाज़ी यूसुफ़ अली साहिब पुलिस कर्मचारी रियासत जींद
28.	मियां मुहम्मद ख़ान साहिब कर्मचारी रियासत कपूरथला
29.	मुंशी फय्याज़ अली साहिब मुहर्रिर रियासत कपूरथला
30.	मुंशी गौहर अली साहिब सब पोस्ट मास्टर जालंधर
31.	डॉक्टर अब्दुश्शकूर साहिब सिरसा
32.	मौलवी मुहम्मद अली साहिब एम.ए.प्रोफ़ेसर ओरियंटल कालेज लाहौर
33.	सय्यद ख़सीलत अली शाह साहिब डिप्टी इन्सपेक्टर ज़िला गुजरांवाला
34.	मियां मुहम्मद नवाब ख़ान साहिब तहसलीदार, जेहलम
35.	मियां अब्दुल्लाह साहिब पटवारी रियासत पटिलाया
36.	सय्यद अमीर अली शाह साहिब कर्मचारी पुलिस सियालकोट
37.	सय्यद नासिर शाह साहिब सब ओवरसीयर, कश्मीर
38.	पीरज़ादा क़मरुद्दीन साहिब तहसीलदार रावलपिण्डी
39.	सय्यद अब्दुल हादी साहिब सब ओवरसीयर मिलतट्री वर्क्स सोलन
40.	मास्टर क़ादिर बख़्श साहिब शिक्षक लुधियाना
41.	मुंशी अज़ीज़ुल्लाह साहिब पोस्ट मास्टर नादौन, ज़िला कांगड़ा
42.	सय्यद रमज़ान अली साहिब पेन्शनर डिप्टी इन्सपेक्टर पुलिस इलाहाबाद
43.	मुंशी ग़ुलाबदीन साहिब टीचर रोहतास ज़िला जेहलम
44.	मुंशी मुहम्मद नसीरुद्दीन साहिब पेशकार रेवेन्यू बोर्ड रियासत हैदराबाद, दकन
45.	चौधरी नबी बख़्श साहिब सारजेन्ट पुलिस सियालकोट
46.	हाफ़िज़ मुहम्मद इस्हाक़ साहिब ओरवरसीयर युगाण्डा रेलवे
47.	मुंशी अहमदुद्दीन साहिब नक्शा नवीस मिलिट्री आफ़िस पेशावर
48.	मुहम्मद्दीन साहिब कर्मचारी पुलिस सियालकोट
49.	बाबू ग़ुलाम मुहम्मद साहिब स्टेशनरी क्लर्क रेलवे आफ़िस लाहौर
50.	मुंशी अतामुहम्मद साहिब सब ओवर सीयर फील्ड फोस्ट फ्रन्टियर
51.	बाबू ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब गुड्स क्लर्क फिल्लौर

52.	बाबू नूर अहमद साहिब स्टेशन मास्टर टाटीपुर
53.	मुंशी नूरुद्दीन साहिब ड्राफ्ट्समैन गुजरांवाला
54.	बाबू चिराग़दीन साहिब स्टेशनमास्टर, लय्या
55.	मिर्ज़ा ग़ुलाम रसूल साहिब टेलीग्राफ़ ऑफ़िस कराची
56.	मिर्ज़ा अमीन बेग साहिब सवार रियासत जयपुर
57.	मुंशी अब्दुर्रहमान साहिब कर्मचारी रियासत कपूरथला
58.	मिर्ज़ा अकबर बेग सारजेन्ट प्रथम श्रेणी हिसार
59.	सय्यद जीवन अली साहिब एकाउंटेण्ट पुलिस विभाग इलाहाबाद
60.	सय्यद फ़रज़न्द अली साहिब कर्मचारी पुलिस इलाहाबाद
61.	सय्यद दिलदार अली साहिब एकाउंटेण्ट डिस्ट्रिक्ट सुप्रिन्टेनडेण्ट पुलिस इलाहाबाद
62.	मियां अब्दुल क़ादिर ख़ान साहिब शिक्षक ज़िला लुधियाना
63.	मिर्ज़ा नियाज़ बेग साहिब पेन्शनर ज़िलेदार रईस कलानौर
64.	मौलवी सुल्तान महमूद साहिब एकाउन्टेन्ट मेलापुर मद्रास
65.	मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब कर्मचारी दफ़्तर ज़िला झंग
66.	मुंशी मौला बख़्श साहिब रेलवे क्लर्क लाहौर
67.	बाबू मुहम्मद अफ़ज़ल साहिब क्लर्क मुम्बासा, युगाण्डा रेलवे
68.	मुंशी रोशन दीन साहिब स्टेशन मास्टर दण्डवत जेहलम
69.	मियां करीमुल्लाह साहिब सारजेन्ट पुलिस जेहलम
70.	स्वर्गीय हबीबुल्लाह साहिब मुहाफ़िज़ दफ़्तर पुलिस जेहलम
71.	हाफ़िज़ फ़ज़ल अहमद साहिब एक्ज़ामिनर ऑफिस लाहौर
72.	मुंशी अरोड़ा साहिब नक़्शा नवीस मजिस्ट्रेटी रियासत कपूरथला
73.	मौलवी वज़ीरुद्दीन साहिब शिक्षक कांगड़ा
74.	मुंशी नवाबुद्दीन साहिब हेडमास्टर दीनानगर
75.	मुंशी शाहदीन साहिब स्टेशन मास्टर दीना ज़िला जेहलम
76.	मौलवी अहमद जान साहिब शिक्षक गुजरांवाला
77.	मुंशी फ़तह मुहम्मद साहिब बुजदार सहायक पोस्ट मास्टर डेरा इस्माईल खां

78.	मीर ज़ुलफ़िक़ार अली साहिब ज़िलेदार नहर संगरूर
79.	मुंशी वज़ीर ख़ान साहिब सब ओवरसीयर बल्लभगढ़
80.	मुंशी गुलाब ख़ान साहिब ओवरसीयर मिलिट्री वर्क्स
81.	स्वर्गीय सादिक हुसैन साहिब वकील इटावा
82.	मौलवी अज़ीज़ बख़्श साहिब बी.ए.रिकार्ड कीपर डेरा इस्माईल खां
83.	डॉक्टर फ़ैज़कादिर साहिब वेटनरी सहायक रियासत कपूरथला
84.	मौलवी अब्दुल्लाह साहिब प्रोफ़ेसर महेन्द्र कॉलेज रियासत पटियाला
85.	मौलवी मिर्ज़ा सादिक़ अली बेग साहिब मौतमिद मसारिफ रियासत हैदराबाद दकन व उस्ताद महामहिम रियासत हैदराबाद दकन
86.	मौलवी मुहम्मद सादिक़ साहिब मौलवी फ़ाज़िल तथा मुंशी फ़ाज़िल कर्मचारी हाई स्कूल जम्मू
87.	मुंशी ग़ुलाम मुहम्मद साहिब दफ़्तर पोलिटीकल एजेण्ट गिलगित
88.	डॉक्टर रहमत अली साहिब मुम्बासा युगाण्डा रेलवे
89.	शेख़ मुहम्मद इस्माईल साहिब नक्शा नवीस रेलवे विभाग देहली
90.	शेख फतह मुहम्मद साहिब डिप्टी इन्सपेक्टर किश्तवाड़
91.	मौलवी सफ़दर अली साहिब प्रबंधक निर्माण विभाग रियासत हैदराबाद दकन
92.	हाफ़िज़ मुहम्मद साहिब डिप्टी इन्सपेक्टर पुलिस रियासत जम्मू
93.	शेख अब्दुर्रहमान साहिब बी.ए. अनुवादक डिवीज़नल कोर्ट मुल्तान
94.	मौलवी अबू अब्दुल अज़ीज़ मुहम्मद साहिब दफ़्तर पंजाब यूनिवर्सिटी
95.	डॉक्टर ज़हूरुल्लाह अहमद साहिब सिविल सर्जन रियासत हैदराबाद, दकन
96.	डा. मिर्ज़ा याक़ूब बेग साहिब होस सर्जन अस्पताल
97.	मुंशी ग़ुलाम हैदर साहिब डिप्टी इन्सपेक्टर नारोवाल ज़िला सियालकोट
98.	मुंशी जलालुदद्दीन साहिब पेन्शनर मीर मुन्शी रेजीमेन्ट न. 12
99.	मौलवी ग़ुलाम अली साहिब डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट बन्दोबस्त
100.	शेख़ अब्दुर्रहीम साहिब भूतपूर्व लेस दफ़ेदार रिसाला न. 12
101.	सय्यद मीर नासिर नवाब साहिब पेन्शनर नक़्शा नवीस

102.	सय्यद हामिद शाह साहिब डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट दफ़्तर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट
103.	चौधरी रुस्तम अली साहिब कोर्ट इन्सपेक्टर देहली
104.	डॉक्टर क़ाज़ी करम इलाही साहिब नायब सुप्रिन्टेन्डेण्ट लेविनटिक असाइलम लाहौर
105.	डॉ. महबूब अली साहिब हास्पिटल असिसटेन्ट
106.	मुंशी अल्लाह दाद साहिब क्लर्क दफ़्तर रजिस्ट्रार छावनी शाहपुर
107.	बाबू मुहम्मद अज़ीम साहिब क्लर्क दफ्तर रेलवे, लाहौर
108.	मुंशी ज़ैनुद्दीन मुहम्मद इब्राहीम साहिब इंजीनियर बम्बई
109.	बाबू अली अहमद साहिब रेलवे ऑफ़िस लाहौर
110.	मुंशी मुहम्मदुद्दीन साहिब पटवारी बल्लानी तहसील खारियां
111.	मियां मौलादाद साहिब सर्वियर रेलवे
112.	मौलवी सय्यद मुहम्मद अहसन साहिब भूतपूर्व मुंशी वासरीगल बाडीगार्ड तथा प्रबंधक मसारिफ रियासत भोपाल रईस अमरोहा
113.	मुंशी अता मुहम्मद साहिब सब ओवरसीयर म्युनिस्पल कमेटी सियालकोट
114.	मियां जान मुहम्मद साहिब (स्वर्गीय) क़ादियान
115.	मुंशी मुहम्मद सईद साहिब टेलीग्राफ़ मास्टर शाही अधिकारियों के खानदान से
116.	हकीम मुहम्मद हुसैन साहिब कूचा कंदीग्रान लाहौर
117.	हकीम मुहम्मद हुसैन साहिब भाटी दरवाज़ा लाहौर
118.	मीर मर्दान अली साहिब प्रबंधक दफ़्तर एकाउन्टेन्ट जनरल रियासत हैदराबाद
119.	मुंशी अब्दुल अज़ीज़ साहिब मुहाफ़िज़ दफ़्तर नहर जमुन पश्चिमी देहली
120.	बाबू महताबुद्दीन साहिब रिलीविंग स्टेशन मास्टर नार्थ वेस्टर्न रेलवे
121.	मौलवी फ़तहमुहम्मद साहिब हेड मास्टर मदरसा ख़ानक़ाह डोगरां
122.	मुंशी मुहम्मद यूसुफ साहिब नायब तहसीलदार कोहाट
123.	मुंशी रजब अली साहिब पेन्शनर साकिन झूँसी कुहना
124.	मुंशी क़ादिर अली साहिब क्लर्क मद्रास
125.	मुंशी सिराजुद्दीन साहिब तिमर्लखेड़ी क्लर्क मद्रास
126.	मौलवी अब्दुल क़ादिर साहिब शिक्षक जमालपुर लुधियाना

127.	शेख करम इलाही साहिब क्लर्क रेलवे पटिलाया
128.	मुंशी अमानत ख़ान साहिब नादौन कांगड़ा
129.	मौलवी इनायतुल्लाह साहिब टीचर मानांवाला
130.	ख़्वाजा कमालुद्दीन साहिब बी.ए.एल.एल.बी प्लीडर
131.	मुंशी सादिक हुसैन साहिब मुख़्तार अदालत इटावा
132.	मौलवी अबुल हमीद साहिब वकील हाई कोर्ट हैदराबाद, दकन
133.	मौलवी सय्यद मुहम्मद रिज़्वी साहिब वकील हाई कोर्ट हैदराबाद दकन
134.	मुहम्मद याक़ूब साहिब शिक्षक यूरोपियन देहरादून
135.	मिर्ज़ा फ़ज़्ल बेग साहिब मुख़्तार अदालत क़सूर ज़िला - लाहौर
136.	मुंशी मुहम्मदुद्दीन साहिब अपील लेखक सियालकोट
137.	मुंशी ज़फ़र अहमद साहिब अपील लेखक कपूरथला
138.	सय्यद मौलवी ज़हूर अली साहिब वकील हाई कोर्ट हैदराबाद दकन
139.	चौधरी शहाबुद्दीन साहिब बी.ए.एल.एल.बी क्लास लाहौर
140.	मौलवी मुहम्मद इस्माईल साहिब वकील फतेहगढ़, ज़िला - फर्रुख़ाबाद
141.	सरदार मुहम्मद जलालुद्दीन ख़ान साहिब आनरेरी मजिस्ट्रेट गुजरांवाला
142.	मौलवी ग़ुलाम हुसैन साहिब सब-रजिस्ट्रार पेशावर
143.	राजा पायन्दा ख़ान साहिब रईस दारापुर ज़िला जेहलम
144.	मियां सिराजुद्दीन साहिब रईस कोट सिराजुद्दीन, गुजरांवाला
145.	सरदार मुहम्मद बाक़र ख़ान साहिब क़ज़लिबाश सुपुत्र सरदार मुहम्मद अकबर ख़ान साहिब (स्वर्गीय) भूतपूर्व तहसीलदार कांगड़ा
146.	राजा अब्दुल्लाह ख़ान साहिब रईस हरियाणा बिरादर मुहम्मद नवाब ख़ान साहिब तहसीलदार जेहलम
147.	मियां मेराजुद्दीन साहिब रईस लाहौर ख़ानदान मियां स्वर्गीय मुहम्मद सुल्तान साहिब रईस आज़म लाहौर

148.	मुफ़्ती मुहम्मद सादिक़ साहिब रईस भैरा
149.	मुफ़्ती मुहम्मद यूसुफ़ बेग साहिब रईस सामाना पटियाला
150.	मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब रईस भैरा भूतपूर्व शाही तबीब रियासत जम्मू-कश्मीर
151.	नवाब सिराजुद्दीन साहिब ख़ानदान रियासत लुहारो
152.	सरदार अब्दुल अज़ीज़ ख़ान साहिब क़ज़ लिबाश सुपुत्र जरनैल अब्दुर्रहमान ख़ान साहिब क़ज़लिबाश कर्मचारी सरदार अय्यूब ख़ान साहिब
153.	राजा अताउल्लाह ख़ान साहिब रईस यारीपुरा कश्मीर
154.	मुफ़्ती फ़ज़्लुर्रहमान साहिब रईस भैरा
155.	साहिबज़ादा सिराजुल हक़ साहिब जमाली नोमानी रईस सरसावा
156.	हाफ़िज़ फतहुद्दीन साहिब नम्बरदार मरार रियासत कपूरथला
157.	मियां शर्फ़ुद्दीन साहिब नम्बरदार कोटला फ़क़ीर ज़िला जेहलम
158.	मियां मुहम्मद ख़ान साहिब नम्बरदार जस्सरवाल ज़िला अमृतसर
159.	मख़्दूम मुहम्मद सिद्दीक साहिब रईस ज़िला शाहपुर
160.	सय्यद मुहम्मद अन्वार हुसैन ख़ान साहिब रईस शाहबाद ज़िला हरदोई
161.	हाजी हाफ़िज़ मौलवी फ़ज़्लुद्दीन साहिब रईस भैरा तथा व्यापारी
162.	हकीम सय्यद हुसामुद्दीन साहिब रईस सियालकोट
163.	मुंशी हबीबुर्रहमान साहिब रईस हाजीपुर, कपूरथला
164.	मिर्ज़ा रसूल बेग साहिब रईस कलानौर
165.	हकीम फ़ज़ल इलाही साहिब रईस कोट भवानी दास
166.	चौधरी नबी बख़्श साहिब रईस बटाला
167.	शहज़ादा अब्दुल मजीद ख़ान साहिब लुधियाना
168.	मौलवी बुरहानुद्दीन साहिब गक्खड़ जेहलम
169.	मियां ग़ुलाम दस्तगीर साहिब सलोत्री मेलापुर मद्रास
170.	मौलवी अब्दुल करीम साहिब सुपुत्र मियां मुहम्मद सुलतान साहिब म्युन्सिपल कमिश्नर, लुधियाना

171.	मुंशी क़मरुद्दीन साहिब टीचर आर्य स्कूल, लुधियाना
172.	मुंशी रहीम बख़्स साहिब म्युन्सिपल कमिश्नर लुधियाना
173.	पीर जी ख़ुदा बख़्श साहिब (स्वर्गीय) व्यापारी देहरादून
174.	शेख चिराग़अली साहिब नम्बरदार थिह ग़ुलामनबी, गुरदासपुर
175.	मिर्ज़ा अय्यूब बेग साहिब सुपुत्र मिर्ज़ा नियाज़ बेग साहिब रईस कलानौर
176.	शेर मुहम्मद ख़ान साहिब रईस भकर मुहम्मडन कॉलेज अलीगढ़
177.	हाफ़िज़ अब्दुल अली साहिब मुहम्मडन कॉलेज अलीगढ़
178.	मौलवी महमूद हसन ख़ान साहिब टीचर पटियाला
179.	मुंशी अब्दुर्रहमान साहिब सिन्नौरी पटवारी पटियाला।
180.	शेख रहमतुल्लाह साहिब जनरल मर्चेण्ट मालिक बम्बई हाउस लाहौर
181.	हाजी सेठ अब्दुर्रहमान साहिब हाजी अल्लाह रखा साजन कम्पनी मद्रास
182.	ख़लीफ़ा रजबुद्दीन साहिब व्यापारी लाहौर
183.	चौधरी मुहम्मद सुल्तान साहिब व्यापारी व म्युन्सिपल कमिश्नर सियालकोट
184.	सेठ सालिह मुहम्मद साहिब व्यापारी मद्रास
185.	मियां मुहम्मद अकबर साहिब ठेकेदार चोब बटाला
186.	सेठ इस्माईल आदम साहिब अम्ब्रेला मर्चेन्ट बम्बई
187.	मियां नबी बख़्श साहिब पश्मीना व्यापारी व रफ़ूगर अमृतसर
188.	सेठ इस्हाक़ हाजी मुहम्मद साहिब व्यापारी मद्रास
189.	क़ाज़ी ख़्वाजा अली साहिब ठेकेदार शकरम लुधियाना
190.	मुंशी मुहम्मद जान साहिब व्यापारी वज़ीराबाद
191.	सेठ दालजी लालजी साहिब जनरल मर्चेण्ट मद्रास
192.	सेठ मूसा साहिब जनरल मर्चेण्ट एण्ड कमिश्नर एजेण्ट
193.	जमालुद्दीन-व-इमामुद्दीन-व-ख़ैरुद्दीन व्यापारी सेखवां
194.	शेख करम इलाही साहिब एजेण्ट शेख मुहम्मद रफ़ी बिरादर जनरल मर्चेन्ट लाहौर
195.	हाजी महदी बग़दादी साहिब इन्डिगो मर्चेन्ट मद्रास
196.	ख़्वाजा अज़ीज़ुद्दीन साहिब व्यापारी लाहौर
197.	सेठ अहमद अब्दुर्रहमान साहिब फ़र्म आफ़ साजन कम्पनी मद्रास
198.	ख़वाजा ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब सौदागर पश्मीना, कोलूटोला कलकत्ता

199.	शेख नूर अहमद साहिब खाल व्यापारी मद्रास
200.	शेख मौला साहिब बख़्श चर्म व्यापारी डंगा
201.	ख़लीफ़ा नूरुद्दीन साहिब व्यापारी जम्मू
202.	मियां जीवन बट साहिब पश्मीना व्यापारी अमृतसर
203.	मियां मुहम्मद इस्माईल साहिब व्यापारी पश्मीना अमतृसर
204.	सय्यद फ़ज़्ल शाह साहिब ठेकेदार दोमील सड़क कश्मीर
205.	मियां मुहम्मद उमर साहिब व्यापारी तथा रईस शोपियां कश्मीर
206.	डॉ. मुराद बख़्श साहिब प्रोपराइटर न्यू मेरीकल हाल कमर्शियल बिल्डिंग लाहौर
207.	मियां सुल्तान बख़्श साहिब व्यापारी व रूब मेकर पंजाब यूनीवर्सिटी कमर्शियल बिल्डिंग लाहौर
208.	मियां इमामुद्दीन साहिब प्रोपरायटर व व्यापारी
209.	सेठ अली मुहम्मद साहिब हाजी अल्लाह रखा जनरल मर्चेण्ट बंग्लौर
210.	मियां मुहम्मद दीन साहिब व्यापारी तथा प्रोपरायटर शूमेकिंग जम्मू
211.	अहमद दीन-व-मुहम्मद बख़्श व्यापारी मुलतान
212.	मियां क़ुतुबुद्दीन साहिब मसगर अमृतसर
213.	ताज मुहम्मद ख़ान साहिब क्लर्क म्युन्सिपल कमेटी लुधियाना
214.	मियां चिराग़ुद्दीन साहिब ठेकेदार गुजरात
215.	मुंशी अता मुहम्मद साहिब व्यापारी तथा स्टाम्प विक्रेता चिन्योट
216.	मियां अब्दुल ख़ालिक़ साहिब दुकानदार अमृतसर
217.	मियां मुहम्मद अमीन साहिब पुस्तक विक्रेता जेहलम
218.	शेख़ ग़ुलाम नबी साहिब व्यापारी रावलपिण्डी
219.	मुंशी मुहम्मद इब्राहीम साहिब व्यापारी गबरून, लुधियाना
220.	सेठ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब हाजी अल्लाह रखा, मद्राम
221.	डॉ. नूर मुहम्मद साहिब प्रोपरायटर शिफ़ाख़ान: तथा एडीटर पत्रिका हमदर्द सेहत, लाहौर
222.	मौलवी हकीम नूर मुहम्मद साहिब मालिक शिफ़ाखाना नूरी रईस मोकल, ज़िला लाहौर
223.	शेख याक़ूब अली साहिब एडीटर अख़बार अलहकम क़ादियान

224.	मौलवी अब्दुल हक़्क़ साहिब एडीटर नसीम-ए सबा बंग्लौर
225.	शेख नूर अहमद साहिब मालिक रियाज़ हिन्द प्रेस अमृतसर
226.	मौलवी क़ुतुबुद्दीन साहिब इस्लाम के उपदेशक बद्दोमली
227.	मौलवी अबू यूसुफ़ मुबारक अली साहिब छावनी सियालकोट
228.	हकीम मौलवी सय्यद हबीब शाह साहिब ख़ुशाब
229.	साहिबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद साहिब लुधियाना सुपुत्र बिरादर हज़रत मुंशी हाजी अहमद जान साहिब (स्वर्गीय)
230.	साहिबज़ादा मंज़ूर मुहम्मद साहिब भूतपूर्व अहले मद पुलिस दफ़्तर कोसिंल जम्मू
231.	क़ाज़ी ज़ैनुल आबिदीन साहिब ख़ानपुर रियासत, पटियाला
232.	शाह रुकनुद्दीन अहमद साहिब सज्जादा नशीन कड़ा ज़िला इलाहाबाद
233.	मौलवी अब्दुर्रहीम साहिब बैंग्लौर
234.	मौलवी अब्दुल हकीम साहिब धारवाड़ क्षेत्र बम्बई
235.	मौलवी ग़ुलाम इमाम साहिब अज़ीज़ुल वायज़ीन मणिपुर आसाम
236.	रहमान शाह साहिब नागपुर ज़िला चांदा
237.	हाजी अब्दुर्रहमान साहिब (स्वर्गीय) लुधियाना
238.	मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब रियासत कपूरथला
239.	शेख मौलवी फ़ज़ल हुसैन साहिब अहमदाबादी, जेहलम
240.	काज़ी मुहम्मद यूसुफ़ साहिब क़ाज़ी कोट गुजरांवाला
241. (क)	हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहिब वकील मदरसा अन्वारुर्रहमान मुल्तान निवासी बटाला
241. (ख)	मौलवी रहीमुल्लाह साहिब (स्वर्गीय) लाहौर
242.	मिस्त्री हाजी इस्मतुल्लाह साहिब लुधियाना
243.	हाजी मुहम्मद अमीरख़ान साहिब प्रबंधक गाड़ी शकरम सहारनपुर
244.	मौलवी मुहम्मद अफ़ज़ल साहिब निवासी गमला, ज़िला गुजरात
245.	मौलवी मुहम्मद अकरम साहिब सुपुत्र मौलवी मुहम्मद अफ़्ज़ल साहिब निवासी गमला ज़िला गुजरात
246.	मौलवी ख़ान मलिक साहिब मौज़ा खेवाल, ज़िला जेहलम

247.	मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब सुपुत्र मौलवी ख़ान मलिक साहिब
248.	सय्यद अहमद अली शाह साहिब सफेद पोश, ज़िला सियालकोट
249.	सय्यद अहमद हुसैन साहिब तबीब ग्वालियर
250.	हकीम मुहम्मद हुसैन साहिब तबीब ग्वालियर
251.	बाबू नूरुद्दीन साहिब ड्राफ्ट मैन पब्लिक वर्क्स गुजरांवाला
252.	शेख हिदायतुल्लाह साहिब व्यापारी पेशावर
253.	मियां फ़ज़ल इलाही साहिब नम्बरदार फ़ैज़ुल्लाह चक, गुरदासपुर
254.	अहमद अली साहिब नम्बरदार वज़ीर चक गुरदासपुर
255.	मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब प्रोपरायटर शोला नूर प्रेस बटाला
256.	शेख हामिद अली साहिब ज़मींदार थिह ग़ुलाब नबी ज़िला गुरदासपुर
257.	मौलवी मुहम्मद फ़ज़ल साहिब चंगवी, ज़िला रावलपिण्डी
258.	डॉ. फ़ैज़ अहमद साहिब वैक्सीनेटर ज़िला हज़ारा
259.	हाफ़िज़ अलाउद्दीन साहिब कामिलपुर, रावलपिण्डी
260.	मियां ग़ुलाम हुसैन साहिब रोहतासी, क़ादियान
261.	मौलवी अब्दुल क़ादिर साहिब लुधियाना
262.	हकीम मुहम्मद हुसैन साहिब टीचर इस्लामिया स्कूल रावलपिण्डी
263.	खुशहाल ख़ान साहिब रईस बारीकाब, ज़िला रावलपिण्डी
264.	मुंशी ख़ादिम हुसैन साहिब टीचर मदरसा इस्लामिया रावलपिण्डी
265.	क़ाज़ी ग़ुलाम हुसैन क्लर्क दफ़्तर एक्ज़ामिनर रेलवे लाहौर
266.	हाफ़िज़ हकीम क़ादिर बख़्श साहब अहमदाबाद ज़िला जेहलम
267.	मियां क़ुतुबुद्दीन साहिब निवासी कोटला फ़क़ीर जेहलम
268.	क़ाज़ी अब्दुल वह्हाब ख़ान साहिब नायब क़ाज़ी ज़िला बिलासपुर मध्य प्रदेश
269.	हाफ़िज़ हाजी अहमदुल्लाह ख़ान साहिब टीचर मदरसा तालीमुल इस्लाम क़ादियान
270.	ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब अर्ज़ी नवीस जेहलम
271.	अब्दुर्रहमान पटवारी सनाम रियासत पटियाला
272.	मुंशी हाशिम अली वरनाला रियासत पटियाला
273.	अब्दुल हक़ साहिब टीचर बटाला
274.	मुंशी करम इलाही साहिब टीचर नुसरत इस्लाम लाहौर

275.	ख़तीब नेअमत अली साहिब अपील नवीस बटाला
276.	मियां करम इलाही साहिब कान्सटेबल पुलिस लुधियाना
277.	मुंशी इमामुद्दीन साहिब पटवारी लोचप
278.	मुंशी रहीमुद्दीन साहिब हबीब वाला ज़िला बिजनौर
279.	इमामुद्दीन साहिब कम्पाउन्डर शिफ़ाख़ाना लालामूसा
280.	शेख़ अब्दुल्लाह दीवानचन्द प्रबन्धक शिफ़ा ख़ाना हिमायत-ए-इस्लाम लाहौर
281.	हाफ़िज़ नूर मुहम्मद साहिब चक फ़ैज़ुल्लाह गुरदासपुर
282.	हाफ़िज़ ग़ुलाम मुहियुद्दान साहिब भैरवी क़ादियान
283.	मसीहुल्लाह ख़ान साहिब कर्मचारी एक्ज़ेक्टिव इंजीनयर मुलतान
284.	मौलवी सरदार मुहम्मद साहिब बिरादार ज़ादह मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहिब भेरा
285.	मुंशी अल्लाह दित्ता साहिब यूरोपियन टीचर सियालकोट
286.	राजा ग़ुलाम हैदर ख़ान साहिब रईस यारीपुरा, कश्मीर
287.	मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब रंगपुर ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़
288.	मौलवी जमालुद्दीन साहिब सय्यद वाला मिन्टगुमरी
289.	मियां अब्दुल्लाह साहिब ज़मींदार ठट्ठा सफ़ीरका मिन्टगुमरी
290.	मियां सिराजुद्दीन साहिब अत्तार सरहिन्द
291.	मुहम्मद हयात साहिब सारजेन्ट पुलिस सियालकोट
292.	मुंशी नियाज़ अली साहिब सरजेण्ट पुलिस सियालकोट
293.	मुहम्मदुद्दीन साहिब कान्सटेबल पुलिस सियालकोट
294.	हकीम अहमदुद्दीन साहिब नकल नवीस पुलिस सियालकोट
295.	डॉ करीम बख़्श हास्पिटल सहायक
296.	हाफ़िज़ मुहम्मद क़ारी साहिब जेहलम
297.	मियां नज़्मुद्दीन साहिब पुस्तक विक्रेता भेरा
298.	मिस्त्री जमाल मालिक कारख़ाना रुई भेरा
299	मौलवी फ़ज़ल मुहम्मद साहिब गांव हरसियां, गुरदासपुर
300.	मुहम्मद अली शाह टीचर ग़ौता-सियालकोट
301.	अब्दुल मजीद साहिब क्लर्क लोकल फण्ड पठानकोट
302.	मुहम्मद ख़ान साहिब क्लर्क जेल रावलपिण्डी

303.	मुहम्मद अकबर ख़ान साहिब सिन्नौर पटियाला
304.	मौलवी मुहम्मद यूसुफ़ साहिब टीचर सिन्नौर, पटियाला
305.	मुहम्मद हसन ख़ान साहिब रईस सिन्नौर पटियाला
306.	मियां करीम बख़्श साहिब (स्वर्गीय) जमालपुरी भूतपूर्व मुरीद गुलाब शाह मज़्ज़ूब जिसकी भविष्यवाणी "निशान आसमानी" किताब में वर्णित
307.	मुल्ला निज़ामुद्दीन साहिब पुस्तक विक्रेता, लुधियाना
308.	मियां अल्लाह दिया साहिब वाइज़ लुधियाना
309.	मियां शहाबुद्दीन साहिब पेन्शनर बाजावाला, लुधियाना
310.	अहमद जान साहिब दर्ज़ी पेशावर
311.	मियां मुहम्मद इस्माईल साहिब सरसावा
312.	ग़ुलाम मुहियुद्दीन ख़ान साहिब सुपुत्र डॉक्टर बोड़े खान साहिब क़सूर
313.	मियां ग़ुलाम क़ादिर साहिब पटवारी (स्वर्गीय) सिन्नौर
314.	मौलवी ग़ुलाम हुसैन साहिब लाहौर
315.	स्वर्गीय मौलवी हसन अली साहिब (स्वर्गीय) मुस्लिम मिशनरी मालिक पत्रिका नूरुल इस्लाम भूतपूर्व हेडमास्टर पटना स्कूल भागलपुर
316.	सय्यद मज़ाहिरुल हक़ साहिब रईस इटावा।

लेखक ख़ाकसार मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, क़ादियान

24 फ़रवरी 1898 ई.

ज़िया उल इस्लाम प्रैस क़ादियन

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली

पंजाब तथा हिन्दुस्तान के शैख़ों, सदाचारियों (नेक लोगों) और पवित्र वलियों से महाप्रतापी ख़ुदा की क़सम देकर

एक निवेदन

हे धर्म के महापुरुषों और ख़ुदा के नेक बन्दों मैं इस समय महाप्रतापी ख़ुदा की क़सम देकर आपके सामने एक ऐसा निवेदन प्रस्तुत करता हूं जिस पर ध्यान देना आप लोगों पर फ़ित्ना और फ़साद दूर करने के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आप लोग प्रतिभा और विवेक रखते हैं और न केवल अटकल से अपितु ख़ुदा के प्रकाश से देखते हैं और यद्यपि ऐसे आवश्यक मामले में जिसमें सम्पूर्ण मुसलमानों की हमदर्दी है तथा इस्लाम की एक बड़े भारी फूट को मिटाना है, क़सम की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी परन्तु चूंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने कुछ हितों के कारण चुप रहना पसन्द करते हैं और सोचते हैं कि सच्ची गवाही में आम लोगों की नाराज़गी की संभावना है और झूठ बोलने में गुनाह है और यह नहीं समझते कि गवाही को छुपाना भी एक गुनाह (पाप) है। उन लोगों को ध्यान दिलाने के लिए क़सम देने की आवश्यकता पड़ी।

हे धार्मिक महापुरुषो! वह बात जिसके लिए आप लोगों को महाप्रतापी ख़ुदा की क़सम देकर उसे करने के लिए आप को मजबूर करता हूं यह है कि ख़ुदा तआला ने ठीक गुमराही और उपद्रव के समय में इस विनीत को **चौदहवीं सदी** के आरंभ में ख़ुदा की सृष्टि के सुधार के लिए **मुजद्दिद** बना कर भेजा और चूंकि इस सदी का भारी उपद्रव जिसने इस्लाम को हानि पहुंचाई थी, ईसाई पादरियों का उपद्रव था। इसलिए ख़ुदा तआला ने इस विनीत का नाम मसीह मौऊद रखा और यह नाम अर्थात् मसीह मौऊद वही नाम है जिसकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना दी गई थी और ख़ुदा तआला से वादा निर्धारित हो चुका था

कि तस्लीस (तीन ख़ुदाओं की आस्था) के प्रभुत्व के युग में इस नाम पर एक मुजद्दिद आएगा जिसके द्वारा सलीब तोड़ना प्रारब्ध है। इसलिए सही बुख़ारी में उस मुजद्दिद की यही परिभाषा लिखी है कि वह उम्मते मुहम्मदिया में से उनका एक इमाम होगा और सलीब को तोड़ेगा। यह इस बात की ओर संकेत था कि वह सलीबी धर्म के प्रभुत्व के समय आएगा। अत: ख़ुदा तआला ने अपने वादे के अनुसार ऐसा ही किया और इस ख़ाकसार को चौदहवीं सदी के सिर पर भेजा और मुझे वह **आसमानी अस्त्र** प्रदान किया जिस से मैं सलीबी धर्म का खण्डन कर सकूं। परन्तु अफ़सोस कि इस देश के अदूरदर्शी उलेमा ने मुझे स्वीकार नहीं किया और अत्यन्त व्यर्थ बहाने प्रस्तुत किए जिनका हर पहलू से खण्डन किया गया। उन्होंने यह निरर्थक विचार प्रस्तुत किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पार्थिव शरीर के साथ जीवित आकाश पर चले गए थे और फिर दमिश्क के मीनार के पास अन्तिम युग में उतरेंगे और वही मसीह मौऊद होंगे। इसलिए उनको उत्तर दिया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पार्थिव शरीर के साथ जीवित आसामान पर चले जाना कदापि सही नहीं है। एक हदीस भी जो सही मर्फ़ूअ मुत्तसिल हो ऐसी नहीं मिलेगी जिस से उनका जीवित आसमान पर चले जाना सिद्ध होता हो बल्कि पवित्र क़ुर्आन स्पष्ट तौर पर उनकी मृत्यु का वर्णन करता है और बड़े-बड़े महान उलेमा जैसे इब्ने हजम और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी मृत्यु हो जाने को मानते है। फिर जबकि स्पष्ट आदेशों से उन का मृत्यु प्राप्त हो जाना सिद्ध होता है तो फिर यह आशा रखना कि वह किसी समय दमिश्क के पूर्वी मीनार के पास उतरेंगे। कितना ग़लत विचार है बल्कि इस स्थिति में दमिश्की हदीस के वे अर्थ करने चाहिए जो क़ुर्आन तथा दूसरी हदीसों से विरोध न रखते हों और वह यह हैं कि मसीह मौऊद का उतरना वैभव-व-सम्मान जो एक रूहानी उतरना है दमिश्क के पूर्वी मीनार तक अपने प्रकाश दिखाएगा। चूंकि दमिश्क तस्लीस के बुरे वृक्ष के उगने का मूल स्थान है और उसी स्थान से इस ख़राब आस्था का जन्म हुआ है। इसलिए संकेत किया गया कि मसीह मौऊद का नूर उतार कर उस स्थान तक फैलेगा जहां तस्लीस की जन्म भूमि है परन्तु अफ़सोस कि विरोधी उलेमा ने

इस साफ़ और स्पष्ट बात को स्वीकार नहीं किया। फिर यह भी नहीं सोचा कि पवित्र क़ुर्आन इसलिए आया है ताकि पहले मतभेदों का फैसला करे। यहूदियों और ईसाइयों ने हज़रत ईसा के आकाश की ओर रफ़ा में जो मतभेद किया था जिसका फ़ैसला क़ुर्आन ने करना था वह रफ़ा शारीरिक नहीं था बल्कि सम्पूर्ण विवाद और झगड़ा रूहानी रफ़ा के बारे में था। यहूदी कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह ईसा लानती है अर्थात ख़ुदा के दरबार से अस्वीकार किया गया और ख़ुदा से दूर किया गया तथा ख़ुदा की रहमत (दया) से वंचित किया गया, जिस का रफ़ा ख़ुदा की तरफ कदापि नहीं हुआ। क्योंकि वह सलीब दिया गया। और मस्लूब तौरात के आदेश के अनुसार ख़ुदा की तरफ रफ़ा से वंचित होता है जिसे दूसरे शब्दों में लानती कहते हैं। तौरात का उद्देश्य यह था कि सच्चा नबी कभी सलीब पर नहीं मरता और जब सलीब पर चढ़ा कर मार दिया गया तो झूठा ठहरा तब निस्सन्देह वह लानती हुआ जिसका ख़ुदा की तरफ़ रफ़ा असंभव है। इस्लामी आस्था की तरह यहूदियों की भी आस्था थी कि मोमिन मृत्यु के पश्चात आकाश की तरफ उठाया जाता है और उसके लिए आकाश के दरवाज़े खोले जाते हैं और हज़रत ईसा के काफ़िर ठहराने के लिए यहूदियों के हाथ में यह तर्क था कि वह सूली दिया गया है और जो व्यक्ति सूली दिया जाए उसका तौरात के अनुसार आकाश की तरफ रफ़ा नहीं होता अर्थात वह मृत्यु के पश्चात आकाश की ओर नहीं उठाया जाता बल्कि लानती हो जाता है। इसलिए उसका काफ़िर होना अनिवार्य हुआ और इस तर्क के मानने से ईसाइयों को कोई चारा न था, क्योंकि तौरात में ऐसा ही लिखा हुआ था। अत: उन्होंने इस बात को टालने के लिए दो बहाने बनाए। एक यह कि इस बात को मान लिया कि निस्सन्देह यसू जिस का दूसरा नाम ईसा है सलीब पर मृत्यु पाकर लानती हुआ, किन्तु वह लानत केवल तीन दिन तक रही फिर इसके स्थान पर उसे अल्लाह की ओर रफ़ा प्राप्त हुआ। और दूसरा यह बहाना बनाया गया कि कुछ ऐसे लोगों ने जो हवारी नहीं थे गवाही भी दे दी कि हमने यसू को आकाश पर चढ़ते भी देखा है, मानो ख़ुदा की ओर रफ़ा हो गया। जिस से मोमिन होना सिद्ध होता है, परन्तु यह गवाही झूठी थी जो अत्यन्त कठिन समय में बनाई गई। बात यह है कि

जब यहूदियों ने हवारियों को प्रतिदिन परेशान करना आरंभ किया कि सलीब पर मरने के कारण यसू का लानती होना सिद्ध हो गया अर्थात ख़ुदा की ओर रफ़ा नहीं हुआ तो इस एतराज़ के उत्तर में ईसाई बहुत परेशान हो गए और उनको यहूदियों के समाने मुंह दिखाने का स्थान न रहा, तब कुछ झूठ गढ़ने वाले बहाने बाज़ों ने यह गवाही दे दी कि हमने यसू को आकाश पर चढ़ते देखा है। फिर क्यों कर उसका रफ़ा नहीं हुआ। परन्तु इस गवाही में यद्यपि सर्वथा झूठ से काम लिया था किन्तु फिर भी ऐसी गवाही का यहूदियों के एतराज़ से कुछ संबंध न था, क्योंकि यहूदियों का एतराज़ रूहानी रफ़ा के बारे में था जिसकी नींव तौरात पर थी तथा शारीरिक रफ़ा की कोई बहस न थी। इसके अतिरिक्त शारीरिक तौर पर यदि कोई कष्ट कल्पना करते हुए पक्षियों की भांति उड़े भी और आंखों से ओझल हो जाए तो क्या इस से सिद्ध हो जाएगा कि वह वास्तव में किसी आकाश तक जा पहुंचा है? ईसाइयों का यह बुद्धूपन था कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई, अन्यथा इसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी। सम्पूर्ण बहस रूहानी रफ़ा के बारे में थी जिससे लानत का अर्थ रोकता था। अफ़सोस कि उनको यह विचार न आया कि तौरात में जो लिखा है कि मस्लूब (सलीब पर मरने वाला) का ख़ुदा की ओर रफ़ा नहीं होता तो यह सच्चे नबियों का सामान्य लक्षण रखा गया था और यह इस बात की ओर संकेत था कि सलीब की मौत अपराध के अभ्यस्त लोगों की मौत है तथा सच्चे नबियों के लिए यह भविष्यवाणी थी कि वे अपराध के अभ्यस्त लोगों की मौत से नहीं मरेंगे। इसीलिए हज़रत आदम से लेकर अन्त तक कोई सच्चा नबी सलीब पर नहीं मरा। अत: इस बात का शारीरिक रफ़ा से क्या संबंध था, अन्यथा अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक सच्चा नबी पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर गया हो और जो पार्थिव शरीर के साथ आकाश पर न गया हो वह झूठा हो। अत: सम्पूर्ण विवाद रूहानी रफ़ा के बारे में था। जिसका छ: सौ वर्ष तक फैसला न हो सका। अन्ततः **पवित्र क़ुर्आन** ने फ़ैसला कर दिया। इसी की ओर महा प्रतापी ख़ुदा ने संकेत किया है -

يَا عِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ (आले इमरान-56)

अर्थात् हे ईसा मैं तुझे स्वाभाविक मृत्यु दूंगा और तुझे अपनी ओर उठाऊँगा

अर्थात तू सलीब पर नहीं मरेगा। इस आयत में यहूदियों के उस कथन का खण्डन है कि वे कहते थे कि ईसा सलीब पर मर गया। इसलिए लानती है और ख़ुदा की ओर उसका रफ़ा नहीं हुआ तथा ईसाई कहते थे कि तीन दिन लानती रह कर फिर रफ़ा हुआ और इस आयत ने यह फ़ैसला किया कि मृत्यु के पश्चात अविलम्ब ख़ुदा की तरफ़ ईसा का रूहानी रफ़ा हुआ और ख़ुदा तआला ने इस स्थान पर رَافِعُكَ اِلَى السَّمَآءِ नहीं कहा बल्कि رَافِعُكَ اِلَيَّ फ़रमाया ताकि शारीरिक रफ़ा का सन्देह न गुज़रे। क्योंकि जो ख़ुदा तआला की ओर जाता है वह रूह से जाता है न कि शरीर से। اِرْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ (अलफ़ज्र-29) इसका उदाहरण है। अतः इस प्रकार से इस विवाद का निर्णय हुआ, परन्तु हमारे मूर्ख विरोधी जो शारीरिक रफ़ा के समर्थक हैं वे इतना भी नहीं समझते कि शारीरिक रफ़ा विवादित बात न थी और यदि इस असंबंधित बात को कष्ट कल्पना के तौर पर स्वीकार कर लें तो फिर यह प्रश्न होगा कि रूहानी रफ़ा के बारे में जो झगड़ा यहूदियों तथा ईसाइयों में था उसका फ़ैसला क़ुर्आन की किन आयतों में वर्णन किया गया है। अन्त में लौटकर उसी ओर आना पड़ेगा कि वे आयतें यही हैं।

यह तो हमारा इल्ज़ाम विरोधियों पर उदाहृत तौर पर है और ऐसा ही बौद्धिक तौर पर भी वे दोषी ठहरते हैं क्योंकि जब से दुनिया की नींव डाली गई है यह ख़ुदा का स्वभाव नहीं कि कोई व्यक्ति जीवित इसी पार्थिव शरीर के साथ कई सौ वर्ष आकाश पर रहन-सहन करे और फिर किसी दूसरे समय पृथ्वी पर उतर आए। यदि ख़ुदा का यह स्वभाव होता तो दुनिया में इसके कई उदाहरण पाए जाते। यहूदियों का यह विचार था कि एलिया आकाश पर गया और फिर आएगा परन्तु स्वयं हज़रत मसीह ने इस विचार को ग़लत ठहराया और एलिया के उतरने से अभिप्राय यूहन्ना को ले लिया जो इस्लाम में यह्या के नाम से नामित है। हालांकि प्रत्यक्ष आदेश यही कहता था कि एलिया वापस आएगा। प्रत्येक विलक्षण आस्था का उदाहरण मांगना अन्वेषकों का कार्य है ताकि किसी गुमराही में न फंस जाएं। क्योंकि जो बात ख़ुदा की ओर से हो उसके और भी उदाहरण पाए जाते हैं। और यह बात सच है कि इस दुनिया में सही घटनाओं के लिए उदाहरण होते हैं परन्तु झूठ के लिए कोई

उदाहरण नहीं होता। इसी अटल सिद्धान्त से हम ईसाइयों की आस्था का खण्डन करते हैं। ख़ुदा ने दुनिया में जो कार्य किया वह उसके स्वभाव और अनादि सुन्नत (अनादि नियम) में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यदि ख़ुदा ने दुनिया में लानती और सलीब पर मरने के लिए अपना बेटा भेजा तो अवश्य यह भी उसका स्वभाव होगा कि कभी बेटा भी भेज देता है। अत: स्वयं सिद्ध करना चाहिए कि इस से पहले उसके कितने बेटे इस काम के लिए आए क्योंकि यदि बेटा भेजने की आवश्यकता पड़ी है तो पहले भी उस अनश्वर स्रष्टा को किसी न किसी युग में अवश्य पड़ी होगी। अत: ख़ुदा तआला के समस्त कार्य सुन्नत और स्वभाव के दायरे में घूम रहे हैं और जो बात अल्लाह के स्वभाव से बाहर वर्णन की जाए तो बुद्धि ऐसी आस्था को दूर से धक्के देती है।

शेष रही कश्फ़ी और इल्हामी गवाही अत: कश्फ़ और इल्हाम जो ख़ुदा तआला ने मुझे प्रदान किया है वह यही बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वास्तव में मृत्यु पा गए हैं और उनका दोबारा दुनिया में आना यही था कि एक ख़ुदा का बन्दा उनकी शक्ति और स्वभाव में होकर प्रकट हो गया और मेरे बयान की सच्चाई पर महा प्रतापी ख़ुदा ने कई प्रकार के निशान प्रकट किए तथा चन्द्रमा और सूर्य को मेरी सच्चाई के लिए चन्द्र और सूर्य ग्रहण की अवस्था में रमज़ान में एकत्र किया और विरोधियों से कुश्ती की भांति मुक़ाबला करा के अन्तत: प्रत्येक मैदान में चमत्कारिक तौर पर मुझे विजय दी तथा अन्य बहुत से निशान दिखाए जिन का विवरण पुस्तक **सिराजे मुनीर** और अन्य पुस्तकों में लिखा है। परन्तु क़ुर्आन और हदीस के स्पष्ट आदेशों, बौद्धिक गवाहियों और आकाशीय निशानों के बावजूद फिर भी अन्याय-स्वभाव विरोधी अपने अन्याय से नहीं रुके और नाना प्रकार के झूठों से सहायता लेकर केवल अन्याय की दृष्टि से झुठला रहे हैं।

इसलिए अब मुझे समझाने के अन्तिम प्रयास को पूर्ण करने के लिए **एक अन्य प्रस्ताव** विचार में आया है और आशा करता हूं कि ख़ुदा तआला इस में बरकत डाल दे और यह फूट जिसने हज़ारों मुसलमानों में बड़ी शत्रुता और दुश्मनी डाल दी है सुधार की तरफ आ जाए

और वह यह है

कि पंजाब और हिन्दुस्तान के समस्त शैख़, फ़क़ीर, सदाचारी तथा वलियों की सेवा में महा प्रतापी ख़ुदा की **क़सम** देकर निवेदन किया जाए कि वे मेरे बारे में और मेरे दावे के बारे में दुआ और गिड़गिड़ाहट तथा इस्तिख़ारे से ख़ुदा के दरबार में ध्यान करें। फिर यदि उनके इल्हाम, कश्फ़ और सच्चे स्वप्नों से **क़सम खाकर** प्रकाशित करें प्रचुरता इस ओर निकले कि जैसे यह ख़ाकसार महा झूठा और झूठ गढ़ने वाला है निस्संदेह समस्त लोग मुझे बहिष्कृत, तिरस्कृत, लानती और झूठ गढ़ने वाला और महा झूठा समझ लें और जितना चाहें मेरे ऊपर लानतें भेजें उनको कोई गुनाह नहीं होगा और इस अवस्था में हर एक ईमानदार के लिए अनिवार्य होगा कि मुझसे दूर रहे और इस प्रस्ताव से बड़ी सरलता से मुझ पर और मेरी जमाअत पर मुसीबत आ जाएगी। परन्तु यदि तंद्रावस्था, इल्हाम और सच्चे स्वप्नों की अधिकता इस ओर हो कि यह विनीत अल्लाह की ओर से और अपने दावे में सच्चा है तो फिर हर एक ख़ुदा तरस पर अनिवार्य होगा कि मेरा अनुसरण करे और काफिर कहने और झुठलाने को छोड़ दे। स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति को आखिर एक दिन मरना है अत: अगर सच्चाई के स्वीकार करने के लिए इस संसार में कोई अपमान भी उठाना पड़े तो वह परलोक के अपमान से बेहतर है। **अत:** मैं पंजाब और हिंदुस्तान के समस्त मशाइख़ और फक़ीरों और नेक लोगों को **अल्लाह** तआला की सौगंध देता हूं जिसके नाम पर गर्दन झुका देना सच्चे धार्मिक लोगों का काम है कि वह मेरे बारे में ख़ुदा तआला के दरबार में कम से कम 21 दिन तक ध्यान करें अर्थात इस अवस्था में कि 21 दिन से पहले कुछ मालूम न हो सके और ख़ुदा से इस हक़ीक़त का प्रकटन चाहें कि मैं कौन हूं? क्या महा झूठा हूं या अल्लाह की ओर से हूं। मैं बार-बार इस्लाम धर्म के बुज़ुर्गों की सेवा में अल्लाह तआला की सौगंध देकर यह प्रश्न करता हूं कि अवश्य 21 दिन तक, अगर इससे पहले मालूम न हो सके, इस मतभेद के दूर करने के लिए दुआ और ध्यान करें। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि ख़ुदा तआला की सौगंध सुनकर फिर

इस ओर ध्यान न करना नेक लोगों का काम नहीं☆ और मैं जानता हूं कि इस सौगंध को सुनकर हर एक पवित्र हृदय और ख़ुदा तआला की महानता से डरने वाला अवश्य ध्यान देगा। फिर ऐसी इल्हामी गवाहियों के इकट्ठा होने के बाद जिस ओर अधिकता होगी वह बात अल्लाह तआला की ओर से समझी जाएगी।

यदि मैं वास्तव में महा झूठा और दज्जाल हूं तो इस उम्मत पर बड़ा संकट है कि ऐसे आवश्यकता के समय में और फित्नों और आडंबरों और फसादों के तूफान के ज़माने में बजाए एक सुधारक और मुजद्दिद के चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में एक दज्जाल पैदा हो। याद रहे कि ऐसा हर एक व्यक्ति जिसके बारे में एक जमाअत विवेकवान मुसलमानों की सच्चाई और संयम और पवित्र हृदय होने की धारणा रखती है वह इस विज्ञापन में मेरा संबोधित है। और यह भी याद रहे कि जो नेक लोग प्रसिद्धि के लिहाज से कम दर्जे पर हैं, मैं उनको कम नहीं समझता, संभव है कि वे प्रसिद्ध लोगों से ख़ुदा तआला की दृष्टि में अधिक अच्छे हों। इसी प्रकार में नेक और पवित्र औरतों को भी मर्दों की अपेक्षा तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता, संभव है कि वे कुछ प्रसिद्ध नेक मर्दों से भी अच्छी हों। परंतु प्रत्येक साहेब जो मेरे बारे में कोई स्वप्न, कश्फ या इल्हाम लिखें उन पर निश्चित रूप से यह अनिवार्य होगा कि वह सौगंध खाकर अपने हस्ताक्षर कृत तहरीर से मुझ को सूचना दें ताकि ऐसी तहरीरें एक स्थान पर इकट्ठी होती जाएं और फिर सत्य के अभिलाषियों के लिए प्रकाशित की जाएं।

इस प्रस्ताव से इंशाअल्लाह, ख़ुदा के बन्दों को बहुत लाभ होगा और मुसलमानों के दिल बहुत सी गवाहियों से एक और तसल्ली पाकर फितने से बच जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों में भी इसी ओर संकेत होता है कि पहले अंतिम युग के महदी को काफिर कहा जाएगा और लोग उससे शत्रुता करेंगे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करेंगे और अंततः ख़ुदा के नेक बन्दों को उसकी सच्चाई के बारे में सच्चे स्वप्नों और इल्हाम द्वारा सूचना दी जाएगी और अन्य आसमानी निशान भी

☆ मैं सौगंध के अतिरिक्त समय के मशाइख की सेवा में उनके पूर्वजों का वास्ता देता हूँ कि वे अवश्य मेरे सत्यापन अथवा खंडन के लिए ख़ुदा के दरबार में ध्यान करें। इसी से

प्रकट होंगे। तब समय के उलमा प्रसन्नता पूर्वक या कुढ़ते हुए उसको स्वीकार करेंगे। अत: हे प्यारो और हे सम्मानित लोगो! ख़ुदा के लिए परोक्ष के ज्ञाता की तरफ ध्यान दो। आप लोगों को **अल्लाह तआला की सौगंध है** कि मेरे इस प्रश्न को स्वीकार करो। उस सर्वशक्तिमान ख़ुदा की तुम्हें सौगंध है कि इस विनीत के निवेदन को अस्वीकार मत करो।

عزیزان مے دہم صد بار سوگند
بروئے حضرت دادار سوگند

अनुवाद - हे दोस्तो! मैं आपको सैकड़ों शपथ देता हूं और मैं खुदा तआला की सौगंध देता हूं।

کہ در کارم جواب از حق بجوئید
بہ محبوبِ دل ابرار سوگند

अनुवाद - कि मेरे मामले में खुदा तआला से उत्तर मांगो। मैं तुम्हें धर्मियों के दिलों के प्रिय की सौगंध देता हूं।

هٰذا ما اَرَدْنا لازالة الدُّجیٰ
والسّلام علیٰ من اتبع الهُدیٰ

निवेदनकर्ता

विनीत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी

ज़िला गुरदासपुर, पंजाब

15 जुलाई 1897 ई॰

(ज़ियाउल इस्लाम प्रैस से प्रकाशित)

★ ★ ★ ★ ★

पारिभाषिक शब्दावली

अर्श- सिंहासन। वह स्थान जहाँ पर अल्लाह का अधिष्ठान है।

अह्ले किताब- यहूदी और ईसाई जो तौरात नामक ग्रंथ को ईशवाणी मानते हैं।

अज़ाब - अल्लाह की अवज्ञा करने पर मिलने वाला दंड। ईशप्रकोप, कष्ट, विपत्ति।

अलैहिस्सलाम- उनपर अल्लाह की कृपा हो। नबियों, रसूलों और अवतारों के नामों के बाद यह वाक्य कहा जाता है।

आयत- पवित्र क़ुर्आन की पंक्ति अथवा वाक्य।

इब्ने मरियम- मरियम का पुत्र (अर्थात ईसा मसीह अलैहिस्सलाम)

इस्राईल- अल्लाह का वीर या सैनिक। हज़रत याक़ूब अलै. का एक गुणवाचक नाम, जिस के कारण उनके वंशज को बनी इस्राईल (अर्थात इस्राईल की संतान) कहा जाता है। फ़िलिस्तीन का एक भू-भाग जिस में यहूदियों ने अपना राज्य स्थापित करके उस का नाम इस्राईल रखा है।

ईमान- अर्थात विश्वास और स्वीकार करना। जैसे अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर विश्वास करना।

उम्मत- संप्रदाय। किसी नबी या रसूल के अनुयायिओं का समूह उसकी उम्मत कहलाता है।

उम्मती नबी- किसी नबी की शिक्षाओं को आगे फैलाने के लिये उसके अनुयायियों में से किसी का नबी पद प्राप्त करना।

उलमा- इस्लामी धर्मज्ञ।

क़यामत- महाप्रलय। मृत्यु के बाद अल्लाह के समक्ष उपस्थित होने का दिन

कश्फ़- जागृत अवस्था में कोई अदृष्ट विषय देखना। स्वप्न और कश्फ़ में यह अंतर है कि स्वप्न सोते में देखा जाता है और कश्फ़ जागते में देखा जाता है। दिव्य-दर्शन। योगनिद्रा, तन्द्रावस्था।

काफ़िर - सच्चाई का इन्कार करने वाला। इस्लाम धर्म का अस्वीकारी।

क़िब्ला - आमने-सामने। जिसकी ओर मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ाना काबा मुसलमानों का क़िब्ला है जिसकी ओर सारे संसार के मुसलमान मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं।

कुफ़्र- सच्चाई का इन्कार, इस्लाम का इन्कार करना।

ख़लीफ़ा- उत्तराधिकारी। अधिनायक। नबी और रसूलों के बाद उनका स्थान लेने वाला और उनके काम को चलाने वाला।

ख़िलाफ़त- नबी और रसूल के बाद उनके कामों को आगे चलाने वाली व्यवस्था, जिसका प्रमुख ख़लीफ़ा कहलाता है।

ज़ईफ हदीस- (अर्थात कमज़ोर) वह हदीस जिसके रावी (हदीस बताने वाले) की ईमानदारी के बारे में कि सी को आपत्ति हो या उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो।

जिब्रील- ईशवाणी लाने वाला फ़रिश्ता।

जिहाद - प्रबल उद्यम करना। स्वयं को सुधारने के लिये या धर्मप्रचार के लिये प्रयत्न करना। सत्यधर्म की रक्षा के लिये प्रतिरक्षात्मक युद्ध करना।

तक़वा - निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और हर काम को करते समय अल्लाह का भय मन में रखना। संयम, धर्मपरायणता।

ताबयीन- अनुगमन कारी। वे मुसलमान जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्ल. को तो नहीं देखा परंतु हज़रत मुहम्मद सल्ल. के साहाबियों को देखा।

तबअ ताबयीन -ताबयीन के अनुगामी। जिन्होंने केवल ताबयीन को देखा।

तौरात - यहूदियों का धर्मग्रंथ।

दज्जाल- झूठा, धोखेबाज, अंत्ययुग में लोगों को धर्मभ्रष्ट कराने के लिए उत्पन्न होने वाला एक समूह।

दुरूद व सलाम -हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए की जाने वाली दुआ।

नबी- लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अल्लाह की ओर से आया हुआ व्यक्ति, जिसे अदृष्ट विषयों से अवगत कराया जाता है। अवतार।

नुबुव्वत- नबी बनने की क्रिया। अवतारत्व।

नूर- अध्यात्म प्रकाश, ज्योति।

नेमत - अल्लाह की देन।

पैग़म्बर - अल्लाह का संदेशवाहक, नबी, रसूल।

बनी इस्राईल- इस्राईल की संतान। (इस्राईल शब्द भी देखें)

बैअत- बिक जाना, धर्मगुरु के हाथ पर हाथ रख कर उसका आनुगत्य स्वीकार करना।

मजरूह हदीस- वह जिसमें, हदीस बताने वाले (रावी) के शब्दों और कार्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसके बारे में जिरह की गई है।

मुश्रिक - शिर्क करने वाला। अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को उपास्य मान कर उसे अल्लाह का समकक्ष ठहराने वाला व्यक्ति।

मुनाफ़िक़- कपटाचारी। वह व्यक्ति जो ईमान लाने का प्रदर्शन तो करे परंतु दिल से उसको अस्वीकार करने वाला हो।

मुत्तक़ी - निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करने वाला और हर काम को करते समय अल्लाह का भय मन में रखने वाला व्यक्ति, धर्मपरायण।

मुबाहल:- एक दूसरे को शाप देना। इस्लामी धर्मविधान के अनुसार किसी विवादित धार्मिक विषय को अल्लाह पर छोड़ते हुए एक दूसरे को शाप देना कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो।

मे'राज - आध्यात्मिक उत्थान। अल्लाह की ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल. की अलौकिक यात्रा जो सशरीर नहीं हुई।

मोमिन - अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर विश्वास करने वाला निष्ठावान् व्यक्ति।

मौज़ूअ हदीस- झूठी हदीस, जिसे रावी (हदीस बताने वाले) ने झूठ बोलकर आंहज़रत स०अ० व० की ओर सम्बद्ध कर दिया हो।

याजूज-माजूज-अंत्ययुग में उत्पन्न होने वाली दो महाशक्तियाँ।

रसूल- अल्लाह का भेजा हुआ अवतार, दूत।

रज़ियल्लाहु अन्हु- अल्लाह उन पर प्रसन्न हो। हज़रत मुहम्मद सल्ल. के पुरुष सहाबियों के लिए प्रयुक्त होता है। अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ।

रहिमहुल्लाहु- उन पर अल्लाह की कृपा हो। यह वाक्य दिवंगत महापुरुषों के नाम के साथ प्रयुक्त होता है।

रूह- आत्मा।

रूह-उल-क़ुदुस-पवित्रात्मा। ईशवाणी लाने वाला फ़रिश्ता।

रूह-उल-अमीन-जिब्रील, जो ईशवाणी लाने वाले फ़रिश्ता हैं।

ला'नत - अभिशाप, अमंगल कामना।

वह्यी - अल्लाह की ओर से प्रकाशित होने वाला संदेश, ईशवाणी। ईश्वरीय ग्रन्थों का अवतरण वह्यी के द्वारा होता है। पवित्र क़ुर्आन हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर वह्यी के द्वारा ही उतरा है।

शरीयत- इस्लामी धर्मविधान।

शिर्क- अल्लाह के बदले दूसरे को उपास्य मानना, किसी को अल्लाह का समकक्ष ठहराना।

सलाम - शांति और आशीर्वाद सूचक अभिवादन।

सलीब - सूली, जिस पर लटका कर मृत्युदंड दिया जाता था।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- उनपर अल्लाह की कृपा और शांति अवतरित हो। हज़रत मुहम्मद स० के नाम के साथ यह वाक्य कहा जाता है।

सहाबी - हज़रत मुहम्मद सल्ल. के वे अनुगामी जिन्हें आपकी संगति प्राप्त हुई।

सूरः / सूरत- पवित्र क़ुर्आन का अध्याय। पवित्र क़ुर्आन में 114 अध्याय हैं।

हज़रत - श्रद्धेय व्यक्तियों के नाम से पूर्व सम्मानार्थ लगाया जाने वाला शब्द।

हदीस - हज़रत मुहम्मद सल्ल. के कथन जिन्हें कुछ वर्षों के पश्चात इकट्ठा करके ग्रंथबद्ध किया गया। इन में से छः विश्वसनीय हदीस ग्रंथों को **सहा- ईसित्ता** कहा जाता है। इनके अतिरिक्त और भी हदीस के ग्रंथ हैं।

हिजरत - देशांतरण। हज़रत मुहम्मद सल्ल. के मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है।

हिदायत- सन्मार्ग प्राप्ति।

* * *